सप्तम माला, खंड 47 अंक 34 बुधवार, 11 अप्रैल, 1984/22 चैत्र, 1906 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

(चौदहवां सत्र)

7th Lok Sabha



(खंड 47 में अंक 31 से 40 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

लोक सभा वादविवाद

का

हिन्दी संस्करण

बुधवार, 11 अप्रैल, 1984/22 चैत्र, 1906 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

विषय सूची, पृष्ठ (i), पंक्ति 4, "649" के स्थान पर "645" पढ़िये।

पंक्ति 17, "68वां" के स्थान पर "78वां" पढ़िये तथा पंक्ति 26, "श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी" के स्थान पर "श्री सुब्रह्मण्यन स्वामी" पढ़िये।

पृष्ठ 12, पंक्ति 18, "चाहता हूं" के स्थान पर "चाहती हूं" पढ़िये।

पृष्ठ 21 पर छपी अंतिम 7 पंक्तियों को, अर्थात् "श्री पीताम्बर सिंह: मैं जानना। . . . से लेकर ". . . स्थापित किया जा सके" तक, पृष्ठ 20 पर पंक्ति 8 और 9 के बीच अंत:स्थापित करिये।

पृष्ठ 25, पंक्ति 16 तथा पृष्ठ 28, पंक्ति 19, "उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव)" के स्थान पर "उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)" पढ़िये।

पृष्ठ 28, पंक्ति 6, "आवश्य" के स्थान पर "आवश्यक" पढ़िये।

पृष्ठ 40, पंक्ति 14, "मल्लू" के स्थान पर "मल्लु" पढ़िये।

पृष्ठ 54, पंक्ति 2, "श्री योगेन्द्र झा" के स्थान पर "श्री भोगेन्द्र झा" पढ़िये।

पृष्ठ 63, पंक्ति 21, "दडवण्ते" के स्थान पर "दण्डवते" पढ़िये।

पृष्ठ 69, पंक्ति 5, "अनच्छेद" के स्थान पर "अनुच्छेद" पढ़िये।

पृष्ठ 71, पंक्ति 20, "द्वाका" के स्थान पर "द्वारका" पढ़िये।

पृष्ठ 77, पंक्ति 2, "श्री फलचन्द वर्मा" के स्थान पर "श्री फूलचन्द वर्मा" पढ़िये

पृष्ठ 87, पंक्ति 16, "7191ओ बी0डी0सिंह" के स्थान पर "7199. श्री बी0डी सिंह" पढ़िये तथा नीचे से दूसरी पंक्ति "7.00. श्रीमती समति उपरांव" के स्थान पर "7200. श्रीमती सुमति उरांव" पढ़िये।

पृष्ठ 90, पंक्ति 12, "महंतो" के स्थान पर "महन्तो" पढ़िये।

पृष्ठ 109, पंक्ति 14, "स्वतंत्रता" के स्थान पर "स्वतन्त्रता" पढ़िये।

पृष्ठ 110, नीचे से पंक्ति 6, अं0प्र0संख्या "236" के स्थान पर "7236" पढ़िये

पृष्ठ 133, नीचे से पंक्ति 2, "श्री बाबूरामपराजपे" के स्थान पर "श्री बाबूराव पराजपे" पढ़िये।

पृष्ठ 136, पंक्ति 2, "श्री मोहन लाल पेटल" के स्थान पर "श्री मोहन लाल पटेल" पढ़िये।

पृष्ठ 151, पंक्ति 2, "अं0प्र0संख्या "7272" के स्थान पर "श्री रूपारिया थागस" का नाम भी पढ़िये।

पृष्ठ 168, पंक्ति 24, अं0प्र0संख्या "724" के स्थान पर "7294" पढ़िये।

पृष्ठ 188, प्रथम पंक्ति, "समुदाओं को जनसंख्या" के स्थान पर "समुदायों को जनसंख्या" पढ़िये।

पृष्ठ 190, नीचे से पंक्ति 4, "परियार" के स्थान पर "परिवार" पढ़िये।

पृष्ठ 196, पंक्ति 4 तथा पंक्ति 12, क्रमशः "एल0टी0314/84" तथा "एल0टी0848/84" के स्थान पर "एल0टी03148/84" पढ़िये।

पृष्ठ 200, पंक्ति 3, "श्री भोगेन्द्रा झा" के स्थान पर "श्री भोगेन्द्र झा" पढ़िये।

पृष्ठ 219, नीचे से पंक्ति 5, "श्री लक्ष्मण मल्ला" के स्थान पर "श्री लक्ष्मण मलिक" पढ़िये।

पृष्ठ 211, पंक्ति 10, "एगना" के स्थान पर "परगना" पढ़िये।

पृष्ठ 229, नीचे से पंक्ति 4, "849/84" के स्थान पर "8149/84" पढ़िये।

पृष्ठ 279, पंक्ति 6, "नियय" के स्थान पर "नियम" पढ़िये।

पृष्ठ 284, पंक्ति 20, "पश" के स्थान पर "पेश" पढ़िये।

पृष्ठ 351, पंक्ति 11, [illegible]

पृष्ठ 357, पंक्ति 11, "दश" के स्थान पर "देश" पढ़िये तथा पंक्ति 20, "झालावड़" के स्थान पर "झालावाड़" पढ़िये।

पृष्ठ 367, पंक्ति 6, "श्री हरीश कुमार गगवार" के स्थान पर "श्री हरीश कुमार गंगवार" पढ़िये।

पृष्ठ 373, पंक्ति 23, "प्रो०एन०पी०रंगा" के स्थान पर "प्रो०एन०जी०रंगा" पढ़िये।

पृष्ठ 406, नीचे से पंक्ति 2, "संस्कृत की अखिल" के स्थान पर "संस्कृति की अखिल" पढ़िये।

विषय सूची

अंक 34, बुधवार 11 अप्रैल, 1984/22 चैत्र, 1906 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या : 639 से 643 और 649	2—22
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या : 644 और 646 से 659	22—33
अतारांकित प्रश्न संख्या : 7130 से 7138, 7140 से 7321 और 7323 से 7370	33—243
सभापटल पर रखे गए पत्र	246—249
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	249
74वां प्रतिवेदन—प्रस्तुत किया गया	
याचिका समिति	249
16वां प्रतिवेदन—प्रस्तुत किया गया	
लोक लेखा समिति	250
180वां प्रतिवेदन—प्रस्तुत किया गया	
प्राक्कलन समिति	250
68वां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश और सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 62वां प्रतिवेदन	
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	250—278
आन्ध्र प्रदेश और अन्य राज्यों में तम्बाकू की पत्ती के मूल्यों में भारी गिरावट आ जाने और परिणामत: तम्बाकू उत्पादकों में रोष व्याप्त होने तथा उनके द्वारा आन्दोलन किए जाने का समाचार	
श्री सतीश अग्रवाल	250
श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह	251
श्री मनी राम बागड़ी	259
डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी	264
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी	270
श्री हरिकेश बहादुर	275
कार्य मन्त्रणा समिति	278
60वां प्रतिवेदन	
नियम 377 के अधीन मामले	279— 284
(एक) माही नदी से निकली नहरों में अचानक पानी छोड़े जाने के कारण हुई क्षति (श्री भीखाभाई)	279
(दो) बुनकरों की आर्थिक-दशा सुधारने के उपाय (श्री हरिकेश बहादुर)	280

*किसी नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था ।

विषय	पृष्ठ
(तीन) गाजीपुर में इस्पात संसाधन संयंत्र स्थापित करने में विलम्ब (श्री जैनुल बशर)	280
(चार) खासी तथा जैंतिया पहाड़ी जिले में विभिन्न स्थानों पर लगने वाले साप्ताहिक बाजारों में बंगलादेशी व्यापारियों के प्रवेश पर प्रतिबन्ध में ढील देने की आवश्यकता (श्री बाजूबन आर० खारलुखी)	281
(पांच) इलायची पुनर्रोपण कार्यक्रम (श्री जेवियर अराकल)	281
(छः) पंजाब, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश की मंडियों से आने वाले गेहूं की खरीद तुरन्त आरम्भ करने के लिए भारतीय खाद्य निगम को निदेश (श्री मनोराम बागड़ी)	282
(सात) दुर्घटनाओं को रोकने के लिए चोला और सिकन्दरपुर स्टेशनों के बीच के रेल फाटक को स्थानान्तरित करना (श्री बनारसी दास)	282
(आठ) बर्न स्टैंडर्ड कम्पनी लि० की तीन इकाइयों : दुर्गापुर, रानीगंज और अनदल का पुनः खोला जाना (श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर)	283
(नौ) 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत बैंकों द्वारा ऋण दिये जाने में कथित अनियमितताओं की जाँच करना (श्री चन्द्रपाल शैलानी)	283
अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1984-85 शिक्षा और संस्कृति मन्त्रालय	284—372 374—418
श्री सैफुद्दीन चौधरी	286
प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत	317
श्री ए० ई० टी० बैरो	324
श्रीमती प्रमिला दंडवते	329
श्री जैनुल बशर	334
श्री एम० कंडास्वामी	341
प्रो० नारायण चन्द पराशर	345
श्री चन्द्रपाल सिंह	351
श्री चिरंजीलाल शर्मा	352
श्री चतुर्भुज	357
श्री रामस्वरूप राम	360
श्री पीताम्बर सिंह	363
श्री हरीश कुमार गंगवार	367
श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव	374
प्रो० सफुद्दीन सोज	378
श्री ए० के० राय	386
श्री मूलचन्द डागा	393
श्री डी० के० नायकर	394
श्री चन्द्रभान आठरे पाटिल	395
श्रीमती शीला कौल	397
पत्तन तथा गोदी कर्मचारियों द्वारा की गई हड़ताल के बारे में वक्तव्य (श्री के० विजय भास्कर रेड्डी)	372—374

लोक सभा

बुधवार, 11 अप्रैल, 1984/22 चैत्र, 1906 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री हरिकेश बहादुर : अध्यक्ष महोदय, पाकिस्तान प्रेसिडेन्ट ने कहा है कि पंजाब के एक्सट्रीमिस्ट्स की मदद करनी चाहिए—यह बहुत खतरनाक समाचार आज अखबार में छपा है।

श्री रामावतार शास्त्री : सिखों को रेवोल्यूशनरी कहा है और कहा है कि अपने आन्दोलन को तेज करो, अपना अलग राज्य बनाओ। यह समाचार अखबारों में निकला है। ...(व्यवधान)

श्री सतीश अग्रवाल : इससे जाहिर होता है कि इसमें उनका हाथ है... ...(व्यवधान)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : हमारा देश हस्तक्षेप करने वाले इन सभी के विरुद्ध कार्यवाही करने में समर्थ है। हम काफी मजबूत हैं, हमें इन सभी बातों की परवाह नहीं करनी चाहिए।

श्री रामावतार शास्त्री : वह एक अलग बात है; लेकिन यह हमारे आन्तरिक मामलों में दखलदांजी का मामला है।

श्री हरिकेश बहादुर : पहले प्रश्नकाल समाप्त कर लें, फिर इस पर चर्चा करेंगे। यह एक गम्भीर मामला है, वे हमारे आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं।

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, 15 दिन पहले पाकिस्तान एअर-फोर्स का एक हवाई जहाज आया था और पंजाब के एक हवाई अड्डे पर उतरा था और उतर कर चाय-पानी पीकर चला गया।

अध्यक्ष महोदय : ऐसी खबर पढ़ने से सीरिअसनेस महसूस होती है, लेकिन इसके पहले कि हम कोई काम करें, हमें थोड़ी सी ठोस हकीकत पता कर लेनी चाहिए।

श्री मनीराम बागड़ी : यह तो पता है।

अध्यक्ष महोदय : इजाजत ले कर भी तो उतर सकता है।

श्री मनीराम बागड़ी : यह ठीक है।

श्री हरिकेश बहादुर : अखबार के लोगों को खबर मिल जाती है, लेकिन गवर्नमेन्ट को मालूम नहीं होता है।

श्री सतीश अग्रवाल : यह खुद सरकार के हित में होगा कि वह इस मामले पर एक वक्तव्य दे···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी भावनाओं की अभिव्यक्ति करवाता हूं। शीघ्रातिशीघ्र इसको कराऊंगा।

———

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

खाना पकाने की गैस के सिलेन्डरों का निर्माण

*639. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत†:**

श्रीमती किशोरी सिन्हा : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में खाना पकाने की गैस के सिलेन्डरों के निर्माण एककों की संख्या कितनी है और उनकी वार्षिक उत्पादन क्षमता कितनी है और कितनी क्षमता का उपयोग किया जा रहा है;

(ख) इस प्रयोजन के लिए महानिदेशक, तकनीकी विकास के पास कितने नए एककों का प्रजोकरण कराया गया है;

(ग) 1984-85 के दौरान सिलेन्डरों का कितना अतिरिक्त निर्माण किया जाएगा; और

(घ) देश में खाना पकाने की गैस के सिलेन्डरों की मांग इस समय कितनी है और आगामी तीन वर्षों के दौरान कितनी हो जाने की आशा है और क्या नए एकक इस मांग को पूरा कर सकेंगे ?

उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) 30 एकक जिनकी अधिष्ठापित क्षमता प्रतिवर्ष 72.85 लाख सिलेन्डरों की है, एल० पी० जी० सिलेन्डरों का निर्माण करते हैं। 1983 में उन्होंने 19.33 लाख सिलेन्डरों का उत्पादन किया है।

(ख) 1983-84 में 422 एकक।

(ग) तथा (ग) एल० पी० जी० सिलेन्डरों की वार्षिक मांग 50 लाख नग होने का अनुमान लगाया गया है। पहले से ही अधिष्ठापित या पंजीकृत क्षमता से एल० पी० जी० सिलेन्डरों की माँग की पूर्ति भविष्य में स्वदेशी स्रोतों से ही किए जाने की सम्भावना है।

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने यह बताया है

कि 30 यूनिट जो हैं, वे इस समय 72.85 लाख सिलेंडर बनाने की क्षमता रखते हैं परन्तु मान्यवर, यह बड़े दुःख की बात है कि आज देश में बहुत अधिक जंगल कट रहे हैं और गृहणियां भी बहुत अधिक परेशान हैं और आप के यूनिट केवल 19.33 लाख सिलेंडर ही बना पा रहे हैं। मैं जानना चाहती हूं कि इस प्रकार के जो रुग्ण यूनिट हैं, क्या उनको बन्द करने की आप कोई योजना रखते हैं ?

दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि जो सिलेंडर बन रहे हैं, उनके साथ ही साथ रेगूलेटरों की, जोकि एल० पी० जी० सिलेंडर में काम में आते हैं, बहुत कमी है। तो सिलेन्डरों के साथ ही साथ क्या रेगूलेटरों की कमी को दूर करने के लिए भी सरकार कोई व्यवस्था कर रही है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : श्रीमन्, सम्मानित सदस्या ने जिस समस्या का उल्लेख किया है, उसका समाधान करने का प्रयास यथासम्भव हो रहा है। जो निर्धारित कैपेसिटी है, जो क्षमता है, उसका पूरा उपयोग हो सके, इसका प्रयास किया जा रहा है। जो कमी हुई है, वह केवलमात्र इसलिए नहीं है कि सब कम्पनियां रुग्ण हैं या बीमार हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि सिलेंडरों का निर्माण करने के लिए जिस इस्पात की आवश्यकता है, उसकी यथाकिंचित कमी का होना है। 53 हजार टन इस्पात आयात किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ 67 हजार टन इस्पात जो स्वदेशी उपलब्ध है, उसकी उपलब्धता को भी बढाया जा रहा है ताकि गुणात्मक किस्म का फौलाद मिल सके। मैंने यह भी निर्देश दिए हैं कि इसके जो निर्माता हैं, उनकी मीटिंग बुलाई जाए ताकि पूरी कैपेसिटी, क्षमता का पूर्ण उपयोग हो सके।

अध्यक्ष महोदय : इतनी शुद्ध हिन्दी में यह "कैपेसिटी" शब्द कहाँ घुस गया।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : यह हमारे समझने के लिए बहुत अच्छा है। इसको हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी : मैं क्षमता का उल्लेख कर रहा था। कभी-कभी अनुवादक की भी सहायता करनी पड़ती है। जब अनुवादक हमारी सहायता करता है, तो कभी उनकी सहायता भी करनी चाहिए।

जहां तक रेगूलेटरों का प्रश्न है, वह भी महत्व का प्रश्न है और मैं सम्मानित सदस्या को आश्वस्त करना चाहता हूं कि उनकी कमी को पूरा करने का भी प्रयास किया जा रहा है।

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : आज हमारा देश बहुत आगे बढ़ गया है और हम अंतरिक्ष में जाने की बात सोचते हैं।...(**व्यवधान**)...और गए भी हैं और हमारे राकेश शर्मा वहां पहुंच गए हैं। ऐसी स्थिति में हम मंत्री जी से इस प्रकार की आशा नहीं रखते कि हमारे यहां कच्चे माल की कमी की वजह से छोटा सा काम, जो बहुत हो अति-

आवश्यक है, रुक जाए क्योंकि इसमें केवल गृहणियों का सवाल नहीं है बल्कि देश का सवाल है। आज देश में जंगल बराबर कटते जा रहे हैं और इसके साथ ही साथ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का भी कमी है, केरोसिन आयल की भी कमी है। तो यह अतिशीघ्र होने वाला काम है और माननाय मंत्री जी ने आश्वासन दिया है, कि इसको हम पूरा करेंगे। 422 यूनिट इन्होंने 1983-84 में स्थापित किए हैं, मेरा यह निवेदन है कि क्या पांच साल के अन्दर या छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक और सातवीं पंचवर्षीय योजना जो शुरू होने वाली है, उस वक्त तक, इस प्रकार की जो कमी है क्या हम उसको पूरा कर पाएगे।

श्री नारायण दत्त तिवारी : श्रीमन्, जहाँ तक उत्पादन का प्रश्न है, 1978 में 1 लाख 20 हजार सिलेंडर का था जो 1983 में 1 लाख 5० हजार सिलेंडर का हो गया। तो ऐसी बात नहीं है कि उत्पादन नहीं बढ़ा है। और जो हमने लायसेंस दिए हैं, जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं उससे कुल मिलाकर 12 करोड़ सिलेंडर का रजिस्ट्रेशन हुआ है। राज्य सरकार के निदेशालय भी इस प्रकार के रजिस्ट्रेशन करते हैं। पिछले वष 422 यूनिट रजिस्टर किए गए। इस साल वे उत्पादन में आएगे। इससे आवश्यकता की पूर्ति हो सकेगी।

डा० वसन्त कुमार पंडित : अब हमारे पास काफी उत्पादन क्षमता है, पहले ही डी०जो०टी०डी० के पास 422 नए यूनिट पंजीकृत हैं। इनमें से अगर 25 प्रतिशत भी अपना उत्पादन आरम्भ कर देते हैं तो हमारे पास काफी संख्या में सिलेंडर हो जायेंगे। वाल्व के लिए एक तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। प्रधान मंत्री द्वारा सभा में बार-बार दिए गए आश्वासन के संदर्भ में, क्या मैं पूछ सकता हूं कि सरकार किसी नई तकनीक के आयात की मजूरी देने की बात पर विचार कर रही है या नहीं ? क्या इन 422 नये पंजीकृत यूनिटों में से किसी कम्पनी ने उस तकनीक के आयात की अनुमति मांगी है जोकि उस देश में अस्वीकृत की जा चुकी है, जोकि पुरानी पड़ चुकी है और जोकि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में मान्य नहीं है; जबकि दूसरी ओर वर्तमान तकनीक जोकि प्रयोग की जा रही है, काफी कारगर और सही ढंग से कार्य कर रही है ? क्या किन्हीं यूनिटों ने वाल्व के लिए नई तकनीक के आयात के लिए अनुमति मांगी है; अगर हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : मुझे अभी ऐसे किसी प्रार्थना पत्र के बारे में जानकारी नहीं है जो कि आयात से सम्बन्धित हो, जोकि गैस सिलेंडरों के उत्पादन के क्षेत्र में नई तकनीक के आयात के बारे अनुमति से संबंध हो। मेरी जानकारी यह है कि हमारे पास तकनीक है। लेकिन अगर सुरक्षा स्तर क लिए आयात आवश्यक हुआ तो केवल सुरक्षा के लिए हम नई तकनीक के आयात पर विचार कर सकते हैं।

श्री बनारसी दास : पिछले दो सालों से गैस के दाम बढ़कर 46 रुपए हो गए

हैं। इससे कंज्यूमर्स को तकलीफ हो रही है। इसी प्रकार जिलों में जो एजेंसीज दी जा रही हैं वे बहुत कम हैं।

नारायण दत्त तिवारी : श्रीमन्, सम्माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है वह मेरे विभाग से संबंधित नहीं है। मेरा सम्बन्ध सिलेंडरों के उत्पादन से है। विद्वान सदस्य क्षमा करेंगे यदि मैं उत्तर न दे सकूं।

श्री हीरा लाल आर० परमार : अध्यक्ष महोदय, पिछले कई सालों से जलाऊ लकड़ी और कैरोसिन के दाम ज्यादा बढ़ गए हैं।

अध्यक्ष महोदय : दाम की बात का तो अभी जिक्र हो गया कि इनसे सम्बन्धित नहीं है।

श्री हीरा लाल आर० परमार : मैं जानना चाहता हूं कि गरीब लोगों के लिए क्या कोई छोटे सिलेंडर की योजना है जो 25 रुपए में उपलब्ध हो सके।

अध्यक्ष महोदय : गैस की कीमत तो उतनी ही रहेगी, छोटा कर लो या बड़ा कर लो।

श्री हीरा लाल आर० परमार : उसकी कीमत तो कम होगी।

अध्यक्ष महोदय : तो फिर दो रखने पड़ेंगे।

बदायूं में आलू के चिप्स बनाने के कारखाने की स्थापना

*640. **श्री जयपाल सिंह कश्यप** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बदायूं जिले में आलू के चिप्स आदि बनाने के लिए एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस कारखाने पर कितनी लागत आएगी और इसकी क्षमता कितनी होगी तथा इसमें कितने लोगों को रोजगार मिलेगा ?

उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 1982 के दौरान, मै० वेलगा फूड्स लिमिटेड को बदायूं जिले में 1,75,200 मी० टन फ्रेंच फ्राइज फ्रोजन (आलू के चिप्स) आदि बनाने की वार्षिक क्षमता का एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी गई है। परियोजना की अनुमानित लागत 3.50 से 4 करोड़ रुपये के आसपास है। आशा की जाती है कि इससे लगभग 170 कामगारों को रोजगार मिल सकेगा।

श्री जयपाल सिंह कश्यप : माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय उद्योग मंत्री जी को पहले तो इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि बदायूं जैसे पिछड़े हुए क्षेत्र में, जहां आलू काफी तादाद में पैदा होता है, लेकिन किसानों को उसका सही मूल्य नहीं मिल पाता इसलिए आलू की चिप्स बनाने का कारखाना खुलने से उस क्षेत्र के किसानों को काफी सुविधा मिलेगी तथा रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। मैं यह जानना चाहूंगा कि इस कारखाने के बनने में क्या प्रगति है, कब तक तैयार हो जाएगा और कब तक काम करने लगेगा ? बरेली और फर्रूखाबाद भी उत्तर प्रदेश के पिछड़े हुए आल पैदा करने वाले क्षेत्र हैं। क्या वहां भी इस तरह का कारखाना स्थापित करने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : मैं, सम्मानित सदस्य को धन्यवाद देने के लिए धन्यवाद देता हूं। जहां तक इस प्रतिष्ठान की प्रगति का प्रश्न है···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं, एक दूसरे के सहयोग के लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री नारायण दत्त तिवारी : आपका आशीर्वाद है। इस कारखाने के निर्माण में अब तक जो प्रगति हुई है, उसमें दो करोड़ दस लाख रुपए के दीर्घकालीन ऋण की स्वीकृति हो चुकी है। दस लाख रुपए पूंजी अनुदान की भी सिद्धान्ततः स्वीकृति हो चुकी है। पहले प्राथमिक स्वीकृति देनी होती है, मिलना तो बाद में है। इन्डस्ट्रीयल फाइनेन्स कारपोरेशन आफ इण्डिया बीस लाख रुपए का ऋण स्वीकृत कर चुका है तथा आई०डी०बी०आई० और इन्डस्ट्रीयल री-कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन आफ इण्डिया से भी तीस लाख रुपए का ऋण जल्दी ही स्वीकृत हो जाने की आशा है। सम्भावना है कि शीघ्र ही प्रतिष्ठान का निर्माण कार्य शुरू हो सकेगा। सम्मानित सदस्य ने मुझे बदायूं जाने के लिए आमन्त्रित भी किया है। ···(व्यवधान)

श्री जयपाल सिंह कश्यप : हम आपका स्वागत करेंगे।

श्री नारायण दत्त तिवारी : जहाँ तक दूसरे जिलों का प्रश्न है, वह अलग से विचाराधीन है। इस बात का प्रयास हो रहा है कि वहां भी इस तरह का कारखाना लग सके।

श्री पी० नामग्याल : आनरेबल कश्यप जी चिप्स की फैक्टरी लगवाने के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ-साथ और भी कुछ होना जरूरी है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या इनकी कांस्टीच्युएंसी में वोडका बनाने की भी कोई फैक्टरी लगाई जायेगी ?

श्रीमती ऊषा वर्मा : उत्तर प्रदेश में मेरा क्षेत्र लखीमपुर भी बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, जहां आलू काफी मात्रा में पैदा होता है। मैं जानना चाहूगी कि क्या मंत्री जी वहां भी इस तरह की फैक्टरी लगाने का प्रयास करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : अगर इतनी सारी फैक्टरीयां लग गईं तो खाने वाले भी होने चाहिए।

आदिवासी उप-योजना का कार्यान्वयन

*641. **श्री के० प्रधानी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आदिवासियों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लिए विभिन्न राज्यों में शुरू किए गए आदिवासी उप-योजना कार्यक्रमों तथा परिवारोन्मुखी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का कोई मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है, विशेषकर उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्रों के बारे में; और

(ग) उड़ीसा में गरीब आदिवासियों की स्थिति सुधारने तथा उन्हें गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने में इन कार्यक्रमों से कितनी सहायता मिली है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों ने आदिवासी उप-योजना और परिवारोन्मुखी कार्यक्रमों का मूल्यांकन किया है ;

(ख) और (ग) योजना आयोग द्वारा की गई फरवरी, 1984 के कार्य की समीक्षा से मालूम हुआ कि उड़ीसा के आदिवासी उप-योजना क्षेत्रों में परिवारोन्मुखी क्षेत्र में राज्य ने 1983-84 के दौरान 76262 अनुसूचित जनजाति परिवारों की आर्थिक रूप से सहायता की है। छठी योजना के आरम्भ से फरवरी, 1984 तक राज्य में पंचवर्षीय योजना अवधि में 5.5 लाख परिवारों के लक्ष्य के मुकाबले में 3,10,189 अनुसूचित जनजाति परिवारों की आर्थिक रूप से सहायता की गई है।

श्री के० प्रधानी : उत्तर से यह स्पष्ट है कि पचवर्षीय योजना के लिए 5.5 लाख परिवारों के लक्ष्य के मुकाबले केवल 3.1 लाख परिवारों को ही लाभ मिल पाया है। इस तरह 2.4 लाख का बकाया है जिन्हें 31-3-1985 तक लाभ दिया जाना है। कार्यान्वयन के बारे में हमारे कुछ अधिकारियों के लिए मात्र प्रार्थना पत्र प्राप्त करना और ऋण मंजूर करना ही कार्यान्वयन है। लेकिन वास्तविक कार्यान्वयन परिवारों को पशु देने और आवश्यक उपकरण देने के बाद ही आरम्भ होता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन सभी परिवारों ने कार्यान्वयन के सभी तीनों चरण पूरे कर लिए हैं और उन्हें वास्तविक लाभ प्राप्त हो चुका है। 31 मार्च, 1985 तक शेष परिवारों को भी लाभ देने के लिए आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ?

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : शेष संख्या अधिक नहीं है, और इन्हें लाभ देने के लिए अभी भी एक वर्ष का समय बाकी है। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहती हूं कि

मैंने सभी मुख्य मन्त्रियों, जिनमें उड़ीसा के मुख्यमन्त्री भी शामिल हैं, को 25 फरवरी, 1984 को पत्र लिखा था, जिसमें उन्हें परिवारोन्मुखी कार्यक्रमों को शीघ्रता से लागू करने करने के बारे में कहा गया है।

श्री के० प्रधानी : उप-योजना क्षेत्रों के आदिवासी लोगों के विकास के लिए भारत सरकार ने क्या-क्या महत्वपूर्ण कार्यक्रम आरम्भ किए हैं ?

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : आदिवासी लोगों के शीघ्र विकास के लिए भारत सरकार ने जो कार्यक्रम आरम्भ किये है, वे हैं—कई सुरक्षात्मक उपायों को लागू करना, जैसे बंधुआ मजदूरी समाप्त करना, अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों का विनियमन आदि, भूमि का आवंटन और उसका अधिक उत्पादन के लिए विकास, सिंचाई क्षमता का विकास, आधुनिक तकनीक लागू करना, उर्वरक और बीजों की सप्लाई आदि, लड़कियों के होस्टलों का निर्माण, छात्रवृत्ति और स्कालरशिप प्रदान करना आदि।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने अपने प्रश्न के जवाब में कहा है कि इनका लक्ष्य था 5.5 लाख, और जो अचीवमेंट हुआ है वह है 3 लाख 10,179 परिवार का जिन्हें आर्थिक सहायता दी है। मैं जानना चाहता हूं आपने जो 3 लाख 10 हजार परिवारों की आर्थिक सहायता दी है, उसमें से कितने परिवार हैं जो गरीबी रेखा के ऊपर उठ गये हैं ? और जिनको सहायता दी है वह सहायता 10 रु० भी होती है और 5 रु० भी होती है, तो कितने लोग हैं जिनको आपने गरीबी रेखा के ऊपर उठाया है ? और जो आदिवासी पहले जंगल का मालिक कहा जाता था और अब उस जंगल को सरकार ने अपने अधीन ले लिया है जिससे आदिवासी विस्थापित हो गये हैं तो सरकार ने कितने लोगों को अभी तक बसाने का प्रबन्ध किया है ? क्योंकि एक तरफ आपकी योजनायें उनके उत्थान के लिये बन रही हैं लेकिन दूसरी तरफ आदिवासियों की हत्यायें हो रही हैं और उनको विस्थापित किया जा रहा है। तो मैं यह दो बातें जानना चाहता हूं।

गृह मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : जिन परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाती है उसका उद्देश्य उनको गरीबी की रेखा से ऊपर लाने का है। और जिनको सहायता दी गई है वह गरीबी की रेखा के ऊपर आ गये हैं।

श्री राम विलास पासवान : सब आ गये ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : जी हां, जिनको दी गई है। जहां तक आदिवासियों को जमीन से हटाने का सवाल है .... यह कानून बना दिया गया है कि उनकी जमीन से हटाया न जाये, लेकिन अगर किसी कारखाने की वजह से हटाया जाता है तो कारखानों में उनके एक आदमी को पहले नौकरी देने का प्रावधान होता है। साथ ही सरकार यह कोशिश करती है कि उनको आल्टरनेटिव काम दिया जाये।

श्री राम विलास पासवान : होम मिनिस्ट्री की तरफ से देखते भी हैं कि उनको नौकरी मिलती है या नहीं ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : हमारे यहां से बराबर इन्वैस्टीगेशन टीम प्रतिवर्ष जाती हैं।

श्री अरविन्द नेताम : श्रीमन्, पिछली योजनाओं की अपेक्षा छठी योजना में ज्यादा प्रावधान किया गया है। जैसा कि माननीय मन्त्री ने आदिवासी उप-योजना के बारे में बताया है कि, क्या मैं उस सन्दर्भ में पूछ सकता हूं कि क्या भारत सरकार को कोई शिकायत प्राप्त हुई है कि राज्य सरकारों ने आदिवासी उप योजना क्षेत्र के लिए निर्धारित राशियों को दूसरे क्षेत्रों में खर्च किया है। अगर हां तो वे राज्य कौन-कौन से हैं ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : 1980-85 के दौरान आदिवासी उपयोजना लागू करने के लिए करीब 3,980.50 करोड़ रु० के कुल प्रावधान रखे जाने की सम्भावना है। जहां तक आदिवासी उप योजना से राशियों को दूसरी योजनाओं पर खर्च करने का सम्बन्ध है, इस पर यहां से हमेशा ही निगरानी रखी जाती है और एक या दो राज्यों को छोड़कर किसी भी अन्य राज्य के बारे में ऐसी विशिष्ट शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं। मैं उन राज्यों का नाम नहीं बताना चाहूंगा।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां जम्मू और काश्मीर में गूजर और बकरावाला खानाबदोश आदिवासी हैं और वे बुरी हालतों में रहते हैं। वे भी गरीबी-रेखा से ऊपर उठना चाहते हैं। क्या माननीय मन्त्री मुझे इस विषय पर बतायेंगे कि क्या मन्त्रालय उनको गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लिए कोई विशेष कार्यवाही करेगा ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : श्रीमन्, इसमें जम्मू और काश्मीर भी शामिल है लेकिन जहां तक आदिवासियों में कुछ और समुदायों को शामिल करने का प्रश्न है, हम पहले ही इस बारे में जम्मू और काश्मीर सरकार से पत्र व्यवहार कर रहे हैं...

(व्यवधान)

प्रो० सैफुद्दीन सोज : श्रीमन्, मुझे क्षमा करें, यह एक अलग विषय है। क्या गुजर और बकरावाला अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, ये एक अलग विषय है। मैं गुजर और बकरावाला के बीच में उन खानाबदोश समुदायों का जिक्र कर रहा था जो कि गरीबी की हालत में रह रहे हैं। उनको गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए...

(व्यवधान)

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : इसके लिए एक अलग प्रश्न की सूचना दीजिए।

महिलाओं के प्रति अपराध सम्बन्धी अध्ययन

*642. **अटल बिहारी वाजपेयी :**

श्री सूरजभान : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय के नई दिल्ली पुलिस अनुसंधान तथा विकास ब्यूरो द्वारा

प्रकाशित महिलाओं के प्रति अपराध सम्बन्धी हाल के अध्ययन में क्या-क्या मुख्य टिप्पणियां की गई हैं;

(ख) उक्त रिपोर्ट में क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं और उनमें से प्रत्येक पर क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ग) कुल कितनी सिफारिशें की गई हैं और सरकार ने उनमें से कितनी सिफारिशें स्वीकार नहीं की हैं तथा उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या उक्त अध्ययन में इस बात का संकेत है कि महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ाते जा रहे हैं; और

(ङ) मार्च 1977, जनवरी, 1980 और वर्तमान में अपराध की स्थिति से सम्बन्धी आंकड़े क्या हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

अध्ययन का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के प्रति अपराध की सीमा, स्वरूप और पैटर्न का पता लगाना था । अध्ययन में बलात्कार और अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम जैसे यौन अपराध और दहेज जैसे सामाजिक रीति रिवाजों से सम्बन्धित अपराध भी शामिल हैं । रिपोर्ट में विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रकार की महिलाओं के प्रति अपराधों की प्रवृत्ति और कुछ अन्य देशों मे इस प्रवृत्ति के सम्बन्ध में विश्लेषण किया गया है और इस बारे में टिप्पणियां की गयी हैं ।

रिपोर्ट में महिलाओं के प्रति अपराध के मामलों पर कार्यवाही करने के बारे में अनेक सिफारिशें की गई हैं । रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशें ये हैं :—अत्याचारों से पीड़ित महिलाओं के प्रति जांच-पड़ताल तन्त्र और अभियोग शाखा अधिक उत्तरदायी होनी चाहिए, महिलाओं के प्रति अपराधों के मामले की जांच पड़ताल में महिला पुलिस अधिकारियों का शामिल होना, मामलों की शीघ्र जांच पड़ताल और अभियोजन, अत्याचारों के पीड़ितों का पुनर्वास, विचारण कार्यवाहियों के दौरान सामाजिक मनाश्चिकित्सकों को शामिल करना, राजस्व और पुलिस अधिकारियों का, विशेषत: आदिवासी प्रशासन में, विशेष प्रशिक्षण, अपराधों के पीड़ितों को मुआवजा देना, सामाजिक तनावों को, जिनसे महिलाओं के प्रति कुछ किस्म के अपराधों को बढ़ोतरी होती है, छोड़ने में जनसम्पर्क माध्यमों का प्रयोग करना आदि ।

3. रिपोर्ट राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों तथा केन्द्रीय सरकार के सम्बन्धित मन्त्रालयों/विभागो को सूचना और आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजी गई है ।]

अध्ययन के अनुसार वर्ष 1977, 1978 और 1979 (जिस वर्षों तक आंकड़े एकत्र किए गए थे) के दौरान सूचित किए गए महिलाओं के प्रति अपराध के आँकड़े क्रमशः 38734, 41378 और 40590 है। अध्ययन के लिए अपराध के महीने-वार आंकड़े एकत्र नहीं किए गए थे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, वक्तव्य में मेरे सभी खंडों का उत्तर नहीं आया है। पूरक प्रश्न पूछने से पहले मैं आपका ध्यान, जिस तरह का उत्तर दिया गया है, उसकी ओर खींचना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : उत्तर को खींचना चाहते हैं, मन्त्री महोदय को ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : ऐसी खिंचाई करूंगा कि दोनों साथ आ जाएंगे। क्या अध्ययन में यह बताया गया है कि महिलाओं के प्रति अपराधों में वृद्धि हो रही है ? इसका कोई जवाब नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आखिर में है, आंकड़े पढ़िए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आंकड़े भी बड़ी चतुराई से दिए गए हैं। 1979 तक के आंकड़े हैं, उनके बाद के आंकड़े नहीं हैं। इस सरकार का जन्म 1980 में हुआ, पैदाइश के बाद क्या हुआ है, इसका पता लगना चाहिए ? यह जवाब पूरा नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : स्टडी कब तक की है ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : पूरा प्रश्न स्टडी से जुड़ा हुआ नहीं है। इसके भाग 'डी' को देखिए—क्या महिलाओं के प्रति अपराध बढ़े हैं ? इसका कहीं उत्तर नहीं है।

सरकार संकोच क्यों कर रही है उत्तर देने में ? अगर अपराध बढ़े हैं तो कहे कि अपराध बढ़े हैं। इसके बाद प्रश्न पूछूंगा।

गृह मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : माननीय सदस्य ने 1977, 1978 और 1979, इन तीन वर्षों के आँकड़े माँगे थे और वे दिए गए हैं :

38,734, 41378 और 40,590। जहां तक टोटल रीकमंडेशन्ज का सवाल है, वे 18 हैं।

श्री सूरजभान : उन्होंने प्रश्न के भाग (ङ) का उत्तर नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय : भाग (ङ) में कहा गया है :

"6 मार्च, 1977, जनवरी 1980 और वर्तमान में अपराध की स्थिति के आँकड़े क्या हैं ?"

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : अभी मेरे पास नवीनतम आंकड़े नहीं हैं। मैं माननीय सदस्य को दे दूंगा।

डा० सुब्रह्मण्यण स्वामी : गत सप्ताह में ही इसके बारे में एक अतारांकित प्रश्न था।

श्री सुनील मैत्रा : यदि नवीनतम आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं तो मन्त्रालय के पास कुछ आंकड़े तो उपलब्ध होंगे। किस समय तक के आँकड़ें उनके पास हैं ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : जो भी आँकड़े मन्त्रालय के पास उपलब्ध हैं, वे प्रस्तुत किये जायेंगे।

श्री सुनील मैत्रा : क्या इस सभा के साथ व्यवहार करने का यह तरीका है ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मन्त्री महोदय ने अपने वक्तव्य में कहा है—मैं उद्धृत कर रहा हूं : "रिपोर्ट राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों तथा केन्द्रीय सरकार के सम्बन्धित मन्त्रालयों/विभागों को सूचना और आवश्यक कार्यवाही के लिये भेजी गई है।" दिल्ली तो केन्द्र-शासित क्षेत्र, यूनियन टेरिटरी, भी नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि इन सिफारिशों को दिल्ली में लागू करने के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं। क्या दिल्ली में महिलाओं के प्रति अपराधों की पूरी तरह रोक-थाम करके और जो अपराध होते हैं, उनकी जाँच-पड़ताल की उचित व्यवस्था करके केन्द्रीय सरकार सारे राज्यों के सामने एक आदर्श कायम करने की कोशिश करेगी ?

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : महिलाओं के प्रति किए गए अपराधों को सरकार ने बहुत ही गम्भीरता से लिया है। इस बारे में, मैं सरकार के रवैये को स्पष्ट करना चाहता हूं।

प्रो० अजित कुमार मेहता : हिन्दी में बोलिए।

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : आप हिन्दी में पूछ सकते हैं या बोल सकते हैं। मैं अंग्रेजी में उत्तर दे सकती हूं।

दहेज के कारण हुई भारी संख्या में मौतों और महिलाओं के प्रति अन्य प्रकार के अपराधों देखते हुए, हमने गत वर्ष ही इस कानून को बनाया था, जिसमें पति और उसके उन सम्बन्धियों को दण्डित करने का प्रावधान किया गया है, जो कि महिलाओं के साथ अत्याचार करते हैं, इसमें तीन वर्ष तक की कारावास की सजा और जुर्माना भी हो सकता है। अपराध को अवेक्षणीय और गैर-जमानतशुदा वर्गीकृत किया गया है।

जहाँ तक दहेज के कारण होने वाली मौतों का सम्बन्ध है, सभी राज्यों और केन्द्र-शासित प्रदेशों को इस आशय के व्यापक अनुदेश जारी कर दिए गए हैं जिसमें किसी भी विवाहित युवती द्वारा उनके विवाह के दस वर्ष के अन्दर आत्म-हत्या करने और संदेहास्पद परिस्थितियों में मृत्यु हो जाने पर ऐसे सभी मामलों की पूरी-पूरी जांच की जाए। सरकार ने यह कदम उठाया है।

श्री सुरजभान : दिल्ली की क्या स्थिति है ?

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : इसमें दिल्ली भी सम्मिलित है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : उत्तर क्या है ? **(व्यवधान)**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : रिपोर्ट के अनुसार 1971-77 में रेप केसिज में 63 परसेन्ट की वृद्धि हुई है। यह बात मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में नहीं बताई। रिपोर्ट कहती है कि इम्मारल ट्रैफिक के केसिज में 79.8 परसेन्ट की वृद्धि हुई है। यह 1977 तक का हाल है। बाद में ये अपराध और बढ़ते जा रहे हैं। रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी कि हर पुलिस थाने में महिला अधिकारी होनी चाहिए, जो महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों की खुद जांच करे। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस सिफारिश को दिल्ली में लागू किया गया है। क्या यह सच नहीं है कि दिल्ली में अभी भी महिलाओं से सम्बन्धित जो रिपोर्ट दर्ज होती है, उसकी जांच के लिए मर्द पुलिस वाले जाते हैं ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : दिल्ली में महिला अधिकारी की नियुक्ति की गई है, जो इन मामलों की छान-बीन करती है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हर थाने में ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : हर थाने में नहीं। एक महिला अधिकारी है। **(व्यवधान)** यदि आवश्यक होता है, तो दूसरी महिलाएं पुलिस की हैं, उनका उपयोग भी किया जाता है।

श्री सूरजभान : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली पुलिस ब्यूरो की रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि ट्राइबल महिलाओं पर जो बलात्कार होते हैं उसमें 71.4 परसेन्ट बिजनेसमैन होते हैं और 28.6 परसेन्ट गवर्नमेंट एम्पलाईज होते हैं। ट्राइबल्स की सीधी जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट पर है। आप कहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट्स को इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए हैं, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा। स्टेट्स में हो क्या रहा है ? उसी ब्यूरो ने यह भी रेकमेंडेशन दी है कि ऐसे केसेज में जहां रेप करने वाले एक से ज्यादा हों और प्लान्ड वे में रेप किया हो, उन केसेज में सजा डेथ सेन्टेंस या लाइफ इम्प्रिजनमेंट होनी चाहिए। इस प्रश्न का एक पार्ट वह भी है। आप ने बताया नहीं है कि टोटल रेकमेंडेशंन कितनी थीं, कितनी आप ने मान ली हैं और कितनी के लिए आगे किसी को कहा है ? यह भी रेकमेंडेशन आपने मान ली या नहीं डेथ सेंटेंट वाली ?

मैं लेटेस्ट आपको बता रहा हूं, पुलिस कहां तक ज्यादती करती हैं, 14 फरवरी को मेरी कांस्टीच्यूएंसी रायपुर राने के थाने में पुलिस थाने दार ने मां और बेटेको···

अध्यक्ष महोदय। यह क्वेश्चन नहीं है। यह आप पहले कह चुके हैं। आप सवाल पूछिए। यह आलरेडी रेकार्ड पर है।

श्री सूरजभान : हम सब कुछ कह देते हैं, बताएं तो सही।

ऐसे सीरियस केसेज में जहां ब्यूरो ने खुद कहा है कि डेथ सेटेंस हो और लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो, क्या आप ने उसूली तौर पर इसको मान लिया है और अगर मान लिया है तो स्टेट्स को क्या इंस्ट्रक्शंस भेजी हैं ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : मैंने शुरू में बताया कि कुल 18 रेकमेंडेशंस है और 18 की 18 हमने मान ली है। जहां तक पुलिस अधिकारियों के इस अपराध में शामिल होने का प्रश्न है उनके खिलाफ कार्यवाही की जाती है। हाल ही में दिल्ली में एक पुलिस आफिसर को इस सिलसिले में सस्पेंड किया गया है। दूसरे राज्यों में भी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाती है। माननीय सदस्य ने जो आंकड़े दिए 78.8 परसेन्ट बिजनेसमैन के और 28.6 परसेन्ट सरकारी अधिकारियों के अगर माननीय सदस्य इन आंकड़ों को जोड़े तो ये 100 प्रतिशत से ज्यादा हो जाते हैं।

श्री सूरज भान : यह आपके ब्यूरो के आंकड़े हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय, इन सिफारिशों में उठाए गए विभिन्न मुद्दों में से दो ऐसे मुद्दे हैं जिन पर मैं मंत्री महोदय से ठोस सूचना चाहती हूं। ये दो मुद्दे हैं अत्याचारों से पीड़ितों का पुनर्वास और इन अपराधों के शिकार लोगों को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति की राशि। जैसा कि मन्त्री महोदय ने अभी-अभी बताया है, मैं यह मानती हूं कि सरकार ने सिफारिशें मंजूर कर ली है। अतः, मैं यह जानना चाहती हूं कि इन दो सिफारिशों की कार्यान्विति हेतु, जिसके लिए धन के कुछ प्रावधान की आवश्यकता है तथा कुछ परिसरों और संगठनों की स्थापना की आवश्यकता है, सरकार ने दिल्ली में और किसी भी राज्य में कौन-कौन से उपाय किए हैं ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : ऐसी महिलाओं को जो इस प्रकार के अपराध के कारण दुःखी हो जाती हैं। महिला सदन में रखा जाता है और वहां उनके साथ छान-बीन की जाती है। उनको आर्थिक सहायता भी दी जाती है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : यह कहना कतई सही नहीं है और उससे स्थिति से भी नहीं निपटा जा सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि महिला सदनों में क्या कुछ हो रहा है। वहाँ पर भी बलात्कार होते हैं।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : माननीय सदस्या मुझे वह सुझाव दे सकती हैं जिससे कि स्थिति में सुधार हो सके।

श्रीमती प्रमिला दण्डवते : मन्त्री महोदय ने इस सदन में बहुत बार यह कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट्स को इन्स्ट्रक्शन भेजी हैं, मगर उसके ऊपर कार्यवाही नहीं होती। पिछली जनवरी के 28 तारीख से पांच मदर्स जो डावरी विक्टिम्स हैं, हंगर स्ट्राइक पर थीं। उनका यही कहना था कि आप ने जो इन्स्ट्रक्शंस भेजी हैं डावरी कंडीशंस के बारे में, उसके ऊपर अमल नहीं होता। ऐसे केसेज की जांच नहीं होती, दो डाक्टर्स से पोस्ट मार्टम नहीं किया

जाता और उसके साथ-साथ उनके पेरेन्ट्स को बुलाकर यह करना चाहिए, वह नहीं किया जाता। उसके लिए पुलिस की एपैथी जिम्मेदार है। इस रेकमेंडेशन में भी कहा है कि पुलिस का री-ओरिएन्टेशन होना चाहिए। एक रेकमेंडेशन यह भी है कि वीमेन्स आर्गेनाइजेशस की विजिलेन्स कमेटीज को पुलिस स्टेशनों के साथ अटैच किया जाना चाहिए जिससे इस प्रकार के क्राइम्स को रोकने में मदद हो सके। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहती हूं क्या आपने देश में ऐसी सोशल आर्गेनाइजेशस की विजिलेन्स कमेटीज बनाई हैं ? यदि बनाई हैं तो कब ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : सरकार ने ऐसे कोई संगठन नहीं बनाए हैं लेकिन देश में महिलाओं के ऐसे कई संगठन हैं जो इस प्रकार के क्राइम्स को रोकने में मदद करते हैं। माननीय सदस्या को मालूम है कि जहां तक दिल्ली का सवाल है, उनकी स्वयं यहां के पुलिस अधिकारियों के साथ कई बार मीटिंग्ज हो चुकी हैं और उनमें जो भी सुझाव आए हैं उनके सम्बन्ध में बातचीत हुई हैं। इसके अलावा सोशल वेलफेयर बोर्ड में भी इस पर विचार-विमर्श हुआ है और उन्होंने भी कुछ सुझाव दिए हैं जिनके मुताबिक कार्यवाही की जा रही है।

श्रीमती सुशीला गोपालन : महोदय, केन्द्र सरकार ने 1980 से राज्य सरकारों को अनुदेश भेजे हैं। परन्तु क्या आपने अभी तक इस बात की समीक्षा की है कि राज्यों में क्या हो रहा है ? क्या केन्द्र ने राज्यों से इस आशय की रिपोर्ट मांगी है कि क्या इन निर्देशों का पालन किया जाता है ? इस पर उन्होंने क्या कार्यवाही की है ? अन्यथा हमको यह पता नहीं चलेगा कि राज्यों में क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि जहां तक हमारा सम्बन्ध है, अधिकांश राज्यों में इनका पालन नहीं किया जाता है। अतः क्या सरकार इन बातों की समीक्षा करेगी ?

जहां तक हाल ही में पास किए गए कानून की बात है, एक नाबालिग बच्ची के बलात्कार के मामले में, दिल्ली उच्च-न्यायालय ने 'बन्द कमरे' में सत्र की मांग की थी तो सरकारी वकील का कहना था कि यह सम्भव नहीं है क्योंकि, रिपोर्ट की कार्यान्विता अभी तक आरम्भ नहीं हुई है। अतः, उपचार क्या है ? इसे कब क्रियान्वित किया जाएगा ?

अध्यक्ष महोदय : राज्य सरकारों को भी उत्तरदायी होना चाहिए, क्योंकि इन मामलों में उनका भी प्रतिनिधित्व होता है।

श्रीमती सुशीला गोपालन : यह तो दिल्ली उच्च न्यायालय की घटना है।

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : महोदय, 1977, 1978 और 1979 इन तीन वर्षों के सम्बन्ध में सर्वेक्षण किया गया था (व्यवधान) अध्ययन 1980 में किया गया था तथा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को 22 दिसम्बर, 1983 को प्रतिवेदन भेजा गया था और हम सभी सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को इसे यथा सम्भव शीघ्र निपटाने हेतु लिख रहे हैं।

श्री सतीश अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने सभा को सूचित किया है कि पुलिस, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, नई दिल्ली द्वारा प्रस्तुत किएगा प्रतिवेदन में 18 सिफारिशें की गई थीं और सरकार ने इन सभी सिफारिशों को मजूर कर लिया है । क्या मैं मन्त्री महोदय से यह जान सकता हूं कि क्या इन 18 सिफारिशों में से एक सिफारिश यह थी कि सामूहिक बलात्कार के मामलों में मृत्यु दण्ड और आजीवन कारावास की सजा दी जानी चाहिए और जन प्रचार साधनों से यह कहा जाना चाहिए कि उन चलचित्रों के प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जिनमें महिलाओं के प्रति हिंसा दर्शायी गई हो। यदि हां तो, चूंकि भारतीय दण्ड संहिता में संशोधन करना केन्द्रीय सरकार के सीमा क्षेत्र में है, क्या मैं यह जान सकता हू कि जैसा कि पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो ने सामूहिक बलात्कार के मामलों में मृत्यु दण्ड और आजीवन कारावास देने के की अपनी शिफारिशों में एक सिफारिश की है, क्या गृह मन्त्रालय ने भारतीय दण्ड संहिता को संशोधित करने का कोई प्रस्ताव रखा है और क्या ऐसे निर्देश भी जारी किए हैं कि उन फिल्मों को प्रदर्शनार्थ न पास किया जाए । जिनमें नारी के प्रति हिंसा को प्रदर्शित किया गया हैं ।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : जहां तक भारतीय दण्ड संहिता का सम्बन्ध है, मैंने अपने सहकर्मी विधि मन्त्री के साथ अभी-अभी विचार-विमर्श किया है और उनका कहना है कि यह पहले ही विचाराधीन है।

जहां तक दहेज के कारण हुई मौतों का सम्बन्ध है हम और अधिक कठोर कानून बना रहे हैं और हम संसदीय कार्य मन्त्री महोदय से निवेदन करेंगे कि इसको चालू सत्र में ही पुर:स्थापित करें।

श्री सतीश अग्रवाल : फिल्मों के प्रदर्शन के बारे में क्या स्थिति है ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : महोदय, भारतीय दण्ड संहिता फिल्मों पर भी अंकुश रखेगी ।

उड़ीसा में जिला उद्योग केन्द्र

*643. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में जिला उद्योग केन्द्रों की संख्या कितनी है और वे कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) इन केन्द्रों की स्थापना का प्रयोजन क्या है और इस सम्बन्ध में क्या उपलब्धियां हैं;

(ग) उद्योगों की स्थापना के लिए क्या सुविधाएं और प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं; और

(घ) क्या वर्ष 1984 और 1985 में उड़ीसा में ऐसे और केन्द्र स्थापित करने की योजनाएं हैं ?

उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) उड़ीसा में 13 जिलों के लिए 13 जिला उद्योग केन्द्र हैं और सभी जिला मुख्यालयों में स्थित हैं।

(ख) जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य लघु, ग्रामीण तथा कुटीर उद्योगों को आवश्यक सेवाएं और निविष्टियां जहां तक सम्भव हो जिला-स्तर पर ही उपलब्ध कराने में सहायता देना है। वर्ष 1978-79 से 1982-83 के दौरान उड़ीसा में 2,23,055 औद्योगिक एककों की स्थापना हुई, जिसमें 2,11,880 कामगार-आधारित और 11,175 लघु उद्योग एकक हैं, जिनसे 4,36,970 व्यक्तियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं।

(ग) उद्योगों की स्थापनार्थ दी जाने वाली सुविधाएं और प्रोत्साहन इस प्रकार हैं — आर्थिक अन्वेषण, उत्पादन क्षेत्र के चयन में उद्यमियों का मार्गदर्शन, सम्भाव्यता रिपोर्टें तैयार करना, एककों का पंजीकरण, मशीनों और उपकरणों की आपूर्ति का प्रबन्ध करना —यदि आवश्यक हो तो किराया खरीद आधार पर, कच्चे माल और ऋण का प्रबन्ध करना, प्रशिक्षण देना तथा औजारों (टूल-किल) के लिए राजसहायता देना, सन्यन्त्र और उपकरणों के लिए राजसहायता, पिछड़े हुए घोषित जिलों में कामगारों के कार्य शेडों हेतु राजसहायता तथा उद्यमियों के लिए पूंजी राजसहायता की व्यवस्था। अभी हाल ही में शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्व-रोजगार उपलब्ध करवाने की नई योजना के अन्तर्गत जिला उद्योग केन्द्रों ने भी शिक्षित बेरोजगार युवकों को निजी रोजगार उद्यम की स्थापना में सहायता देना आरम्भ कर दिया है।

(घ) जी, नहीं।

श्री अर्जुन सेठी : महोदय, इस अवधि के दौरान स्थापित की गई इकाईयों और उनके द्वारा उत्पन्न रोजगार के अवसरों के बारे में बताने वाला विवरण काफी प्रभावशाली है। परन्तु वास्तविक तथ्य निस्सन्देह कुछ और ही चित्रण करते हैं। मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने प्रत्येक केन्द्रीय मन्त्रालय में क्या कोई ऐसी निगरानी एजेंसी कायम की हुई है जो कि यह पता लगा सके कि कच्चे-माल वित्त विपणन सुविधाओं के अभाव के कारण कितनी इकाईयां कठिनाइयों का सामना कर रही हैं ? यदि हां, तो मन्त्री महोदय ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन सब इकाईयों को इन कठिनाइयों का

सामना न करना पड़े और ये इकाइयां मन्त्रालय की अपेक्षा के अनुसार अपना काम कर, कौन से विशेष कदम उठाए हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : मेरे विचार से तथ्य अखण्डनीय हैं। तथ्य तो तथ्य ही हैं। मेरे विचार से माननीय सदस्य ने केवल रुग्ण इकाईयों का ही उल्लेख किया है। मैं इस सूची में उल्लिखित इकाईयों में रुग्ण इकाइयों की सम्भावना से इंकार नहीं कर सकता हूं। उनमें से बहुत सा रुग्ण हो सकती हैं।

निगरानी राज्य सरकार द्वारा की जाती है। माननाय सदस्य यह मानेंगे कि इतनी विस्तृत निगरानी केवल राज्य स्तर पर ही की जा सकती है। मुझे पूरा विश्वास है कि उड़ीसा सरकार ऐसी इकाईयों की सहायता करने का हर सम्भव प्रयास कर रही है जो कि रुग्ण हों। निस्सन्देह, हमारे यहां राज्य स्तर की संस्थानगत समिति है। इसकी स्थापना रिजर्व बैंक ने उन लघु औद्योगिक इकाईयों पर निगरानी रखने के लिए की है जो कि रुग्ण हो सकता हैं। और राज्य स्तरीय समिति पर राज्य सरकार निगरानी रखती है। हम उस पर दृष्टि रख सकते हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए कि कम से कम इकाईयां, रुग्ण हो, हम अपने ढ़ग से यथा सम्भव सहायता करने का भरसक प्रयास करेंगे।

श्री अर्जुन सेठी : मन्त्री महोदय ने यह बताया है कि निगरानी राज्य स्तर पर की जाती है। तो फिर भारत सरकार के उद्योग मन्त्रालय का क्या कर्त्तव्य है ? क्या वे स्थल पर जाकर रुग्ण इकाईयों का पता नहीं लगा सकते हैं ? केन्द्रीय स्तर पर उन्होंने कौन से अभिकरण की स्थापना की है जो यह पता लगा सके कि कितनी इकाईयां रुग्ण हो गई हैं और उन्होंने उन पर कितनी राशि व्यय की है ? क्या यह सच नहीं है कि न केवल उड़ीसा में बल्कि देश के अन्य भागों में भी स्थिति से निपटने के लिए डी०टी०सी० में पर्याप्त कर्मचारी नहीं है ? प्रधान मन्त्री महोदया ने अभी हाल ही में रोजगार प्रधान कार्यक्रम लागू किया है। पर्याप्त कर्मचारी प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, जिससे कि औद्योगिक इकाईयों को जो कुछ भी काम सौंपा गया हो उसे वे तुरन्त पूरा कर सकें।

अध्यक्ष महोदय : जैसा कि कहा गया है तथ्य तो तथ्य ही है और यह सच्चाई ही है। माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि क्या यह सच है कि कथनी और करनी में जमीन आसमान का अन्तर है।

श्री नारायण दत्त तिवारी : विवरण में उल्लिखित बहुत सी इकाईयां कारीगर—आधारित इकाईयां हैं। माननीय सदस्य यह स्वीकार करेंगे कि देशभर में प्रत्येक कारीगर आधारित इकाई पर निगरानी रखना केन्द्रीय सरकार के लिए सम्भव नहीं है। मैंने लघु उद्योगों के बारे में इसका उल्लेख किया है। रिजर्व बैंक के तत्वावधान में एक समिति गठित की गई है। वह भी एक राज्य स्तर की समिति है जिसमें रुग्ण इकाईयों की पहचान करने में उद्योग निदेशालय और राज्य विभाग (उद्योग) की मुख्य भूमिका होती है।

इस उद्देश्यार्थ राज्य का एक तन्त्र होता है, जिसकी हमें सहायता लेनी पड़ती है। वहां से प्रत्येक इकाई का चलाना केन्द्र के लिए सम्भव नहीं है।

श्री सुनील मैत्रा : मन्त्री महोदय ने कहा है कि तथ्य तो तथ्य ही है। मैं उनका ध्यान सी०ए०जी० द्वारा उद्घाटित तथ्यों की ओर दिलाना चाहता हूं। यह जिला औद्योगिक केन्द्रों के वर्ष 1981-82 के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन से सम्बद्ध है। इस प्रतिवेदन में, भारत के नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक ने कहा है कि प्रत्येक राज्य में टेस्ट-चैक में यह पाया गया है कि स्वीकृत की गई परियोजनाओं में से, बहुत सी परियोजनाएं चालू ही नहीं की गई हैं। क्या मैं मन्त्री महोदय से पूछ सकता हूं कि 2,23,000 की इस प्रभावशाली संख्या में से और उड़ीसा में स्वीकृत की गई अतिरिक्त इकाईयों में से आज कितनी चालू हैं ? कितनी का नामो-निशान मिट चुका है ? कितनी बन्द कर दी गई हैं ? कितनी रुग्ण हैं ?

केन्द्र स्थित आपका विभाग जिला औद्योगिक केन्द्रों का एक राष्ट्रीय समन्वयकर्त्ता है। अतः केन्द्रीय सरकार के पास ऐसे आंकड़े होने चाहिए जिससे यह पता लगाया जा सके कि उड़ीसा में स्वीकृत 2,23,055 इकाईयों में से कितनी चालू हैं और कितनी बन्द हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी : महोदय, जो इकाईयां चालू हैं उनका कुल जोड़ विवरण में दिया गया है। परन्तु आज स्थिति यह है कि यदि कोई इकाई बन्द हो जाती है या रुग्ण हो जाती है तो निस्सन्देह, सभी आंकड़े उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। सामान्यतया, दिए गए आंकड़े चालू इकाईयों के ही होने चाहिए।

जहां तक महा लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन का सम्बन्ध है, मुझे इस समय उड़ीसा के बारे में महालेखा परीक्षक के किसी प्रतिवेदन के बारे में कुछ भी पता नहीं है। परन्तु मैं उसके बारे में सूचना मागूंगा।

श्री रामस्वरूप राम : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने 70 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में एक परिपत्र जारी किया था और यह घोषणा की थी कि प्रत्येक इण्डस्ट्रीयली बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में एक-एक बड़ा उद्योग पब्लिक सैक्टर में लगायेंगे। मैं जानना चाहता हूं—पिछले चार वर्षों में किन-किन इण्डस्ट्रीयली बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में उद्योग लगाए हैं और इण्डस्ट्रीयली बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में किन-किन जिलों के नाम हैं ?

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

खोई से कागज बनाना

*645. **श्री पीताम्बर सिंह :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के पश्चिमी चम्पारन जिले में कुमारबाग में खोई से कागज बनाने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) पश्चिम चम्पारन जिला बिहार में अनेक चीनी कारखाने हैं जो पड़ोसी क्षेत्रों के साथ-साथ कुमारबाग स्थित खोई पर आधारित कागज परियोजना की धारण सम्बन्धी सम्भाव्यता प्रकट करते हैं। इच्छुक उद्यमियों द्वारा निवेश विषयक निर्णय लेने के लिए परियोजना बनाने के पूर्व नियमित आधार पर कच्चे माल की उपलब्धता, कोयला और बिजली की आपूर्ति, अवस्थापना सुविधाओं की व्यवस्था तथा वित्तीय पद्धति संबंधी विवरण का निर्धारण करना पड़ेगा।

प्रस्ताव के अनुसार यह 80 हजार टन कागज प्रति वर्ष उत्पादन करने की मिल होगी और इसमें 50 फीसदी अखबारी कागज और 50 फीसदी लिखने और प्रकाशन के हेतु उपयोग होने वाला कागज उत्पादित किया जा सकेगा। यह जो प्रोजेक्ट है, इसका अनुमानित व्यय लगभग 200 करोड़ रुपये का आंकलित किया गया है। इसमें जो कठिनाइयां हैं, उनमें पहली तो यह है कि सवा तीन लाख मीट्रिक टन, बगास की आवश्यकता होगी और जो वर्तमान काम कर रही चीनी मिलें हैं उनमें से 6 और 8 मिलों से यह बगास प्राप्त हो सकेगी लेकिन अभी वे उस बगास को अपने बायलरों में उपयोग करती हैं। इसलिए उनको अपने यहां कोल फायर बायलर लगाने होंगे। इसके लिए मिलों को इस बात के लिए तैयार करना होगा कि वे बगास के बदले अपने यहां कोयला इस्तेमाल करें और साथ ही साथ 35 लाख मीट्रिक टन बांस का इन्तजाम करना होगा, जिसमें से 15 हजार मीट्रिक टन तो मिल सकता है और बाकी 20 हजार मीट्रिक टन की कमी है। इसमें साढ़े तीन लाख टन कोयले की आवश्यकता होगी और वहां जो छोटी लाइन है, उस क्षेत्र को बड़ी लाइन जो अब आ गई है, उससे मिलाना होगा कुमार बाग को उससे मिलाना होगा। ये जो कठिनाइयां हैं, इनके बारे में राज्य सरकार से कहा गया है कि इस प्रोजेक्ट के सामने जो आने वाली कठिनाइयां हैं, उनको दूर करने हेतु वह प्रयास करे और यह बताए कि राज्य सरकार इसमें कितना कुछ कर सकती है। तभी प्रोजेक्ट विचारार्थ प्रस्तुत हो सकेगी। इसमें यह बात भी सामने आएगी कि यह पब्लिक सेक्टर में होगी या प्राइवेट सेक्टर में होगी और कौन इसको बनाएगा ?

श्री पीताम्बर सिंह : सरकार के जवाब से ऐसा लगता है कि सरकार ने अभी तक अपने को आश्वस्त नहीं किया है कि वहां बगास की उचित मात्रा में सुविधा है या नहीं। जो जवाब मैंने देखा है, उससे ऐसा लगता है। मेरी जानकारी में 12 शूगर फैक्टरियां बगल में हैं और मंत्री महोदय का जवाब है कि 6 फैक्टरियों से उपयुक्त मात्रा में बगास उपलब्ध कराने की सम्भावना हो सकती है। मैं समझता हूं कि वहां पर लगातार आपूर्ति प्राप्त कर सकते हैं और उसमें कोई कठिनाई नहीं मालूम होती है।

दूसरी बात आपने कोयले और पावर के बारे में कही और छोटी लाइन के बारे

में भी कहा। कोल आर पावर अभी भी छोटी लाइन होने पर वहां प्राप्त होती है और रेगूलर हो रही है और बगल में जो उद्योग हैं, उन तमाम उद्योगों को कोल सप्लाई हो रहा है और 12 शूगर फैक्टरियां चल रही हैं। उनको जितने कोल की आवश्यकता होती है उसकी आपूर्ति होती है और दूसरे कार्यों के लिए भी कोल की आपूर्ति होती है। ऐसी स्थिति में बड़ी लाइन को शर्त बना कर इसे मुल्तवी करना ठीक नहीं होगा। इसलिए मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि इस काम को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने अभी तक क्या किया है ? जो शर्तें उन्होंने बताई हैं, उन्हें पूरा करवाने के लिए क्या राज्य सरकार को लिखा है। उन शर्तों को पूरा करने के लिए क्या आपने उन उद्योगपतियों को कहा है, कि उन्हें बोयालर की तकनीक बदली है। यह मैं आप से जानना चाहता हूं।

श्री नारायण दत्त तिवारी : वहां पर सम्भावना विद्यमान है, इस प्रकार के प्रोजेक्ट को लगाने के लिए, इसलिए हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन से इस प्रोजेक्ट की प्रारम्भिक रिपोर्ट बनवाई है और यह आशा की जाती है कि यह सम्भावना साकार हो सकेगी लेकिन इसके लिए जो कठिनाइयां हैं, उनको अगर ध्यान में न रखा जाए, तो फिर इस प्रोजेक्ट का बनाना सम्भव नहीं हो सकता है। माननीय सदस्य ने 12 कारखानों का उल्लेख किया है, मगर उन 12 कारखानों में से कौन से कारखाने इसके लिए तैयार होंगे, यह प्रश्न सामने है। दूसरी यह बात है कि इसकी कीमत कितनी पड़ेगी। बगास के जो बायलर हैं, उनको बदलना पड़ेगा और उसकी सारी कीमत इस प्रोजेक्ट में आएगी। जितने भी चीनी के कारखानों के बायलर बदले जायेंगे, उनकी कीमत इस नये कारखाने के द्वारा देनी होगी। इसलिए उनकी स्वीकृति भी आवश्यक है। हमारा यह प्रयास होगा कि इन कठिनाइयों को दूर किया जाए। अब सातवीं पंचवर्षीय योजना में प्रावधान करें, तो यह राज्य सेक्टर में होगा या केन्द्रीय सेक्टर में होगा या प्राइवेट सेक्टर में होगा। इस प्रोजेक्ट में जो कठिनाइयां आयेंगी, उन कठिनाइयों की सभावनाओं की अभिव्यक्ति कर के ही कुछ निर्णय लिया जा सकेगा।

श्री पीताम्बर सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि कागज के अभाव को देखते हुए और कागज आप बाहर से मंगा भी रहे हैं, ऐसी स्थिति में क्या सातवीं योजना में आप इसको स्थान देने जा रहे हैं।

श्री पीताम्बर सिंह : मैं जानना चाहता हू—सरकार ने लगातार कच्चे माल की उपलब्धि के लिए, कोयला तथा बिजली की आपूर्ति के लिए अभी तक क्या कार्यवाही की है ? जिससे इस उद्योग के वहाँ खड़ा करने में सहायता मिल सके तथा इस काम में गति आ सके ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : प्रस्ताव यह है कि कुमार बाग को केन्द्र मान कर पश्चिमी चम्पारन जिले में यह प्रयास किया जाय कि बगास के आधार पर अखबारी कागज का एक कारखाना स्थापित किया जा सके।

Not included in the original

श्री कृष्ण प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय के जवाब से ऐसा लगता है कि जो खर्च पड़ेगा बायलर बदलने के लिए, उस खर्च को उस फैक्ट्री से जो उद्योग लगना है नया, उसी से करना पड़ेगा। जबकि राष्ट्रीयकृत बैंकों से फाइनेंसिंग की सुविधा है। तो जितने चीनी उद्योग हैं, उनको इस बात के लिए मजबूर किया जाए कि वे बैंकों से बायलर बदलने के लिए ऋण लेकर बायलर बदलें और जो बगाज जलावन के काम में लेते हैं उसको बचाकर इस फैक्ट्री में उपयोग करें।

श्री नारायण दत्त तिवारी : माननीय सदस्य का सुझाव अच्छा है लेकिन जिस मिल में काम चल ही रहा है और वे अपने ही बगाज को अपने बायलर में डाल रहे हैं। ऐसा तमिलनाडु में हो चुका है। तमिलनाडु में एक प्रोजेक्ट में काम हो रहा है जहां पर इस प्रकार बगाज बायलर को बदलकर के कोल फायर बायलर लगाया है। इस तरह से अगर हो सकता है तो बहुत अच्छा है।

———

प्रश्नों के लिखित उत्तर

उड़ीसा मिनरल्स डेवेलपमेंट कम्पनी लिमिटेड का राष्ट्रीयकरण

*644. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा मिनरल्स डेवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड का प्रबन्ध सरकार द्वारा ग्रहण कर लिया गया है, यदि हां, तो प्रबन्ध कब ग्रहण किया गया था;

(ख) क्या कर्मचारियों ने मांग की है कि कर्मचारियों और सरकार के हित में इस कम्पनी का रष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए;

(ग) क्या कम्पनी घाटे में चल रही है, यदि हाँ, तो गत तीन वर्षों में इसे कितना घाटा हुआ है और घाटा होने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस परियोजना का राष्ट्रीयकरण करने के सम्बन्ध में सरकार का क्या प्रस्ताव है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन०के०पी० साल्वे) : (क) सरकार ने उड़ीसा मिनरल्स डेवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड का प्रबन्ध अपने हाथ में नहीं लिया है। इस कम्पनी का प्रबन्ध उसके निदेशक बोर्ड द्वारा किया जा रहा है। सरकार ने बर्ड एण्ड कम्पनी लिमिटेड (उपक्रमों तथा अन्य सम्पत्तियों का अर्जन तथा अन्तरण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भूतपूर्व बर्ड एण्ड कम्पनी लिमिटेड के पास. उड़ीसा मिनरल्स डेवलपमेंट

कम्पनी लिमिटेड के 600,000 ईक्विटी शेयरों में से केवल ९5,?19 ईक्विटी शेयरों का अधिग्रहण किया था, परन्तु अन्य शेयरधारियों के सहयोग से सरकार बोर्ड के कुल 5 सदस्यों में अपने चार मनोनीत सदस्यों का निर्वाचन कराने में सफल रही है ?

(ख) उड़ीसा मिनरल्स डेवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड के कामगारों तथा अन्य लोगों द्वारा उड़ीसा मिनरल्स डेवलपमेंट कम्पनी का राष्ट्रीयकरण करने की माँग की गई थी ।

(ग) वर्ष 1980-81, 1981-82 तथा 1982-83 के दौरान कम्पनी को हुए शुद्ध लाभ अथवा वास्तविक हानि की स्थिति इस प्रकार है :—

वर्ष*	लाभ (+) हानि (—)
1980-81	(—) 2?.59 लाख रुपये
1981-82	(+) 2.34 लाख रुपये
1982-83	(—) 56.99 लाख रूपये

(* कम्पनी द्वारा हिसाब-किताब 1 जुलाई से अगले वर्ष की 30 जून की अवधि के लिए रखा जाता है ।)

वर्ष 1982-83 में कम्पनी को हुई हानि मुख्यत: लोह-अयस्क तथा मैंगनीज अयस्क की कम खरीद के कारण हुई है ।

(घ) सरकार का उड़ीसा मिनरल्स डेवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड का राष्ट्रीकरण करने का कोई विचार नहीं है, परन्तु सरकार खनन क्षेत्र में व्यापक अनुभव रखने वाले एक पूर्णकालिक अधिकारी को उड़ीसा मिनरल्स डेवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड के प्रबन्ध तथा बोर्ड में रखने के बारे में कदम उठा रही है ताकि उड़ीसा मिनरल्स डेवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड के कार्यकरण में सुधार लाया जा सके ।

कच्चे माल के अभाव सम्बन्धी सर्वेक्षण

*646. **श्री संतोष मोहन देव** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के वाणिज्य और उद्योग मण्डल द्वारा उत्तरी क्षेत्र में औद्योगिक उत्पादन के लिए कच्चे माल के अभाव तथा उसके परिणामस्वरूप उत्पादों की कमी के बारे में किए गए सर्वेण के निष्कर्षों की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) । (क) और (ख) पंजाब, हरियाणा और

दिल्ली वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल ने अक्तूबर-दिसम्बर, 1983 की तिमाही के लिए चीनी मिट्टी (सिरेमिक) रसायन, इंजीनियरी, खाद्य उत्पाद और वनस्पति की प्रतिनिधि फर्मों के किए गए अपने त्रैमासिक सर्वेक्षण में पाया कि कोयला, विद्युत तथा भट्ठी तेल, डीजल तेल, मिट्टी का तेल, एल्युमिनियम और सीमेंट जैसी अन्य कच्ची सामग्री की उपलब्धता आवश्यकता की अपेक्षा कम रही है।

किन्तु उद्योग मंत्रालय में नियंत्रण कक्ष जो कच्ची सामग्री, कोयला, विद्युत आदि की आपूर्ति सम्बन्धी कठिनाइयों की मानीटरी करता है, को उत्तरी क्षेत्र से कच्चे माल की कमी के बारे में कोई विशिष्ट शिकायतें नहीं मिली हैं। कोयला, विद्युत पेट्रोलियम उत्पादों और सीमेंट के अखिल भारतीय अनन्तिम उत्पादन आंकड़ों से 1983-84 की पिछली तिमाहियों में इन वस्तुओं के उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि होने का पता चलता है। केवल एल्युमिनियम का उत्पादन ही लक्ष्य से कम रहा है किन्तु अनिवार्य आवश्यकताओं को एल्युमिनियम का आयात करके पूरा किया जा रहा है।

औद्योगिक अवस्थापना सम्बन्धी मन्त्रिमण्डल समिति अवस्थापना उद्योगों के कार्य निष्पादन की संवीक्षा कर रही है तथा समुचित उपचारात्मक कार्यवाही करने के लिए निदेश जारी कर रही है।

इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड द्वारा खनन कार्य के लिए भूमि का अर्जन

*647. **श्री बी० के० नायर :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड, चावड़ा का विचार खनन कार्य के प्रयोजन के लिए अलप्पड पंचायत क्षेत्र में विशाल भू-क्षेत्र का अर्जन करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो कितने व्यक्ति अपनी भूमि और मकान से विस्थापित हो जायेंगे;

(ग) क्या उनके पुनर्वास के लिए कोई योजना बनाई गई है; यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह सच है कि ये सभी व्यक्ति मछुए हैं जिन्हें अपने व्यवसाय की दृष्टि से समुद्र के यथासम्भव निकट रहना पड़ता है; और

(ङ) क्या प्रत्येक प्रभावित परिवार के कम से कम एक सदस्य को उक्त कम्पनी में रोजगार देने का विचार है?

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) अलप्पड पंचायत क्षेत्र में लगभग 160 एकड़ भूमि अधिग्रहण करने का प्रस्ताव है, जिसके लिए राज्य सरकार ने इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड को खनन के अधिकार दे दिए हैं।

(ख) 329.

(ग) प्रभावित व्यक्तियों को भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अन्तर्गत पर्याप्त मुआवजा दिया जाता है, जिसके बारे में आशा की जाती है कि वह उनके पुनर्वास मे सहायक रहेगा। इस प्रयोजन के लिए कोई विशेष योजना नहीं अपनाई जा रही है।

(घ) जी, हां।

(ङ) प्रभावित परिवारों के सदस्यों को रोजगार देने का यथासम्भव तथा यथा-व्यवहार्य प्रयास किया जाता है।

विदेशी व्यापार चिन्हों (ट्रेड मार्कों) का प्रयोग

*648. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय निर्माताओं द्वारा विदेशी व्यापार चिन्हों के प्रयोग के सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है;

(ख) क्या भारतीय बाजारों में अनेक विदेशी व्यापार चिन्ह प्रयोग किये जा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो यह कैसे हुआ है; और

(घ) अपनी घोषित नीति के अनुसार विदेशी व्यापार चिन्हों के प्रयोग को निरुत्साहित करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्रवाई करने का है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (घ) सरकार की नीति उन मामलों को छोड़कर जिनमें विदेशी ब्रांड नामों का प्रयोग निर्यात वस्तुओं, अथवा जीवन रक्षा दवाइयों तथा पौध संरक्षण के लिए प्रयोग किए गए कीटनाशी और अन्य रसायनों पर किया जाता है, आमतौर से विदेशी ब्रांड नामों का प्रयोग करने को प्रोत्साहन न देने की है। इस नीति को विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 28 (1) (ग) द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है तथा विदेशी सहयोग के प्रस्तावों को स्वीकृति देते समय एक शर्त लगाई गई है कि घरेलू (देश के अन्दर) बिक्री के लिए उत्पादों पर विदेशी स्वामित्व के व्यापार चिन्हों के प्रयोग की आमतौर से अनुमति नहीं दी जाएगी।

जहां कहीं सरकार के नोटिस में उल्लघन के उदाहरण आते हैं, अनुमत कानून के अन्तर्गत समुचित कार्रवाई की जाती है।

स्वतन्त्रता सेनानियों की पेंशन में वृद्धि के लिए अनुरोध

*649. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार से बार-बार अनुरोध किया जा रहा है कि मूल्यों में तीव्र वृद्धि

को ध्यान में रखते हुए स्वतन्त्रता सेनानियों की पेंशन को 300 रुपये प्रति माह से बढ़ा कर 500 रुपये प्रति माह कर दिया जाए;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) पेंशन की राशि में अब तक वृद्धि नहीं करने के कारण क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (घ) सरकार को स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन की मासिक राशि बढ़ाने के लिए समय-समय पर अभ्यावेदय प्राप्त हुए हैं लेकिन पेंशन की राशि को बढ़ाना सम्भव नहीं पाया गया। 1972 में जब यह योजना लागू की गई थी पेंशन की राशि 200 रुपए प्रतिमाह थी जो राज्य के राजस्व से प्रदान की गई स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन के अनुसार परिवर्तनशील थी। केन्द्र की पशन के अनुसार राज्य पेंशन के समंजन को एक अक्तूबर 1976 से अलग कर दिया गया। जीवित स्वतन्त्रता सेनानियों की दशा में पेंशन की राशि में और वृद्धि करके 300 रुपए कर दी गई और स्वतन्त्रता सेनानियों की विधवाओं की दशा में 100 रु० से बढ़ा कर 200 रुपए कर दी गई। इसके अतिरिक्त प्रत्येक अविवाहित पुत्री के लिए 50 रु० की राशि नियत की गई परन्तु अधिकतम राशि 300 रु० प्रतिमाह हो सकती है।

2. स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना के अतिरिक्त अधिकांश राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों की अलग-अलग पेंशन योजनाएं हैं जिनमें अधिकतम 200 रुपए प्रतिमाह तक की पेंशन की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त उनमें से अधिकांश राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन स्वतन्त्रता सैनानियों को निःशुल्क चिकित्सा, बच्चों का छात्रवृत्तियां आदि जैसी अन्य सुविधाएं भी प्रदान करती हैं।

3. सरकार ऐसे स्वतन्त्रता सैनानियों की जिन्होंने अन्य बातों के साथ-साथ स्वतन्त्रता संघर्ष के सिलसिले में 5 वर्ष अथवा अधिक कारावास की सजा काटी हो विशेष पात्र मामलों के रूप में बढ़ी दर से 500 रुपए प्रतिमाह पेंशन देती है।

निरोध (कन्डोम) का उत्पादन

*650. **श्री के० राममूर्ति** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र में कन्डोम के उत्पादन की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है (कम्पनियों के नाम सहित क्षेत्र बार आंकड़े देवें);

(ख) क्या अधिष्ठापित क्षमता का पूर्ण उपयोग किया जा रहा है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारत कन्डोमों का आयात कर रहा है और यदि हां, तो प्रति वर्ष इनका कितनी संख्या में आयात किया जा रहा है और उनका मूल्य कितना है; और

(घ) क्या हाल ही में केरल राज्य क्षेत्र के एकक के उत्पादन में वृद्धि करने के अनुरोध को स्वीकृत कर दिया गया है और यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी, : (क) और (ख)

लाख नगों में

1983

एकक का नाम	लाइसेंसीकृत/ अधिष्ठापित क्षमता	उत्पादन	क्षमता/उपयोग
1. हिन्दुस्तान लेटेक्स लि०, त्रिवेन्द्रम (सरकारी क्षेत्र)	2880	2720.20	94.45 प्रतिशत
2. लन्दन रबड़ कं०, मद्रास (निजी क्षेत्र)	2250	1887.20	83.87 प्रतिशत
3. लारकम (प्रोटेक्टिव्ज) लि०, औरंगाबाद संयुक्त क्षेत्र	2000	405.10	20.25 प्रतिशत (फरवरी, 1983 में उत्पादन प्रारम्भ हुआ)

(ग) जी, हाँ। वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकीय महानिदेशालय द्वारा निरोध (कन्डमों) के आयात व निर्यात के आंकड़े "मन्थली स्टेटीटिक्स आफ फारेन ट्रेड आफ इंडिया" में प्रकाशित किए जाते हैं।

(घ) जी, नहीं।

सामाजिक स्वयंसेवी संगठन

*651. **श्री छोटूभाई गामित** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में कुछ सामाजिक स्वयंसेवी संगठनों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु अपने कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए सहायता अनुदान मिल रहे हैं;

(ख) क्या कुछ ऐसे स्वयंसेवी संगठन हैं, जिनके पदाधिकारी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से भिन्न व्यक्ति हैं; और

(ग) क्या सरकार ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण

के लिए चलाए जा रहे स्वयंसेवी संगठनों के कार्यों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को भागीदार बनाने के लिए अनुदेश जारी किए हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) और (ग) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण में लगे उन स्वयंसेवी संगठनों को सहायतानुदान, आवश्य धनराशि उपलब्ध होने पर, स्वीकृत किए जाते हैं जो पात्रता की शर्तें पूरा करते हैं । इस बात के लिए कोई भेद नहीं किया जाता कि संगठनों का प्रबन्ध पूरी तरह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों द्वारा किया जाता है । अथवा नहीं ।

डालमियां दादरी सीमेंट लिमिटेड द्वारा दावों का भुगतान

***652. श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डालमियाँ दादरी सीमेंट लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत नियुक्त किए गए भुगतान-आयुक्त ने इस भूतपूर्व कम्पनी के कर्मचारियों के दावों का भुगतान शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो अब तक कितने प्रतिशत दावों का भुगतान किया गया है;

(ग) भुगतान की गति धीमी होने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या अधिनियम में मुआवजे की राशि के किए गए प्रावधान से कर्मचारियों के दावों का पूरा भुगतान हो जाएगा ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) जी, अभी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) और (घ) सम्पत्ति भुगतान आयुक्त द्वारा डालमियां दादरी सीमेंट लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण), अधिनियम, 1981 के उपबन्धों के अनुसार प्राप्त दावों की जाँच की जा रही है । जांच के पश्चात ही दावेदारों को किए जाने वाले ग्राह्य भुगतान का पता चल सकता है ।

पश्चिम बंगाल की 1984-85 के लिए योजना का आकार

***653. श्री चित्त बसु** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल की 1984-85 के लिए योजना का आकार अन्तिम रूप से निर्धारित कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसका आकार क्या है ?

योजना मन्त्री (श्री एस०बी० चव्हाण) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद

*654. **श्री के० मालन्ना** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद को हल करने के लिए दोनों राज्यों के मुख्य मन्त्रियों की आपस में बातचीत कराने के प्रयास किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद को हल करने के बारे में हाल ही म हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) भारत सरकार का सदैव यह विचार रहा है कि यह विवाद केवल दोनों राज्य सरकारों के स्वैच्छिक सहयोग से ही हल किया जा सकता है और इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकारों को सभी प्रकार को सहायता देने में केन्द्रीय सरकार को प्रसन्नता होगी ।

(ख) दोनों राज्यों के मुख्य मन्त्रियों की 30 जुलाई, 1983 को बैठक हुई थी और इस विवाद पर विचार-विमर्श किया गया था । उपलब्ध सूचना के अनुसार 14 अप्रैल, 1984 को बम्बई में उनकी पुन: बैठक होने की आशा है ।

दिल्ली में केन्द्रीय सतर्कता आयोग को पुलिस के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

*655 **श्री रवीन्द्र वर्मा** :

श्री भीम सिंह : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष दिल्ली में केन्द्रीय सतर्कता आयोग को पुलिस के विरुद्ध बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है;

(ग) उनमें से कितनी शिकायतों के बारे में सरकार ने जांच की है;

(घ) कितने प्रतिशत शिकायतों में जांच के परिणाम पुलिस के विरुद्ध हैं; और

(ङ) सम्बन्धित व्यक्तियों को क्या दण्ड दिया गया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) (क) से (ङ) केन्द्रीय सतर्कता आयोग, दिल्ली द्वारा निम्नलिखित सूचना भेजी गई है :—

आयोग में पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध तेतालिस (43) शिकायतें प्राप्त हुई। इनमें से दो (2) शिकायतें जाँच पड़ताल के लिए और केन्द्रीय सतर्कता आयोग को रिपोर्ट भेजने के लिए सम्बन्धित विभागीय प्राधिकारियों को भेजी गई। रिपोर्ट अभी प्राप्त होनी है। तीन (3) शिकायतें जाँच-पड़ताल और रिपोर्ट के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भेजी गई। एक शिकायत पर रिपोर्ट प्राप्त होने पर आयोग ने मामले को समाप्त कर दिया है। शेष दो शिकायतों की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जाँच-पड़ताल की जा रही है। तेरह (13) शिकायतें निपटान/आवश्यक कार्यवाही के लिए विभागीय प्राधिकारियों को भेजी गई। आयोग द्वारा ऐसे मामलों पर विभागों के साथ आगे कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। पच्चीस (25) शिकायतें फाइल कर दी गई।

राजधानी में विवाहित महिलाओं की मृत्यु के मामले

*616 डा० वसन्त कुमार पंडित : क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) दिल्ली क्षेत्र में 1980, 1981, 1982 और 1983 के वर्षों में 18 से 30 वर्ष की आयु की विवाहित महिलाओं की (एक) जलने (दो) आत्महत्या (तीन) जहर दिए जाने और (चार) गोली मारे जाने के कारण मृत्यु के कुल कितने मामले हुए;

(ख) क्या उपरोक्त मामलों में से कोई मामले संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु के थे और "दहेज के कारण मृत्यु सम्बन्धी सैल" को भेजे गए थे;

(ग) क्या ऐसी मृत महिलाओं के माता-पिता/सम्बन्धियों बयान लेकर और उन विवाहित महिलाओं के परिवार के सामाजिक इतिहास का पता लगाकर उन मामलों की जाँच की गई; और

(घ) न्याय दिलाने की दृष्टि से इस प्रकार के मामलों में उचित प्रत्यक्ष या परोक्ष साक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या दोषरहित उपाय सोचे जा रहे हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) (क) सगत आंकड़े इस प्रकार हैं :—

मौत का कारण	1980	1981	1982	1983
जलना	197	217	271	258
आत्म हत्या	67	80	75	64
जहर दिया जाना	6	8	12	10
गोली मारना	1	—	—	1
अन्य कारणों से	46	72	80	79

(ख) विभिन्न पुलिस जिलों से प्राप्त संदिग्ध परिस्थितियों में जलने के कारण हुई मौतों के 1982 के 4 मामलों और 1983 के 29 मामले, को दहेज-विरोधी सैल में जांच-पड़ताल शुरू की गई हैं ।

(ग) अन्य सबूत एकत्र करने के अतिरिक्त शिकार हुई महिलाओं के माता-पिता और सम्बन्धियों के बयान भी दर्ज किए जाते हैं ।

(घ) सफलतापूर्वक अधि अभियोजन सुनिश्चित करने के वास्तु प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष साक्ष्य एकत्र करने की हर सम्भव कोशिश की ज ती है । इनमें शव-परीक्षा करना और अन्य अदालती साक्ष्य तथा सभी ऐसे व्यक्तियों का साक्ष्य रिकार्ड करना शामिल है, जो मृत्यु की परिस्थितियों तथा मृतक के परिवार के इतिहास पर प्रकाश डाल सकते हों ।

गैर-सरकारी पार्टियों को बिना किसी उचित प्राधिकार के कोयले की बिक्री

*657. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के कोयला खान समूह के अति वरिष्ठ अधिकारी चोरी-छिपे कोयला ले जाते हुए और उचित प्राधिकार के बिना गैर-सरकारी पार्टियों को बेचते हुए पाये गए;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) सतर्कता अधिकारियों द्वारा चसनाला से कुल कितनी मात्रा (मिडलिंग और कोयला) पकड़ी गई तथा इससे सम्बन्धित अधिकारियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसे अधिकारियों के खिलाफ यदि कोई कार्रवाई की गई है, तो वह क्या है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) 5 नवम्बर, 1983 को "इस्को" के सुरक्षा गार्ड ने छः ट्रक पकड़े थे जिनमें बताया गया कि लगभग 82 टन अस्वीकृत कोयला ले जाया जा रहा था । सुरक्षा गार्ड ने इन ट्रकों को इस बात का सन्देह होने पर पकड़ा था कि इन ट्रकों में कोल मिडलिंग ले जाया जा रहा है । इन ट्रकों में रखा माल उतार लिया गया और उसका नमूना लेकर सी० एस० आई० आर० के केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, धनबाद को रासायनिक विश्लेषण के लिए भेज दिया गया । सी० एस० आई० आर० के केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, द्वारा इस नमूने के विश्लेण से पता चला कि इस कोयले में राख की मात्रा 62.5 प्रतिशत थी । सामान्यत: कोल मिडलिंग मे राख की मात्रा 32 से 36 प्रतिशत के बीच होती है और इसलिए केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान परिषद् के विश्लेषण से

पता चला कि ट्रकों में लदा हुआ कोयला अस्वीकृत कोयला था। 15 नवम्बर, 1983 को पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई। पुलिस द्वारा जाँच की जा रही है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सातवीं योजना में क्षेत्रीय असन्तुलन समाप्त करने की योजनाएं

*658. **श्री अमर राय प्रधान : क्या योजना मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि पश्चिम बंगाल के कूचबिहार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग और पश्चिम दिनाजपुर जिले देश के सबसे अधिक पिछड़े क्षेत्रों की श्रेणी में आते हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि क्षेत्रों के अधिकतर भागों में भू-भौतिकी सर्वेक्षण शुरू नहीं किया गया है;

(ग) क्या सातवीं योजना में क्षेत्रीय असन्तुलन समाप्त करने की कोई विशेष योजना, विशेषकर इन क्षेत्रों के लिए, सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) इन जिलों को औद्योगिक रूप से पिछड़े जिले घोषित किया गया है। इसके अलावा, दार्जीलिंग के तीन उप मंडलों को पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विकास के लिए लिया गया है और तीन जिलों अर्थात् दार्जीलिंग, जलपाईगुड़ी तथा पश्चिम दिनाजपुर के भागों को जनजातीय उपयोजना में शामिल किया गया है।

(ख) सामान्य मामलों के रूप में बड़े क्षेत्रों के लिए भौम भू-भौतिकी सर्वेक्षण नहीं किया जाता है। खनिज सम्भावनाओं अथवा अन्य भू-भौतिकी समस्याओं का अध्ययन करने के लिए जहां आवश्यक होता है इस प्रकार के सर्वेक्षण किए जाते हैं। खनिज तथा भू तकनीकी अन्वेषणों के सम्बन्ध में दार्जीलिंग जिले के कुछ भागों में भौम भू-भौतिकी सर्वेक्षण किए गए हैं और किए जा रहे हैं।

(ग) और (घ) सातवीं योजना में क्षेत्रीय असन्तुलनों को समाप्त करने के लिए किसी विशेष स्कीम को शामिल करने के बारे में इस समय टिप्पणी करना सम्भव नहीं है। योजना आयोग इस समय सातवीं योजना के लिए नीति पत्र तैयार करने में लगा हुआ है और यह राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित होने पर आधार बनेगा जिस पर केन्द्र तथा राज्यों द्वारा योजना तैयार करने का व्यापक कार्य शुरू किया जाएगा। फिर भी

सामान्य रूप से यह कहा जा सकता है कि पिछड़े क्षेत्रों के आर्थिक विकास को उच्च प्राथमिकता दी जाती रहेगी ।

कर्नाटक में लघु सीमेंट संयंत्रों की स्थापना

*659. श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्रीय सरकार से उस राज्य में कुछ लघु सीमेंट संयंत्र स्थापित करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) जुलाई, 1983 में कर्नाटक राज्य सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था, जिसमें कर्नाटक राज्य में मिनी सीमेंट संयंत्रों की स्थापना के लिए 24 आवेदन-पत्रों को स्वीकृति देने की सिफारिश की गई थी । 24 आवेदन पत्रों में से 17 स्वीकृत किए गए थे और शेष रद्द कर दिए गए ।

मेसर्स जे० के० सीमेंट, राजस्थान द्वारा किए गए कदाचार

7130. श्री दिगम्बर सिंह : क्या उद्योग मन्त्री मेसर्स जे० के० सीमेंट, राजस्थान द्वारा किए गए कदाचार के बारे में 21 दिसम्बर, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4737 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस मामले में दोषी पाये गए व्यक्ति कौन हैं और उनकी पेशगी जमानत कैसे हुई तथा सरकार ने इसका विरोध किया अथवा नहीं;

(ख) यह मामला इस समय किस अवस्था में है और क्या इस मामले में अन्तर्ग्रस्त दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई मुकदमा चलाया गया है; और

(ग) कानून की किस धारा के अन्तर्गत कानूनी कार्यवाही की जा रही है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन ने मेसर्स जे० के० सीमेंट वर्क्स के विरुद्ध दिल्ली सीमेंट लाइसेंसिंग नियन्त्रण आदेश, 1982 के उपबन्धों का उल्लंघन करने के लिए 25.7.83 को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के उपबन्धों के अन्तर्गत एक मामला दायर किया था । प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार सर्व श्री वीरेन्द्र चड्डा, आर०के० गर्ग, एन०एस० अराध्य और सुशील अग्रवाल दोषी व्यक्ति थे । जिला और सेशन जज द्वारा 26.7.83 को सर्व श्री वीरेन्द्र चड्डा और सुशील अग्रवाल के सम्बन्ध में अन्तरिम पूर्वानुमानित जमानत मंजूर कर ली गई थी । जिला और सेशन जज के पास अन्तरिम पुर्वानुमानित जमानत की पुष्टि के लिए यह मामला 28.7.83 और बाद में

8.8.83 को आया था। इन दोनों तारीखों को अभियोग पक्ष ने अन्तरिम जमानत की मंजूरी का विरोध किया था। फिर भी, उसकी पुष्टि कर दी गई थी। दिल्ली प्रशासन द्वारा इस मामले की अभी जांच की जा रही है। जाँच पूरी हो जाने के बाद ही अभियोग लगाये जाने की सम्भावना है।

इस बीच मेसर्स जे० के० सीमेंट वर्क्स ने उच्च न्यायालय में एक सिविल याचिका दायर कर दी है। मामला न्यायाधीन है।

कुल योजना व्यय

7131. **श्री ए० के० राय:** क्या योजना मन्त्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक क्षेत्र में कुल योजना व्यय कितना है तथा वास्तविक पूंजीगत आस्तियाँ कितनी बनी है और इसका योजनावार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या योजना में लाभकारी आस्तियों के निर्माण की प्रतिशतता कम होती जा रही है और अधिकांश पूंजी अलाभकारी कार्यों पर खर्च होती है; यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या योजना की उत्पादकता को मापने का कोई पैमाना है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी चव्हाण) (क) विभिन्न योजनाओं में सरकारी क्षेत्रक में चालू कीमतों पर योजनावार और क्षेत्रकवार व्यय संलग्न विवरण I में दिए गए हैं। वास्तविक पूंजी परिसम्पत्ति निर्माण को स्थिर कीमतों पर योजना व्यय का अनुमान लगा कर वास्तविक रूप से मापा जाता है। यह व्यय 1970-71 की कीमतों पर योजनावार और क्षेत्रकवार विवरण-2 में दिखाया गया है।

(ख) जैसा कि संलग्न विवरण II से दिखाई देगा कि वास्तविक रूप में (1970-71 की कीमतों पर) योजना व्यय के आंकड़ों में योजना अवधियों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। लगभग यह सम्पूर्ण निवेश आवश्यक आधार संरचना और उत्पादक परिसम्पत्ति निर्माण पर किया गया है।

(ग) और (घ) विभिन्न संकेतकों द्वारा योजना की उत्पादकता को मापा जा सकता है। यह विस्तृत रूप में योजना के मध्यावधि मूल्यांकन में किया गया है। सामान्य व्यष्टि संकेतक (कामन मैकरो इन्डीकेटर) वृद्धिकारक पूंजी उत्पादन अनुपात है। वृद्धिकारक सकल पूंजी उत्पादन अनुपातों के योजनावार अनुमान संलग्न विवरण III में दिए गए हैं।

विवरण I

सरकारी क्षेत्रक में योजना व्यय का स्वरूप

(वर्तमान कीमतों पर करोड़ रु०)

विकास का शीर्ष	पहली योजना (1951-56) (वास्तविक)	दूसरी योजना (1956-61) (वास्तविक)	तीसरी योजना (1961-66) (वास्तविक)	वार्षिक योजनाएं (1966-69) (वास्तविक)	चौथी योजना (1969-74) (वास्तविक)	पांचवी योजना (1974-79) (वास्तविक)	छठी योजना (1980-85)*
1. कृषि और सामुदायिक विकास	290	549	1089	1107	2320	4855	14320 †
2. सिचाई और विद्युत	583	882	1916	1684	4285	11277	44455
3. उद्योग और खनिज	97	1125	1967	1636	3107	9581	16082
4. परिवहन और संचार	518	1261	2112	1222	3080	6870	17182
5. सामाजिक सेवाएं और अन्य कार्यक्रम	472	855	1493	976	2987	6833	18639**
जोड़	1960	4672	8577	6625	15779	39426	110678

*1980-81 और
1981-82 = वास्तविक
1982-83 = परिशोधित अनुमान
1983-84 = योजना परिव्यय
1984-85 = बजट

† इसमें विशेष क्षेत्र कार्यक्रम शामिल है।

**प्राकृतिक विपत्तियों से राहत के लिए केन्द्रीय सहायता प्राप्त निर्माण कार्यों और राज्यों द्वारा अधिक अच्छे कार्य निष्पादन के लिए विशेष प्रोत्साहन स्कीमों से सम्बन्धित व्यय शामिल है।

विवरण II

सरकारी क्षेत्रक में योजना व्यय का स्वरूप

(1970-71 की कीमतों पर करोड़ रु०)

विकास का शीर्ष	पहली योजना 1951-56 (वास्तविक)	दूसरी योजना 1956-61 (वास्तविक)	तीसरी योजना 1961-66 (वास्तविक)	वार्षिक योजनाएं 1966-69 (वास्तविक)	चौथी योजना 1969-74 (वास्तविक)	पांचवीं योजना 1974-79 (वास्तविक)	छठी योजना 1980-85*
1. कृषि और सामुदायिक विकास	662	1078	1671	1292	2107	2678	4622 †
2. सिंचाई और बिद्युत	1340	1732	2941	1965	3891	6207	14348
3. उद्योग और खनिज	221	2207	3018	1910	2821	5273	5191
4. परिवहन और संचार	1185	2475	3241	1427	2797	3781	5545
5. सामाजिक सेवाएं और अन्य कार्यक्रम	1084	1678	2287	1139	2710	3760	6016**
जोड़ :	4492	9170	13158	7733	14326	21699	35722

*1980-81 और
1981-82 = वास्तविक
1982-83 = पारिशोधित अनुमान
1983-84 = योजना परिव्यय
1984-85 = बजट अनुमान

† इसमें विशेष क्षेत्र कार्यक्रम शामिल हैं।

** प्राकृतिक विपत्तियों के लिए केन्द्रीय सहायता प्राप्त निर्माण कार्यों और राज्यों द्वारा अच्छे कार्य-निष्पादन के लिए विशेष प्रोत्साहन स्कीमों से सम्बन्धित व्यय शामिल हैं।

टिप्पणी : 1970-71 की आधार कीमतों पर निकाले गए पूंजी निवेश अपस्फायक (इंनवेस्मेंट डीफलेटर) के आधार पर व्यय की वर्तमान कीमतों के अनुमानों में कमी की गई थी।

विवरण III

वृद्धिकारक सकल पूंजी उत्पादन अनुपात

(1970-71 की कीमतों पर)

योजना	अवधि	पूंजी/उत्पादन अनुपात
1. पहली योजना	1951-52 से 1955-56	3.2
2. दूसरी योजना	1956-57 से 1960-61	4.1
3. तीसरी योजना	1961-62 से 1965-66	5.4
4. वार्षिक योजनाएं	1966-67 से 1968-69	4.9
5. चौथी योजना	1969-70 से 1973-74	5.7
6. पांचवीं योजना	1974-75 से 1978-79	3.9
7. छठी योजना	1980-81 से 1981-82	3.8*

* प्रथम दो वर्षों से सम्बन्धित है जिसके लिए आंकड़े उपलब्ध है ।

अन्य कार्यों पर खर्च की गई आदिवासी विकास के लिए नियत धन राशि का ब्योरा

7132. श्री पीयूष तिरकी : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आदिवासी विकास के लिए नियत किन्तु राज्य सरकारों द्वारा अन्य कार्यों पर खर्च की गई धनराशि का 1980 से अब तक वर्षवार तथा राज्य-वार ब्योरा क्या है; और

(ख) आदिवासी विकास की चालू परियोजनाओं और धनराशि का ब्योरा क्या है और किन क्षेत्रों के लिये आवंटन किया गया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) आदिवासी विकास के लिए उपलब्ध धनराशियों का अन्य कार्यों के लिए खर्च न की जा सकने वाली राशियां माना जा रहा है । किसी भी राज्य ने धनराशियों को अन्य कार्यों के लिए खर्च किए जाने की किसी घटना की रिपोर्ट नहीं दी है ।

(ख) आदिवासी विकास का मुख्य साधन जनजाति उप-योजना है। जनजाति उप-योजना के तीन मुख्य अंग हैं, अर्थात् (I) जनजाति क्षेत्र उप-योजना, जिसमें 181 एकीकृत जनजाति विकास परियोजनाएं हैं, (II) आदिवासियों की घनी आबादी वाले खण्डों के लिए स्कीमें, जिसमें 245 खण्ड हैं, और (III) 72 पता लगाए मूल आदिवासी ग्रुपों की परियोजनाओं के लिए कार्यक्रम । क्षेत्रीय कार्यक्रम जैसे कृषि और सम्बद्ध क्षेत्र,

शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण और लघु उद्योग शुरू किए गए हैं । ये 17 राज्यों और 2 संघ शासित क्षेत्रों में फैले हुए हैं। छठी योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत आवंटन 485.50 करोड़ रुपए का है ।

केरल में शान्त घाटी में राष्ट्रीय उद्यान (नेशनल पार्क) की स्थापना

7133. **श्री ए० नीलालोहितदसन नाडार** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि केरल में शान्त घाटी में एक राष्ट्रीय उद्यान (नेशनल पार्क) की स्थापना के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण विभाग में उप-मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : केरल सरकार ने वन्य जीवन (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की धारा 35(1) के तहत, 26 दिसम्बर, 1980 को एक अधिसूचना जारी की जिसमें शान्त घाटी रिजर्व वनों के क्षेत्र का राष्ट्रीय उद्यान के रूप में गठन करने के लिए जो "शान्त घाटी राष्ट्रीय पार्क" के नाम से जाना जायेगा की घोषणा करते हुए अपने विचार व्यक्त किए। बाद में शान्त घाटी जल-विद्युत परियोजना के लिए आवश्यक क्षेत्र को छोड़ने के लिए, केरल सरकार ने 30 जनवरी, 1981 को एक अशुद्धी अधिसूचना जारी की। राष्ट्रीय उद्यान के रूप में गठन करने वाली अन्तिम अधिसूचना अभी तक जारी नहीं की गई है। केन्द्र सरकार, राज्य सरकार से अशुद्धी अधिसूचना को वापिस लेने तथा अन्तिम अधिसूचना के शीघ्र जारी किए जाने के लिए, अनुरोध कर रही है। प्रस्तावित राष्ट्रीय उद्यान हेतु वित्तीय सहायता की भी पेशकश की गई है ।

देश में एल्यूमिनियम संयंत्र

7134. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितनी एल्यूमिनियम परियोजनाएं कहां-कहां पर निर्माणाधीन हैं;

(ख) प्रत्येक परियोजना की वार्षिक उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ग) उनका निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा और उनमें कब से काम शुरू हो जायेगा;

(घ) उनमें अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ङ) क्या देश में निकट भविष्य में और एल्यूमिनियम परियोजनाएं स्थापित किए जाने का कोई प्रस्ताव है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) से (ग) केवल एक परियोजना अर्थात् नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी (नाल्को) के

उड़ीसा एल्यूमिनियम कम्पलैक्स का निर्माण चल रहा है । कम्पलैक्स के निम्नलिखित मुख्य घटक हैं :—

—कोरापुट जिले के पंचपटमाली में प्रतिवर्ष 2.4 मि० टन बाक्साइट उत्पादन का एक खान ।

—कोरापुट जिले में दामन जोड़ी में 0.8 मि० टन वार्षिक क्षमता वाला एल्यूमिनियम संयंत्र ।

—ढेनकनाल जिले में अंगुल में 2,18,000 टन क्षमता वाला एक एल्यूमिनियम प्रद्रावक ।

— अंगुल में ही 600 मे० वा० क्षमता का ग्रहीत बिजली घर, एल्यूमिनियम प्रद्रावक को बिजली की पूर्ति हेतु ।

एल्यूमिनियम का उत्पादन 1986-87 में शुरू होने की आशा है।

(घ) परियोजना हेतु अधिकांश भूमि प्राप्त कर ली गई है । साइट ग्रेडिंट, जल और विद्युत निर्माण सम्बन्धी आधारभूत सुविधाएं, पहुच मार्गों, और स्थलों पर अस्थायी आवास मुहैया कर दिए गए हैं, जो आवश्यकताओं के अनुरूप हैं । विदेशी सलाहकारों से तकनीकी जानकारी तथा आधारभूत इंजीनियरी के पैकेज प्राप्त हो गए हैं । दीर्घकालीन सुपुर्दगी वाले उपकरणों के लिए आडर दे दिए गए हैं और सिविल कार्य पूरा कर लिया गया है । निर्माण कार्य पूरे जोरों पर है ।

(ङ) नहीं । इस समय एल्यूमिनियम उत्पादन की कोई परियोजना नहीं है ।

हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड के दोषपूर्ण कम्प्यूटर

7135. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड के खेतड़ी कापर काम्प्लेक्स के लिए कम्प्यूटर का निर्मित ढांचा दोषपूर्ण है और वह ढह रहा है जिससे कम्प्यूटर को खतरा हो गया है;

(ख) क्या सरकार मामले को केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपेगी और उत्तरदायित्व निर्धारित करेगी;

(ग) क्या यह भी सच है कि हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड के खेतड़ी कापर काम्प्लेक्स में स्थापनाधीन कम्प्यूटर खेतड़ी के लिए काफी बड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस कम्प्यूटर को दिल्ली/कलकत्ता में केन्द्रित सेवा के रूप में स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) यह सच नहीं है कि हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड के खेतड़ी कापर कम्पलेक्स (के० सी० सं०) में कम्प्यूटर के लिए ढाँचे का निर्माण दोषपूर्ण है। वास्तव में खेतड़ी कम्प्यूटर में अनुसंधान और विकास स्कंध भवन में मौजूदा स्थान पर लगाया गया है। यह भी सच नहीं है कि भवन ढह रहा है तथा कम्प्यूटर को खतरा हो गया है।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए सवाल नहीं उठता।

(ग) यह सच नहीं है कि खेतड़ी में लगा कम्प्यूटर खेतड़ी कापर कम्पलेक्स के लिए काफी बड़ा है, वास्तव में कम्प्यूटर खेतड़ी कापर कम्पलेक्स में कुशल प्रबंध के आवश्यक क्षेत्रों में एक अवधि के लिए अनुप्रयोग हेतु पर्याप्त है।

(घ) वर्तमान में इस कम्प्यूटर को दिल्ली/कलकत्ता में केन्द्रित सेवा के रूप में स्थापित किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

खादी तथा ग्रामोद्योग में किस्म सुधार सम्बन्धी समिति

7136. श्री अनन्त रामुलु (मल्लू) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खादी तथा ग्रामोद्योग क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा और आवश्यक उत्पादनों की किस्मों में सुधार करने के लिए हाल में कुछ कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई समिति नियुक्त की गयी है; और

(ग) यदि हां तो इसके गठन और क्रियाकलापों की, इस सम्बन्ध में जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों सहित ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (ग) हाल ही में खादी तथा ग्रामोद्योग उत्पादों की प्रतियोगिकता किस्म तथा बिक्री बढ़ाने के उपायों पर विचार करने के लिए खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (के० वी० आई० सी०) के सदस्यों की एक बैठक बुलाई गई थी के० वी० आई० उत्पादों की किस्म में सुधार लाने के लिए अनेक उपाय सुझाये गये थे, और खादी ग्रामोद्योग आयोग को उन उपायों के कार्यान्यन करने के लिए कहा गया। किन्तु, इस उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त नहीं की गई है।

स्व-नियोजन के लिए धनराशि की सीमा

7137. श्री सुशील भट्टाचार्य : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि स्व-नियोजन के लिए जिला उद्योग केन्द्र कितनी धनराशि तक की सिफारिश कर सकता है तथा योजनाओं के चयन में तरजीह देने के क्या आधार हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्व-रोजगार योजना के अन्तर्गत जिला उद्योग केन्द्र प्रत्येक मामले में 25000 रुपये तक के बैंक ऋण की सिफारिश कर सकता है। योजनाओं के चयन के लिए प्राथमिकता का आधार योजना की तकनीकी-आर्थिक जोड्यता/संभाव्यता और लाभग्राही की क्षमता तथा आवश्यकता है।

स्व-रोजगार योजना के अधीन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों को ऋण

7138. श्री सत्यनारायण जटिया : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्व-रोजगार कार्यक्रम के अधीन अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को ऋण देने के मामले में आरक्षण के सम्बन्ध में सरकारी नीति का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त योजना के अधीन 31 मार्च, 1984 तक अनुसूचित जातियों और अनसूचित जनजातियों के राज्यवार कितने लोगों को ऋण मंजूर किए गए और उनमें से वास्तव मे कितने लोगों को ऋण की धनराशि प्राप्त हुई ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार उपलब्ध करवाने की योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को ऋण देने हेतु किसी प्रकार का आरक्षण नहीं है।

(ख) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए मंजूर किए गए ऋणों के आंकड़े अलग से इकट्ठे नहीं किए जाते।

देश में बाघ परियोजनाओं की स्थापना

7140. श्री नवीन रावणी : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितनी बाघ परियोजनाएं हैं तथा वह कहां-कहां पर स्थित हैं और 31 दिसम्बर, 1983 को प्रत्येक अभयारण्य में कितने बाघ थे;

(ख) क्या वर्ष 1984 के दौरान देश में बाघों के लिए और आवक अभयारण्य स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या निकट भविष्य में देश में शेरों के लिए अभयारण्य बनाये जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) शेरों के वर्तमान अभयारण्यों का ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक अभयारण्य में कितने शेर हैं ?

पर्यावरण विभाग में उप-मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) तथा (ङ) इस समय, भारत में शेरों के लिए गिर राष्ट्रीय उद्यान तथा गुजरात के जूनागढ़ जिले का वन्य जीवन अभ्यारण्य रिजर्व ही हैं। रिजर्व के लिए कुल क्षेत्र 1412 वर्ग, किलोमीटर के लगभग है जिसमें 258 वर्ग किलोमीटर के लगभग कोर क्षेत्र के लिए है जो राष्ट्रीय उद्यान के स्तर का है तथा शेष क्षेत्र को एक अभ्यारण्य के रूप में घोषित कर दिया गया है। इस रिजर्व में शेरों की अनुमानित संख्या 205 है। जाम नगर जिले के बरदा अभ्यारण्य के लगभग 192 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को शेरों के लिए वैकल्पिक आवास के लिए गुजरात सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

विवरण

बाघ रिजर्वों की सूची (बाघ परियोजना) तथा बाघों की संख्या

क्रम सं०	बाघ रिजर्व का नाम	स्थान राज्य	31 दिसम्बर, 1983 को बाघों की संख्या
1.	मानस	असम	69
2.	पालमऊ	बिहार	55
3.	सिम्पलीपाल	उड़ीसा	65
4.	बन्दीपुर	कर्नाटक	49
5.	कान्हा	मध्यप्रदेश	89
6.	मेलघाट	महाराष्ट्र	74
7.	रणथम्भौर	राजस्थान	32
8.	कार्बेट	उत्तरप्रदेश	91
9.	सुन्दरवन	पश्चिम बंगाल	205
10.	पेरीयार	केरल	41
11.	सरिसका	राजस्थान	25
12.	नगार्जुन सागर	आंध्रप्रदेश	40
13.	इन्द्रावती	मध्यप्रदेश	30
14.	बक्सा	पश्चिम बंगाल	27
15.	नामदफा	अरुणाचल प्रदेश	27
		कुल	917

खनिजों का पता लगाने के लिए तंजानिया के साथ समझौता

7141. **श्री एस० बी० सिदनाल :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और तंजानियां खनिजों का पता लगाने और सोना, हीरा और कोयला क्षेत्रों में खनन कार्य करने में सहयोग करने पर सहमत हो गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पी० साल्वे)। (क) और (ख) तंजानियां के खान मंत्री की अध्यक्षता में एक शिष्टमण्डल ने जनवरी, 1984 में भारत का दौरा किया और खनिज गवेषण एवं निकिल, स्वर्ण, हीरा तथा कोयला के खनन में भारतीय सहयोग और सहायता की इच्छा व्यक्त की। तंजानियां पक्ष से अभी तक कोई सौपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

विदेशियों का समय से अधिक रहना

7142. **श्री के० ए० राजन :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान कानपुर से प्रकाशित 27 फरवरी, 1984 के साप्ताहिक "जनयुद्ध" में विदेशियों के समय से अधिक रहने और "विथुला आश्रम" में रहने के लिए अपने वीसा को बढ़ाने के बारे में एक रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तथ्यों का ब्योरा क्या है;

(ग) क्या इन विदेशियों की पहचान के बारे में कोई जांच की जा रही है और उनके कार्यकलापों पर नजर रखी जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योर क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

सीमेंट की दोहरी मूल्य नीति की पुनरीक्षा

7143. **श्री एन० ई० होरो :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने यह कह कर कि जब तक लेवी और फ्री-सेल सीमेंट के मूल्यों के बीच का अन्तर काफी कम न हो जाए तब तक सीमेंट की दोहरी मूल्य नीति की पुनरीक्षा अनावश्यक है, इसकी पुनरीक्षा करने से इंकार कर दिया है;

(ख) क्या सरकार यह महसूस करती है कि देश में उत्पादन बढ़ने पर भी मांग कम हो जाएगी जिससे दोहरी मूल्य नीति को बदलने की आवश्यकता होगी;

(ग) क्या यह भी सच है कि गांवों में बहुत अधिक मांग होने की बड़ी सम्भावना है; और

(घ) यदि हां, तो फ्री-सेल सीमेंट के मूल्य को देखते हुए बेहतर सप्लाई स्थिति के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) मांग सम्बन्धी अनुमानों की तुलना में सीमेंट की घरेलू उपलब्धता कम होने के कारण इस समय सीमेंट को आंशिक विनियन्त्रण नीति में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना प्रलेख में 1984-85 तक 345 लाख मी० टन सीमेंट के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। जबकि सीमेंट उद्योग सम्बन्धी कार्यदल 1980-85 द्वारा 380 लाख मी० टन की पूर्वानुमानित मांग का अनुमान लगाया गया था।

(ग) और (घ) ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश में विकास सम्बन्धी कार्यकलाप बढ़ जाने के कारण सीमेंट की मांग में वृद्धि हो जाने की सम्भावना है, ग्रामीण क्षेत्रों में सीमेंट के वितरण की व्यवस्था राज्य सरकारों/संघशासित क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक तिमाही में आबंटित किए जाने वाले लेवी सीमेंट के इक्ठ्ठे कोटे में से की जाती है। राज्य सरकारों/संघशासित क्षेत्रों के प्रशासनों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताए पूरी करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर लेवी सीमेंट का आवंटन किया जा रहा है।

देश में आणविक रिप्रोसेसिंग एकक का कार्यकरण

7144. श्री अमर सिंह राठवा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कितने आणविक रिप्रोसेसिंग एकक काम कर रहे हैं और वे कहां-कहां स्थित हैं तथा उनके वार्षिक उत्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश में कुछ और आणविक रिप्रोसेसिंग एककों की स्थापना का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो ये कब तथा कहां-कहां स्थापित किए जाएंगे ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) दो पुनःसंसाधन संयंत्र ट्राम्बे और तारापुर में काम कर रहे हैं।

(ख) तथा (ग) तीसरा पुनःसंसाधन संयंत्र कलपाक्कम में निर्माणाधीन है और सन् 1991 तक चालू होने की आशा है।

मैसर्स बी० बी० जे० कन्स्ट्रक्शन कम्पनी के बारे में प्रतिवेदन

7145. **श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय औद्योगिक पुनर्निमाण निगम से मैसर्स बी०बी०जे० कन्स्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता के पुनर्वास के सम्बन्ध में अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है;

(ख) भारतीय औद्योगिक पुनर्निमाण निगम ने क्या सिफारिशें की हैं;

(ग) क्या सरकार ने भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम के प्रतिवेदन पर कार्यवाही शुरू की है;

(घ) क्या सरकार बी०बी०जे० का बर्न स्टैण्डर्ड के साथ विलय करने पर विचार कर रही है;

(ङ) क्या सरकार को बी०बी०जे० एण्ड कम्पनी स्टाफ यूनियन, कलकत्ता से इस विषय पर दिनांक 22 फरवरी, 1984 को कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(च) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) जी, हां।

(ख) आई०आर०सी०आई० की रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशों में जनशक्ति का युक्तिकरण जिसके परिणामस्वरूप 172 व्यक्तियों की छटनी होगी, नये सिरे से धनराशियां लगाना तथा रियायती शर्तों पर पर्याप्त वित्तीय सहायता एवं संघटक कम्पनियों में से एक के साथ गठबन्धन करना शामिल है।

(ग) से (च) इस मामले में अन्तिम निर्णय लेने से पहले सरकार अन्य उपलब्ध विकल्पों के साथ-साथ आई०आर०सी०आई० की सिफारिशों के विभिन्न पहलुओं पर विचार कर रही है। कम्पनी के भविष्य के बारे में शीघ्रता से निर्णय लेने के लिए बी०बी०जे० एण्ड कम्पनी स्टाफ यूनियन से दिनांक 22-2-1984 का एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था।

भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लि० का प्रचार व्यय

7146. **श्री बाबूराव परांजपे** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक के दौरान भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा प्रचार और विभिन्न समाचार पत्रों/पत्रिकाओं और रिसालों में विज्ञापनों पर कितना व्यय किया गया;

(ख) किन-किन समाचार पत्रों/पत्रिकाओं को 50,000 रुपए से अधिक के विज्ञापन दिए गए तथा दिए गए विज्ञापनों का मूल्य क्या था; और

(ग) यदि विज्ञापन का कोई ठेका दिया गया, तो कितनी अवधि के लिए ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

असम के वास्तविक आवासियों को अवैध प्रवासी के रूप में घोषित करना

7147. **श्री सुधीर गिरि** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान असम के 38,000 वास्तविक आवासियों को अवैध प्रवासी घोषित करने के सम्बन्ध में दिनांक 20 मार्च, 1984 को "आनन्द बाजार पत्रिका" (बंगाली) में प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि उनको भारत से बाहर भेजने की व्यवस्था की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) सरकार का ध्यान 20 मार्च, 1984 की आनन्द बाजार पत्रिका में प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है। परन्तु, इस समाचार का सम्बन्ध कर्बी-आंग्लांग जिला परिषद की मतदाता सूची से 38,000 नाम हटाए जाने से है।

(ख) जी नहीं, श्रीमान।

(ग) असम राज्य सरकार द्वारा भेजी गयी सूचना के अनुसार कर्बी-आंग्लांग जिला परिषद चुनावों के बारे में मतदाता सूचियों से 27,433 व्यक्तियों के नाम काट दिए गए, क्योंकि वे असम स्वायत्त (जिला परिषदों का गठन) नियम, 1951 की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करते थे।

ईरानी ऋण का पुर्नभुगतान

7148. **श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुद्रेमुख इस्पात परियोजना के लिए ईरान से मिले 255 मिलियन डालर ऋण के पुनर्भुगतान के लिए सरकार को एक "एस०ओ०एस०" प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो इस मामले में सरकार का निर्णय क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि ऐसी बातों से उक्त परियोजना की प्रगति को भारी आघात पहुचेगा; और

(ग) क्या कुद्रेमुख के लिए किन्हीं वैकल्पिक मार्किट्स का पता लगाने हेतु सरकार की कोई योजनाएं हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन०के०पी० साल्वे) : (क) ईरान सरकार से इस प्रकार का कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) यह परियोजना भारत सरकार द्वारा दी गई धन-राशि से पूरी की गई है और यह निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अगस्त, 1980 में लोह-प्रयस्क सांद्रण की सप्लाई शुरू करने की स्थिति में थी ।

(ग) ईरान द्वारा लोह-अयस्क की खरीद में अनिश्चितता के कारक लोह-अयस्क सांद्रण के निर्यात के लिए विदेशों में बाजार ढूंढने के लिए भरसक प्रयत्न किए गए है । इन प्रयत्नों के फलस्वरूप रूमानिया तथा चेकोस्लोवाकिया के साथ निम्नलिखित करार किए गए हैं :—

रूमानिया :

(1) अक्तूबर, 1981 से मार्च, 1985 तक प्रतिवर्ष 10 लाख टन की दर से 35 लाख टन ।

(2) 1983-84 के दौरान 200,000 टन ।

चेकोस्लोवाकिया :

(1) 1983 में 0 ,000 टन ।

(2) 1984 में 1:0,000 टन ।

इसके अलावा बहरीन और फिलिपाइन से इन देशों को कुद्रेमुख के सांद्रण का सप्लाई के लिए आशय पत्र प्राप्त हो गए हैं । दूसरे देशों को निर्यात करने की सम्भावनाओं का भी पता लगाया जा रहा है ।

राजस्थान में खनिज

7149. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत चार वर्षों के दौरान राजस्थान में, जिलेवार भारत भूगर्भ सर्वेक्षण-संस्थान द्वारा कौन-कौन से खनिजों की खोज की गई है तथा इस सम्बन्ध में उनकी उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या विभाग का विचार खनिजों के भारी निक्षेप वाले स्थानों को बजाय राजस्थान में बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, जालौर और पाली के रेगिस्तानी जिलों

में सर्वेक्षण कार्य की गति तेज करने का विचार है, ताकि इन क्षेत्रों के विकास में सहायता प्रदान की जा सके और यदि हां, तो यह कार्य किस प्रकार किया जाएगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन०के०पी० साल्वे) : (क) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, राजस्थान सहित समूचे देश में विभिन्न खनिजों के भूवैज्ञानिक मानचित्रण और गवेषण में संलग्न है। वह खनिजों की खुदाई नहीं करता। अब तक के सर्वेक्षण के फलस्वरूप वर्णित जिलों में प्रमाणित भण्डार इस प्रकार है :—

खनिज	भण्डार (मि० टन)	जिला
(1) टगस्टन अयस्क	4.05 (0.025 से 0.54 प्रतिशत तक धातु अंश)	नागौड़
(2) चूना पत्थर (सभी ग्रेड)	1444.46	जैसलमेर, पाली, नागौड़ और जोधपुर
(3) डोलोमाइट (सभी ग्रेड)	105.25	नागौड़, जोधपुर, पाली व जैसलमेर
(4) जिप्सम	979	नागौड़, जैसलमेर, बाड़मेर व पाली।
बेन्टोनाइट	101	बाड़मेर
वोलेस्टोनाइट	2.73	पाली व सिरोही
एस्बेस्टस	0.134	पाली
फ्लूराइट	0.169	जालौड़
फास्फोराइट	3.50 (12.9 प्रतिशत फास्फोरस युक्त)	जैसलमेर

(ख) भारतीय भूसर्वेक्षण ने अपने चालू फील्ड सीजन में रेगिस्तानी जिलों-बाड़मेर जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, जालौर और पाली में सर्वे कार्य पर पर्याप्त जोर दिया जिसके लिए बाड़मेर और जैसलमेर जिलों के कुछ भागों में क्रमबद्ध भूवैज्ञानिक मानचित्रण जैसलमेर जिले में आधार धातु सहित खनिज गवेषण पाली/जालौर और सिरोही जिलों टंगस्टन की खोज, श्रीगंगा नगर, बीकानेर और चुरु जिलों में पोटाश की खोज तथ जैसलमेर और चुरु जिलों में ग्लौकोनाइट की खोज जारी है।

राजधानी में लड़कियों का अपहरण

7150. **श्री मनोहर लाल सैनी :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 मार्च, 1884 के "इंडियन एक्सप्रैस" में "पुलिस एटोच्यूड इन किडनेपिंग केस रिग्रेटेड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय परिसर से एक अप्रवासी श्रमिक परिवार की एक युवती के अपहरण जैसे मामले, जिसे बाद में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ और जनवादी महिला समिति की ओर से दबाव पड़ने पर दर्ज था, पुलिस द्वारा आमतौर पर दर्ज न किए जाने के कारण क्या हैं; और

(ग) पिछले छह महीनों के दौरान दिल्ली में पुलिस थानों में लड़कियों के अपहरण के कुल कितने मामले दर्ज हुए और कितने मामले सुलझाए गए और शेष मामले न सुलझाए जाने के कारण क्या हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) यह सही नहीं है कि पुलिस अपहरण के विषय में मामले दर्ज नहीं करती है। इस विशेष मामले में, लड़की के गुम होने के विषय में 16 मार्च, 1984 को थाना वसंत विहार में रिपोर्ट दर्ज करायी गई थी । पुलिस नियंत्रण कक्ष और लापता व्यक्तियों दस्ते को लड़की का पता लगाने के लिए सूचित किया गया तदुपरांत 17 मार्च, 1984 को, लापता लड़की के रिस्तेदार थाने में आए और संदेह व्यक्त किया कि लड़की का अपहरण किया गया है। तदनुसार भा० दं० सं० की धारा 363 के तहत एक मामला दर्ज किया गया और जाँच-पड़ताल शुरू की गई । 18 मार्च, को दो व्यक्ति गिरफ्तार किए गए और उनसे पूछताछ की गई। तथाकथित लड़की अभी बरामद की जानी है । लापता लड़की का पता लगाने के लिए सभी सम्भव प्रयत्न किए जा रहे हैं।

(ग) पिछले 6 महीनों अर्थात् अक्तूबर 1983 से मार्च 1984 तक के दौरान दिल्ली पुलिस को लड़कियों के अपहरण के 211 मामले सूचित किए गए । अपहरण की गयी 216 लड़कियों में से, 170 बरामद की गई हैं । शेष मामलों को हल करने के लिए और लड़कियों को बरामद करने के लिए सभी सम्भव प्रयत्न किए जा रहे हैं।

सशस्त्र सेना मुख्यालयों तथा अन्तर-सेवा संगठनों के गैरसैनिक कर्मचारियों के मामलों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श

7151. **डा० ए० यू० आजमी :** क्या गृह मन्त्री अनुशासनात्मक प्राधिकारियों द्वारा आदेश जारी करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श के बारे में

14 मार्च, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2948 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सशस्त्र सेना मुख्यालयों तथा अन्तर सेवा संगठनों के गैर-सैनिक कर्मचारियों के वे मामले संघ लोक सेवा आयोग को परामर्श के लिए नहीं भेजे जाते, जिनमें राष्ट्रपति अनुशासनात्मक प्राधिकारी हैं;

(ख) यदि हां, तो उन मुख्यालयों के गैर-सैनिक कर्मचारियों को अलग रखने के क्या कारण हैं; और उन्हें पर्याप्त संरक्षण न देने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या "संघ लोक सेवा आयोग-परामर्श से छूट सम्बन्धी विनियमों से आवश्यक उद्धरण तथा सशस्त्र सेना मुख्यालयों के गैर-सैनिक कर्मचारियों को इस सीमा-क्षेत्र में शामिल करने के लिए किए गए उपायों का ब्योरा सभा पटल पर रखा जाएगा ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुबय्या) : (क) से (ग) संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के खंड 5(2) के अनुसार रक्षा सेवा (असैनिक) के किसी व्यक्ति को प्रभावित करने वाले किसी अनुशासनिक मामले के सम्बन्ध में आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है । चूंकि रक्षा सेवा (असैनिक) में कार्य करने वाले व्यक्ति और सैनिक कर्मी तत्समानी पदों पर साथ-साथ काम करते हैं, अतः यह उपयुक्त नहीं समझा गया था कि अनुशासनिक मामलों में इन दोनों के बीच कोई भेदभाव किया जाए । संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम से संगत उद्धरण संलग्न विवरण में दिया गया है ।

विवरण

संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 से दिया गया उद्धरण

× × × ×

5(2). रक्षा सेवा (असैनिक) के किसी व्यक्ति को प्रभावित करने वाले किसी अनुशासनिक मामले के सम्बन्ध में आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं होगा ।

हिन्दी शिक्षण योजना को अधीनस्थ कार्यालय का दर्जा

7152. **श्री शिव शरण वर्मा :**

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या उनके मन्त्रालय के अधीन ऐसे कितने अधीनस्थ कार्यालय हैं जिन्हें औपचारिक रूप से अधीनस्थ घोषित नहीं किया गया है परन्तु व्यवहार में उन्हें अधीनस्थ का दर्जा दिया गया है;

(ख) यदि कोई ऐसा कार्यालय नहीं है तो हिन्दी शिक्षण योजना को अधीनस्थ कार्यालय बनाने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या हिन्दी शिक्षण योजना, जिसे व्यवहार में अधीनस्थ कार्यालय माना जाता है, को वही सब शक्तियां प्राप्त हैं जो एक अधीनस्थ कार्यालय के पास होती हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) इस मन्त्रालय के विभिन्न विभागों एवं प्रभागों से तथ्य एकत्रित किए जा रहे हैं।

(ख) इसका सम्बन्ध प्रश्न के भाग (क) से है;

(ग) हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत संयुक्त निदेशक, उपनिदेशक (परीक्षा) तथा पांच क्षेत्रीय उपनिदेशकों के कार्यालय कार्य कर रहे हैं। उपनिदेशक (परीक्षा) तथा क्षेत्रीय उपनिदेशकों को कार्यालय प्रधान तथा आहरण एवं संवितरण अधिकारी घोषित किया गया है और वे उस पदीय हैसियत से केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए विभिन्न नियमों एवं आदेशों के अधीन सभी प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करते हैं।

[परियोजना आयात प्रमाण पत्र जारी करना

7153. **श्री नीरेन घोष** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) इलेक्ट्रानिकी उद्योग को रियायतें देने के लिए अगस्त, 1983 में जारी की गई वित्त मन्त्रालय की अधिसूचनाओं के अन्तर्गत परियोजना आयात प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत किए गए इलेक्ट्रानिकी विभाग के अधिकारियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस प्रकार के परियोजना आयात प्रमाणपत्र के लिए अब तक इन अधिकारियों को कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं और कितने निपटाए गए हैं; और

(ग) प्रत्येक आवेदन को निपटाने में कितना समय लगा ?

इलैक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उपमन्त्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

नई दिल्ली के मिंटो रोड क्षेत्र में असामाजिक तत्वों द्वारा शरारत करना

7154. **श्री ईरा अनबारासु** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असामाजिक तत्व प्रेस रोड (मिंटो रोड के समीप), नई दिल्ली क्षेत्र के निवासियों के लिए कठिनाइयां और आतंक पैदा कर रहे हैं;

(ख) क्या वहां के निवासियों ने कमला मार्किट पुलिस थाने के सहायक पुलिस आयुक्त को इस सम्बन्ध में पहले ही शिकायत दर्ज करा दी है;

(ग) क्या शरारती तत्वों को पकड़ने के लिए पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई की गई है; और

(घ) यदि नहीं तो उसके क्या कारण है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) पुलिस सहायक आयुक्त, कमला मार्किट को निवासियो से सामान्य प्रकार की एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि कुछ असामाजिक तत्व मिन्टो रोड क्षेत्र में गड़बड़ी उत्पन्न कर रहे/उपद्रव कर रहे हैं।

(ग) और (घ) असामाजिक गतिविधियो को रोकने के लिए इस वर्ष के प्रारम्भ से, इस क्षेत्र में, दिल्ली पुलिस अधिनियम के तहत 23 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं और 8 व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहित की धारा 107/ 51 के तहत गिरफ्तार किए गए हैं।

आयातित एल्यूमिनियम का जमा होना

7155. **श्री के० लकप्पा :**

श्री धर्मदास शास्त्री : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हजारों उपभोक्ता उद्योगों के लिए मूल कच्चे माल एल्यूमिनियम की भारी कमी के कारण एक वर्ष से लाखों कर्मचारियों को छटनी की जा रही है और बाजार में इसका अतिरिक्त मूल्य 6000 रुपए प्रति टन तक बढ़ गया है;

(ख) क्या सरकार ने हाल ही में कुछ एल्यूमिनियम का आयात किया है और समाचारों के अनुसार जिसका भंडार एम० एम० टी० सी० के पास इकट्ठा हो रहा है जबकि दूसरी ओर एल्यूमिनियम नियन्त्रक बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहे अभावग्रस्त विभिन्न एककों को समय पर आवंटन जारी नहीं कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, स्थिति को सुधारने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है और विलम्ब से आयात करने और विलम्ब से आवंटन करने के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) जी नहीं। मन्त्रालय को एल्यूमिनियम खपतकर्त्ता उद्योग में छटनी की कोई शिकायत नहीं मिली है। अलबत्ता मन्त्रालय को अतिरिक्त मूल्य लिए जाने की शिकायतें मिली है। परन्तु एल्यूमिनियम उत्पादको तथा आयातक एजेंसी खनिज और धातु व्यापार निगम ने प्रशासित दर पर उपभोक्ताओं को एल्यूमिनियम बेचा है।

(ख) खनिज और धातु व्यापार निगम के पास कोई स्टाक एकत्र नहीं हो रहा है। एल्यूमिनियम की काफी मात्रा खुले समुद्र में है तथा इसरे अधिक आयात के लिए प्राधिकृत किया गया है। एक ओर तो खनिज और धातु व्यापार निगम के पास धातु न केवल वितरण हेतु आवंटन के लिए उपलब्ध है अपितु धातु पाइप लाइन में भी है और इसका आयात भी किया जाना है।

(ग) लगभग 11000 टन आयातित एल्यूमिनियम के आ जाने से, जो कि पाइप लाइन में है, 15000 टन का आयात 1984-85 की प्रथम तिमाही में करने हेतु प्राधिकृत किया गया है तथा एल्यूमिनियम के घरेलू उत्पादन में सुधार होने से स्थिति में सुधार होगा।

उत्तर प्रदेश में धारचुला और मुनासियारी आदिवासी विकास खण्डों के लिए प्रस्तावित धनराशि

7156. **श्री हरीश रावत** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आदिवासी विकास उप-योजना के अंतर्गत 1984-85 में उत्तर प्रदेश में धारचुला और मुनसियारी (पिथोरागढ़) विकास खण्डों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को कितनी धनराशि प्रदान करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या इन क्षेत्रों के लिए आदिवासी उप-योजना सम्बन्धी ब्यौरा उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त हो गया; और

(ग) यदि हां, तो योजना की मुख्य-मुख्य बातें क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) धारचुला और मुसियारी विकास खण्डों को आदिवासी उप-योजना में शामिल नहीं किया जाता है, इसलिए 1984-85 के दौरान कोई वित्तीय व्यवस्था नहीं की गई।

(ख) इन खण्डों को आदिवासी उप-योजना में शामिल करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ग) राज्य के प्रस्ताव में कुल जनसंख्या, अनुसूचित जनजाति जनसंख्या (1981 की जनगणना के अनुसार) और इन खन्डों का एक मानचित्र शामिल है।

स्वरोजगार योजना

7157. **श्री योगेन्द्र झा** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार पैदा करने की योजना के अन्तर्गत युवकों के स्वरोजगार के कार्यक्रम को पूरी तरह उत्पादी प्रयोजना हेतु कार्यान्वित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उनके बारे में अन्य ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उनके क्या कारण हैं;

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) यद्यपि इन सभी कार्यक्रमों का उद्देश्य अतिरिक्त रोजगार के अवसरों को बढ़ाना ही है किन्तु अलग-अलग कार्यक्रमों के अन्तर्गत लक्ष्य दल भिन्न-भिन्न हैं। शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्व-रोजगार योजना के अन्तर्गत शहरी और ग्रामीण दोनों ही प्रकार के बेरोजगार युवक सम्मिलित हैं जो मैट्रीकुलेट (दसवीं कक्षा पास) हैं तथा 18 से 35 वर्ष तक की आयु वर्ग के हैं। इस कार्यक्रम को जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है।

होम गार्डों के लिए चिकित्सा छुट्टी

7158. **श्री अजय विश्वास** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में कानून और व्यवस्था को बनाए रखने में होम गार्ड प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि होम गार्डों को चिकित्सा अथवा अर्जित छुट्टी नहीं मिलती है;

(ग) क्या त्रिपुरा सरकार ने होम गार्डों को 20 दिन की चिकित्सा छुट्टी देने के लिए केन्द्रीय सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है; और

(घ) यदि हाँ तो क्या सरकार के विचार होम गार्डों को तत्काल 20 दिन की चिकित्सा छुट्टी मंजूर करने के लिए सभी राज्य सरकारों को अनुदेश देने का है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) भारत सरकार द्वारा दिए गए मार्गदर्शी निर्देशों के अनुसार होम गार्ड स्वयं सेवकों के रूप में नामांकित नियोजित, बेरोजगार और स्वनियोजित व्यक्तियों का एक स्वैच्छिक संगठन है, जिन्होंने आवश्यकता पड़ने पर विभिन्न ड्यूटियों के लिए बुलाया जाता है। इसलिए होम गार्डों को अर्जित छुट्टी अथवा चिकित्सा छुट्टी देने का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं, श्रीमान् ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पाकिस्तान अधिकारियों के साथ सांठ-गांठ से जाली वीसा जारी करना

7159. **श्री जार्ज फर्नान्डीज :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक संगठित गिरोह द्वारा पाकिस्तान अधिकारियों (दूतावास) के साथ सांठ-गांठ करके जाली वीसा जारी किए जा रहे हैं;

(ख) क्या कुछ भारतीयों को मुहर लगा पाकिस्तानी वीसा में गड़बड़ी करने के कारण रोक लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(घ) भारतीय नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) (क) से (ग) दिसम्बर, 1983 के महीने में नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान दूतावास, से उस दूतावास की जाली वीसा मुहर लगे हुए एक भारतीय पासपोर्ट का पता लगाने के बारे में शिकायत प्राप्त हुई थी । शिकायत की जांच-पड़ताल करने से जाली वीसा प्रविष्टियों में लगे एक गिरोह का पता लगा । इस सम्बन्ध में दिल्ली के निवासी दो व्यक्तियों को 8 मार्च, 1984 को गिरफ्तार किया गया है, और 2 पासपोर्ट को बरामद किया गया है । इनमें से 19 पासपोर्टों पर पाकिस्तान की जाली वीसा मुहर लगी हुई थी । स्टिकर्स समेत और रबड़ की मुहरें बनाने की सामग्री भी पकड़ी गई थी ।

(घ) गिरोह का पता लगने के बारे में समाचार पत्रों में काफी प्रचार किया गया है । दिल्ली पुलिस इस सम्बन्ध में सतर्क है और जब कोई सूचना प्राप्त होती है तो तुरन्त कार्यवाही की जाती है ।

परभनी जिले (महाराष्ट्र) में राष्ट्रीय-कृत बैंकों द्वारा स्वीकृत ऋण

7160. **श्री टी० एम० सावन्त :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के परभनी जिले में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा जनवरी, 83 से 29 फरवरी, 1984 तक, स्व रोजगार योजनाओं के अन्तर्गत कितने शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को ऋण स्वीकृत किए गए हैं;

(ख) कुल कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे और उनमें से कितने अभ्यर्थियों को ऋण स्वीकृत किया गया था; और

(ग) ऋण के लिए अभी तक लम्बित आवेदन-पत्रों का तथा अस्वीकृत आवेदन पत्रों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (ग) पानीपत जिले में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्व-रोजगार योजना के अन्तर्गत 29 फरवरी, 1984 तक 941 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिला उद्योग केन्द्र के कृतिक बल द्वारा 867 मामलों की जांच-पड़ताल करके बैंकों से स्वीकृति के लिए इनकी सिफारिश की गई थी तथा बैंकों ने 194 मामलों में स्वीकृति दे दी है जिनमें 29.65 लाख रुपये की राशि अन्तग्रस्त है। बैंकों द्वारा 161 मामले अस्वीकृत कर दिए गए और शेष मामले बैंकों के विचाराधीन हैं।

बीस-सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों को दी गई और उनके द्वारा उपयोग की गई राशि का ब्यौरा

7161. **श्री छांगुर राम** : क्या **योजना मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान बीस सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत दी गई राशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्य सरकारों द्वारा अब तक उपयोग की गई राशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा व्यय की गई राशि का जिलावार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस राशि के किए गए विकास कार्यों का ब्यौरा क्या है ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी चव्हाण) : (क) और (ख) 20-सूत्री कार्यक्रम राज्य योजना का अभिन्न अंग होता है, अत: इस कार्यक्रम के लिए अलग से परिव्यय निर्धारित नहीं किए जाते। तथापि ये राज्य योजनाओं से लिए जाते हैं। पिछले दो वर्षों अर्थात् 1982-83 और 1983-84 के दौरान 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यवार अनुमोदित परिव्यय और व्यय दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) प्रत्येक राज्य में जिलावार परिव्यय/व्यय की सूचना योजना आयोग को नहीं दी जाती है और न ही योजना आयोग द्वारा इसका प्रबोधन किया जाता है। इसी प्रकार वास्तविक लक्ष्यों और उपलब्धियों की जिलावार सूचना योजना आयोग को नहीं दी जाती है।

विवरण

वर्ष 1982-83 और 1983-84 के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम से सम्बन्धित परिव्यय/व्यय

(करोड़ रु०)

क्रम सं०	राज्य	1982-83		198 -84	
		अनुमोदित परिव्यय	व्यय	अनुमोदित परिव्यय	प्रत्याशित व्यय
1.	आंध्र प्रदेश	435.80	437.90	613.84	581.79
2.	असम	154.13	147.72	192.24	192.67
3.	बिहार	491.26	446.10	509.35	438.99
4.	गुजरात	477.68	456.85	653.63	580.25
5	हरियाणा	200.83	232.34	266.69	257.32
6.	हिमाचल प्रदेश	59.19	71.52	79.11	71.91
7.	जम्मू और कश्मीर	74.41	75.43	80.05	79.62
8.	कर्नाटक	322.24	344.83	392.75	389.59
9.	केरल	147.14	152.78	183.53	179.12
10	मध्य प्रदेश	563.57	580.38	701.44	723.45
11.	महाराष्ट्र	863.83	892.58	953.77	924.03
12.	मणिपुर	29.68	23.68	26.48	27.05
13.	मेघालय	20.13	15.65	20.48	21.35
14.	नागालैंड	11.74	11.11	13.55	13.53
15.	उड़ीसा	221.75	226.36	262.43	258.76
16.	पंजाब	269.21	274.34	303.22	301.06
17.	राजस्थान	234.38	240.99	273.22	266.61
18.	सिक्किम	8.60	8.76	9.58	9.58
19.	तमिलनाडु	357.64	338.23	458.71	374.64
20.	त्रिपुरा	21.64	26.77	31.20	31.83
21.	उत्तर प्रदेश	827.53	822.00	895.03	820.21
22.	पश्चिम बंगाल	299.40	238.44	289.45	288.84

हार्वेस्टर कम्बाइन्स और ट्रैक्टरों के पुर्जों का आयात

7162. श्री नवलकिशोर शर्मा :

श्री अमर राय प्रधान : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सरकार के ध्यान में लाई गई है कि लघु क्षेत्र में घरेलू निर्माण के नाम पर बड़ी संख्या में निर्माताओं ने सम्पूर्ण "सेल्फ प्रोपैल्ड हार्वेस्टर कम्बाइन्स" का वास्तव में आयात करना आरम्भ कर दिया है;

(ख) क्या यह बात भी सरकार के ध्यान में आई है कि कुछ निर्माता कम्बाइन्स के अतिरिक्त सं विगत संघ और रूमानिया से यहां पर जोड़कर तैयार करने के लिए ट्रैक्टरों के पुर्जों का आयात करने की योजना बना रहे हैं;

(ग) ऐसे लघु निर्माताओं का विवरण क्या है; और

(घ) आयात नीति में कमियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ताकि फार्म मशीनों के ऐसे आयात को रोका जा सके और क्या आयातकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) तथा (ख) सरकार की जानकारी में यह बात आयी थी कि कुछ लघु निर्माताओं द्वारा ट्रैक्टरों तथा कम्बाइन हार्वेस्टरों के हिस्से-पुर्जों का आयात किया जा रहा है क्योंकि इन हिस्से-पुर्जों का आयात सामान्य लाइसेंस के अधीन किया जा सकता था।

(ग) मुख्यत: मे० ई०एस०पी०आई० इंडस्ट्रियल कार्पोरेशन, फरीदाबाद तथा मे० हिन्द सन्स प्राइवेट लि०, पटियाला के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई थीं।

(घ) ट्रैक्टरों तथा कम्बाइन हार्वेस्टरों के लिए हिस्से-पुर्जों के आयात को अब आयात नीति के परिशिष्ट-3 अर्थात् आयात की प्रतिबन्ध सूची के अधीन लाया गया है। ट्रैक्टर तथा कम्बाइन हार्वेस्टर के निर्माण को भी 16-2-1973 की अधिसूचना की अनुसूची-4 के अन्तर्गत लाया गया है जिससे इन वस्तुओं के निर्माण के लिए अब लघु निर्माताओं को भी औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता होगी।

"हरिजन" और "गिरिजन" शब्दों का प्रयोग

7163. श्री आर० एन० राकेश : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या सरकार ने दिल्ली शेड्यूल्ड कास्ट्स वेलफेयर एशोशिएशन (रजिस्टर्ड) अम्बेडकर भवन, नई दिल्ली द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों में व्यापक रूप से फैले असंतोष की सूचना दिए जाने और इस एसोसिएशन की मांग को देखते हुए सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को आदेश जारी किए हैं कि सरकारी दस्ता-

वेजों तथा समाचार माध्यमों में, "हरिजन" और "गिरिजन" शब्दों का प्रयोग न किया जाए;

(ख) यदि हां, तो परिपत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने विभिन्न राज्य सरकारों के "हरिजन" और "गिरिजन" कल्याण बोर्डों अथवा विकास निगमों अथवा मंत्रालयों आदि का पुनः नामकरण करने के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को 10 फरवरी, 1982 को लिखा गया है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्रों में "हरिजन" अथवा "गिरिजन" शब्द न लिखे जाएं, बल्कि केवल व्यक्ति की जाति/जनजाति का ही उल्लेख किया जाए । शिक्षा मंत्रालय को 19-10-82 को अनुरोध किया गया कि राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को जोर देकर यह कहा जाए कि वे स्कूलों/कालेजों के रिकार्ड में "हरिजन" अथवा "गिरिजन" शब्दों का प्रयोग न करें । सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय से भी 1-2-1982 को अनुरोध किया गया कि सार्वजनिक प्रचार माध्यमों में "हरिजन" और "गिरिजन" शब्दों की बजाए अंग्रेजी में "अनुसूचित जातियां" और "अनुसूचित जनजातियों" तथा अन्य राष्ट्रीय भाषाओं में उनके उपयुक्त अनुवाद का प्रयोग करें ।

(ग) और (घ) यह मामला राज्य सरकारों की मर्जी पर छोड़ दिया गया है कि वे अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित विभागों बोर्डों/निगमों में "हरिजन" या "गिरिजन" शब्द का प्रयोग करें या न करें, क्योंकि जबकि अनुसूचित जाति शब्द का अर्थ वे अनुसूचित जातियां/समुदाय हैं जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल किया गया है, "हरिजन" शब्द का अर्थ व्यापक हो सकता है । इसलिए "हरिजन" शब्द में सभी समुदाय आ जाते हैं जिन्हें अनुसूचित जातियों की तरह ही माना जाता है, भले ही वे अनुसूचित जातियां हों या नहीं ।

लघु उद्योगों के लिए कानून

7164. श्री बी० वी० देसाई : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार लघु उद्योगों के हितों की रक्षा के लिए कानून बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो देश में लघु उद्योगों के हितों की रक्षा तथा उनकी सहायता के लिए विचाराधीन कानून की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) कानून कब तक लागू किए जाने की सम्भावना है; और

(घ) इस निर्णय से कितने लघु उद्योगों को सहायता मिलेगी?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (घ) जी, हाँ। सरकार लघु उद्योगों के हितों की रक्षा करने के लिए कानून प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में गम्भीरता से विचार कर रही है। प्रस्तावित कानून व्यापक होंगे और इनमें लघु उद्योग क्षेत्र के निर्बाध रूप से कार्य करते रहने से सम्बन्धित सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जाएगा। यह कानून यथाशीघ्र संसद में प्रस्तुत किया जायेगा। इस कानून से लगभग 6 लाख उन एककों के लाभान्वित होने की सम्भावना है जो इस समय राज्य उद्योग निदेशालयों के अधीन पंजीकृत हैं और लघु उद्योग विकास संगठन क सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किए गए हैं।

पालघाट को औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ जिला घोषित करना

7165. **श्री बी० एस० विजयराघवन** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पालघाट को औद्योगिक रूप से पिछड़ा जिला घोषित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

एंटार्कटिका दल द्वारा संचार के विभिन्न पहलुओं पर परीक्षण

7166. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एंटार्कटिका में भारतीय अभियान दल ने संचार के विभिन्न पहलुओं पर परीक्षण प्रारम्भ किया है;

(ख) क्या एंटार्कटिका दल द्वारा भूगर्भीय परीक्षण भी प्रारम्भ किए गए हैं; और

(ग) एंटार्कटिका अभियान दल द्वारा अन्य कौन से मुख्य परीक्षण किए गए हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलैक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी हाँ, श्रीमान।

(ख) जी हाँ, श्रीमान।

(ग) समुद्र-विज्ञान, जीव-विज्ञान, मौसम-विज्ञान, हिमक्रिया-विज्ञान, भू-चुम्बकत्व और भू-भौतिकी के क्षेत्र में भी परीक्षण किए गए हैं।

दिल्ली अन्दमान निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा में नियुक्ति

7167. **श्री राम विलास पासवान** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली अन्दमान निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा में नियुक्ति के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक हुई थी और संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशें अभी तक कार्यान्वित नहीं की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक कब हुई थी और सिफारिशों को अब तक कार्यान्वित न करने के क्या कारण है;

(ग) क्या हाल ही में वर्ष 1979 की विभागीय पदोन्नति समिति की पुनरीक्षा की गई थी, यदि हां, तो कब और किस आधार पर; और

(घ) विभागीय पदोन्नति समिति की पुनरीक्षा में की गई सिफारिशों को कार्यान्वित करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) विभागीय पदोन्नति समिति की फरवरी, 1984 के दौरान बैठक हुई थी और विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशें इस मंत्रालय के विचाराधीन हैं।

(ग) विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा 1979-80 में चयन किए गए मामलों की 13-2-84 को पुनरीक्षा की गई थी। पहले चयन में विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा दिल्ली अन्दमान निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा में पदोन्नति के लिए अधिकारियों के मूल्यांकन के लिए अपनाई गई प्रक्रिया स्थाई और स्थानापन्न दोनों प्रकार की रिक्तियों के लिए एक ही विचार क्षेत्र पर आधारित की जो दिल्ली अन्दमान निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा नियम, 1971 के उपबंधों के अनुसार नहीं थी। इसलिए पहले चयन किए गये मामलों की पुनरीक्षा स्थाई और स्थानापन्न दोनों प्रकार की रिक्तियों के लिए अलग-अलग विचार क्षेत्र रखते हुए पात्र अधिकारियों का मूल्यांकन करके की गई है।

(घ) चयन समिति की सिफारिशें संघ लोक सेवा आयोग से 38-2-84 को प्राप्त हुई थी ये मंत्रालय के सक्रिय रूप से विचाराधीन हैं।

केरल में अनिवासी भारतीयों द्वारा उद्योगों की स्थापना

7181. **श्री स्कारिया थामस :**

प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने अनिवासी भारतीयों से पूंजीनिवेश करा कर उद्योग स्थापित करने की कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस योजना को स्वीकृति दी गई है; और

(घ) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) केरल सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ ।

(ख) से (घ) ये प्रश्न पैदा ही नहीं होते ।

फोटोग्राफी/रीप्रोग्राफी में डिप्लोमा के लिए कार्यरत मान्यता प्राप्त अथवा सरकारी संस्थाएं

7160. **श्री त्रिलोक चन्द** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां पर फोटोग्राफी/रीप्रोग्राफी में डिप्लोमा के लिए मान्यता प्राप्त अथवा सरकारी संस्थाएं कार्य कर रही हैं;

(ख) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अन्तर्गत आई०एन० एस०डी०ओ०सी०, एन०पी०एल०, एन०सी०एल०, एन०आई०एस०टी०ए०डी०एस० (विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी तथा अग्रिम अध्ययन के विकास के लिए राष्ट्रीय संस्थान), सी०एफ०टी०आर०आई०, सी०जी०सी०आर०आई०, सी०आर०आर०आई०, पी०आई० डी० आदि प्रयोगशालाओं/संस्थाओं के अन्तर्गत कुछ ऐसे अनुभाग विभाग हैं जिनमें फोटो. ग्राफर/रीप्रोग्राफर के पदों को भरने के लिए 3 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम/प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या क्या है जो इन पदों पर कार्य कर रहे हैं लेकिन उनके पास उल्लिखित प्रमाण पत्र नहीं हैं तथा उनकी नियुक्तियां करने में अनियमितता बरती गई है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलैक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी ।

इलेक्ट्रानिक्स व्यापार और प्रौद्योगिकी विकास निगम (ई० टी० टी० डी० सी०) द्वारा इलेक्ट्रानिक्स वस्तुओं का निर्यात

7170. **श्री रामकृष्ण मोरे** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि इलेक्ट्रानिक्स व्यापार और प्रौद्योगिकी विकास निगम (ई० टी० टी० डी० सी०) 4 करोड़ रुपये मूल्य की इलेक्ट्रोनिक्स वस्तुएं सोवियत संघ को निर्यात करेगा; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उपमन्त्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) तथा (ख) इलेक्ट्रानिकी और कम्प्यूटरों पर गठित भारत-सोवियत संघ कार्यकारी दल की बैठकों की अनुवर्ती कार्रवाई रूप में इलेक्ट्रानिकी तथा कम्प्यूटरों के क्षेत्र में व्यापार की दृष्टि से सोवियत संघ एवं भारत के बीच एक प्रोटोकाल (नयाचार) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। कम्प्यूटरों को छोड़कर सभी इलेक्ट्रानिक वस्तुओं के निर्यात एवं आयात के लिए इलेक्ट्रानिकी व्यापार तथा प्रौद्योगिकी विकास निगम (ई० टी० टी० डी० सी०) को एक केन्द्रीकृत अभिकरण के रूप में नामित किया गया है और कम्प्यूटरों के मामले में यह जिम्मेदारी कम्प्यूटर अनुरक्षण निगम (सी० एस० सी०) को होगी।

भारत और सोवियत संघ के बीच सम्पन्न किए गए करार के अनुसार, भारत ने इलेक्ट्रानिक वस्तुओं के निर्यात की इच्छा व्यक्त की है जिसका मूल्य आयात किए जाने वाले इलेक्ट्रानिक उत्पादों के मूल्य से 4 गुना अधिक होगा।

दिल्ली में महिला पुलिस कर्मियों की संख्या

7171. **श्रीमती प्रमिला दडवते** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजधानी में विभिन्न रैंकों में महिला पुलिस कर्मियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या यह सच है कि महिला पुलिस कर्मियों की संख्या का अपर्याप्त होना महिलाओं पर और महिलाओं द्वारा अपराध के मामलों से निपटने में एक प्रमुख अड़चन है;

(ग) क्या दिल्ली के दहेज कोष्ठ (सेल) ने कोष्ठ के लिए अधिक पुलिस बल विशेषकर महिला पुलिस के लिए सिफारिश की है; और

(घ) यदि हां तो क्या सरकार महिला पुलिस बल की संख्या बढ़ायेगी ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) (क) राजधानी में महिला

पुलिस कार्मिकों की स्वीकृति संख्या, एक ए० सी० पी० 4 निरीक्षक, 62 उप-निरीक्षक, 35 सहायक उप-निरीक्षक, 32 हैड-कांसटेबल और 45 कांसटेबल हैं। पुलिस उप आयुक्त के एक पद पर भी एक महिला पुलिस अधिकारी है।

(ख) महिला पुलिस सहित दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों की संख्या की लगातार पुनरीक्षण की जाती है और महिला पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव सक्रिय रूप से सरकार के विचाराधीन है। तथापि यह सही नहीं है कि महिलाओं के प्रति अपराधों से निपटने में एक मुख्य अड़चन महिला पुलिस कर्मियों की अपर्याप्त संख्या है।

(ग) और (घ) दहेज विरोध एकक के लिए कुछ और पदों का सृजन विचाराधीन है।

ग्रामीण तकनीक का कार्यान्वयन

7172. **श्री प्रताप भानु शर्मा :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय अनुसंधान विकास परिषद् तथा अन्य अनुसंधान संस्थाओं द्वारा विकसित विभिन्न ग्रामीण तकनीकों के प्रायोगिक प्रयोगों के कार्यान्वयन के लिए कोई योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विभिन्न राज्यों में इसके प्रभावकारी ढंग से कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलैक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) नेशनल रिसर्च डेवेल्पमेंट कार्पोरेशन, जो कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र का एक लाभ निरपेक्ष उपक्रम है, पिछले दशकों से राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, और अन्य अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाओं, विश्वविद्यालयों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों आदि में विकसित ग्रामीण प्रौद्योगिकियों सहित प्रौद्योगिकियों को अर्जित करता चला आ रहा है। एन० आर० डी० सी० ने ग्रामीण प्रौद्योगिकियों का प्रचार करने के लिए चयनित क्षेत्रों में ग्रामीण प्रदर्शन-व-प्रशिक्षण-व-प्रतिकृति केन्द्रों की स्थापना की है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण के लिए ब्रोशूरों, पैम्फलेटों और मुद्रित सामग्री का प्रकाशन करता है। यह ग्रामीण प्रदर्शनियों में भाग लेता है और दृश्य श्रव्य साधनों का इस्तेमाल करते हुए लोगों के लिए उपकरण और प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करता है। यह वाणिज्यिक उपयोगीकरण के लिए उन्हें स्वीकार्य बनाने के लिए अन्वेषणों को अपग्रेड/अपस्केल करने के लिए उद्योगों के सहयोग से विकास परियोजनाओं को जोखिम वित्त मुहैया करता चला

आ रहा है । कार्पोरेशन द्वारा सराहनीय आविष्कारों के लिए पुरस्कार प्रदान करके और पात्र मामलों में वित्तीय सहायता प्रदान करके आविष्कार की भावना को प्रोत्साहित किया जाता है ।

(ख) कार्पोरेशन ने पेय जल से, सम्बन्धित ग्रामीण प्रौद्योगिकियों, खेत अपशेष उपयोग जैसी ऊर्जा प्रणालियों, कम लागत के और सुरक्षित मकानों, फसल की कटाई के के पश्चात् की प्रौद्योगिकियों, ग्रामीण स्वच्छता, साक्षरता सहायक साधनों और महिलाओं के लिए संगत प्रौद्योगिकियों का प्रचार किया है । सी० एस० आई० आर० और विश्व-विद्यालय प्रयोगशालाओं में विकसित उत्पादों और प्रक्रियाओं का उत्पादन के लिए प्रयोग किया जा रहा है । प्रदर्शनी में भाग लेने वालों प्रकाशनों और ब्रोशूरों के माध्यम से इन सूचनाओं को व्यापक रूप से परिचालित किया गया है ।

(ग) एन० आर० डी० सी० ने स्कूल आफ एप्लाइड रिसर्च, सांगली जैसे अन्य कई अभिकरणों के संयोग से हस्तचालित पशु चालित और विद्युत चालित कृषि अपशेष कम्पैक्शन मशीनों, बलवान बैलगाड़ी, जैब-गैस पर चालित लघु दुग्ध प्रशीतन यूनिट आदि से सम्बन्धित प्रौद्योगिकियां विकसित की हैं। नील-हरित शैवाल के बीज उत्पादन और गैर-पारम्परिक मिट्टियों का उपयोग करके ईटों और टाइलों के उत्पादन के लिए नेशनल डेयरी डिवलपमेंट बोर्ड, आनन्द और इन्स्टीटयूट आफ एजुकेशन, पुणे के सहयोग से परि-योजनाएं भी कार्यान्वित की जा रही हैं। ये प्रौद्योगिकियां प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से प्रचारित की जा रही हैं और इस प्रकार के आठ केन्द्र स्थापित किए गए हैं । तीन और केन्द्र कुम्ब्राकुडी (तमिलनाडु) रत्नागिरि (महाराष्ट्र) और इस्नापुरी (आन्ध्र प्रदेश) में कार्यान्वयन के अधीन हैं । 1984-85 के वर्ष के लिए आठ और ऐसे केन्द्र आयोजित किए गए हैं ।

कागज उद्योग को कच्चे माल की आवश्यकता

7173. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कागज उद्योग की आवश्यकताओं, उत्पादन क्षमता कच्चे माल की उपलब्धता और अन्य सम्बद्ध पहलुओं का कोई अध्ययन किया गया है और यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) इस उद्योग के आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी सुधार का ब्यौरा क्या है; और

(ग) कागज उद्योग में उत्पादन बढ़ाने के लिए विशिष्ट प्रस्ताव क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) और (ख) कागज, लुगदी और सम्बद्ध उद्योग की विकास परिषद कागज उद्योग को जिन समस्याओं

का सामना करना पड़ रहा है उसके विभिन्न पहलुओं पर विचार कर रही है। कागज उद्योग, सरकार, वित्तीय संस्थाओं और अन्य सम्बन्धित अभिकरणों द्वारा उपयुक्त उपचारात्मक उपाय/कार्यक्रम तैयार करते समय इस परिषद की सिफारिशों को ध्यान में रखा जाता है। कागज उद्योग ने कच्चे माल के किफायती इस्तेमाल, अधिक उत्पादन, ऊर्जा की खपत में कमी, गुणवत्ता में सुधार, प्रदूषण नियन्त्रण और पुरानी मशीनों के इस्तेमाल को रोकने की दृष्टि से आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी को उन्नत बनाना आरम्भ कर दिया है।

(ग) कागज उद्योग को उत्पादन शुल्क रियायतों और आयातित कच्चे माल के लिए सीमा शुल्क को कम करने/हटाने के रूप में बहुत सी राजकोषीय रियायतें दी गई हैं। इस उद्योग के लिए कायले के आवंटन को बढ़ाकर अवस्थापना सम्बन्धी सहायता में भी सुधार किया गया है।

प्रत्येक योजना में प्राप्त किए गए लक्ष्य

7174. श्री मूल चन्द डागा : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में क्रियान्वित की गई प्रत्येक पंचवर्षीय योजनाओं में राष्ट्रीय आय के निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में प्रत्येक योजना में कितना लक्ष्य प्राप्त किया गया;

(ख) क्या मार्च, 1981 तक राष्ट्रीय आय के 2,24,282,65 करोड़ रुपये के निर्धारित लक्ष्य की तुलना में वास्तविक राष्ट्रीय व्यय 1,004,201,00 करोड़ रुपये हुई और यदि हां, तो इतनी अधिक कमी होने के कारण क्या हैं; और

(ग) यदि राष्ट्रीय आय के निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिए जाते, तो क्या प्रति व्यक्ति आय 1537 रुपये की बजाए 3398 रुपये हो जाती ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) प्रत्येक पंचवर्षीय योजना की अवधि में राष्ट्रीय आय के लक्ष्य और प्राप्त सम्वृद्धि दरें निम्न प्रकार से हैं :—

प्रतिशत

क्रम संख्या	योजना	लक्ष्य	प्राप्त किए गए लक्ष्य
1.	पहली योजना	2.1	3.6
2.	दूसरी योजना	4.5	4.0
3.	तीसरी योजना	5.6	2.2
4.	चौथी योजना	5.7	3.3
5.	पांचवी योजना	4.4	5.1
6.	छठी योजना	5.2	5.4*

* जैसाकि आर्थिक सर्वेक्षण 1983-84 में दिखाया गया है वर्ष 1983-84 में 6 से 7 प्रतिशत की सम्वृद्धि दर को ध्यान में रखते हुए छठी योजना के पहले चार वर्षों में 1980-81 से 1983-84 तक, से सम्बन्धित है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। योजना आयोग ने मार्च, 1981 को राष्ट्रीय आय में 2,24,287,65 करोड़ रु० के लक्ष्य की स्पष्ट रूप से परिकल्पना नहीं की। पंचवर्षीय योजनाओं में राष्ट्रीय आय के लिए लक्ष्यों को पिछली योजना के आधिक वर्ष को आधार वर्ष मानते हुए सम्पूर्ण योजना अवधि के लिए वार्षिक चक्रवृत्ति सम्वृद्धि दरों के रूप में निर्धारित किया जाता है।

विशेष वर्ष के लिए कमियां या तो कुल या प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय में केवल विशेष योजना के आधार वर्ष के सन्दर्भ में अनुमानित की जानी चाहिए। वर्ष 1980-81 की वार्षिक योजना में वर्ष 1979-80 के मुकाबले 7-8 प्रतिशत की समग्र सम्वृद्धि दर की प्रत्याशा की गई थी। यह वर्ष 1979 80 की कीमतों पर वर्ष 1980-81 में 1,101,511—1,02,460 करोड़ रु० का और चालू कीमतों पर 1,13,296—1,14,356 करोड़ रु० का सकल देशीय उत्पाद लक्ष्य (गुणक लागत पर) को लक्षित करता है। इसके मुकाबले, वर्ष 1979-80 की कीमतों पर वास्तविक उपलब्धि 1,01,769 रु० थी और चालू कीमतों पर 1,13,584 रु० थी।

उत्तर बंगाल में कागज उद्योग स्थापित करना

7175 **श्री सुबोध सेन** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर बंगाल में कागज उद्योग स्थापित करने की सरकार की कोई परियोजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

केरल में वातावरण और जल प्रदूषण

7176. **प्रो पी० जे० कुरियन** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हानिकर गैसों और अवशिष्ट पदार्थों के निस्सारण के कारण केरल में वातावरण और प्रदूषण के स्तर के बारे में कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) क्या प्रदूषण के सम्बन्ध में केरल में किसी उपक्रम के विरुद्ध जनता ने कोई प्रदर्शन किया है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में कानून का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पर्यावरण विभाग में उप-मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) केरल बोर्ड ने जल-

प्रदूषण पर अध्ययन किए हैं किन्तु वायु प्रदूषण पर अभी तक कोई भी अध्ययन नहीं किया गया है।

(ख) तथा (ग) जी, हां केरल राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड में कुछ कारखानों के खिलाफ शिकायतें प्राप्त हुई है, ऐसे कारखानों को पर्याप्त प्रदूषण निवारण उपाय उठाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। जहां कहीं आवश्यक पाया गया, वहां कानूनी कार्यवाही भी की जा रही है।

परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिए भारी जल का उत्पादन

7177. **डा० कृपा सिन्धु भोई :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में भारी जल का प्रतिवर्ष कितनी मात्रा में उत्पादन होता है;

(ख) क्या इससे हमारे परमाणु संयन्त्रों की आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी; और

(ग) यदि नहीं, तो वैकल्पित 'माडरेटर' के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) आशा है कि हमारे चालू और निर्माणाधीन भारी पानी संयन्त्र उन परमाणु बिजलीघरों की आवश्यकता की पूर्ति कर सकेंगे जिनकी परिकल्पना अभी की जा चुकी है। भारी पानी के उत्पादन की मात्रा बताना जन-हित में नहीं समझा गया है।

राजधानी में दिल्ली हवाई अड्डे, अंतर्राज्यीय बस अड्डे और रेलवे स्टेशनों पर अपराध की घटनाओं में वृद्धि

7178. **श्री निहाल सिंह :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में दिल्ली हवाई अड्डे, अन्तर्राज्यीय बस अड्डे और रेलवे स्टेशनों पर लूट-पाट के रूप में अपराध की घटनाएं हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले छः महीने के दौरान ऐसी कितनी घटनाएं हुई हैं; और

(ग) इन स्थानों पर यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) पिछले 6 महीनों अर्थात सितम्बर, 1983 से फरवरी, 1984 तक के दौरान, रेलवे स्टेशन पर लूट-पाट की एक घटना और चोरी के 22 मामले हवाई अड्डे पर, 30 मामले अन्तर्राज्यीय बस टर्मिनल पर और 125 मामले रेलवे स्टेशनों पर सूचित किए गए हैं।

(ग) सामरिक महत्व के स्थानों पर वर्दी में और सादे वस्त्रों में पुलिस कार्मिकों की तैनाती की गई है और 24 घंटे की गश्त गहन की गयी है । ज्ञात अपराधियों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाती है । यात्रियों और उनके सामान की सुरक्षा के लिए सभी प्रमुख आने वाली और जाने वाली गाड़ियों में सशस्त्र गार्डों की व्यवस्था की जाती है ।

संविधान के अनुच्छेद 25 की प्रतियों को जलाया जाना

7179. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में संविधान के अनुच्छेद 25 की प्रतियां जलाए जाने की घटनाएं हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली और पंजाब में संविधान के अनुच्छेद 25 की प्रतियां जलाए जाने के लिए कुल कितने लोग गिरफ्तार किए गए हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी हां श्रीमान ।

(ख) इस सम्बन्ध में दिल्ली में 27 व्यक्ति और पंजाब में 173 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं ।

(ग) राष्ट्रीय सम्मान के प्रति अनादर निवारण अधिनियम 1971 की धारा 2 के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए हैं । ये मामले जाँच पड़ताल/न्यायालय में विचारण के लिए लम्बित है ।

उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण का प्रकाशन

7180. **श्री आर० प्रभु** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछली बार उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण सम्बन्धी पूरी जानकारी किस वर्ष प्रकाशित की गई थी;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में काम बाकी पड़ा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) वर्ष 1980-81 और 1982-83 के लिए उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण प्रकाशित करने की लक्षित तिथि क्या है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण की

अद्यतन संक्षिप्त रिपोर्ट में सम्मिलत किए गए सभी प्रतिष्ठानों का सम्बन्ध ए०एस०आई० 1979-80 से है, जबकि अद्यतन ब्यौरेवार रिपोर्ट का सम्बन्ध वर्ष 1973-74 से है।

(ख) जी, हाँ। उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण सम्बन्धी आंकड़ों के ब्यौरेवार सारणीयन का बहुत सा कार्य बाकी पड़ा है।

(ग) विलम्ब के निम्नलिखित मुख्य कारण (जिसके लिए सुधारात्मक कार्यवाही आरम्भ की जा चुकी है) है :—(एक) संगणक केन्द्र में वर्ष 1982 तक विकसित संगणक प्रणाली का अभाव (दो) पंचिंग/सत्यापन मशीनों का पूर्ण प्रयोग (तीन) कलकत्ता तथा दिल्ली के बीच आंकड़ा कार्ड और त्रुटि-सूची के संचलन में अधिक समय लगना एवं (चार) कर्मचारियों की संख्या में तदनुरूपी वृद्धि किए बगैर सम्मिलित किए गए कारखानों की संख्या में वृद्धि।

(घ) उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण की वर्ष 1980-81 तथा 1982-83 की संक्षिप्त रिपोर्ट को क्रमश: मई, 1984 तथा दिसम्बर, 1985 में प्रकाशित करने का लक्ष्य रखा गया है। ब्यौरेवार रिपोर्ट प्रकाशित करने के लिए तदनुरूपी लक्ष्य अभी निर्धारित नहीं किए गए हैं।

केन्द्रीय सचिवालय सेवा में तदर्थ/नियमित पदोन्नतियों को नियमित किया जाना

7181. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव :**

श्री हरिकृष्ण शास्त्री : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्मिक विभाग ने केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपि सेवा के कर्मचारियों की तदर्थ/अनियमित पदोन्नति के लिए समय-समय पर अनुदेश जारी किए हैं;

(ख) क्या कार्मिक विभाग (नोडल एजेंसी) को 16 अक्तूबर, 1976 को जारी किए गए कार्यालय ज्ञापन संख्या 7/6/75-सी०एस०-11 में निहित अनुदेशों का सबग प्राधिकारियों द्वारा उल्लंघन करने के बारे में उक्त तारीख के बाद कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या उल्लंघन के बारे में उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है और उक्त आदेशों का सख्ती से पालन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) (क) जी, हाँ।

(ख) जी, नहीं।

(ग) चूंकि केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा विकेन्द्रीकृत है और मंत्रालय/विभाग अपनी जिम्मेदारियों के क्षेत्र में स्वतन्त्र होकर कार्य करते हैं इसलिए अभ्यावेदन निपटान के लिए उन्हें भेज दिए गए हैं। उपलब्ध रिक्तियों के सम्बन्ध में आंकड़े समय

समय पर प्राप्त किए जाते हैं और तदनुसार पदोन्नति के क्षेत्र (जोन) नियत किए जाते हैं। केन्द्रीय पैनल से रिक्त पदों और जोन से बाहर के व्यक्तियों द्वारा तदर्थ आधार पर धारित पदों के लिए नामांकन किए जाते हैं।

रुग्ण सीमेंट एककों के लिए लेवी कोटा कटौती योजना

7182. **श्री मनमोहन टुडु** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में रुग्ण सीमेंट एककों ने उनके मंत्रालय से उन पर लेवी कोटा कटौती योजना लागू करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो उनके अनुरोध पर विचार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) इस योजना के अन्तर्गत कितने रुग्ण एककों को लाभ पहुंचेगा; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (घ) 28-2-82 से सीमेंट के आंशिक विनियंत्रण की योजना शुरू करने के फलस्वरूप अनेक सीमेंट एककों ने अनुरोध किया था कि उन्हें "रुग्ण" एकक माना जाए ताकि वे लेवी कोटा के निर्धारण के सम्बन्ध में उपलब्ध रियायतों का लाभ उठा सकें। इस प्रयोजन के लिए "रुग्ण" माने गए सीमेंट एककों को लेवी सीमेंट के रूप में अन्य विद्यमान एककों के लिए निर्धारित 66.6 प्रतिशत की तुलना में अधिष्ठापित क्षमता का केवल 50 प्रतिशत देना होता है। मार्च, 82 से फरवरी, 83 तक और मार्च, 1983 से फरवरी, 1984 की अवधि के निम्नलिखित 15 एककों को "रुग्ण" घोषित किया था :—

1. ए०सी०सी० द्वारका
2. ए०सी०सी० शिवालिया
3. ए०सी०सी० लखेरी
4. ए०सी०सी० खलारी
5. ए०सी०सी० सिंदरी
6. जयपुर उद्योग लि०, सवाई माधोपुर
7. रोहतास इंडस्ट्रीज लि०, डालमियानगर
8. सोन वैली पोर्टलैंड सीमेंट कं० लि०, जापला
9. कल्याणपुर लाइम एंड सीमेंट वर्क्स लि०, बंजारी
10. यू०पी० सीमेंट कारपोरेशन, चुर्क

11. यू०पी० सीमेंट कारपोरेशन, डल्ला

12. विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लि०, भद्रावती

13. भारतीय सीमेंट, कारपोरेशन का चरखी दादरी नामक एकक

14. इंडियन सीमेंट्स लि०, शंकर नगर

15. तमिलनाडु सीमेंट कारपोरेशन, अलंगुलम ।

इनमें से 13 एककों ने इस लाभ को वर्ष 1984-85 के लिए जारी रखने के लिए फिर से अनुरोध किया है जिस पर विचार किया जा रहा है ।

निन्दात्मक लेखों का मुद्रण

7183. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1979 से 1983 की अवधि के दौरान, वर्ष-वार सरकार की जानकारी में लाई गई ऐसी पुस्तकों और अन्य प्रकाशनों की संख्या कितनी है जिनमें विशिष्ट धर्मों और उनके पैगम्बरों पर अभ्यारोपण किया गया है;

(ख) क्या ऐसे दुष्कृत्य को राष्ट्रविरोधी मानकर उनकी भर्त्सना की गई थी और इन मामलों को मुकदमा चलाने हेतु अपराध शाखा को भेजा गया; और

(ग) ऐसे दुष्कृत्य करने वाले व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है तथा ऐसे दुष्कृत्य किन राज्यों में हुए ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) और (ग) भारत के नागरिकों के किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आघात पहुंचाने के जानबूझ कर और विद्वेषपूर्ण इरादे से उस वर्ग के धर्म अथवा धार्मिक विश्वासों का अपमान करने अथवा अपमान का प्रयास करना भा०दं०सं० की धारा 295-क के अधीन एक अपराध है । जो प्रकाशन अन्य बातों के साथ भा०दं०सं० की धारा 295-क के उपबंधों को आकृष्ट करते हैं, उन्हें द०प्र०सं० की धारा 95 के अधीन जब्त करने की घोषणा की जा सकती है । परन्तु यह शक्ति राज्य सरकारों को है । इस मामले में मुकदमे भी राज्य सरकारों द्वारा चलाये जाते हैं । जब ऐसे मामले ध्यान में आयें, तो इन्हें उपयुक्त कार्यवाही के लिए सम्बन्धित राज्य सरकार/संघ सम्बन्धित क्षेत्र प्रशासन के ध्यान में लाया जाता है ।

ई०सी०आई०एल० टेलीविजनों के विभिन्न माडलों के लिए बिक्री

7184. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या ई०सी०आई०एल० ने भी ऐसी कोई बिक्री नीति बनाई है जिससे वह अधिक से अधिक सेटों को सस्ते मूल्य पर बिक्री कर सके;

(ख) ई०सी०आई०एल० के विभिन्न माडलों की बिक्री के वर्ष 1982-83 और 1983-84 के आंकड़े क्या हैं;

(ग) विभिन्न सहयोगी फर्मों द्वारा विभिन्न माडलों के कितने सेटों की पूर्ति की जाती है और उनके मूल्य क्या हैं; और

(घ) क्या रंगीन टी०वी० सेट भी घटे मूल्यों पर बेचे जाएंगे ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (डा० एम०एस० संजीवी राव) : कम्पनी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उत्तर नीचे दिए अनुसार हैं :

(क) भारतीय इलेक्ट्रानिकी निगम लिमिटेड (ई०सी०आई०एल०) बाजार के विभिन्न खण्डों में अपना बाजार बनाए रखना चाहता है जिनमें न केवल सस्ते मूल्य के सेट, अपितु ऊंची कीमत के सेट भी शामिल हैं।

(ख) भारतीय इलेक्ट्रानिकी निगम लिमिटेड ने लगभग 40 हजार सेट बेचे हैं जिनमें वर्ष 1982-83 में 6000 रंगीन दूरदर्शन सेट शामिल हैं तथा वर्ष 1983-84 में 35,000 सेट बेचे हैं, जिनमें 2,000 रंगीन दूरदर्शन सेट शामिल हैं।

(ग) भारतीय इलेक्ट्रानिकी निगम लिमिटेड का उप-ठेकेदारों तथा उनसे संबद्ध पार्टियों के साथ व्यावसायिक सम्बन्ध है, जिन्होंने कम्पनी को पिछले तीन वर्षों में लगभग 50,000 सेट उपलब्ध कराए हैं (जिनमें 3 माडल शामिल हैं)।

(घ) भारतीय इलेक्ट्रानिकी निगम लिमिटेड ने हाल ही में रंगीन दूरदर्शन सेटों का निर्माण शुरू किया है। उनके "स्पेक्ट्रा" माडल का मूल्य 5150 रु० हैं जिसमें उत्पादन शुल्क तो शामिल है किन्तु स्थानीय कर अलग से देने होंगे। उनके "सुपर स्पेक्ट्रा" माडल का मूल्य 5,150 रु० हैं जिसमें उत्पादन शुल्क शामिल है किन्तु स्थानीय कर अलग से देने होंगे। मूल्य में किसी परिवर्तन के बारे में सोचना भी समयोचित नहीं है।

अन्तरिक्ष विभाग में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी

7185. **श्री भीखाभाई** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1984 को केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग में अन्तरिक्ष विभाग में काम कर रहे अनुभाग अधिकारियों और अवर सचिवों की कुल संख्या कितनी थी और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों की संख्या कितनी थी;

(ख) क्या यह सच है कि अन्तरिक्ष विभाग में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को अपेक्षित प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कमी को दूर करने के लिए सरकार की वर्तमान नीति क्या है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जनवरी 1, 1984 को, अन्तरिक्ष विभाग में चार अनुभाग अधिकारी तथा तीन अवर सचिव थे । अन्तरिक्ष विभाग केन्द्रीय सचिवालय सेवा में शामिल नहीं है । फिर भी, अवर सचिवों के दो पदों पर इस समय केन्द्रीय सचिवालय सेवा से सम्बद्ध अधिकारी विद्यमान हैं । इनमें से कोई भी अधिकारी अनुसूचित जाति/जनजाति से सम्बन्धित नहीं है ।

(ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जानजाति के लिए आरक्षण के बारे मे विद्यमान आदेशों के अन्तर्गत तीन अवर सचिवों में से किसी भी पद को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशी द्वारा नहीं भरा जाना था । जहां तक चार अनुभाग अधिकारियों का सम्बन्ध है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों प्रत्येक में से एक-एक पद भरा जाना चाहिए था । लेकिन, विभाग में पदोन्नति के लिए पोषक लाइन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसी भी प्रत्याशी के न होने के कारण, आरक्षित पदों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों द्वारा भरना संभव नहीं हुआ । विविध श्रेणियों में नियुक्ति के लिए विभाग में जहां कहीं भी ऐसे प्रत्याशी उपलब्ध हैं, सरकार द्वारा निर्धारित शिथिल मानदण्डों का अनुपालन करते हुए उनके बारे में अपरिहार्य रूप में विचार किया जाता है ।

(ग) इस सम्बन्ध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित प्रत्याशियों को यथासम्भव खुले बजार से भर्ती द्वारा बकाया को पूर्ति करने तथा रिक्तियों को भरने के प्रयास किए जा रहे हैं ।

दिल्ली में गृह मंत्रालय द्वारा किराये पर लिये गये भवनों के लिये किया गया भुगतान

7186. **श्री के०वी०एस० मणि** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में उनके मंत्रालय/अधीनस्थ कार्यालयों के विभिन्न दफ्तर कितने समय से किराए के भवनों में कार्य कर रहे हैं;

(ख) ये कार्यालय कौन-कौन से हैं तथा इन कार्यालयों द्वारा किराए पर लिए गए प्रत्येक भवन का मासिक किराया कितना है;

(ग) उक्त प्रत्येक भवन के लिये, किराए पर लिए गए दिन से लेकर 29 फरवरी, 1984 तक कुल कितना किराया अदा किया गया;

(घ) क्या सरकार अपने कार्यालय इन किराए के भवनों से हटाकर सरकारी भवनों में ले जाना नहीं चाहती यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं; और,

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा राजकोष पर किराए का भार कम करने हेतु अपने कार्यालयों का स्थान बदलने के लिए अभी तक प्रभावकारी कदम न उठाने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) विवरण संलग्न है ।

(घ) और (ङ) सरकार सभी सरकारी कार्यालयों को किराए के आवास से हटाकर सरकारी भवनों में ले जाने की इच्छुक है । परन्तु दिल्ली/नई दिल्ली में सामान्य पूल में कार्यालय आवास की अत्यधिक कमी होने के कारण इन्हें सरकारी भवनों में ले जाना संभव नहीं हुआ है ।

विवरण

दिल्ली में किराए के भवनों में स्थित गृह मंत्रालय के कार्यालयों और उसके सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों का विवरण

क्रम सं०	कार्यालय का नाम	किराये के भवनों की संख्या	तारीख जब से किराये के भवनों में स्थित है	मासिक किराया	29-2-1984 तक अदा किया गया कुल किराया
1.	गृह मंत्रालय	2	फरवरी, 1979 (1-2-79)	24,083.00 रु०	**14,44,980.00 रु०
			मई, 1979 (20-5-79)	49,357.00 रु०	28,30,863.00 रु०
			दिस० 1972 से जुलाई 1973	17,442.50 रु०	01,39,540.00 रु०
			अगस्त 1973 से फरवरी 1984 (संशोधित किराया)	29,652.25 रु०	37,65,835.75 रु०
2.	आसूचना ब्यूरो	2	1959	00,200.00 रु०	25,88,000.00 रु०
			नवम्ब, 1975	25,300.00 रु०	
3.	केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला	1	सितम्बर,1968 से फर० 1969	06,680.00 रु०	00,33,400.00 रु० (8-2-69 को सरकारी भवन में ले जाया गया)
4.	केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल	2	13-10-1976	14,325.00 रु०	16,13,240.00 रु०
			1- 5-1978	5,000.00 रु०	
5.	अपराध विज्ञान तथा विधि विज्ञान संस्था	एक भवन और दो होटल	4-1-1972	29,083.00 रु०	27,79,796 00 रु०

**जनवरी, 1984 तक किराये की अदायगी की गई। 31-1-1984 के बाद पट्टे के नवीकरण का प्रश्न विचाराधीन है।

विभिन्न कार्यालयों में खादी का प्रयोग

7187. **श्री फूलचन्द वर्मा : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने खादी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाएं हैं;

(ख) क्या सरकार केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, रेल मंत्रालय, राष्ट्रपति भवन, संसद सदस्यों के निवास, अस्पतालों आदि में खादी के प्रयोग की सिफारिश कर सकती है;

(ग) उपरोक्त जगहों पर प्रतिवर्ष इस समय खादी का कितना प्रयोग हो रहा है; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) खादी के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा सभी सम्भव उपाय किए जा रहे हैं। खादी कार्यक्रम में कार्यरत कारीगरों और संस्थानों को ब्याज मुक्त ऋण दिए जाते हैं। सरकार खादी के उत्पादों की बिक्री पर भी रियायत देती है। खादी ग्रामोद्योग द्वारा चरखों का सुधरा हुआ माडल तैयार किया गया है और इसे प्रयोग में लाया जा रहा है; चरख के इस माडल से उत्पादकता बढ़ी है और कारीगरों की आय में वृद्धि हुई है।

(ख) कार्मिक विभाग और सरकारी उद्यम ब्यूरो ने सभी विभागों, स्वायतशासी निकायों और सरकारी उद्यमों को अपने कर्मचारियों की वर्दियों के लिए खादी का प्रयोग करने के अनुदेश जारी किए हैं। रेल मंत्रालय और आपूर्ति विभाग ने भी खादी की वस्तुएं जैसे बिछाने की चादरें, दरी, डस्टर, तौलिये का कपड़ा खादी ग्रामोद्योग आयोग से ही खरीदने के लिए आरक्षित कर दी हैं।

(ग) और (घ) केन्द्र सरकार द्वारा पिछले कुछ वर्षों में खादी की खरीद निम्न प्रकार की गई थी :—

वर्ष	(करोड़ रुपये में)
1980-81	4.69
1981-82	3.45
1982-83	2.16

संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारियों द्वारा गोपनीय रिपोर्ट फाइलों (डोजियर) के रखने के बारे में अनुदेश जारी किया जाना

7188. **श्री राम सिंह शाक्य** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग ने 24 अगस्त, 1983 और

18 जनवरी, 1984 के अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या 2/43/80-सी०एस०-iv द्वारा सवर्ग नियंत्रक प्राधिकारियों द्वारा सी०एस०एस०/सी०एस०सी०एस० और सी०एस०एस०एस० से सम्बद्ध कर्मचारियों के सम्बन्ध में गोपनीय रिपोर्ट फाइलें रखने के अनुदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो कितने मंत्रालयों/विभागों ने इस अनुदेशों का पालन किया है;

(ग) क्या गृह मंत्रालय ने भी उक्त अनुदेशों का पालन नहीं किया है; और

(घ) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं और उनका मंत्रालय अपने अधीन कार्यरत सम्बद्ध संवर्ग यूनिटों में काम करने वाले सम्बन्धित कर्मचारियों के सम्बन्ध में सभी गोपनीय रिपोर्ट फाइलों का कार्यभार कब तक ग्रहण कर लेगा ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) अब तक इक्कीस सवर्गों द्वारा नई क्रियाविधि अपनाए जाने की सूचना मिली है।

(ग) तथा (घ) राजपत्रित कर्मचारियों के सम्बन्ध में गृह मंत्रालय द्वारा नई क्रियाविधि का अनुपालन किया जा रहा है। वह मंत्रालय प्रशासनिक सुविधाओं के अभाव के कारण फिलहाल अराजपत्रित कर्मचारियों के बारे में नई क्रियाविधि लागू नहीं कर सका है।

भारत में एक इस्पात संयंत्र की स्थापना के लिए स्वीडन का प्रस्ताव

7189. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह :**

श्री लक्ष्मण मलिक : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वीडन ने भारत में नवीनतम प्रौद्योगिकी पर आधारित एक इस्पात संयंत्र की स्थापना का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो यह इस्पात संयंत्र कहां स्थापित किया जाएगा;

(ग) इस इस्पात संयंत्र को कब तक स्थापित किए जाने की आशा है; और

(घ) उक्त प्रस्ताव को क्रियान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन०के०पी० साल्वे) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) इस्पात बनाने की नई प्रौद्योगिकी का लूलिआ (स्वीडन) के प्रायोगिक संयंत्र में विकास किया जा रहा है। भारत की कच्ची सामग्री के लिए इस प्रक्रिया की उपयुक्तता का मूल्यांकन किया जा रहा है।

सार्वजनिक शिकायतों सम्बन्धी संगठन की स्थापना

7190. **श्री टी०एस० नेगी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कर्नाटक में सार्वजनिक शिकायतों सम्बन्धी एक संगठन कार्य कर रहा है (इण्डिया टूडे 31 मार्च, 1984 के अनुसार);

(ख) क्या केन्द्र सरकार, उत्पादन शुल्क विभाग, आय-कर विभाग आदि जैसे अपने विभागों में व्याप्त अफसरशाही तंत्र से तंग होने वाले सभी नागरिकों की शिकायतों को निपटाने के लिए इसी प्रकार के संगठन की स्थापना करेगी; और

(ग) क्या सरकार ने संविधान के अन्तर्गत की गई व्यवस्था के अनुसार केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए, प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के गठन के बारे में अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया है और राज्यों के लिए एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी, हां ।

(ख) सार्वजनिक शिकायतों के निवारण के लिए केन्द्रीय सरकारी मंत्रालयों/विभागों में एक तंत्र पहले ही विद्यमान है । कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के सचिव सार्वजनिक शिकायतों के आयुक्त हैं तथा इस सम्बन्ध में नीति सम्बन्धी मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए यह विभाग नोडल प्राधिकरण है ।

प्रत्येक मंत्रालय/विभाग में विशेष रूप से उनमें जिनके साथ जनता का काफी वास्ता पड़ता है, सार्वजनिक शिकायतों के शीघ्र और प्रभावी निवारण के लिए समुचित प्रशासनिक व्यवस्था कर ली गई है ।

(ग) सरकारी कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी मामलों से निपटने के लिए संविधान के अनुच्छेद 323-क के अनुसरण में सरकार एक प्रशासनिक न्यायाधिकरण गठित करने का विचार रखती है ।

बिहार में लौह अयस्क खानों का बन्द किया जाना

7191. **श्री हरिहर सोरन** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के चाईबासा क्षेत्र में कितनी लोह अयस्क खानें बन्द कर दी गई है;

(ख) इनमें से कितनी खानों का प्रबन्ध निजी क्षेत्र के हाथ में हैं;

(ग) इनके बन्द किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) उन खानों को पुन: चलाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) (क) से (घ) उपलब्ध जानकारी के अनुसार बिहार के सिंहभूम जिले में स्थित लौह अयस्क की एक खान ने सितम्बर, 1983 से उत्पादन करना बन्द कर दिया था जिसका अन्य कारणों के साथ-साथ एक कारण यह भी था कि खनिज व धातु व्यापार निगम द्वारा वसूली में कमी करने के परिणामस्वरूप इस खान से लौह अयस्क निकालना लाभप्रद नहीं था। चूंकि खनिज व धातु व्यापार निगम दिसम्बर, 1983 के बाद भी इस क्षेत्र से लौह अयस्क प्राप्त कर रहा है, ऐसा प्रतीत होता है कि किसी और खान के वास्तव में बन्द होने की सूचना नहीं मिली है और न ही अन्य समीपवर्ती खनन क्षेत्रों से खान बन्द होने के नोटिस प्राप्त हुए हैं।

पूर्वी क्षेत्र से लौह-अयस्क की खरीद में कमी मुख्यतः पिछले कुछ वर्षों में पारादीप बन्दरगाह की मार्फत निर्यात में कमी के कारण उत्पन्न हुई समस्याओं के कारण हुई है। पारादीप की बन्दरगाह, जो बड़ाजमदा क्षेत्र में लौह-अयस्क के मुख्य खनन क्षेत्रों से लौह-अयस्क के निर्यात के लिए मुख्य बन्दरगाह है, से वर्ष 1978-79 में 17.25 लाख टन लौह-अयस्क निर्यात किया गया था। वर्ष 1982-83 में लौह अयस्क के निर्यात का स्तर घटकर 9.84 लाख टन रह गया।

खनिज व धातु व्यापार निगम से लौह अयस्क के निर्यात के लिए उन देशों का पता लगाने के लिए कहा गया है, जो देश पारादीप बन्दरगाह से अयस्क उठाने के लिए छोटे पोत नियोजित करने के लिए तैयार हों। खनिज व धातु व्यापार निगम चालू वर्ष में पारादीप बन्दरगाह से दक्षिण कोरिया, जर्मन जनवादी गणतन्त्र (जी०डी०आर०) और रूमानिया द्वारा लगभग 7 लाख टन लौह अयस्क खरीदने के लिए उन्हें राजी करने में सफल हो गया है। यह मात्रा जापान को इस्पात मिलों द्वारा खरीदे गए 1.7 लाख टन लौह अयस्क के अलावा है। पारादीप बन्दरगाह से लगभग 7 लाख टन लौह अयस्क के पूर्वानुमानित निर्यात की तुलना में खनिज व धातु व्यापार निगम को वर्ष 1983-84 के दौरान इस बन्दरगाह से लगभग 9 लाख टन अयस्क निर्यात करने की उम्मीद है।

खनिज व धातु व्यापार निगम ग्राहकों को पारादीप बन्दरगाह से अयस्क उठाने पर लगने वाले अधिक भाड़े की प्रतिपूर्ति करने के लिए तैयार है।

खनिज व धातु व्यापार निगम दो बन्दरगाहों पर माल लादने अर्थात पहले पारादीप पर माल लादने और फिर मद्रास बन्दरगाह पर "अपटाप" करने की सम्भावना और इसकी आर्थिक व्यवहार्यता के बारे में विचार कर रहा है।

हाल में पारादीप की बन्दरगाह में काफी लागत से लौह अयस्क उठाने-धरने की सुविधाओं में वृद्धि की गई है।

रात के समय जहाजों के आने-जाने की सुविधा शुरू की गई है ताकि रात के समय भी जहाजों में माल लादा जा सके।

उड़ीसा की सरकार नौवहन और परिवहन मंत्रालय के परामर्श से पारादीप बन्दरगाह की माल धरने की क्षमता में वृद्धि करने और बन्दरगाह की तह में मिट्टी जमने की समस्या का समाधान ढूंढने के लिए पारादीप बन्दरगाह में एक 'ट्रांसशिपर एवं ड्रेजर" रखने की सम्भावना पर विचार कर रही है।

हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में कार्य करने वाले हिन्दी और अंग्रेजी आशुलिपिकों को विशेष वेतन

7192. **श्री केशव राव पारधी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1983 में हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में कार्य करने वाले अंग्रेजी और हिन्दी आशुलिपिकों को 30 रु० प्रतिमाह विशेष वेतन देने का एक निर्णय लिया गया था;

(ख) यदि हाँ, तो इस निर्णय से विभिन्न मंत्रालयों में कितने आशुलिपिकों को लाभ हुआ है;

(ग) क्या यह निर्णय उन हिन्दी आशुलिपिकों पर भी लागू है जो अंग्रेजी का कार्य भी कर रहे हैं;

(घ) यदि नहीं तो इसे समान रूप से लागू न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इस निर्णय से हिन्दी आशुलिपिकों की आगे भर्ती में कमी आने की सम्भावना है; और

(च) क्या सरकार का यह सुनिश्चित करने के लिए कि हिन्दी और अंग्रेजी आशुलिपिकों में भाषा नीति के अन्तर्गत भेद-भाव न किया जाए निर्णय का पुनरीक्षा का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) अंग्रेजी के अतिरिक्त हिन्दी में भी सरकारी काम करने वाले आशुलिपिकों और टाइपिस्टों को क्रमशः 30 रु० और 20 रु० का "हिन्दी प्रोत्साहन भत्ता" देने का 1983 में निर्णय लिया गया था।

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) नहीं।

(घ) यह भत्ता हिन्दी में अपना आशुलिपिक/टाइपिंग का कार्य करने वाले आशुलिपिकों और टाइपिस्टों की पर्याप्त संख्या में उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चाल चलाया गया है ताकि कार्यालय सरकार की राजभाषा नीति के प्रावधानों का बिना रूकावट के अनुपालन कर सकें। यह अंग्रेजी आशुलिपिकों/टाइपिस्टों को हिन्दी में काम करने के लिए एक प्रोत्साहन है।

(ङ) नहीं।

(च) नहीं । जैसा कि ऊपर भाग (घ) के उत्तर से स्पष्ट है, कोई भेद-भाव नहीं है।

बिहार और उड़ीसा में रक्षित लौह अयस्क खान

7193. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही :** क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो इस्पात संयंत्र की बिहार और उड़ीसा सीमा पर कुछ रक्षित लौह अयस्क खानें हैं;

(ख) यदि हां, तो उन लौह अयस्क खानों के नाम क्या हैं;

(ग) उन खानों से बोकारो इस्पात संयंत्र को प्रतिवर्ष कितना लौह अयस्क प्राप्त होता है; और

(घ) उसका ब्योरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन०के०पो० साल्वे) (क) और (ख) बोकारो इस्पात कारखाने की बिहार में लौह-अयस्क की अपनी खान है। मेघाटाबुरु (बिहार) में एक अन्य रक्षित खान निर्माणाधीन है।

(ग) और (घ) पिछले दो वर्षों में किरिबुरु की खान से बोकारो इस्पात कारखाने को लौह-अयस्क की सप्लाई निम्न प्रकार हुई है :—

वर्ष	(हजार टन) किरिबुरु की खान से बोकारो इस्पात कारखाने को लौह-अयस्क की सप्लाई
1982-83	2778
1983-84	3100
— योजना	
— वास्तविक (अप्रैल 1983 से फरवरी 1984 तक)	23 0 (लगभग)

सीमेंट की मांग और उत्पादन

7194. **श्री जगन्नाथ पाटिल :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1983 को समाप्त हुए पिछले तीन वर्षों में सीमेंट की माँग कितनी थी और उसी अवधि के दौरान सीमेंट का राष्ट्रीय उत्पादन कितना था;

(ख) सप्लाई और मांग के बीच यदि कोई अन्तर था, तो उसे कैसे पूरा किया गया और उन देशों के नाम क्या हैं; जिनसे सीमेंट का आयात किया गया और कितना-कितना;

(ग) सातवीं योजना अवधि के दौरान देश में सीमेंट का उत्पाद बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) महाराष्ट्र में कितने नए सीमेंट कारखाने स्थापित किए जा रहे हैं और उनकी क्षमता कितनी होगी ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) छठी पंचवर्षीय योजना के पहले 3 वर्षों के दौरान सीमेंट उद्योग संबंधी कार्यकारी दल द्वारा कुछ पूर्वानुमानों के आधार पर सीमेंट की अनुमानित मांग और सीमेंट का देश में उत्पादन इस प्रकार रहा :—

	(लाख मी० टन में)	
	मांग	उत्पादन
1980-81	279.9	185.6
1981-82	302.2	210.6
1982-83	326.4	233.0

(ख) मांग और आपूर्ति के बीच के अन्तर के कुछ अंश को आयात द्वारा पूरा किया गया था। वर्ष 1980-81 से 1982-83 के दौरान किए गए सीमेंट का आयात नीचे दिखाया गया है :—

	(लाख मी० टनों में)
1980-81	19.74
1981-82	15.78
1982-83	15.43

जिन देशों में आयात किया गया उनके नाम ये हैं :—कोरिया गणराज्य, कोरिया का लोकतंत्रीय गणतंत्र, जापान, इण्डोनेशिया, फिलीपाइन्स, वियतनाम, ताईवान और पोलैंड।

(ग) सीमेंट उद्योग को उत्पादन बढ़ाने के लिए यथा सम्भव अवस्थापना सम्बन्धी निविष्टियां उपलब्ध कराने के सभी प्रयास किए जायेंगे।

(घ) महाराष्ट्र में 19.66 लाख मी० टन की कुल क्षमता के चार नये सीमेंट

एककों और 11.09 लाख मी० टन का पर्याप्त विस्तार किए जाने के लिए स्वीकृत दे दी गई है।

बाक्साइट का उत्पादन

7195. **श्री कृष्ण चन्द पांडे :**

श्री सुशील भट्टाचार्य : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 27 जनवरी, 1984 के दैनिक "नवभारत टाइम्स" में प्रकाशित इस समाचार में कितनी सच्चाई है कि विश्व के कुल बाक्साइट भंडार का आठ प्रतिशत भारत में है जबकि विश्व में एल्यूमिनियम के कुल उत्पादन में भारत का भाग केवल 2·5 प्रतिशत है और उसके कारण क्या हैं; और

(ख) क्या सरकार बाक्साइट के वर्तमान उत्पादन से अधिक उत्पादन को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पो० साल्वे) : (क) भारतीय खनिज वर्ष पुस्तक, 1980 के अनुसार भारत में बाक्साइट के अब तक सुलभ भंडार 2489 मि० टन हैं जबकि विश्व में ये भंडार 24,200 मि० टन है। उसी वर्ष में विश्व में एल्यूमिनियम का उत्पादन 15.361 मि० टन था जबकि भारत में 0.185 मि० टन था। यद्यपि देश में इस समय एल्यूमिनियम की स्थापित क्षमता 3,62,000 टन है, 1983-84 में एल्यूमिनियम का उत्पादन केवल 2,20,286 टन हुआ। कम क्षमता का उपयोग मुख्यत: प्रदावकों को बिजली की अपर्याप्त पूर्ति के कारण हुआ।

(ख) नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लि० द्वारा उड़ीसा में निर्माणाधीन एकीकृत एल्यूमिनियम परियोजना को बाक्साइट खान में बाक्साइट स्थापित क्षमता 2.1 मि० टन प्रति वर्ष होगी। आन्ध्र प्रदेश में 2.3 मि० टन क्षमता वाली एक नई बाक्साइट खान, जिसकी बाद में 4 मि० टन प्रति वर्ष तक विस्तार की सम्भावना है, के लिए भी प्रस्ताव तैयार किए गए हैं।

इस्पात संयंत्रों का आधुनिकीकरण

7196. **श्री नित्यानन्द मिश्र :**

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या इस्तात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के विभिन्न इस्पात संयंत्रों के आधुनिकीकरण का कार्यक्रम आरम्भ किया है;

(ख) क्या कुछ इस्पात संयंत्रों के आधुनिकीकरण का कार्यक्रम विदेशी सहयोग से आरम्भ किया गया है;

(ग) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र के विभिन्न इस्पात संयंत्रों के आधुनिकीकरण में सहयोग करने वाले देशो के नाम क्या हैं; और

(घ) राउरकेला इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण के कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए जर्मन संघीय गणराज्य से मांगी गई तकनीकी सहायता का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) से (ग) कारखाने की सुविधाओं का आधुनिकीकरण (प्रौद्योगिकीय दृष्टि से सुधार) करना तथा उनमें सुधार करना एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है और इसके लिए योजनाएं बनाई जाती हैं और कार्यान्वित की जाती हैं।

राउरकेला इस्पात कारखाने में कई योजनाएं शुरू की गई हैं। इन योजनाओं में विसंघकीकरण सुविधाओं की व्यवस्था, सेकेन्डरी स्टील रिफ डनिंग, सिलिकन इस्पात का उत्पादन, पाइपों का सीम नार्मलाइज करना, जस्तीकरण में जैट कोटिंग तथा 60-60 मेगावाट के दो रक्षित विद्युत संयंत्र लगाने की योजनाएं शामिल हैं। इन योजनाओं पर कुल 340 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

इसी प्रकार दुर्गापुर इस्पात कारखाने में परिवर्धन तथा संशोधन की गई योजनाएं चल रही हैं। इन योजनाओं में कोक को काटने की सविधाओं की व्यवस्था, पहिए तथा धुरों के संयंत्र के लिए अनुपूरक सुविधाओं की व्यवस्था, बोलानी में अयस्क के चूरे को शोधित करने तथा 60-60 मेगावाट के दो रक्षित विद्युत संयंत्र लगाने की योजनाएं शामिल हैं। इन योजनाओं पर कुल 96 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

मिश्र इस्पात सयत्र का विस्तार करने के कार्यक्रम के अन्तर्गत 65.98 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से इस कारखाने को इस्पात बनाने की सुविधाओं का आधुनिकीकरण किया जा रहा है जिससे इस कारखाने की वार्षिक क्षमता 1,60,000 टन से बढ़कर 2,60,000 टन हो जाएगी।

इसके अलावा राउरकेला तथा दुर्गापुर के इस्पात कारखानों की प्रौद्योगिकी में सधार करने, सशक्त बनाने तथा इन कारखानों का आधुनिकीकरण करने के सम्बन्ध में योजनाएं बनाई गई हैं ताकि ये कारखाने संभावित न्यूनतम लागत से स्थापित क्षमता पर उत्पादन कर सकें। ये प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं। कई देशों ने इन योजनाओं में सहयोग देने में अभिरुचि दिखाई है। इन प्रस्तावों को सरकार की स्वीकृति मिलने के पश्चात ही इस बात का निर्णय लिया जाएगा कि विदेशों से किस प्रकार अच्छे ढंग से वित्तीय सहायता तथा प्रौद्योगिकी प्राप्त की जा सकती है।

इस्को के बर्नपुर स्थित कारखाने का आधुनिकीकरण और इसमें प्रौद्योगिकीय सुधार करने के लिए शक्यता रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

(घ) राउरकेला इस्पात कारखाने में प्रौद्योगिक दृष्टि से सुधार करने तथा इस कारखाने का आधुनिकीकरण करने के सम्बन्ध में जर्मन संघीय गणराज्य से कोई तकनीकी सहायता नहीं माँगी गई है ।

बोकारो इस्पात संयंत्र द्वारा कोलतार का जलाया जाना

7197. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह :**

श्री धर्मवीर सिन्हा : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला इस्पात संयंत्र कोलतार नहीं जलाते हैं जबकि बोकारो इस्पात संयंत्र इसे जलाता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस कोलतार से विभिन्न अन्य उत्पादों का निर्माण किया जा सकता है जिसका लघु उद्योगों द्वारा उपयोग किया जा सकता है; और

(ग) यदि हां, तो बोकारो इस्पात संयंत्र में कोलतार का उपयोग करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं अथवा किए जाने का विचार है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) से (ग) सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों में उत्पादित कोलतार प्रत्येक इस्पात कारखाने में अपनाई गई प्रौद्योगिकी तथा स्थापित किए गए उपकरों के आधार पर थोड़ी अधिक मात्रा में ईंधन के तौर पर इस्तेमाल हो जाता है । कोलतार के उपोत्पाद उत्पादित किए जा रहे हैं तथा लघु और अन्य इकाइयों को बेचे जा रहे हैं । बोकारो इस्पात कारखाने में उत्पादित कोलतार का इस्तेमाल इस्पात कारखाने में ही हो जाता है । फिर भी बोकारो इस्पात कारखाने में ईंधन के तौर पर कोलतार के इस्तेमाल में बचत करने की दृष्टि से वैकल्पिक ईंधन की व्यवस्था करने के लिए एक योजना कार्यान्वित की जा रही है । इससे कुछ कोलतार आसवन के लिए बच जाएगा जिससे बिक्री के लिए उपोत्पाद तैयार किए जाएंगे ।

जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा अल्पसंख्यक आयोग और अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति आयोग को मान्यता न दिया जाना

7198. **श्री पी० नामग्याल :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जम्मू और कश्मीर सरकार ने अल्संख्यक आयोग और भारत के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को मान्यता देने से इन्कार कर दिया है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने इन आयोगों को मान्यता न देने के कारणों की मांग की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) भूतपूर्व गृह मन्त्री ने मार्च, 1979 में, जम्मू और कश्मीर के तत्कालीन मुख्य मन्त्री से, जंम्मू और कश्मीर राज्य पर अल्पसंख्यक आयोग की न्याय व्यवस्था को स्वीकार करने का अनुरोध किया था। मुख्य मन्त्री ने उत्तर दिया था कि उन्हें यह सलाह दी गई है कि अल्पसंख्यक आयोग की न्याय व्यवस्था को संविधान के अनुच्छेद 370 के अनुसार ही बढ़ाया जा सकता है। तथापि मुख्य मन्त्री ने सुझाव दिया था कि जम्मू और कश्मीर राज्य में अल्पसंख्यकों के कल्याण के बारे में केन्द्र सरकार के समक्ष किसी अभ्यावेदन या शिकायत को राज्य सरकार को उनके विचारार्थ भेजा जा सकता है।

2. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सम्बन्ध में, राज्य सरकार आयोग को आवश्यक सुविधाए दे रही हैं और जब कभी आयोग द्वारा कोई सूचना/रिपोर्ट मांगी जाती है, उसे भेजा जाता है।

मणिपुर के भूतपूर्व मुख्यमत्री की हत्या

7199. **श्री बी० डी० सिंह** :

श्री रशीद मसूद : क्या गृह मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उग्रवादियों द्वारा हाल ही में मणिपुर के मुख्य मन्त्री की हत्या कर दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई गिरफ्तारी की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी हां, श्रीमान। मणिपुर के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री श्री वाई० शैजा की हत्या 30 जनवरी, 1984 को की गई थी।

(ख) और (ग) नौ व्यक्ति गिरफ्तार/नजरबन्द किए गए।

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों का उत्पीड़न/ उनके साथ अन्याय

7200 **श्रीमती समति उसरांव** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा 1968 में नियुक्त "सी० एस० आई० आर० के मामलों

की जांच सम्बन्धी सरकार आयोग" की रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के समय से अब तक सी० एस० आई० आर० के वैज्ञानिकों के सेवा सम्बन्धी मामलों में उत्पीड़न/उनके साथ अन्याय के कितने मामले सी० एस० आई० आर०/मन्त्रालय के ध्यान आए हैं;

(ख) सी० एस० आई० आर०/मन्त्रालय द्वारा इस प्रकार के मामलों में उचित ध्यान देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और/अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है और उनके अब तक क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) सी० एस० आई० आर० के वैज्ञानिकों का उत्पीड़न किए जाने की बराबर बढ़ती हुई प्रवृत्ति के सम्बन्ध में मन्त्रालय की यदि कोई प्रतिक्रिया है तो क्या है और भविष्य में इसे बढ़ने से रोकने के लिए क्या प्रस्ताव है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष इलैक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला (एन० एम० एल०), जमशेदपुर, सी० एस० आई० आर० की एक प्रयोगशाला, के एक वैज्ञानिक से दिनांक 21-9-1983 का एक अभ्यावेदन के उपरान्त दिनांक 31 जनवरी, 1984 का एक अधिक विशिष्ट अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि अध्यक्ष सी० एस० आई० आर० द्वारा 1968 में नियुक्त सरकार जाँच समिति के समक्ष उनके द्वारा ज्ञापन दिए जाने के कारण उन्हें तंग किया जा रहा है। यह अभ्यावेदन 1972 के तथ्यों से सम्बन्धित है और महानिदेशक द्वारा इसकी शीघ्रता पूर्वक जाँच पड़ताल की जा रही है।

(ख) वैज्ञानिकों से प्राप्त ऐसी शिकायतों पर सी० एस० आई० आर० द्वारा सावधानी पूर्वक जाँच की जाती है और आवश्यकतानुसार ठीक करने के लिए कदम उठाए जाते हैं।

(ग) उपरोक्त (क) और (ख) को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न ही नहीं उठता।

बर्न स्टैंडर्ड कम्पनी में तालाबन्दी

7201. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्न स्टैण्डर्ड कम्पनी लिमिटेड, रानीगंज के प्रबन्धकों ने दुर्गापुर वर्क्स में 8 फरवरी, 1984 से तालाबन्दी की घोषणा कर दी है;

(ख) उक्त तालाबन्दी के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने संघ की इस शिकायत कि तालाबन्दी गैर कानूनी है, की जाँच करने के लिए कोई कार्यवाही की है;

(घ) क्या यह भी सच है कि बर्न स्टैण्डर्ड कम्पनी लिमिटेड, रानीगंज के प्रबन्धकों ने कामगारों की मांगों के सम्बन्ध में 1979 के पिछले समझौते को भी ठीक तरह से कार्यान्वित नहीं किया है;

(ङ) क्या यह भी सच है कि प्रबन्धकों ने तालाबन्दी की घोषणा करते समय कामगारों के पाक्षिक वेतन में से मजदूरी काट ली है; और

(च) क्या सरकार तालाबन्दी खत्म कराने और बातचीत द्वारा विवादों को हल करने के लिए कदम उठा रही है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संग्न है।

(ग) ऊपर भाग (ख) के उत्तर में दिए गए कारणों को देखते हुए तालाबन्दी प्रथम दृष्टि से गैर-कानूनी प्रतीत नहीं होती है। फिर भी, इस समय इस मामले में अपर श्रम आयुक्त, पश्चिम बंगाल सरकार के साथ समझौता किया जा रहा है।

(घ) कामगारों की मांगों के सम्बन्ध में 1979 के समझौते को कार्यान्वित कर दिया गया है। फिर भी कुछ विषयों जिन पर यूनियन ने विवाद उठाए थे, पर समझौता किया जा रहा है।

(ङ) मजदूरी भुगतान अधिनियम के अनुसार मजदूरों में आनुपातिक कटौती केवल उन कामगारों के मामले में की गई है जिन्होंने तालाबन्दी से पूर्व कामबन्दी का रास्ता अपनाया था।

(च) पश्चिम बंगाल सरकार के समझौता अधिकारी ने 18-2-1984 से इस मामले में समझौता कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है।

विवरण

शुरू में रानीगंज रिफैक्टरीज समूह (बी० एस० सी० एल०) के दुर्गापुर एकक के एक विभाग के कामगारों ने "धीमे काम करो" का रास्ता अपनाया; 5-1-1984 से रुक-रुक कर काम बन्द करने के बारे में बताया गया था जिसके परिणामस्वरूप सारे कारखाने में काम पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया। प्रबन्धकों द्वारा समझाने बुझाने, बातचीत और यूनियनों के साथ विचार-विमर्श, चेतावनी नोटिस देने, आदि के जरिए सामान्य स्थिति लाने के लिए प्रयास किए गए थे। चूंकि 3-2-1984 तक कोई स्पष्ट सुधार नहीं दिखाई दिया था, अतः प्रबन्धकों द्वारा 4-2-1984 को आंशिक तालाबन्दी की घोषणा की गई थी। आंशिक तालाबन्दी की घोषणा के बाद अनुशासनहीनता के कार्यों की रिपोर्ट मिली थी और एरिया जनरल मैनेजर सहित वरिष्ठ अधिकारियों को गालियां

दी गई थी, उन्हें धमकाया गया था और 24 घंटे तक गैर-कानूनी तौर से रोके रखा गया था । बाद में उनको पुलिस प्राधिकारियों द्वारा छुड़ाया गया था । टेलीफोन के तार भी काट दिए गए थे। यह बताया जाता है कि कुछ नेताओं द्वारा श्रमिकों को उकसाने के लिए उत्तेजनात्मक भाषण दिए गए थे। अधिकारियों को शारीरिक रूप से चोट पहुंचाने की धमकी गई थी और यहां तक कि जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। कम्पनी परिसर के साथ लगे कम्पनी के रिहायशी क्वार्टरों में रहने वाले अधिकारियों के परिवार के सदस्यों को भी रोके रखा गया था और खाद्य-पदार्थ आदि प्राप्त करने में भी रुकावट डाली गई थी। इससे उनमें आतंक और असुरक्षा की भावना पैदा हो गई। इन घटनाओं को ध्यान में रखते हुए प्रबन्धकों के पास 8-2-1984 से पूर्ण तालाबन्दी घोषित करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था।

औद्योगिक रुग्णता के मामले

7202. **श्री बृज मोहन महंती :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) कैलेण्डर वर्ष 198१ की समाप्ति पर कितने लघु, मध्यम और बड़े औद्योगिक यूनिट रुग्ण थे और क्या औद्योगिक रुग्णता की प्रवृत्ति देश में बढ़ रही है;

(ख) 1982-83 में औद्योगिक रुग्गणता के कारण औद्योगिक उत्पादन का कितना नुकसान हुआ;

(ग) मूल प्रयोजन से हट कर अन्य प्रयोजनों के लिए धन का उपयोग करने और उद्यमियों, व्यापार गृहों और प्रबन्धकों द्वारा कदाचारों के कारण औद्योगिक रुग्णता के कितने मामले सरकार के ध्यान में लाए गये हैं और ऐसे एककों का विवरण क्या है;

(घ) क्या बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने इस प्रकार के कदाचारों को रोकने के लिए अपनी भूमिका निभायी है और उसका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा औद्योगिक रुग्णता को रोकने और उनके पुनःस्थापन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) दिसम्बर, 1983 को रुग्ण एकक सम्बन्धी आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए नवीनतम (अनन्तिम) आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1980, 1981 और 1982 के अन्त में बड़े, मझौले और लघु रुग्ण औद्योगिक एककों की संख्या निम्नलिखित है :—

	1980	1981	1982
बड़े	409	422	450
मझौले	992	994	1,165
लघु औद्योगिक एकक	23,149	23,342	58,534
योग :	24,550	26,758	60,140

* पहले के वर्षों के आंकडों के साथ तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि भारतीय स्टेट बैंक ने लघु एककों को अपनी रुग्ण एककों की सूची में अस्वीकृत बिलों रद्द लेखों में शामिल किया है जो पहले दिए गए आंकड़ों में शामिल नहीं थे ।

(ख) आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ग) यद्यपि रुग्णता के एक से अधिक कारण हैं किन्तु बैंकों की जानकारी के अनुसार दिसम्बर, 1979 के अन्त में 378 बड़े रुग्ण औद्योगिक एककों में से 197 की रुग्णता के मुख्य कारण आपसी झगड़े, धनराशि के अन्य कार्यों में व्यय किए जाने सहित कुप्रबन्ध या प्रबन्ध-व्यवस्था में अकुशलता और विपणन कार्यनीति की कमी थी । साहूकारों के बीच प्रचलित व्यापार और व्यवहार के अनुसार साथ-साथ राष्ट्रीयकृत बैंकों को नियन्त्रित करने वाले कानूनों के उपबन्धों के अनुरूप बैंकों के प्रत्येक घटक का नाम बताना सम्भव नहीं होगा ।

(घ) धनराशि के दुरुपयोग और बेईमान प्रवर्तकों द्वारा संधाधनों के प्रत्यावर्तन को रोकने के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थाओं ने मानीटरिंग प्रणाली विकसित की है । वे कर्जदारों की केवल जायज आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरतते हैं कि कर्जदारों द्वारा निकाली गई राशियां वास्तव में उनकी जायज आवश्यकताओं के अनुसार न्यायसंगत हैं और इन राशियों का उन प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जाता है जिनके लिए वे निकाली जाती हैं ।

(ङ) औद्योगिक रुग्णता से निपटने के लिए सरकार ने केन्द्रीय मन्त्रालयों, राज्य सरकारों और वित्तीय संस्थाओं के मार्गदर्शन के लिए कुछ नीति सम्बधी उपायों की घोषणा की है । इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों की मुख्य बातें 24 मार्च, 1982 को लोक सभा के अतारांकित प्रश्न सख्या 4974 के उत्तर में बता दी गई थीं ।

स्क्रैप री-रोलर मिलों के लिए कच्चा माल

7203. **श्री के० राममूर्ति :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में स्क्रैप री-रोलर मिलों की स्थिति डांवाडोल है क्योंकि उन्हे उनका प्रमुख कच्चा माल अर्थात् पुन: रोल किया जा सकने वाला स्क्रैप न तो आयात के माध्यम से मैटल स्क्रैप ट्रेड कार्पोरेशन से प्राप्त हो रहा है और न ही भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड से प्राप्त हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो स्क्रैप रोलर मिलों को बन्द होने से बचाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) और (ख) पुनर्वेलन उद्योग; जिसमें स्क्रैप पुनर्वेलन भी शामिल हैं, मुख्य रूप से छड़ों तथा गोल छड़ों का उत्पादन करते हैं। पुनर्वेलन इकाइयों को वंकल्पित सामग्री, जिसमें पुन:रोल किया जा सकने वाला स्क्रैप भी शामिल है, की समग्र उपलब्धि देश की तैयार उत्पादों की आवश्यकता के अनुरूप पर्याप्त रही है।

दक्षिण कोरियाई कम्पनी द्वारा टी० वी० सैटों की सप्लाई

7204. **श्री विरदा राम फुलवारिया** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 24 मार्च, 1984 के नवभारत टाइम्स में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि एक दक्षिण कोरियाई कम्पनी ने भारत को 500 रुपये की दर से टेलीविजन सेट सप्लाई करने की पेशकश की है;

(ख) क्या यह सच है कि दक्षिण कोरियाई कम्पनी ने इस वर्ष के दौरान 20 से 30 लाख टी० वी० सेटों की मांग को देखते हुए 19 इंच की स्क्रीन वाले टी० वी० सेटों की सप्लाई की पेशकश की है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार कोरिया से टी० वी० सेट खरीदने पर विचार कर रही है अथवा उन्हें किसी अन्य देश से खरीदे जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) सरकार ने कितने टी० वी० सेटों की खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है और इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उपमन्त्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) तथा (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

मध्य प्रदेश में 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत धनराशि का आवंटन

7205. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न योजनाएं चलाने के लिए मध्य प्रदेश को कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) इस प्रयोजन के लिए अन्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से सम्बन्धित तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं; और

(ग) वर्ष 1984-85 हेतु मध्य प्रदेश तथा अन्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कितनी-कितनी धनराशि का अनुरोध किया गया था और उन्हें कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) 20-सूत्री कार्यक्रम की 14-1-82 को घोषणा की गई थी और इसका कार्यान्वयन वार्षिक योजना 1982-83 के अन्तर्गत शुरू किया गया था। इसलिए 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत परिव्ययों से सम्बन्धित सूचना 2 वर्षों अर्थात् 1982-83 और 1983-84 के लिए उपलब्ध है। क्योंकि 20-सूत्री कार्यक्रम, राज्य योजनाओं का एक अभिन्न अंग है, इसलिए इस कार्यक्रम के लिए अलग से परिव्यय निर्धारित नहीं किए जाते हैं। तथापि यह राज्य योजनाओं से लिए जाते हैं। वर्ष 1982-83 और 1983-84 के लिए मध्य प्रदेश की योजना में 20-सूत्री कार्यक्रम के लिए क्रमशः 563.67 करोड़ रु० और 701.44 करोड़ रु० की व्यवस्था किए जाने का अनुमान है।

(ख) वर्ष 1982-83 और 1983-84 के दौरान 20-सूत्री कार्यक्रम के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में परिव्ययों को बताने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) वर्ष 1984-85 में 20-सूत्री कार्यक्रम के लिए परिव्ययों के बारे में सूचना 1984-85 के वार्षिक योजना दस्तावेज में उपलब्ध होगी जो सभी राज्य के प्रस्तुत होने के बाद संसद में रखा जाएगा।

विवरण

1982-83 और 1983-84 के दौरान 20-सूत्री कार्यक्रम से सम्बन्धित परिव्यय

(करोड़ रु०)

क्र० सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1982-83	1983-84
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	435.80	613.84
2.	असम	154.13	192.24

1	2	3	4
3.	बिहार	491.26	509.35
4.	गुजरात	477.68	653.63
5.	हरियाणा	200.83	265.69
6.	हिमाचल प्रदेश	59.19	79.11
7.	जम्मू और कश्मीर	74.41	80.05
8.	कर्नाटक	322.24	392.75
9.	केरल	147.14	183.53
10.	मध्य प्रदेश	563.67	701.44
11.	महाराष्ट्र	853.83	953.77
12.	मणिपुर	29.68	26.48
13.	मेघालय	20.13	20.48
14.	नागालैंड	11.74	13.55
15.	उड़ीसा	221.7[illegible]	262.43
16.	पंजाब	269.21	303.22
17.	राजस्थान	234.38	273.22
18.	सिक्किम	8.60	9.58
19.	तमिलनाडु	357.64	458.71
20.	त्रिपुरा	21.64	31.20
21.	उत्तर प्रदेश	827.53	895.03
22.	पश्चिम बंगाल	299.40	289.45
23.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	4.88	6.54
24.	अरुणाचल प्रदेश	16.76	18.82
25.	चंडीगढ़	4.99	7.07
26.	दादरा और नागर हवेली	4.73	4.18
27.	दिल्ली	56.91	74.76
28.	गोवा, दमन और दीव	19.01	21.52
29.	लक्ष्यद्वीप	1.18	0.72
30.	मिजोरम	13.00	10.65
31.	पांडिचेरी	7.22	7.55

बोकारो धमन भट्टी से निकलने वाला धातु-कचरा

7206. **श्री धर्मवीर सिन्हा :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि परियोजना रिपोर्ट के अनुसार बोकारो धमन भट्टी से निकलने वाले धातु-कचरे की प्रतिशतता 80 होनी चाहिए;

(ख) वास्तविक रूप से 60 प्रतिशत धातु-कचरा निकलने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या यह धातु-कचरा बिहार में सीमेंट उद्योग के लिए अत्यधिक उपयोगी है और यदि हां, तो इसे अन्य राज्यों को भेजने के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पो० साल्वे) : (क) और (ख) बोकारो इस्पात कारखाने की परियोजना रिपोर्ट में यह परिकल्पना की गई थी कि कारखाने में एक टन तप्त धातु का उत्पादन होने पर धमन-भट्टी से 574 किलोग्राम अथवा 57.4 प्रतिशत धातुमल निकलेगा। अप्रैल, 1983 से जनवरी, 1984 की अवधि में कारखाने में उत्पादित तप्त धातु से 561 किलोग्राम प्रति टन अथवा 56.1 प्रतिशत की दर से धातुमल निकला है। प्रौद्योगिकी दृष्टि से यह एक सराहनीय बात है।

(ग) बोकारो इस्पात कारखाना उत्तर प्रदेश तथा बिहार, दोनों राज्यों में स्थित सीमेंट बनाने के कारखाने को दानेदार धातुमल सप्लाई कर रहा है।

उत्तर प्रदेश तथा बिहार में सीमेंट बनाने के कारखानों की सम्भावित खरीद के कार्यक्रम को ध्यान में रखकर सरकार ने वर्ष 1976 में इन राज्यों के सीमेंट बनाने के कारखानों को दानेदार धातुमल का आबंटन किया था। उस समय उत्तर प्रदेश (राज्य सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र में सीमेंट बनाने का एक कारखाना) को प्रतिवर्ष 8 लाख टन तथा बिहार में स्थित कारखानों को 2.8 लाख टन दानेदार धातुमल का आबंटन करने का निश्चय किया गया था। जनवरी, 1983 में बिहार के लघु क्षेत्र के सीमेंट के छोटे-छोटे कारखानों को 0.12 लाख टन दानेदार धातुमल का और आबंटन किया गया था। इसके अलावा यह भी स्वीकार कर लिया गया है कि जैसे ही दानेदार धातुमल के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए अतिरिक्त सुविधाओं तथा परिवहन की व्यवस्था हो जाएगी, वैसे ही बिहार में सीमेंट बनाने के कारखानों को 3.75 लाख टन दानेदार धातुमल का और आबंटन किया जाएगा।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के फील्ड स्टाफ के लिए तकनीकी वर्ग

7207. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :** क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के फील्ड-स्टाफ ने अपने संवर्ग को तकनीकी संवर्ग घोषित कराने की मांग की है; और

(ख) यदि हाँ, तो उन्हें तकनीकी-स्टाफ घोषित करने तथा उन्हें तकनीकी कर्मचारियों के वेतनमान देने में क्या कठिनाई है ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी, हाँ ।

(ख) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के क्षेत्र कर्मचारियों की निर्धारित योग्यता ऐसी है जिसके आधार पर उन्हें तकनीकी संवर्ग घोषित करना उचित नहीं है ।

मारुति डीलरों से धन एकत्र करना

7208. **प्रो० सैफुद्दीन सोज** : **क्या उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मारुति कारों के 83 डीलरों में से प्रत्येक डीलर से 3 लाख रुपये की धनराशि एकत्र की गई थी;

(ख) क्या इस कम्पनी के राष्ट्रीयकरण के बाद आस्तियों और देनदारी का तुलन-पत्र तैयार किया गया था तथा उक्त डीलरों को धनराशि वापिस कर दी गई थी; और

(ग) क्या मारुति उद्योग लिमिटेड ने 25 लाख रुपये के सेन्ट्रल बैंक के ऋण सहित मारुति लिमिटेड की देनदारी स्वीकार कर ली है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (ग) भूतपूर्व मेसर्स मारुति लि० का राष्ट्रीयकरण किया गया तथा नई कम्पनी मारुति उद्योग लि० ने इसके उपक्रमों को अधिकार में लिया लेकिन इसकी देनदारियों को नहीं लिया । इन देनदारियों की जांच भुगतान आयुक्त द्वारा की जा रही है । भुगतान आयुक्त को भेजे गये विभिन्न क्लेमों में से 84 मामले डीलरशिप हेतु जमाराशियों की वापसी के लिए हैं और एक क्लेम सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया का है । इन क्लेमों पर भुगतान आयुक्त द्वारा मारुति लि० (उपक्रमों की अधिग्रहण तथा हस्तांतरण) अधिनियम, 1980 के उपबन्धों के अनुसार विचार किया जा रहा है ।

दिल्ली के रेस्टोरेन्टों/होटलों में अवैध कैबरे नृत्य आयोजित करने सम्बन्धी शिकायतें

7209. **श्री अनवार अहमद** : **क्या गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के होटलों/रेस्टोरेंटों में कैबरे नृत्यों के लिये लाइसेंस जारी किये जाने सम्बन्धी सरकार की नीति क्या है;

(ख) क्या सरकार को दिल्ली के छोटे रेस्टोरेंटों/होटलों में अवैध कैबरे नृत्य आयोजित किये जाने सम्बन्धी कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने उन स्थानों में अवैध कैबरे नृत्य रोकने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) फ्लोर शो के लिए लाइसेंस जारी करने को दिल्ली पुलिस अधिनियम 1978 के तहत जारी सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों (सिनेमाघरों को छोड़कर) तथा सार्वजनिक मनोरंजनार्थ प्रदर्शनों, 1980 के लाइसेंसिंग तथा नियंत्रण के विनियमनों के विनियमन 232 और 243 के तहत शासित किया जाता है।

(ख) और (ग) ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तथापि कुछ रेस्टोरेंट, जिन्हें लाइसेंस नहीं दिए गए, दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए स्थगन आदेशों के आधार पर फ्लोर शो प्रदर्शित कर रहे हैं।

भारतीय बियरिंग निर्माता उद्योग का बचाव

7210. **श्री एस० ए० दोराई सेबस्तियन** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 250 करोड़ रुपये मूल्य के भारतीय बियरिंग निर्माता उद्योग को लुप्त होने से बचाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं क्योंकि पूर्व यूरोपीय देशों द्वारा भारी मात्रा में बियरिंग जमा किये जाने से उसके मूल्य 70 प्रतिशत कम हो गए हैं; और

(ख) जब देशी उत्पादन माँग को पूरा करने में पर्याप्त है, तब बियरिंग के आयात पर प्रतिबन्ध न लगाये जाने के क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) देखा गया है कि कुछ पूर्वी यूरोपीय देशों से बियरिंगों का आयात आपूर्ति कर्त्ताओं द्वारा दी गई मूल मूल्य सूची की तुलना में काफी कम मूल्यों पर किया जा रहा है। वित्त मन्त्रालय ने सीमा-शुल्क प्राधिकरणों को सीमा-शुल्क लगाये जाने के उद्देश्य से वस्तुओं का वास्तविक मूल्य निर्धारित करने हेतु मामले की पूरी तरह से जांच करने की सलाह दी है।

(ख) जिन आकारों और किस्मों की बियरिंग भारतीय बियरिंग निर्माताओं द्वारा बनाई जा रही हैं उन्हें आयात नीति गैर-अनुमत/प्रतिबन्धित वस्तुओं की सूची और सीमित अनुमत वस्तुओं की सूची के अन्तर्गत रखा गया है।

मोतीहारी में औद्योगिक विकास केन्द्र खोलना

7211. **श्री कमला मिश्र मधुकर** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार के पूर्वी चम्पारन जिले के मुख्यालय मोतीहारी में औद्योगिक विकास केन्द्र खोलने की सरकार की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या प्रगति हुई है;

(ग) क्या सरकार को यह जानकारी है कि किसी भी काम को करवाने में कदाचार और भ्रष्टाचार का बोलबाला है जिसके लिए स्थानीय प्राधिकारी जिम्मेदार है; और

(घ) क्या सरकार इस मामले की जांच करवाएगी ताकि पूर्वी जिले के उद्यमियों को कुछ राहत मिल सके और वहां लघु उद्योग स्थापित हो सकें?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) जी, नहीं। पूर्वी चम्पारन जिले के मुख्यालय मोतीहारी में एक जिला उद्योग केन्द्र पहले से ही है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) जिला उद्योग केन्द्रों के कर्मचारी राज्य सरकार के कर्मचारी होते हैं। स्थानीय अधिकारियों के कदाचारों और भ्रष्टाचारों से सम्बन्धित किसी भी शिकायत को राज्य सरकार द्वारा देखा जाता है।

उड़ीसा में कागज कारखानों के लिए कच्चा माल

7212. **श्री के० प्रधानी**: क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में कच्चे माल के रूप में बांस प्रयोग करने वाले बड़ी संख्या में कागज कारखाने को देखते हुए राज्य में वनरोपण के लिए कुछ विशेष कार्यक्रम तैयार किए गए हैं और यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं;

(ख) इन कारखानों को कागज बनाने के लिए इस समय बांस और अन्य कच्चा माल किस प्रकार मिल रहा है; और

(ग) क्या इन कागज निर्माता कम्पनियों में से कोई अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने स्वयं के संरक्षित वन समूह हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और उनका क्षेत्रफल कितना है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) उड़ीसा राज्य में उद्योगों और कागज मिलों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादन वानिकी (प्रोडक्शन फारेस्ट्री) के अन्तर्गत राज्य योजना की स्कीमों के रूप में जल्दी बढ़ने वाली किस्मों और कम खर्च वाले पौधों के रोपण को कार्यान्वित किया जा रहा है। इस प्रकार के बागान लगाने का मुख्य उद्देश्य कम मूल्यवान तथा कम घनत्व वाले विद्यमान जंगलों के

स्थान पर अधिक मूल्यवान पेड़ लगाना है। उपर्युक्त दो योजनाओं के अन्तर्गत छठी योजना का परिव्यय 270 लाख रुपये है और अनुमान है कि इससे 27,000 हेक्टेयर क्षेत्र में बागान लगाए जाएंगे। 1980-81 से 1983-84 के दौरान राज्य सरकार ने लगभग 25 000 हेक्टेयर में बागान लगाये हैं।

(ख) और (ग) विद्यमान कागज मिल अपने कच्चे माल की आवश्यकता पट्टे पर दिए गए वनों, विभाग द्वारा चलाये जा रहे वनों और उड़ीसा वन विकास निगम के वनों से पूरा कर रहे हैं। कच्चे माल की आवश्यकता का कुछ अंश राज्य के बाहर से भी खरीदा जाता है।

राष्ट्रीय उद्यान (नेशनल पार्क) हजारीबाग में उपलब्ध वन्य पशु

7213. **श्री ए० के० राय :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय उद्यान (नेशनल पार्क) हजारीबाग, बिहार में उपलब्ध वन्य पशुओं का ब्यौरा क्या है और क्या उनमें पिछले दस वर्षों में कोई कमी आई है;

(ख) क्या सरकार को उस क्षेत्र में जंगलों की कटाई की जानकारी है जिसका वन्य पशुओं के अभयारण्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) क्या इस हानि को पूरा करने के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम बनाया गया है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण विभाग में उप-मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) राज्य सरकारों से सूचना एकत्र की जा रही है तथा यह सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भू-वैज्ञानिक अनुसन्धान हेतु अनुसन्धान पोत

7214. **श्री मोहन लाल पटेल :**

श्री चिन्तामणि जेना : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भू-सर्वेक्षण विभाग ने भारतीय जहाजरानी निगम से एक पोत लिया है जिसे अनुसन्धान पोत के रूप में पुनर्निर्मित किया गया है और भू-वैज्ञानिक अनुसन्धान कार्य करने के लिए सज्जित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या पोत का प्रयोग होने लग गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसके निष्कर्ष क्या हैं; और

(घ) समुद्र से खनिजों का दोहन करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) और (ख) भारतीय जहाजरानी निगम से प्राप्त एक मालवाही पोत को गवेषण जहाज के रूप में सज्जित करके जून, 1983 से भारतीय भू-सर्वेक्षण द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है ।

(ग) और (घ) "समुद्र मन्थन" जहाज ने समुद्रतल के मानचित्रण और नमूना एकत्र करने के लिए अब तक भारत के पश्चिमी और पूर्वी समुद्र तट तथा अन्डमान समुद्र के कुछ भागों में 9 खोजी अभियान पूरे किए हैं। इन अभियानों का मुख्य प्रयोजन समुद्रतल के भूगर्भ की बेहतर जानकारी प्राप्त करना तथा वहाँ खनिज निक्षेपों का पता लगाना है। भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण इस समय समुद्रतल का तलछाटन और भू-वैज्ञानिक मानचित्र तैयार करने के लिए आँकड़े संग्रह कर रहा है ।

उद्योगपतियों के दल द्वारा चीन की यात्रा

7215. मोहन लाल पटेल : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन में संयुक्त उद्यम लगाने के उद्देश्य से उद्योगपतियों के एक दल दल ने हाल में चीन की यात्रा की है;

(ख) यदि हां तो चीन की यात्रा पर गए उद्योगति प्रतिनिधियों का क्या ब्योरा है; और

(ग) वहाँ हुए विचार-विमर्श का क्या निष्कर्ष रहा तथा उसके क्या परिणाम रहे ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (ग) संयुक्त उद्योगों की स्थापना के सम्बन्ध में हाल ही में उद्योगपतियों का कोई भी दल चीन नहीं गया है । तथापि मोफर्ट, चीन और यूनिडो द्वारा संयुक्त रूप से प्रायोजित चाइना इंवेस्ट-मेंट प्रोमोशन की 7 जून से 11 जून, 1982 को गुआंजाऊ में बैठक हुई थी । इस बैठक में भाग लेने वाले भारतीय शिष्ट मंडल में तीन उद्योगपति शामिल थे । उन्होंने तारकोल, इनेमल, पाइप लाइनों पर जंग लगने से बचाने, उन्नत रंगाई और छपाई उपकरण तथा छपे और पूरी तरह तैयार नहाने के तौलिए जैसे क्षेत्रों में सहयोग के लिए पारस्परिक हित के ज्ञापनों या आशय-पत्रों पर हस्ताक्षर किए हैं । दोनों पक्षों में उनके दृष्टिकोण और चीन में उत्पादों के विपणन के सम्बन्ध में अभी भी अत्यधिक मतभेद हैं ।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में बन्दों पर आधारित उद्योगों का संवर्धन

7216. श्री के० प्रधानी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में वनों पर आधारित-उद्योगों के संवर्धन के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हाँ, तो उनकी विस्तृत रूपरेखा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) और (ख) वन संसाधनों पर आधारित कागज और प्लाईवुड उद्योग को पहले ही उत्तर पूर्व के संगठित क्षेत्र में स्थापित किया गया है तथा और परियोजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। जहां तक लघु क्षेत्र का सम्बन्ध है, उत्तर पूर्व में विभिन्न जिलों के लिए बनाई गई कार्यवाही योजना (एक्शन प्लान) के अनुसार बताया गया है कि वनों पर आधारित अनेक उद्योग राज्य उद्योग निदेशालय में पंजीकृत हैं और साथ ही वनों पर आधारित सम्भावित उद्योगों का भी पता लगा लिया गया है ।

सरकारी उपक्रमों में खर्च

7217. **श्री के० प्रधानी** ; क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधान मन्त्री के हाल के निदेशों के अनुसरण में उनके मन्त्रालय के अधीन सरकारी उपक्रमों ने अपने योजना और गैर-योजना व्यय में कितनी कटौती की है;

(ख) क्या एम० ए० एम० बी० जैसे कुछ उपक्रमों ने जो सदा घाटे में चलते हैं उक्त निदेशों का उल्लंघन किया है; और

(ग) यदि हाँ, तो घाटे में चल रहे ऐसे उपक्रमों द्वारा प्रधानमन्त्री के निदेशों का पालन न किए जाने के कारण उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का उनका विचार है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) वित्त मन्त्रालय द्वारा ब्याज भुगतानों को छोड़कर समग्र योजना आवंटन में पाँच प्रतिशत और गैर योजना व्यय में तीन प्रतिशत की कटौती की गई थी । योजना परिव्यय में की गई कटौती का परियोजना संवीक्षा द्वारा विभिन्न परियोजनाओं पर प्रभाव पड़ा ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

राज्यों में सीमा विवाद

7218. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास कुछ राज्यों के सीमा सम्बन्धी विवाद लम्बित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समस्या के समाधान के लिए एक आयोग बनाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार को प्राप्त आयोग की रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) तथा (ख) निम्नलिखित राज्यों के बीच सीमा-विवाद, जिनमें क्षेत्र सम्बन्धी दावे/प्रति-दावे शामिल हैं, लम्बित हैं :—

(i) महाराष्ट्र और कर्नाटक,

(II) कर्नाटक और केरल,

(iii) असम और नागालैंड और

(VI) पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश ।

(ग) हाल में ऐसा कोई आयोग नियुक्त नहीं किया गया है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

तकनीकी विकास महानिदेशालय की वार्षिक रिपोर्ट

7219. **श्री ए० के० राय : क्या उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष तकनीकी महानिदेशालय की वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की गयी थी;

(ख) इसके नियमित प्रकाशन को सुनिश्चित करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) इस सम्बन्ध में तथ्यों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) तकनीकी विकास का महानिदेशालय (डी० जी० टी० डी०) जो उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के प्रशासनिक नियन्त्रण के अधीन एक सम्बद्ध कार्यालय है, के कार्य-करण से सम्बन्धित रिपोर्ट, इस मन्त्रालय/विभाग की वार्षिक रिपोर्ट में सम्मिलित की गई है; जो नियमित रूप से वार्षिक आधार पर प्रकाशित की जाती है । इसके अतिरिक्त, तकनीकी विकास का महानिदेशालय भी एक रिपोर्ट प्रकाशित करता है जिनमें मुख्यतः औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े, आदि दिए जाते हैं । इस प्रकार की वर्ष 1978-79 की अन्तिम रिपोर्ट 1980 में प्रकाशित की गई थी ।

(ख) और (ग) 1979 से 1982 की अवधि के लिए तकनीकी विकास के महानिदेशालय की रिपोर्ट प्रकाशनाधीन है। इस रिपोर्ट को प्रकाशित करने में कुछ देरी हुई थी क्योंकि इस रिपोर्ट के क्षेत्र को व्यापक बनाने तथा इसकी उपयोगिता बढ़ाने के उद्देश्य से इसको पुनः तैयार करने का निर्णय लिया गया था। तकनीकी विकास के महानिदेशालय ने आगे की अवधि के लिए पहले से ही रिपोर्ट संकलित करना प्रारम्भ कर दिया है।

लाइसेंसों, आशयपत्रों और पंजीकरण की स्थिति का प्रकाशन

7220. **श्री ए० के० राय** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आशयपत्रों, औद्योगिक लाइसेंसों और पंजीकरण की अद्यतन और संकलित स्थिति को नियमित रूप से प्रकाशित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो विस्तृत तथ्य क्या हैं तथा इसकी पिछले एक वर्ष की नियमितता क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या ऐसा करने का कोई प्रस्ताव है तथा तिस्तृत तथ्य क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (ग) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी किए गए आशय पत्रों और औद्योगिक लाइसेंसों तथा तकनीकी विकास के महानिदेशालय में पंजीकृत योजनाओं के ब्यौरे जैसे उपक्रम का नाम और पता, विनिर्माण की वस्तु, क्षमता और स्थापना-स्थल आदि भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा उनके प्रति मास प्रकाशित किए जा रहे "मयली न्यूज लेटर" में प्रकाशित किए जाते हैं।

बोकारो इस्पात संयंत्र में निर्माण कार्य

7221. **श्री ए० के० राय** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोकारो इस्पात संयंत्र में पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए निर्माण कार्य का ब्यौरा क्या है तथा कार्य का स्वरूप और खर्च की गई धनराशि का वर्ष-वार का ब्यौरा क्या है;

(ख) गैर-सरकारी ठेकेदारों, हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंन्सट्रक्शन लिमिटेड को कितना कार्य दिया गया तथा विभाग द्वारा कितना कार्य किया गया तथा ठेकेदारों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या यह सच है कि विभागीय कामगारों तथा हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स

कंन्सट्रक्शन लिमिटेड को इस कार्य से वंचित रखा गया तथा गैर-सरकारी ठेकेदारों को वरीयता दी गई; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के०पी० साल्वे) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान बोकारो इस्पात कारखाने की 40 लाख टन तक विस्तार योजना के अन्तर्गत धमन भट्टी, कोक ओवन, स्टील मेल्टिग शाप, ठंडी बेलन मिलों और अन्य अनुभंगी क्षेत्रों तथा कारखाने के रक्षित विद्युत संयंत्र में निर्माण कार्य किया गया है । किए गए कार्य की मात्रा का ब्यौरा अगले पृष्ठ पर तालिका में दिखाया गया है :

(i) **40 लाख टन तक का विस्तार :**

क्रम सं०	कार्य	किया गया कार्य		
		1981-82	1982-83	1983-84
1	2	3	4	5
1.	कंक्रीट डालने का काम (घन मीटर)	144856	153217	86834
2.	संरचनात्मकों की स्थापना (टन)	15242	16624	13045
3.	उपस्करों की स्थापना (टन)	19084	15519	17105
	(ii) **रक्षित विद्युत संयंत्र**			
1.	कंक्रीट डालने का कार्य (घन मीटर)	14388	14002	8782
2.	संरचनात्मकों की स्थापना (टन)	1372	497	422
3.	उपस्करों की स्थापना (टन)	549	2026	3974

पिछले तीन वर्षों में 40 लाख टन विस्तार की योजनाओं तथा रक्षित विद्युत संयंत्र पर किया गया खर्च इस प्रकार है :

(करोड़ रुपये)

निर्माण कार्य	1981-82	1982-83	1983 (अस्थायी)
40 लाख टन तक विस्तार	156.20	139.38	123.57
रक्षित विद्युत संयंत्र	11.20	38.71	22.33

(ख) हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लि० को सिविल कार्य, संरचनात्मकों की स्थापना तथा उपस्करों की स्थापना जैसे बड़े-बड़े निर्माण कार्य सौंपे गए हैं। हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लि० द्वारा बोकारो के 40 लाख टन तक विस्तार कार्य की विभिन्न योजनाओं तथा रक्षित विद्युत संयन्त्र के लिए किए गए कार्य की मात्रा का ब्यौरा इस प्रकार है:

(I) 40 लाख टन तक विस्तार :

क्रम सं०	कार्य की मद	किया गया कार्य		
		1981-82	1982-83	1983-84
1.	कंक्रीट डालने का कार्य (घन मीटर)	139988	149044	83558
2.	संरचनात्मकों की स्थापना (टन)	8054	10266	8198
3.	उपस्करों की स्थापना (टन)	6151	7821	3788
(ii)	रक्षित विद्युत संयंत्र	14188	11355	7328
1.	कंक्रीट डालने का कार्य (घन मीटर)	14188	11355	7328

विभागीय तौर पर तथा ठेकेदारों द्वारा किए गए कार्य के बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा के कोरापुट जिले में खनिज पर आधारित उद्योग

7222. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने कोरापुट जिले में खनिजों का पता लगाने के लिए राज्य भूगर्भ सर्वेक्षण दल के माध्यम से उस जिले का सर्वेक्षण पूरा कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन से खनिज पाए गए हैं तथा उपयोग के लिए मात्रा और किस्म सम्बन्धी क्या अनुमान लगाया गया है और अब तक उसका कितना उपयोग किया गया है;

(ग) इन खनिजों का उपयोग करके कौन-कौन से उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं तथा स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(घ) कोरापुट जिले में खनन कार्य के लिए कौन-कौन-सी गैर-सरकारी कम्पनियों को लाइसेंस प्राप्त हुए हैं तथा औद्योगिक उपयोग के लिए अब तक कौन-कौन से खनिज निकाले गए हैं ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) उड़ीसा के कोरापुट जिले में खनिजों का गवेषण राज्य भूतत्व सर्वेक्षण दल द्वारा किया जा रहा है।

(ख) इस दल ने अब तक बाक्साइट, मैंगनीज, लौह अयस्क, चूना-पत्थर, टिन अयस्क, डोलोमाइट, चिनी मिट्टी, ग्रेफाइट, क्वार्टजाइट आदि का पता लगाया है। अब इन खनिजों के भंडारों का आकलन किया जा रहा है।

(ग) कोरापुट में स्थापित या निर्माणाधीन या प्रस्तावित खनिज आधारित उद्योग इस प्रकार हैं :—

i) रायगडा में फेरो-मैंगनीज कारखाना,

ii) थेरुवल्ली में फैरो-सिलिकोन संयत्र,

iii) नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी द्वारा एल्यूमिनियम उद्योग समूह,

iv) ग्रेफाइट परिष्करण संयंत्र,

v) कुछ छोटे सीमेंट कारखाने,

vi) दस लाख टन वार्षिक क्षमता का एक सीमेंट कारखाना,

(घ) राज्य सरकार से मिली जानकारी के अनुसार इस जिले में निम्नलिखित प्रायवेट पार्टियों को खनन पट्टा मिला है—(1) मै० जेपोर सुगर कम्पनी (2) मै० टी० पी० मिनरल इन्डस्ट्रीज (3) डा० सरोजनी प्रधान (4) मै० गणेश्या सप्लाई एजेंसी (5) श्री एम०आर० दास (6) श्री एच०एन० मिश्रा (7) श्री टी०आर० मेदीरत्ता (8) श्री जे०सी० बुधराज (9) श्री टी०सी० मित्तल (10) मै० खेतान मिनरल डेवलपमेंट कम्पनी लि० (11) श्री आर०आर० महंती (12) श्री वी०के० मनिया (13) श्री के०के० अग्रवाल (14) श्री दीपचन्द जैन तथा (15) श्री एस०बी० पटेल।

औद्योगिक इस्तैमाल के मैंगनीज अयस्क, चूनापत्थर, क्वार्टजाइट, टिन और ग्रेफाइट खनिजों का खनन होता है।

उड़ीसा में एल्यूमिनियम सीलिकान कारखाना

7223. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "नाल्को" ने उड़ीसा में एल्यूमिनियम सोलिकान कारखाना स्थापित करने के लिए परियोजना व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो कारखाना लगाने के लिए कौन से स्थान का चयन किया गया है और उसका निर्माण कार्य कब तक शुरू हो जाने की सम्भावना है;

(ग) कारखाने की कुल अनुमानित लागत कितनी है और इसके पूरा हो जाने पर इसकी एल्यूमिनियम तरल बनाने की क्षमता कितनी होगी;

(घ) क्या मैसर्ज इंडस्ट्रीयल प्रोमोशन एंड इंवेस्टमेंट कारपोरेशन आफ उड़ीसा लिमिटेड ने भी इसके बारे में व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की है और लाइसेंस के लिए आवेदन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो उनके मंत्रालय द्वारा उसे लाइसेंस न देने के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन०के०पी० साल्वे) : (क) से (ङ) यू०एन०डी०पी० की सहायता से सोवियत संघ के मैं० स्वेतमेतप्रोम एक्सपोर्ट ने इंडियन रेअर अर्थ लि० (आई०आर०ई०) की ओर से एक एल्यूमिनियम सिलिकोन एलोए निदर्शन एकक के लिए जिसमें उड़ीसा सैंड्स कम्प्लैक्स का सिलेमेनाइट प्रयोग होगा एक साध्यता रिपोर्ट तैयार की गई है। प्रतिवर्ष 10,000 टन प्राथमिक एलोए, जो प्रतिवर्ष 50,000 टन वाणिज्यिक एलोए के समान होगा, क्षमता वाली निदर्शन एकक का पूंजी परिव्यय 21 करोड़ रु० होने की परिकल्पना है।

2. मैं० औद्योगिक विकास तथा निवेश निगम उड़ीसा लि० (इपिकोल) राज्य सरकार का उपक्रम, नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लि० (नाल्को) तथा भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लि० (बाल्को) ने यूनिटों तथा सोवियत संघ के वित्तीय सहयोग से इस स्कीम को कार्यान्वित करने में रुचि दिखाई है। इस पर विचार करते हुए कि एल्यूमिनियम सिलिकोन प्रायोगिक निदर्शन यूनिट स्थापित करने के लिए बिजली, एल्यूमिनियम धातु तथा एल्यूमिना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नाल्को अच्छी स्थिति में होगा, इसलिए सरकार ने नाल्को को सोवियत संघ के सहयोग से यूनिट स्थापित करने हेतु यूनिटों के साथ तालमेल रखने के लिए नामित किया है।

भारत में वन और आदिवासियों सम्बन्धी समिति की रिपोर्ट

7224. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में वन और आदिवासियों संबंधी समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो आदिवासियों के विकास और वनों के विकास के बारे में सरकार को कौन सी मुख्य सिफारिशें की गई हैं;

(ग) क्या मंत्रालय ने इन निष्कर्षों और सिफारिशों की जाँच कर ली है और केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्यों द्वारा इनके क्रियान्वयन के लिए योजनाएं बना ली हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और वन और आदिवासियों के बारे में सिफारिशें और नीति के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए राज्यों द्वारा की गई प्रगति का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) मुख्य सिफारिशें वन नीति, वानिकी और जनजाति विकास कार्यक्रम, झूम कृषि, वन-गांव, सामाजिक वानिकी, वनों पर आधारित उद्योग, लघु वन उत्पाद, वन श्रमिक सहकारिता समितियाँ, जीव-मण्डल आरक्षण और प्रबन्ध व्यवस्था के बारे में हैं ।

(ग) जी हाँ, श्रीमान ।

(घ) अब तक की गई प्रगति में वन ग्रामीणों के कब्जे में भूमि पर दीर्घ-अवधि वंशागत और गैर हस्तातंरणीय अधिकार देना, झूम कृषक परिवारों को कुछ खण्डों में स्थापित करना, 12 राज्यों में वन-संचालन में ठेकेदारी अभिकरणों को समाप्त करना, तीन राज्यों में वन श्रमिक सहकारिता समितियों का गठन और मध्य प्रदेश राज्य में "जनजाति स्कंध" का सृजन करना सम्मिलित है ।

पिछड़े क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं के लिए केन्द्रीय सहायता

7225. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :**

श्री हरिहर सोरन : क्या **उद्योग मंत्री** पिछड़े क्षेत्रों के विकास सम्बन्धी शिवरामन समिति के बारे में 10 अगस्त, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2800 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों का "क", "ख", "ग" श्रेणियों में वर्गीकरण करने के लिए क्या मानदंड हैं;

(ख) केन्द्रीय सरकार प्रत्येक उद्योग विहीन जिले में कौन-कौन से मूलभूत सुविधाओं के लिए राज्य सरकार को सहायता करती है; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष (1983-84) सहित गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार कौन-कौन से जिलों को बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए 2 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता दी गई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों का तीन श्रेणियों "क", "ख" और "ग" में वर्गीकरण करने के लिए स्वीकृत मानदण्ड निम्नलिखित हैं :—

(1) श्रेणी "क" जिले में "उद्योग रहित जिले" सम्मिलित हैं :—अर्थात् वे जिले जिनमें कोई भी बड़ा अथवा मझौला उद्योग नहीं है तथा "विशेष क्षेत्र" जिलों में पहाड़ी दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्र सम्मिलित हैं ।

(2) श्रेणी "ख" जिलों में श्रेणी "क" में सम्मिलित जिलों को छोड़ कर पहले से केन्द्रीय राजसहायता पाने वाले जिले शामिल हैं ।

(3) श्रेणी "ग" जिलों में श्रेणी "क" और "ख" में सम्मिलित जिलों को छोड़ कर पहले से रियायती वित्त पाने वाले जिले सम्मिलित हैं ।

(ख) और (ग) योजना ब्यौरा पर कुछ राज्य सरकारों के साथ हाल ही में विचार-विमर्श किया गया है तथा शीघ्र ही अन्तिम निर्णय ले लिए जाने की आशा है । अत: राज्य सरकारों को 1984-85 में ही केन्द्रीय सहायता दी जाएगी ।

स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भूगिगत हुए स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन की मंजूरी

7226. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का उन लोगों को स्वतंत्रता सेनानी पेंशन देने के सम्बन्ध में क्या दृष्टिकोण हैं, जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भूमिगत हो गए थे और इस प्रकार गिरफ्तारी/सजा से बचे रहे किन्तु उन्होंने देश को आजाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की;

(ख) क्या इस प्रकार के किसी स्वतंत्रता सेनानी को स्वतंत्रता सेनानी पेंशन दी गई है और यदि हां, तो राज्य वार ऐसे कितने लोगों कोगों पेंशन दी गई है;

(ग) 31 दिसम्बर, 1983 तक प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से इस श्रेणी के अन्तर्गत कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं और उनमें से कितने अभी तक पेंशन मंजूर किए जाने के लिए लम्बित पड़े हैं; और

(घ) इस प्रकार के सभी मामलों के कब तक निपटाए जाने की सम्भावना है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) राष्ट्रीय स्वतंत्रता आन्दोलन में भाग लेने के सिलसिले में छः महीने से अधिक समय के लिए भूमिगत रहा कोई भी व्यक्ति स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन के लिए पात्र हैं बशर्ते कि :—

1. वह घोषित अपराधी रहा हो, अथवा

2. वह ऐसा व्यक्ति हो जिसे गिरफ्तार करने/मार देने के लिए इनाम की घोषणा की गई हो, अथवा

3. उसकी नजरबंदी का आदेश तो जारी किया गया हो, परन्तु तामील न हुआ हो।

1972 की योजना के अधीन, फरार होने की यातना का दावा करने वाले व्यक्ति से यह अपेक्षा की गई थी कि वह अपने दावे के समर्थन में सरकारी रिकार्डों पर आधारित दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करे, जैसे कि सरकारी आदेश, अदालती दस्तावेज, गिरफ्तारी का वारंट आदि। परन्तु 1-8-81 से लागू उदार पेंशन योजना के अधीन इस अपेक्षा में ढील दी गई है। इस उदार योजना के तहत यदि सरकारी रिकार्ड उपलब्ध न हो तो संबंधित व्यक्ति से यह अपेक्षित है कि वह भूमिगत रहने के अपने दावे को सिद्ध करने के लिए किसी ऐसे विख्यात स्वतंत्रता सेनानी का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करे जिसने स्वयं कम से कम पांच साल की जेल की सजा काटी हो। ऐसा प्रमाण-पत्र केवल तभी मान्य होगा जबकि "प्रमाणकर्त्ता" तथा "प्रमाणीकृत" स्वतंत्रता सेनानी संगत समय में एक ही प्रशासनिक इकाई, अर्थात जिले के हों।

(ख) और (ग) भूमिगत रहने की यातना के दावे के आधार पर अनेक स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान पेंशन मंजूर की गई है और बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों के मामलों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है, परन्तु उन स्वतंत्रता सेनानियों के कोई अलग रिकार्ड नहीं रखे गए हैं जिन्हें अपनी जेल यातना के कारण और भूमिगत रहने की यातना के आधार पर सम्मान पेंशन मंजूर की गई।

(घ) राज्य सरकार की जांच-रिपोर्ट के आधार पर, पेंशन के मामले को अन्तिम रूप दिया जाता है। अधिकांश पेंडिंग मामलों में जांच रिपोर्टों की प्रतीक्षा है। राज्य सरकारों से जांच-रिपोर्टें और/अथवा आवेदकों से अपेक्षित दस्तावेज/साक्ष्य प्राप्त होते ही इन मामलों को अन्तिम रूप दिए जाने की आशा है। सम्मान पेंशन के दावों का शीघ्र निपटारा करने के लिए हर कोशिश की जा रही है।

हिमाचल प्रदेश में सीमेंट कारखानों की स्थापना

7227. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष में और सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हिमाचल प्रदेश में सरकारी/गैर-सरकारी क्षेत्र में नये सीमेंट कारखाने स्थापित करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां ये कारखाने स्थापित करने की

योजना है और चूना पत्थर आदि जैसे कच्चे माल की उपलब्धता के बारे में ब्यौरा क्या है और प्रत्येक मामले में उत्पादन क्षमता क्या होगी; और

(ग) प्रस्तावित कारखानों में से प्रत्येक के किस तारीख तक स्थापित किए जाने और सीमेंट का उत्पादन आरम्भ होने की संभावना है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (ग) भारतीय सीमेंट निगम की राजबन में 2 लाख मी० टन की वार्षिक क्षमता वाली विद्यमान फैक्टरी के अलावा ए० सी० सी० लिमिटेड द्वारा गगल में 5.6 लाख मी० टन की वार्षिक क्षमता का एक नया सीमेंट संयंत्र लगाये जाने की आशा है। भारतीय सीमेंट निगम को अपने राजबन संयंत्र की क्षमता 2 लाख मी० टन प्रति वर्ष बढ़ाने के लिए एक आयत-पत्र भी मंजूर किया गया हैं। इसके अतिरिक्त, जैसा कि संलग्न विवरण-I में दिखाया गया है, गैर-सरकारी क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश के विभिन्न भागों में मिनी/सफेद सीमेंट संयंत्र स्थापित करने के लिए कई एककों को स्वीकृति दी गई है। ये कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। चूने के पत्थर के भण्डार के सम्बन्ध में हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना संलग्न विवरण-2 में दी गई है।

विवरण I

हिमाचल प्रदेश में स्थापित करने के लिए स्वीकृत मिनी सीमेंट/सफेद सीमेंट संयंत्रों का ब्यौरा

क्रमांक	पार्टी का नाम	स्थापना-स्थल	औद्योगिक लाइसेंस/ आशय-पत्र/तकनीकी विकास महानिदेशालय में पंजीकरण	क्षमता लाख मी० टनों में
1	2	3	4	5
1.	श्री विनोद कुमार	पओटा	औद्योगिक लाइसेंस	0.66
2.	श्री कृष्ण कश्यप	सुन्दर नगर	आशय-पत्र	0.66
3.	एरिहंट स्टील एंड एलायज लिमिटेड	जिला पओटा	आशय-पत्र	0.66
4.	श्री सुरेन्द्र सिंह कैरों	मंडी	आशय-पत्र	0.66
5.	श्री आई० पी० बनवट	हिमाचल प्रदेश	आशय-पत्र	0.66
6.	श्री ए० एस० भारतरी	सिरमूर	आशय-पत्र	0.66

1	2	3	4	5
7.	श्री वेलास एण्ड कम्पनी	जिला सिरमूर	आशय-पत्र	0.50*
8.	श्री सतीश जैन	जिला सिरमूर	आशय-पत्र	0.66*
9.	श्री संत जय नारायण प्रा० लि०	धर्मकोट कांगडा	तकनीकी विकास महानिदेशालय में पंजीकृत	0.33
10.	अशोक कुमार खन्ना	पम्रोटा (सिरमूर)	—वही—	0.10
11.	के० के० सीमेंट्स इण्डिया लि०	सुन्दर नगर जिला-मंडी	—वही—	0.33
12.	श्री भोनाथ खंडेलवाल	धर्मकोट जिला कांगडा	—वही—	0.18
13.	श्री मनीश बेरी जलंधर पंजाब	बड़थला जिला सिरमूर	—वही—	0.18
14	मेसर्स सत्तार फील्ड ट्रेड एण्ड इंस्टीच्यूट लिमिटेड कलकत्ता	अलसिन्डी तहसील करसग, जिला मंडी	—वही—	0.33
15.	सरदार गुरदयाल सिंह लुधियाना (पंजाब)	धर्मकोट जिला काँगड़ा	—वही—	0.15
16.	श्री देवराज गुलाटी	धर्मकोट जिला काँगड़ा	—वही—	0.15
17.	श्री सुभाष गुप्त मेसर्स अमित कुमार सीमेंट लिमिटेड, नई दिल्ली	डाडाँन, जिला सिरमूर	—वही—	0.33
18.	श्री कृष्ण कुमार मित्तल (अशोश अग्रवाल सीमेंट वर्क्स (प्रा०) लिमिटेड)	कालम्ब नाहन जिला सिरमूर	—वही—	0.33
19.	मेसर्स पेरूरी सीमेंट कारपोरेशन, फरीदाबाद	जलसिंदी, जिला मंडी	—वही—	0.297

* संफेद सीमेंट

विवरण-2

हिमाचल प्रदेश में चूना-पत्थर का भण्डार

क्र०	जिले का नाम	स्वीकृत (मिलियन मी० टनों में)	दर्शाई गई	अनुमानित
1.	बिलास पुर	150	—	200
2.	चम्बा	400	—	—
3.	मंडी			
	अलसिदो	75	—	200
	सुन्दर नगर	10	—	112
4.	कांगड़ा	9.6	—	—
5.	सिरमूर	15	200	39
6.	कुल्लू	—	—	5
7.	शिमला	—	—	84

स्रोत: भूविज्ञान और खनन निदेशालय, हिमाचल प्रदेश सरकार

सीमेंट उत्पादन के लक्ष्य में कमी

7228. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में सीमेंट उत्पादन के लक्ष्य में 10 लाख टन की कमी होने की संभावना है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) स्थिति का सामना करने के लिए तथा सीमेंट उत्पादन में इतनी अधिक कमी के कारणों पर काबू पाने के लिए सरकार का विचार क्या आवश्यक कदम उठाने का है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) 1983-84 में उत्पादन का पूर्वानुमान 280 लाख मी० टन का है। जबकि वास्तविक उत्पादन 270 लाख मी० टन होने का अनुमान है।

(ख) बिजली की कमी और अतिरिक्त क्षमताओं की स्थापना में चूक हो जाने सम्बन्धी अवस्थापना परक अड़चनों के कारण उत्पादन में 10 लाख मी० टन की कमी रही।

(ग) विद्यमान क्षमता का अधिक उपयोग करके और अतिरिक्त क्षमता को मंजूर देकर सरकार देश में सीमेंट की उपलब्धता बढ़ाने हेतु हर प्रकार के प्रयास कर रही है।

स्व-नियोजन की प्रक्रिया और प्रगति

7229. **श्री के० मालन्ना :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980 में शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों के लिए शुरू की गई स्व-नियोजन योजनाओं के बारे में क्या नियम और प्रक्रिया अपनाई गई है; और

(ख) व्यावहारिक और वित्तीय दृष्टि से, इस सम्बन्ध में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्वत:रोजगार सम्बन्धी योजना की घोषणा 15 अगस्त, 1983 को की गई थी। इसे 10 लाख और उससे अधिक आबादी वाले शहरों में छोड़कर समग्र देश में जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। इसका लक्ष्य उन शिक्षित बेरोजगार युवकों को, जो मेट्रिकुलेशन और इससे अधिक शिक्षा प्राप्त हैं तथा 18 से 35 वर्ष की आयु वर्ग के हैं, उद्योग, सेवा और छोटे व्यवसायों के माध्यम से 2.50 लाख स्वत: रोजगार उद्यमों की व्यवस्था करना है। यह योजना उन व्यक्तियों के लिए नहीं है जिनको वित्त के वैकल्पिक स्रोत सुलभ हैं अथवा जो समाज के सम्पन्न वर्गों से सम्बन्धित हैं। जिला उद्योग केन्द्र कृतिक बल जिनमें महाप्रबन्धक, ऋण प्रबन्धक, प्रमुख बैंक के प्रतिनिधि, जिला रोजगार अधिकारी तथा सम्बद्ध लघु उद्योग सेवा संस्थान के प्रतिनिधि शामिल होते हैं लाभभोगियों का पता लगाते हैं तथा वे परियोजनाओं की संभाव्यता/जीव्यता को देखते हुए उनके ऋण सम्बन्धी आवेदन पत्रों पर एक व्यक्ति के लिए अनधिक 25,000/- रु० तक मिश्रित ऋण हेतु बैंकों को सिफारिश करते हैं। भारत सरकार उद्यमी द्वारा बैंक से ली गई प्रत्येक ऋण राशि पर 25 प्रतिशत की दर से सीधी पूंजीगत राज सहायता प्रदान करती है। बैंकों द्वारा न्यूनतम 25 प्रतिशत ऋण वितरित किए जाने के बाद ही बैंकों को राज सहायता दी जाती है। राज सहायता की राशि ऋण लेने वाले व्यक्ति के नाम सावधिक जमा के रूप में रखी जाती है। जब बकाया सावधि ऋण का 3/4 राशि वसूल कर ली जाती है तब शेष राशि को बैंकों द्वारा सावधिक जमा में समायोजित कर लिया जाता है।

(ख) राज्य सरकारों/जिला उद्योग केन्द्रों से 29 मार्च, 1984 तक प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार 3.08 लाख आवेदन पत्रों की जांच कर ली गई थी तथा जिला उद्योग केन्द्र कृतिक बलों द्वारा बैंकों को उनकी सिफारिश की गई। बैंकों द्वारा लगभग 118 करोड़ रु० राशि के 81,032 मामले स्वीकृत किए गए थे।

स्व-नियोजन कार्यक्रम का क्रियान्वयन न करने के बारे में शिकायतें

7230. **श्री के० मालन्ना :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या बैंकों द्वारा स्व-नियोजन कार्यक्रम का क्रियान्वयन न किए जाने के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

चमड़े की वस्तुओं का निर्यात

7231. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चमड़े से निर्मित उन वस्तुओं का ब्यौरा क्या है जो विदेशों में लोकप्रिय है और जिनका निर्यात किया जाता है;

(ख) चमड़े की वस्तुओं के निर्यात से कितना मुनाफा कमाया जा रहा है; और

(ग) भारत के चमड़ा उद्योग में लगे लोगों की कार्य-परिस्थितियों में सुधार करने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) चमड़े के जूते, जूतों का ऊपरी भाग, चमड़े के वस्त्र, चमड़े की बनी छोटी वस्तुए जैसे बटुए, पर्स, महिलाओं के हैंड बैग ब्रीफकेस, औद्योगिक दस्ताने, खेल की गेंदे और घोड़े का साजसामान चमड़े की बनी वे मुख्य वस्तुए हैं जो विदेशों में लोकप्रिय हैं और जिनका निर्यात किया जाता है ।

(ख) चमड़े की वस्तुओं के निर्यात से अर्जित लाभ सम्बन्धी आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते हैं । तथापि, मार्च से दिसम्बर, 1983 की नौ माह की अवधि के दौरान 123.48 करोड़ रु० के मूल्य की चमड़े की वस्तुओं का निर्यात किया गया था ।

(ग) देश में अनुमानत: लगभग 12.5 लाख व्यक्ति चमड़ा उद्योग में कार्यरत हैं । श्रम मन्त्रालय का विचार कच्ची खालों और चामों को इकट्ठा करने के काम में लगे असंगठित श्रमिकों की विभिन्न श्रेणियों के सम्बन्ध में सांख्यिकीय एवं जनांकिकीय सर्वेक्षण करने का है ताकि उनके सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए कार्यक्रम बनाए जा सकें । चमड़ा उद्योग के लघु एककों के आधुनीकीकरण के लिए सुविधाएं दी जा रही हैं । इससे शारीरिक थकान में कमी आने के साथ ही कामगारों की उत्पादकता में वृद्धि होगी तथा इससे कार्य स्थल पर

अनुकूल वातावरण भी पैदा होगा। श्रम मन्त्रालय के अधीन ग्रामीण असंगठित श्रमिकों की केन्द्रीय स्थायी समिति ने चमड़ा उद्योग में बिचालियों को हटाने के लिए सहकारी समितियाँ बनाने का सुझाव दिया है निविष्टियों को पूर्ति करके चमड़ा उद्योग में कार्यरत कामगारों की सहायया करने के लिए उनकी तकनीकी कार्य कुशलता बढ़ाने और बिचौलियों को हटाने हेतु विपणन सहायता देने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों ने चमड़ा विकास निगम और ग्राम उद्योग आयोग बनाए हैं। भारत लेदर कारपोरेशन ने अपने पैकेज सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत आगरा में सामान्य सुविधा केन्द्र स्थापित किया है, जहां कारीगरों के लिए एक ही स्थान पर कच्चा माल, शेडों, मशीनों और उपकरणों के साथ-साथ प्रशिक्षण और डिजाइन सम्बन्धी मार्गदर्शन की व्यवस्था की जाती है। यदि यह योजना सफल रही तो निगम द्वारा देश के विभिन्न भागों में, जहाँ चमड़ा कामगारो की संख्या अधिक है, इस प्रकार के केन्द्र स्थापित किए जाएगे।

बोकारो इस्पात लिमिटेड द्वारा एम० बी० बी० एस० डाक्टरों को नान-प्रैक्टिसिंग भत्ता

7232. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो इस्पात संयंत्र लि० के प्रबन्धकों ने एम० बी० बी० एस० डाक्टरों और मेडिकल प्रेक्टिस डिप्लोमा धारकों को नान-प्रैक्टसिंग भत्ता और अन्य लाभ मंजूर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत कुल कितने व्यक्तियों को लाभ मिला है;

(ग) क्या मेडिकल प्रेक्टिस के डिप्लोमा प्राप्त बहुत से व्यक्तियों के मामले नान-प्रैक्टिसिंग भत्ता और अन्य लाभ मजूर करने के लिए काफी समय से लम्बित पड़े हैं;

(घ) यदि हाँ, तो इस प्रकार के कितने मामले हैं; और

(ङ) उनके मामलों पर विचार न किए जाने के कारण का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) (क) बोकारो इस्पात कारखाने के डाक्टरों को, जो कार्यपालक ग्रेड में है और एम० बी० बी० एस० डिग्री अथवा स्नातकोत्तर योग्यता प्राप्त हैं, स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड के नियमानुसार नान-प्रैक्टिसिंग वेतन (एन० पी० पी०) दिया जाता है।

(ख) बोकारो इस्तात कारखाने (खानें शामिल हैं) में 176 डाक्टर नान-प्रैक्टिसिंग वेतन ले रहे हैं।

(ग) से (ङ) सभी डाक्टरों को, जो डिग्री अथवा स्नातकोत्तर योग्यता प्राप्त हैं, नान-प्रैक्टिसिंग वेतन दिया जाता है। एक डाक्टर को, जो डिप्लोमा प्राप्त है, नान-प्रैक्टिसिंग वेतन नहीं दिया जा रहा है। वह गैर कार्यपालक ग्रेड में है और इस वेतन का हकदार नहीं हैं।

केन्द्रीय सरकार के प्रतिष्ठानों के लिए छुट्टियों की सूची में एक मई को छुट्टी को सम्मिलित न करना

7233. **श्री ए० नीला लोहित वसन नाडार:** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस ओर ध्यान दिया है कि देश के कुछ भागों में केन्द्रीय सरकार के कुछ प्रतिष्ठानों के लिए वर्ष 1984 के लिए प्रकाशित की गई छुट्टियों की सूची में 1 मई, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम दिवस को छुट्टी के रूप में सम्मिलित नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) तथा (ख) इस विभाग में ऐसी सूचना केन्द्रीकृत रूप में नहीं रखी जाती है और इस कारण शायद कोई भी सूचना नहीं दी जा सकेगी।

राजधानी में अपहरण की घटनाएं

7234. **श्री ए० नीला लोहितदसन नाडार :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में वर्ष 1983 के दौरान अपहरण की कितना घटनाओं की रिपोर्ट मिली है और इस सम्बन्ध में कितने मामले दर्ज किए गए;

(ख) अपहृत व्यक्तियों के कितने मामलों का पता चला था; और

(ग) दिल्ली में अपहरण रोकने के लिए क्या विशेष उपाय किए गए हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) तथा (ख) अपेक्षित आंकड़े नीचे दिए गए हैं।—

(1) 1983 में दर्ज किये गए मामलों की संख्या	594
(2) इन मामलों में अपहृत व्यक्तियों की संख्या	613
(3) बरामद किए गए व्यक्तियों की संख्या	537

(ग) जब तक पूर्व संकेत उपलब्ध न हों, अपहरण का अनुमान नहीं लगाया जा सकता ताकि निवारक उपाय करना सम्भव हो सके। फिर भी जब कोई शिकायत दर्ज

करवाई जाती है तो अपहृत व्यक्तियों को बरामद करने और अपराधियों को पकड़ने के लिये तुरन्त कार्यवाही की जाती है।

मृत पुलिस सिपाही के परिवार को मुआवजे का भुगतान

7235. **श्री ए० नीला लोहितदसन नाडार :** क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 14 मार्च, 1984 को राजधानी में तीन सन्देहास्पद डाकुओं के हाथों एक पुलिस सिपाही की मृत्यु की घटना की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो घटना का ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या मृत सिपाही के परिवार को कोई मुआवजा दिया गया है और यदि हाँ, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) 13 और 14 मार्च, 1984 की मध्य रात्रिको तीन सन्देहास्पद युवकों को पकड़ने का प्रयत्न करते हुए पुलिस रात्रि गश्ती दल पर एक व्यक्ति द्वारा गोली चलायी गयी। उसके बाद वह व्यक्ति बच कर भाग गया और कांस्टेबल रामचन्द्र को, जिसको गोली लगी थी, हिन्दुराव अस्पताल पहुंचने पर मृतक घोषित किया गया। थाना कश्मीरी गेट में भा० द० सं० की धारा 302/307/353/186/34 और शस्त्र अधिनियम की धारा 27/54/59 के तहत मामला दर्ज किया गया है और अपराधियों का पता लगाने के हर सम्भव प्रयत्न किए जा रहे हैं।

(ग) "मृतक" सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को ग्राह्य पेंशन, भविष्य निधि, ग्रुप-बीमा और अन्य दावों के हक के अतिरिक्त, मृतक के परिवार को मुख्य कार्यकारी पार्षद/उप-राज्यपाल के राहत कोष से 10,000 रु० की धनराशि दी गई है। 10,000 रु० की दूसरी राशि दिल्ली पुलिस म्यूचल बेनिफिट फंड से दी गई है।

राउरकेला इस्पात संयंत्र में हाट चार्जिंग प्रणाली

7236 **श्री अर्जुन सेठी :**

श्री नित्यानन्द मिश्र : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र में "हाट चार्जिंग" पद्धति प्रारम्भ करने का एक प्रस्ताव था;

(ख) यदि हां, तो यह पद्धति कब प्रारम्भ किए जाने की आशा है; और

(ग) इस मामले में क्या कदम उठाए गए हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) (क) से (ग) वर्ष 1971 में राउरकेला इस्पात कारखाने में "हाट और कोल्ड ट्रांसफर सिस्टम" लगाया गया था लेकिन राउरकेला इस्पात कारखाने में प्रौद्योगिकीय और परिचालन सम्बन्धी कारणों (एक ही ग्रड और साइज की सिल्लियों का प्रचुर मात्रा में विधायन का समस्या, "मिल प्रोग्राम" की आवश्यकताओं और सामग्री की प्राप्ति की समस्याओं) से बार-बार किए गए प्रयासों के बावजूद कारखाने में इस उपकरण का इस्तेमाल करना सम्भव नहीं हो सका। बिशेषज्ञ डिजाइन-इंजीनियरों ने इस समस्या पर गहराई से विचार किया था और अन्ततः वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि राउरकेला इस्पात कारखाने में इस "सिस्टम" का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इसलिए जुलाई, 1978 में इस "सिस्टम" को हटा दिया गया।

केन्द्रीय स्टेनोग्राफर सेवा के ग्रेड "ए" और "बी" का विलय

7237. **श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेनोग्राफर एसोसिएशन के प्रतिनिधि 12 जनवरी, 1983 को उनसे मिले थे;

(ख) क्या एसोसिएशन ने एक अभ्यावेदन दिया था कि केन्द्रीय स्टेनोग्राफर सेवा के ग्रेड "ए" और ग्रेड "बी" का विलय कर दिया जाए;

(ग) क्या वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक ग्रेड "बी" और अनुभाग अधिकारी सीमित विभागीय परीक्षा द्वारा नियुक्त किए जाते हैं;

(घ) क्या केन्द्रीय स्टनोग्राफर सेवा ग्रेड "बी" के मामले में अवर सचिव के पद के लिए आधी सेवा पर विचार किया जाता है; और

(ङ) यदि हाँ, तो उसके कारण क्या हैं और इस असंगति को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) यह भी एक मांग थी।

(ग) अनुभाग अधिकारी ग्रेड में प्रवर सूची की 50 प्रतिशत रिक्तियां और केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड "ख" की 50 प्रतिशत रिक्तियां केन्द्रीय सचिवालय सेवा अनुभाग अधिकारी ग्रेड/आशुलिपिक ग्रेड "ख" सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से भरी जाती हैं।

(घ) ग्रेड "क" अधिकारियों के नामों को केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड 1 (अवर सचिव) की प्रवर सूची में शामिल करने के प्रयोजन से उनकी पात्रता का निर्धारण करने

के लिए केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड "क" में अनुमोदित सेवा में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड "ख" में की गई आधी सेवा को जोड़ दिया जाता है।

(ङ) केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा का ग्रेड "ख" केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड 1 में पदोन्नति के लिए फीडर ग्रेड नहीं है। केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड "ख" का रैंक अनुभाग अधिकारी ग्रेड से कम है और केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायक ग्रेड से ऊंचा है। इन कारणों से, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड 1 पर पदोन्नति के लिए पात्रता सुनिश्चित करने के प्रयोजन से केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड "ख" में की गई केवल आधी सेवा को केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड "क" की सेवा अवधि में गिना जाता हैं। यह कोई असंगति नहीं है।

ग्रेड "बी" के स्टेनोग्राफरों की पदोन्नति में अवरोध

7238. **श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रेड "बी" के स्टेनोग्राफरों के मामले में पदोन्नति में गम्भीर अवरोध है;

(ख) क्या कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग ने 977 तक के उन वरिष्ठ वैयक्तिक सहायकों की एक सूची मंगाई थी जिन्हें ग्रेड 'ए" स्टेनोग्राफर के रूप में पदोन्नत नहीं किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या ग्रेड "बी" के स्टेनोग्राफरों को पदोन्नत और अन्य मंत्रालयों को स्थानान्तरित करते समय उनकी वरिष्ठता को बनाये रखा जाएगा ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी हां।

(ग) प्रवर सूची की रिक्तियों के लिए ग्रेड "क" में पदोन्नति के प्रयोजन से अन्य संवर्गों में नामित किए गए ग्रेड "ख" आशुलिपिकों की वरिष्ठता केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (स्थानान्तरित अधिकारियों की वरिष्ठता) विनियम, 1971 के अनुसार विनियमित की जाएगी।

हरियाणा में रुग्ण उद्योग

7239. श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान हरियाणा राज्य में पुनः स्थापन (नर्सिंग) कार्यक्रम के लिए लघु क्षेत्र के कितने रुग्ण एककों को चुना गया है;

(ख) करनाल जिले में इस प्रकार के एककों की संख्या कितनी है;

(ग) इस प्रकार के कितने एकक पुन:स्थापन के लिए उपयुक्त पाए गए;

(घ) करनाल जिले में ऐसे कितने एककों को वास्तव में पुन:स्थापित किया गया; और

(ङ) हरियाणा में लघु क्षेत्र के ऐसे शेष एककों के पुन:स्थापन के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (घ) आंकड़े इकट्ठे करने की विद्यमान प्रणाली के अनुसार उन रुग्ण एककों जिन्हें सुधार-कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल करने के लिए चुना गया है, पुनरुज्जीवन के लिए उपयुक्त पाए गए एककों की संख्या जिन एककों को वास्तव में सहायता की गई उनकी संख्या आदि के सम्बन्ध में राज्य-वार/जिले-वार सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ङ) सरकार ने हरियाणा राज्य सहित देश के रुग्ण लघु औद्योगिक एककों के पुनरुज्जीवन के लिए कई कदम उठाये हैं। जिनमें भारतीय रिजर्व बैंक में विशेष प्रकोष्ठ की स्थापना करना पुनरुज्जीवन हेतु सहायता देने के लिए समन्वित ढंग से राज्य स्तर पर अन्तर-संस्थागत समितियों का गठन करना लघु क्षेत्र में रुग्ण ककों की पुन:स्थापना करने के उद्देश्य से सीमान्त धन राशि की योजना चलाना और अखिल भारतीय लघु उद्योग मंडल द्वारा रुग्ण एककों की समस्याओं का पता लगाने तथा रुग्ण एककों की पुन:स्थापना हेतु सुधारात्मक उपाय सुझाने के लिए औद्योगिक रुग्णता सम्बन्धी एक स्थायी समिति का गठन करना सम्मिलित है। इसके साथ-साथ लघु क्षेत्र के रुग्ण एककों को पुनरुज्जीवित करने और उनके पुनर्वास के लिए वित्तीय संस्थानों और राज्य सरकारों द्वारा भी अनेक कदम उठाए गए हैं।

पटना में मारुति कारों के डीलर

7240. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मारुति कारों की डिलीवरी के लिए पटना में डीलर की नियुक्त कर दी गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो वाहनों की डिलीवरी कब से आरम्भ किए जाने की आशा है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) जी, हां।

(ख) मारुति उद्योग लिमिटेड को आशा है कि पटना में जुलाई, 1984 तक कारों की डिलीवरी प्रारम्भ की जाएगी।

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) का कार्यान्वयन

7241. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) में उल्लिखित 14 मुद्दों को देश के "क" "ख" और "ग" तीनों क्षेत्रों के राज्यों में द्विभाषी रूप में कार्यान्वित करने का प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो पर्यावरण विभाग और "क", "ख" और "ग" क्षेत्रों के राज्यों में स्थित उसके अधीनस्थ कार्यालयों में वर्ष 1981-82, 1982-83 और 1983-84 में धारा 3(3) की क्रियान्वित की प्रतिशतता का पृथक-पृथक क्षेत्रवार एवं वर्ष वार ब्योरा क्या है;

(ग) देश के सभी तीनों क्षेत्रों में उक्त सभी 14 मदों सम्बन्धी कार्य को शतप्रतिशत द्विभाषी रूप में करने में क्या कठिनाइयां हैं; और

(घ) सरकार ने उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की है या करने का प्रस्ताव है ?

पर्यावरण विभाग में उप-मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) नई दिल्ली में स्थित पर्यावरण विभाग (मुख्य) के सम्बन्ध में राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के क्रियान्वन की प्रतिशतता, नीचे लिखे अनुसार है :—

वर्ष	प्रतिशतता
1981-82	उपलब्ध नहीं है
1982-83 (1.10.82 से आगे)	91
1983-84 (31.12.83 तक)	74

"क", "ख" तथा "ग" क्षेत्रों में स्थित अधिनिस्थ कार्यालयों के सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

विभाग की 1.11.1980 को स्थापना की गई थी तथा आरम्भ में हिन्दी के कर्मचारी नहीं थे। जनवरी, 1982 तक विभाग, विज्ञान एव प्रौद्योगिकी विभाग के परिसर में उस विभाग में उपलब्ध कर्मचारियों की सहायता से काम कर रहा था। हिन्दी के पूरे कर्मचारी केवल, 1983 में उपलब्ध हुए।

(ग) तथा (घ) राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के पूर्ण क्रियान्वन में आने वाली कठिनाइयों में शामिल है— हिन्दी कर्मचारियों का उपलब्ध न होना तथा हिन्दी में कार्य करने के लिए प्रशिक्षण की कमी, फिर भी विभाग की कुछ कामों की वैज्ञानिक तथा तकनीकी प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए, अधिनियम की धारा 3(3) की व्यवस्थाओं के अनुपालन के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

सीमावर्ती क्षेत्रों में पाकिस्तान और बंगला देश के नागरिकों का बसना

7242. **श्री छोटू भाई गामित :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात का सर्वेक्षण किया है कि पाकिस्तान और बंगला देश के नागरिक सीमा पार करके अवैध रूप से बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और गुजरात में बस गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो गुजरात में पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार और 1 जनवरी, 1984 से 31 जनवरी, 1984 तक कितने पाकिस्तानी नागरिक आए हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) और (ख) ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है । जब कभी अवैध प्रवेश करने वालों का पता लगता है कानून के अन्तर्गत उचित कार्यवाई की जाती है ।

मंत्रालयों में हिन्दी सलाहकार समितियों का गठन

7243. **श्री छोटू भाई गामित :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सभी मन्त्रालयों में हिन्दी सलाहकार समितियों का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1983 के दौरान हुई उनकी बैठकों का ब्यौरा क्या है, तथा पारित किए गए और क्रियान्वित किए गए संकल्पों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ ऐसे भी मामले हैं, जहां हिन्दी कार्य से सम्बन्धित तदर्थ नियुक्तियां की जाती हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सभी विभागों को हिन्दी सलाहकार समितियों की उप-समितियां गठित करके हिन्दी के प्रगतिशील कार्यक्रम के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) जिन मन्त्रालयों/विभागों में हिन्दी सलाहकार समितियों का गठन हो चुका है उनके नाम और 1983 में हुई उनकी बैठकों की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है । यह समितियां मन्त्रालयों और उनके कार्यालयों में सरकार की राजाभाषा नीति के कार्यान्वयन और हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के सम्बन्ध में सलाह देती हैं । सम्बन्धित मंत्रालत/विभाग उनकी व्यावहारिक संस्तुतियों पर पूरा ध्यान देते हैं और उन पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा समितियों की अगली बैठकों में प्रस्तुत किया जाता है ।

(ग) केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा के आरम्भिक गठन होने पर इस सेवा के समूह "ग" पदों पर 19.9.81 को कार्यरत कर्मचारियों को नियमित कर दिया गया है । अब इस समूह की कनिष्ठ अनुवादकों की 100 प्रतिशत रिक्तियां और वरिष्ठ अनुवादकों

की 25 प्रतिशत रिक्तियां कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से भरी जाएंगी। अनुमोदित अभ्यर्थी उपलब्ध होने तक अनुवादकों की रिक्तियां तदर्थ आधार पर भरी जा रही हैं। वरिष्ठ अनुवादकों की 75 प्रतिशत रिक्तियों के लिए सेवा में संयुक्त वरिष्ठता के आधार पर अभ्यर्थियों को पदोन्नति द्वारा नियुक्त करने के लिए सिफारिश की जाती है और विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुतियों के अनुसार उन्हें नियमित किया जाएगा। सेवा के समूह "क" और "ख" पदों की रिक्तियां तदर्थ आधार पर भरी जा रही हैं। इन्हें केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा के राजपत्रित गठन के पूरा होने पर नियमित रूप से भरा जाएगा।

(घ) सरकार हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए बनाए गए कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी प्रयत्न कर रही है। परन्तु यह कार्यान्वयन पर निर्भर है और इसे समुचित आधारिक व्यवस्था और सरकारी कर्मचारियों को इसके लिए तैयार करके ही किया जा सकता है। हिन्दी सलाहकार समितियों को उप समितियों द्वारा इस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। उनकी भूमिका केवल सलाहकारी है।

विवरण

मंत्रालयों/विभागों की सूची जहां हिन्दी सलाहकार समितियां गठित हैं और 1983 में हुई उनकी बैठकों की संख्या

क्रम सं०	मंत्रालय/विभाग	1983 में आयोजित बैठकों की संख्या
1	2	3
1.	विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय	3
2.	सूचना और प्रसारण मन्त्रालय	4
3.	रेल मन्त्रालय	—
4.	डाक-तार विभाग (संचार मन्त्रालय)	3
5.	विदेश मन्त्रालय (केन्द्रीय हिन्दी समिति की उप समिति)	1
6.	शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय	1
7.	रक्षा मन्त्रालय	2
8.	कृषि मन्त्रालय	
9.	वित्त मन्त्रालय	1

1	2	3
10.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय	3
11.	उद्योग मन्त्रालय	2
12.	वाणिज्य मन्त्रालय	2
13.	नौवहन और परिवहन मन्त्रालय	3
14.	पूर्ति विभाग	3
15.	इस्पात और खान मन्त्रालय	2
16.	ऊर्जा मन्त्रालय	1
17.	गृह मन्त्रालय	—
18.	पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय	2
19.	श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय	2
20.	रसायन और उर्वरक मन्त्रालय	—
21.	योजना मन्त्रालय	2
22.	खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय	2
23.	ग्रामीण विकास मन्त्रालय	3
24.	निर्माण और आवास मन्त्रालय	1
25.	सिंचाई मन्त्रालय	2
26.	समाज कल्याण मन्त्रालय	1
27.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (एक संयुक्त सलाहकार समिति है।)	—
28.	पर्यावरण विभाग	
29.	महासागर विकास विभाग	

कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा कार्यक्रमों का मूल्यांकन

7244. **श्री सन्तोष मोहन देव** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा कृषि, सिंचाई, संचार और स्वास्थ्य जैसे विकास के विभिन्न क्षेत्रों में किन कार्यक्रमों का मूल्यांकन किया गया है और उसके मुख्य निष्कर्ष क्या हैं;

(ख) क्या संगठन ने स्थिति में सुधार करने के लिए उपाय सुझाए थे;

(ग) क्या कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा मूल्यांकन के परिणामस्वरूप किसी क्षेत्र में पर्याप्त परिवर्तन आए हैं; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) कृषि, सिंचाई, संचार और स्वास्थ्य जैसे विभिन्न क्षेत्रों में विकास से सम्बन्धित मूल्यांकन अध्ययन/ प्रतिवेदन जो योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (का०मू०सं०) द्वारा समय-समय पर निकाले गए, उनकी एक सूची संलग्न है। इन प्रतिवेदनों के निष्कर्ष और सिफारिशें स्वयं संगत प्रतिवेदनों में दिए गए हैं। मूल्यांकन प्रतिवेदनों की प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ख) जी, हाँ।

(ग) और (घ) कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन, मूल्यांकन प्रतिवेदनों की प्रतियां संबद्ध प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को अपेक्षित अनुवर्ती कार्रवाई के लिए अग्रेषित करता है क्योंकि यह उनके कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आती है।

विवरण

कृषि, सिंचाई, संचार और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा किए गए मूल्यांकन अध्ययनों की सूची

1. सहकारी खेती से सम्बन्धित अध्ययन।
2. पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में 1958-59 रबी फसल अभियान का मूल्यांकन।
3. उन्नत बीजों के लिए गुणात्मक और वितरण कार्यक्रम का अध्ययन।
4. कृषि भूमि के लिए भू-संरक्षण कार्यक्रम।
5. कृषि सम्बन्धी कार्यक्रम में समन्वय की समस्याएं।
6. पी०ई०पी०एच०यू० में सूती कपड़े का विस्तार – मामले का अध्ययन।
7. कृषि उत्पादन में उर्वरक और खाद के प्रयोग से सम्बन्धित अध्ययन।
8. कृषि उत्पादन में पी०पी० उपायों के विस्तार का अध्ययन।
9. अधिक उपज देने वाली किस्मों से सम्बन्धित कार्यक्रम का मूल्यांकन अध्ययन (खरीफ 1967 के लिए रिपोर्ट)।
10. अधिक उपज देने वाली किस्मों से सम्बन्धित कार्यक्रम का मूल्यांकन अध्ययन (रबी 1967-68)।
11. अधिक उपज देने वाली किस्मों से सम्बन्धित कार्यक्रम रिपोर्ट खरीफ (1968) का मूल्यांकन अध्ययन।

12. अधिक उपज देने वाली किस्मों से सम्बन्धित कार्यक्रम की रिपोर्ट (रबी, 1968-69) का मूल्यांकन अध्ययन।

13. जोत कार्यक्रम के समेकन के मूल्यांकन से सम्बन्धित रिपोर्ट।

14. भारत में अधिक उपज देने वाली किस्मों से सम्बन्धित कार्यक्रम, 1970-71-कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन और राष्ट्रीय आस्ट्रेलिया विश्वविद्यालय द्वारा सयुक्त अध्ययन।

15. खरीफ के गहन कृषि उत्पादन कार्यक्रम से सम्बन्धित रिपोर्ट-1966।

16. रबी खाद्य उत्पादन अभियान 1965-66 से सम्बन्धित रिपोर्ट।

17. कपास के लिए केन्द्रीय प्रायोजित पैकेज स्कीम का अध्ययन।

18. पटसन के लिए केन्द्रीय प्रायोजित पैकेज स्कीम का अध्ययन।

19. राष्ट्रीय प्रदर्शन और किसान शिक्षा कार्यक्रम का अध्ययन।

20. छोटे किसानों, सीमांत किसानों और कृषि श्रमिक परियोजनाओं के मूल्यांकन अध्ययन से सम्बन्धित रिपोर्ट।

21. भू और जल प्रबन्ध से सम्बन्धित मूल्यांकन रिपोर्ट—बड़ी परियोजनाएं।

22. तिलहन विकास कार्यक्रम के अध्ययन से सम्बन्धित मूल्यांकन रिपोर्ट।

23. लघु सिंचाई की समस्याओं का अध्ययन।

24. बड़ी सिंचाई परियोजनाओं का मूल्यांकन—कुछ अध्ययन सम्बन्धी मामले।

25. कोसी घाट का मूल्यांकन—मामले का अध्ययन।

26. पुथामारी घाट का मूल्यांकन—मामले का अध्ययन।

27. विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं का मूल्यांकन अध्ययन—पाचमपेड सिंचाई परियोजना।

28. ग्रामीण परिवहन में बैलगाड़ियों और ट्रकों की भूमिका का अध्ययन मामले।

29. प्रयुक्त पोषाहार कार्यक्रम का वर्तमान अध्ययन।

30. भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम—एक मूल्यांकन।

31. एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजनाओं की तैयारी सम्बन्धी स्थिति की रिपोर्ट।

32. एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजनाओं का अध्ययन—परियोजना स्वरूप।

33. परिवार नियोजन कार्यक्रम का मूल्यांकन।

34. परिवार नियोजन कार्यक्रम—एक मूल्यांकन (महाराष्ट्र)।

35. परिवार नियोजन कार्यक्रम—एक मूल्यांकन (पंजाब)।

36. महाराष्ट्र में गांधी स्मारक निधि की ग्राम सफाई स्कीम।

37. एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजनाओं से सम्बन्धित मूल्यांकन रिपोर्ट ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा शिक्षित बेरोजगारों के लिए ऋण दिये जाने सम्बन्धी योजना की पुनरीक्षा

7245. **श्री जार्ज फर्नान्डीज :**
श्री सुधीर गिरि :
श्रीमती प्रमिला दंडवते : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास पिछले अनुभव और कु-वितरण को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा शिक्षित बेरोजगारों के लिए दिए जाने वाले ऋण सम्बन्धी योजना की पुनरीक्षा करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या उपाय किए गए हैं जिनसे यह योजना अलाभकारी सिद्ध न हो ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) जी, नहीं । योजना बहुत अच्छी समझी गई है और क्रियान्वित तथा कड़ाई से मानिटर की जा रही है ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

सीमेंट का आयात

7246. **श्री नवीन रावणी :**
श्री सत्यनारायण जटिया : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981-82, 1982-83 और 1983-84 के दौरान कितने सीमेंट का आयात किया गया है और प्रत्येक वर्ष में इस कार्य पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) इस आयातित सीमेंट का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है;

(ग) उक्त अवधि में भारत में सीमेंट का उत्पादन कितना था;

(घ) देश में सीमेंट उत्पादन की भारी क्षमता होते हुए सीमेंट आयात करने के क्या मुख्य कारण हैं; और

(ङ) क्या माँग को पूरा करने के लिए सरकार सातवीं योजना में देश में सीमेंट के और अधिक कारखाने स्थापित करने के बारे में विचार करेगी ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) आयातित सीमेंट की मात्रा निम्न प्रकार है :—

1981-82	15.98 लाख मी० टन
1982-83	15.43 लाख मी० टन
1983-84	22.40 लाख मी० टन (अनन्तिम)

वर्ष 1981-82 के दौरान आयातित सीमेंट का मूल्य 100.83 करोड़ रु० था। वर्ष 1982-83 और 1983-84 में आयात किए गए सीमेंट के मूल्य की जानकारी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि राज्य व्यापार निगम के अलावा राज्य के अनेक नामित अभिकरणों को सीधे ही सीमेंट का आयात करने की अनुमति प्रदान की गई थी।

(ख) फरवरी, 1982 तक आयातित सीमेंट को देशी सीमेंट के साथ इकट्ठा किया गया था तथा उसे सीमेंट नियंत्रण की स्वीकृति से समान रेल भाड़ा मुक्त मूल्य पर वितरित किया गया था। उसके बाद आयातित सीमेंट पंजीकृत वास्तविक उपभोक्ताओं को ही वितरित किया जाता है।

(ग)	1981-82	210.60 लाख मी० टन
	1982-83	233.00 लाख मी० टन
	1983-84	270.00 लाख मी० टन (अनन्तिम)

(घ) सीमेंट की मांग और देशी उत्पादन के बीच के अन्तर को पूरा करने के लिए आयात करने की स्वीकृति दी गई थी।

(ङ) जी, हां।

पम्प उद्योग में संकट

7247. **श्री जी०वाई० कृष्णन** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में पम्प उद्योग को निर्यात के मामले में अवनति की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या देश की मंडी में भी इसकी स्थिति कमजोर है, जबकि उद्योग में पम्प विपणन क्षमता का उपयोग नहीं हुआ है और विशिष्ट परियोजनाओं अथवा कड़ी शर्तों के ऋणों से पम्पों का आयात किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ह्रास की प्रवृत्ति से सम्बन्धित ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसके विपणन में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) तथा (ख) पिछले कुछ वर्षों में पम्पों का निर्यात निम्नलिखित रहा है :—

197 -80	:	7.71 करोड़ रुपए
1980-81	:	10.08 करोड़ रुपए
1981-82	:	20.00 करोड़ रुपए
1982-83	:	18.00 करोड़ रुपए

पम्प उद्योग में क्षमता का उपयोग 70 प्रतिशत है।

पम्पों के आयात की अनुमति केवल तभी दी जाती है जबकि देशी उत्पादक-उपभोक्ताओं की आवश्यकता के अनुरूप पम्पों की आपूर्ति न कर सकें।

(ग) तथा (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

केरल में सीमेंट फैक्टरी

7248. **श्री ईरा अनबारासु** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में ट्रावनकोर सीमेंट फैक्टरी एक सरकारी उपक्रम है, यदि हां, तो उसमें केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार और जनता के शेयरों का अनुपात क्या है;

(ख) संयंत्र की वार्षिक कुल क्षमता क्या है और वर्ष 1980 से 1983 तक के वर्षों का निवल उत्पादन क्या रहा;

(ग) क्या यह हमारे देश की आवश्यकता को पूरा करता है, यदि नहीं, तो क्या मांग की पूर्ति करने के उद्देश्य से सफेद सीमेंट के निर्माण के लिए एक और सीमेंट संयंत्र की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) विपणन का तरीका क्या है; और

(ङ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सफेद सीमेंट के वितरण में कथित अनियन्त्रित कदाचार व्याप्त है; यदि हां, तो इसके विपणन को विनियमित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 के अभिप्राय के अन्तर्गत मेसर्स ट्रावनकोर सीमेंट लि० एक सरकारी उपक्रम नहीं है। किन्तु कम्पनी की अंशपूंजी की 50.13 प्रतिशत धारिता केरल सरकार की है और शेष अंश पूंजी जनता की है।

(ख) कम्पनी की लाइसेंस प्राप्त क्षमता 0.790 मी० टन प्रति वर्ष है। यह कम्पनी सफेद सीमेंट बना रही है और पिछले चार वर्षों के दौरान इसके उत्पादन के आंकड़े निम्नलिखित हैं :—

वर्ष	उत्पादन (मी० टन)
1980	37867
1981	39982
1982	42780
1983	34784 (अनुमान)

(ग) सफेद सीमेंट के निर्माण के लिए विद्यमान अधिष्ठापित क्षमता 1.11 लाख मी० टन है। बढ़ती हुई मांग को पूरा करने की दृष्टि से इस मद के निर्माण के लिए लगभग 7 लाख मी० टन की अतिरिक्त क्षमता स्वीकृत की गई है।

(घ) और (ङ) कम्पनी ने सूचित किया है वह अपने उत्पादों का विपणन थोक व्यापारियों के जरिए कर रही है। केरल सरकार ने सूचित किया है कि उसे इस कम्पनी द्वारा सफेद सीमेंट के बितरण में किसी कदाचार की जानकारी नहीं है। इसके अलावा, इस समय सफेद सीमेंट की कीमत और वितरण पर कोई नियंत्रण नहीं है।

मारुति कारों का आवंटन

7249. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मारुति कारों के आवंटन के लिए कितने व्यक्तियों ने पंजीकरण कराया है तथा उनमें से कितने व्यक्तियों को उनकी बारी पर अब तक कार का आवंटन किया जा चुका है;

(ख) क्या कारों का आवंटन ऐसे व्यक्तियों को किया गया है जिनके पते ठिकानों की कोई जानकारी नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) 1 मार्च, 1984 तक मारुति कारों के आबटन के लिए 1,19,560 ग्राहकों को पंजीकृत किया गया था। 31 मार्च, 1984 तक ग्राहकों को उनकी बारी पर 806 कारें दी जा चुकी हैं।

(ख) और (ग) उन व्यक्तियों को कोई कारें नहीं दी गई हैं जिनके पते ठिकाने मालूम नहीं हैं।

वायु प्रदूषण रोकने के लिए डस्ट कन्टेनरों का प्रयोग

7250. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में ऐसे बड़े और मंझौले कारखानों की संख्या कितनी है जो वायु प्रदूषण को रोकने के लिए डस्ट कंटेनरों का उपयोग करते हैं और क्या ऐसे कारखानों की जिला-वार सूची सभा पटल पर रखी जाएगी; और

(ख) इस प्रकार के उपकरण का उपयोग न करने वाले कारखानों को इसका उपयोग करने के लिए बाध्य करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ?

पर्यावरण विभाग में उप-मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) तथा (ख) राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित वायु नियमों के अनुसार वायु प्रदूषक कारखानों को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में 24-3-84 तक अथवा इससे पूर्व मंजूरी के लिए आवेदन करना पड़ता है। बोर्ड में सिर्फ कुछ कारखानों से ही आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनकी जांच की जा रही है। चूंकि, हाल ही में सिर्फ कुछ आवेदन प्राप्त हुए हैं, अतः राज्य बोर्ड डस्ट कंटेनर को उपयोग में लाने वाले वायु-प्रदूषक कारखानों की जिला-वार सूची नहीं बना सका है। प्रत्येक मामले की जांच के बाद राज्य बोर्ड ने वायु नियमों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही आरम्भ करने का प्रस्ताव किया है।

आग्नेयास्त्रों के लिए लाइसेंस जारी करना

7251. **श्री जयपाल सिंह कश्यप** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बन्दूक, राइफल, रिवाल्वर, पिस्तौल और 30 कार्बाइन जैसे आग्नेयास्त्रों के लिए राज्य-वार कितने लाइसेंस जारी किए गए हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों में इन शस्त्रों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई;

(ग) इन वर्षों में लाइसेंस धारकों को जारी की गई गोलियों में से प्रत्येक श्रेणी की कितनी गोलियों का प्रयोग किया गया; और

(घ) क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठा रही है कि इन गोलियों का अवैध कार्यों के लिए प्रयोग न किया जाए ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से. (ग) सूचना एकत्र की जा रही हैं और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) इस सम्बन्ध में शस्त्र अधिनियम, 1959 और शस्त्र नियम, 1962 में सुरक्षण की व्यवस्था है।

बड़े राज्यों का विभाजन

7252. **श्री जयपाल सिंह कश्यप** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश आदि जैसे बड़े

राज्यों का प्रशासनिक दृष्टि से विभाजन करने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी नहीं, श्रीमान ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

चम्पारन में उद्योगों की स्थापना

7253. **श्री पीताम्बर सिंह** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम चम्पारन जिले में फरवरी, 1984 के अन्त तक शुरू किए गए लघु उद्योगों की संख्या कितनी है;

(ख) उनमें से कितने एकक बन्द हो गए हैं; और

(ग) कितने नए एकक शुरू किए जाने का विचार है और यदि उस सम्बन्ध में कोई प्रगति हुई है तो वह क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : पश्चिमी चम्पारन के जिला उद्योग केन्द्र से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 1978-79 से दिसम्बर, 1983 के बीच 4029 एकक स्थापित हुए थे जिनमें 763 लघु उद्योग एकक तथा 3266 कामगर आधारित एकक थे ।

(ख) जैसा कि जिला उद्योग केन्द्र द्वारा रिपोर्ट दी गई है, 1980-81 में 9 एकक बन्द हो गए थे ।

(ग) पश्चिम चम्पारन जिले में 1983-84 में राज्य सरकार द्वारा 440 एककों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है ।

ग्राम पंचायतों द्वारा गरीब लोगों की गणना

7254. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**

डा० वसन्त कुमार पंडित :

श्री रामजेठमलानी :

श्री कृष्ण कुमार गोयल :

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा :

श्री एन० के० शेजवलकर :

श्री बाबूराम परांजपे :

श्री सूरज भान : क्या योजना मन्त्री गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले

लोगों के बारे में 14 मार्च, 1984 के तारांकित प्रश्न संख्या 243 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने सभा को यह सूचित किया था कि गरीब लोगों की संख्या का अनुमान लगाने के लिए प्रत्येक गांव में ग्राम पंचायतों द्वारा गरीब लोगों की गणना की जा रही है तथा एक बोर्ड पर सूची प्रकाशित की जा रही है;

(ख) क्या तब से उन्होंने राज्यवार यह सूचना एकत्र की है कि कितने गांवों में इन सूचियों सहित ऐसे कितने बोर्डों का रख-रखाव किया जाता है यदि हां, तो उनकी राज्यवार संख्या क्या है;

(ग) क्या देश में किसी भी एक ऐसे राज्य में कोई भी एक ऐसा गाँव है, यदि हां, तो यह गांव कौन सा है तथा उसके बोर्ड पर क्या सूचना प्रदर्शित की गई है;

(घ) संघ राज्य क्षेत्रों में जिनके लिए केन्द्रीय सरकार जिम्मेदार है, ऐसे कौन-कौन से गाव हैं, तथा उनके बोर्डों पर क्या सूचना प्रदर्शित की गई है; और

(ङ) ग्राम पंचायतें इस बात का निर्धारण कैसे करती है कि क्या गरीब कहे जाने वाले व्यक्ति ने 2400 कैलोरी या उससे कम का उपभोग कर लिया है अथवा नहीं ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) एक प्रश्न के सन्दर्भ में यह बतायी गया था कि "क्या सरकार प्रत्येक गांव में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का सूची तैयार करेगी ताकि निहित स्वर्थों और बिचौलियों के भ्रष्टाचार को रोका जा सके और गरीब से गरीब लोगों की गणना की जा रही है और सूची प्रकाशित की जा रही है और एक बोर्ड पर प्रदर्शित की जा रही है ।"

(ख) से (घ) ये कथन इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए मार्ग-दर्शी सिद्धान्तों पर आधारित है ताकि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभ ग्राहियों का समुचित चयन सुनिश्चित किया जा सके । ग्रामीण विकास मन्त्रालय, भारत सरकार का सम्बन्धित परिपत्र अ० शा० प० सं० 14013/5/83 आई० आर० डी० 3 दिनांक 13 मई, 1983 संलग्न है ।

[ग्रथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 8147/84]

इस बारे में योजना आयोग में कोई ग्रामवार लेखा-जोखा नहीं रखा जाता क्योंकि मार्गदर्शी सिद्धान्तों को अपने कार्यक्षेत्रों में कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों और स्थानीय प्रशासन की है ।

(ङ) लाभग्राहियों का चयन कार्यान्वित करने वाले प्राधिकरणों द्वारा सम्बन्धित परिवारों के सामान्य व्यय स्तर के आधार पर किए जाने की आशा है । अतः प्रत्येक गरीब व्यक्ति के कैलोरी उपभोग को निर्धारित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में द्वीपों के लिए विकास परियोजनाएं

7255. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**

श्री सूरज भान : क्या गृह मन्त्री भारतीय द्वीप समूहों के बारे में 16 नवम्बर, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 312 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बिना आबादी वाले द्वीपों के लिए कौन सी विशिष्ट विकास परियोजनाएं तैयार की गई हैं;

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि आबादी वाले द्वीपों के निवासी देश के मुख्य भागों में आर्थिक शैक्षणिक और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुई प्रगति की गति के साथ रहे; और

(ग) क्या समुद्र विज्ञान आदि जैसी कुछ समुद्री परियोजनाओं का मुख्यालय इन द्वीपों पर ले जाने का कोई प्रस्ताव है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

आदिवासी क्षेत्र में मानव बलि

7256. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को देश के आदिवासी क्षेत्रों में दी जा रही मानव बलि की कुछ घटनाओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों में राज्य-वार ऐसी कितनी घटनाए हुई हैं; और

(ग) सरकार ने ऐसी मानव बलियों को रोकथाम के लिए राज्यों को क्या प्रभावशाली कदम उठाने के लिए कहा है या निदेश जारी किए हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार पिछले, दो वर्षों के दौरान संघ शासित क्षेत्र प्रशासन और असम, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड, पंजाब और सिक्किम राज्य में मानव बलि की कोई घटना नहीं हुई । गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, राजस्थान, त्रिपुरा में भी पिछले एक वर्ष के दौरान इस प्रकार का कोई मामला सूचित नहीं किया गया । तथापि 1983 में महाराष्ट्र और उड़ीसा में एक-एक मामला दर्ज किया गया । अपराधों से सम्बन्धित कानूनों को लागू करने के लिए राज्य सरकारें और संघ शासित क्षेत्र प्रशासन जिम्मेवार हैं ।

एल्यूमिनियम एककों का ब्यौरा

7257. श्री चिंतामणि जेना :
श्री नवीन रावणी :
श्री मोहनलाल पटेल : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र में अल्यूमिनियम बनाने के कितने एकक हैं और ये कहां-कहां हैं तथा प्रत्येक एकक की उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ख) प्रत्येक एकक द्वारा 1980-81, 1981-82, 1982-83 में किए गए उत्पादन तथा 1983-84 में किए जाने वाले सम्भावित उत्पादन का क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि इनका उत्पादन, क्षमता की तुलना में बहुत कम है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) वर्ष 1984-85 में उत्पादन में वृद्धि करके लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) देश में एल्यूमिनियम उत्पादकों की प्राथमिक धातु की उत्पादन क्षमता निम्नलिखित है:—

कम्पनी का नाम	स्थल	क्षमता (प्रतिवर्ष टनों में)
सरकारी क्षेत्र		
भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड कोबा	(मध्य प्रदेश)	100,000
निजी क्षेत्र		
इण्डियन एल्यूमिनियम कं० लि०	1. अलवाए (केरल)	20,000
	2. हीराकुंड (उड़ीसा)	24,000
	3. बेलगांम (कर्नाटक)	73,000
हिन्दुस्तान एल्यूमिनियम कारपोरेशन लि०	रेणुकूट (उत्तर प्रदेश)	120,000
मद्रास एल्यूमिनियम क० लि०	मेंतूर (तमिलनाडु)	25,000
		362,000

(ख)

एल्यूमिनियम का उत्पादन

(टनों में)

उत्पादक का नाम	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84
बालको	28,777	34,754	43,454	51,338
इन्डाल	72,919	82,474	63,380	53,885
हिन्डालको	75,294	75,675	89,172	98,485
मालको	22,027	13,860	12,140	6,578
कुल	199,017	205,763	208,146	220,286

(ग) और (घ) मुख्यतः अपर्याप्त बिजली पूर्ति के कारण एल्यूमिनियम प्रद्रावकों की क्षमता का बहुत कम उपयोग हुआ है। उत्पादन में वृद्धि हेतु एल्यूमिनियम प्रद्रावकों को पर्याप्त बिजली पूर्ति देने के लिए संबन्धित राज्य बिजली बोर्डों तथा राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है।

परमाणु उर्जा विभाग में हिन्दी और अंग्रेजी में लिखे गए पत्र

7258. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा 1981-82, 1982-83 और 1983-84 के दौरान राजभाषा अधिनियम, 1963 के उपबन्धों के अनुसार देश के 'क' 'ख' तथा 'ग' क्षेत्रों के राज्यों में स्थित अपने अधीनस्थ और सम्बद्ध कार्यालयों तथा उपक्रमों को पृथक-पृथक कितने मूलपत्र लिखे गए;

(ख) उनमें से राज्य-वार और वर्ष-वार कितने पत्र मूलतः हिन्दी में थे और कितने अंग्रेजी में थे;

(ग) परमाणु ऊर्जा विभाग को 'क' 'ख' और 'ग' क्षेत्रों के राज्यों में स्थित अपने सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों और उपक्रमों से उक्त अवधि के दौरान वर्ष-वार कितने मूल-पत्र प्राप्त हुए हैं; और

(घ) उसमें राज्य-वार हिन्दी तथा अंग्रेजी में लिखित पत्रों की पृथक-पृथक संख्या क्या है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलैक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है।

पर्यावरण विभाग में हिन्दी और अंग्रेजी में लिखे गए पत्र

7259. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्यावरण विभाग द्वारा 1981-82, 1982-83 और 1983-84 के दौरान राजभाषा अधिनियम, 1963 के उपबन्धों के अनुसार "क" "ख" तथा "ग" क्षेत्रों के राज्यों में स्थित अपने अधीनस्थ और सम्बद्ध कार्यालयों तथा उपक्रमों को पृथक-पृथक कितने मूल पत्र लिखे गए;

(ख) उनमें से राज्य वार और वर्ष वार कितने पत्र मूलत: हिन्दी में थे और कितने अंग्रेजी में थे;

(ग) पर्यावरण विभाग को "क" "ख" और "ग" क्षेत्रों के राज्यों में स्थित अपने सम्बन्ध तथा अधिनस्थ कार्यालयों और उपक्रमों में उक्त अवधि के दौरान वर्ष-वार कितने मूल पत्र प्राप्त हुए हैं; और

(घ) उनमें राज्य वार मूलत: हिन्दी तथा अंग्रेजी में लिखित पत्रों की पृथक-पृथक संख्या क्या है ?

पर्यावरण विभाग में उप-मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (घ) पर्यावरण विभाग द्वारा एक ओर अधिनस्थ कार्यालयों और दूसरी ओर व्यक्तियों, राज्य सरकारों आदि के सम्बन्ध में हिन्दी और अंग्रेजी में भेजे जाने वाले या प्राप्त होने वाले मूल पत्रों के बारे में आंकड़े अलग से नही रखे जाते ।

सीमेंट मजूरी बोर्ड के निर्णय का कार्यान्वयन

7260. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चरखी दादरी सीमेंट संयंत्र को गैर-सरकारी स्वामित्व से सरकारी स्वामित्व में ले लेने के बाद अब वहाँ न्यूनतम मजदूरी सम्बन्धी सीमेंट मजूरी बोर्ड के निर्णय को लागू किया जा रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या भारतीय सीमेंट निगम के एककों पर मजूरी बोर्ड निर्णय लाग होता है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) (क) और (ख) जी, हाँ। किन्तु, नामावली के बारे में भारतीय सीमेंट निगम ने उच्चतर ग्रेड देने सम्बन्धी मामलों की जांच की है तथा 260 कर्मचारियों को अगले उच्चतर ग्रेडों में भी रखा गया है । स्थायी समिति की उप-समिति द्वारा, जिसमें कर्मचारियों के प्रतिनिधि, निगम के

प्रतिनिधि का हरियाणा राज्य सरकार के प्रतिनिधि शामिल हैं, लगभग 70 मामलों की जांच की जा रही है।

(ग) जी, हां।

डालमिया सीमेंट कम्पनी में लौह-कबाड़ (स्क्रैप) और मशीनों के गोलमाल का पता चलना

7261. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें यह पता है कि डालमिया दादरी सीमेंट कम्पनी चरखी दादरी हरियाणा का अधिग्रहण करके भारतीय सीमेंट निगम को सौंपने के बाद इसके भूतपूर्व कर्मचारियों ने इस एकक में लगभग 1 करोड़ रुपये मूल्य के लौह-कबाड़ (स्क्रैप) और मशीनों का जिनका अभी तक पता नहीं चल रहा था पता लगाने में मदद की है;

(ख) यदि हां, तो लेखा बाह्य और पता न लगने वाले लौह-कबाड़ (स्क्रैप) की इस राशि को श्रमिकों के दावों का भुगतान करने के लिए भुगतान आयुक्त के खाते में डाला जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (ग) राष्ट्रीयकरण के समय विद्यमान कबाड़ (स्क्रैप) का भारतीय सीमेंट निगम को पहले से ही पता था। उपक्रम के अभिग्रहण के लिए सरकार द्वारा भुगतान की गई राशि का निर्धारण मैसर्स डालमिया दादरी सीमेंट कम्पनी लिमिटेड की उपलब्ध पिछले लेखा-परीक्षित तुलन-पत्र में दर्शाई गई सम्पत्तियों के मूल्य को ध्यान में रख कर किया गया था।

विदर्भ विकास बोर्ड की स्थापना

7262. श्री चित्त बसु : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदर्भ विकास मंडल संघर्ष समिति के एक शिष्टमंडल ने हाल ही में एक ज्ञापन दिया था जिसमें विदर्भ विकास बोर्ड की स्थापना करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 371 का क्रियान्वयन करने का अनुरोध किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) सरकार ने ज्ञापन में निहित सुझाव को नोट कर लिया है।

योजना आयोग के साथ "फिक्की" का विचार विमर्श

7203. **श्री चित्त बसु :** क्या **योजना मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल महासंघ (फिक्की) ने हाल ही में योजना आयोग के साथ कुछ विचार विमर्श किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या फिक्की ने औद्योगिक नीति संकल्प में उल्लिखित आरक्षण नीति में परिवर्तन करने का सुझाव दिया था;

(ग) क्या फिक्की ने यह सुझाव भी दिया था कि दूर-संचार, रक्षा उत्पादन, कोयला, बिजली और तेल की खोज के क्षेत्र गैर-सरकारी क्षेत्र के लिए खोल दिए जाने चाहिएं; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) बैठक एक व्यापक अभ्यास का भाग था जिसका उद्देश्य देश में अवगत मत के व्यापक प्रतिनिधिक समूह के साथ परामर्श और विचार-विमर्श करना था । उन विभिन्न मामलों पर भारतीय वाणिज्य मंडल और उद्योग महासंघ द्वारा अनेक सुझाव दिए गए जिन्हें वे अपनी दृष्टि से महत्वपूर्ण समझते थे । सरकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं मांगी गई और न ही इसकी आशा की गई क्योंकि बैठक केवल परामर्श स्वरूप की थी ।

दिल्ली में वायु प्रदूषण

7264. **डा० वसन्त कुमार पंडित :** क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में गत तीन-चार वर्षों के दौरान वायु-प्रदूषण स्वीकृत मानदण्डों से कहीं अधिक बढ़ गया है;

(ख) क्या सरकार को हानिकारक मोनोक्साइड गैस या धुआं उगलने वाले वाहनों में वायु प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से मफलर लगाने सम्बन्धी आधुनिक तकनीकी खोज का पता है; और

(ग) राजधानी में वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाने का विचार है ?

पर्यावरण विभाग में उप-मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान के आंकड़ों पर आधारित वृद्धि का कोई महत्वपूर्ण रुख नहीं पाया गया ।

(ख) इस समय ऐसी आधुनिक प्रौद्योगिकी बहुत महंगी है ।

(ग) यानीय निकासों से प्रदूषण कम करने के लिए सरकार द्वारा परिकल्पित नीति में ये शामिल हैं वाहनों के बेहतर चक्कर तथा रख-रखाव, दिल्ली परिवहन निगम की बसों के उत्सर्जन के नियन्त्रण के लिए अभियान आरम्भ करना, प्रदूषक वाहनों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त करने के लिए एक शिकायत सेल की स्थापना करना, बसों तथा अन्य भारी वाहनों से धुएं की प्रबलताओं को कम करना, अत्यधिक धुआ छोड़ने वाले वाहनों के लिए उपयुक्तता प्रमाण पत्र जारी न करना, कम प्रदूषण प्रणव उत्सर्जन इंजिन तैयार करने के लिए मो-र निर्माताओं को प्रभावित करना और प्रचार माध्यमों के द्वारा अधिक जागरूकता पैदा करना ।

राजगढ़, गुना और विदिशा में उद्योग स्थापित करना

7265. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश राज्य के पिछड़े हुए राजगढ़, गुना और विदिशा जैसे "उद्योग विहीन जिलों" में 1980, 198 , 1982 और 1983 के दौरान कितने नए उद्योग लगाए गए;

(ख) वहां स्थापित किए गए छोटे/मझोले/कुटीर/अन्य श्रेणियों के उद्योगों का ब्यौरा क्या है तथा इनमें से प्रत्येक में किस तारीख को उत्पादन शुरू हुआ;

(ग) उपरोक्त तीन जिलों में उद्योग लगाने के लिए किन-किन लोगों/उद्योगपतियों को औद्योगिक लाइसेंस/या आशयपत्र जारी किए गए;

(घ) उक्त कितने औद्योगिक लाइसेंसों/आशयपत्रों की अवधि समाप्त हो गई है;

(ङ) क्या सरकार ने उन उद्योगों के स्थापित न किए जाने के कारणों की जांच की; और

(च) मध्य प्रदेश के इन तीन उद्योग विहीन जिलों में खादी ग्रामोद्योग और ग्रामीण उद्योग आयोग ने इस दिशा में क्या प्रयास किए हैं और कितनी सफलता प्राप्त की ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) और (ख) केवल राजगढ़ और गुना जिलों को "उद्योग रहित जिला" चुना गया है । विदिशा जिले को पिछड़ा हुआ माना गया है और इसे आंशिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों की श्रेणी "ख" और आंशिक रूप से श्रेणी "ग" में शामिल किया गया है । जारी किए गए आशयपत्रों, तकनीकी विकास के महानिदेशालय में पंजीकृत की गई योजनाओं तथा स्थापित किए गए लघु एककों (कारीगर एककों सहित) की संख्या दर्शाने वाला विवरण । संलग्न हैं ।

भारत सरकार लघु एककों में उत्पादन शुरू होने की तिथि के सम्बन्ध में सूचना नहीं रखती है ।

(ग) विवरण II संलग्न है ।

(घ) राजगढ़ जिले के लिए जारी किया गया एक आशयपत्र अब व्यपगत मान लिया गया है । विदिशा जिले के लिए 1980 में जारी किया गया एक आशय पत्र पंजाब के एक जिले में अन्तरित कर दिया गया है ।

(ङ) राज्य सरकार से जारी किए गए आशयपत्रों/औद्योगिक लाइसेंसों पर हुई प्रगति की निगरानी रखने और एक तिमाही रिपोर्ट भेजने के लिए कहा गया है ।

(च) मध्य प्रदेश में राज्य खादी तथा ग्रमोद्योग बोर्ड, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन पंजीकृत 24 संस्थानों तथा 1477 सहकारी समितियों के माध्यम से खादी तथा ग्रामोद्योग कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया जाता है । खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग इन अभिकरणों को अपेक्षित सहायता प्रदान कर रहा है । मार्च, 1981 के अन्त तक, राजगढ़, गुना और विदिशा जिलों में खादी तथा ग्रामोद्योग के क्रमश: 348,180 तथा 179 उत्पादक एकक थे ।

विवरण I

मध्य प्रदेश में राजगढ़, गुना और विदिशा में जारी किए गए आशयपत्र और पंजीकृत की गई योजनाएं ।

जिले का नाम	1980	1981	1982	1983
राजगढ़				
i. आशय-पत्र	1 (व्यपगत मान लिया गया है)	—	—	—
ii. पंजीकृत योजनाए	—	1	4	4
गुना				
i. आशय-पत्र	—	—	1	3
ii. पंजीकृत योजनाएं	—	—	1	1
विदिशा				
i. आशय-पत्र	1*	—	1	1
ii. पंजीकृत योजनाएं	3	2	3	3

(* अब पंजाब के एक जिले में अन्तरित कर दिया गया हैं)

स्थापित किए गए लघु एककों (कारीगर एककों सहित) की संख्या

जिलों का नाम	1980-81	1981-82	1982-83
राजगढ़	291	408	337
गुना	273	352	405
विदिशा	333	271	316

विवरण II

मध्य प्रदेश के राजगढ़, गुना और विदिशा में जारी किए गए आशयपत्रों का ब्यौरा

क्र० सं०	उपक्रम का नाम	जिले का नाम	विनिर्माण की वस्तु और क्षमता
1	2	3	4
	1980		
1.	जेनिथ स्टील पाइप्स एण्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बम्बई	विदिशा	लिखाई और छपाई का कागज-19,800 मी०टन
2.	रावा कोल फिल्ड्स लिमिटेड, कलकत्ता	राजगढ़	पार्टलैण्ड सीमेंट 66,000 मी० टन
	1981—कुछ नहीं		
	1982		
3.	श्री जनक राय सोनी	गुना	स्टील पाइप्स और ट्यूब -25,000 मी० टन
4.	मै० मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, भोपाल	विदिशा	सोये से बना मक्खन, डबल रोटी पर लगाए जाने वाला सोये से बना खाद्य (ब्रेड स्प्रेड) सोये की मारग्रिन-30,000 मी० टन
	1983		
5.	श्री बी०एल० टंडन, नई दिल्ली	गुना	स्टील पाइप और ट्यूब-25,000 मी० टन

1	2	3	4
6.	सुपरियर एअर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, नई दिल्ली	विदिशा	नाइट्रस आक्साइड-75 लीटर
7.	मि० कमल जैन, खार, बम्बई	गुना	i. इंडस्ट्रियल आक्सीजन-10 लाख घन मी०
			ii. घुलित एसीटिलीन गैस -2.0 लाख घन मी०
8.	डा० एम० कुप्पुस्वामी, करोल बाग, नई दिल्ली		i. इथानोल-30,000 मी० टन
			ii. मकई का तेल (कार्न-आयल) -3,000 मी०टन
			iii. कार्बनडायक्साइड-तरलीकृत-1,800 मी० टन

मण्डल आयोग की सिफारिशें

7266. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा मंडल आयोग की सिफारिशों को अभी तक कार्यान्वित न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार इस प्रयोजन के लिए एक और आयोग नियुक्त करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो कब और उसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) मण्डल आयोग की सिफारशों में महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए हैं । रिपोर्ट राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को उनके विचार प्राप्त करने के लिए भेजी गई और उसके बाद 4.4.1983 को मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में इस पर विचार-विमर्श किया गया । अप्रैल; की बैठक में कोई मतैक्य नहीं था । आयोग ने पिछड़े वर्गों के रूप में अधिसूचित किए जाने के लिए 3,743 जातियों की सूची प्रस्तुत की है । हालांकि मण्डल आयोग ने पिछड़े वर्गों की सूची तैयार करने में पिछड़ेपन के निर्धारण के लिए उन मानदण्डों को स्वीकार किया है, जिन्हें वह "उद्देश्य" कहता है, फिर भी वह इन मानदण्डों से हट गया है । मण्डल आयोग द्वारा तैयार की गई पिछड़े वर्गों की सूची में बहुत सी असंगतियाँ हैं । यह आवश्यक है कि इन सभी असंगतियों की जांच की जाए । मामला सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए रोजगार योजना

7267. श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जाति/जनजाति को रोजगार दिलाने के लिए किसी योजना को हाल ही में अन्तिम रूप दिया है;

(ख) क्या इनमें से कोई योजना पूर्णरूप से ग्रामीण विकास और गरीब ग्रामीणों को रोजगार दिए जाने के लिए भी चलाई गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) से (ग) अनुसूचित जातियों और जनजातीय उपयोजनाओं के लिए चल रही विशेष संघटक योजनाओं के एक भाग के रूप में, कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रकों, ग्राम और कुटीर उद्योग, सड़कों, सिंचाई आदि के अन्तर्गत अधिकांश स्कीमें रोजगार उत्पन्न करती हैं और ग्रामीण क्षेत्रों से सम्बन्ध रखती हैं । तथापि, ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम है और रोजगार सृजन करने के लिए विशेष कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण श्रमिक रोजगार गारंटी कार्यक्रम है । एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार इसके अधीन कुल लाभग्राहियों में से कम से कम 30 प्रतिशत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्य होने चाहिए । राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत, कुल आवंटन का 10 प्रतिशत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित करने वाले निर्माण कार्यों के लिए निर्धारित किया जाता है । राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत धनराशियों का आवंटन कृषि श्रमिकों और सीमांत कृषकों की 75 प्रतिशत जनसंख्या के आधार पर और 25 प्रतिशत गरीबी, के सूचकांक/स्तर के आधार पर किया जाता है; जहाँ जिला स्तर पर गरीबी से सम्बन्धित आंकड़े उपलब्ध नहीं होते हैं, वहां बदले में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या को ध्यान में रखा जाता है ग्रामीण श्रमिक रोजगार गारंटी कार्यक्रम (आर० एल० ई० जी० पी०) के अन्तर्गत निर्माण कार्यों का चयन करते समय, बेरोजगार भूमिहीन श्रमिकों की अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों विशेष रूप से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों वाले क्षेत्रों को तरजीह दी जानी है । इससे सम्बन्धित विवरण छठी पंचवर्षीय योजना दस्तावेज और वार्षिक योजनाओं में दिए गए हैं जो सभा पटल पर रख दिए गए थे ।

विभिन्न राज्यों में पुलिस द्वारा गोली चलाया जाना

7268. **श्री बो० वी० देसाई:**

श्री पी० एम० सईद : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फरवरी और मार्च, 1984 में विभिन्न राज्यों में विशेषकर पंजाब, हरियाणा, बिहार, पश्चिम बंगाल और अन्य स्थानों पर पुलिस द्वारा गोली चलाने की काफी घटनाएं हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो इतने अधिक क्षेत्रों में पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने से पता चलता है कि लगभग देश के प्रत्येक भाग में इन महीनों में उग्रवादियों की गतिविधियों में वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारों से गोली चलाए जाने और विभिन्न राज्यों में उग्रवादियों की गतिविधियों के बारे में रिपोर्ट प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, और कितने राज्यों में उग्रवादियों की गतिविधियां बढ़ रही हैं और उग्रवादियों की गतिविधियों को दबाने मे राज्य सरकारों की सहायता के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (घ) पंजाब में सिख उग्रवादियों की गतिविधियों के अतिरिक्त देश के कुछ भागों, जैसे आन्ध्र प्रदेश और बिहार में वामपंथी उग्रवादियों की गतिविधियां देखी गई हैं। परन्तु यह कहना सही नहीं होगा कि देश के प्रत्येक भाग में उग्रवादी गतिविधियों में वृद्धि हो रही है।

राज्य सरकारें मूल रूप से विधि व व्यवस्था बनाये रखने से सम्बन्धित है और उपयुक्त कार्यवाही कर रही है। केन्द्र सरकार राज्य सरकारों से निकट का सम्पर्क रखती है और राज्य सरकारों को समय-समय पर अपेक्षित सहायता प्रदान करती है।

सातवीं योजना के दौरान अल्पावधि परियोजनाओं पर बल दिया जाना

7269. **श्री बो० वी० देसाई :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने कहा है कि सातवीं योजना में भारी उद्योगों की बजाए अल्पावधि परियोजनाओं पर ज्यादा बल दिया जाना चाहिए।

(ख) यदि हां, तो क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के मसौदे को, जो तैयार हो चुका है और सरकार के समक्ष अनुमोदन रखा गया है, सरकार द्वारा विभिन्न आपत्तियां उठाए जाने के कारण अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका है;

(ग) यदि हां, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना में मुख्य रूप से किस मुद्दे पर जोर दिया जाएगा, और

(घ) सातवीं योजना को अन्तिम रूप दिए जाने का कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं। उपरोक्त (क) के संदर्भ में प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) योजना आयोग इस समय सातवीं योजना का नीति पत्र तैयार करने में लगा हुआ है। यह नीति पत्र, राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा अनुमोदित कर दिए जाने पर केन्द्र और राज्यों द्वारा योजना तैयार करने के विस्तृत कार्य को आरम्भ करने का आधार होगा। अतः सातवीं योजना के अन्तर्गत क्षेत्रकीय प्राथमिकताओं के बारे में टिप्पणी करना अभी सम्भव नहीं।

भारत और पश्चिम जर्मन के बीच तकनीकी सहयोग परियोजना

7270. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पश्चिमी जर्मन इंजीनियरी उद्योग के बीच कोई तकनीकी सहयोग परियोजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस परियोजना में दोनों देशों के इंजीनियरी उद्योग से सम्बन्धित मध्यम दर्जे की और छोटी इकाइयां ही शामिल होंगी;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में पश्चिम जर्मन इंजीनियरी उद्योग के साथ कोई समझौता हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भारतीय इंजीनियरी उद्योग के विकास में यह कितना सहायक होगा ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

स्कूटरों की बुकिंग, मांग और सप्लाई

7271. **श्री सत्य नारायण जटिया** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1980-81 से 1983-84 की अवधि के दौरान दो पहियों वाले स्कूटर बनाने वाली विभिन्न कम्पनियों द्वारा बुक किए गए स्कूटरों की संख्या तथा अग्रिम के रूप में एकत्र की गई राशि के सम्बन्ध में वर्ष-वार ब्यौरा क्या है तथा इसी अवधि के दौरान इन कम्पनियों की वर्ष-वार उत्पादन क्षमता, वास्तविक उत्पादन और सप्लाई की स्थिति क्या है; और

(ख) जिन लोगों ने 1983-84 तक स्कूटर बुक कराए हैं, उन्हें इन कम्पनियों द्वारा कब तक स्कूटर सप्लाई किए जाने की सम्भावना है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) तथा (ख) जिन दुपहिया स्कूटर निर्माताओं ने बड़ी मात्रा में बुकिंग की है उनके सम्बन्ध में जानकारी संलग्न विवरण में दी जाती है ।

विवरण

दुपहिया स्कूटरों के प्रमुख निर्माताओं का ब्यौरा, जिनके पास लम्बी प्रतीक्षा सूची है ।

निर्माता का नाम	लाइसेंस प्राप्त क्षमता (लाख नग)	अधिष्ठापित क्षमता (लाख नग)	बुक किए गए क्रयादेश (लाख सं०)					स्कूटरों के उत्पादन और संभरण का ब्यौरा (नगों में)	
			1980	1981	1982	1983	1984	1980	1981
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
बजाज आटो लि०, पुणे	1.60	1.60	0.50*	1.28*	1.06*	0.28*	—	उत्पादन	
								32,138	40,723
						2.77		बिक्री	
								31,396	40,677
महाराष्ट्र स्कूटर्स लि० सतारा	0.52	0.34	0.63*	1,33*	0.94*	0.05*	—	उत्पादन	
								25,006	24,546
						49.49		बिक्री	
								24,901	24,544
लोहिया मशीन्स लि०, कानपुर	1.00	1.00	—	—	—	22.54	—	—	—
आन्ध्र प्रदेश स्कूटर्स लि० हैदराबाद	0.60	0.24	—	—	—	—	5.38	—	—

1982	1983	1984	इकट्ठा की गई राशि (करोड़ रुपये)	डिलीवरी की अवधि	टिप्पणी
11	12	13	14	15	16
9,275	82,434	उत्पादन —	13.85	लगभग 10 वर्ष	एम-50 मोटर साइकिलों की बुकिंग से सम्बन्धित जानकारी शामिल नहीं है ।
8,520	80,283	बिक्री —			
2,597	53,482	उत्पादन —	24.74	लगभग 10 वर्ष	
2,603	49,836	बिक्री —			
—	—	उत्पादन 1,403**	112.74	लगभग 7-8 वर्ष	** उत्पादन दिसम्बर, 1983 में शुरू हुआ । जानकारी केवल वर्ष 1983-84 के लिए है ।
		बिक्री 448			
—	—	— —	26.92	लगभग 6-7 वर्ष	नये स्कूटर का उत्पादन केवल 2 अप्रैल, 1984 से शुरू हुआ, जिसके लिए बुकिंग की गई थी ।

(*) डाकघरों के जरिए बुकिंग ।

केरल में दिए गए आशय पत्र और केन्द्रीय निवेश

7272. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले चार वर्षों के दौरान केरल के लिए वर्ष-वार कुल कितने आशय पत्र मंजूर किये गये;

(ख) क्या यह भी सच है कि केरल में केन्द्रीय क्षेत्र में निवेश न्यूनतम है; और

(ग) यदि हाँ, तो केरल में केन्द्रीय निवेश को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) केरल राज्य में उद्योगों की स्थापना के लिए पिछले चार वर्षों के दौरान उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत निम्नलिखित संख्या में आशय पत्र स्वीकृत किए गए थे :—

वर्ष	स्वीकृत आशय पत्रों की संख्या
1980	22
1981	25
1982	29
1983	35

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

कम्प्यूटर उपकरणों के लिए औद्योगिक अनुमोदन

7273. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** :

श्री प्रताप भानु शर्मा : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कम्प्यूटर उपकरणों के निर्माण के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने औद्योगिक अनुमोदन जारी किए गए हैं;

(ख) अब तक कितने कम्प्यूटर निर्माण एककों ने उत्पादन शुरू कर दिया है; और

(ग) सरकार ने छठी और सातवीं योजना में कम्प्यूटर और अन्य इलेक्ट्रानिक वस्तुओं के उत्पादन का कितना लक्ष्य निर्धारित किया है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) देश में कम्प्यूटर के विनिर्माण के लिए पिछले 3 वर्षों के दौरान 82 औद्योगिक अनुमोदन जारी किए गए हैं।

(ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, वर्ष 1981 में 20 कम्पनियां, वर्ष 1982 में 42 तथा वर्ष 1983 में 50 कम्पनियां (सभी प्रकार के) कम्प्यूटर तैयार कर रही थीं।

(ग) छठी योजना के अन्तिम वर्ष 1984-85 के लिए इलेक्ट्रानिकी का उत्पादन-लक्ष्य 1850 करोड़ रु० (जिसमें कम्प्यूटरों के लिए 105 करोड़ रु० शामिल हैं) रखा गया है तथा सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए किया जाने वाला लक्ष्य-निर्धारण, इस समय विचाराधीन है।

हीरे का उत्पादन

7274. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हीरे का उत्पादन बढ़ाने पर अधिक जोर दिया है;

(ख) क्या हीरे का उत्पादन बढ़ाने के लिए सूरत में एक डायमन्ड इन्डस्ट्रियल एस्टेट स्थापित करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो पूरी परियोजना पर कितनी लागत आएगी; और

(घ) सूरत (गुजरात) में "डायमन्ड इन्डस्ट्रियल एस्टेट" स्थापित करने के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के०पी० साल्वे) : (क) हीरों का देशीय उत्पादन बढ़ाने और हीरों के नये निक्षेपों का पता लगाने के लिए भारतीय भू-सर्वेक्षण, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन और खनिज गवेषण निगम मिल कर मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर के जिलों में और आन्ध्र प्रदेश के कुरनूल अनन्तपुर और कृष्णा जिलों में ऐसे क्षेत्रों में, जहां हीरे मिलने की सम्भावना है, एक राष्ट्रीय हीरा समन्वेषण योजना कार्यान्वित कर रहे हैं। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन की पन्ना स्थित मझगांव की खान की क्षमता में वृद्धि करने के लिए विस्तार और संशोधन योजना भी कार्यान्वित की जा रही है।

(ख) से (घ) सूरत में एक डायमन्ड इन्डस्ट्रियल एस्टेट स्थापित करने का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

पन्ना के समीप मजगवान में हीरा-खान को हुई हानि

7275. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कौन-कौन सी और कितनी हीरा-खानें काम कर रही हैं;

(ख) क्या यह सच है कि पन्ना के समीप मझगवान में यंत्रीकृत हीरा-खान को गत दो वर्षों से भारी हानि हो रही है;

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) हानि को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार किया गया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) सार्वजनिक क्षेत्र में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम मध्य प्रदेश के पन्ना जिले की मझगांव खान का संचालन कर रहा है। निजी क्षेत्र में संचालित खानों से, जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा लाइसेंस जारी किए जाते हैं, सम्बन्धित जानकारी इस समय उपलब्ध नहीं है।

(ख) वर्ष 1981-82 तथा 1982-83 में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को मझगांव खान को क्रमश: 72.10 लाख रुपये तथा 131.42 लाख रुपये की हानि हुई थी।

(ग) हानि मुख्यत: प्रति कैरेट हीरे की बिक्री से कम वसूली होने तथा आदानों की लागत में वृद्धि होने के कारण हुई है। इन दोनों कारणों से पन्ना की हीरे की खानों की लाभदायकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

(घ) उत्पादन में वृद्धि करने तथा संचालन में मितव्ययिता लाने के लिए मझगांव की खान में संशोधन तथा विस्तार योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

औद्योगिक लाइसेंसों को जारी करना

7276. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1983-84 में जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो 1983-84 के वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों में कितने औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) जी, हाँ। 1 अप्रैल, 1982 से 28 फरवरी, 1983 के दौरान दिए गए 419 औद्योगिक लाइसेंसों की अपेक्षा 1 अप्रैल, 1983 से 29 फरवरी, 1984 के दौरान 953 औद्योगिक लाइसेंस मंजूर किए गए थे।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंस सम्बन्धी ब्यौरे जैसे उपक्रम का नाम और पता, विनिर्माण की वस्तु, क्षमता और स्थान भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा नियमित रूप से उनके "मंथली न्यूज लैटर" में प्रकाशित किये जा रहे हैं। इस प्रकाशन की प्रतियां संसद पुस्तकालय को नियमित रूप से भेजी जा रही हैं।

विवरण

1 अप्रैल, 1983 से 29 फरवरी, 1984 के दौरान स्वीकृत किए गए

औद्योगिक लाइसेंसों का राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

क्र०सं०	राज्य	औद्योगिक लाइसेंस (अप्रैल, 83 से फरवरी, 84 तक)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	51
2.	अरुणाचल प्रदेश	2
3.	असम	3
4.	बिहार	26
5.	चंडीगढ़	2
6.	दिल्ली	15
7.	गोआ, दमन और दिव	6
8.	गुजरात	10?
9.	हिमाचल प्रदेश	5
10.	हरियाणा	56
11.	जम्मू और कश्मीर	3
12.	कर्नाटक	50
13.	केरल	16
14.	मध्य प्रदेश	25
15.	महाराष्ट्र	153
16.	नागालैंड	2
17.	उड़ीसा	12

1	2	3
18.	पांडिचेरी	4
19.	पंजाब	167
20.	राजस्थान	21
21.	तमिलनाडु	62
22.	उत्तर प्रदेश	87
23.	पश्चिम बंगाल	73
	योग :	953

विदेशी ट्रेड मार्कों का प्रयोग

7277. **श्री दिगम्बर सिंह :** क्या उद्योग मंत्री विदेशी ट्रेड मार्कों का प्रयोग के बारे में 14 मार्च 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2812 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी ब्रांड नाम का प्रयोग करने के लिए लोहिया और अन्य पार्टियों को सरकार ने यदि अनुमति नहीं दी है तो उन्होंने भारत में ट्रेड मार्क रजिस्ट्री के पास अपने नाम कैसे पंजीकृत करवाए और उन्होंने अपने उत्पादों पर मार्क किस पर अंकित किया जा रहा है;

(ख) भारतीय कम्पनियों द्वारा विदेशी ब्रांड नाम प्रयोग किए जाने सम्बन्धी कानूनी और तकनीकी व्यवस्था क्या है और क्या इसके विदेशी सहयोगियों को एक तरीके से या दूसरे तरीके से कुछ अदायगी की जा रही है और यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) भारतीय निर्माताओं द्वारा विदेशी ब्रांड नाम के प्रयोग सम्बन्धी सरकार की नीति क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (ग) :

i) मेसर्स लोहिया मशीन्स लि० का विदेशी व्यापार चिन्ह के उपयोग के लिए पंजीकरण नहीं किया गया है ।

ii) हालांकि सरकार की नीति विदेशी व्यापार चिन्हों के इस्तेमाल को प्रोत्साहन न देने की है फिर भी ट्रेड एण्ड मर्केन्डाइज मार्कस एक्ट, 1958 के अधीन व्यापार चिन्हों का पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य नहीं है और इस प्रकार

व्यापर चिन्हों को पंजीकरण के बगैर भी इस्तेमाल किया जा सकता है फिर भी, व्यापार चिन्हों के इस्तेमाल के लिए अगर कोई विदेशी मुद्रा में अदायगी की जानी है तो उसकी पूर्व स्वीकृति लेना आवश्यक है।

एल्यूमिनियम की खपत में गिरावट

7278. **श्री नवीन रावणी :**

श्री अमर सिंह राठवा : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में एल्यूमिनियम की खपत में गिरावट आई है;

(ख) यदि हाँ, तो वर्ष 1980-81, 1981-82, 1982-83 और 1983-84 के दौरान एल्यूमिनियम की कितनी वार्षिक खपत हुई है; और

(ग) गिरावट के क्या कारण है, और उत्पादित एल्यूमिनियम का उपयोग करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के०पी० साल्वे) : (क) और (ख) प्राथमिक उत्पादकों और आयातक एजेंसी भारतीय खनिज और धातु व्यापार निगम से एल्यूमिनियम की खरीद निम्नलिखित है :—

	टन (लगभग)
1980-81	306,100
1981-82	230,900
1982-83	239,500
1983-84	239,500 (अनुमानित)

(ग) 1980-81 के बाद राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा (जो देश में उत्पादित 5 प्रतिशत एल्यूमिनियम की खपत करते हैं) वित्तीय कठिनाइयों के कारण कन्डक्टरों की कम खरीद की/ एल्यूमिनियम के समूचे देशी उत्पादन की खपत देश में हो जाती है तथा माँग और देशी उत्पादन में जो अन्तर रहता है, उसकी पूर्ति भी आयात द्वारा की जाती है।

सीमेंट संयंत्रों द्वारा विद्युत संयंत्रों की स्थापना

7279. **श्री नवीन रावणी :** क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विद्युत की कमी के कारण सीमेंट के उत्पादन में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो सीमेंट संयंत्रों को सलाह दी गई है कि वे अपने विद्युत संयंत्र स्थापित करें;

(ग) यदि हां, तो किन सीमेंट संयंत्रों ने अपने रक्षित विद्युत संयंत्र स्थापित कर लिए हैं; और

(घ) सीमेंट संयंत्रों को विद्युत की पूर्ति हेतु अन्य क्या उपाय किए जा रहे हैं जिससे इसका उत्पान न रुके ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) (क) सीमेंट उत्पादन करने वाले अनेक राज्यों में बिजली की उपलब्धता सम्बन्धी अड़चनों के कारण देश में सीमेंट का उत्पादन कुछ सीमा तक प्रभावित हुआ है।

(ख) जी, हां।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) राज्य सरकारों से ग्रिड से समुचित बिजली दिलवाने और सीमेंट कारखानों को बिजली की कटौती से मुक्त रखने के लिए अनुरोध किया गया है।

विवरण

क्रमांक	उन सीमेंट कारखानों के नाम जिन्होंने डीजल चालित सेट लगा लिए हैं।	क्रमांक	उन सीमेंट कारखानों का नाम जिन्होंने कैप्टिव थर्मल पावर संयत्र लगा लिए हैं
1	2		
1.	ए०सी०सी० मैंचेरियल	1.	ए०सी०सी० लि०, लखेरी
2.	डालमिया सीमेंट (बी) लिमिटेड डालमियापुरम	2.	जयपुर उद्योग लि०, सवाईमाधोपुर
3.	दुर्गापुर सीमेंट वर्क्स दुर्गापुर	3.	बिरला जूट एण्ड इण्डस्ट्रीज लि०, चित्तौड़गढ़
4.	कल्याणपुर लाइम एण्ड सीमेंट वर्क्स, बंजारी	4.	ए०सी०सी० लिमिटेड, चाइबासा
5.	के०सी०पी० लिमिटेड, मचेरला	5.	ए०सी०सी० लि०, खलारी,
6.	ए०सी०सी० जामुल	6.	सोन वैली पोर्टलैण्ड सीमेंट कं० लि०, जोपला

1	2	3
	7. बिरला जूट एण्ड इण्डस्ट्रीज लि०, चित्तौड़गढ़	7. ए०सी०सी० लि०, द्वारका
	8. सेन्चुरी सीमेंट, तिल्दा	8. ए०सी०सो० लिमिटेड, किमूर
	9. चेटिटनाड सीमेंट, करूर	9. मैहार सीमेंट, मेहार
	10. जे०के० सिथेटिक्स लिमिटेड, निम्बाहेड़ा	10. ए०सी०सो० लिमिटेड, सिवालिया
	11. स्ट्रा प्राडक्ट्स लि०, बनास	11. बिरला जूट एण्ड इण्डस्ट्रीज लि०, सतना
	12. मैहार सीमेंट, मैहार	12. मैसूर, सीमेंट लि०, दमोह
	13. मंगलम सीमेंट, मोरक	13. ए०सी०सी० शाहबाद
	14. रेमण्ड वूलन मिल्स लि०, जंजगीर	14. ए०सी०सी०, वाडी
	15. दि इण्डिया सीमेंट लि०, शंकर नगर	15. मैसूर सीमेंट लिमिटेड, अम्मासान्द्रा
	16. दि इण्डिया सीमेंट लि०, शंकरी दुर्ग	
	17. उदयपुर सीमेंट वर्क्स, उदयपुर	
	18. बगलकोट उद्योग लि०	
	19. सी०सी०आई० नीमच	
	20. उड़ीसा सीमेंट राजनपुर	
	21. मद्रास सीमेंट, तुल्लुकापट्टी	
	22. सी०सी०आई० कुरकुंटा	

यमुनानगर में जाली पासपोर्ट बनाने वाले गिरोह की गिरफ्तारी

7280. **श्री राम विलास पासवान** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 मार्च, 1984 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित इस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें यह बताया गया है कि सिंगापुर के एक पासपोर्ट गिरोह को यमुनानगर में गिरफ्तार किया गया है;

(ख) क्या गिरफ्तार किए गए व्यक्ति जाली पासपोर्ट देने के लिए प्रत्येक व्यक्ति से 8000 रु० वसूल कर रहे थे;

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (घ) दिनांक 12 मार्च, 84 के हिन्दुस्तान टाइम्स में 'सिंगापुर पासपोर्ट गिरोह गिरफ्तार' शीर्षक से एक समाचार प्रकाशित हुआ था। राज्य सरकारें और संघ शासित क्षेत्र प्रशासन अपराधों से सम्बन्धित कानूनों को लागू करने के लिए उत्तरदायी हैं। यह मामला हरियाणा सरकार के ध्यान में लाया गया है जो कानून के अनुसार उचित कार्यवाही करेगी।

पंजाब में बम विस्फोट

7281. **श्री छांगुर राम** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले दो वर्षों के दौरान पंजाब में कितने बम विस्फोट हुए और यह बम कहां से प्राप्त किए गए थे ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : 1 अप्रैल, 1982 से 31 मार्च 1984 तक की अवधि के दौरान पंजाब में बम विस्फोट 94 मामले हुए हैं। बताया जाता है कि विस्फोटों में प्रयोग किए गए अधिकांश बम देसी थे।

बैटरी उद्योग में संकट

7282. **श्री स्कारिया थामस** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जस्ते पर उत्पाद शुल्क बढ़ाए जाने के कारण बैटरी उद्योग संकट में है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) जस्ते पर उत्पादन शुल्क में 1 मार्च, 1982 से कोई वृद्धि नहीं हुई है।

(ख) जस्ते पर उत्पादन शुल्क में वृद्धि के विरुद्ध बैटरी उद्योग से कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ग) सवाल ही नहीं उठता।

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् में अनुसूचित जातियों/ जनजातियों के लिए आरक्षण कोटा

7283. **श्री त्रिलोक चन्द** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के कार्यालयों और प्रयोगशालाओं में रोस्टर रखा जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या वहां रोस्टर के अनुसार अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण कोटा पूरा है और यदि नहीं, तो आरक्षित रिक्त पदों का विवरण क्या है और ये पद कब से रिक्त पड़े हैं; और

(ग) अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षित कोटा कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है और क्या इन पदों को भरने के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं और क्या यह पद उम्मीदवारों को छूट देकर भरे जाएंगे और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलैक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) प्रयोगशालाओं/संस्थानों से सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् में सम्पर्क कक्षों की स्थापना

7284. **श्री त्रिलोक चन्द** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् तथा उसके अंतर्गत एन०पी० एल०, आई०एन०एस०डी०ओ०सी०, पी०आई०डी०, सी०एफ०टी०आर०आई० आदि जैसी प्रयोगशालाओं में सम्पर्क कक्षों की स्थापना करके 100/40 प्वाइंट रोस्टर रखा जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उन प्रयोगशालाओं के नाम क्या हैं जिनमें इस प्रकार के कक्षों को स्थापित किया गया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलैक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) सी०एस० आई०आर० के मुख्यालय और उसकी प्रयोगशालाओं में जिनका उल्लेख प्रश्न के खण्ड "क" में है, 100/40 बिन्दु रोस्टर रखे जा रहे हैं। सी०एस०आई०आर० मुख्यालय तथा केन्द्रीय इलेक्ट्रानिकी इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान (सी०ई०ई०आर०आई०), केन्द्रीय सड़क अनुसंधान सस्थान (सी०आर०आर०आई०), केन्द्रीय औषधीय सगध पौध संस्थान (सी०आई०एम०ए०पी०), क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला (आर०आर०एल०), भुवनेश्वर, क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला (आर०आर०एल०), भोपाल, केन्द्रीय यांत्रिक इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान (सी०आई०एम०ई०आर०आई०), क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला (आर०आर०एल०), जोरहाट, केन्द्रीय नमक और समुद्र-रसायन अनुसंधान संस्थान

(सी०एस०एम०आर०आई०) में सम्पर्क सेल स्थापित किए गए हैं। अन्य प्रयोगशालाओं से सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् तथा इसकी प्रयोगशालाओं में कार्य करने वाले कर्मचारियों को नियमित करना

7285. **श्री त्रिलोक चन्द :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वीकृत ठेकेदारों ने वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् और उसकी प्रयोगशालाओं के विभिन्न सैक्शनों में सुरक्षा कर्मचारियों, रखरखाव कर्मचारियों और अन्य कर्मचारियों में अपने आदमी दे रखे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या ठेकेदारों द्वारा दिए गए कर्मचारियों की भर्ती उनकी अर्हताओं के अनुसार की गई हैं और उन्हें सरकारी आदेशों के अनुसार वेतन और भत्ते मिलते हैं; और

(ग) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् और उसकी प्रयोगशालाओं में ठेके के आधार पर कार्यरत इन कर्मचारियों की सेवा को नियमित करने की कोई व्यवस्था है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलैक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है। प्राप्त होने पर सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

देशी रंगीन टी०वी० सेटों के निर्माण हेतु 'मास्टर प्लान'

7286. **श्री प्रताप भानु शर्मा :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि इलेक्ट्रानिक्स विभाग ने देशी रंगीन टी०वी० सेटों के किफायती माडलों के निर्माण के लिए एक उपयुक्त मास्टर प्लान का विकास किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में रंगीन टी०वी० ट्यूबों के उत्पादन के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उपमन्त्री (डा० एम०एस० संजीवी राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) रंगीन दूरदर्शन पिक्चर ट्यूबों के विनिर्माण के लिए तीन आशय-पत्र जारी

किए गए हैं जिनकी कुल वार्षिक उत्पादन क्षमता 13 लाख नग होगी।

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में लघु सीमेंट संयंत्रों की स्थापना

7287. **श्री हरीश रावत** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु सीमेंट संयंत्रों की स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के उपक्रम कुमाऊं विकास निगम को अब तक तारीख-वार कितने आशय-पत्र जारी किए गए हैं;

(ख) क्या आशय-पत्रों के अनुपालन में इन लघु सीमेंट संयंत्रों का कार्य आरम्भ हो गया है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं;

(घ) क्या सरकार उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में लघु सीमेंट संयत्रों की स्थापना के लिए एक अलग उपक्रम बनाने की संभावना पर विचार करेगी अथवा ये संयंत्र सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया द्वारा स्थापित किए जाएंगे; और

(ङ) यदि नहीं, तो सम्बद्ध कार्यक्रम के आधार पर इन लघु सीमेंट संयंत्रों का शीघ्र स्थापित किया जाना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) 13-4-1982, 24-3-1982, 19-1-1982 और 31-12-1982 को चार आशयपत्र स्वीकृत किए गए हैं।

(ख) और (ग) कुमाऊं मण्डल विकास निगम द्वारा भेजी गई जानकारी के अनुसार योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए भूमि अभिग्रहण करने, सहयोगकर्ता का पता लगाने, तकनीकी-आर्थिक संभाव्यता प्रतिवेदन तैयार करने, वित्तीय व्यवस्था करने आदि जैसे विभिन्न कदम उठाए गए हैं।

(घ) ऐसा कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन योजनाओं को अनुमत समय सीमा के अन्दर कार्यान्वित कर दिया गया तथा कार्यान्वित न किए गए आशय-पत्रों को रद्द कर दिया गया है, स्वीकृत योजनाओं के कार्यान्वयन की निकट से मानीटरिंग की जा रही है।

लघु सीमेंट संयंत्रों की स्थापना

7288. **श्री हरीश रावत** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या पिछले चार वर्षों के दौरान लघु संयंत्रों की स्थापना के लिए सरकार द्वारा जिन संगठनों की और उद्यमियों को आशय-पत्र और लाइसेंस दिए गए थे, उनमें से 10 प्रतिशत ने भी अब तक इन एककों की स्थापना के लिए कोई कार्यवाही आरम्भ नहीं की है;

(ख) पिछले चार वर्षों के दौरान इस प्रयोजन के लिए जारी किए गए आशय-पत्रों की राज्यवार संख्या कितनी है और उनमें से कितनों का उपयोग किया गया है;

(ग) चालू पंचवर्षीय योजना के अन्त तक देश में सीमेंट के कुल उत्पादन का कितने प्रतिशत उत्पादन लघु सीमेंट संयंत्रों द्वारा किया गया ; और

(घ) लघु सीमेंट संयंत्रों की स्थापना में विलम्ब होने के कारण क्या हैं और स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) और (ख) मिनी सीमेंट संयंत्रों की स्थापना करने के लिए राज्य-वार जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंसों और आशयपत्रों की संख्या दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। हाल ही में राज्य सरकारों के परामर्श से इन औद्योगिक लाइसेंसों/आशयपत्रों की की गई संवीक्षा से पता चलता है कि 19 आशयपत्रों के कार्यान्वयन की प्रगति संतोषजनक नहीं है।

(ग) छठी योजना के प्रथम चार वर्षों में देश के कुल सीमेंट उत्पादन में मिनी सीमेंट संयंत्रों के उत्पादन का अंश लगभग 0.36 प्रतिशत है।

(घ) विलम्ब के प्रमुख कारणों में चूना पत्थर निक्षेपों के लिए खनन पट्टा प्राप्त करने, परिवेश और पर्यावरण दृष्टिकोणों से अनुमति प्राप्त करने तथा वित्तीय सहायता के लिए व्यवस्था करने में लगा अधिक समय सम्मिलित है। इन योजनाओं का अनुमत समय-सीमा के भीतर ही कार्यान्वित किया जाना तथा कार्यान्वित न किए गए आशयपत्रों का रद्द कर देना सुनिश्चित करने के लिए, स्वीकृत योजनाओं के कार्यान्वयन की गहराई से मानीटरिंग की जा रही है।

विवरण

क्र० सं०	राज्य का नाम	जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या	जारी किए गए आशय-पत्रों की संख्या
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	2	7
2.	असम	—	1
3.	बिहार	—	1
4.	गुजरात	5	13
5.	हरियाणा	—	1

1	2	3	4
6.	हिमाचल प्रदेश	1	5
7.	कर्नाटक	4	2
8.	मध्य प्रदेश	2	5
9.	महाराष्ट्र	1	—
10.	उड़ीसा	—	3
11.	राजस्थान	3	4
12.	उत्तर प्रदेश	—	7
	योग :	18	59

नमक उत्पादन में कमी

7289. **श्री हरीश रावत** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी और गैर-सरकारी एककों में 1983-84 के दौरान वार्षिक नमक उत्पादन में हुई कमी के क्या कारण हैं;

(ख) देश में क्षेत्र-वार ऐसे एककों के नाम क्या हैं जिन्होंने लाइसेंस प्राप्त करने के बाद भी उत्पादन शुरू नहीं किया है; और

(ग) देश में नमक उत्पादन करने वाले ऐसे एकक कौन-कौन से हैं जो निर्धारित मात्रा में आयोडाइजट नमक का उत्पादन निर्धारित मात्रा में नहीं कर रहे हैं तथा उनके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) वर्ष 1983 के दौरान 70.04 लाख मी० टन नमक का उत्पादन हुआ, जबकि वर्ष 1982 में 73.08 लाख मी० टन और 1981 में 89.23 लाख मी० टन उत्पादन हुआ था। गुजरात में (जून, 83 में), राजस्थान में (जुलाई, 83 में), आन्ध्र प्रदेश में (अगस्त और अक्तूबर, 1983 में) तथा तमिलनाडु में (दिसम्बर, 1983 में) भारी वर्षा, चक्रवातों और/अथवा बाढ़ों के कारण उत्पादन कम हुआ था।

(ख) विभिन्न राज्यों में उन एककों की संख्या जिनमें लाइसेंस प्राप्त हो जाने के बाद भी उत्पादन नहीं हुआ था, निम्नलिखित हैं :—

गुजरात	36
राजस्थान	4

तमिलनाडु	347
आन्ध्र प्रदेश	260
महाष्ट्र	15

(ग) मे० हिन्दुस्तान साल्ट्स लि०, खाराघोड़ा, मे० साभर साल्ट्स लि०, सांभर लेक और कलकत्ता स्थित नमक विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय की आयोडीन युक्त नमक के उत्पादन की कुल अधिष्ठापित क्षमता 3.81 लाख मी० टन प्रतिवर्ष है। किन्तु ये एकक कुछ व्यवहारिक कठिनाइयों अर्थात् राज्य सरकार के नामित व्यक्तियों द्वारा मांग पत्र न भेजने, तथा आयोडीन युक्त नमक को कम मात्रा में उठाए जाने, आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल करने की आवश्यकता के बारे में लोगों की जागरूकता न होने आदि के कारण अपनी पूरी क्षमता से कार्य करने में असमर्थ रहे हैं। इन आयोडीन युक्त नमक बनाने वाले एककों के खिलाफ कोई भी कार्यवाही करने का विचार नहीं है।

मे० टाटा कैमिकल्स लि०, मीठापुर तथा मे० अनूप चन्द गुलेचा, फलोबी ले हरत ही में आयोडीन युक्त नमक का उत्पादन करना आरम्भ कर दिया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना

7290. **श्री अनन्त रामुलु मल्लु** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसधान केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) क्या देश में ग्रामीण क्षेत्रों के आन्तरिक भागों में वैज्ञानिक प्रतिभाओं का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया गया है;

(ग) क्या देश के आर्थिक और औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में नई प्रौद्योगिकी शुरू करने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तत्तसम्बन्धी ब्यौर क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलैक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) विभिन्न वैज्ञानिक अभिकरणों/विभागों ने ग्रामीण क्षेत्रों में फील्ड स्टेशन स्थापित किये हैं। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान प्रयोगशालाओं को आरम्भ करने की कोई ठोस योजना नहीं है।

(ख) ग्रामीण क्षेत्र की वैज्ञानिक प्रतिभा को शामिल करके अपनी प्रतिभाओं का प्रयोग करने और राष्ट्रीय विकास में योगदान देने के अवसर उपलब्ध हैं।

(ग) सरकार के विभिन्न वैज्ञानिक संगठनों और विभागों ने देश के पिछड़े क्षेत्रों के लिए उपयुक्त कई नई प्रौद्योगिकियों को लागू किया है।

(व) ग्रामीण प्रौद्योगिकी की प्रगति हेतु परिषद को ग्रामीण विकास विभाग के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी की सहायता, विकास और प्रचार करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित अन्य योजनाएं हैं जैसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के लिए प्रौद्योगिकी विकास, महिलाओं के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ग्रामीण प्रौद्योगिकी के विकास और प्रचार के लिए कार्यक्रमों को प्रोत्साहन। अन्तरिक्ष विभाग ने भौतिक ससाधनों पर समाविष्ट आँकड़े एकत्र करने के विचार से दूर सवेदन कार्यक्रमों को आरम्भ किया है। सौर जल ताप प्रणाली, प्रकाश वोल्टीय प्रणाली, सौर शुष्कक, सौर विलवणीकरण प्रणाली, पवन चक्की, पम्पिग और अन्य अनुप्रयोगों इत्यादि को मिलाकर कार्यक्रमों को भी आरम्भ किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियों को लागू करने में सी० एस० आई० आर० आई० सी० ए० आर० और के० बी० आई० सी० जैसे अन्य संगठन भी संलग्न हैं।

प्रतिवर्ष और अधिक संयंत्रों की स्थापना करने सम्बन्धी परमाणु ऊर्जा उद्योग का प्रस्ताव

7291. **श्री बी० बी० देसाई :**

श्री एम० बी० चन्द्रशेखरमूर्ति : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार परमाणु बिजलीघरों का समूह बनाने सम्बन्धी शीघ्र ही कोई निर्णय लेगी, जिसका कार्यान्वयन आगामी वर्षों में होगा;

(ख) यदि हां, तो परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा भेजे गए एक प्रस्ताव में यह सुझाव दिया गया है कि यदि 2000 ई० के अन्त तक 10,000 मेगावाट परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का लक्ष्य प्राप्त करना है, तो प्रतिवर्ष कम से कम चार या इससे अधिक इकाईयों के लिए मंजूरी दी जानी चाहिए;

(ग) यदि हाँ, तो क्या परमाणु ऊर्जा आयोग ने यह संकेत दिया है कि परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम धीमी गति से चल रहा है जिसकी वजह से पूरक उपकरण उद्योग का विकास नहीं हो पाया है;

(घ) क्या प्रस्ताव में 220 मेगावाट और 500 मेगावाट के वर्तमान आकार के संयंत्रों को उचित बताया गया है; और

(ङ) यदि हाँ, तो उन सिफारिशों पर सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) (ख) (घ) तथा (ङ) परमाणु ऊर्जा आयोग ने कुछ प्रस्ताव दिए हैं, जो सरकार के विचाराधीन हैं।

(ग) जी, नहीं। तथापि, उद्योगों का बड़े पैमाने पर हिस्सा लेना देश के परमाणु बिजली सम्बन्धी कार्यक्रम की सफलता के लिए एक अनिवार्य निवेश समझा जाता है तथा यह प्रस्ताव है कि उद्योगों को प्रमुख उपस्करों के लिए एक के बाद एक आर्डर देने की प्रक्रिया अपनाई जाए ताकि वे अपने उपलब्ध साधनों का अधिकतम उपयोग करने के लिए समर्थ बन सकें।

एंटार्कटिका में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन

†7292 **श्री मूलचन्द डागा** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एंटार्कटिका में अत्यधिक ठंडा बर्फ और तेज हवाओं के कठिन वातावरण में काम करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए क्या प्रबन्ध किए गए हैं; और

(ख) जो कर्मचारी वहां काम करने की इच्छा प्रकट करते हैं उन्हें क्या प्रोत्साहन दिए जाते हैं और कर्मचारियों की वहां नियुक्ति हेतु किस प्रकार चयन किया जाता है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलैक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) (क) एंटार्कटिका में एक दो-मंजिली इमारत का निर्माण किया गया है जिसमें लगभग 15 व्यक्ति रह सकते हैं। इसे गरम रखने, इसके ताप को नष्ट होने से बचाने और शक्तिशाली हवाओं बचाने की समान रूप से व्यवस्था की गई है। इसमें एक बर्फ पिघलाने वाला संयन्त्र, रसोईघर, स्नानघर, लौंड्री, मनोरंजन कक्ष, रहने के कमरे और वाहन आदि खड़ा करने का स्थान है। केन्द्र को पावर सप्लाई करने के लिए अनेक उत्पादक (जेनेरेटर्स) लगाये गये हैं। केन्द्र में रहने वाले व्यक्तियों के लिये यथासम्भव अच्छे से-अच्छा भोजन, पर्याप्त कैम्पिंग उपकरण और वस्त्र सप्लाई किए गये हैं ताकि एंटार्कटिक पर्यावरण सम्बन्धी कठोर परिस्थितियों में आराम से रह सके। भारत और हमारे एंटार्कटिक केन्द्र के बीच सम्पर्क के लिए उपग्रह के जरिये सीधी संचार-व्यवस्था स्थापित की गई है।

(ख) शीतकालीन दल के सभी सदस्यों को उस अवधि के लिये विशेष भत्ता दिया जाता है जिसमें वे वास्तव में एंटार्कटिक पर रहे हैं। इसके अलावा, उन्हें किट भत्ता, भी दिया जाता है ताकि वे साज-सज्जा और किट सम्बन्धी व्यक्तिगत वस्तुएं प्राप्त कर सकें। उन्हें अपने परिवार के सदस्यों से सप्ताह में टेलीफोन पर तीन मिनट के लिए निःशुल्क बातचीत करने की भी सुविधा प्राप्त है। इसके अतिरिक्त, सभी सदस्य अपने परिवारों को निःशुल्क टेलेक्स सन्देश भेज सकते हैं और उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। अपने लोगों को सबसे अच्छा प्रोत्साहन जो दिया जाता वह है —विपरीत पर्यावरणीय परिस्थितियों में वैज्ञानिक कार्य जारी रखने के लिए उनमें साहसिक कार्य करने और देश के प्रति निष्ठा की भावना उत्पन्न करना। दल के जो सदस्य शीतकालीन अवधि को सफलता पूर्वक पूरा करते हैं उन्हें बहुत गौरव दिया जाता है और हमारा ऐसा विचार है कि जिन्होंने एंटार्कटिका पर शीत

कालीन अवधि गुजरी है, सारे देश में इससे उनकी प्रतिष्ठा बढ़ जायेगी। सदस्यों का चुनाव उनकी योग्यता के आधार पर किया जाता है जिसमें उनकी अर्हताओं और अनुभव को ध्यान में रखा जाता है। सदस्यों को एक बहुत ऊंचे स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम और कठोर चिकित्सा परीक्षा के अधीन जांचा जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चुने गए व्यक्ति शारीरिक दृष्टि से बहुत उपयुक्त हैं।

वीसा की अवधि की समाप्ति के बाद पाकिस्तानी राष्ट्रिकों का निर्धारित अवधि से अधिक समय तक रुके रहना

7291. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 और 1982 के दौरान, वर्ष-वार ऐसे कितने पाकिस्तानी राष्ट्रीकों को वापिस पाकिस्तान भेजा गया है, जो वीसा की अवधि की समाप्ति के बाद यहां रुके हुए थे;

(ख) क्या भारी संख्या में पाकिस्तानी राष्ट्रिक राजस्थान में रह रहे हैं तथा क्या वैध पासपोर्टों से औसतन लगभग 400 पाकिस्तानी राष्ट्रीक प्रतिवर्ष इस राज्य में आते हैं, लेकिन वापिस नहीं जाते और छिप जाते हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) सूचना एकत्र की की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) 31-12-1983 को राजस्थान में 2942 पाकिस्तानी राष्ट्रिक ठहरे हुए थे और उनमें से 118 का पता नहीं लग सका।

(ग) जो अनधिकृत रूप से ठहरने वालों के विरुद्ध कानून के अधीन कार्यवाही की जाती है। भूमिगत हो जाने वालों के बारे में तलाशी नोटिस जारी किये जाते है और पता लगने पर सामान्यत: उन्हें निष्कासित कर दिया जाता है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विकास निगम

7294. **श्री० एन० ई० होरो** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ ऐसे राज्य भी हैं, जहां पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति निगम नहीं है;

(ख) क्या सरकार इन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति निगमों के कार्यचालन से सन्तुष्ट है; और

(ग) क्या सरकार वित्तीय सहायता भी दे रही है और यह सुनिश्चित करने के

लिए कि अधिकारी लोग अनुसूचित जातियों/जनजातियों को वित्तीय सहायता मंजूर करने में बाधा न डाले, मार्ग निदेश जारी किए गए हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी हां श्रीमान। ऐसी पांच राज्य सरकारें हैं अर्थात् (1) जम्मू व कश्मीर (2) मणिपुर (3) मेघालय (4) नागालैण्ड और (5) सिक्किम जिन्होंने कोई अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति निगम स्थापित नहीं किए हैं।

(ख) और (ग) सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निगमों के कार्यचालन से सामान्यतः सन्तुष्ट है। इनमें से कुछ निगम पिछले पाँच वर्षों के दौरान ही बने हैं। इन निगमों के कार्य को छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही वास्तविक प्रोत्साहन मिला है, जब से भारत सरकार ने 49 : 51 के आधार पर उनकी शेयर पूंजी में योगदान शुरू किया। इन निगमों का कार्य सुव्यवस्थित होता जा रहा है और ठोस आधार पर उनका प्रबोधन तथा मूल्यांकन करने के लिए कार्यवाही की जा रही है। वित्तीय सहायता मंजूर करने में किसी अधिकारी द्वारा बाधा डालने का कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

वैज्ञानिकों का विदेशों में जाना

7295. **डा० कृपासिन्धु भोई** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिकों का विदेशों में जाना अभी भी जारी है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस राष्ट्रीय नुकसान को रोकने के लिए क्या कदम उठायें जा रहे हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) उच्चतर अध्ययन, प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए विदेश में विशेषकर उत्तरी अमरीका में अवसर उपलब्ध हैं और कुछ वैज्ञानिक उन लाभों को उठाने के लिए वहां जाते हैं। जबकि उनमें से अधिकांश वैज्ञानिक भारत लौट आते हैं परन्तु कुछ वैज्ञानिकों को वहीं रोजगार मिल जाता है और वे वहीं रह जाते हैं। सुयोग्यता प्राप्त वैज्ञानिकों को, देश में अपनी रुचियों के अनुसरण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कई उपाय किए गए हैं। इनमें से कुछ ये हैं:—

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए कुल परिव्यय बढ़ा दिया गया है और उपयुक्त सुविधाओं के साथ अधिछात्रवृत्तियों और एसोसिएट वृत्तियों में वृद्धि कर दी गई हैं। वैज्ञानिक पूल स्कीम के अंतर्गत वैज्ञानिकों को अस्थायी नौकरी के लिए व्यवस्था है। कई

मामलों में भारतीय संस्थानों में, भारतीय वैज्ञनिकों को; उनकी अनुपस्थिति में, नियुक्तियों के लिए विचार किया जाता है। उन वैज्ञानिकों को, जो भारत लौट आते हैं, उपस्कर आयात करने की सुविधाएं भी प्रदान की गई हैं। युवा वैज्ञानिकों के लिए एक स्कीम शुरू की गई है। कार्य करने की स्थितियों में सुधार करने के लिए वैज्ञानिक संस्थानों को वर्धित प्रशासनिक तथा वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन कर दिया गया है। कैरियर (आजीविका) विकास के लिए अच्छे अवसर प्रदान करने के लिए उपाय किए गए हैं। उद्योगों का संस्था के अन्मर्गत अनुसंधान और विकास स्थापित करने के लिए और प्रयोगशालाओं में अनुसंधान का प्रयोजन करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किए गए हैं जिससे कि वैज्ञानिकों को उद्योग में अवसर प्राप्त हो सकें। विज्ञान के नए और सीमांत क्षेत्र में अनुसंधान को विशाल पैमाने पर निधीयन द्वारा प्रोत्साहन दिया जाता है और क्षेत्रीय परिष्कृत यंत्रीकरण केन्द्रों के माध्यम से परिष्कृत यन्त्र उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

रुग्ण एककों का सर्वेक्षण

7296. **श्री निहाल सिंह** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 फरवरी, 1984 के "स्टेटसमेन" में "सेन्टर कंडक्टिंग सर्वे आफ सिक इण्डस्ट्रीज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ तो क्या देश में प्रत्येक रुग्ण एएक का कोई सर्वेक्षण किया जा रहा है और यदि हाँ, तो कब से और किसके द्वारा;

(ग) अब तक ऐसे कितने एककों का सर्वेक्षण किया गया है और तत्तसम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सर्वेक्षण करने वाले लोग रुग्णता के लिए जिम्मेदार कारणों और उपचारात्मक कार्यवाही के सम्बन्ध में ऐसे उपक्रमों के विचार जानने के लिए उनके प्रबन्धकों और मजदूरों के संघों से भी भेंट कर रहे है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव)। (क) जी, हां।

(ख) लघु क्षेत्र में रुग्णता की स्थिति का जायजा लेने, इसके कारणों का पता लगाने तथा रुग्ण एककों की पुन:स्थापना करने के सम्बन्ध में उपाय सुझाने के लिए विकास आयुक्त (लघु उद्योग) के कार्यालय द्वारा वर्ष 1982-83 के लघु एककों का एक नमूना सर्वेक्षण किया गया था।

(ग) 31 मार्च, 1981 को सभी राज्य उद्योग निदेशालयों के अधीन पंजीकृत और लघु उद्योग विकास संगठन के अधिकार-क्षेत्र में आने वाले एककों की सूची में से स्तरबद्ध

यत्र-तत्र नमूना लिए जाने के आधार पर चुने गए 7,890 एककों का एक नमूने का सर्वेक्षण किया गया है।

(घ) क्षेत्रीय जांच करने वाले लोग व्यक्तियों ने आंकड़े एकत्र करने के लिए नमूना लिए गये एककों के प्रबन्धकों से सम्पर्क किया था। लघु उद्योग संगठनों के विचार भी मांगे गये थे।

इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इण्डिया द्वारा हाथ में ली गई परियोजनाए

7297. **श्री निहाल सिंह :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट (इण्डिया) लि० द्वारा अल्जीरिया में हाथ में ली जा रही परियोजनाओं का ब्योरा क्या है और सम्बन्धित पार्टियों के नाम, ठेके का मूल्य, निर्माण कार्यक्रम और परियोजना का ब्योरा क्या है;

(ख) सम्बन्धित पार्टियों से प्राप्त अग्रिम धनराशि सहित परियोजनाओं को किस प्रकार वित्त पोषण किए जाने का विचार है;

(ग) क्या उक्त पार्टी ने इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इंडिया से परियोजना के लिए ऋण का प्रबन्ध करने के लिए कहा है और यदि हां, उन बैंकों के नाम क्या हैं जो ऋण उपलब्ध कर रहे हैं और बीमे के लिए क्या प्रबन्ध किए गए हैं;

(घ) आस्थगित भुगतान सहित, यदि कोई हों तो, भुगतान की वसूली के क्या प्रबन्ध किए गए हैं;

(ङ) उन भारतीय और विदेशी कम्पनियों के नाम क्या हैं, जिन्हें ई० पी० आई० विभिन्न कार्यों के लिए उप-ठेके देगा और उनका मूल्य कितना होगा तथा प्रत्येक कम्पनी को किस प्रकार का कार्य सौंपा जाएगा; और

(च) अल्जीरियाई ठेके पर हस्ताक्षर करने में विलम्ब होने के कारण क्या हैं और इस कम्पनी को समुद्र पार कौन से नए कार्य मिलने की आशा है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (च) मै० इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड ने ग्राहक अर्थात् महानिदेशक, इस्टेब्लिशमेंट पोर। एक्स्प्लायटेशन, मीटिअरलाजिक एट एयरोनाटिक (इनेमा), प्रजातान्त्रिक तथा लोकप्रिय अल्जीरियाई गणराज्य की सरकार से होआरी बोमेदीन हवाई अड्डे पर टर्न की आधार पर एक पांच सितारा होटल के निर्माण लिए जून, 1983 में एक आशय-पत्र प्राप्त किया। वित्त, ऋण-प्रबन्धों, इत्यादि के ब्यौरों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है। इस विषय पर अल्जीरिया के ग्राहक से आगे विचार-विमर्श करने के लिए ई० पी० आई० का एक दल जल्दी ही अल्जीरिया जायेगा। ठेके की शर्तों को तेजी से अन्तिम रूप देने के

विचार से ई०पी०आई० ग्राहक तथा विभिन्न एजेंसियों से सक्रिय रूप से बात-चीत कर रही है। नई जीव्य विदेशी परियोजनाओं को प्राप्त करने के लिए कम्पनी प्रयत्न करती रही है और करती रहेगी।

कागज की कमी के कारण छपाई यूनिटों का बन्द होना

7298. **श्री निहाल सिंह :**

श्री लक्ष्मण मलिक : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कागज न मिलने और कागज के मूल्यों में तेजी से हुई वृद्धि के कारण मुद्रण उद्योग गम्भीर संकट का सामना कर रहा है;

(ख) क्या कई मुद्रण एकक या तो बन्द हो गए हैं या अपने क्षमता उपयोग को नियन्त्रित करने के लिए बाध्य हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस उद्योग को बर्बादी से बचाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) यद्यपि छपाई उद्योग से छपाई के कुछ किस्म का कागज समय पर न मिलने और कीमतें अधिक होने के सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं परन्तु इसके कारण इस उद्योग में किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं है।

(ख) और (ग) तकनीकी विकास के महानिदेशालय में पंजीकृत छपाई एककों के बन्द होने अथवा उत्पादन में कमी की कोई सूचना नहीं मिली है। जिस किस्म के कागज की कमी है उसका पता लगाने और उपयुक्त उपचारात्मक उपाय करने के लिए छपाई और कागज उद्योगों के प्रतिनिधियों की संयुक्त बठक आयोजित की गई थी। कागज उद्योग को दी जा रही विभिन्न राजकोषीय राहतों और अवस्थापनात्मक सहायता में सुधार के फलस्वरूप विभिन्न किस्मों के कागज के देश में हो रहे उत्पादन में वृद्धि हो जाने की आशा है।

नीलगिरि जिले में पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्धि

7299. **श्री आर० प्रभु :** क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नीलगिरि जिले में पर्वतीय क्षेत्र विकास योजना से सम्बन्धित प्रस्तावों को अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1983-84 और 1984-85 के लिए निर्धारित वास्तविक लक्ष्य का ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1983-84 और 1984-85 के दौरान प्रस्तावित वित्तीय पूंजी-निवेश का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस योजना के लाभार्थी कितने हैं ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) नीलगिरि जिले के वर्ष 1983-84 के लिए पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम के वास्ते प्रस्तावों का योजना आयोग द्वारा जुलाई, 1983 में अनुमोदन किया गया था। तमिलनाडु सरकार से प्राप्त 1984-85 के लिए प्रस्तावों का अभी अनुमोदन किया जाना है।

(ख) और (ग) छठी योजना में नीलगिरि जिले के पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए आवंटन 21 करोड़ रु० है। वर्ष 1983-84 के लिए आवंटन 5.37 करोड़ रु० था जबकि 1984-85 के लिए आवटन को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है। कार्यक्रम को बागबानी, चाय की पौध लगाने, भू-संरक्षण, लघु सिंचाई, डेरी विकास, सड़क, जल पूर्ति, सामाजिक निवेश के अन्तर्गत अनेक स्कीमें, शामिल हैं। स्कीमवार विवरण तथा वर्ष 1983-84 के लिए अनुमोदित परिव्ययों और वास्तविक लक्ष्यों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम में पारिस्थितिकी संरक्षण और पारिस्थितिकी विकास पर बल दिया गया है। पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत परिकल्पित स्कीमों का अधिकांशतः इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पूर्वाभिमुखीकरण किया गया है। यद्यपि पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यान्वित विभिन्न स्कीमों से बड़ी संख्या में लोगों को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप दोनों ही तरीकों से लाभ प्राप्त होते हैं फिर भी यह कार्यक्रम एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की तरह लाभाग्राही पूर्वाभिमुख कार्यक्रम नहीं है।

विवरण

पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम-नीलगिरि जिला

1983-84—वार्षिक योजना—वित्तीय तथा वास्तविक लक्ष्य

क्रम संख्या	स्कीम का नाम	अनुमोदित परिव्यय 1983-84 (लाख रु०)	1983-84 के लिए वास्तविक लक्ष्य
1	2	3	4
	1. जारी स्कीमें		
1.	बागबानी तथा भू-संरक्षण :		
	1. चुने हुए जल संभरों में भू-संरक्षण उपाय	96.31	800 हैक्टर
	2. छोटे चाय उगाने वाले व्यक्तियों को तकनीकी मार्गदर्शन	9.12	—
	3. चाय के वी० पी० क्लोन का उत्पादन	26.39	40 लाख वी० पी० क्लोन
	4. छोटे चाय उत्पादकों के विकास के लिए सम्बेस्टन स्कीम	20.49	400 हैक्टेयर
	5. धान, टैपीओका और मसालों का विकास	4.80	—
	6. मैंडरिन संतरों का विकास	2.68	75000 पौधे बांटे जाने हैं।
	7. सब्जी बीज उत्पादन	3.06	10 टन
	8. फल संरक्षण केन्द्र का विस्तार	1.49	—
	9. बढ़िया किस्म के आलू के बीज को प्राप्त करना तथा वितरण	5.86	250 टन
	10. मसालों तथा पौध लगाने वाली फसलों का विकास	3.52	—
	11. कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम	2.16	—
	12. जनजातियों की भूमि में चाय के पौधों का विकास	3.68	—
	उप-जोड़	179.56	

1	2	3	4
2.	**लघु सिंचाई**		
	1. चैक-बाँधों का निर्माण 9 नई स्कीमें	5.59	9 चैक बांध
	2. कप्पला स्थित पानी जनजातीय फार्म को सिंचाई सुविधाएं	3.00	—
	उप-जोड़	8.59	
3.	**पशु पालन**		
	1. भेड़ विकास (भेड़ इकाइयां स्थापित करने के लिए किसानों को सहायता)	1.33	100 भेड़ इकाइयां
	2. शीतित वीर्य तकनीक से कृतिम गर्भाधान	0.59	—
	उप-जोड़	1.92	
4.	**डेरी विकास**		
	1. नया डेरी परिशर	11.00	—
	2. भूसा विकास	0.90	—
	3. डेरी विस्तार तथा प्रशिक्षण केन्द्र	3.00	—
	4. भवन निर्माण के लिए प्राथमिक दुग्ध सहकारी समितियों को सहायता	3.00	10 सोसाइटियों को लिया जाना है
	उप-जोड़	17.90	
5.	**मछली पालन**		
	अवलांछी स्थित मछलियों के अंडे देने वाली ट्राउट का सुधार	0.33	—
6.	**वन**		
	1. वनरोपण	)	140 हैक्टेयर
	2. उधगम्मनडलम स्थित हिरण्य पार्क का निर्माण	)	50,000 नील गोद के पौधे
	3. जनता में वितरण लिए गम पौधों का उत्पादन	) 29.69	

1	2	3	4
	4. सड़कें, भवन, उपस्कार, स्थापन प्रभार और अनुसंधान	)	
7.	सिकोना		
	जावा सिट्रोनेला घास को लगाना	4.36	40 हैक्टर
8.	पर्यटन		
	1. 'ऊटी लक्ड' का पर्यावरणीय सुधार	10.00	—
	2. ट्रेकिंग मार्गों में कैंपिंग स्थल	)	
	3. प्राकृतिक स्थलों में सुविधाएं उपलब्ध कराना	) 10.00	—
	4. कोठागिरि में युवक-छात्रावास का निर्माण	)	
	उप-जोड़	20.00	
9.	सड़कें		
	अनुमोदित वर्तमान सड़क निर्माण		
	1. 21 सड़क निर्माण कार्यों के लिए (अग्रानीत)	99.28	21 सड़क निर्माण कार्य
	2. सड़कों का सुधार (18 दुग्ध मार्ग)	25.72	18 दुग्ध मार्ग
	उप-जोड़	125.00	
10.	(क) सहकारी चाय फैक्टरियां		
	5 जेनरेटरों की खरीद के लिए 'इन्सोसर्व' को सहायता	15.00	5 जेनरेटर
	(ख) खादी तथा ग्रामोद्योग		
	1. शहद की मक्खियों के छत्तों का वितरण	)	
	2. तेल की सफाई करने वाली इकाइयों का वितरण	) 10.58	300 शहद की मक्खियों के छत्ते
	3. यूक्लिप्टिस तेल सोसाइटी, बन्दीसोइल के गोदामों का निर्माण	)	75 सफाई संयंत्र
	4. नीबू घास तेल सोसाइटी अम्बलामेला के लिए गोदामों का निर्माण	)	

1	2	3	4
	5. स्थापना)		
	6. शहद की मक्खियों की बस्तियों का)		
	प्रवर्जन)		
	7. अम्बालाकोइट महिला बहुउद्देशीय कुटीर)		
	उद्योग सहकारी समिति)		
	8. अम्बाला कोटई स्थित काली मिर्च)		
	आसादन केन्द्र की स्थापना)		
	9. मजोर में शहद की मक्खियों का पालन)		
	(ग) रेशम के कीट पालन		
	1. शहतूत की नर्सरी का विस्तार)		
	2. बीज विस्तार फार्म की स्थापना)	4.38	40 हैक्टर
	3. चौकी पालन केन्द्र)		
	4. रेशम अनुसंधान विस्तार केन्द्र के लिए)		
	उपस्कर की पूर्ति)		
	5. कीटणुनाशक दस्ता)		
11	लोक स्वास्थ्य		
	1. कपप्ला, कूकालथुरई में डिस्पेंसरियों के)		
	स्टाफ के लिए क्वार्टरों का निर्माण)		
	2. शोलूरमत्तम में अस्पताल का निर्माण)	7.08	
	3. कट्टाबेट्टू और कोलाकोम्बई में प्राथमिक)		
	स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण)		
12.	यूनीसेफ सहायता प्राप्त सामाजिक निवेश कार्यक्रम	40.00	
13.	योजना, प्रबोधन तथा मूल्यांकन		
	1. क्लैक्करेट में योजना एकक	1.88	
	2. 23 जल सम्भरों (लघु) के लिए समन्वित योजनाएं तैयार करना	2.00	
	उप-जोड़	3.88	
14.	पीने के पानी की पूर्ति करने की स्कीम के	25.00	

1	2	3	4
	कार्यान्वियन के लिए ऊटी नगर पालिका को सहायता		
15.	1) अनुमोदित स्कीमों के लिए अतिरिक्त विशेष केन्द्रीय सहायता	13.50	
	2) सर्वेक्षण और अध्ययन	10.00	
		कुल जोड़ : 537.50	

योजना आयोग द्वारा राष्ट्रीय डेरी परियोजना का मूल्यांकन

7300. **श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने अपने राष्ट्रीय डेरी परियोजना संबंधी मूल्यांकन संख्या पी० ए० डी०/1/1/(9)/77 दिनांक 29 अप्रैल, 1978-ओपरेशन फलड-11 में दूध की प्रति व्यक्ति खपत का अनुमान लगाया है, यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) कितनी वसूली का अनुमान लगाया गया था और वास्तव में कितनी वसूली हुई और उसमें कितनी मात्रा में आयातित सप्लाई थी;

(ग) वितरण के लिए क्या अनुमान रखा गया और वास्तव में कितनी मात्रा में वितरित किया गया है;

(घ) क्या वास्तविक लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं; और

(ङ) सहकारी समितियों के विस्तार के लिये निर्धारित लक्ष्य की स्थिति क्या है ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) से (ग) प्रशासनिक मन्त्रालयों द्वारा दिए गए आँकड़ों के आधार पर निवेश प्रस्तावों पर मूल्यांकन टिप्पणियाँ योजना आयोग में तैयार की जाती है। आपरेशन फलड-2 से सम्बन्धित मूल्यांकन टिप्पणी, कृषि मन्त्रालय तथा राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा प्रस्तुत परियोजना दस्तावेज में दिए गए प्रति व्यक्ति उपभोग, आसादन वितरण और आयातित भाग से सम्बन्धित आंकड़ों पर आधारित थी। मूल्यांकन टिप्पणियां निवेश सम्बन्धी निर्णय प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार के आन्तरिक दस्तावेज होते है।

(घ) परियोजना क्योंकि अभी चल रही है इसलिए इस समय इस प्रश्न का उत्तर देना सम्भव नहीं है।

(ङ) छठी योजना के 30,000 डेरी सहकारी समितियों के लक्ष्य के मुकाबले मार्च, 1983 तक 1957 आनन्द स्वरूप की डेरी सहकारी समितियों को आपरेशन फ्लड-2 के अन्तर्गत लाया गया था ।

राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में आदिवासी उप-योजना के अन्तर्गत लाभान्वित जिले

7301. **श्री भोला भाई** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में कितने जिले आदिवासी उप-योजना के अन्तर्गत लाभान्वित हो रहे हैं;

(ख) प्रत्येक राज्य में कुल कितने क्षेत्र और कुल कितनी जनसंख्या को उसके अन्तर्गत लाया गया है; और

(ग) प्रत्येक राज्य में राज्य वार कुल कितना क्षेत्र माडीफाइड एरिया डिवलपमैंट एप्रोच योजना के अन्तर्गत लाया गया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) ब्यौरा संलग्न विभाग में दिया गया है ।

विवरण

जनजाति उप-योजना तथा संशोधित क्षेत्र विकास दृष्टिकोण (एम०डी०ए०) के तहत आने वाला क्षेत्र

क्र०सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	जनजाति उपयोजना के तहत		एम०ए०डी०ए० के तहत	
		क्षेत्र (वर्ग कि० मी० में)	(1971 की जनगणना कुल आबादी)	अनु०जन जाति आबादी (1971 की जनगणना)	
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	33,778	17,51,702	8,99,285	453
2.	असम	9,347**	17,69,738	9,62,649	—
3.	बिहार	43,604	74,92,998	37,85,695	2338
4.	गुजरात	24,460	39,31,703	27,12,255	554
5.	हिमाचल प्रदेश	23,954	1,14,264	84,440	178

1 2	3	4	5	6
6. कर्नाटक	25,398	37,84,701	1,17,902	—
7. केरल	6,128	1,15,145	73,952	—
8. मध्य प्रदेश	1,63,461	1,06,02,415	62,95,122	6,692
9. महाराष्ट्र	39,307	30,04,000	18,61,000	596
10. मणिपुर	20,126	3,48,216	3,13,102	—
11. उड़ीसा	68,896	61,24,246	34,50,331	2,183
12. राजस्थान	19,739	20,54,748	13,58,343	2,939
13. सिक्किम	4,444	13,014	11,825	—
14. तमिलनाडु	2,058	2,17,937	1,58,523	—
15. त्रिपुरा	6,679	4,91,523	3,43,654	—
16. उत्तर प्रदेश	92	15,065	14,760	38
17. पश्चिमी बंगाल	8,499	15,24,487	9,82,958	—
18. अ० नि० द्वीप समूह	1,953	21,665	17,966	—
19. गोआ, दमन, दीव	72	38,739	7,165	—
कुल जोड़	5,01,990	4,34,16,306	2,34,56,927	15,971

**नार्थ कछार हिल्स और मिकिर हिल्स पर्वतीय क्षेत्र विकास के अन्तर्गत आते हैं, न कि जनजाति उप-योजना के तहत ।

जनजाति उप-योजना के तहत आने वाले जिले

1. पूरी तरह अन्तर्गत आए जिले

बिहार

1. रांची
2. सिंघभूम

गुजरात

3. डैंग्स

हिमाचल प्रदेश

4. किन्नौर
5. लाहुल और स्पीति

मध्य प्रदेश

6. जगुआ
7. मांडला
8. सरगुजा
9. बस्तर

मणिपुर

10. मणिपुर पूर्वी
11. मणिपुर उत्तरी
12. मणिपुर दक्षिणी
13. मणिपुर पश्चिमी
14. तेंग्नोपाल

उड़ीसा

15. मयूरभंज
16. सुन्दरगढ़
17. कोरापुट

राजस्थान

18. बांसवाड़ा
19. डूंगरपुर

सिक्किम

20. उत्तरी जिला

अंडमान व-निकोबार द्वीप समूह

21. निकोबार

गोआ, दमण दीप

22. दमन

II. अंशतया अन्तर्गत आए जिले

1. आन्ध्र प्रदेश	1 अदिलाबाद 2 ईस्ट गोदवरी 3 खामम 4 श्रीकाकुलम 5 विशाखापट्टनम 6 विजयानगरम 7 वारंगल 8. वैस्ट गोदावरी
2. असम	9 कठार 10 दारांग 11 डिब्रुगढ़ 12 गोलपाडा 13 कामरूप 14 लखीमपुर 15 नवगांव 16 सिवसागर

3. बिहार	17 पलामू 18 संथाल परगना
4. गुजरात	19 बनासकंथा 20 भड़ूच 21 पंचमहल 22 साबरकंथा 23 सूरत 24 बडोदरा 25 वलसाड
5. हिमाचल प्रदेश	26 चम्बा
6. कर्नाटक	27 चिकमगलूर 28 कुर्ग 29 मैसूर 30 साउथ कनारा
7. केरल	31 कन्नानूर 32 एर्नाकुलम 33 इदुकली 34 कोजीकोड 35 मालापुरम 36 पालघाट 36 क्विलोन 38 त्रिवेन्द्रम 39 वायनाड
8. मध्य प्रदेश	40 बालाघाट 41 बेतूल 42 बिलासपुर 43 छिदवाडा 44 धार 45 दुर्ग 46 होशंगाबाद 47 खण्डवा 48 खारगाँव 49 मुरेना 50 रायगढ़ 51 रायपुर 52 राजनन्दगाँव 53 रतलाम 54 सिओनी 55 सहडोल 56 सीढी
9. महाराष्ट्र	57 अहमदनगर 58 अमरावती 59 चन्द्रपुर 60 धूले 61 जलगाँव 62 नान्देड 63 नासिक 64 पूणे 65 थाणे 66 यवतमाल 67 गडचिरोली
10. उड़ीसा	68 बालासोर 69 बौध खडमल 70 गंजाम 71 कालाहंडी 72 केओंसार 73 सम्बलपुर
11. राजस्थान	74 चित्तौड़गढ़ 75 शिरोही 76 उदय पुर
12. तमिलनाडु	77 धर्मपुरी 78 नाथ आरकोट 79 सेलम 80 साउथ अरकोट 81 तिरुचिरापल्ली
13. त्रिपुरा	82 नार्थ त्रिपुरा 83 साउथ त्रिपुरा 84 वैस्ट त्रिपुरा
14. उत्तर प्रदेश	85 लखीमपुर खेडी
15. पश्चिम बंगाल	86 बांकुरा 87 बीर भूम 88 बर्दवान 89 दार्जिलिंग, 90 हुगली 91 जलपाइगुडी, 92 मालदा 93 मिदनापुर 94 मुर्शिदाबाद 95 पुरूलिया 96 24 परगना 97 पश्चिमी दिनाजपुर।

गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के विकसित आदिवासी क्षेत्र

7302. **श्री भीखाभाई :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में झबुआ, रतलाम, धाद, पंचमहल और बांसवाड़ा के सीमावर्ती क्षेत्र अविकसित और बेहद पिछड़े हुए अदिवासी क्षेत्र हैं;

(ख) क्या यह सच है कि ये जिले उक्त राज्यों की सम्बन्धित आदिवासी उपयोजनाओं के अधिकार में हैं; और

(ग) क्या इन राज्यों के आदिवासी विकास मंत्री या मुख्य मंत्री मिलकर इन क्षेत्रों के विकास के लिए कोई नीति तैयार करेंगे ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) जी हां, श्रीमान् ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

आदिवासी उपयोजना एम०ए०डी०ए० योजनाओं के लिए राज्यों को विशेष सहायता

7303. **श्री भीखाभाई** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981 से वर्ष-वार और राज्यवार आदिवासी उपयोजनाओं माडीफाइड एरिया डेवलपमेंट एप्रोच योजनाओं के लिए विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को कितनी-कितनी विशेष केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई है; और

(ख) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ने वर्षवार/राज्यवार केन्द्रीय विशेश सहायता से कितनी-कितनी धनराशि खर्च की है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

वर्ष 1981-82 से 1983-84 के दौरान राज्यों/और संघ शासित क्षेत्रों को दी गई राशि और उनके द्वारा सूचित किए गए व्यय का विवरण

(रु० लाखों में)

राज्य	उप योजना दिया गया धन			सूचित किया गया व्यय		
	1981-82	1982-83	1983-84	1981-82	1982-83	1983-84
1	2	3	4	5	6	7
1. आन्ध्र प्रदेश	311.00	350.00	404.20	337.22	368.71	उ०न
2. असम	367.00	411.00	477.33	209.32	397.88	उ०न०
3. बिहार	1034.00	1164.00	1344.18	1004.64	1127.82	उ०न०
4. गुजरात	621.00	695.00	806.36	621.00	695.00	उ०न०
5. हिमाचल प्रदेश	177.00	135.00	152.49	101.91	143.22	उ०न०
6. कर्नाटक	57.00	64.00	74.10	26.23	34.58	उ०न०
7. केरल	43.00	50.00	55.39	49.98	50.00	उ०न०
8. मध्य प्रदेश	2019.00	2261.00	2623.62	1478.97	टी०एस०पी० से प्राप्त धन में सम्मिलित	उ०न०
9. महाराष्ट्र	504.00	564.00	654.88	483.72	649.74	उ०न०
10. मणिपुर	149.00	169.00	193.24	148.64	174.36	उ०न०

1	2	3	4	5	6	7
11. उड़ीसा	1022.00	1200.00	1327.51	992.77	1199.48	उ०न०
12. राजस्थान	364.00	410.00	460.12	248.87	403.20	उ०न०
13. सिक्किम	22.00	25.00	29.18	32.00	उ०न०	उ०न०
14. तमिलनाडु	85.00	95.00	110.69	95.00	95.00	उ०न०
15. त्रिपुरा	129.00	144.00	167.12	133.12	141.96	उ०न०
16. उत्तर प्रदेश	10.00	11.00	12.53	20.54	11.00	उ०न०
17. पश्चिमी बंगाल	366.00	410.00	475.23	361.37	उ०न०	उ०न०
18. अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	10.00	11.00	12.00	8.62	13.65	उ०न०
19. गोवा दमन व दीव	4.00	5.00	6.00	5.88	6.50	उ०न०

राज्य	दिया गया धन			जनजाजाति आबादी वाले खण्ड (एम०ए०डी०ए०) सूचित किया गया व्यय		
	1981-82	1982-83	1983-84	1981-82	1982-83	1983-84
1	8	9	10	11	12	13
1. आन्ध्र प्रदेश	47.00	48.41	55.00	84.16	59.07	उ०न०
2. असम	शून्य	शून्य	शून्य	—	—	—
3. बिहार	143.28	143.28	167.67	उ०न०	उ०न०	उ०न०
4. गुजरात	79.26	85.26	92.75	79.26	85.26	उ०न०
5. हिमाचल प्रदेश	4.94	5.20	5.78	(टी०एस०पी० में सम्मिलित)		
6. कर्नाटक	—	—	—	—	—	—
7. केरल	—	—	—	—	—	—
8. मध्य प्रदेश	313.83	313.83	367.25	(टी०एस०पी० प्राप्त धन में सम्मिलित)		उ०न०
9. महाराष्ट्र	42.67	45.00	49.93	44.18	44.18	उ०न०
10. मणिपुर	—	—	—	—	—	—
11. उड़ीसा	99.42	99.42	116.34	99.42	99.42	उ०न०
12. राजस्थान	206.79	206.79	241.99	19.686	235.59	उ०न०
13. सिक्किम	—	—	—	—	—	—

1	8	9	10	11	12	13
14. तमिलनाडु	—	—	—	—	—	—
15. त्रिपुरा	—	—	—	—	—	—
16. उत्तर प्रदेश	2.81	2.81	3.29	3.13	2.81	उ०न०
17. पश्चिम बंगाल	—	—	—	—	—	—
18. अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	—	—	—	—	—	—
19. गोवा दमन व दीव	—	—	—	—	—	—

आदिवासी समुदायों की जनसंख्या में वृद्धि

7304. **श्री भोखाभाई** । क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आदिवासी समुदायों की संख्या में जातिवार और राज्य-वार कितनी वृद्धि हुई है;

(ख) ग्राम जनसंख्या की तुलना में जनसंख्या में राज्य-वार कितने प्रतिशत वृद्धि हुई;

(ग) क्या अनुसूचित जनजातियों के लिए विधान सभा चुनाव क्षेत्र, संसदीय चुनाव क्षेत्रों की संख्या में वृद्धि की जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो कब ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) आदिवासी समुदायों की जनसंख्या में जनजाति-वार और राज्यवार हुई वृद्धि के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है, क्योंकि 1981 की जनगणना के जनजाति-वार आँकड़े अभी उपलब्ध नहीं हुए हैं ।

(ख) भारत, राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के लिए 1971 और 1981 की जनगणनाओं में की गई गणना के अनुसार सामान्य जनसंख्या की तुलना में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के प्रतिशत में हुई वृद्धि संलग्न विवरण में प्रस्तुत की जाती है । परन्तु असम के आँकड़े प्रस्तुत नहीं किए गए हैं क्योंकि उस राज्य में 1981 की जनगणना नहीं की जा सकी ।

(ग) और (घ) लोक सभा और विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए जाने वाले स्थानों की संख्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 330 और 332 में की गई व्यवस्था के अनुसार निर्धारित की जाती है । संविधान के इन अनुच्छेदों के अनुसार लोक सभा और राज्य विधान सभाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आवंटन में परिवर्तन करना तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक वर्ष 2000 ए०डी० के बाद प्रथम जनगणना के लिए तत्सम्बन्धी आंकड़े प्रकाशित न हो जाएं ।

भारत, राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के लिए 1971 और 1981 में की जनगणनाओं में की गई गणना के अनुसार सामान्य जनसंख्या की तुलना में अनुसूचित जनसंख्या की प्रतिशतता और 1971-81 के दौरान प्रतिशतता में वृद्धि का विवरण

भारत/राज्य/संघ शासित क्षेत्र	सामान्य जनसंख्या की तुलना में अनुसुचित जनजाति जनसंख्या की प्रतिशतत		1971-81 के दौरान वृद्धि
	1971	1981	
1	2	3	4
भारत	6.82	7.76	0.94
राज्य			
1. आन्ध्र प्रदेश	3.81	5.03	2.12
2. असम	—	—	—
3. बिहार	8.75	8.31	(—) 0.44
4. गुजरात	13.99	14.22	0.23
5. हरियाणा	—	—	—
6. हिमाचल प्रदेश	4-09	4.61	0.52
7. जम्मू व कश्मीर	—	—	—
8. कर्नाटक	0.79	4.91	4.12
9. केरल	1.26	1.03	(—) 0.23
10. मध्य प्रदेश	20.14	22.97	2.83
11. महाराष्ट्र	5.86	9.19	3.33
12. मणिपुर	31.18	27.30	(—) 3.88
13. मेघालय	80.48	80.58	0.10
14. नागालैंड	88.61	83.99	(—) 4.62
15. उड़ीसा	23.11	22.43	(—) 0.68
16. पंजाब	—	—	—
17. राजस्थान	12.13	12.21	0 08

2.* असम शामिल नहीं है, जहाँ 1981 की जनगणना नहीं की जा सकी।

1	2	3	4
18. सिक्किम	—	23.27	23.27†
19. तमिलनाडु	0.76	1.07	0.31
20. त्रिपुरा	28.95	28.44	(—) 0.51
21. उत्तर प्रदेश	0.22	0.21	(—) 0.01
22. पश्चिम बंगाल	5.72	5.63	(—) 0.09
संघ शासित क्षेत्र			
1. अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	15.72	11.85	(—) 3.87
2. अरुणाचल प्रदेश	79.02	69.82	(—) 9.20
3. चण्डीगढ़	—	—	—
4. दादरा नागर-हवेली	86.89	78.82	(—) 8.07
5. दिल्ली	—	—	—
6. गोवा, दमण, दीव	0.89	0.99	0.10
7. लक्षद्वीप	92.86	93.82	0.96
8. मिजोरम	94.26	93.55	(—) 0.71
9. पाण्डिचेरी	—	—	—

टिप्पणी :—1. हरियाणा, जम्मू व कश्मीर, पंजाब, चण्डीगढ़, दिल्ली और पाण्डिचेरी के लिए राष्ट्रपति के आदेश में कोई जनजाति अनुसूचित नहीं की गई ।

2. † 1 71 के लिए सिक्किम के सम्बन्ध में संविधान के अधीन कोई जनजाति अनुसूचित नहीं की गई ।

4. 1971 के लिए आँकड़े अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (संशोधन) आदेश, 1956 और संगत अधिनियमों तथा आदेशों पर आधारित हैं और 1981 के लिए आँकड़े अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (संशोधन) अधिनियम, 1976 और सम्भव अधिनियमों तथा आदेशों पर आधारित हैं ।

शेरों के लिए परिवार नियोजन

7305. **श्री ए० नीलालोहितदसन नाडार :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर चिड़िया घर में शेरों के परिवार नियोजन के लिए

अमरीका से पशु चिकित्सक बुलाया गया था; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है (इण्डिया टुडे 31-3-84)।

(ख) क्या यह भी सच है कि देश में और विदेशों में शेर फालतू सख्या में है; यदि हां, तो शेरों की फालतू संख्या का ब्योरा क्या है;

(ग) क्या इस दुर्लभ राष्ट्रीय सम्पदा को नष्ट करने की अपेक्षा विश्व के चिड़िया घरों के लिए और निर्यात हेतु शेरो का प्रजनन वांछनीय नहीं होगा; और

(घ) क्या सरकार अपेक्षाकृत बड़े शहरों में, विशेषकर उत्तर प्रदेश आदि जैसे बड़े राज्यों में, कुछ और चिड़िया घर खोलेगी ?

पर्यावरण विभाग में उप-मत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) वन्य राज्य में भारतीय शेर गुजरात राज्य के गिर राष्ट्रीय पार्क में ही पाए जाते हैं तथा अन्तिम गणना के समय उनकी संख्या 205 थी। बन्दी स्थिति मे, देश के विभन्न चिड़ियाघरों में 221 शेर बधन में हैं जिसमे से 134 भारतीय शेर हैं अन्य देशो के आबादी के आंकड़े तुरन्त उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) भारतीय शेरों की वन्य आबादी की सुरक्षा तथा उसमें वृद्धि के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। वे बन्दी स्थिति में अच्छी तरह प्रजनन करते हैं। इस प्राकृतिक सम्पदा को नष्ट करने का कोई प्रश्न नहीं उठता। भारत से 30 प्रजनक शेर प्राप्त करने के लिए किसी भी विदेशी चिड़िया घर से फिलहाल कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है।

(घ) देश मे पहले ही 44 चिड़िया घर हैं तथा उनमें से अधिकांश बड़े शहरों में हैं। उत्तर प्रदेश में कानपुर तथा लखनऊ में चिड़िया घर है।

बस्ती जनपद, उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व आई०एन०ए० कार्मिकों को स्वतन्त्रता सैनानी पेंशन

7306. **श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी संसद सदस्य ने भूतपूर्व आई०एन०ए० कार्मिकों को पेंशन देने में अत्यधिक विलम्ब के बारे में सरकार को लिखा है और यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ख) क्या बस्ती जनपद के भूतपूर्व आई०एन०ए० कार्मिकों के सोलह मामले उत्तर प्रदेश सरकार को पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने के बावजूद सरकार के स्वतन्त्रता सेनानी प्रभाग के पास लम्बित पड़े हैं; और

(ग) क्या सरकार इन मामले को अबिलम्ब अन्तिम रूप देगी ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी हां। माननीय सदस्य ने बस्ती जनपद (उत्तर प्रदेश) के भूतपूर्व आई०एन०ए० कार्मिकों के लिए सम्मान पेंशन के 16 दावों के शीघ्र निपटान के लिए लिखा है।

(ख) तथा (ग) 16 मामलों में से 2 स्वतंत्रता सेनानियों को 1-8-1980 से पेंशन स्वीकृत कर दी गई है। 8 मामलों में स्वतंत्रता सेनानियों को अपनी याचनाओं के समर्थन में सहबंदी प्रमाण-पत्र और अन्य दस्तावेज भेजने के लिए कई बार अनुरोध किया गया है। 6 मामलों में आवेदकों के दावे स्वीकार नहीं किए जा सके क्योंकि वे अपने कारावास/नजरबंदी के समर्थन में आवश्यक सामग्री प्रस्तुत नहीं कर सके। भूतपूर्व आई०एन०ए० कार्मिकों के मामलों पर आवेदकों द्वारा प्रस्तुत समर्थक साक्ष्यों और रक्षा मंत्रालय के पास उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर विचार किया जाता है।

बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में भूगर्भीय सर्वेक्षण

7307. श्री वृद्धि चन्द जैन : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण संस्था द्वारा जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में सूखा प्रवण क्षेत्रों में चूने पत्थर और चिकनी मिट्टी के भंडारों का क्षेत्रीय मूल्यांकन और भूमिगत पानी के लिए भूगर्भीय सर्वेक्षण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन०के०पी० साल्वे) : (क) और (ख) भारतीय भूसर्वेक्षण ने जैसलमेर जिले में चूना पत्थर का क्षेत्र-वार आकलन 1977-82 में तथा बाड़मेर जिले में बेन्टोनाइट का आकलन 1963 और 1979 के दौरान किया। अब तक लगभग 560 मि० टन चूना पत्थर (फलक्स/रसायन ग्रेड) तथा 100 मि० टन बेन्टोनाइट का अनुमान लगाया गया है। सूखा-राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत जैसलमेर के 250 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में भूजल हेतु 1979-82 के दौरान भू-भौतिकी सर्वे किया गया था, जिसके फलस्वरूप जैसलमेर के पूर्व और दक्षिण-पूर्व में लाठी बालुआ पत्थर क्षेत्र में जलीय स्थितियों का पता चला है। पश्चिम की ओर भू-भाग में भूजल होने की संभावनाएं नहीं है। नलकूपों की खुदाई के लिए उपयुक्त स्थलों की पहचान कर ली गई है।

इलैक्ट्रोनिकी वस्तुओं का निर्माण

7308. श्री चित्त बसु : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) लघु क्षेत्र में रंगीन टी०वी० सेटों के अलावा अन्य इलैक्ट्रानिकी वस्तुओं का निर्माण करने के लिए एककों की मंजूरी हेतु डी०सी०एस० एस०आई० को अगस्त, 198 से कितने आवेदन पत्र मिले हैं;

(ख) इनमें से कितने आवेदन पत्रों को मंजूर या नामंजूर करके निबटा दिया गया है और फरवरी, 1984 के अन्त तक कितने आवेदन पत्र लम्बित थे;

(ग) कितने आवेदन पत्रों को प्राप्त होने के बाद दो महीनों के अन्दर निबटा दिया गया था;

(घ) आवेदन पत्रों के लम्बित रहने अथवा उनके विलम्ब से निबटान के क्या कारण हैं जबकि लघु उद्योगों की क्षमता की मंजूरी मूल रूप से राज्य का विषय है; और

(ङ) ऐसे मामलों में विलम्ब होने का क्या औचित्य है ?

इलैक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) रंगीन दूरदर्शन सेटों से भिन्न अन्य इलेक्ट्रानिकी वस्तुओं के विनिर्माण के उद्देश्य से लघु उद्योग क्षेत्र में इकाइयों को अनुमोदन प्रदान करने के लिए लघु उद्योग विकास आयुक्त को अगस्त, 1983 से अब तक 594 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं।

(ख) I)	जिन आवेदन पत्रों पर अनुमोदन प्रदान किए गए हैं, उनकी संख्या	— 154
II)	जिन आवेदन पत्रों को अस्वीकृत किया गया है, उनकी संख्या	— 189
III)	जिन आवेदन पत्रों पर अभी कार्रवाई नहीं की गई है, उनकी संख्या	— 251
		594

(ग) 260 आवेदन पत्रों पर, उनके प्राप्त होने की तारीख से दो महीने के अन्दर कार्रवाई की गई है।

(घ) तथा (ङ) कुछ मामलों में कार्रवाई न किए जाने का यह कारण है कि उनके सम्बन्ध में दी गई जानकारी अपर्याप्त हैं।

ब्लैक एण्ड व्हाइट दूरदर्शन सेटों के निर्माण के सम्बन्ध में लाइसेंस नीति

7309. **श्री चित्त बसु** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) ब्लैक एण्ड व्हाइट दूरदर्शन सेटों के निर्माण के सम्बन्ध में लाइसेंस नीति क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि ब्लैक एण्ड व्हाइट दूरदर्शन उद्योग में विदेशी इक्विटी तथा विदेशी सहयोग/ब्रांड नाम के प्रयोग की अनुमति नहीं दी गई है;

(ग) उक्त वर्तमान नीतियों के अन्तर्गत ब्लैक एण्ड व्हाइट दूरदर्शन सेटों को तैयार करने के लिए अब तक संगठित क्षेत्र में कुल कितनी क्षमता के लाइसेंस दिए गए हैं तथा लघु क्षेत्र में कुल कितनी क्षमता की स्वीकृति दी गई है;

(घ) क्या काफी संख्या में ब्लैक एण्ड व्हाइट दूरदर्शन सेटों को तैयार करने के लिए संगठित और लघु क्षेत्र पर आधारित बड़े पैमाने पर निर्माण करने वाले उद्योग की पहले ही स्थापना कर दी गई है;

(ङ) क्या सरकार विदेशी इक्विटी कम्पनियों को स्वीकृति देने के लिए लाइसेंस नीतियों में कोई विशेष परिवर्तन करने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) तथा (ख) श्याम तथा श्वेत दूरदर्शन सेटों के विनिर्माण के लिए जुलाई, 1971 में अनुमोदित औद्योगिक लाइसेंस तथा विदेशी सहयोग सम्बन्धी नीति संलग्न विवरण में दर्शाई गई है।

(ग) **संगठित क्षेत्र** : संगठित क्षेत्र के लिए अनुमोदित कुल उत्पादन क्षमता 7.5 लाख है।

लघु उद्योग क्षेत्र : चूंकि श्याम तथा श्वेत दूरदर्शन के लिए अनुमोदन का विकेन्द्रीकरण किया गया है, अतः वास्तविक अनुमोदित उत्पादन क्षमता का ठीक-ठीक पता लगाना कठिन है। तथापि, सरकार के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, लघुउद्योग क्षेत्र में अब तक 39.7 लाख की कुल उत्पादन क्षमता के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया है।

(घ) जी, हां। समूचे देश में श्याम तथा श्वेत दूरदर्शन उद्योग के विनिर्माण का आधार भली-भांति सुस्थापित हो चुका है। श्याम तथा श्वेत दूरदर्शन सेटों के विनिर्माण के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी स्वदेश में ही उपलब्ध है। श्याम तथा श्वेत दूरदर्शन सेटों के विनिर्माण के लिए आवश्यक सभी संघटक-पुर्जों का निर्माण देश में ही किया जा रहा है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

दूरदर्शन सेटों के लिए औद्योगिक लाइसेंसिंग तथा विदेशी सहयोग सम्बन्धी नीति

1. भारत में दूरदर्शन सेटों के विनिर्माण के लिए किसी विदेशी सहयोग अथवा तकनीकी जानकारी की आवश्यकता नहीं है।

2. विदेशी ब्रांड नाम वाले किसी भी दूरदर्शन सेट के विनिर्माण की अनुमति न दी जाए और विदेशी साम्यापूंजी (इक्विटी) वाली कम्पनियों को लाइसेंस दिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

3. लघु उद्योग क्षेत्र की इकाइयों को कुल क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा तक अथवा उससे अधिक की स्वीकृति दी जाए और ऐसे क्षेत्र में अर्हता प्राप्त इंजीनियरों/वैज्ञानिकों तथा लघु उद्योग क्षेत्र की इकाइयों के सहयोगियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

4. केन्द्रीय एव राज्य स्तरीय दोनों ही प्रकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम एवं ऐसे उद्योगों को जिनमें राज्य स्तरीय औद्योगिक विकास निगमें अन्तर्निहित हैं, को यथोचित उत्पादन क्षमता के लाइसेंस दिए जाएंगे।

5. विनिर्माण को भौगोलिक स्तर पर सारे देश में समान रूप से वितरित करने के प्रयास किए जाएगे।

राज्यों में शिक्षित और अशिक्षित भाषायी जनसंख्या

7310. श्री भोगेन्द्र झा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1981 में हुई जनगणना के अनुसार देश में अशिक्षितों, अर्द्ध अशिक्षितों, प्राथमिक, माध्यमिक और डिग्री स्तर तक शिक्षितों मैडिकल तथा इंजीनियरिंग स्नातकों का राज्य वार संख्या और प्रतिशत कितना है, और

(ख) देश में भाषा-वार उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो अपनी मातृ-भाषा से भिन्न भाषा का प्रयोग करते हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) 1981 की जनगणना के अनुसार अशिक्षितों की राज्य-वार संख्या और प्रतिशत विवरण-I में दिया गया है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8148/84]

विभिन्न शैक्षिक स्तरों का आंकलन नामत:

(1) अशिक्षित (बिना शिक्षा के) (2) प्राथमिक (3) मिडिल (4) मैट्रिक/सैकंडरी (5) हायर सैकंडरी/इन्टरमिडिएट/प्रियूनिवर्सिटी (6) गैर तकनीकी-डिप्लोमा या

प्रमाण-पत्र, उपाधि के समकक्ष नहीं (7) तकनीकी डिप्लोमा या प्रमाण पत्र, डिग्री के समकक्ष नहीं, और (8) ग्रेच्युएट और ऊपर सभी क्षेत्रों के लिए (शहरी और ग्रामीण) विवरण-2 में दिया गया है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०814/84]

(1) शिक्षित (बिना शिक्षा स्तर) (2) प्राथमिक (3) मिडिल (4) हायर सैकंडरी/इन्टरमिडिएट/प्रि-यूनिवर्सिटी (5) गैर-तकनीकी डिप्लोमा या प्रमाण पत्र, डिग्री के समतुल्य नही (6) तकनीकी डिप्लोमा या प्रमाण पत्र, डिग्री के समकक्ष नहीं (7) ग्रेच्युएट डिग्री, तकनीकी डिग्री के अतिरिक्त (8) स्नातोकोत्तर पूर्ण डिग्री, तकनीकी डिग्री से भिन्न (9) इंजीनियरिंग और तकनीकी (10) औषधि (11) कृषि और डेरी कार्य (12) पशु-चिकित्सा (13) शिक्षण और (14) अन्य का आकलन, शहरी क्षेत्रों के लिए, विवरण-3 में दिया गया है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8.48/84]

मद सं० (8) से (15) तक के लिए शिक्षा स्तर के अलग आँकड़े सभी क्षेत्रों के लिए उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए इनको सारणीवद्ध नहीं किया गया है। यह आंकलन 5 प्रतिशत नमूने पर आधारित है। चूंकि नमूने का आकार छोटा है अतः एक करोड़ की जनसंख्या से कम आबादी वाले राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के लिए अनुमानित आंकड़े नहीं निकाले गए हैं। अध-शिक्षितों के लिए सम्बन्धित आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि 1981 की जनगणना के दौरान अर्ध-शिक्षितों के बारे में सूचना एकत्र नहीं की गई थी। विवरण-1 से 3 में दी गई सूचना में असम राज्य जहाँ 1981 की जनगणना नहीं की जा सकी थी के सम्बन्ध में आंकड़े सम्मिलित नहीं हैं।

(ख) सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि 1981 की जनगणना के दौरान एकत्र किए गए भाषा के आंकड़ों पर अभी कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सूची में संवैधानिक संशोधन

7311. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या गृह मन्त्री खटवा और जटवा जातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने के बारे में 14 मार्च 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2814 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची में संशोधन के सम्बन्ध में अपनी टिप्पणियाँ अभी तक नहीं भेजी हैं और टिप्पणियाँ भेजने के लिए क्या समय सीमा रखी गई थी; और

(ख) क्या संसद के वर्तमान क्षेत्र में यह संवैधानिक संशोधन लाये जाने और उसे पारित करने का प्रस्ताव है; यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी विशिष्ट ब्यौरा क्या है, यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची में संशोधन के सम्बन्ध में आन्ध्र प्रदेश, बिहार, असम, जम्मू और कश्मीर, मेघालय, पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों की टिप्पणियां अभी प्राप्त नहीं हुई हैं अथवा आंशिक रूप से प्राप्त हुई हैं। उन्हें नियमित रूप से अनुस्मारक भेजे जा रहे हैं। सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से टिप्पणियां प्राप्त होने के बाद अंतिम निणय लिया जाएगा। राज्य सरकारों ने अपनी टिप्पणियाँ बहुत जल्दी भेजने का आश्वासन दिया है।

(ख) उपर्युक्त स्थिति को देखते हुए संसद के वर्तमान सत्र में अनुसूचित जातियों औ अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में व्यापक संशोधन सम्बन्धी विधयक लाना संभव नहीं हो सकेगा। इसके अतिरिक्त, प्रस्तावित विधेयक के ब्यौरे लोक हित में प्रकट नहीं किए जा सकते।

लघु उद्योग विकास संगठनों में खाली पदों को भरना

7312. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु उद्योग विकास संगठन के अधीन एस० आई० एस० आई० कलकत्ता में कितने पद खाली पड़े हैं;

(ख) वरिष्ठता और पदोन्नति आदि के बारे में विभिन्न न्यायालयों में कितने मामले लंम्बित हैं और अब तक क्या विभागीय कार्यवाही की गई है;

(ग) गत तीन वर्षों के लिए प्रत्येक ग्रेड में विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से पदोन्नति पाने वाले के सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है तथा उनकी तदर्थ अवधि पदों के खाली होने की तिथियाँ, वरिष्ठता दिए जाने की तारीख, विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की तारीख क्या हैं; और

(घ) क्या विभाग दिनांक 23 मार्च, 1983 के अतारांकित प्रश्न के उत्तर में दिए गए उत्तर और इस वक्तव्य को देखते हुए कि विभागीय पदोन्नति समिति के मध्यम से नियमित पदोन्नति न दिए जाने तक इन खाली पदों को तदर्थ पदोन्नति द्वारा भरा जाता है। नियमित पदोन्नति पाने वाले को उसी पद पर उनके लगातार तीन वर्ष की तदर्थ सेवा के पूरी कर लेने की तारीख से वरिष्ठता देगा ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव): (क) से (घ) आवश्यक जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

स्कूटर कम्पनियों में बुकिंग के लिए जमा धनराशि

7313. **श्री निहाल सिंह** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में दो पहियों वाले और तीन पहियों वाले स्कूटरों का उत्पादन करने वाली सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र की फर्मों के नाम क्या हैं;

(ख) प्रत्येक फर्म ने बुकिंग के नाम से 29 फरवरी, 1984 तक कितनी धनराशि एकत्रित की है; और

(ग) प्रत्येक फर्म द्वारा जमा की गई धनराशि की तुलना में बुकिंग की स्थिति क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) निम्नलिखित फर्में, जिनके पास उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अधीन लाइसेंस हैं, दुपहिए/तिपहिए स्कूटरों का निर्माण कर रही हैं :—

(1) आटोमोबाइल प्रोडक्ट्स आफ इण्डिया लि०	दुपहिए और तिपहिए
(2) बजाज आटो लि०; पुणे	—वही—
(3) स्कूटर्स इंडिया लि०, लखनऊ	—वही—
(4) महाराष्ट्र स्कूटर्स लि०, सतारा	दुपहिए
(5) आन्ध्र प्रदेश स्कूटर्स लि०, हैदराबाद	—वही—
(6) गिरनार स्कूटर्स लि०	—वही—
(7) केल्विनेटर आफ इण्डिया लि०	—वही—
(8) लोहिया मशीन्स लि०	—वही—
(9) स्कूटर्स केरल लि०	—वही—

(ख) और (ग) 30-4-1983 तक जमाराशियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए जाते हैं। जमाराशियों को काम में लाने सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धान्तों का पालन करने की समय सीमा को 30-6-1984 तक बढ़ा दिया गया है, अतः 30-6-1984 तक की स्थिति जुलाई-सितम्बर, 1984 की तिमाही में उपलब्ध होगी।

विवरण

जमाराशियों के सम्बन्ध में जानकारी

क्रमांक	कम्पनी का नाम	30-4-1983 की कुल जमाराशियां	जमा राशि की दर	ब्याज
1	2	3	4	5
1.	मेसर्स आटोमोबाइल प्रोडक्ट्स आफ इण्डिया लि०, बम्बई	53.80 लाख रुपये (केवल तिपहियों के लिए)	1000/- रुपये पेट्राल चालित के लिए 2500/- रुपये डीजल चालित के लिए	9 प्रतिशत
2.	मे० बजाज आटो लि०, पूना	7074.00 लाख रुपये	500/- रुपये प्रति वाहन	9 प्रतिशत
3.	मे० स्कूटर्स इण्डिया लि०, लखनऊ	495 18 लाख रुपये	500/- रुपये प्रति वाहन	9 प्रतिशत
4.	मे० महाराष्ट्र स्कूटर्स लि०, सतारा	2333.00 लाख रुपये	500/- रुपये प्रति वाहन	9 प्रतिशत
5.	मे० गिरनार स्कूटर्स लि०, अहमदाबाद	132.67 लाख रुपये	500/- रुपये प्रति वाहन	5 प्रतिशत
6.	मे० जोहिया मशीन्स लि०, कानपुर	10500.00 लाख रुपये	500/- रुपये प्रति वाहन	9 प्रतिशत
7.	मे० केल्विनेटर आफ इण्डिया लि०, फरीदाबाद	37.04 लाख रुपये	गाड़ी के टाइप के आधार पर 300/- रुपये से 500/- रुपये तक	गाड़ी के आधार पर 7 प्रतिशत से 9 प्रतिशत तक
*8.	मे० आन्ध्र प्रदेश स्कूटर्स लि०, हैदराबाद	2692.00 लाख रुपए	500/- रुपए प्रति वाहन	9 प्रतिशत

* 1-4-1984 की स्थिति

बिहार में गोग्रा तथा मनोहर पुर के बीच एक इस्पात संयंत्र की स्थापना करना

7314. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने बिहार, उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश के जंक्शन के पास गोग्रा तथा मनोहर पुर के बीच बिहार में एक समन्वित इस्पात संयंत्र को स्थापित करने की योजना का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो उसके बारे में ब्यौरा क्या है तथा उस पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या भिलाई तथा बोकारो इस्पात संयंत्रों में से प्रत्येक की क्षमता को दस मिलियन टन तक बढ़ाने के विचार को इस समय छोड़ दिया गया है;

(घ) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो विद्यमान इस्पात संयंत्र की क्षमता में वृद्धि करने के लिए क्या समय अवधि है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पो० साल्वे) : (क) और (ख) बिहार सरकार ने भारत सरकार को लिखा था कि सिंहभूम जिले में चिरिया नामक स्थान पर लौह-अयस्क के प्रचुर भंडार हैं और इस क्षेत्र में इस्पात कारखाना लगाने की सम्भावना का पता लगाने के बारे में उचित कार्यवाही की जाए राज्य सरकार को यह बता दिया गया था कि मांग-सप्लाई की स्थिति तथा वित्तीय और अन्य कठिनाईयों और छठी पंचवर्षीय योजना में पहले से किए गए वायदों को देखते हुए इस सम्बन्ध में कोई भी कार्यवाही करना सम्भव नहीं है। इस्पात के उत्पादन के लिए अतिरिक्त सुविधाएं लगाने की संदर्श योजना बनाते समय इस सुझाव को भी ध्यान में रखा जाएगा।

(ग) से (ङ) इस समय बोकारो तथा भिलाई के इस्पात कारखानों, प्रत्येक की वार्षिक क्षमता बढ़ाकर 40 लाख टन की जा रही है। इस समय चल रहे विस्तार कार्यक्रम के पूरा होने तथा उत्पादन में स्थिरता आने और ये कारखाने इस्पात की जिन विभिन्न श्रेणियों/सैक्शनों का उत्पादन करेंगे, उनकी मांग तथा सप्लाई की स्थिति को ध्यान में रखकर इन कारखानों का आगे और विस्तार करने के प्रश्न पर विचार किया जाएगा।

सरकारी कर्मचारियों को गृह निर्माण अग्रिम की स्वीकृति

7315. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय तथा दिल्ली और नई दिल्ली में स्थित उसके सम्बद्ध और

अधीनस्थ कार्यालयों में सरकारी आवास पाने के हकदार ऐसे सरकारी कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिन्हें गत तीन वर्षों के दौरान गृह निर्माण अग्रिम स्वीकृत किया गया है और ऐसे कितने कर्मचारियो के मकानों का निर्माण पूरा हो चुका है;

(ख) इनमें कितने कर्मचारियों के पास सरकारी आवास है तथा कितने कर्मचारी अपने निजी घरों में चले गए हैं और अपना सरकारी आवास खाली कर दिया है; और

(ग) सम्बन्धित नियम और विनियमनों का उल्लंघन करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान 381 सरकारी कर्मचारियों को मकान निर्माण अग्रिम राशि स्वीकृत की गई। उनमें से 236 कर्मचारियों ने अपने मकानों का निर्माण पूरा होने के बारे में सूचित किया है।

(ख) 153 व्यक्तियों के पास सरकारी आवास हैं। उनमें से 7 अपने मकानों में चले गए हैं और सरकारी आवास खाली कर दिया है।

(ग) इस प्रकार का कोई मामला ध्यान में नहीं आया है।

उद्योग मंत्रालय के कर्मचारियों को गृह निर्माण अग्रिम राशि

7316. **श्री रामसिंह शाक्य** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय में तथा दिल्ली और नई दिल्ली स्थित उसके सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने ऐसे कर्मचारी थे जो सरकारी मकान पाने के हकदार थे और उन्हें गृह निर्माण अग्रिम धनराशि मंजूर की गई और कितने कर्मचारियों ने मकानों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया है;

(ख) उनमें से कितने कर्मचारियों के पास सरकारी मकान थे और उनमें से कितने कर्मचारी सरकारी मकान खाली करके अपने निजी मकान में चले गए हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में संगत नियमों और विनियमों का उल्लेख करने के दोषी पाए गए कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) और (ख) इस मंत्रालय और दिल्ली/नई दिल्ली में स्थित इसके अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत उन सरकारी कर्मचारियों की कुल सख्या 86 है जिन्हें पिछले तीन वर्षों के दौरान गृह-निर्माण के लिए अग्रिम राशि स्वीकृत की गई है। इन सरकारी कर्मचारियों में से पचास ने अपने मकानों का निर्माण पूरा कर लिया है। जिन 86 सरकारी कर्मचारियों को गृह निर्माण के लिए अग्रिम राशि दी गई है। उनमें से 40 को संपदा निदेशालय द्वारा सरकारी आवास आवंटित किए गए हैं और इनमें से कोई भी अपने मकान में नहीं गया है।

(ग) सरकारी आवास के आवंटन सम्बन्धी नियमनकारी विद्यमान नियम उन कर्मचारियों को जिन्हें पहले सरकारी रिहायशी आवास आवंटित किया जा चुका है उसे अपने पास रखने से वंचित नहीं करते जिनके पास उनकी नियुक्ति के स्थान के पास या उसके निकट अपने निजी मकान हैं।

ऐसी वस्तुएं जिनके सम्बन्ध में औद्योगिक लाइसेंसों पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है

7317. **श्री छांगुर राम :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ऐसी वस्तुओं की एक सूची सभा पटल पर रखेगी, जिनके सम्बन्ध में क्रमश: औद्योगिक लाइसेंस देने और डी० जी० टी० डी० पंजीकरण करने पर प्रतिबन्ध और नियन्त्रण लगा हुआ है;

(ख) ऐसी कौन-कौन सी वस्तुएं हैं, जिनके सम्बन्ध में लघु क्षेत्र में एकक स्थापित करने के लिए भी औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता होती है;

(ग) ऐसे कौन-कौन से उद्योग हैं, जिनमें सरकार इस समय नई क्षमताओं के लिए प्रोत्साहन दे रही है। निर्यात उद्योगों/एककों के अलावा सभी उद्योगों के नाम बताए; और

(घ) इलेक्ट्रोनिक की कौन-कौन सी वस्तुओं के सम्बन्ध में सरकार नई क्षमताएं स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन दे रही है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) औद्योगिक लाइसेंसिंग या तकनीकी विकास के महानिदेशालय में पंजीकरण के लिए जिन वस्तुओं को प्रतिबन्धित किया गया है उनकी कोई सूची नहीं है। यदि विनिर्माण की वस्तु उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की प्रथम अनुसूची में शामिल है, तो विद्यमान उपक्रम में नई वस्तु के विनिर्माण के लिए नए औद्योगिक उपक्रम की स्थापना हेतु या विद्यमान औद्योगिक उपक्रम की स्थापना हेतु या विद्यमान औद्योगिक उपक्रम के पर्याप्त विस्तार हेतु औद्योगिक लाइसेंस लेना जरूरी होता है। किन्तु, अधिनियम की धारा 29 ख के अधीन जारी की गई 16 फरवरी, 1973 की अधिसूचना, समय-समय यथासंशोधित, के अनुसार, भूमि, इमारत और संयंत्र तथा मशीनरी में 5 करोड़ रुपए तक का पूंजीनिवेश करने वाले औद्योगिक उपक्रमों को उक्त अधिसूचना की शर्तों को पूरा करने की दशा में औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने से छूट प्राप्त है। छूट प्राप्त ऐसे उपक्रमों को तकनीकी विकास के महानिदेशालय या अन्य सम्बन्धित तकनीकी प्राधिकरणों में अपना पंजीकरण कराना जरूरी होता है। एकाधिकार अवरोधक व्यापारिक व्यवहार/विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अधीन आने वाली कम्पनियां इस छूट की पात्र नहीं हैं जबकि अन्य कम्पनियों को निम्नलिखित बातों को छोड़कर लाइसेंसिंग से छूट प्राप्त है :—

(1) जहां वस्तु लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित है। इस समय ऐसी वस्तुओं की संख्या 47 है जिनकी सूची संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(2) अधिसूचना की अनुसूची-3 में शामिल वे वस्तुएं, जो सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित है। (विवरण-1)।

(3) विशेष विनियमनों के अन्तर्गत आने वाली वस्तुएं (विवरण-2)।

(4) क्षमता और अन्य रुकावटों के अन्तर्गत आने वाली वस्तुएं। (विवरण-3)।

(ख) ये वस्तुएं 16 फरवरी, 1973 को छूट देने सम्बन्धी अधिसूचना की अनुसूची 4 में सूचीबद्ध कर दी गई हैं (संदर्भ विवरण-2)।

(ग) सामान्यत: ऐसे उद्योगों में और अधिक क्षमता को बढ़ावा दिया जाता है जिनमें मांग और पूर्ति के पूर्वानुमानित अन्तर को पूरा करने की गुंजाइश हैं। और अधिक लाइसेंसिंग सम्बन्धी गुंजाइश का प्रचार समय-समय पर प्रकाशित किए जाने वाले गाइडलाइन्स फार इन्डस्ट्रीज पार्ट-2 स्कोप एण्ड प्रोस्पेक्टस के माध्यम से किया जाता है।

(घ) इलेक्ट्रानिकी उद्योगों में सामान्यत: मिनी कम्प्यूटर/माइक्रो प्रोसेसर आधारित सिस्टम, इलेक्ट्रानिक पी० ए० बी० एक्स, ब्लैक एण्ड व्हाइट टी० वी० ट्यूबें, रंगीन टी० वी० ट्यूबें, एल० एस० आई०/वी० एल० एस० आई०, प्लास्टिक फिल्में कैपेस्टर आदि जैसे कुछ क्षेत्रों को छोड़कर नई क्षमता की स्थापना को बढ़ावा दिया जाता है।

विवरण-1

सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित वस्तुएं

1. आयुद्ध और गोला-बारूद और रक्षा उपस्कर की सहबद्ध मदें।
2. परमाणु शक्ति।
3. लोहा और इस्पात।
4. लोहा और इस्पात की भारी ढलाई और गढ़ाई।
5. लोहा और इस्पात के उत्पादन, खनन, मशीन औजार विनिर्माण और ऐसे अन्य आधारिक उद्योगों जैसे कि केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, के लिए अपेक्षित भारी संयंत्र और मशीनरी।
6. भारी विद्युत संयंत्र जिसमें बड़ा द्रवचालित और भाप टरबाइन सम्मिलित हैं।
7. कोयला और लिग्नाइट।
8. खनिज तेल।
9. लोह अयस्क, मैंगनीज अयस्क, क्रोम अयस्क, जिपसम, गन्धक, स्वर्ण और हीरे का खनन।
10. तांबे, सीसे, जस्त, टिन, मोलिबिडनम और वुलफ्रेम का खनन और संसाधन।

11. परमाणु शक्ति (उत्पादन का नियंत्रण और उपयोग) अधिनियम, 1953 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट खनिज ।

12. वायुयान ।

13. वायु परिवहन ।

14. रेलवे परिवहन ।

15. पोत निर्माण ।

16. टेलीफोन और टेलीफोन केबल, टेलीग्राफ और बेतार उपकरण (जिसमें रेडियो ग्राही समुच्चय सम्मिलित नहीं है) ।

17. विद्युत का जनन और वितरण ।

विवरण-2

(1) "2 ईंधन" शीर्षक के नीचे "(1) कोयला लिगनाईट, कोक और उनकी व्युत्पत्तियां" के अन्तर्गत आने वाला कोयला;

(2) "23-शक्तिचालित करघों पर विनिर्मित, उत्पादित या प्रसंस्कृत वस्त्र (जिसके अन्तर्गत रंगे हुए, छपे हुए या अन्यथा प्रसंस्कृत वस्त्र हैं) । शीर्षक के अन्तर्गत आने वाले वस्त्र;

(3) "27 खाद्य संस्करण उद्योग" शीर्षक के नीचे (2) दुग्ध खाद्य पदार्थ के अन्तर्गत आने वाला दुग्ध खाद्य पदार्थ; (3) माल्ट मिश्रित खाद्य पदार्थ के अन्तर्गत आने वाला माल्ट मिश्रित खाद्य पदार्थ और (4) आटा के अन्तर्गत आने वाला रोलर फ्लोर मिलिंग ।

(4) "28 वनस्पति तेल और वनस्पति" शीर्षक के नीचे (क) वनस्पति तेल, जिनके अन्तर्गत विलायक निकाले हुए तेल हैं और (ख) वनस्पति के अन्तर्गत आने वाली वनस्पति;

(5) "31 चमड़ा, चमड़े का सामान और पिकर" शीर्षक के अन्तर्गत आने वाला चमड़ा; तथा

(6) "36 काष्ठ उत्पाद" शीर्षक के नीचे "(3) दियासलाइयां" के अन्तर्गत आने वाली दियासलाइयां ।

(7) "26 किण्वन उद्योग" शीर्षक के अन्तर्गत आने वाले ऐल्कोहली पेयों का आसवन या निसवन ।

(8) इस्पात के सेमिल, छड़ों, तार-छड़ों और संरचनात्मक खण्डों के तप्त बेल्लन ।*

(9) ट्रैक्टर तथा स्वत-नोदक कम्बाइन हारवेस्टर ।

* अधिसूचना सं, 657 (अ) दिनांक 19.11.75 द्वारा जोड़ा गया है ।

विवरण-3

1. 1. "धातुकर्म-सम्बन्धी उद्योग-क लोह" शीर्षक के नीचे (1) लोहा और इस्पात (धातु) और '(6) विशेष इस्पात" के अन्तर्गत आने वाले स्क्रैप पर आधारित विद्युत भट्टियों से विनिर्मित सभी क्वालिटी का इस्पात।

2. "1. धातुकर्म सम्बन्धी उद्योग ; क लोह" शीर्षक के नीचे "(5) लोहा और इस्पात" के अन्तर्गत आने वाले लोहा और इस्पात पाइप और ट्यूबें और जंगरोधी ट्यूबें।

3. चमकीली सलाखें ।

4. टोन आधान और धातु आधान ।

5. ड्राम और बैरल ।

6. नरम इस्पात विशेष इस्पात और मिश्र धातु इस्पात की तारें—लेपित और अलेपित ।

7. इस्पात के सभी प्रवर्गों की शीत और ताप बेलित पट्टियां और चादरें और प्लेटें जिसके अन्तर्गत बाक्स स्ट्रेपिंग भी हैं ।

उपर्युक्त मद 3 से लेकर 7 "1. धातुकर्म सम्बन्धी उद्योग : क लोह" शीर्षक के नीचे ("7) लोहा और इस्पात के अन्य उत्पाद" के अन्तर्गत आती हैं ।

8. "1. धातुकर्म सम्बन्धी उद्योग : ख अलोह" शीर्षक के अन्तर्गत आने वाले अलोह सेमिस मिश्र धातु सपाट उत्पाद और उत्सारण ।

9. "5. विद्युत उपस्कर" शीर्षक के नीचे (6) "विजत केबल और तारें" के अन्तर्गत आने वाले ए०सी०सी०/ए०सी०एस०आर० कण्डक्टर्स ।

0. शीत शैल्लित निर्मित सैक्शन ।

11. हेमिल्टन खम्बे ।

12. नलिका खम्बे (पोत) ।

1 . इस्पात संरचनाएं ।

14. चादरी धातु संघटक ।

15. दूरदर्शन अभिग्राही ।

16. चादरी चित्रित और तारयुक्त कांच ।

17. प्लाईवुड, खज्जक शल्कल, ब्लाक बोर्ड और फ्लश दरवाजे ।

18. शुगर ।

19. पारेषण लाइन टावर ।

20. सिलाई मशीनें—हस्त प्रचालित, यंत्र प्रचालित, औद्योगिक या अन्यथा ।

21. दुग्ध मशीनरी उद्योग ।

22. खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी और उपस्कर उद्योग।

23. सभी प्रकार के रबर आधारित संवाहक पट्टे, पी० व्ही० सी० संवाहक पट्टे और पंखा तथा व्ही पट्टे।

24. कैल्शियम कार्बाइड।

25. कास्टिक सोडा।

26. पोटेशियम क्लोरेट।

27. कार्बन-ब्लेक।

28. कैल्शियम कार्बोनिट।

29. तात्विक फासफारस।

30. सोडियम क्लोरेट।

31. तकनीकी मैलेथियन।

32. बी०एच०सी० टैकनीकल।

33. एण्डोसल्फन टैकनीकल।

34. 2-4, डी।

35. संश्लिष्ट प्राइरेथ्राइड।

36. एनीलीन।

37. ऐसीटेनिलाइड।

38. मेटा-ऐमिनी फीनाल।

39. एम-डाइनाइट्रोबेन्जीन।

40. नाइट्रो-बैन्जीन।

41. पेरा-नाइट्रोक्लोरी-बैन्जीन।

42. आर्थोनाइट्रो क्लोरो-बैन्जीन।

43. पैरानाइट्रोटोल्यून।

44. आर्थोनाइट्रोटोल्यून।

45. मेटानाइट्रोटोल्यून।

46. अल्कोहल आधारित रसायन।

47. पिग आयरन और स्पंज आयरन।

48. लौह मिश्र धातु।

49. इलेक्ट्रानिक संघटक।

50. संगणक, छोटा संगणक/सूक्ष्म संसाधित्र आधारित पद्धति और सहबद्ध वस्तुएं।

51. ट्र-वे रेडियो संचार और सहबद्ध उपस्कर ।

52. अंकीय इलेक्ट्रानिक घड़ियां ।

53. रसायन और मंजिक मशीनरी जिसके अन्तर्गत मिक्सर और रिएक्टर गूंथने की मिलें, टबों मिक्सर और उसी प्रकार की अन्य फिल्टरन उपस्कर—फिल्टर प्रेस, घूर्ण फिल्टर और उसी प्रकार के अन्य हैं ।

अपकेन्द्री मशीन ।

वाष्पित्र ।

आसवन उपस्कर ।

क्रिस्टलक, शुष्कक ।

54. सुहागा ।

55. बोरिक अम्ल ।

56. रासायनिक चूना ।

57. एल्यूमिनियम कण्डक्टर सहित पी० व्ही० सी० पावर केबल ।

58. एसीटिक अम्ल ।

59. वितरण ट्रांसफार्मर ।

60 शुष्क बैटरियां ।

61. वैल्डन इलेक्ट्रोड ।

62. बिजली के पंखे ।

63. अधि-ऊर्ध्व क्रेन ।

64. रेल वैगन ।

65. औद्योगिक गैस ।

66 फार्मेल्डीहाइड ।

67. वेलाडियम पेंट आक्साइड केटेलिस्ट ।

68. हाइड्रोजन पर आक्साइड ।

69. नायलन चिप्स/नायलन सचन पाउडर ।

70. औद्योगिक विस्फोटक जिसके अन्तर्गत अधिस्फोटक, फ्यूज, सुरक्षा फ्यूज, बारूद और नाइट्रोसेलुलोस श्रेणी हैं ।

71. पालिएस्टर चिप्स/पालिएस्टर मोल्डिंग पाउडर ।

राजस्थान में उद्योग स्थापित करने के लिये राज सहायता

7318. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान राज्य में लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा अलग-अलग जिला-वार दी जा रही राज्य सहायता का ब्योरा क्या है;

(ख) उपरोक्त जिलों में पिछले तीन वर्षों के दौरान उद्यमियों को दी जाने वाली राज सहायता की जिला-वार कितनी धनराशि केन्द्रीय और राज्य सरकारों की ओर बकाया है;

(ग) उपरोक्त राज सहायता के बकाया रहने क्या कारण हैं; और

(घ) बकाया राज सहायता का पूरा भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (घ) केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों द्वरा दी गई राज सहायता की सूचना नहीं रखती है। केन्द्रीय निवेश राज सहायता के लिए जिलावार लेखें नहीं रखे जाते हैं और न ही लघु उद्योगों को दी गई राज सहायता का कोई अलग से हिसाब रखा जाता है।

वर्ष 1983-84 के दौरान राजस्थान सरकार से प्राप्त 8,27,96,280 रु० के राज सहायता दावों में से 5,10,13,457 रु० की प्रतिपूर्ति कर दी गई है। शेष राशि की प्रतिपूर्तिनिधि की कमी के कारण नहीं की जा सकी और इसकी प्रतिपूर्ति वर्ष 1984-85 में कर दी जाएगी।

राजस्थान के बाड़मेर जिले में शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान किया जाना

7319. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान के बाड़मेर जिले में ऐसे शरणार्थी हैं जो 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान सीमा पार करके भारत में आ गए थे और जो भारत में ही रह रहे हैं तथा उन्होंने काफी समय पहले नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र भेजे थे जो विचाराधीन पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो वे कितने हैं;

(ग) उन्हें नागरिकता प्रदान करने में विलम्ब के क्या कारण है; और

(घ) उन्हें नागरिकता कब तक प्रदान कर दी जायेगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेशों/अनुदेशों का कार्यान्वयन

7320. **श्री राम सिंह शाक्य** : क्या गृहमंत्री गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेशों/अनुदेशों

के कार्यान्वयन के बारे में 13 अप्रैल, 1983 और 7 मार्च, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7313 और 1777 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसा कोई माध्यम है जिसके अनुसार कार्मिक विभाग अपने द्वारा मंत्रालयों/विभागों को सेवा मामलों पर दिशानिर्देश जारी करने के बाद यह सुनिश्चित कर सके कि यदि मंत्रालय/विभागों द्वारा उन दिशानिर्देशों/परामर्श का कार्यान्वयन नहीं किया जाता है तो उनका निश्चित रूप से पालन हो; और

(ख) क्या 7 मार्च, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1777 के भाग (ख) के उत्तर में प्रयुक्त शब्द "जिम्मेवारी" का आशय यह है कि मंत्रालयों/विभागों के लिए कार्मिक विभाग द्वारा जारी अनुदेशों का पालन करना अनिवार्य है भले ही वह केन्द्रीय सचिवालय सेवा में शामिल हैं या नहीं और मन्त्रालयों/विभागों के लिए यह आवश्यक है कि उनके मन्त्रालय उन दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन करें जो भाग न लेने वाले कार्यालयों के कर्मचारियों के लाभ में है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी, नहीं। किन्तु जब कभी आवश्यक अथवा उचित समझा जाता है तो सेवा मामलों से सम्बन्धित किन्हीं अनुदेशों अथवा नीतियों के कार्यान्वयन के बारे में यथापेक्षित सूचना मंगाई जाती है।

(ख) जैसा कि दिनाँक 7-3-1984 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1777 के भाग (घ) के उत्तर में बताया गया है, जिन गैर-सहभागी मन्त्रालयों/विभागों में विभिन्न पदों की भर्ती तथा पदोन्नति को शासित करने के लिए अपने ही नियम हैं, उनके लिए सहभागी कार्यालयों में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा/केन्द्रीय सचिवालय सेवा आदि जैसी सेवाओं पर लागू मामलों में कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी किए गए अनुदेशों का पालन करना आवश्यक नहीं है। यह तो गैर सहभागी कार्यालयों पर निर्भर करता है कि वे स्वयं इस बात की जांच करें कि क्या उनके द्वारा लागू किए गए नियमों की परिस्थितियों में कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के नियंत्रणाधीन सेवाओं के सम्बन्ध में विभाग द्वारा जारी किए गए अनुदेशों का अनुपालन करना अथवा अपनाया जाना आवश्यक अथवा उपयुक्त होगा।

भारतीय उद्योग के आधुनिकीकरण करने के बारे में अध्ययन

7321. **श्री लक्ष्मण मल्लिक** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय निर्माता संगठन द्वारा भारतीय उद्योग के आधुनिकीकरण के बारे में हाल ही में कोई अध्ययन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उत्पादन में वृद्धि के लिए दिए गए निष्कर्षों और सुझावों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) और (ख) अखिल भारतीय उत्पाद संघ से विस्तृत विवरण का पता लगाया जा रहा है।

मणिपुर तथा अन्य राज्यों में विद्रोह रोकने के लिए किए गए उपाय

7323. **श्री आर०एन० राकेश** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मणिपुर में विद्रोह आबाध रूप से चल रहा है जैसा कि दिनाँक 21 फरवरी, 1984 के "टाइम्स आफ इण्डिया" में समाचार प्रकाशित हुआ था; और

(ख) यदि हाँ, तो मणिपुर तथा अन्य प्रभावित राज्यों में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) सरकार ने 21 फरवरी का समाचार देखा है जो टाईम्स आफ इण्डिया में प्रकाशित हुआ था। मणिपुर में 1984 में कुछ घटनाएं हुई हैं, जिनमें उग्रवादी अन्तर्ग्रस्त हैं।

(ख) सख्त सतर्कता बरती जा रही है और उग्रवादियों की गतिविधियों के विरुद्ध सुरक्षा उपाय किए जा रहे हैं। एम०एन०एफ० और मिजोरम में इसके सम्बद्ध निकायों और मैत्यी उग्रवादी संगठनों और मणिपुर में इसके सम्बन्ध निकायों को गैर-कानूनी गतिविधियां (निवारण) अ० 1967 के तहत गैर-कानूनी एसोसिएशन घोषित किया गया है। सम्पूर्ण राज्य मणिपुर और संघ शासित क्षेत्र मिजोरम को "विक्षुब्ध" क्षेत्र घोषित किया गया है। त्रिपुरा में त्रिपुरा मिजोरम सीमा पर एक पट्टी को भी "विक्षुब्ध" क्षेत्र घोषित किया गया है।

जो उग्रवादी आत्मसमर्पण करते हैं और कानून प्रिय नागरिकों का जीवन व्यतीत करने का निर्णय करते हैं उन्हें पुनर्वास सुविधाएं दी जाती हैं।

मणिपुर में विशेष रोजगार सृजन योजनाएं प्रारम्भ की गई हैं और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के त्वरित आर्थिक विकास पर जोर दिया जा रहा है।

गोंड समुदाय को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करना

7324. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (संशोधन) आदेश 1956 के अन्तर्गत समूचे बिहार के गोंड समुदाय को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया गया है;

(ख) क्या सरकार को इस आशय की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि बिहार में कई जिला अधिकारी एक न एक बहाने उक्त आदेश की उपेक्षा कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) संवैधानिक (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया है के अनुसार गोंड समुदाय को पूरे, समस्त बिहार राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

(ख) जी हां, श्रीमान्।

(ग) राज्य सरकार से मामले में उचित कार्रवाई करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि बिहार राज्य में गोंड समुदाय के व्यक्तियों को अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कोई कठिनाई न हो।

संथाल परगना का पहाड़िया अनुसूचित जनजाति समुदाय

7325. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में संथाल परगना का अनुसूचित जनजाति समुदाय धीरे-धीरे विलुप्त होता जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके बहुमुखी विकास के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) 1961 और 1971 की जनगणना के अनुसार बिहार में मल पहाड़िया और सौरिया पहाड़िया की जनसंख्या निम्न प्रकार थी :—

	1961	1971
मल पहाड़िया	45423	55606
सौरिया पहाड़िया	44988	55548

(ख) इन दो समुदायों के सभी प्रकार के विकास के लिए विशेष विकास कार्यक्रम आरम्भ करने हेतु इनका आदिम जनजाति समूहों के रूप में पता लगाया गया है। बिहार में आदिम समूह के रूप में पता लगाए गए अन्य सात समूहों के अतिरिक्त इन दो जनजाति समूहों के लिए विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत मंत्रालय द्वारा अलग राशियाँ दी जाती हैं। बिहार सरकार को 1980-81 से 1983-84 तक की अवधि के दौरान 1.45 लाख रु० की विशेष केन्द्रीय सहायता दी गई थी। चालू वर्ष 1984-85 के लिए 55 लाख रु० की व्यवस्था है।

दिल्ली में किराये के भवनों में कार्य करने वाले कार्यालय

7326. **श्री के० वी० एस० मणि** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में उनके मंत्रालय/अधिनस्थ कार्यालयों के विभिन्न दफ्तर कितने समय से किराए के भवनों में कार्य कर रहे हैं;

(ख) ये कार्यालय कौन-कौन से हैं तथा इन कार्यालयों द्वारा किराए पर लिए गए प्रत्येक भवन का मासिक किराया कितना है;

(ग) उक्त प्रत्येक भवन के लिए, किराए पर लिए गए दिन से लेकर 29 फरवरी, 1984 तक कुल कितना किराया अदा किया गया;

(घ) क्या सरकार अपने कार्यालय इन किराए के भवनों से हटाकर सरकारी भवनों में ले जाना नहीं चाहती, यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उक्त (घ) भाग का उत्तर नहीं में है, तो सरकार द्वारा राजकोष पर किराया का भार कम करने हेतु अपने कार्यालयों को किराये के भवनों से बदलने के लिए अभी तक प्रभावकारी कदम न उठाने के क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (ग) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। विवरण में बताए गए दोनों कार्यालय पहले से ही सरकारी स्थान के आवंटन के लिए अपनी माँग सम्पदा निदेशालय, आवास तथा निर्माण मंत्रालय में पंजीकृत करा चुके हैं। जैसे ही सरकार द्वारा उनको जगह का आवंटन किया जाएगा वे कार्यालय किराए की जगह छोड़ देंगे।

उद्योग मंत्रालय के अन्तर्गत आने वाले कार्यालय जो किराये के भवनों में है, का विवरण

क्रम संख्या	कार्यालय का नाम	कब से किराए के भवनों में है	मासिक किराया	29-2-1984 तक दिया गया कुल किराया	टिप्पणी
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	औद्योगिक आकस्मिकता का कार्यालय	1-7-1977	3,622,50 रुपये	2,78,932.50 रुपये	
2.	सीमेंट नियंत्रक का कार्यालय (केन्द्रीय और क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली)	1-1-1977	37,954.85 रुपये	27,16,785.00 रुपये	

नैमित्तिक श्रमिकों का नियमित किया जाना

73 7. **श्री के०वी०एस० मणि** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या उनके मंत्रालय में कुछ दिनों के लिए काम करने के बाद नैमित्तिक श्रमिकों को अपने आप नियमित कर दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्सबन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) उनके मंत्रालय में गत एक वर्ष के दौरान कितने नैमित्तिक श्रमिक नियमित कर दिए गए हैं;

(घ) कितने नैमित्तिक श्रमिकों को जो दो वर्षों से अधिक समय से कार्यरत हैं, नियमित नहीं किया गया है और उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार ने उन्हें नियमित करने के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम बनाया है, यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ङ) कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार नैमित्तिक श्रमिक, जो 20-3-79 को कार्यरत थे, यदि निम्नलिखित शर्तें पूरा करते हैं, तो उन्हें नियमित रूप से नियुक्त किया जा सकता है :

(क) उनकी पद के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षित अर्हताएं होनी चाहिए;

(ख) नैमित्तिक श्रमिक के रूप में उनके कार्य करते समय वे निर्धारित आयु-सीमा में होने चाहिए;

(ग) उन्होंने किसी नियमित ग्रुप "घ" पद में नियुक्ति की तारीख को पिछले दो वर्षों से चले आ रहे प्रत्येक वर्ष के दौरान कम से कम 240 दिन की सेवा की हो।

कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग ने 5-1-84 को अनुदेश जारी किए हैं, जिसमें 20-3-79 के बाद नैमित्तिक श्रमिकों की भी उक्त शर्तों के अनुसार नियमित नियुक्ति की व्यवस्था है।

2. पिछले एक वर्ष के दौरान मंत्रालय के चौदह नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित नियुक्तियां दी जा चुकी हैं। इस समय मंत्रालय में 39 नैमित्तिक श्रमिक हैं, जिन्होंने सेवा के दो वर्ष पूरे कर लिए हैं और ग्रुप 'घ' पदों की रिक्तियों में नियुक्ति के लिए जिन पर विचार किया जा सकता है, बशर्ते कि वे पात्रता की शर्तें पूरा करते हों।

3. नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित करने के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम नहीं है।

उद्योगों के लिए अनुज्ञेय निस्सरण सीमा

7328. **श्री मनमोहन टुडु** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यावरण विभाग ने औद्योगिक प्रदूषण को रोकने तथा उस पर नियंत्रण रखने के लिए विभिन्न प्रकार के नौ उद्योगों के लिए अनुज्ञेय निस्सरण सीमा निर्धारित की है;

(ख) यदि हां, तो वे विभिन्न प्रकार के उद्योग कौन से हैं;

(ग) उन उद्योगों के लिए अनुज्ञेय निस्सरण सीमा निर्धारित किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण विभाग में उप-मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण के केन्द्रीय बोर्ड ने छह प्रदूषक उद्योगों के बारे में अनन्तिम रूप से उत्सर्जन सीमाएं निर्धारित की हैं ।

(ख) ये उद्योग हैं;

1—सीमेंट उद्योग
2—नाइट्रोजनी उर्वरक उद्योग
3—सल्फ्यूरिक एसिड उद्योग
4—लोहा तथा इस्पात उद्योग
5—नाइट्रिक एसिड उद्योग
6—ताप बिजली संयत्र

(ग) तथा (घ) यह समझा जाता है कि उपर्युक्त छह उद्योग सबसे अधिक वायु प्रदूषक उद्योग हैं तथा प्रथम चरण में इन उद्योगों के लिए मानक निर्धारित किए गए हैं अनन्तिम उत्सर्जन मानकों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

जल प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण का केन्द्रीय बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा औद्योगिक इकाइयों के लिए निर्धारित किए गए अनन्तिम उत्सर्जन मानकों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

1) सीमेंट उद्योग

क्षमता	सुरक्षित क्षेत्र	अन्य क्षेत्र
200 टी०पी०डी० तथा कम	25 एम०जी०/एन०एम०3 से अधिक नहीं	400 एम०जी०/एन०एम०3 से अधिक नहीं
200 टी०पी०डी० से अधिक	150 एम०जी०/एन०एम०3 से अधिक नहीं	250 एम०जी०/एन०एम०3 से अधिक नहीं

2) ताप बिजली संयंत्र

बायलर आकार	पुराना	नया (1979 के पश्चात)	सुरक्षित क्षेत्र
200 एम०डब्ल्यू० या बड़ा	—	150 एन०एम०3	150 एम०जी०/एन०एम०3
200 एम०डब्ल्यू० से कम	600 एम० जी०/एन० एम०3	350 एन० एम०3	150 एम०जी०/एन०एम०3

3) लोहा तथा इस्पात संयत्र

उत्सर्जन का स्रोत	धूल/विविक्त
सिन्टर	150 एम०जी०/एन०एम०3
आक्सीजन लेंसिंग सहित इस्पात बनाना	
गैर-लेंसिंग अवधि	150 एम०जी०/एन०एम०3
लेंसिंग अवधि	400 एम०जी०/एन०एम०3

4) **उर्वरक संयंत्र :**

प्रिलिंग टावर से निकास द्वारा विविक्त उत्सर्जन (यूरिया धूल) के लिए प्रस्तावित सीमा 50 एम०जी०/एन०एम०3 है ।

5) **नाइट्रिक एसिड संयंत्र :**

औसतन दो घंटे की अवधि से ऊपर तैयार किए गए पतले एसिड (एकत्र करने से पहले) के नाइट्रोजन आक्साइड की उत्सर्जन सीमा अनन्तिम रूप से एन०ओ०) प्रतिटन का 3 कि०ग्रा० निर्धारित की गई है ।

दोहरे संस्पर्श दोहरी समावेशन प्रक्रिया के मामले में औसतन 2 घंटे से अधिक के लिए एस०ओ2 (सल्फर डाई आक्साइड) की सीमाएं एच०2एस० ओ०4 सलफ्यूरिक एसिड का 4 के०जी०/टन सुझाया गया है । एकल समावेशन प्रक्रिया वाले संयत्रों को औसतन 2 घंटे से अधिक के लिए एच०2एस०ओ०4 (100 प्रतिशत) का 10 के०जी०/टन की सीमा पूर्ण करना अपेक्षित है ।

एसिड तिल्ली के बारे में सभी प्रकार के संयत्रों के लिए 50 एम०जी०/ एन०एम०3 की सीमा सुझाई गई है ।

जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान में सुपर जिंक स्मेल्टर प्लांट

7329. प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत :

श्री माधव राव सिंधिया : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान में सार्वजनिक क्षेत्र में सुपर जिंक स्मेल्टर प्लांट लगाने के लिए जिला चित्तौड़गढ़ को अन्तिम रूप से चुना गया है; यदि हाँ, तो क्या इस योजना को अन्तिम स्वीकृति दे दी गई है;

(ख) क्या छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम चरण में इस योजना पर काम आरम्भ हो जाने की सम्भावना है;

(ग) क्या विलम्ब से इस परियोजना की लागत बढ़ जाने की सम्भावना है, यदि हाँ, तो कितनी; और

(घ) क्या यह भी सच है कि इस समय जस्ते के आयात पर भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च की जा रही है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) और (ख) खान विभाग के सरकारी उपक्रम हिन्दुस्तान जिंक लि० ने चित्तौड़गढ़ के निकट एक जस्ता-सीसा प्रद्रावक कम्पलेक्स और ग्रहीत ताप बिजलीघर, देबारी में गैस-टरबाइन सेट की स्थापना तथा सीसा जस्ता खानों (रामपुरा-अगुचा और बरोई) (सभी राजस्थान में) के विकास हेतु 525.23 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत का एक प्रस्ताव पेश किया है। लेकिन धनाभाव के कारण इस प्रस्ताव पर पूंजी निवेश का निर्णय फिलहाल स्थगित कर दिया है। सातवीं योजना बनाने के सन्दर्भ में उपबन्ध स्रोतों के व्यापक मूल्यांकन के बाद, अन्य के साथ इस प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा।

(ग) कम्पनी के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के सम्बन्धित सूचकांक के आधार पर विलम्ब के कारण मार्च, 1985 तक पूंजी लागतों में कम से कम 115.00 करोड़ रु० की वृद्धि हो जाने का अनुमान है।

(घ) गत तीन वर्षों में जस्ता धातु के आयात पर विदेशी मुद्रा का खर्च प्रकार रहा :—

1981-82	52.55 करोड़ रुपए
1982-83	41.69 करोड़ रुपए
1983-84 (प्रत्याशित)	43.39 करोड़ रुपए

राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में सीमेंट उद्योग की स्थापना

7330. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : क्या उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के दक्षिण-पूर्व क्षेत्र चित्तौड़गढ़ और कोटा में चूना पत्थर का बहुत बड़ा भंडार है; और

(ख) क्या सरकार को चूना पत्थर के भंडार का उचित उपयोग करने की दृष्टि से सरकारी क्षेत्र में वहां एक सीमेंट उद्योग स्थापित करने की कोई योजना है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) राजस्थान राज्य सरकार ने बताया है कि इस क्षेत्र में चूना मिट्टी के विस्तृत भण्डार विद्यमान हैं।

(ख) राजस्थान राज्य सरकार द्वारा भारतीय सीमेंट निगम लिमिटेड को सीमेंट संयंत्र की स्थापना के लिए जिला चित्तौड़गढ़ में एक खान लीज पर देने की स्वीकृति दी गई है। चित्तौड़गढ़ जिले में शम्भूपुरा में एक सीमेंट संयंत्र की स्थापना के लिए औद्योगिक लाइसेंस की स्वीकृति के लिए एक आवेदन पत्र और इस परियोजना की सम्भव्यता रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है तथा इनकी जांच की जा रही है।

भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड के लिए सोवियत प्रौद्योगिकी

7331. **श्री जी० वाई कृष्णन्** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र ने यह निर्णय लिया है कि सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड सार्वजनिक क्षेत्र के एककों के लिए तेज रफ्तार, शाफ्ट सिंकिंग कार्यों में सोवियत प्रौद्योगिकी का उपयोग करेगा;

(ख) क्या चट्टानों के भयानक विस्फोटों के कारण भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड में भूस्खलन होता रहा है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार के ध्यान में और कौन सी कमियां आई हैं अथवा सरकार के ध्यान मे लाई गई है और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) जी हाँ, भारत गोल्ड माइन्स लि० का इरादा तेज गति से शाफ्ट लगाने में सोवियत प्रौद्योगिकी अपनाने का है। इस उन्नत प्रौद्योगिकी को अपनाने से कम्पनी को तेज गति से शाफ्ट लगाने के अन्य सरकारी और गैर-सरकारी उद्यमों से अधिक ठेके मिलेंगे। इस प्रयोजन से भारत गोल्ड माइंस लि० ने सोवियत ऐजेंसी स्वेतमेत प्रोमएक्स पोर्त के साथ 26-10-8. को एक करार किया है।

(ख) और (ग) मैसूर खान में जुलाई, 1983 में और चैम्पियन रीफ खान में अक्टूबर, 1983 में चट्टान-विस्फोट हुआ था, जिससे 86 किलो स्वर्ण उत्पादन की हानि हुई। सरकार ने इन चट्टानों विस्फोटों से होने वाली हानि के लिए बीमा की संभावना का पता लगाने का सुझाव दिया है।

कम्पनी ने चट्टान-विस्फोट के केन्द्र और उच्च भूकम्प प्रणव जोन का पता लगाने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के अन्तर्गत एक भूकम्प लेखी दर्शी प्रणाली विकसित की है, जो सन्तोषप्रद कार्य कर रही है। उच्च चट्टानी दबाव दशाओं के अतर्गत गहरी संकरी धारियों में खनन क्षमता का विकास करने के लिए कम्पनी यू०एन०डी०पी० सहायता लेने का भी विचार कर रही है।

महाराष्ट्र में सीमेंट की अनुपलब्धता के सम्बन्ध में शिकायतें

7332. **श्री जगन्नाथ पाटिल** : क्या उद्योग मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय को महाराष्ट्र में और विशेषकर एस० एस० आई० यूनिटों के लिए लेवी सीमेंट उपलब्ध न होने के सम्बन्ध में निरन्तर शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो जनवरी, 1983 से दिसम्बर, 1983 की अवधि के लिए राज्य की आवश्यकता की तुलना में महाराष्ट्र के लिए निर्धारित लेवी सीमेंट का कोटा कितना है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार का महाराष्ट्र में लेवी सीमेंट की मौजूदा कमी को किस प्रकार पूरा करने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) देश में सीमेंट की कुल उपलब्धता और समग्र मांग के अनुमानों के अनुसार सीमेंट की सामान्य रूप से कमी है। इस सीमा तक महाराष्ट्र में सीमेंट की कमी की सम्भावना को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। सीमेंट की वितरण नीति के अनुसार लघु औद्योगिक एककों को राज्य सरकारों द्वारा उनके तिमाही इकट्ठे (बल्क) आवंटन से लेवी सीमेंट आवटित किया जाता है। महाराष्ट्र के लघु उद्योगों ने लेवी सीमेंट की कम पूर्ति होने की सूचना दी है।

(ख) और (ग) महाराष्ट्र सरकार सहित राज्य सरकारें लेवी सीमेंट की अपनी आवश्यकताएं नियमित रूप से नहीं भेजती हैं। किन्तु महाराष्ट्र सरकार ने अप्रैल, 1982 में बताया था कि उनकी लेवी सीमेंट की तिमाही आवश्यकता (सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं को छोड़कर) 3 लाख मी० टन की है। वर्ष 1983 के दौरान महाराष्ट्र राज्य के लिए (सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं को छोड़कर) लेवी सीमेंट का तिमाही-वार आवंटन निम्न प्रकार है :—

तिमाही	आवंटन (मी० टन)
1/83	1,34,291

(जनवरी-मार्च)	
2/83	1,95,991
(अप्रैल-जून)	
3/83	1,98,991
(जुलाई-सितम्बर)	
4/83	2,05,991
(अक्तूबर-दिसम्बर)	

इसके अलावा वर्ष 1983 के दौरान महाराष्ट्र में 15,65,541 मी० टन गैर-लेवी सीमेंट भी बेचा गया था। राज्य को इसी अवधि में 1,81,890 मी० टन प्रातातित सीमेंट भी मिला था।

गरीबी मिटाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कदमों का कार्यान्वयन

7333. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 10 फरवरी, 1984 के "इकानामिक्स टाइम्स" में "आई० एल० ओ० लिस्ट्स स्टेप्स टू एंड पावर्टी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा सुझाए गए कदमों को कार्यान्वित करने पर विचार करेगी; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा किन कदमों को अपनाने और किन कदमों को छोड़ने का विचार है ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) प्रकाशित समाचार में उद्धृत रिपोर्ट में उल्लिखित मूल कार्य नीतियां, अर्थात् ग्रामीण विकास का पैटर्न इस तरह तैयार करना ताकि भूमि के संकेन्द्रण को रोकने के वास्ते संस्थागत परिवर्तनों सहित सभी के लिए उपलब्ध तथा उपयोग में लाये जा रहे नए शिल्प विज्ञानों का लाभ गरीबों तथा भूमिहीनों को मिल सके, अपेक्षाकृत अकुशल श्रमिकों का अधिकतम उपयोग करने के लिए उपयुक्त उत्पादन प्रौद्योगिकी का संवर्धन और लघु उद्योगों पर बल हमारी योजना का पहले से ही अंग हैं।

जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान समर्थक लोगों की गिरफ्तारी

7334. **श्री नवल किशोर शर्मा :**
श्री कृष्ण प्रताप सिंह :
श्री अर्जुन सेठी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और कश्मीर में पिछले एक वर्ष के दौरान कितने पाकिस्तान समर्थक लोग गिरफ्तार किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका विवरण क्या है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है; और

(ग) इन लोगों द्वारा भविष्य में तोड़ फोड़ की कार्यवाही को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) जम्मू व कश्मीर सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार 47 व्यक्तियों में से, जो राष्ट्र-विरोधी और समाज-विरोधी गतिविधियों में अंतर्ग्रस्त पाए गए थे, 30 व्यक्ति गिरफ्तार कर लिए गए और 17 व्यक्तियों के पूर्वाभासी जमानत करा ली । गिरफ्तार किए गए 30 व्यक्तियों में से 24 व्यक्तियों को जम्मू व कश्मीर लोक सुरक्षा अधिनियम के अधीन नजरबन्द किया गया और छः व्यक्तियों को जमानत पर छोड़ दिया गया ।

(ग) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि अपराधियों के विरुद्ध सम्बन्धित कानून के उपबन्धों के अधीन कार्यवाही की जाती है और राज्य सरकार के प्राधिकारी सजग और सतर्क हैं ।

बालासोर, फूलबनी और बलान्गिर जिलों में उद्योगों की स्थापना

7335. **श्री चिन्तामणि जैना** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य के बालासोर, फूलबनी और बलान्गिर जिलों को उड़ीसा के उद्योग विहीन जिले घोषित किया गया है; और

(ख) यदि हां, 1983-84 वर्ष के दौरान उन जिलों में बड़े और मध्यम दर्जे के उद्योगों की स्थापना के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं और इन औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों को उड़ीसा के अन्य जिलों के बराबर लाने के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति की गई है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) (क) जी, हाँ ।

(ख) इन जिलों में उद्योगों की स्थापना के लिए लाइसेंस देने के मामलों में सरकार सर्वाधिक प्राथमिकता दे रही है । उद्योग रहित जिलों में उद्योगों की स्थापना हेतु रियायतों/प्रोत्साहनों के संशोधन सेट की घोषणा 27-4-83 के प्रेस टिप्पण द्वारा की गई है जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं ।

इन जिलों के लिए 1983 में आठ आशय पत्र जारी किए गए हैं।

बंगाल पोटरीज का राष्ट्रीयकरण करना

7:36. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या मेसर्स बगाल पोटरीज लिमिटेड, कलकत्ता के भविष्य के सम्बन्ध में अब कोई पक्का निर्णय ले लिया गया है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच कोई विचार विमर्श किया हुआ है; और

(ग) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

बस्ती जिले में कागज का कारखाना स्थापित किया जाना

7:37. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे :** क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बस्ती जिला (उत्तर प्रदेश) देश के पिछड़े और उद्योग विहीन जिलों में से एक है;

(ख) क्या यह भी सच है कि अब तक कराए गए सभी सर्वेक्षणों में वस्ती जिला में सार्वजनिक क्षेत्र में कागज का एक कारखाना स्थापित किए जाने की सिफारिशें की गई थी और यह सरकार के विचाराधीन भी है परन्तु अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है और यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार जिले बस्ती में सार्वजनिक क्षेत्र में कागज का एक बड़ा उद्योग स्थापित करने पर विचार करेगी; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) उत्तर प्रदेश में, बस्ती जिला पिछड़े जिलों की श्रेणी "ख" का एक जिला है ।

(ख) से (घ) सरकार बस्ती जिले मे, सरकारी क्षेत्र में, कागज का कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । तथापि बस्ती जिले में विद्यमान 6600 मी० टन वार्षिक अधिष्ठापित क्षमता वाला मै० संजय पेपर एंड केमिकल्स लि०, नामक एकक कागज और कागज गत्ते का उत्पादन कर रहा है । प्रतिवर्ष 8250 मी० टन लेखन तथा मुद्रण कागज के उत्पादन के लिए बस्ती जिले में एक नया एकक स्थापित करने के लिए 18-3-82 को मै० पी० वी० के० पेपर्स का एक औद्योगिक लाइसेंस स्वीकृत किया गया है ।

लघु उद्योगों की कार्यान्विति

7338. **श्री लक्ष्मण मलिक :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार लघु उद्योगों के विकास और उनकी कार्यनिष्पत्ति पर विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों और राज्यों में, निगरानी रख रही है;

(ख) यदि हां, तो ये कितने यूनिट हैं और 1982-83 के दौरान लघु उद्योगों में बीमार यूनिटों की प्रतिशतता में आई गिरावट के सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनके सुधार के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) राज्यों के उद्योग निदेशकों से प्राप्त सूचना के अनुसार देश में 31 दिसम्बर, 1982 को पंजीकृत लघु एककों की संख्या 59'679 थी। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एकत्रित किए गए रुग्ण लघु औद्योगिक एककों सम्बन्धी आंकड़ों के अनुसार, उधारी सम्बन्धी खातों/एककों की कुल संख्या में रुग्ण लघु औद्योगिक एककों का प्रतिशत अंश जून, 1979 के 3.5 से घटकर जून, 1982 में 2.9 हो गया।

सरकार ने रुग्ण औद्योगिक एककों की पुर्नस्थापना के लिए अनेक अभ्युपाय किए हैं, जैसे भारतीय रिज़र्व बैंक में एक विशेष प्रकोष्ठ की स्थापना करना पुर्नस्थना के लिए समन्वित ढग से सहायता प्रदान करने हेतु, राज्य स्तर की अन्तर-संस्थागत समितियाँ गठित करना, लघु क्षेत्र में रुग्ण एककों की पुर्नस्थापना हेतु सीमान्त धनराशि योजना चालू करना और रुग्ण एककों की समस्याओं का पता लगाने तथा उनकी पुनस्थापना के लिए उपचारात्मक अभ्युपाय सुझाने हेतु अखिल भारतीय लघु उद्योग बोर्ड द्वारा औद्योगिक रुग्णता सम्बन्धी स्थायी समिति का गठन करना। इसके अलावा, वित्तीय संस्थानों और राज्य सरकारों द्वारा लघु क्षेत्र में रुग्ण उद्योगों को पुनरूज्जीवित और पुर्नस्थापित करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं।

अधिग्रहीत उद्योगों को अनधिसूचित करने के लिए परामर्श

7339. **श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या केन्द्रीय सरकार पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री के इस अनुरोध पर विचार कर रही है कि भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम द्वारा अधिग्रहीत उद्योगों को राज्य सरकार से उचित परामर्श किए बिना अनधिसूचित न किया जाए ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री से दिनांक 17 जून, 1983 का एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें उन्होंने पाँच औद्योगिक उपक्रमों, जिसमें से चार का प्रबन्ध उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम

के उपबन्धों के अन्तर्गत भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम द्वारा किया जा रहा है के भविष्य के सम्बन्ध में कुछ सुझाव दिए गए थे और यह अनुरोध किया गया था कि इन उपक्रमों के बारे में राज्य सरकार से परामर्श करने से पूर्व निर्णय न किया जाए। उद्योग मन्त्री ने अपने दिनांक 4 जुलाई, 1983 के उत्तर में मुख्य मन्त्री को सूचित किया था कि सरकार प्रत्येक मामले की समीक्षा कर रही है और इन पांच एककों के भविष्य के सम्बन्ध में निर्णय निकट भविष्य में किया जाएगा। मुख्य मन्त्री को यह भी सूचित कर दिया गया था कि उनके इन पाँच एककों को अन्य सरकारी या गैर-सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों को सौंपने सम्बन्धी सुझाव पर पहले ही विचार किया जा चुका था किन्तु वह स्वीकार करने योग्य नहीं पाया गया था।

राजधानी में बायो-टैक्नोलोजी सम्बन्धी सम्मेलन

7240. **श्री के० प्रधानी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बायो-टैक्नोलोजी के क्षेत्र में विकास का पुनरीक्षण करने के लिए पिछले मास राजधानी में बायो-टेक्नोलाजी के बारे में एक सम्मेलन हुआ था और इस सम्मेलन में वित्त सहित संशोधनों सम्बन्धी समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन के निष्कर्ष क्या है और भारत में दीर्घावधि की बायो-टेक्नालाजी को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) सातवां अन्तर्राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी सिम्पोजियम, नई दिल्ली में 19—25 फरवरी, 1984 के दौरान आयोजित किया गया था। इस सिम्पोजियम में जैव प्रौद्योगिकी की वर्तमान स्थिति, इसकी भावी सम्भावनाओं, इसके वाणिज्यिक निहितार्थों के साथ-साथ इस विषय-क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास स्तर पर निधियों की आवश्यकताओं के लिए भी सविस्तार समीक्षा की गई थी।

(ख) इस सम्मेलन के फलस्वरूप 38 देशों से वैज्ञानिक समुदाय के सदस्यों के बीच लाभप्रद अन्योन्यक्रिया हुई। अधिकांश वैज्ञानिकों ने यह विचार प्रकट किया कि देश में दीर्घावधि जैव-प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए आणविक जैविकी और आनुवंशिक इंजीनियरी के लिए ससाधन संचालन और निधीयन आवश्यक है। उन्होंने यह अनुभव भी किया कि जैव प्रक्रिया इंजीनियरी जैव-रिएक्टर के विकास, अमूल्य कच्चो सामग्री को शीघ्र उपयोग के लिए उच्च मूल्य के उत्पादों में रूपांतरण और जन शक्ति विकास भी अत्यधिक महत्व के हैं। राष्ट्रीय जैव-प्रौद्योगिकी बोर्ड ने देश में जैव-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, पहले ही क्रियाकलापों की एक दीर्घावधि योजना तैयार की है।

दिल्ली के निवासियों को पहचान पत्र जारी करना

7341. **डा० कृपा सिन्धु भोई** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन का विचार दिल्ली के प्रत्येक निवासी को पहचान पत्र जारी करने का है;

(ख) इस पर कितनी धनराशि खर्च होगी; और

(ग) पहचान पत्र जारी करने का प्रयोजन क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) तथा (ख) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि दिल्ली में रहने वाले प्रत्येक परिवार के मुखिया को पहचान-पत्र जारी करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

(ग) दिल्ली प्रशासन के अनुसार इस योजना का मुख्य उद्देश्य अपराधिक और अन्य गतिविधियों में अन्तर्ग्रस्त होने के लिए बाहर से आने वाले समाज-विरोधी तत्वों के आगमन पर अधिक नियन्त्रण लगाना है।

नजफगढ़ औद्योगिक क्षेत्र में कारखानों द्वारा उत्पन्न वायु प्रदूषण

7342. **डा० कृपा सिन्धु भोई** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नजफगढ़ रोड औद्योगिक क्षेत्र में विभिन्न कारखानों द्वारा उत्पन्न किा जा रहे वायु प्रदूषण की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो प्रदूषण रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पर्यावरण विभाग में उप-मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) इस क्षेत्र को औद्योगिक उत्सर्जन नियन्त्रण कार्यक्रम में तेजी लाने के लिए संघ राज्य क्षेत्र में प्रस्तावित दो वायु प्रदूषण नियन्त्रण क्षेत्रों में से एक में शामिल किया गया है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा भेजे गये सरकारी प्रतिनिधि मंडल

7343. **डा० कृपा सिन्धु भोई** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा पिछले एक वर्ष के दौरान कितने प्रतिनिधि मंडल विदेश भेजे गए हैं; और

(ख) उन पर कितनी धनराशि खर्च हुई ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलैक्ट्रानिकी और महासागर

विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) -4-1983 से 31-3-1984 तक 23 प्रतिनिधि मंडल प्रायोजित किए गए हैं।

(ख) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किया गया व्यय (लगभग) 8,71,016 रुपये था।

कम्पनियों के कार्य निष्पादन का भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अध्ययन

7344. इन्द्रजीत गुप्त : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 1982-83 में 486 कम्पनियों के कार्यनिष्पादन के भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए अध्ययन की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या अध्ययन से पता चलता है कि जबकि कुल उत्पादन के मूल्य बेचे गए माल के मूल्य और सकल लाभ में 1981-82 में गिरावट आई है, कर देने के बाद लाभ में वास्तव में वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस परस्पर विरोधी स्थिति का क्या स्पष्टीकरण है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (ग) : भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक करोड़ रुपये और उससे अधिक की चुकता पूंजी वाली 486 गैर-सरकारी सार्वजनिक बड़ी लिमिटेड कम्पनियों के सम्बन्ध में किए गए अध्ययन के अनुसार इन कम्पनियों के कार्य-निष्पादन में, वर्ष 1981-82 की तुलना में 1982-83 में, उत्पादन मूल्य में वृद्धि की दर में 21.1 प्रतिशत से लेकर 9.4 प्रतिशत, बिक्री में 20.1 प्रतिशत से 10.1 प्रतिशत और सकल लाभ में 16.3 प्रतिशत से 4.3 प्रतिशत की कमी हुई है। वर्ष 1981-82 की तुलना में वर्ष 1982-83 में ब्याज की अधिक राशि होने के कारण इन कम्पनियों के परिचालन लाभ और कर-पूर्व लाभ में क्रमश: 9.4 प्रतिशत और 6.1 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई। फिर भी करों की व्यवस्था करके 22.3 प्रतिशत की कमी होने के कारण वर्ष 1982-83 में कर के पश्चात् लाभ में 4.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

गुजरात में कुछ जिलों को औद्योगिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र घोषित करना

7345. श्री छोतू भाई गामित : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने उन जिलों को औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्र घोषित करने की मांग की है जिनमें खण्ड या तालुका स्तर के उद्योग नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) गुजरात सरकार की मांग कब तक पूरा किए जाने की सम्भावना है और

केन्द्र सरकार इस दिशा में क्या कदम उठा रही है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (ग) गुजरात सरकार ने सुझाव दिया कि जिन जिलों में एक बड़ा मंझोला उद्योग है उन्हें "उद्योग रहित जिलों में सम्मिलित किया जाए अथवा विकल्प के रूप में" उद्योग रहित क्षेत्र की घोषणा के लिए जिले के स्थान पर तालुक या ब्लाक के एक इकाई माना जाए।

क्योंकि पिछड़े क्षेत्रों के विकास सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति की सिफारिशों पर अन्तिम निर्णय होने तक के लिए वर्तमान पुनः वर्गीकरण एक अन्तः-कालीन उपाय है अतः इस समय "उद्योग रहित जिलों" की अवधारणा में परिवर्तन करने का कोई विचार नहीं है।

बिहार के सीमेंट कारखानों द्वारा बोकारो इस्पात संयंत्र द्वारा छोड़े गए कचरे (स्लैग) का प्रयोग

7346. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह : क्या इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बोकारो इस्पात संयंत्र द्वारा छोड़े गए कचरे (स्लैग) को, जिसका सीमेंट निर्माण में प्रयोग किया जाता है, बिहार के सीमेंट कारखानों में प्रयोग में नहीं लाया जाता है बल्कि उसको उत्तर प्रदेश को भेज दिया जाता है;

(ख) यदि हां, उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस कचरे का बिहार में ही प्रयोग करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं अथवा करने का प्रस्ताव हैं ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) से (ग) बोकारो इस्पात कारखाना उत्तर प्रदेश तथा बिहार, दोनों राज्यों में स्थित सीमेंट बनाने के कारखानों को दानेदार धातुमल सप्लाई कर रहा है।

उत्तर प्रदेश तथा बिहार में सीमेंट बनाने के कारखानों की सम्भावित खरीद के कार्यक्रम को ध्यान में रखकर सरकार ने वर्ष 1976 में इन राज्यों के सीमेंट बनाने के कारखानों को दानेदार धातुमल का आवंटन किया था। उस समय उत्तर प्रदेश (राज्य सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र में सीमेंट बनाने का एक कारखाना) को प्रतिवर्ष 8 लाख टन तथा बिहार में स्थित कारखानों को 2.8 लाख टन दानेदार धातुमल का आवंटन करने का निश्चय किया गया था। जनवरी, 1983 में बिहार के लघु क्षेत्र के सीमेंट के छोटे-छोटे कारखानों को 0.12 लाख टन दानेदार धातुमल का और आवंटन किया गया था। इसके अलावा यह भी स्वीकार कर लिया गया है कि जैसे ही दानेदार धातुमल के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए अतिरिक्त सुविधाओं तथा परिवहन की व्यवस्था हो जाएगी, वैसे ही

बिहार में सीमेंट बनाने के कारखानों को 3.75 लाख टन दानेदार धातुमल का और आवंटन किया जाएगा।

स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड के मुख्यालय का स्थानान्तरण

7347. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह :**

श्री धर्मवीर सिंह : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद में यह आश्वासन दिया गया था कि स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड के मुख्यालय को धीरे-धीरे रांची ले जाया जाएगा;

(ख) क्या यह भी सच है कि स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड के बनने से पूर्व हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का मुख्यालय रांची में था तथा उसको वर्ष 1959 में दिल्ली से रांची ले जाया गया था; और

(ग) यदि हां, तो इन आश्वासनों के बावजूद मुख्यालय को रांची स्थानान्तरित ने करने के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पो० साल्वे) : (क) और (ग) जी, नहीं। स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेट का मुख्यालय नई दिल्ली में लोदी रोड में निर्मित भवन में स्थित है। इस भवन का निर्माण इसने स्वयं किया है। इसके मुख्यालय को रांची ले जाने के किसी प्रस्ताव पर सक्रिय रूप से विचार नहीं किया जा रहा है।

(ख) जी, हां। वर्ष 1978 में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने निगम उदयम (कारपोरेट एंटरप्राइज) के रूप में काम करना बन्द कर दिया था और इसका काम स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड ने सम्भाल लिया था।

पाण्डिचेरी में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण

7348. **श्री ईरा अनबारासु** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र शासित प्रदेश पाण्डिचेरी में पिछड़े वर्गों की कोई सूची नहीं है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) पाण्डिचेरी में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (ग)

पांडिचेरी प्रशासन द्वारा पिछड़े वर्गों की कोई सूची अधिसूचित नहीं की गई है। कालेजों/पालिटेकनीक्स में दाखिले देने और छात्रावास तथा मकान स्थलों की व्यवस्था करने के लिए प्रशासन तमिलनाडु, केरल और आन्ध्र प्रदेश के पड़ोसी राज्यों द्वारा अधिसूचित पिछड़े वर्गों की सूची का अनुसरण करता रहा है।

तमिलनाडु के कुछ क्षेत्रों को पिछड़े क्षेत्र घोषित करना

7349. **श्री ईरा अनबारासु** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के अवारपक्कम और उथिरामेरुई क्षेत्र के लोगों को इन दो स्थानों को पिछड़े क्षेत्र घोषित करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

इस्पात का आयात

7350. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने वर्ष 1982 और 1983 के दौरान इस्पात का आयात किया था जबकि देश में इस्पात का भारी भंडार बिना बिका पड़ा हुआ था;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1982 और 1983 के दौरान कितने इस्पात का आयात किया गया था; और उक्त अवधि के दौरान बिना बिके भंडार का ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे आयात के क्या कारण थे ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) से (ग) जी, हां। 1982 और 1983 के वर्षों में इस्पात का आयात किया गया था। यह आयात उपभोक्ताओं द्वारा माध्यम अभिकरण नामतः स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड (सेल) को अपनी मांग के सम्बन्ध में बताए गए अनुमानों के आधार पर किया गया था। माध्यम अभिकरण ने यह आयात इस्पात की देशीय उपलब्धि को ध्यान में रख कर कमी को पूरा करने के लिए किया था। वर्ष 1981-82, 1982-83 तथा अप्रैल, 83 से फरवरी, 1984 के दौरान माध्यम अभिकरण ने क्रमशः 10.48, 13.17 तथा 5.14 लाख टन इस्पात का आयात किया था। दुर्भाग्यवश उपभोक्ता अपनी अनुमानित मांग के

अनुसार माल नहीं ले सके और इससे "सेल" के आन्तरिक बिक्री के स्टाकयार्डों और इस्पात कारखानों के स्टाक जमा हो गया । स्टाक की स्थिति इस प्रकार है :—

तारीख	मात्रा (लाख टनों में)
1-4-82	10.4
1-4-83	14.5
1-4-84	7.5

जैसाकि उपर्युक्त आंकड़ों को देखने से पता चलेगा, वर्ष 1983-84 में स्टाक में कमी आई है । यह कमी, देशीय प्राडक्ट-मिक्स में विविधता लाकर अधिक मांग वाली मदों का अधिक उत्पादन करने, विपणन के काम में तेजी लाने, आय में कमी करने तथा विदेशी बाजारों में अपना माल बेचने जैसे कई उपायों के फलस्वरूप हुई है ।

इन सभी उपायों के परिणामस्वरूप "सेल" के पास इस्पात का स्टाक जो 1-4-83 को 14.5 लाख टन था, 1-4-84 को घटकर 7.5 लाख टन रह गया था ।

सीमा शुल्क कानूनों में परिवर्तन

7351. **श्री अर्जुन सेठी : क्या इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमा शुल्क कानूनों में हाल ही में किए गए संशोधन, जिसमें तोड़ने के लिए अपने जहाज देने वाली कम्पनियों के लिए सीमा शुल्क की अदायगी अनिवार्य कर दी गई है, के परिणामस्वरूप लघु इस्पात उद्योग के लिए देश में स्क्रैप की उपलब्धता को धक्का पहुंचेगा; और

(ख) यदि हाँ, तो इस नई प्रक्रिया से सम्बन्धित ब्यौरा क्या है और यदि सरकार ने इसे लागू करने के लिए कोई कार्यक्रम निश्चित किया है, तो वह क्या है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) और (ख) तोड़ने/स्क्रैप बनाने के लिए भारतीय ध्वज-पोतों की बिक्री के लिए सीमा-शुल्क विभाग की मंजूरी के लिए निर्धारित संशोधित प्रक्रिया के बारे में बम्बई के सीमा-शुल्क समाहर्त्ता द्वारा जारी की गई दिनांक 1 मार्च, 1984 की सार्वजनिक सूचना संख्या-30 की प्रति संलग्न है ।

[ग्रंथालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी० 8149/84]

संशोधिक प्रक्रिया के कुछ समय तक लागू रहने के पश्चात् ही इसके प्रभावों का पता चल सकेगा । फिर भी यहां यह बता दिया जाय कि भारतीय ध्वज-पोतों को तोड़ने से प्राप्त हुआ मेल्टिंग स्क्रैप लघु इस्पात उद्योग की स्क्रैप की कुल आवश्यकताओं की तुलना में नगण्य है ।

स्टेनलैस स्टील को सीमा-शुल्क से छूट

7352. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि स्टैनलैस स्टील मेल्टिंग स्क्रैप को सीमा शुल्क के अधिकार क्षेत्र से बिल्कुल मुक्त करने की क्या सरकार की नीति के कारण अत्यधिक उदार आयात द्वारा इसका दुरुपयोग हो हो रहा है जिसके परिणामस्वरूप स्टेनलैस स्टील स्क्रैप, जिसमें अधिकांश निकल और क्रोम होता है, पर सीमा शुल्क के अपवंचन के रूप में राष्ट्रीय खजाने को हानि हो रही है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : जी, नहीं। वर्ष 1983-84 के दौरान कुल 4, 88 टन स्टेनलैस स्टील मैल्टिंग स्क्रैप आयात किया गया। (आयात मेटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन द्वारा किया गया जो इसके आयात के लिए माध्यम अभिकरण है)। आयातित सामग्री वर्ष 1983-84 की आयात नीति में निर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुरूप थी।

कम्प्यूटरों का देश में निर्माण

7353. **श्री दिगम्बर सिंह** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने का कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार की 2 करोड़ रुपए के फैक्ट्री बाहय मूल्य तक के कम्प्यूटरों के देश में निर्माण की कोई नीति है;

(ख) यदि हां तो हिन्दुस्तान कम्प्यूटर लिमिटेड, गाजियाबाद ने ऐसा किस प्रकार कहा है कि 1982 के दौरान उसके द्वारा निर्मित कम्प्यूटरों का उत्पादन मूल्य 1660.00 लाख रुपए था;

(ग) क्या यह आंकड़े केवल कम्प्यूटरों की बिक्री के लिए हैं अथवा इसमें अनुरक्षण सेवाओं के इसके अन्य उत्पादों की बिक्री जैसे आय के अन्य स्रोत भी शामिल हैं;

(घ) क्या सरकार का 1660.00 लाख रुपए की इस राशि के अलग-अलग ब्यौरे की जानकारी है; और

(ङ) यदि हाँ, तो उत्पादों की बिक्री और 1983 के दौरान अन्य आय से हिन्दुस्तान कम्प्यूटर्स लिमिटेड की आय का अलग-अलग ब्यौरा क्या है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (डा० एम० एस० संजीवीराव) : (क) इस समय अपनाई जा रही नीति के अनुसार, लघु उद्योग क्षेत्र में अनुमोदन प्रदान करने के लिए क्षमता-सम्बन्धी कोई सीमा नहीं निर्धारित की जाती है। किन्तु, संगठित क्षेत्र की इकाइयों के सम्बन्ध में या तो संख्या के रूप में अथवा वार्षिक कारोबार के मूल्य के रूप में एक निश्चित मात्रा की उत्पादन क्षमता के लिए अनुमोदन प्रदान किया जाता है, और इस सीमा में 25 प्रतिशत से अधिक बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए। लघु (मिनी) कम्प्यूटर/सूक्ष्म-संसाधित्र (माइक्रोप्रोसेसर) पर आधारित प्रणालियों

के विनिर्माण के लिए संगठित क्षेत्र की इकाइयों को जो आरम्भिक अनुमोदन जारी किए जाते हैं, उनके लिए वार्षिक क्षमता का स्तर 2 करोड़ रु० निश्चित किया गया है, जिसकी समीक्षा अनुमोदन जारी करने की तारीख से दो वर्ष बाद की जाएगी। तथापि, क्षमताओं में काफी अधिक वृद्धि करने के प्रस्तावों पर उनके गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाता है जो इस बात पर निर्भर करता है कि इकाइयों द्वारा अपने उत्पादों के स्वदेशीकरण में कितनी सफलता मिली है।

(ख) मेसर्स हिन्दुस्तान कम्प्यूटर्स लिमिटेड (एच० सी० एल०), गाजियाबाद अभी भी एक ऐसी इकाई है जो लघु क्षेत्र में पूंजीनिवेश की सीमा के अन्तर्गत आती है, अतः उनके उत्पादन के लिए क्षमता सम्बन्धी कोई सीमा नहीं है। इसके अतिरिक्त जैसा कि इस प्रश्न के भाग (घ) के उत्तर में बताया गया है, मेसर्स हिन्दुस्तान कम्प्यूटर लिमिटेड को लेखांकन-बीजकांकन मशीनों के विनिर्माण के लिए अनुमोदन प्रदान किए गए हैं, जबकि ऐसी मशीनें मोटे-तौर पर कम्प्यूटर की श्रेणी के अन्तर्गत आती हैं, तथा वर्ष 1982 में उनके द्वारा किए गए कारोबार में इन उपस्करों के उत्पादन के रूप में योगदान 50 प्रतिशत से अधिक रहा।

(ग) मेसर्स हिन्दुस्तान कम्प्यूटर्स लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार 16.60 करोड़ रु० के कारोबार में अनुरक्षण सेवाओं के लिए लगभग 4 प्रतिशत का प्रभार भी शामिल है।

(घ) पार्टी द्वारा प्रस्तुत वर्ष 1982 के कारोबार का विस्तृत ब्यौरा नीचे दिए अनुसार है :—

लघु (मिनी) कम्प्यूटर	—3.8 करोड़ रु०
सूक्ष्म संसाधित (माइक्रोप्रोसेसर)	—1.2 करोड़ रु०
आँकड़ा प्रविष्टि प्रणालियाँ	—2.5 करोड़ रु०
लेखांकन एवं बीजकांकन मशीनें	—9.1 करोड़ रु०*
योग :	—16.6 करोड़ रु०

* उपर्युक्त राशि में लगभग 4 प्रतिशत का अनुरक्षण सेवा-प्रभार भी शामिल है।

(ङ) सूचना कम्पनी से एकत्रित की जा रही है।

राजस्थान टेक्सटाइल मिल, भवानी मंडी जिला झालावाड़ द्वारा उत्पन्न प्रदूषण

7354. **श्री चतुर्भुज** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान टैक्सटाइल मिल भवानी मंडी, जिला झालावाड़ द्वारा धागा धोने के लिए प्रयोग किया गया मरसराइज और रंगशाला (डाई हाउस) का पानी एक सार्वजनिक नाले में बहा दिया जाता है;

(ख) क्या इस गंदे पानी से फैले प्रदूषण का पशुओं का पशुओं और लोगों के स्वास्थ्य तथा किसानों की भूमि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है; और

(ग) यदि इस प्रदूषण का प्रभाव हानिकारक है, तो सरकार ने उक्त कपड़ा मिल के मालिक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

पर्यावरण विभाग में उप-मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) मिल के बहिस्राव को कच्चे नाले में जो भवानी बांध में मिलता है विसर्जन करने से पहले, यह एक बहिस्राव उपचार संयंत्र के माध्यम से गुजरता है।

(ख) तथा (ग) राजस्थान राज्य नियन्त्रण बोर्ड के ध्यान में हाल ही में यह आया है कि संसाधित बहिस्राव, मानकों के अनुरूप नहीं था जिसे इसने निर्धारित किया था। इससे पशुओं तथा जनता के स्वास्थ्य और किसानों की भूमि पर प्रभाव पड़ने की सम्भावना है। उद्योगों को उपचार संयंत्र में सुधार लाने के लिए निर्देश दिया गया है ताकि बहिस्राव गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप हो।

राणा प्रताप सागर परमाणु ऊर्जा संयंत्र, राजस्थान के लिए सुरक्षा प्रबन्ध

7355. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाण ऊर्जा विभाग ने देश में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिए कोई विशेष सुरक्षा प्रबन्ध किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो राजस्थान में राणा प्रताप सागर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए किए गए सुरक्षा प्रबन्धों का ब्योरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलैक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) देश के परमाणु बिजलीघरों में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है।

(ख) राणा प्रताप सागर परमाणु बिजलीघर को निषिद्ध क्षेत्र अधिसूचित किया गया है और संयंत्र की सुरक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर दी गई है।

केन्द्रीय इलेक्ट्रो-रसायन अनुसंधान संस्थान के कर्मचारी संघ के अभ्यावेदन

7356. **श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान केन्द्रीय इलेक्ट्रो-रसायन अनुसंधान संस्थान कर्मचारी संघ, करईकुडी द्वारा अनुसंधान और विकास कार्य की खराब स्थिति के बारे में भेजे गए अभ्यावेदनों की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या इस कर्मचारी संघ ने सी०एस०आई०आर० को चोरी के मामलों के बारे में सूचना दी है और यदि हां, तो उनमें क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार अपनी प्रयोगशालाओं में समुचित वैज्ञानिक वातावरण पैदा करने की कोशिश करेंगे;

(घ) क्या सरकार यह समझती है कि इसकी शिकायतों और तनाव को दूर करने वाला तंत्र समुचित रूप से कार्य कर रहा है; और

(ङ) क्या सरकार इसमें एस० ए० सी० सी० को शामिल करेगी और तत्काल प्रशासनिक न्यायाधिकरण गठित करेगी ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलैक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी हाँ। केन्द्रीय विद्युत-रसायन अनुसंधान संस्थान, करैकुडी के साइंटिफिक वर्कर्स एसोसिएशन और वर्कर्स यूनियन के संस्थान के निदेशक के विरुद्ध कुछ आरोप लगाते हुए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) अप्रैल 1983 में नई दिल्ली में ऊर्जा स्रोतों पर हुए चतुर्थ राष्ट्रीय सम्मेलन में डा०के०एस० राजगोपालन, निदेशक, सी०ई०सी०आर०आई ने अपने अध्यक्षीय भाषण में डा० एम० बारक द्वारा सम्पादित "इलेक्ट्रोकैमिकल पावर सोर्सेस" पुस्तक में से सामग्री पुनर्प्रकाशित (उद्धृत) की थी और प्रकाशनों द्वारा इस बात को बताए जाने पर, उन्होंने बगैर किसी शर्त के क्षमा माँगी थी। निदेशक द्वारा अपने अध्यक्षीय भाषण में एक अंग्रेजी कम्पनी द्वारा प्रकाशित पुस्तक में से सामग्री शामिल की गई थी। यह एक कोटेशन के रूप में नहीं दिखाया गया था लेकिन छपे हुए अध्यक्षीय भाषण के बिबलियोग्राफी सैक्शन में पुस्तक का नाम विशिष्ट रूप में निर्दिष्ट किया गया था। उक्त सामग्री को सम्मिलित करने के लिए निदेशक ने लेखक, संपादक या प्रकाशक से कोई आज्ञा नहीं माँगी थी। जब यह त्रुटि बताई गई तब निदेशक ने क्षमा प्रार्थना व्यक्त की और सम्बन्धित सम्मेलन के समस्त पंजीकृत प्रतिनिधियों और उनको जिन्हें भाषण की छपी प्रति भेजी गई थी, को यह क्षमा भेजी गई। इसके बाद कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं समझी गई।

(ग) सी०एस०आई०आर प्रयोगशालाएं/संस्थान प्रगतिशील संगठन हैं और वहां उचित वैज्ञानिक वातावरण विद्यमान है।

(घ) जी हाँ।

(ङ) मामला विचाराधीन है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयुक्त की 1-79-81 के लिए प्रतिवेदन

7357. **श्री रामलाल राही** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयुक्त की वर्ष 1979-81 के लिए 27वां प्रतिवेदन का भाग एक प्राप्त हो गया है, यदि हाँ, तो पेज संख्या 56-57 के पैरा (III) में दी गई सिफारिशों के अनुसार प्रत्येक मंत्रालय/विभाग में चल रही अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एसोसिएशन/यूनियन/फेडरेशनों की मान्यता की सिफारिशों के बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार किया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि उच्चतम न्यायालय ने केरल राज्य बनाम एन० एम० थोमस के मामले में यह निर्णय दिया है कि 'जाति' की सामान्य परिभाषा के अन्दर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति नहीं है; और

(ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयुक्त की सिफारिशों और उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बावजूद अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एसोसिएशन/यूनियन/फेडरेशन को मान्यता न दिए जाने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) जी हाँ, श्रीमान। सरकार को आयुक्त की 27वीं रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और उसकी जांच की जा रही है। सरकार की नीति यह है कि सरकारी कर्मचारियों द्वारा जाति, जनजाति, धर्म, इत्यादि के आधार पर गठित किए गए संघों को मान्यता न दी जाए।

सरकार का विचार है कि ऐसी मान्यता से कर्मचारियों के छोटे-छोटे क्षेत्रों में सेवा के टुकड़े हो जाएंगे, जो देश और सेवाओं के लिए हानिकारक होगा। इसके साथ-साथ सरकार ऐसे संगठनों के गठन को नहीं रोक सकती क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ग) के अधीन एक मूल अधिकार है। माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित मामले में यह टिप्पणी न्यायाधीश द्वारा व्यक्तिगत रूप से एक पृथक निर्णय में की गई थी जो अंतिम निर्णय का भाग नहीं बनता। इसके अतिरिक्त यह टिप्पणी एक पृथक संदर्भ में की गई थी।

वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए सरकार द्वारा धन लगाया जाना

7358. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नीचे दिए गए अनुसार वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु सरकार द्वारा धन लगाए जाए को त्यागने के क्या कारण हैं;

1. 25 परियोजनाएं जिन पर उसे 5 वर्ष तक कार्य किया गया था;

2. 76 परियोजनाएं जिन पर 1 से 3 वर्ष तक कार्य किया गया था;

3. 23 परियोजनाएं जिन पर 1 वर्ष अथवा कम समय तक कार्य किया गया।

(ख) उपर्युक्त कार्य बंद किए जाने से सरकार को कुल कितनी राशि की हानि हुई; और

(ग) इस प्रकार किसी पुनरावृत्ति न होने देने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) अनुसंधान प्रयोगशाला में कुछ परियोजनाओं को बीच में छोड़ देना चलती हुई परियोजनाओं के मूल्य निरूपण का एक आम स्वरूप है। हाथ में ली हुई परियोजनाओं की कुल संख्या की तुलना में त्याग दी गई परियोजनाओं की संख्या 8 प्रतिशत से कम है।

(ख) छोड़ दी गई परियोजनाओं से निकले संसाधनों का सामान्य तौर पर कार्यान्वयन के अन्तर्गत अन्य परियोजनाओं के लिए पुनर्उपयोग किया जाता है। परियोजनाओं को त्यागने से पूर्व परियोजनाओं को चलाए जाने के समय जो ज्ञान प्राप्त किया गया था, वह ज्ञान समान क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही अन्य परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण परिलब्धि है। इस लिए इसमें इस प्रकार कोई नुकसान शामिल नहीं है।

(ग) अनुसन्धान परियोजनाओं की चयन क्रिया विधि और परिणामस्वरूप उनकी समीक्षा को पुनः परिष्कृत किया गया है। प्रयोगशालाओं की अनुसन्धान सलाहकार परिषदों और कार्यकारिणी समितियों की स्वीकृति और सावधानी पूर्वक छटनी करने के पश्चात ही अनुसन्धान परियोजनाओं को प्रारम्भ किया जाता है। चलती हुई परियोजनाओं की समीक्षा नियमित रूप से करने और उपयुक्त निर्णय लेने के लिए उनसे निवेदन भी किया गया है।

चांदनी चौक, दिल्ली में अग्निकांड

7359. **श्री शिवशरण वर्मा :**

श्री रघुनाथ सिंह वर्मा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 5 फरवरी, 1984 को चांदनी चौक, दिल्ली में हुए भीषण अग्निकांड की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस अग्निकांड में कितने व्यक्ति मारे गए और घायल हुए तथा उसके कारण कुल कितने मूल्य की सम्पत्ति की हानि हुई;

(ग) दुकानदारों और मारे गए लोगों के परिवार जनों को सरकार द्वारा मुआवजे के रूप में उपलब्ध कराई गई सहायता का क्रमश: ब्यौरा क्या है; और

(घ) अग्निकाँड के क्या कारण थे और उससे सम्बद्ध ब्यौरा क्या है तथा भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी हां श्रीमान ।

(ख) से (घ) दिल्ली प्रशासन के अनुसार आग लगने की घटना में कोई जन हानि नहीं हुई थी और न ही कोई आम आदमी घायल हुआ था । हालांकि दिल्ली अग्नि शमन सेवा के पांच कार्मिक आग बुझाने के समय घायल हुए थे । दिल्ली के उप-राज्य पाल ने जांच के आदेश दिए थे । यह जांच सर्वश्री पी०एन० पांचाल, ए०आई०जी० (अग्निशमन) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और पी०एन० मेहरोयता, भूतपूर्व अग्निशमन सलाहकार, भारत सरकार की सहायता से मेजर जनरल हरि सिंघल, (सेवा निवृत्त) भूतपूर्व महानिदेशक नागरिक सुरक्षा, भारत सरकार द्वारा की जानी थी, जिसके विचारार्थ विषय निम्न प्रकार थे :

1. आग लगने के कारण मालूम करना ।
2. स्थिति से निपटने के लिए प्रबन्धों की पर्याप्तता मालूम करना ।
3. जिम्मेवारी निश्चित करना, यदि कोई हो ।
4. आग लगने के परिणामस्वरूप सार्वजनिक और निजी सम्पत्तियों की हानि निश्चित करना ।
5. ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से निवारक उपायों का सुझाव देना ।
6. उपर्युक्त से सम्बन्धित अथवा प्रासंगिक किसी अन्य मामले की जांच करना ।

जांच अधिकारी ने दिल्ली के उप-राज्यपाल को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है और उसकी जांच की जा रही है । दिल्ली प्रशासन ने यह भी कहा है कि उन्होंने अग्निकांड के पीडितों को कोई मुआवजा अथवा आर्थिक सहायता नहीं दी है ।

मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में जिला औद्योगिक केन्द्रों द्वारा बैंकों को भेजी गई स्व-रोजगार योजनायें

7360. श्री प्रताप भानु शर्मा : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में जिला औद्योगिक केन्द्रों से सेन्ट्रल बैंक आफ

इण्डिया और स्टेट बैंक आफ इण्डिया की अनेक शाखाओं को चालू वित्त वर्ष के दौरान स्वयं रोजगार योजनाओं के कितने मामले भेजे है;

(ख) इनमें से कितनी योजनाओं के लिए 15 मार्च, 1984 तक वास्तविक रूप से उनका भुगतान हो चुका है; और

(ग) इस जिले में प्रत्येक बैंक द्वारा वास्तव में कुल कितनी धनराशि स्वीकृत और वितरित की जा चुकी है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्व-रोजगार सम्बन्धी योजना के अन्तर्गत फरवरी, 1984 तक जिला उद्योग केन्द्र कृतिक बल द्वारा विभिन्न बैंकों को 305 मामलों की सिफारिश की गई थी। सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया ने उस तारीख तक 4.19 लाख रुपये धनराशि के 25 मामले स्वीकृत किए थे, जिसमें से 2.23 लाख रुपये की राशिवास्तव में वितरित की गई थी। स्टेट बैंक आफ इण्डिया ने उक्त तिथि तक 6.43 लाख रुपये से सम्बद्ध 43 मामलों को स्वीकृति प्रदान की थी जिसमें से 3.07 लाख रुपये वास्तविक रूप से वितरित किए गए।

(ग) सभी बैंकों द्वारा 29 फरवरी, 1984 तक 12.75 लाख रुपये से सम्बद्ध 79 मामले स्वीकृत किए गए थे, इस राशि में से बैंकों द्वारा 5.93 लाख रुपये वास्तविक रूप से वितरित किए गए थे।

सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारियों के पेंशन सम्बन्धी मामलों का निपटान

7361. **श्री जगन्नाथ पाटिल** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के पेंशन के मामलों के शीघ्र निपटान हेतु कई अनुदेश जारी किए है;

(ख) क्या सरकार ने विभिन्न कार्यालयों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बारे में यह पता लगाने हेतु कि क्या उन्हें वास्तव में उनकी पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ सेवानिवृत्त के दो महीनों के भीतर प्राप्त हो गए हैं, प्रति वर्ष नमूना सर्वेक्षण कराने के कोई प्रयत्न किए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का विचार यह जानकारी रखने के लिए क्या कदम उठाने का है कि इस सम्बन्ध में इसके आदेशों और उसके क्रियान्वयन के बीच कोई अन्तर तो नहीं है विशेषकर जबकि पेंशन भोगी को वास्तव में धन प्राप्त होने से पूव कई कार्यालय उसके मामले पर विचार करने में ही लगे रहते हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) पेंशन के मामलों को समय से निपटाने के लिए न केवल अनुदेश ही विद्यमान हैं, बल्कि ऐसे निपटान

की प्रक्रिया को भी सरल बना दिया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सरकारी कर्मचारी को जिस मास में वह सेवानिवृत्त होता है उसके अगले मास की पहली तारीख से पेंशन मिलनी प्रारम्भ हो जाए।

(ख) तथा (ग) पेंशन के मामलों के निपटान पर दृष्टि रखने के लिए एक प्रपत्र पहले ही निर्धारित किया गया है जिसमें विभिन्न विभागों से लम्बित मामलों के सम्बन्ध में और उन्हें शीघ्र अन्तिम रूप दिये जाने के लिए विभागों द्वारा किए जा रहे उपायों के बारे में सूचना मांगी जाती है। इसके अतिरिक्त, कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग के सचिव ने, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के सचिवों को पत्र लिखा है जिसमें उन्हें यह सुझाव दिया गया है कि वे नियतकालिक आधार पर अर्थात् तीन मास में एक बार अपने स्तर पर अथवा कम से कम संयुक्त सचिव के स्तर पर तथा सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों के मामले में विभागाध्यक्ष द्वारा प्रत्येक वर्ष पेंशन के लम्बित मामलों को मानीटर करें। इस आशय के आदेश भी विद्यमान हैं कि जब कभी ऐसे मामलों के निपटान में विलम्ब होता है तो ऐसे विलम्ब के लिए जिम्मेवारी ठहराने के प्रयास किए जाँय तथा उन्हें रोकने के लिए समुचित कार्रवाई की जाए।

विदिशा जिले में जिला उद्योग व केन्द्र द्वारा मंजूरी के लिये भेजी गई स्व-रोजगार योजनाएं

7362. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में जिला उद्योग केन्द्र ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 15 मार्च, 1984 तक स्व-रोजगार योजनाओं के कितने मामले विदेशों में स्टेट बैंक आफ इन्दौर, स्टेट बैंक आफ इण्डिया, सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, यूनियन बैंक और पंजाब नेशनल बैंक की विभिन्न शाखाओं को, मंजूरी के लिए भेजे;

(ख) उनमें से कितनों को अपना व्यापार और उद्योग लगाने के लिए 15 मार्च, 1984 तक वास्तव में धन वितरित कर दिया गया; और

(ग) इस योजना के अधीन जिले में प्रत्येक बैंक द्वारा वास्तव में कुल कितनी धनराशि वितरित की गई ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्व-रोजगार योजना के अन्तर्गत विदिशा जिला उद्योग केन्द्र की रिपोर्ट के अनुसार जिला उद्योग केन्द्र कृतिक बल द्वारा 29 फरवरी, 1984 तक विभिन्न बैंकों को स्वीकृति हेतु 262 मामले भेजे गए थे।

(ख) और (ग) जिला उद्योग केन्द्र, विदिशा की रिपोर्ट के अनुसार विभिन्न बैंकों द्वारा 7.55 लाख रु० से सम्बद्ध 47 मामले स्वीकृत किए गए थे। जिसमें से 1.30 लाख रु० वितरित किए गये थे। स्टेट बैंक आफ इंदौर द्वारा 0.60 लाख रु० स्टेट बैंक

आफ इण्डिया द्वारा 0.45 लाख रु०, और सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया द्वारा 0.45 लाख रु० की राशि वितरित की गई है।

किसानों को पट्टेदारी की अवधि सम्बन्धी सुरक्षा

7363. **श्री बृजमोहन महन्ती : क्या योजना मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्थिक परामर्श दात्री परिषद् ने किसानों को पट्टेदारी की अवधि सम्बन्धी सुरक्षा प्रदान करने और पूर्वी राज्यों में पुराने पड़ गए सम्पत्ति सम्बन्धों को समाप्त करने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मन्त्री (श्री एस०बी० चव्हाण) : (क) आर्थिक परामर्शदात्री परिषद् ने पूर्वी राज्यों में चावल के अधिकतम उत्पादन को सुनिश्चित करने के लिए विशेष स्कीम के भाग के रूप में अन्य सामाजिक आर्थिक और प्रशासनिक उपायों के अलावा, भूमि सुधार के साथ-साथ काश्तकारी में सुधार छोटे और मझोले/सीमांत कृषकों की जोतों के समेकन की सिफारिश की है।

(ख) काश्तकारी में सुधार और जोतों का समेकन सरकार की भूमि सुधार नीति के महत्वपूर्ण उद्देश्यों में रहा है और बना रहेगा।

देश में डेनमार्क के सहयोग से कार्यान्वित हो रही परियोजनाएं

7364. **श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डेनमार्क के सहयोग से देश में कितनी परियोजनाएं कार्यान्वित हो रही हैं;

(ख) ये परियोजनायें किस प्रकार की हैं और ये परियोजनायें किन-किन राज्यों में कार्यान्वित हो रही हैं; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) पिछले पांच वर्षों के दौरान सरकार द्वारा विदेशी सहयोग के लिए डेनमार्क कम्पनियों से 17 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए।

(ख) और (ग) भारतीय और विदेशी फर्मों के नामों, उत्पादन की वस्तु और सहयोग का प्रकार सहित स्वीकृत विदेशी सहयोग के प्रस्तावों का ब्यौरा भारतीय निवेश केन्द्र, नई दिल्ली द्वारा अपने अनुपूरक मासिक (मन्थली) न्यूजलेटर में नियमित रूप से प्रकाशित किया जाता है। इस प्रकाशन की प्रतियां नियमित रूप से संसद पुस्तकालय को भेजी जाती है।

नई प्रौद्योगिकी अन्तरण को बढ़ावा देने के लिये भारत-डच संयुक्त प्रयास

7365. **श्रीमती जयंती पटनायक** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई प्रौद्योगिकी के अन्तरण के लिए भारत-डच संयुक्त उद्यम चलाने के लिए प्रयास किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो उन संयुक्त उद्यमों को वित्तीय सहायता देने वालों नीदरलैंड और भारतीय वित्तीय संस्थाओं के नाम क्या हैं; और

(ग) उक्त प्रस्ताव के कार्यान्वयन के लिए अब तक उठाये गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (ग) इस प्रकार के उद्यमों को बढ़ावा देने में दोनों पक्षों ने रुचि दिखाई है। डच की ओर से, एफ०एम०ओ०, जिसमें नीदरलैंड सरकार के 51 प्रतिशत शेयर हैं, वित्त-व्यवस्था करने वाली एजेंसी होगी। भारत सरकार की स्वीकृति से स्वीकृत योजनाओं के वित्तीयन के लिए डच की ओर से एफ०एम०ओ० और भारत की ओर से आई०सी०आई०सी०आई० के बीच संरचनात्मक करार हुआ है। इस सरकार के अन्तर्गत प्रत्येक परियोजना के लिए एक अलग वित्त व्यवस्था सम्बन्धी करार किया जायेगा।

अल्यूमिना और अल्यूमिनियम का निर्यात

7366. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत अल्यूमिना और अल्यूमिनियम के सम्बन्ध में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने की ओर बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो भारत अल्यूमिना और अल्यूमिनियम के सम्बन्ध में किस वर्ष तक आत्म-निर्भरता प्राप्त कर सकता है; और

(ग) भारत किस वर्ष तक अल्यूमिना और अल्यूमिनियम का निर्यात करने की स्थिति में होगा ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) से (ग) इस समय एल्यूमिनियम उत्पादन क्षमता 36,000 टन वार्षिक है, यदि इसका पूरा उपयोग हो तो उससे न केवल देशी मांग ही पूरी होगी अपितु कुछ निर्यात भी किया जा सकेगा। लेकिन, अपर्याप्त बिजली पूर्ति के कारण प्रद्रावण क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है और हमें उत्पादन और मांग के बीच अन्तर को पूरा करने के लिए आयात करना पड़ता है। वर्तमान एल्यूमिना क्षमता प्रद्रावण क्षमता के बराबर है। नेशनल

एल्यूमिनियम कम्पनी का प्रस्तावित एल्यूमिना/एल्यूमिनियम कम्पलेक्स, जिसमें 1986-87 में उत्पादन शुरु करने का कार्यक्रम है, में अन्य के अलावा निर्यात हेतु भी एल्यूमिना का उत्पादन किया जायेगा।

खाड़ी के देशों द्वारा भारत में स्थापित की जाने वाली परियोजनाएं

7367. **श्री मनमोहन टुडु** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में खाड़ी देशों द्वारा भारत में स्थापित किए जाने हेतु कितनी परियोजनाएं मंजूर की गई हैं;

(ख) इन परियोजनाओं में से प्रत्येक पर कुल कितना पूंजी निवेश किया जाएगा; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) वर्ष, 1981,1982 और 1983 के दौरान खाड़ी के देशों के साथ विदेशी सहयोग के 9 प्रस्ताव सरकार द्वारा अनुमोदित किए गए थे।

(ख) खाड़ी के देशों के साथ स्वीकृत सभी 9 प्रस्ताव इक्विटी भागीदारी सहित जारी किए गए हैं। आशा है कि इन परियोजनाओं के पूर्ण हो जाने के बाद खाड़ी के देशों द्वारा किया गया निवेश लगभग 562.18 लाख रुपए हो जाएगा।

(ग) भारतीय और विदेशी फर्मों के नामों, उत्पादन की वस्तु और सहयोग के प्रकार सहित स्वीकृत किए विदेशी सहयोग के प्रस्तावों के ब्यौरे भारतीय निवेश केन्द्र, नई दिल्ली द्वारा अपने "मंथली न्यूज लेटर" के परिशिष्ट के रूप में नियमित रूप से प्रकाशित किए जाते हैं। इस प्रकाशन की प्रतियाँ संसद पुस्तकालय को नियमित रूप से भेजी जाती है।

संघशासी क्षेत्र चण्डीगढ़ के प्रशासन के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता

7368. **श्रीमती प्रमिला दंडवते** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघशासी क्षेत्र चंडीगढ़ के प्रशासन के कर्मचारियों को मूल्य सूचकांक के 320 अंकों तक के मंहगाई भत्ते को मिलाकर बढ़ी हुई पेंशन मंजूर की गयी है;

(ख) क्या संघशासी क्षेत्र चण्डीगढ़ के प्रशासन के सेनानिवृत्त कर्मचारियों को प्रशासन द्वारा 1 मई, 1980 से पेंशन भोगियों को दी जाने वाली राहत की किश्ते नहीं दी गया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय सरकार ने उन किश्तों को भी स्वीकृत नहीं किया है जैसा कि पंजाब सरकार द्वारा दी गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान् ।

(ग) और (घ) 1-5-1980 के बाद संघ शासित क्षेत्र चण्डीगढ़ के पेंशन प्राप्तकताओं को पेंशन में और राहत देने पर यह मंत्रालय वित्त मंत्रालय से परामर्श करके सक्रिय रूप से विचार कर रहा है ।

"टाडटिग बैंक लोन" शीर्षक से समाचार

7369. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 12 मार्च, 1983 के कलकत्ता "बिजनेस स्टेंडर्ड" में "कालम फ्रोम दी फाइल्स" शीर्षक के अन्तर्गत "टाडटिग बैंक लोन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में उनकी क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकारी कार्यक्रमों के इस प्रकार के दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाने का विचार है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) जी, हाँ ।

(ख) तथा (ग) हालांकि औपचारिक रूप से इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं मिली है, किन्तु हमने गुजरात सरकार से मामले की जाँच करने का अनुरोध किया है ।

रेलों में अपराधों की घटनाओं में वृद्धि

7370. **श्री माधव राव सिंधिया**: क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलों में अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो यात्रियों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) रेलों

में समस्त अपराधों के सम्बन्ध में अखिल भारतीय आधार पर कोई आंकड़े संकलित नहीं किए जाते क्योंकि अपराध सहित कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है। फिर भी वर्ष 1980, 1981, 1982 और 1983 के लिए चलती रेलों में डकैतियों और लूटपाट के सम्बन्ध में उपलब्ध सूचना इस प्रकार है :—

	1980	1981	1982	1983
डकैतियां	99	131	115	109
लूटपाट	252	239	276	219

2. रेलों में अपराधों की घटनाओं को रोकने के लिए रेलवे निम्नलिखित उपाय कर रही हैं :—

(1) गाड़ियों के चालकों को निदेश दिए गए हैं कि यदि गाड़ी अचानक असारणी-बद्ध स्थान पर रोक दी जाती है तो वे संकट-सीटी का प्रयोग करें ताकि बचाव दल सावधान किया जा सके।

(2) सवारी डिब्बे के परिचारक को सतर्क रहने और आरक्षित डिब्बों में अनधिकृत यात्रियों के प्रवेश को रोकने के निदेश दिए गए हैं।

(3) रेलवे का अनुसंधान, नमूना और मानक संगठन को डिब्बों को संरकवां किवाड़ों में ताला लगाने की व्यवस्था में सुधार करने, अनधिकृत प्रवेश रोकने के लिए प्रकोष्ठों में सुधार करने और डिब्बों के अन्दर और बाहर बेहतर रोशनी की व्यवस्था करने के लिए सुझाव देने की सलाह दी गयी है।

राजकीय रेलवे पुलिस जो गाड़ियों में यात्रा कर रहे यात्रियों और उनके सामान के बचाव और सुरक्षा के लिए जिम्मेवार हैं, गाड़ियों में मार्ग रक्षक उपलब्ध कराकर, अपराधियों पर निगरानी रखकर, उन्हें विशिष्ट मामलों में गिरफ्तार कर और मुकदमे चलाकर, अपराधों पर नियंत्रण करने के सभी उपाय कर रही हैं। रेलवे सुरक्षा बल इस सम्बन्ध में राजकीय रेलवे पुलिस की सहायता कर रहा है।

———

12.01 म०प०

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने किसी को भी इजाजत नहीं दी है।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : क्या आप हमें वक्तव्य देने के लिए स्वीकृति देंगे ? इस सदन में कमजोर वर्गों पर अत्याचारों पर चर्चा करने के लिए हमेशा स्वीकृति दी जाती है। मिर्जापुर के 30 बच्चों को जबरन बंधुआ मजदूर बनाया गया तथा सताया गया।

** कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कभी आपको पहले इन्कार नहीं किया । अब भी मेरा कोई इन्कार नहीं है । पिछले हफ्ते भी इस पर डिसकश किया था।

श्री राम लाल राही (मिसरिख) : नतीजा तो कोई नहीं निकल रहा है (व्यवधान) हरिजन कमजोर वर्ग के लोग बराबर पीटे जा रहे हैं । सरकार सुरक्षा नहीं कर पा रही है ।

अध्यक्ष महोदय : मेरी बात तो सुनिए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप इतनी जोर से बोल रहे हैं ।

श्री राम लाल राही : अध्यक्ष महोदय,...(व्यवधान) जोर से बोलने पर भी तो सरकार पर असर नहीं होता ।

अध्यक्ष महोदय : नाट अलाउड । बैठ जाइए । ऐसा करने से क्या ज्यादा फायदा हो जाएगा । मेरे कहने का मतलब यह है कि आप मेरे से क्या करवाना चाहते हैं वह बताइए ।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : एडजर्नमेंट मोशन दिया है । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सुनते तो हैं नहीं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : राजेश जी, आप सुनते क्यों नहीं हैं। हम क्या कर सकते हैं, यह समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं । आप सुनते नहीं हैं । ...मेरी बात सुनिए ।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : गृह मन्त्री जी को जानकारी एकत्र करने के लिए कहिए । यह आजके अखबार में प्रकाशित हुआ है ।

अध्यक्ष महोदय : सारा मैंने देख लिया है ।

श्री राम विलास पासवान : मैं वहां से आया हूं, मुझे सुन लीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : मैं क्या सुनूं, मुझे पता है । आप मेरी बात सुन लीजिए ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : बिना सुने ही आपको कैसे ज्ञान हो गया ?

अध्यक्ष महोदय : भगवान ने आंखें दी हैं, मैं पढ़ सकता हूं । मैंने पढ़ा है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरी बात सुनिए । मैं कहना चाहता हूं कि हरिजनों का सब्जेक्ट है, ट्राइबल्स का सब्जेक्ट है, गिरिजन का है, इसलिए हम यहां सदन में उठाते हैं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले भी करवाया है और आज भी इस सबजेक्ट को करवाने के लिए तैयार हूं। लेकिन, पहले स्टेट से फैक्ट्स प्राप्त कर लें, उसके बाद इसको करवा देंगे।

...(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : आपके अभिकथा के संदर्भ में मेरा एक सुझाव है। कृपया आप मन्त्री जी का वक्तव्य देने के लिए कहें।

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले तथ्यों को प्राप्त करूंगा और फिर किसी प्रस्ताव के अन्तर्गत आप चर्चा कर सकते हैं।

(व्यवधान)

प्रो० के०के० तिवारी (बक्सर) : महोदय, यह बहुत ही गम्भीर मामला है। आपने पैट्रियोट में एक बहुत ही अशांत कर देने वाली खबर है...आपने उन्हें स्वीकृति दे दी है और कृपया आप मुझे सुनिए ...भारत के मामलों में पाकिस्तान का हस्तक्षेप—यह बहुत ही गम्भीर विषय है...एक मिनट महोदय, मेरी जानकारी है कि इस सदन के दो सदस्य श्री पटनायक तथा श्री फर्नान्डीस ने पाकिस्तान का दौरा किया और उसके पश्चात पाकिस्तान सरकार का हस्तक्षेप बढ़ गया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सुनते क्यों नहीं। राजधानी एक्सप्रैस की तरह बोले चले जा रहे हैं। आपकी बात तो मैं पहले ही कर चुका हूं।

(व्यवधान)

प्रो० के०के० तिवारी : दो सदस्यों ने दौरा किया और उन्होंने पाकिस्तानी जनरलों के साथ बात-चीत की। उसके पश्चात ये सभी बातें बढ़ती जा रही हैं...।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : एक मैम्बर अगर दूसरे मैम्बर के खिलाफ एलीगेशन लगायेगा तो वह समाप्त नहीं होगा। इसको आप एक्सपंज करवाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने सदन को पहले ही आश्वासन दे दिया है कि मुझे फैक्ट्स के बारे में पता करवा लेने दो, जिससे मैं आपकी बात करवा सकूं। जहां तक एलीगेशन लगाने का प्रश्न है, उसके लिए मेरे पास 353 है। उसके तहत आप बात कीजिए।...
...(व्यवधान)

प्रो० के०के० तिवारी : अगर आप मुझे स्वीकृति दें तो मैं इसे सभा-पटल पर रखूंगा।

श्री आर०एल० भाटिया : उन्होंने पहले ही ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दे चुके हैं।

श्री मनी राम बागड़ी (हिसार) : हमने एक चिट्ठी भेजी है।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : वह मेरे पास आ गई है। फैक्ट्स का पता करवा रहा हूं।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : मैंने कुछ और तथ्य दिए हैं।

अध्यक्ष महोदय : हम उसका अध्ययन कर रहे हैं। हम आपसे परामर्श करेंगे और फिर हम करेंगे।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा (गढ़वाल) : मेरी प्रार्थना है कि सुनने के बाद दोबारा इस सदन में अपना निर्णय दें।...**(व्यवधान)**

श्री मनी राम बागड़ी : क्या मंत्री महोदय का जवाब आ गया ?

अध्यक्ष महोदय : आ जायेगा। ...**(व्यवधान)**

सभा-पटल पर रखे जाने वाले **पत्र**

12.08 म०प०

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

श्रम एवं पुनर्वास मंत्रालय की वर्ष 1984-85 की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगें

श्रम एवं पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : मैं श्रम एवं पुनर्वास मन्त्रालय की वर्ष 1984-85 की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8125/84]

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : दिल्ली कपड़ा मिलों के बारे में मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया है...।

अध्यक्ष महोदय : स्वीकृति नहीं है।

डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : आपने श्रीलंका पर चर्चा करने की स्वीकृति दी किन्तु चर्चा के पश्चात स्थिति और भी बिगड़ गई...**(व्यवधान)** पंजाब में आग लगी हुई है, असम में भी यही सब कुछ है और अब तमिलनाडु में भी अशांति होगी।

प्रो० एन०जी० रंगा (गुंटूर) : हम हर रोज श्रीलंका स्थिति पर चर्चा नहीं कर सकते।

श्री राम लाल राही (मिसरिख) : मैंने कालिंग अटेंशन दिया है। *****(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही में सम्मिलित नहीं होगा***(व्यवधान) श्री हाल्दर, क्यों नहीं आप बैठ जाते। मैं स्वीकृति नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)**

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : इंडियन स्कूल आफ माइन्स के बारे में कहना चाहता हूं। ***(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास आकर बात कर लीजिए। राही जी को भी मैंने कह दिया है कि मेरे पास आकर बात कर लें।

महासागर विकास विभाग की वर्ष 1984-85 की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगें

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलैक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : मैं महासागर विकास विभाग की वर्ष 1984-85 की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 8126/84]

मारुति उद्योग लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की समीक्षा के बारे में एक विवरण और भारत वैगन एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड पटना, का वर्ष 1982-83 का प्रतिवेदन तथा विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं।

(क) (एक) मारुति उद्योग लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) मारुति उद्योग लिमिटेड, नई दिल्ली, का वर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 8127/84]

(ख) (एक) भारत वैगन एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड, पटना, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) भारत वैगन एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड, पटना, का वर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(2) उपर्युक्त मद (1) के (ख) में उल्लिखित पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 8128/84]

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 198 -83 के कार्यकरण की समीक्षा तथा विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे)। मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हू :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत, निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, नई दिल्ली, का वर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 8129/84]

श्री मनी राम बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, मेरा पौइट आफ आर्डर है ...।

अध्यक्ष महोदय : वहाँ का मन्त्री है, यहां का नहीं है। अपने आप लेजिस्लेटिव असेम्बली वाले सम्भाल लेंगे। चिन्ता न करो।

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (चौथा संशोधन) नियम, 1983 तथा नियमों एव सीमा सुरक्षा अधिनियम (सशोधन) नियम, 1984 में हुये विलम्ब के कारणों का विवरण

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 22 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (चौथा संशोधन) नियम, 1983 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 7 जनवरी, 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूना संख्या सा०का०नि० 2 में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब

के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 8130/84]

(3) सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 141 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सीमा सुरक्षा बल (संशोधन) नियम, 1984 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 23 मार्च, 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 187(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 8131/84]

पर्यावरण विभाग की वर्ष 1984-85 की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगें

पर्यावरण विभाग में उप-मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : मैं पर्यावरण विभाग की वर्ष 1984-85 की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगो की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 8132/84]

12.11 म०प०

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

74वाँ प्रतिवेदन

श्री जी० लक्ष्मणन (मद्रास उत्तर) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का चौहत्तरवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

12.11½/2 म०प०

याचिका समिति

16वां प्रतिवेदन

श्री के०पी० तिवारी (बक्सर) : मैं याचिका समिति का सोलहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

12.12 म० प०

लोक लेखा समिति

180वां प्रतिवेदन

श्री सुनील मैत्रा (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : मैं भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक के वर्ष 1980-81 के प्रतिवेदन संघ सरकार (सिविल) राजस्व प्राप्तियाँ खण्ड । अप्रत्यक्ष कर टैरिफ मद 68 के अन्तर्गत आने वाले माल को छूट देने से सम्बन्धित, पैरा 2.08 के सम्बन्ध में लोक लेखा समिति का 180वाँ प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हू ।

———

12.12 1/2. म० प०

प्राक्कलन समिति

78 वां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश और सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 62वाँ प्रतिवेदन

श्री बंसी लाल (भिवानी) : मैं प्राक्कलन समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन और कार्यवाही-सारांश (हिन्दी तथा अग्रजी संस्करण) प्रस्तुत करता हू :—

(एक) रेल मन्त्रालय—रेलों द्वारा कोयले की ढुलाई के बारे में समिति का 78वां प्रतिवेदन तथा तत्सम्बन्धी बैठकों के कार्यवाही-सारांश ।

(दो) रक्षा मन्त्रालय—छावनियों के सम्बन्ध में समिति के 47वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 62वां प्रतिवेदन ।

———

12.13 म० प०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

आन्ध्र प्रदेश और अन्य राज्यों में तम्बाकू की पत्ती के मूल्यों में भारी गिरावट आ जाने और परिणामत: तम्बाकू उत्पादकों में रोष प्राप्त होने तथा उनके द्वारा आन्दोलन किए जाने वाला समाचार

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : मैं वाणिज्य मन्त्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक

महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें :

'आन्ध्र प्रदेश और अन्य राज्यों में तम्बाकू की पत्ती के मूल्यों में भारी गिरावट आ जाने और परिणामत: तम्बाकू उत्पादकों में रोष व्याप्त होने तथा उनके द्वारा आन्दोलन किए जाने का समाचार और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही ।"

वाणिज्य तथा पूर्ति विभाग मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : सरकार 1984 के मौसम में आंध्र प्रदेश में वर्जीनिया तम्बाकू के विपणन में सम्बन्धित समस्याओं से अवगत है ।

2. 1983 में आन्ध्र प्रदेश में लगभग 1500 लाख किग्रा की बड़ी फसल के कारण विपणन की समस्या पैदा हो गई और राज्य व्यापार निगम को हस्तक्षेप करना पड़ा तथा उसे बड़ी मात्रा में निर्यात योग्य तथा निम्न ग्रेडों के एफ० सी० वी० तम्बाकू की खरीद करनी पड़ी । राज्य व्यापार निगम ने 21.40 करोड़ रु० के मूल्य के लगभग 18,000 मै० टन तम्बाकू की खरीद की । अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मन्दी की दशाओं के कारण राज्य व्यापार निगम अधिकांश स्टाक बेचने में सफल नहीं हुआ है ।

3. उत्पादन तथा विपणन विनियमित करने के लिए उपाय किए गए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वर्ष 1984 में मांग और पूर्ति के बीच उचित सन्तुलन रहे । 1984 की फसल के लिए आन्ध्र प्रदेश में तम्बाकू की खेती के अन्तर्गत क्षेत्रफल घटा कर 1.10 लाख हैक्टार कर दिया गया जबकि पहले 1983 की फसल के लिए 1.70 लाख हैक्टार का क्षेत्रफल था। परिणामस्वरूप 1984 में वी० एफ० सी० तम्बाकू का वास्तविक उत्पादन घट कर लगभग 930 लाख किग्रा० रह गया है । तथापि, इस साल भी बाजार नहीं सम्भला है । लगभग 7 अप्रैल, 1984 तक 700 लाख किग्रा तम्बाकू बेचा गया है जिससे 230 लाख किग्रा शेष बचा है । यह तम्बाकू अधिकांशत: निम्न और मध्य ग्रेडों का है जो मुख्य रूप से घरेलू खपत के लिए है । क्वालिटी के मुताबिक निर्यात योग्य ग्रेडों की कीमतें 7 रु० से लेकर 12 रु० प्रति किग्रा के बीच रही हैं । पिछले साल कीमतें 8 रु० से लेकर 11 रु० प्रति किग्रा तक रही थीं । निर्यात योग्य किस्मों पर किसानों की औसत कीमत 9.50 रु० से लेकर 10.50 रु० प्रति किग्रा तक मिली है ।

जहां तक निम्न ग्रेड के तम्बाकू की खरीद का सम्बन्ध है, अब तक 50 लाख किग्रा तम्बाकू खरीदा गया है जिसमें से सिगरेट विनिर्माताओं ने लगभग 15 लाख किग्रा तम्बाकू खरीदा है और शेष 35 लाख किग्रा तम्बाकू छोटे व्यापारियों ने खरीदा है । सिगरेट विनिर्माताओं ने उपज कर्ताओं से तम्बाकू की सीधी खरीद बहुत मंद गति से की है । निम्न ग्रेड के तम्बाकू की कीमतें 1.75 रु० से लेकर 2.50 रु० प्रति किग्रा तक रही हैं जबकि गत वर्ष उपजकर्ताओं को 2.50 रु० से लेकर 3.00 रु० प्रति किग्रा तक कीमतें मिली थीं ।

सरकार ने इस मामले पर विचार किया है और निम्न ग्रेडों के तम्बाकू को बेचने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं :—

(1) सरकार अपनी सरकारी एजेंसियों या आन्ध्र प्रदेश राज्य व्यापार निगम द्वारा तम्बाकू की खरीद किए जाने के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार को 10 करोड़ रु० की मार्गोपाय पेशगी देने का प्रबन्ध कर रही है। यह मार्गोपाय पेशगी राज्य सरकार को विशेष रूप से उसके द्वारा नामजद एजेंसी द्वारा तम्बाकू की खरीद किए जाने के लिए दी जाएगी। इस हस्तक्षेप से प्रचलित कीमतों में स्वस्थ प्रवृत्ति आएगी।

(2) 4 अप्रैल, 1984 को मन्त्रालय में सिगरेट के प्रमुख निर्माताओं के साथ बैठक की गई और उनसे अनुरोध किया गया है कि वे सीधे उत्पादकों से अपनी खरीद में वृद्धि करें।

(3) 1984, 1983 और 1982 की फसलों के लिए निम्न ग्रेडों के तम्बाकू के सम्बन्ध मे न्यूनतम निर्यात कीमत हटाने का निश्चय किया गया है। इससे निर्यातक-व्यापारी अधिक मात्रा में निम्न ग्रेड का तम्बाकू लेने के लिए प्रेरित होंगे।

(4) तम्बाकू के लिए ऋण देने वाले राष्ट्रीयकृत बैंकों से अनुरोध किया गया है कि वे सीमान्त धन के लिए आग्रह न करते हुए निम्न ग्रेड के तम्बाकू की खरीद के लिए व्यापारियों को अतिरिक्त ऋण दें।

मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि तम्बाकू बोर्ड से परामर्श करके स्थिति की सावधानीपूर्वक मानीटरिंग की जा रही है।

12.15 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री सतीश अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, आंध्र प्रदेश के तम्बाकू उत्पादकों को मजबूरन बिक्री से बचाने के लिए उठाए गए पगों के सम्बन्ध में माननीय मन्त्री द्वारा दिए गए वक्तव्य का मैंने अध्ययन किया है। खेद की बात है कि वक्तव्य अत्यधिक असन्तोषजनक है।

श्रीमन्, यह मुद्दा गत वर्ष भी उठाया गया था और यह 17 मार्च, 1983 को श्री इन्द्रजीत गुप्त द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के रूप में रखा गया था। इस पर चर्चा के दौरान प्रो० रंगा ने भी हस्तक्षेप किया था तथा उस विशेष क्षेत्र में तम्बाकू उत्पादकों के आन्दोलन की ओर सभा का ध्यान आकर्षित किया था और उस आन्दोलन के परिणामस्वरूप सरकार और माननीय मन्त्री ने सभा में कुछ आश्वासन दिए थे कि तम्बाकू उत्पादकों को मजबूरन बिक्री से बचाने के लिए कुछ प्रभावी उपाय किए जाएंगे।

श्रीमन्, मैं खेद के साथ यह टिप्पणी करता हूं कि उस समय भी और अब भी यह

सभा हमारी कृषिक अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की समस्याओं के सम्बन्ध में चर्चा कर रही है। कुछ दिन पहले इस सभा ने आलू उत्पादकों द्वारा आलुओं की मजबूरन बिक्री किए जाने के प्रश्न पर चर्चा की और उससे भी पहले प्याज उत्पादकों की दुर्दशा के बारे में चर्चा की गई थी।

श्रीमन्, इन वर्षों के दौरान दुर्भाग्यवश मैं नहीं जानता कि कृषि क्षेत्र, निर्धन किसान और इस देश के काश्तकारों के साथ सरकार का कठोर रवैया क्यों रहा है। कृषि 2-3 दशक पूर्व सकल देशीय उत्पाद में 58 प्रतिशत योगदान दे रही थी जबकि आज यह योगदान केवल 40 प्रतिशत है। इसका अर्थ है कि कृषि क्षेत्र पर विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है और इसका योगदान 58 प्रतिशत से गिरकर 40 प्रतिशत रह गया है। इससे ग्रामीण क्षेत्र की दुर्दशा का पता चलता है और स्वाभाविक है कि हमारी कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था, जहां 70 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि का ही बड़ा योगदान है, वहां कृषि की ही उपेक्षा की गयी। कृषि क्षेत्र के विकास के सम्बन्ध में सरकार को व्यापक नीति अपनानी होगी तथा हमारे ग्रामीण किसानों और काश्तकारों को लाभकारी मूल्य दिलवाने के लिए सरकार को कुछ उपाय सोचने होंगे।

शायद कल माननीय मन्त्री आयात-निर्यात नीति की घोषणा करने जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि घोषणा करते समय वह इन सभी बातों को भी ध्यान में रखेंगे।

इस सम्बन्ध में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि गत वर्ष जब इस मुद्दे पर चर्चा की जा रही थी तो माननीय मन्त्री ने बहुत से सुझाव दिए थे और सभा को आश्वासन दिया था कि आन्ध्र प्रदेश के तम्बाकू उत्पादकों की ओर विशेष ध्यान दिया जायेगा। आन्ध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है। जहाँ देश के अन्य भागों की तुलना में तम्बाकू बहुतायत में पैदा होता है। मैं कोई तम्बाकू उत्पादक नहीं हूं और न ही मैं तम्बाकू निर्यातक अथवा तम्बाकू आयातक हूं। मैं केवल तम्बाकू खाता हूं। जहां तक तम्बाकू खाने वाले की दुर्दशा का सम्बन्ध है। माननीय मन्त्री यह स्वीकार करेंगे कि खाने वाले तम्बाकू के मूल्य···

उपाध्यक्ष महोदय : यह बहुत हानिकर है। कृपया इसे बन्द कीजिए।

श्री सतीश अग्रवाल : मैं जानता हूं, श्रीमन् कि यह क्यों हानिकर हैं? यह इसलिए है कि खाने के लिए जो तम्बाकु प्राप्त होता है वह निम्नतम श्रेणी का होता हैं। देशीय उपभोग के लिए निम्नतम श्रेणी का तम्बाकू ही प्राप्त होता है। मन्त्री महोदय ने अपने वक्तव्य में भी यह स्वीकार किया है कि देशीय उपभोग के लिए निम्नतम स्तर का तम्बाकू ही प्राप्त होता है। यह एक अच्छा कारण है। मैं आपसे सहमत हूं।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : तम्बाकू भाषण को भी प्रभावित करता है। अतः शून्य काल के दौरान सदस्यों को तम्बाकू दिया जाना चाहिए।

श्री सतीश अग्रवाल : मैं आप से पूर्णतया सहमत हूं, मैं इस बात से भी सचेत हूं कि

तम्बाकू खाना बहुत हानिकर है। इसीलिए मैंने काफी हद तक इसकी मात्रा घटा दी है। मंत्री महोदय के वक्तव्य से यह स्पष्ट है कि देशीय उपभोग के लिए निम्नतम श्रेणी का तम्बाकू ही प्राप्त होता है। अब आप अंतिम श्रेणी के तम्बाकू के निर्यात के सम्बन्ध में वह प्रतिबंध हटाने जा रहे हैं। तम्बाकू के निर्यात के लिए आपने निम्नतम निर्यात मूल्य निर्धारित कर कर दिया है। यदि निर्यात किए जाने वाले तम्बाकू का मूल्य वाणिज्य मन्त्रालय द्वारा निर्धारित किए गए मूल्य से कम है तो उस तम्बाकू का निर्यात नहीं किया जाएगा। अपने वक्तव्य में आपने यह स्थिति स्पष्ट की है अर्थात आपके द्वारा निर्धारित निम्नतम निर्यात मूल्य की उच्चतम सीमा में छूट देना। श्रीमन्, मेरे विचार से यदि निम्नतम श्रेणी के तम्बाकू का उपयोग किया जाना है तो इसे विदेशों में जाने दीजिए, उन्हें इसे खाने दीजिए, और 'कैंसर' से पीड़ित होने दीजिए, कम से कम निम्नतम श्रेणी का तम्बाकू खाने से राष्ट्र को तो बताइए। अतः मैं जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में आपने क्या पग उठाए हैं। आप जो भी पग उठाएं, मैं आपके साथ हूं।

श्रीमन्, सिगरेट निर्माताओं ने इस देश में लूटपाट मचायी हुई है। कई बार तो उन्हें 400 प्रतिशत का लाभ होता है। वे बड़ा लाभ कमा रहे हैं। उत्पाद शुल्क के रूप में सिगरेट निर्माताओं का योगान हजार करोड़ रु० से अधिक है। किन्तु वे उपभोक्ता का शोषण कर रहे हैं। वे सरकारी राजस्व के पीछे लगे हुए हैं और उसका काफी हिस्सा हड़प रहे हैं। वे अन्धाधुन्ध लाभ कमा रहे हैं और इस सबके होते हुए भी, जहां तक तम्बाकू का सम्बन्ध है, सरकार उन पर दबाव डालने में असमर्थ रही है कि वे तम्बाकू की सीधी खरीद किसानों से ही मौके पर जाकर करें। यह स्थित है।

4 मार्च 1984 को इस उद्देश्य के लिए आपने एक बैठक बुलाई थी और आपने अपने वक्तव्य में बताया कि सिगरेट निर्माता लगभग 1500 टन तम्बाकू खरीदने के लिये सहमत हो गए हैं। यह कुछ नहीं है। आपकी बैठक के बाद, आपके मन्त्रालय ने क्या किया? जहां तक इस क्षेत्र का सम्बन्ध है कुल उत्पादन 93,000 टन के आस-पास है और उनमें से 23,000 टन से अधिक शेष जाता होगा। इसके लिए हमने क्या किया? 23,000 टन में से सिगरेट निर्माता केवल 1500 टन ही खरीदने को सहमत हुए। सिगरेट निर्माताओं का क्या इतना ही उपभोग है? उनकी क्या आवश्यकता है? निर्यात की कुल आवश्यकता के बारे में मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहता हूं। सिगरेट निर्माताओं की कुल आवश्यकता क्या है? देशीय उपभोग के लिए कितनी आवश्यकता है? यह तीन बातें हैं। तम्बाकू की खपत या तो निर्यात द्वारा होती है या सिगरेट निर्माताओं द्वारा या देशीय उपभोग, जिसमें खाने का तम्बाकू भी सम्मिलित है। यह तीन बातें हैं। मन्त्री महोदय के वक्तव्य के अनुसार 23,000 टन तम्बाकू शेष रहता है। इसका क्या किया जाएगा? 5,000 टन का तो आप निपटारा कर देंगे? किन्तु शेष 18,000 टन के बारे में क्या है? 5000 टन में से, 1500 टन तो सिगरेट निर्माताओं द्वारा खरीद लिया जाएगा। 3500 टन देशीय उपभोग आदि के लिए रख दिया जाएगा। किन्तु शेष 18,000

टन तम्बाकू का क्या होगा ? उसका क्या इलाज है ? गत वर्ष उसका आपने क्या किया था ? प्रो० रंगा कृपया आप यह बात जरा ध्यान से सुनिए । उन्होंने तम्बाकू की फसल का क्षेत्र को घटा दिया है । 175,000 से घटाकर 110,000 के आस-पास कर दिया । पिछली बार उत्पादन 140,000 टन था और अब गिरकर 18,000 टन हो गया है । यदि आप अपने आप को इस समस्या से बचाना चाहते हैं तो उस क्षेत्र को जहां तम्बाकू बोया जाता है । शून्य कर दीजिए, उत्पादन भी शून्य हो जायेगा । समस्या का यह कोई समाधान नहीं है । आपने उस क्षेत्र को जिसमें तम्बाकू की फसल को बोया जाता है । कठोरता से कम किया है और वैसे ही उत्पादन भी लगभग 175,000 टन से कम होकर 18,000 टन रह गया । यह समस्या का समाधान नहीं है । अन्ततः तम्बाकू की फसल भी आपको विदेशी मुद्रा देती है । अत्यधिक विदेशी मुद्रा और जिस पर आपको सिगरेट निर्माताओं से उत्पाद शुल्क भी मिलता है और छोटे गांव से लेकर बड़े-बड़े नगरों तक सारे देश में तम्बाकू का उपभोग होता है । देश में सर्वत्र या तो लोग तम्बाकू खाते हैं या 'हुक्के' में उसका प्रयोग करते हैं, इत्यादि । अतः इस पर गम्भीर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है । ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न मत कीजिए कि लोगों को आन्दोलन का सहारा लेना पड़े क्योंकि उसमें लोग मारे भी जाते है । जैसा कि पिछली बार हुआ था, जब प्रो० रंगा ने सरकार का ध्यान आकर्षित किया था । मैं प्रो० रंगा के नाम का उल्लेख बार-बार कर रहा हूं ।

श्रीमन्, इस विशेष स्थिति में, पिछले वर्ष तम्बाकू उत्पादकों के बचाव के लिए राज्य व्यापार निगम आगे आया था । माननीय मन्त्री द्वारा सभा में एक आश्वासन दिया गया था कि राज्य व्यापार निगम तत्काल मंडी में प्रवेश करेगा और तम्बाकू की खरीद करेगा राज्य व्यापार निगम द्वारा कितनी खरीद की गई थी? केवल 18,000 टन जिसका मूल्य लगभग 22 करोड़ रु० था । यह समस्या का समाधान नहीं है । कुछ और भी करना होगा । मूल्यों को स्थिर करना होगा । गत वर्ष, तम्बाकू उत्पादकों को 3 रु० प्रति किग्रा मिल रहा था । किन्तु इस वर्ष इसे घटा कर 20 रु० प्रति कि०ग्रा० कर दिया गया । यह वक्तव्य में स्पष्ट है । अतः इस तथ्य के बावजूद कि उत्पादन की लागत बढ़ गई है । मूल्य भी बढ़ गए हैं । तम्बाकू उत्पादक को गत वर्ष की तुलना में कम मूल्य दिया जा रहा है । जहां तक दिन प्रतिदिन निर्वाह करने का सम्बन्ध है । सामान्य उपभोग की वस्तुओं के मूल्य बढ़ गए हैं । सिगरेट के मूल्य भी बढ़ गए हैं और सिगरेट के मूल्य तो सरकार के मूल्य-नियन्त्रण के बिना और सरकार के निर्णय के बिना बढ़ाए गए हैं । जब कभी सिगरेट निर्माता चाहते हैं । 10 या 20 पैसे प्रति डिब्बी, सिगरेट का मूल्य बढ़ा लेते हैं । सरकार के परामर्श से उद्योग द्वारा मूल्यों को नियंत्रित किया जाता है । किन्तु हम बाजार में पाते हैं कि—मैं सिगरेट नहीं पीता हूं—किन्तु मेरे बहुत से मित्र सिगरेट पीते हैं—और आप देखेंगे कि लोग कहते हैं कि यदि आप बाजार जाते हैं और सिगरेट खरीदते हैं तो आपको निर्धारित मूल्य से अधिक देना होगा । सिगरेट के वितरक और विक्रेता मुझसे यह शिकायत करते रहते हैं कि उन्हें

सिगरेट काला-बाजार मूल्यों पर ही बेचनी पड़ती है अन्यथा निर्माताओं द्वारा निर्धारित किए गए मूल्यों पर तो उन्हें सिगरेट की सप्लाई ही नहीं की जाती। अतः सिगरेट उद्योग में भी काला-बाजारी चल रही है और काला-बाजारी मूल्यों के रूप में वे बहुत अधिक मूल्य लेते हैं। इस तरह से, वे कर अपवंचन भी कर रहे हैं। वे निगमित करों का और उत्पाद शुल्क का अपवंचन कर रहे हैं। जब तक इस समस्या के समाधान के लिए कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जाती, तब तक मैं समझता हूं कि अब तक और बाद में मैं भी हम किसानों—चाहे वे तम्बाकू पैदा करने वाले हों, या आलू या अन्य कोई वस्तु, की समस्याओं पर चर्चा करेंगे। किन्तु समस्या का समाधान नहीं होगा। राज्य व्यापार निगम को बड़े पैमाने पर खरीद करनी होगी, तम्बाकू बोर्ड को बड़े पैमाने पर आगे आना होगा तथा सरकार को मौके पर खरीद के लिए किसी प्रकार का एक स्थायी तन्त्र स्थापित करना होगा। जिस प्रकार हमारे पास चावल और गेहूं की खरीद के लिए भारतीय खाद्य निगम है उसी प्रकार तम्बाकू उत्पादकों की तत्काल रक्षा के लिए और मौके पर खरीद करने के लिए किसी प्रकार के सरकारी तन्त्र की स्थापना करनी पड़ेगी। यदि मूल्य विशिष्ट सीमाओं से नीचे गिरें तो कोई ऐसा तन्त्र विकसित करना पड़ेगा जो उत्पादकों की रक्षा करेगा। मैं माननीय वाणिज्य मन्त्री से यह अनुरोध करूंगा कि वे तम्बाकू उत्पादकों से बातचीत शुरू करें। कार्य समिति, हैदराबाद, जिसने, माननीय प्रधानमन्त्री को गंटुर के दौरे के दौरान एक ज्ञापन भी प्रस्तुत किया था, ने भी वाणिज्य मन्त्री को ज्ञापन भेजा है जिसमें उन्हें विचार-विमर्श हेतु तथा किसी प्रकार का एक स्थायी तंत्र भी विकसित करने का अनुरोध किया गया है ताकि इन तम्बाकू उत्पादकों की दशा सुधारी जा सके और भविष्य में ऐसी समस्या न पैदा हो। एक ऐसा स्थायी समाधान निकाला जाना चाहिए जिसके अन्तर्गत तम्बाकू उत्पादकों को एक निश्चित मूल्य की गारन्टी दी जाये जो तम्बाकू के उत्पादन लागत से कुछ अधिक हो। तम्बाकू उत्पादन क्षेत्र में कमी या उत्पादन में कमी करने से न तो देश का भला होगा न ही तम्बाकू उत्पादकों का। तम्बाकू उत्पादक निर्धन, छोटे, या मध्यम किसान होते हैं जिसके पास आधा, एक या दो हैक्टार भूमि होती है जिसमें वे इस फसल को उगाते हैं। यह एक नकदी फसल है और इन छोटे किसानों की जीविका तम्बाकू की उत्पादन वृद्धि निर्भर है और उनके फसल क्षेत्र में इतनी कमी नहीं की जानी चाहिए कि फसल 140 हजार टन से घट कर 80 हजार टन रह जाये। स्थायी आधार पर कुछ किया जाना चाहिए। मैं इस समस्या का कोई तदर्थ समाधान नहीं चाहता। अतः मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे इस सम्बन्ध में कुछ स्थायी उपाय करें और तम्बाकू उत्पादक कार्य समिति हैदराबाद के संगठन से और उसके अध्यक्ष से बातचीत शुरू करें और इस समस्या का स्थायी समाधान खोजें।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : उपाध्यक्ष महोदय मैं श्री सतीश अग्रवाल की चिन्ता और उत्सुकता में उनके साथ हू। मैं उन्हें अपना धन्यवाद भी अदा करता हूं क्योंकि उन्होंने कमी तम्बाकू खाने का निर्णय किया है। तम्बाकू के निर्यात में कम से कम इतना तो उनका अंशदान होगा।

मैं माननीय सदस्य के इस विचार से भी सहमत हूं कि कृषि क्षेत्र एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है और इसकी ओर अधिकतम ध्यान दिया जाना चाहिए और आयात-निर्यात नीति में भी ऐसे विचार सम्मिलित किए जाने चाहिएं जिनसे इस क्षेत्र में निर्यात तथा इसकी वृद्धि में मदद मिले ।

हमने निम्न ग्रेड के तम्बाकू के न्यूनतम निर्यात मूल्य को समाप्त किए जाने का उन्होंने स्वागत किया है । अब निर्यातक निम्न ग्रेड का तम्बाकू अधिक मात्रा में खरीदेंगे जो आज हमारे लिए एक समस्या बनी हुई है ।

सुझाव दिए गए हैं कि ऐसी स्थितियां पैदा न की जाएं जिनमें आन्दोलन हों तथा सरकार को निश्चित कार्यवाही करनी चाहिए । केन्द्रीय सरकार बहुत अधिक चिन्तित है और इसने अपनी चिन्ता गत वर्ष दर्शाई भी थी और 22 करोड़ रुपए के मूल्य का 18,000 टन तम्बाकू खरीदा था । यह कोई छोटी राशि नहीं थी । इस वर्ष के विषय में मैं स्थिति की थोड़ी सी पृष्ठभूमि देना चाहता हूं । इस वर्ष 930 लाख टन की फसल हुई जबकि गत वर्ष 1500 लाख टन फसल हुई थी । इस वर्ष हमने किसी भी समस्या का पूर्वानुमान नहीं लगाया । हमारा विचार था कि इस बार फसल कम होगी ।

प्रोफेसर रंगा यहां हैं और मेरा विचार था कि मैं उन्हें प्रसन्नता से मिलूंगा और मूल्यों के विषय में उनका आभार व्यक्त करूंगा क्योंकि हमने इस समस्या का पूर्वानुमान नहीं लगाया था । मार्च के प्रथम सप्ताह से इसका मौसम शुरू होता है और 18 मार्च तक हम सोवियत संघ के दल के दौरे की प्रतीक्षा कर रहे थे । हमने यह सोचा था कि जैसे ही सोवियत संघ से ऐसी खरीदें शुरू हो जाएंगी मूल्य ऊपर चढ़ जाएंगे । शायद व्यापारी और सिगरेट निर्माता इसे कम करने के प्रयास करेंगे लेकिन एक कम फसल होने के कारण मूल्य ऊपर चढ़ जाएंगे । यह दल 7 अप्रैल को लौट गया लेकिन मूल्यों के बढ़ाने सम्बन्धी आशा पूरी नहीं हुई । मैं इसकी तुलना कृषि मूल्य आयोग के मूल्यों से नहीं कर रहा । मैं आपको तकनीकी उत्तर नहीं दे रहा हूं चूंकि मैं जानता हूं कि इससे न तो आप संतुष्ट होंगे और न मैं ही । मैं यह नहीं कहूंगा कि वे कृषि मूल्य आयोग के मूल्यों से अधिक थे लेकिन जैसा कि मैंने कहा है कि ये आशा के अनुसार नहीं बढ़े । और हमें इस विषय में काफी चिन्ता रही है । दल 6 या 7 अप्रैल को लौट गया—मुझे सही तिथि याद नहीं है—और मैंने आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री को तत्काल पत्र लिखा था कि केन्द्रीय सरकार राज्य व्यापार निगम के माध्यम से या किसी अन्य एजेन्सी के माध्यम से जिसे वे नामित करें आन्ध्र प्रदेश में तम्बाकू की खरीद के लिए 10 करोड़ रुपए साधनोपाय अग्रिम के रूप देने की इच्छुक है ।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुन्टूर) : बिना ब्याज के ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : यह ब्याज की निम्नतम दर है; लगभग 6 प्रतिशत । और आप जानते हैं कि वाणिज्यिक ब्याज की दर 18 प्रतिशत है । ब्याज की अन्य दरें भी अत्यधिक ऊंची हैं । परन्तु यह ब्याज की न्यूनतम दर है । हमने सोवियत संघ की

टीम के साथ भी बातचीत की थी। परन्तु फिलहाल यह संकेत मिला है वे इस योजना के अन्तर्गत 30,000 से 40,000 टन की अपेक्षा 21,000 टन माल खरीदेंगे वे वर्ष के अन्त में दुबारा यहां आएंगे। (व्यवधान)

जहां तक चीन का सम्बन्ध है, मैं अभी उस पर आऊंगा।

मैं न्यूनतम निर्यात मूल्यों (एम० ई० पी०) के बारे में बता चुका हूं। सिगरेट निर्माता अपनी भूमिका नहीं निभा रहे हैं। मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं। पिछले वर्ष उन्होंने 29,000 टन तम्बाकू खरीदा था। उससे पिछले वर्ष 44,000 टन खरीदा, उससे पहले वर्ष 32,000 टन खरीदा था और इस वर्ष उन्होंने अब तक 15 लाख टन तम्बाकू खरीदा है, जो कि बहुत कम है।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : यह 15 लाख टन नहीं, अपितु 15 लाख किलो ग्राम है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : क्षमा करें, मैं गलत कह गया था। यह 15 लाख कि० ग्राम है अर्थात् 1500 टन है। उन्होंने इतना तम्बाकू खरीदा है। निश्चय ही, उन्होने इस वर्ष अपनी नीतियों में परिवर्तन किया है। उन्होंने तम्बाकू उत्पादकों से खरीदने की अपेक्षा व्यापारियों से खरीदना शुरू कर दिया है। व्यापारी तम्बाकू उत्पादकों से खरीदते हैं, इससे तम्बाकू के मूल्यों में कमी आने की सम्भावना है। इस तरह का खेल वे लोग खेल रहे हैं। हमने इस सम्बन्ध में एक बैठक की थी। उन्हें निर्देश देने के लिए हमारे पास कोई कानून नहीं है, किन्तु इसका सर्वोतम उपाय बाजार शक्तियों का बाजार शक्तियों द्वारा प्रयोग है, आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा 10 करोड़ रुपए की रकम से तम्बाकू बाजार में प्रवेश करने तथा फसल कम होने एवं तम्बाकू की उनकी अपनी जरूरत के कारण मुझे विश्वास है कि उन्हें बाजार में आने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। मुझे आशा है कि इन उपायों से बाजार में गर्मी आ जाएगी और तम्बाकू उत्पादकों को रक्षा की जा सकेगी।

श्री सतीश अग्रवाल : क्या इन सिगरेट निर्माताओं को बाहर से किसी भी किस्म, किसी भी प्रकार के तम्बाकू खरीदने की अनुमति है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : नहीं, मैं ऐसा केवल पिछले रिकार्डों को देखकर कह रहा हूं, परन्तु मेरी अपनी जानकारी के अनुसार तम्बाकू के आयात की अनुमति नहीं है।

श्री सतीश अग्रवाल : कृपया मुझे एक बात और बताइए। आप इन बिचौलियों को अनुमति कैसे देते हैं क्योंकि जो सिगरेट निर्माता पहले 30,000 या 35,000 या 40,000 टन तम्बाकू खरीदते थे, इस वर्ष उन्होंने केवल 15,000 टन तम्बाकू खरीदा है ? इन लोगों ने ही बिचौलियों को इस काम पर लगाया है। इन बिचौलियों के जरिये ये समस्त तम्बाकू उत्पादकों का शोषण कर रहे हैं। अतः तम्बाकू उत्पादकों की रक्षा के लिए आपको एक

प्रक्रिया तैयार करनी होगी और सिगरेट निर्माताओं को तम्बाकू उत्पादकों से तम्बाकू खरीदने के लिए बाध्य करना होगा ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा बाजार में प्रवेश किए जाने से ही उन्हें बाध्य होना पड़ेगा । फिर पिछले वर्ष के स्टाक के कारण वे अधिक समय तक अड़े नहीं रह सकते । इसलिए मेरा विचार है कि यह दबाव बढ़ता जाएगा, क्योंकि फसल कम है ।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : उपाध्यक्ष जी, तम्बाक भारत में एक ऐसी चीज है, जिसका इस देश के सभी सत महात्माओं, ऋषियों और अच्छे आदमियों ने इसका विरोध किया । परन्तु इस देश के गरीब और अतिसर्वहारा आदमी को सिर्फ इस तम्बाकू के और अपनी ऐश व आराम की चीज नजर नहीं आती । वह इसका आदी बन गया है । न तो शासन में इतनी शक्ति है और न समाज में इतनी ताकत और जागृति है कि सारे देश से तम्बाकू खत्म कर दिया जाए ।

प्रो० एन० जी० रंगा : परन्तु वह चबाने वाला तम्बाकू नहीं है वह वर्जीनिया तम्बाकू है ।

श्री मनीराम बागड़ी : क्योंकि सबसे पहले दुनिया में वर्जीनिया में तम्बाकू पैदा हुई थी, इसलिए इसका नाम वर्जीनिया हो गया और बिगड़ते-बिगड़ते तम्बाकू की नसलें और किस्में और बन गईं । रंगा साहब को इसका ज्ञान हो जाना चाहिए था ।

असल में कोई भी चीज का पहला हिस्सा अति उत्तम और अति शुद्ध माना जाता है । वह उच्च श्रेणी के आदमी को मिलती है । जब उसकी श्रेणी घटती जाती है, तब उसी के मुताबिक जिस आदमी का समाज में स्तर घटता है या कम होता है, वह उसी के लिए बन जाती है । यह वर्जीनिया तम्बाकू ब्रिटिश कम्पनी के माध्यम से भारत में आया और वह ब्रिटिश कम्पनी देश के किसानों का शोषण करती रही । अब कुछ भारतवासी भी उस कम्पनी के हिस्सेदार बन चुके हैं । आप इसको न उद्योग कह सकते हैं और न कृषि कह सकते हैं, क्योंकि यह खुराक नहीं है, बल्कि एक आदत है जो सारे संसार में है और उसमें भारत भी संसार का एक अग है ।

इसको पैदा कौन करता है ? पैदा किसान करता है । इनका शोषण कौन करता है ? शोषण वह करता है जिसके पास सबसे ज्यादा शक्ति है, चाहे वह हिन्दुस्तान का सरकारिया-सेठ है या विदेशों का सरकारिया सेठ है, जिनके इशारे पर भारत का सरकारिया सेठ नाचता है, वे उनका शोषण करते है । आपके तम्बाकू का सबसे ज्यादा व्यापार भारत के सरकारिया सेठ के पास है और आप उस सेठ के मुनीम हैं । इन्दिरा सेठ की एजेन्सी उसको करती है और भारत के व्यापार का लेन-देन उसके माध्यम से दूसरे मुल्कों से होता है । इस लिए आप उनके मुनीम हैं और आप यह व्यापार रूस और चीन से चलाते हैं ।

चीन ने आज से दो साल पहले आपके तम्बाकू को वापस कर दिया था, इस लिए कि वह रद्दी तम्बाकू था। अब रूस ने कितना वायदा किया था ? आपसे कहा था कि 45 लेंगे, लेकिन कितना लिया—25, जैसे बंधुआ मजदूर की हालत है, वही आपकी हालत है। आप के साथ जो सौदा है उसको किसी क्षण भी इन्कार किया जा सकता है। इसके दो कारण हो सकते हैं—एक तो यह कि आपका माल जिस तरह का अच्छा बनना चाहिए था, आप उस तरह का नहीं दे पा रहे हो और दूसरे यह कि आपको मुनाफा न देकर, आपके सरकारी अफसर भ्रष्ट हैं, व्यापारी लोग बेईमान हैं, विदेशी ताकतें शक्तिशाली हैं और आपका व्यापार महकमा नातजुर्बेकार है जिसके कारण हिन्दुस्तान में जो कल-कारखाने चल रहे हैं वे उनका शोषण कर रहे हैं।

मैं अखबारों के एक-दो आंकड़े आपके सामने रखता हूं— यह 1981 से शुरू हुआ— कितने किसानों को गोली मारी गई ? 9 मरे और 600 घायल हुए। यह अप्रैल, 1981 की हिन्दुस्तान अखबार की खबर है—यह घटना बैंगलौर में हुई। उसके बाद 'नवभारत टाइम्स" के 7 अप्रैल, 1981 के अंक की खबर है—किसानों पर गोली चली, जिसमें 9 मरे। उसके बाद यह सिलसिला 1982, 1983, 1984 में भी चला। 1984 में भी गोली चली, किसान जख्मी हुए। यहां पर कालिंग-एटेन्शन आया। रंगा जी ने सवाल उठाया कि 3 आदमी मरे। तब डिप्टी स्पीकर ने कहा—कालिंग एटेन्शन तम्बाकू का है, मरने वालों का नहीं है। वे मरे तम्बाकू के भाव के लिए थे, उनको तम्बाकू की पैदावार का पूरा भाव नहीं मिल रहा था, इस लिए मरे थे।

आप एक बात और देखो—40 लाख व्यक्ति तम्बाकू निर्माण क्षेत्र में लगे हुए हैं। इसका मतलब है कि हिन्दुस्तान की आबादी के 100 आदमियों में से एक या पौना आदमी तम्बाकू के काम में लगा है। हिन्दुस्तान की 70 करोड़ की आबादी है, उसके 40 लाख व्यक्ति तम्बाकू के काम में लगे हुए हैं। अब इसको आप काट नहीं सकते। तम्बाकू को बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते। आज देश में 699 तम्बाकू की फैक्टरियां हैं और जितनी कुल फैक्टरियों की तादाद इस देश में है, उसकी 8 फीसदी तम्बाकू फैक्टरियां हैं। 781 फैक्टरियां तम्बाकू को शुद्ध करने के काम में लगी हुई हैं, 5974 बीड़ी की फैक्टरियां हैं, सिगरेट, सिगार, चुरट की 72 फैक्टरिया, जरदे की 135 फैक्टरियां और तम्बाकू उत्पादन की 42 फैक्टरियां काम कर रही हैं, जिनमें 1,12,161, 1,94,226, 1,,540, 6,015 एवं 1796 कर्मचारी काम करते हैं। यदि उत्पादकों को सरकार की तरफ से प्रोत्साहन दिया जाए, तो तम्बाकू का उत्पादन देश के लिए लाफी लाभदायक सिद्ध हो सकता है। यह अखबार की बात मैंने बताई है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस तम्बाकू को किस तरीके से लाभदायक बना सकते हैं। दो ही रास्ते हैं। या तो तम्बाकू को बिल्कुल खत्म कर दो और तम्बाकू वो ही नहीं ताकि तम्बाकू का उत्पादन करने वाले जो हैं, उनको कोई दूसरा काम धंधा मिल सके लेकिन

यह मेरी समझ में नामुमकिन है, असंभव है क्योंकि भारत के अन्दर पहले से ही बहुत ज्यादा बेकारी है और कृषि का काम सबसे ज्यादा घाटे का काम है। यह आप नहीं कर सकते। दूसरा यह है कि तम्बाकू आप देश के लोगों को भी दो और व्यापार के अन्दर यूरुप और एशिया के मुल्कों को तम्बाकू दो। इसके लिए आपको व्यापार में कम्पीटीशन में आना पड़ेगा लेकिन अभी तक आप कम्पीटीशन में बुरी तरह से फेल हुए हैं और व्यापार में आपकी कोई साख नहीं है। जिस तरह से कोई मकरूज होता है, जिसके जिम्में कर्जा होता है, वैसी ही हालत आपकी है। किसान जो मकरूज होता है, उसका सारा अनाज सेठ कर्ज में ले जाता है। इसी तरह की बात हिन्दुस्तान के व्यापात में हो रही है और हिन्दुस्तान एक कोलोनी रह गया है रूस की। इससे ज्यादा वह कुछ नहीं है और कोई आपके तम्बाकू को पूछता नहीं है। कोई उसको खरीदता नहीं है। चीन में आपने तम्बाकू भेजा, उसका क्या हुआ। यहां के अधिकारियों को पूरा मुआवजा नहीं मिला, इस लिए वहां रद्दी तम्बाकू भेज दिया और वह तम्बाकू वापस आ गया। अधिकारियों को बगैर घूस दिए हुए कोई सौदा नहीं बन सकता। व्यापार मंत्रालय के अफसरों की वजह से कोई सौदा विदेशों से नहीं होता। जब तक वे अपना परसेन्टेज नहीं ले लेते, कोई सौदा नहीं होता। उसमें कौन अफसर है, कौन सन्तरी है, कौन मत्री है और कौन नेता है, मुझे इसका पता नहीं। कौन कितना खाता है, यह पता नही है लेकिन चाहे चावल का मामला हो, चाहे टेलो का मामला हो और चाहे तम्बाकू का मामला हो, सब जगह सौदागिरी चलती है।

इसमें मैं तीन बातें आपसे जानना चाहूगा। पहली बात तो यह है कि चीन से जो तम्बाकू वापस आई, उसके कारणों की क्या आपने जाँच की या नहीं की और अगर जांच की गई, तो उन सरकारी कर्मचारियों, एस०टी०सी० के अफसरों और जो जिम्मेवार लोग थे, उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया।

(व्यवधान)**

श्री मनीराम बागड़ी : रंगा साहब ठीक कहते हैं, सत्य कहते हैं कि ट्रेडर्स बेईमान हैं लेकिन वे अफसर कोई मजिस्ट्रेट नहीं हैं, वे अफसर ट्रेडर हैं, मुनीम हैं और इन्दिरा गांधी की सरकार व्यापार करती है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : यह बहुत गम्भीर है। यहाँ तम्बाकू के मूल्यों के बारे में बातचीत हो रही है और आप आरोप लगा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कार्यवाही वृत्तान्त देखूंगा।

श्री मनीराम बागड़ी : मैं समझ नहीं पाया, आप हिन्दुस्तानी में बता दें।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि किसी भ्रष्ट कार्य-पद्धति के विषय में आरोप लगाने हैं तो

** कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

वे इस प्रकार नहीं, नियमों के अधीन लगाए जाने चाहिए। मैं कार्यवाही वृत्तान्त देखूंगा।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तान्त में नहीं जाएगे।

श्री मनीराम बागड़ी : व्यापार मंत्रालय, इस व्यापार मंत्रालय के जितने अफसर हैं, वे एक व्यापारी की तरह हैं। जैसे मुनीम भी एक व्यापारी होता है। जैसे बिड़ला भी विदेश से व्यापार करते हैं, टाटा भी करते हैं, सरकार भी व्यापार करती है। इसी तरह से यह कारपोरेशन भी व्यापार करता है। इसमें क्या अंतर हो गया। अगर किसी का मुनीम व्यापारी, भ्रष्टाचारी हो तो उसको भ्रष्टाचारी कहने में क्या गलत है। मैंने किसी व्यक्ति को नहीं कहा है, न ही आपके खिलाफ आरोप लगाया है। वे कहने वाले और लोग हैं, उनको आप जवाब देना। रंगा साहब ने ठीक ही कहा है कि ट्रेडर जो है वह व्यापार करता है और ट्रेडर चाहे सरकारी ट्रेडर हो या गैर सरकारी ट्रेडर हो, वे उत्पादक का शोषण कर रहे हैं, लुट रहे हैं।

क्या मंत्री जी मेरी तीन बातों का जवाब देगे। पहली बात यह कि लगातार तीन साल से संघर्ष चल रहा है किसानों का। क्या आप कोई कमीशन या कोई कमेटी मुकरर करके किसानों की मुश्किल हल करने की कोशिश करेंगे।

दूसरी बात यह है कि आधुनिग ढंग की जो वर्जीनिया तम्बाकू है, क्यूबा में जिस तरह से सारी तम्बाकू को वर्जीनिया बना दिया गया है और वह दुनियां की पहले नम्बर की है, क्या इस तरह से कोई योजना हमारे यहां बनाने जा रहे हैं जिससे किसानों का हित हो। सिवाए वेतन और भत्तों के किसानों के हित को समझने के लिए तम्बाकू की उन्नति करने के लिए कोई मार्ग आप किसानों को दे सकते हैं या नहीं।

तीसरी बात यह है कि वर्जीनिया किस्म की तम्बाकू का आप विदेश से व्यापार करते हैं लेकिन जो वर्जीनिया के अलावा अपने देश में घटिया किस्म की तम्बाकू, जो दरिद्र आदमी के इस्तेमाल के लिए है, उनको क्या आप कोई रियायत कर सकते हैं ?

(व्यवधान)

क्या तम्बाकू से बनी हुई सब चीजों पर पाबंदी है, अगर नहीं है तो तम्बाकू की बनी हुई हर चीज जो बाहर से आए, उस पर पाबंदी लगाएं और जो छोटे बीड़ी के कारखानों में काम करने वाले जो बेकार होते जा रहे हैं तम्बाकू की कीमतों की वजह से जो तम्बाक का उत्पादन करने वाले हैं, इन दोनों की जीविका चलती रहे, इसके लिए क्या आप उपाय कर रहे हैं।

** कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : सबसे पहले तो आदत की बात कही गई है। आरोप की भी आदत पड़ जाती है, जल्दी से छूटती नहीं।

.....(व्यवधान)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : जवाब की आदत डालिए।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : जवाब की आदत अच्छी है। आपको याद होगा जब बोफ टेलो पर डिबेट हुई थी। यह कहना कि देश, रूस का बंधुवा है, बिल्कुल अनुचित है। देश; किसी भी देश का बंधुआ नहीं है। रूस, हमारा मित्र है। अगर दोनों देशों को व्यापार बढ़ाने में लाभ होता है तो यह बुरी बात नहीं है। रूस ही नहीं बल्कि इस्टर्न ब्लाक से भारत को व्यापार बढ़ाने में लाभ ही होगा। एस०टी०सी० के अधिकारियों के खिलाफ आरोप लगाना बिल्कुल निराधार है क्योंकि चीन में एस०टी०सी० के माध्यम से माल नहीं भेजा गया था।

श्री मनीराम बागड़ी : अगर किसी प्राइवेट कम्पनी का भेजा हुआ माल वापिस आ जाए तो उससे देश को नुकसान होता है या नहीं। .....(व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : चीन का जो मसला था, वह एक्सपोर्टर्स और चीन के बीच हल हो गया है। दोनों की संतुष्टि के आधार पर वह हल हुआ है। आपने कहा था कि किसान तीन साल से संघर्ष करता रहा है, सरकार उस संबंध में क्या करती है ? रेड्डी जी मौजूद हैं। यह जानते हैं कि 1982 में किसानों को वहां अच्छे भाव मिले। 1983-84 में समस्या आई है।

श्री मनीराम बागड़ी : 1981-82 में तो एजीटेशन चला है।...(व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : तथ्य न होते हुए भी एजीटेशन चला रहे तो उसका उत्तर मेरे पास नहीं है। इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि किसानों को अच्छे भाव मिले। इस साल भी क्राप कम है इसलिए तुरन्त ही आन्ध्र प्रदेश सरकार को दस करोड़ रुपए उपलब्ध कराने का निर्णय किया। .....(व्यवधान)

कुल मिलाकर दो तिहाई परचेज यू०एस०एस०आर० और यू०के० द्वारा होती है। आन्ध्र प्रदेश की क्राप मार्च के पहले सप्ताह से शुरू होती है। यू०एस०एस०आर० की टीम 18 तारीख को आनी थी और आशा थी कि भाव उठ जाएंगे। उन्होंने परचेज किया, लेकिन इसका जो वाँछित प्रभाव था, वह मार्कीट में नहीं पड़ा।

.....(व्यवधान)

इसमें दस दिन का डिले हुआ है। छह-सात करोड़ का आफर आन्ध्र प्रदेश को भेजा गया। जहां तक तम्बाकू की क्वालिटी सुधारने का सवाल है। यह टूबेको बोर्ड के

आबजेक्टिव्ज में है । कर्नाटक में इस बार आक्शन प्लेटफार्म आगे बढ़ाने की पूरी योजना है । ·····(व्यवधान)

1.00 म०प०

प्रो० एन० जी रंगा : आन्ध्र प्रदेश में क्यों नहीं ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : टैस्ट परचेजेज शुरू में आन्ध्र में ।

जहां तक रही बात यह कि वर्जीनिया टबैको अच्छी वाली बाहर जाती है और घटिया यहाँ रह जाती है, उसके लिए भी कुछ किया जाय । तो यह जो बची है 23 मिलियन किलो ग्राम, यह घटिया किस्म ही है, और 10 करोड़ जो दिया गया है आन्ध्र प्रदेश को यह घटिया किस्म के लिए ही दिया गया है । तो उसके लिए भी कार्यवाही की गई है ।

अब रही बात पाबन्दी की, बीड़ी और कृषि करने वालों की स्थिति में सुधार हो, इसमें कोई दो रायें नहीं हैं ।

श्री मनीराम बागड़ी : पाबन्दी तम्बाकू या तम्बाकू से बनी हुई चीज पर लगी हुई है कि नहीं ? यदि नहीं, तो लगाने के लिए आप तैयार हैं कि नहीं ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : किस प्रकार की पाबन्दी ?

श्री मनीराम बागड़ी : विदेश से कोई तम्बाकू या तम्बाकू से बनाई हुई चीज देश में न मंगाई जाय ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : तम्बाकू बाहर से नहीं आती, सिगरेट भी नहीं आती । बल्क में नहीं आती है । कुछ होटल्स वगैरह के लिए आती है । सिगार आता है ।

श्री मनीराम बागड़ी : बन्द कर दो ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : महोदय, मैं भी धूम्रपान नहीं करता, परन्तु मैं किसानों की दुर्दशा से चिन्तित हूं, विशेष रूप से आन्ध्र प्रदेश के किसानों से, जिनसे मेरा जातीय अनुराग है ।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : धन्यवाद ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : अत: पिछले जन्म में मैं अवश्य ही आन्ध्र निवासी रहा हूंगा । मदुरै में मेरे गांव में 99 प्रतिशत लोग तेलगू बोलते हैं इसलिए मुझे (थोड़ी) तेलगू आती है ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी मातृभाषा भी तेलगू है ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : जी नहीं, महोदय पर यदि आप चाहते हैं, तो मैं इसे अपनी मातृभाषा बना सकता हूं ।

आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, पिछले वर्ष इस पर ध्यानाकर्ष प्रस्ताव के रूप में विचार किया गया था। यह कोई नयी घटना नहीं है। इसमें एक प्रकार की उपयुक्त आयोजना की आवश्यकता है। मैं मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने दीर्घावधि माँग और पूर्ति सम्बन्धी स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए कोई कार्यकारी दल गठित किया है। हम प्रत्येक वर्ष "ऐसा किया जाना चाहिए" अथवा' 'वैसा किया जाना चाहिए" कहते आ रहे हैं। दूसरी ओर हमें अगले दस वर्षों की सम्भावित माँग पूर्ति और निर्यात वचनबद्धता पर विचार करना होगा। हमें लम्बी अवधि की योजनाएं बनानी होंगी ताकि मूल्यों पर निर्भर बाजार को स्थिरता प्रदान की जा सके। आयोजना कुछ वैज्ञानिक होनी चाहिए जिसके लिए एक कार्यकारी दल गठित किया जाना चाहिए। यदि ऐसा कोई दल पहले हो हैं, तो मैं इसकी सिफारिशों के में जानना चाहूगा। मैं मन्त्री जी से लाभप्रद मूल्यों के बारे में भी प्रश्न पूछना चाहूंगा। मुझे बताया गया है किसानों को ज्यादा से ज्यादा 14 रु० प्रति किलो के दाम मिलते हैं, जो कि उच्चतम हैं। मुझे वर्तमान मूल्य की जानकारी नहीं है। शायद 10 रु० प्रति किलो है। परन्तु अन्त में जब यह उपभोक्ताओं तक पहुंचता है तो श्री सतीश के अनुसार इसमें 400 प्रतिशत तक की वृद्धि हो जाता है, किसी ने कहा इसमें 250 प्रतिशत का अन्तर हो जाता है। मुझे सही प्रतिशत मालूम नहीं है। अतः सरकार को इस प्रश्न पर विचार करना है कि उपभोक्ताओं द्वारा दिए जाने वाला मूल्य किसान को किस प्रकार प्राप्त होता है।

दूसरा प्रश्न जिससे मुझे बहुत चिन्ता हो रही है। वह है कि यह किसकी जिम्मेदारी है। मैं तम्बाकू की बात कर रहा हू और आपको बताऊंगा कि क्यों? जब कार्य समिति की बैठक हुई थी तो मुख्य मन्त्री ने कहा था कि मैं वस्तुतः इस विषय पर अधिक बहुत कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि इसकी बुनियादी सुविधाएं भारत सरकार के पास हैं और भारत सरकार द्वारा निर्यात किया जाता है। हालांकि 90 प्रतिशत फसल आन्ध्र प्रदेश में होती है। उन्होंने कहा कि वह केन्द्रीय सरकार के साथ इस विषय पर बात करेंगे। आन्ध्र प्रदेश के कृषि मन्त्री यहां आए और श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह से मिले। इसमें कोई शक नहीं है कि श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने 10 करोड़ रु० दिए, परन्तु उन्होंने यह कह कर अपनी जिम्मेदारी खतम कर दी "कि पिछले वर्ष राज्य व्यापार निगम को घाटा हुआ है, फिर मैं राज्य व्यापार निगम को और तम्बाकू खरीदने के लिए कैसे कह सकता हूं ?"

हमारे सार्वजनिक क्षेत्र हैं और वे इस प्रकार की भूमिका अदा कर सकते हैं। किसी स्थान पर तो वे लाभ अर्जित कर सकते है और अन्य स्थानों पर वे जान-बूझकर हानि में चलते हैं तथा इस हानि को छुपा सकते हैं। सामाजिक आयोजना तथा सार्वजनिक क्षेत्र संगठन की सम्पूर्ण संकल्पना का अर्थ यह है कि सार्वजनिक क्षेत्र किसी विशेष व्यापार पर निर्भर नहीं करते और न ही यह देखते हैं कि उन्हें लाभ होगा अथवा हानि। किन्तु कुल

मिलाकर वे इस प्रकार की व्यवस्था करते हैं कि किसी क्षेत्र में हुई हानि को क्षति पूर्ति किसी अन्य क्षेत्र में अर्जित लाभ से कर लेते हैं।

(व्यवधान)

हां, ऐसा प्रत्येक वर्ष नहीं होता। किन्तु पहली बार यह पिछले वर्ष हुआ जब राज्य व्यापार निगम ने इस क्षेत्र में प्रवेश किया। अतः एक तरह से केन्द्र सरकार ने भी इससे स्वयं को अलग कर लिया। वैसे मैं तम्बाकू खाने के विरुद्ध हूं किन्तु यह सत्य है कि तम्बाकू उत्पादों से प्रत्येक वर्ष 1000 करोड़ रु० के उत्पाद शुल्क के रूप में राजस्व प्राप्त होता है और लगभग 100 करोड़ रुपए इसके निर्यात से प्राप्त होते हैं, प्रश्न यह है कि तम्बाकू के सम्बन्ध में आयोजना किस प्रकार से की जाती है। आपको पकाई प्रक्रिया के लिए कोयले की आवश्यकता होती है। किन्तु कोयले की कीमतें 154 रु० से बढ़ाकर लगभग 175 रु० तक कर दी गई है। अब, तम्बाकू की निवेष कीमतों और उत्पादन कीमतों में कोई सम्बन्ध नहीं है। कोयले की कीमत किसी एक एजेन्सी द्वारा निर्धारित की जाती हैं, उसकी खरीद मूल्य किसी अन्य एजेन्सी द्वारा और उसका निर्यात मूल्य कोई अन्य एजेन्सी द्वारा निर्धारित किया जाता है। इस अस्त व्यस्त स्थिति के कारण किसान पिस रहा है। इसलिए मैं इस सुझाव के प्रति माननीय मन्त्री जी की प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा कि तम्बाकू बोर्ड अधिनियम में संशोधन किया जाना चाहिए और इसे इस प्रकार के अध्ययन करने तथा इसके साथ निवेश और उत्पादन कीमतों में तालमेल करने और उपभोक्ता कीमत और किसान को दी गई कीमत में बहुत अधिक अंतर न हो, इस बात का ध्यान रखने और तम्बाकू निर्यात करने के सम्बन्ध में बात-चीत करने की शक्ति प्रदान की जानी चाहिए। अतः अब तक जो मैंने कहा है उसके अतिरिक्त पहली बात मैं यह कहूंगा कि तम्बाकू बोर्ड अधिनियम में संशोधन किया जाए ताकि तम्बाकू बोर्ड खुद खरीददारी कर सके।

(व्यवधान)

और मुझे, इस बात के लिए कि उन्हें (बोर्ड को) यह करने की अनुमति दी जाए, एक जानें-माने सांसद तथा कांग्रेस (ई) के वरिष्ठ नेता प्रो० एन० जी० रंगा का समर्थन प्राप्त है। उनको कहीं-कहीं पर ऋण का विस्तार करने का सुझाव देने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों को सिफारिश करने की शक्तियां भी प्राप्त होनी चाहिए। उदाहरण के लिए माननीय मन्त्री जी ने कहा है जो कि कार्यवाही वृतान्त में शामिल है कि वे ध्यान रखेंगे कि उन कम्पनियों को ऋण प्राप्त हो जो कम कीमतों पर तम्बाकू खरीदती हैं। परन्तु मेरे विचार से मन्त्री जी द्वारा ऐसा करने की बजाए तम्बाकू बोर्ड को यह सिफारिश करने की शक्तियां प्राप्त होनी चाहिएं। इस तरह से तम्बाकू बोर्ड को निर्यात की सम्भावनाओं का पता लगाना चाहिएं। यहां उन्होंने सोवियत संघ का उल्लेख किया है। सोवियत संघ ने 40,000 टन तम्बाकू की खरीद के लिए हां भरी थी किन्तु वास्तव में उन्होंने केवल 21,000 टन तम्बाकू की खरीद की। अधिकतर संकटावस्था इसी कारण उत्पन्न हुई। मास्को में

श्री वी० पी० सिंह की प्रभावपूर्ण उपस्थिति के बावजूद उन पर कोई असर नहीं पड़ा और अन्त में वे अपनी पूर्व वचनबद्धता से पीछे हट गए और तम्बाकू की आधी खरीद की। और जब तक आप एक नहीं हो जाते और यदि वे सोवियत संघ को अपनी खरीद बढ़ाने के लिए मना नहीं पाते तो फिर सोवियत संघ से दोस्ती करने का और अन्तरिक्ष में उनके साथ अपने आदमी भेजने का क्या लाभ है ?

प्रो० एन० जी० रंगा : क्यों न निजी व्यापार को समाप्त कर दिया जाए।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : हाँ उसकी बहुत आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा है कि निजी व्यापार समाप्त कर दिया जाए। परन्तु यह तथ्य है कि सरकार ने चीन को क्षति पूर्ति की अदायगी की है। क्या यह सत्य है अथवा नहीं मैं नाम नहीं। लेना चाहता क्योंकि आप नियम 53 आदि का उल्लेख करेंगे। किन्तु यह सत्य है कि आन्ध्रा के एक बहुत प्रभावपूर्ण राजनीति ने, जिसे प्रो० रंगा जानते हैं और श्री वी० पी० सिंह को भी जान लेना चाहिए, चीन को जिस किस्म का तम्बाकू भेजने का वचन दिया था। उससे निरन्तर किस्म का भेजा। इसका नतीजा यह हुआ कि चीनी, जिन्होंने अभी हमारे तम्बाकू के निर्यात 10 प्रतिशत आयात करना आरम्भ ही किया था, उलझन में पड़ गए। और अन्त में सरकार को हस्क्षेप करना पड़ा और चीन को क्षति पूर्ति भी की ताकि ठेके जारी रहें। इसलिए इस सम्बन्ध में अब कोई आयोजना संस्था होनी चाहिए।

एक माननीय सदस्य : एक नहीं, कई होनी चाहिए।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : अभी तो केवल दो हैं न कि कई। वे इसकी पुष्टी करेंगे। वे केवल दो हैं। इसलिए क्वालिटी नियंत्रण के सम्बन्ध में एक अन्य क्षेत्र है। अतः सरकार को कम-से-कम क्वालिटी नियन्त्रण की ओर ध्यान देना चाहिए। यदि आपने वचन दे दिया है तो उसी किस्म की आपूर्ति करनी चाहिए। अन्यथा दण्ड के प्रावधान होने चाहिए जिसके द्वारा ऐसे लोगों को दण्ड दिया जा सके। वे देश का नाम बदनाम कर रहे हैं।

तम्बाकू की खोज और निर्यात के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय विदेश व्यापार संस्थान के व्यक्ति हाल ही में खाड़ी के देशों में गए थे और वापस लौटने पर उन्होंने बताया कि खाड़ी के देशों में तम्बाकू निर्यात की बहुत संभावनाएं हैं। मैं नहीं जानता कि यह सच है अथवा नहीं परन्तु मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या तम्बाकू के निर्यात के लिए खाड़ी बाजारों का उचित प्रकार से पता लगाया गया है अथवा नहीं क्योंकि, अब तक, जैसा कि उन्होंने कहा है, सोवियत संघ और इंगलैंड ही आयात करने करने वाले मुख्य देश हैं।

अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि तम्बाकू के अंतर्गत कृषि क्षेत्र कम कर दिया गया है। यह बहुत अच्छा है। मेरे विचार से यह वास्तव में और भी कम किया जा सकता है क्योंकि मैंने प्रति हेक्टेयर उपज को देखा है। मैंने यह पाया है कि अमेरिका में प्रति

हैक्टेयर उपज ढाई टन तम्बाकू है। चीन में एक हेक्टेयर भूमि में 2.2 टन तम्बाकू, पैदा होता है जबकि भारत में एक हैक्टेयर भूमि में 0.8 टन तम्बाकू की उपज होती है और जो 1000 करोड़ रुपए तम्बाकू के उत्पाद शुल्क राजस्व के रूप प्राप्त होते हैं, उन्हें तम्बाकू की बेहतर किस्मों के अनुसंधान के लिए तथा इसकी उपज बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए ताकि क्षेत्रफल को और कम किया जा सके और उस क्षेत्रफल को खाद्य फसलों तथा अन्य फसलों की उपज के लिए उपलब्ध कराया जा सके। यह एक और बात है जो उन्हें करनी चाहिए। धन्यवाद।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : महोदय, जहाँ तक कार्य बल अथवा समिति द्वारा इस सम्बन्ध में जाँच करने की बात है, सरकार ने एक कार्य बल की नियुक्ति की थी और उसकी कुछ सिफारिशें हैं···

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या आप मुझ उसकी एक प्रति दे सकते हैं ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : यह अभी विचाराधीन है। मैं इतना ही कहूंगा कि माननीय सदस्य ने जो कुछ बातें बताई है वह बहुत तर्क संगत है और यही वे क्षेत्र है जिनके सम्बन्ध में कार्य बल ने अपनी सिफारिशें दी हैं।

ये सिफारिशें आपूर्ति तथा मांग में व्यापक सन्तुलन स्थापित करने, संशोधित बाजार जानकारी, प्राप्त करने परम्परागत क्षेत्र सहित समस्त तम्बाकू उत्पादन क्षेत्र में नीलामी प्रणाली आरंभ करने तथा वाणिज्यिक ग्रेडिंग तथा लाइसेंसिंग आदि को आरम्भ करने एवं प्रोत्साहित करने के लिए तम्बाकू बोर्ड को शक्ति प्रदत्त करने के बारे में हैं। एक विस्तृत सिफारिश यह है कि तम्बाकू बोर्ड एक स्थिरीकरण अभिकरण के रूप में कार्य करे। इस प्रकार, कृतिक बल की ये कुछ सिफारिशें हैं, जो कि विचाराधीन है और इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य की आम टिप्पणी से मैं सहमत हूं।

किसानों के लिए लाभप्रदता तथा उनके द्वारा उठाए गए मुद्दे के सम्बन्ध में, कृषि मूल्य आयोग, लागत तथा अन्य सभी चीजों और उपलब्ध कीमतों को ध्यान में रखकर न्यूनतम समर्थन मूल्यों की सिफारिश करता है; अभी तक औसत मूल्य, कृषि मूल्य आयोग के मूल्यों से अधिक रहे हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी : मैंने कहा है कि, उपभोक्ताओं द्वारा सिगरेटों के लिए अदा की जा रही कीमतों और किसान द्वारा प्राप्त की जा रही कीमत के बीच अन्तर है। केवल इतना ही काफी नहीं है कि उन्हें लागत को कवर करने के लिए भुगतान किया जाय, बल्कि सिगरेट कम्पनियों द्वारा प्राप्त किए जा रहे लाभ में उनका भी हिस्सा होना चाहिए।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : इस प्रकार की कार्यवाही नहीं की जाती है, परन्तु

निश्चित तौर पर अन्तर्निविष्ट लागतों तथा लाभप्रदता और इस काम में लगाए गए व्यक्ति की लागत और कितना वेतन बनेगा इन सभी लागतों का ध्यान में रखा जाता है। तब जाकर न्यूनतम समर्थन मूल्य आँका जाता है। यह एक ऐसा मुद्दा है जो न केवल तम्बाकू क्षेत्र बल्कि वस्त्र क्षेत्र से भी सम्बन्धित है; कपड़े से लेकर कपास तक की कीमत तथा बहुत सी अन्य ऐसी बातों को ध्यान में रखने के प्रयास किए गए हैं परन्तु अभी तक कोई भी सन्तोषजनक परिणाम नहीं निकले हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी : किन्तु क्या आप इसके लिए ऐसा करते हैं ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं इसके बारे में सभा में आश्वासन नहीं दूंगा परन्तु निश्चित तौर पर जिस बात का आश्वासन मैं दे सकता हूं वह यह है किसानों को लाभप्रद कीमतें मिलनी चाहिए। इसका आश्वासन मैं दे सकता हूं।

डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी : और लाभ में भागीदारी के बारे में ?

श्री विश्वनाथ प्रताव सिंह : इसके लिए उत्तरदायी कौन है ? (व्यवधान)।

माननीय सदस्य ने कहा है कि केन्द्र सरकार ने राज्यों से अपना हाथ खींच लिया है और राज्यों ने कहा कि केन्द्र ने अपना हाथ खींच लिया है। जब हम 10 करोड़ रुपये के लिए वचनबद्ध हैं, तो यह अपना हाथ खींचने वाली बात नहीं है; हमने अपने ऊपर उत्तरदायित्व लिया है और हमें आशा है कि यदि इस धन के द्वारा राज्य सरकारों का अधिक से अधिक सहयोग मिले जिससे कि उपजकर्त्ताओं को राहत मिल सके, तो यह एक संयुक्त कार्यवाही है ना कि···

उपाध्यक्ष महोदय : जहां तक मेरा विचार है, राज्य सरकार द्वारा इसके लिए कहे जाने से पूर्व ही आप यह कर चुके हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी : नहीं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : श्रीमान्, उन्हें इस समस्या के बारे में पता है। प्रो० रंगा मुझसे कह रहे थे, श्री रेड्डी मुझसे कह रहे थे, इसके अलावा आंध्र प्रदेश का एक प्रतिनिधिमण्डल भी मिला था और यह कोई खास बात नहीं थी कि इतनी राशि या उतनी राशि दी जानी चाहिए बल्कि हम स्वत: भी चिन्तित हैं। जैसे ही हमने पाया कि अब खरीद और विपणन में तेजी नहीं आ रही हैं, हमने यह पेशकश की।

मास्को और सौन्दर्य प्रसाधनों के बारे में माननीय सदस्य ने ऐसा कहा है। यह सौन्दर्य प्रसाधन नहीं है। मास्को जाने के बाद वास्तविक लाभ हुए हैं और व्यापार की दिशा में मास्को का दृष्टिकोण रचनात्मक रहा है। व्यापार योजना में भी, सोवियत संघ द्वारा निर्यात करने की वचनबद्धता 2,000 करोड़ रुपए हैं जो कि पिछले स्तर की तुलना में काफी अधिक है।

चीन के विषय में मैं यह बता दूं कि क्रेता और प्रदायक के बीच आपसी करार हो चुका है। यह मामला समाप्त हो चुका हैं। जहां तक चीन द्वारा और खरीद किए जाने का संबंध है, मैं सूचित कर दूं कि इस वर्ष चीन में बहुत अच्छी फसल हुई है। वह इसके लिए आगे आने का ज्यादा इच्छुक नहीं है।

खाड़ी के देशों की आवश्यकता निश्चित तौर पर विद्यमान है। हम इन बाजारों का पता लगा रहे हैं और इस विषय पर अच्छी तरह से ध्यान दिया जा रहा है।

क्षेत्र तथा उसकी पैदावार के बारे में, उत्पादिकता का विषय उठाया गया है। यदि उत्पादिकता बढ़ती है, तो निश्चित रूप से कम क्षेत्र के होते हुए भी हम उतने ही निर्यात कर सकते हैं। इस विषय पर बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दिया जा रहा है।

श्री सतीश अग्रवाल द्वारा पहले एक मुद्दा उठाया गया था कि क्षेत्र को कम क्यों कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह कोई हल नहीं है। उस स्थिति में, जबकि इसका प्रमुख भाग निर्यात आश्रित है और निर्यात बढ़ नहीं रहा है, कई समस्याएं हैं मैं समझता हूं कि हमें उत्पादन के बारे में और अधिक यथार्थवादी होनी चाहिए, जिससे इन समस्याओं का मुकाबला हो सकेगा। मैं समझता हूं, मैं सब बातों के बारे में बोल चुका हूं।

डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी तम्बाकू बोर्ड अधिनियम के संशोधन के बारे में स्थिति क्या है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : वह यह है। हम तम्बाकू बोर्ड को और अधिक अधिकार देने और नीलामी में और अधिक अधिकार देने के लिए संशोधन करने के मामले पर विचार कर रहे हैं। यह विचाराधीन है। इसके बारे में अन्तःमंत्रालय स्तर पर विचार किया जा रहा है।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : अभी-अभी श्री अग्रवाल ने कहा कि उन्होंने तम्बाकू का इस्तेमाल कम कर दिया है। मैं समझता हूं इसी वजह से तम्बाकू का आधिक्य हो गया है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वे श्री अग्रवाल की सहायता लेने जा रहे हैं ताकि वे सारे अतिरिक्त तम्बाकू का इस्तेमाल कर सकें। यदि वे और अधिक तम्बाकू इस्तेमाल करेंगे तो तम्बाकू का हमारा आधिक्य समाप्त हो सकता है।

अभी-अभी श्री मनोराम बागड़ी द्वारा यह कहा गया है कि हमारा देश बन्धक है। सोवियत रूस के साथ हमारे संबंध बहुत ही घनिष्ठ हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं। मैं नहीं जानता कि इसे कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल किया गया है या नहीं। आप इसका उत्तर मत दीजिए।

श्री एम०राम गोपाल रेड्डी : रूस के साथ हमारे संबंध अब बहुत ही घनिष्ठ हैं। वह हमें न केवल तम्बाकू बल्कि अन्य मदें खरीदने में भी सहायता कर रहा है। माननीय

सदस्य को यह बात नहीं भूलनी चाहिए। हर बार उन्हें एक ही बात को दोहराना नहीं चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : वे इस बात को मजाक में कह रहे थे।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : जब आप पीठासीन होते हैं तो हर गंभीर मामला, बहुत ही हल्का-फुल्का बन जाता है।

मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह आश्वासन चाहता हूं कि इस वर्ष हमारा उत्पादन जितना भी हुआ है, वह गिरना नहीं चाहिए। पिछले वर्ष के बकाया भण्डार कितने हैं ? क्या ये आने वाले वर्षों के लिए काफी होंगे ?

जैसा कि चीनी के मामले में हुआ है, यह 85 लाख मी० टन से कम होकर 65 लाख मी० टन तक आ गई है। मन्त्री महोदय को उत्पाद शुल्क के साथ-साथ विदेशी मुद्रा के रूप में बड़ी मात्रा में राजस्व की हानि उठानी पड़ेगी। यही वजह है कि हमें संतुलन बनाए रखना चाहिए। उत्पादन उससे नीचे नहीं जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कितने होशियार हैं। आप बड़ी कुशलता से तम्बाकू की बात में चीनी की बात ले आये हैं।

श्री सतीश अग्रवाल : यदि तम्बाकू चीनी लेपित होगा, तो मैं उसे चबाऊंगा नहीं।

प्रो० एन०जी० रंगा : किसानों के लिए दोनों ही महत्वपूर्ण हैं।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : महोदय, मैं मंत्री द्वारा 10 करोड़ रुपये की स्वतः स्वीकृति देने के लिए उन्हें बधाई देता हूं और इससे आन्ध्र प्रदेश के तम्बाकू उत्पादकों की कठिनाइयों को दूर करने में काफी हद तक सहायता मिलेगी। आन्ध्र प्रदेश सरकार को इसका लाभ उठाना चाहिए। मुझे यह बताया गया है कि आन्ध्र प्रदेश सरकार यह कहती है कि उनके पास तम्बाकू खरीदने के लिए कोई बुनियादी ढांचा नहीं है। यदि उनके पास कोई बुनियादी ढांचा नहीं है तब यही लोग उसे स्थल पर ही खरीद लेते हैं और उनके पास एक राज्य व्यापार निगम भी है। उनके पास अनेक स्थानों जैसे गन्टूर इत्यादि में छोटे पैकरस हैं। इन लोगों पर विश्वास किया जा सकता है और भारत सरकार द्वारा स्वीकृत इस राशि का वह तम्बाकू उत्पादकों से शेष बचा हुआ सारा तम्बाकू खरीदने के लिए उपयोग कर सकते हैं। पैकरस वहां है और वह अच्छी क्वालिटी बनाए रखेंगे। उनके पास इसे वर्गीकृत करने की क्षमता है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह राज्य सरकार को अपनी अक्षमता स्वीकार करने के स्थान पर तम्बाकू खरीदने की सलाह दे रहे हैं। उन्हें अपने काम में होशियार और सुप्रशिक्षित पैकरों की सेवाओं का उपयोग करना चाहिए। यदि ऐसा किया जाएगा तो मेरा ख्याल है कि वे अधिकांश तम्बाकू खरीद लेंगे।

महोदय, तम्बाकू एक क्षयशील वस्तु है और यदि इसके खरीदने में और देरी की गई तो इसकी सुगन्ध, किस्म और रंग खराब हो जाएगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रोफेसर रंगा किसानों के कल्याण के बहुत इच्छुक हैं। वे छह दशकों से भी पहले से अर्थात हमारे मुख्य मंत्री श्री टी० एन० रामाराव के जन्म के पूर्व से ही किसानों की सेवा करते आ रहे हैं। जब वे वहां थे, तो उन्होंने किसानों को, जो उस समय भूख हड़ताल पर थे, भूख हड़ताल तोड़ कर शान्ति पूर्ण तरीकें अपनाने की सलाह दी। उन्होंने उन्हें यह आश्वासन भी दिया था कि उनके कल्याण के लिए कुछ कार्यवाही अवश्य की जाएगी। जब प्रो० रंगा हैदराबाद में थे, सभी शमियाने, जहाँ हड़ताल की गई थी, नष्ट और अस्त व्यस्त कर दिए गए थे। सभी भूख हड़ताल करने वाले व्यक्तियों को उस्मानिया हस्पताल ले जाया गया था। अगले दिन सुबह जब प्रोफेसर रंगा उन्हें देखने के लिए गए, तो उन्हें रोक दिया गया। बड़ी कठिनाई से उन्होंने उन्हें पीछे हटाया और किसानों को देखा। केवल इतना ही नहीं हुआ। 100 से अधिक किसानों को गिरफ्तार भी किया गया। यह सब अनावश्यक और निरर्थक प्रयास हैं। मैं जानता हूं कि आन्ध्र प्रदेश के सभी किसान बहुत परिश्रमी और शान्ति पसन्द लोग हैं। आन्ध्र प्रदेश की सरकार व्यर्थ ही उन्हें उत्तेजित कर रही है। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए।

क्या मंत्री महोदय, जिनकी केन्द्रीय मंत्री की हैसियत से तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादकों के प्रति पूरी जिम्मेदारी है, मुख्य मंत्री जी को यह सलाह देंगे कि वह ऐसे तरीकों का आश्रय न लें, ऐसा न हो कि लोग उत्तेजित होकर कानून को अपने हाथ में लें और हिंसक बन जाए? पिछले वर्ष, राज्य व्यापार निगम ने 22 करोड़ से अधिक मूल्यों का तम्बाकू खरीदा था। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वे क्या करने जा रहे हैं और वह इसका किस प्रकार उपयोग करने जा रहे हैं? मैं यह जानना चाहता हू कि यहाँ कितनी सिगरेट बनाने वाली कम्पनियां हैं और इन कम्पनियों की कितनी तम्बाकू खपत की क्षमता है और इनके पास पहले से ही कितनी मात्रा में तम्बाकू उपलब्ध है? क्या वह जान-बूझकर कीमतों पर प्रतिबन्ध लगा रहे हैं ताकि तम्बाकू उत्पादकों को मजबूरन बिक्री करनी पड़े। यदि यही तरीका है तो मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या उनके पास इन लोगों से निपटने के लिये निर्यात अथवा उत्पादन पर प्रतिबन्ध लगा कर अथवा कोई अन्य उपाय विद्यमान है—मैं अब पुनः चीनी के बारे में अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। कई बार चीनी उद्योग से सम्बन्धित लोग उचित व्यवहार नहीं करते हैं। उस समय मंत्रालय यहां उन्हें कोटा जारी करना बन्द कर देता है। तब वह ठीक व्यवहार करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राम गोपाल रेड्डी को छोड़ कर शेष चीनी उद्योग के लोग हैं।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : मैं केवल सहयोगी हूं।

अब, मैं यह जानना चाहता हूं कि मंत्री जी किस प्रकार के तरीके अपनाने जा रहे हैं ताकि सिगरेट के उत्पादन कर्ता तम्बाकू उगाने वालों का शोषण न कर सकें। यदि शोषण रोक दिया गया, तो मैं समझता हूं कि अधिकतर कठिनाइयों से राहत मिल जाएगी। 30 से 35,000 टन के स्थान पर उन्होंने केवल 1,500 टन तम्बाकू खरीदा है। यह बहुत ही कम मात्रा है। वह पूरी मात्रा में क्यों नहीं खरीदते ? क्या यह सोद्देश्य नहीं किया जाता ?

क्या ऐसा है कि उनके एजेन्ट कम मूल्य पर तम्बाकू खरीदने के लिये तम्बाकू क्षेत्र में घुस गये हैं तथा बाद में, वह उनकी आपूर्ति करते हैं ? वह ऐसा तरीका भी अपना सकते हैं जिससे कि उनके एजेन्ट तम्बाकू खरीद सकें, अपने पास रख सकें और बाद में वह उनके एजेन्टों से तम्बाकू खरीद सकें। प्राय: एकाधिकार गहों और बड़े बड़े कारखानों द्वारा प्राय: यही तरीका अपनाया जाता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्रीजी मुख्यमंत्री और सम्बन्धित मंत्री जी से बात करने जा रहे हैं कि उन्हें लोगों के उद्धार के लिए शीघ्र प्रयत्न करने चाहिएं। माना कि आन्ध्र प्रदेश सरकार वही तरीके अपनाती हैं और वह तम्बाकू उगाने वालों की सहायता नहीं करती, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं, कि भारत सरकार कौन सा वैकल्पिक उपाय अपनाने जा रही है जिससे कि लोगों की कठिनाइयों को दूर किया जा सके। अन्यथा अगले वर्ष स्वय: तम्बाकू उगाने वाले तम्बाकू उगाना बन्द कर देंगे और तम्बाकू की कमी हो सकती है और ऐसा समय भी आ सकता है कि जब हमें तम्बाकू आयात करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा जैसा कि कुछ समय पहले चीनी के मामले में हुआ था। इसलिए सरकार द्वारा जो भी कदम उठाये जा रहे हैं, मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी बहुत अधिक विलम्ब होने से पहले, शीघ्र कदम उठायें।

किसान लोग पहले ही अपना धैर्य खो चुके हैं। प्रोफेसर रंगा द्वारा उन्हें शान्ति-पूर्वक रहने के सुझाव का काफी असर हुआ और वह काफी शान्तिपूर्वक रहे हैं। तम्बाकू उगाने वाले उत्पादकों की धैर्यशीलता काफी प्रशंसनीय है। हमारे कृषि प्रधान देश में, जैसा कि सतीश अग्रवाल ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्र से सकल राष्ट्रीय उत्पादन के योगदान में 58 से 40 प्रतिशत की कमी (गिरावट) आई है।

हमारे देश की 70 प्रतिशत जनता कुल राष्ट्रीय उत्पादन का केवल 40 प्रतिशत भाग उपभोग कर रही है तथा दूसरी ओर, कुल राष्ट्रीय उत्पादन का 60 प्रतिशत उपभोग नगरों तथा औद्योगिक क्षेत्र के बहुत थोड़े से लोग कर रहे हैं। यह एक असमानता है। यदि यह असमानता और आगे बढ़ जाती है तो शहरी लोगों के विरूद्ध आन्दोलन किया जाएगा और देश में भारी अशान्ति हो जाएगी। माननीय मन्त्री महोदय को इस बात पर भी अवश्य ध्यान देना होगा।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : उत्पादन में संतुलन बनाए रखने के बारे में मेरा यह

कहना है कि निश्चय ही निर्यात की आवश्यकता और घरेलू उत्पादन के अनुसार संतुलन बनाए रखना होगा । अधिक उत्पादन अथवा कम उत्पादन नहीं होना चाहिए ।

मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि अधिक जमा के बारे में गत वर्ष से आगे कितना कुछ किया गया है । जहां तक राज्य व्यापार निगम का सम्बन्ध है उनके पास 150 लाख किलोग्राम तम्बाकू है ।

तत्पश्चात् माननीय सदस्य ने कहा कि आंध्र प्रदेश के पास खरीददारी करने का कोई बुनियादी ढांचा नहीं है । यह सत्य नहीं है । आंध्र प्रदेश में बुनियादी ढांचा है ।

आन्दोलन के बारे में जो बात कही गई है और यह कि गोलीबारी नहीं होनी चाहिए तथा मुख्य मन्त्री को सलाह देने की आवश्यकता की जो बात कही गई है, इस संबध में यह कहना चाहता हूं कि हम में से कोई भी यह नहीं चाहता कि ऐसा हो और मुझे विश्वास है कि राज्य सरकार भी किसी प्रकार की गोलीबारी नहीं चाहती । किन्तु निश्चित रूप से विधि और व्यवस्था की स्थिति का संबंध राज्य सरकार से है, और इस विषय में उन्हीं को निर्णय लेना होता है ।

प्रो० एन०जी० रंगा : उनमें से सौ से अधिक लोग तो परसों ही गिरफ्तार किए गए थे ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह राज्य का विषय है; यहां हम इस पर चर्चा नहीं कर सकते ।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : हम यहां तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : उन्होंने पूछा है कि राज्य व्यापार निगम के 22 करोड़ रुपए मूल्य के जो भण्डार खरीदे गए हैं उनके लिए हम क्या कर रहे हैं । यदि माननीय सदस्य ठीक स्मरण हो तो मैं उनसे यही पूछ रहा था । 18,000 टन में से 3000 टन के भण्डार का बिक्री के लिए अनुबन्ध कर दिया गया है और हमारी यह कोशिश कर रहे हैं कि शेष भण्डार का निपटान भी कर दिया जाए ।

जहाँ तक सिगरेट निर्माताओं द्वारा सिगरेट की कीमतें अपने एजेंटों अथवा व्यापारियों के द्वारा कम करने का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि जो कुछ भी माननीय सदस्य ने कहा है उसमें बहुत कुछ सार है । इसको जुटाने का एक तरीका बाजार में जाना है और यह इसलिए है क्योंकि हमने आंध्र प्रदेश सरकार के लिए 10 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं ।

जहां तक तम्बाकू उत्पादकों की सहायता करने के लिए मुख्य मन्त्री से कहने का सम्बन्ध है, मैंने उन्हें लिखे एक पत्र में उनसे यह अनुरोध किया था कि राज्य सरकार तम्बाकू की खेती करने वाले लोगों की सहायता के लिए आए ।

इन शब्दों के साथ मुख्य प्वाइंट पूरे हो जाते हैं। एक कार्यकारी दल बनाने तथा तम्बाकू बोर्ड की स्थापना के बारे में मेरे पास माननीय सदस्या श्रीमती सुशीला गोपालन् की एक टिप्पणी है जो मैंने इसका उत्तर दे दिया है और हम तम्बाकू बोर्ड को शक्तिशाली बनाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, अधिकांश प्रश्न पहले ही पूछे जा चुके हैं। यद्यपि माननी सदस्य श्री सतीश अग्रवाल ने बड़ी वाक्पटुता से सम्पूर्ण मामला प्रस्तुत किया है, यद्यपि माननीय मन्त्री महोदय ने उत्तर दे दिया है···

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप भी बताइए।

श्री हरिकेश बहादुर : कि वह अपने स्तर पर समस्या के समाधान के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, मैं नहीं जानता कि इस मामले में हम कब तक सफलता प्राप्त कर पाएंगे।

भारत बड़ी मात्रा में तम्बाकू उत्पन्न करने वालों में से हैं। किन्तु हम हमेशा देखते हैं कि किसानों को हर वर्ष बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है यद्यपि मैं श्री सतीश अग्रवाल की तरह तम्बाकू खाने वाला नही हू, मैं न तम्बाकू पीने वाला हूं, न तम्बाकू उगाने वाला हूं और न ही उसका व्यापारी हूं, फिर भी मैं इस सम्बन्ध में तम्बाकू उत्पादकों तथा तम्बाकू खाने वालों तथा धूम्रपान करने वालों और हर एक व्यक्ति के दुःखी होने के कारण चिन्तित हूं।

अत: मैं यह कहना चाहूंगा कि सरकार को इस समस्या पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और प्रभावपूर्ण ढंग से इसका समाधान करना चाहिए।

हम हर वर्ष इस समस्या पर चर्चा करते रहते हैं और हमें हर समय सरकार से यह उत्तर भी मिल जाता है कि सरकार अपने स्तर पर इस समस्या के समाधान के लिए प्रयत्न कर रही है। कुछ वर्षों से हमने देखा है कि गोलीबारी में अनेक लोग मारे गए हैं और जब कर्नाटक में पिछली सरकार कार्य कर रही थी तब अकेले निपानी में गोलाबारी में 20 व्यक्ति मारे गए थे जैसा कि माननीय सदस्य श्री मनीराम बागड़ी ने बताया है। इसी प्रकार, मृत्यु का यह क्रम जारी है।

किन्तु मेरा प्वाइंट यह है कि किसानों के हितों की रक्षा अवश्य की जाए।

सरकार आंध्र प्रदेश सरकार को कुछ वित्तीय सहायता दे ताकि तम्बाकू की खरीद सीधे तम्बाकू उगाने वालों से की जा सके। इस संबंध में कुछ समस्याए हो सकती हैं। माननीय मन्त्री सभा को उन समस्याओं से अवगत कर सकते हैं। किन्तु यह मेरा अनुरोध है कि माननीय मन्त्री महोदय कुछ वित्तीय सहायता प्रदान करने का अवश्य प्रयत्न करें। इस संबंध में कुछ विशेषज्ञों की यह राय थी कि तम्बाकू व्यापार के लिए कम से कम 100

करोड़ रुपए का ऋण दिया जाए ताकि तम्बाकू सीधे किसानों से खरीदी जा सके। माननीय मन्त्री जी ने राज्य सरकार को 10 करोड़ रुपए पहले ही दे दिए थे। किन्तु मैं चाहूंगा कि यह धनराशि बढ़ाई जाए।

या तो सरकार को यह निर्णय करना चाहिए कि सम्पूर्ण तम्बाकू की खरीद राज्य व्यापार निगम करे अथवा यदि राज्य व्यापार निगम इसकी खरीद न कर सके तो इसकी खरीद राज्य सरकार करे और इसके लिए केन्द्र की ओर से राज्य सरकार को कुछ वित्तीय सहायता अवश्य दी जानी चाहिए और किसानों को बढ़ा हुआ समर्थन मूल्य दिया जाना चाहिए।

यदि सरकार चाहे तो राज्य सरकार को निर्यात करने की अनुमति भी दी जाए क्योंकि यह बहुत ही नाजुक मामला है। यह विचार सरकारिया आयोग के समक्ष पहले से ही है। इसलिए, मैं इसके बारे में विस्तार पूर्वक नहीं कहता, किन्तु इस पर सरकार को भी विचार करना चाहिए। कुछ राज्य सरकारें जूट तथा तम्बाकू जैसी फसलों की पैदार कर रही हैं। उन्हें इनके निर्यात की अनुमति दी जानी चाहिए। किन्तु मैं इस मामले में विस्तार से जाना नहीं चाहता। किन्तु मेरे इस सुझाव पर माननीय मन्त्री जी को विचार करना चाहिए।

जहां तक तम्बाकू बोर्ड का सम्बन्ध है, तम्बाकू बोर्ड को सम्पूर्ण तम्बाकू व्यापार पर नियंत्रण रखने के लिए पूरी शक्तियां दी जाएं और इस प्रयोजन के लिए इसे वित्तीय सहायता भी दी जानी चाहिए ताकि वह किसानों को लाभकारी मूल्य मुहैया कराने में समर्थ हो सके।

तम्बाकू बोर्ड अधिनियम के बारे में, जैसा कि माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है, कुछ उपयुक्त संशोधन भी होना चाहिए ताकि यह नियंत्रण-कार्य तम्बाकू बोर्ड को सौंपा जा सके। माननीय मन्त्री जी इस पर भी विचार करें।

मैं सुझाव देना चाहूंगा कि विभिन्न सिगरेट निर्माताओं के लिए किसानों से तम्बाकू की खरीद का सरकार द्वारा एक निश्चित कोटा तय किया जाए। स्वयं सरकार की ओर से निश्चित किया गया तम्बाकू का कोटा उन्हें खरीदना पड़ेगा। यदि वे इसे नहीं खरीदते तो सरकार को उनके लाइसेंस रद्द करने का प्रयत्न करना चाहिए। क्या सरकार यह कार्य करने जा रही है ? यह मुख्य प्रश्न मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहूंगा—कि क्या वे निश्चित कोटा तय करने जा रहे हैं जिसे प्रत्येक सिगरेट निर्माता सरकार द्वारा निश्चित दर पर सीधे किसानों से खरीदे और यदि वे ऐसा नहीं करते तो क्या उनके लाइसेंस रद्द किए जाएंगे ?

जहां तक तम्बाकू के निर्यात का सम्बन्ध है, इसे निश्चय ही प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। किन्तु इस प्रयोजन के लिए यह आवश्यक है कि हम तम्बाकू की किस्म सुधारने

का प्रयत्न करें । यहाँ वाणिज्य मन्त्रालय में ही—हालाँकि माननीय मंन्त्री जी को इसके बारे में मैंने पहले नहीं बताया था किन्तु मैं बताने के लिए सोच रहा था । यह बताने के लिए इसे मैं उपयुक्त समय समझता हूं और मुझे बताना पड़ेगा कि वाणिज्य मन्त्रालय में एक निर्यात निरीक्षण अभिकरण (एजेंसी) है जिसका कार्य निर्यात की जाने वाली चीजों की क्विस्म का निरीक्षण करना है । हम इसके बारे में बहुत कुछ सुनते आ रहे हैं । हम अनेक पत्रिकाओं इत्यादि में पढ़ते आ रहे हैं कि यह सब घपलेबाजी है । माननीय मन्त्री जी से मेरा अनुरोध है कि वे इस विशेष संगठन के कार्य-कलापों की जाँच करें ताकि इस संगठन का कार्य सरल और कारगर हो सके ऐसा किए जाने पर ही हम निर्यात किए जाने वाले माल की किस्म सुधार सकते हैं और तभी हमारे निर्यात क्षेत्र का बिस्तार हो सकता है ।

ये मेरे कतिपय सुझाव हैं और माननीय मन्त्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि सिगरेट निर्माताओं आदि के बारे में मैंने जो प्रश्न उठाए हैं वे इनका उत्तर देने की कृपा करें ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : माननीय सदस्य ने कहा है कि न तो वे तम्बाकू का पान करते हैं, न खाते हैं और न ही तम्बाकू के व्यापारी हैं । इस दृष्टि से हम दोनों एक ही श्रेणी के हैं ।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : हम सिगरेट पीने के विरूद्ध हैं ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : सरकार हर वर्ष कहती है कि कार्यवाही की जाएगी और फिर भी समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है—किन्तु ऐसा कहा नहीं जाता बल्कि वास्तव में कार्रवाई की जाती है । पिछले वर्ष 22 करोड़ रुपये की तम्बाकू खरीदी गई और इस वर्ष 10 करोड़ रुपए की खरीद का वादा है । इसलिए ऐसा मात्र कहा नही जाता, कार्यवाही भी की जाती है । महोदय, जब कोई फसल अन्तर्राष्ट्रीय बाजार पर आश्रित हो तो समस्याए तो होंगी ही । किन्तु हमने अपने उपाय किए हैं । मैंने यह स्पष्ट रूप से बताया है कि पर्याप्त धनराशि के साथ-साथ प्रयास किए गए हैं ।

किसानों के हित संरक्षण के बारे में यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि तम्बाकू उगाने वालों से सीधे ही खरीदारी की जानी चाहिए अत: यह सुनिश्चित किया गया है । तम्बाकू व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय सहायता के बारे में हम राष्ट्रीयकृत बैंकों से आग्रह करने की स्थिति में हैं कि वे अतिरिक्त धनराशि के लिए दबाव के बिना निम्न श्रेणी की तम्बाकू खरीदने के लिए अग्रिम ऋण दें । अत: माननीय सदस्य महोदय ने जो सुझाव दिया है उस दिशा में एक कदम यह है ।

दिए जा रहे समर्थन मूल्यों के बारे में तकनीकी रूप से अब तक जो न्यूनतम समर्थन मूल्यों का सुझाव दिया गया है और बाजार मूल्य भी लगभग वही हैं । इसलिए किसानों को वे मूल्य उपलब्ध हैं ।

राज्य सरकार को निर्यात की अनुमति दिए जाने के बारे में, मैं निर्यात के लिए राज्य सरकार की स्थिति को आवश्यक तौर पर स्पष्ट करना चाहूंगा और यदि वे ऐसा करना चाहते हैं तो उनके लिए कोई समस्या नहीं है।

जहां तक तम्बाकू बोर्ड के पास और नियंत्रण शक्ति होने का सम्बन्ध है, नीलाम-पद्धति एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा जितना इसका अधिक विस्तार किया जाएगा उतना ही तम्बाकू के विपणन और व्यवसाय पर अधिक नियंत्रण बढ़ेगा। अतः इसके द्वारा इस दिशा में यह निश्चित नीति है।

अधिनियम में उपयुक्त संशोधन के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं कि वे विचाराधीन हैं।

सिगरेट निर्माताओं के लिए कोटा निश्चित किए जाने और यदि वे कोटा पूरा नहीं करते तो उनके लाइसेंस रद्द किए जाएं, इसके बारे में मैं नहीं समझता कि हम इस पर सहमत हो सकते हैं। क्योंकि सिगरेट उद्योगों में श्रमिक हैं और यदि हम लाइसेंस रद्द कर देते हैं तो श्रमिकों को नौकरी से निकाल दिया जाएगा और इससे समस्या को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ले जाने वाला कार्य हो जाएगा···

श्री हरिकेश बहादुर : वे किसानों का बहुत अधिक शोषण कर रहे हैं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : अधिक कुशल विपणन और नीलाम पद्धति आरम्भ करने से शोषण पर निश्चित रूप से नियंत्रण किया जा सकता है।

तम्बाकू की क्वालिटी नियंत्रण के बारे में, आवश्यक रूप से, एक निरीक्षण एजेंसी है। वह क्वालिटी नियत्रण की जांच करती है और अधिकतर वह कार्य करती रहती है। किन्तु, जब शिकायातें आती हैं तो हम कार्रवाई भी करते हैं—हम बहुत कठोर कार्रवाई करते हैं।

यदि माननीय सदस्य महोदय कुछ और आवश्यक समझते हैं तो हम अवश्य उसकी जांच करेंगे।

———

1.41 म०प०

कार्य मंत्रणा समिति

60वां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : मैं निम्न-लिखित प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा 9 अप्रैल, 1984 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मंत्रणा समित के साठवें प्रतिवेदन से सहमत है"।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि यह सभा 9 अप्रैल, 1984 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मंत्रणा समिति के साठवें प्रतिवेदन से सहमत है"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

1.42 म०प०

नियम 377 के अधीन मामले

उपाध्यक्ष महोदय : श्री भीखाभाई।

(एक) माही नदी से निकली नहरों में अचानक पानी छोड़ जाने के कारण हुई क्षति

श्री भीखा भाई (बांसवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, माही नदी बागड़ प्रदेश की एक बड़ी नदी है। माही नदी पर गुजरात ने कडाणा में और राजस्थान ने गुजरात का साझेदारी में एक बहुउद्देशीय योजना बनाई है। माही बाण सागर के कंट्रोल के लिए केन्द्रीय सरकार ने माही कट्रोल बोर्ड बनाया है जिसके अध्यक्ष केन्द्रीय सिंचाई मंत्री हैं। माही नदी का पानी कुछ दिनों पूर्व कागदी पिक वियर के माध्यम से छोड़ा गया था। कई जगह नहरों एवं उप नहरों का पानी खेतों की कठिनाई के कारण बाँध का पानी नदी में डाला जाता रहा है। इस प्रकार तीन बार माही नदी में पानी छोड़ा गया। परन्तु लोगों को आगमी सूचना या आगाही नहीं हुई। जब-जब पानी छोड़ा गया।

विगत हफ्ते के अन्त में मेरे दौरे पर जाने पर यह लोम हर्षक घटनाएं मेरे समक्ष आई हैं।

कुछ आदिवासी लोग मेरे गाँव चिबूड़ा से सामने ग्राम खोडन नदी पार होकर गए थे। उसमें कुछ लोग तो वापिस आ गए। उसमें दो तीन व्यक्ति घर जाने के लिए वापिस लौट रहे थे कि एकाएक एकदम नदी के पानी का स्तर बढ़ गया और उनका नदी पार करना कठिन हो गया। वैसा नदी में आम तौर पर आने जाने में कठिनाई नहीं होती है।

पानी के अचानक भयावह बहाव से न मालूम कितने आदमी बह गए। ठीक पता नहीं लग सका है परन्तु तीन आदमियों के सम्बन्ध में यह पुख्ता सूचना है कि इन मृतकों के शवों का पता नहीं लग पाया है।

इसके पूर्व माही नदी के पानी के बहाव से कीर जाति द्वारा उगाई गई ककड़ियां भी नष्ट हो गई और इस प्रकार जन हानि के साथ धन हानि भी हुई है।

इस मामले में केन्द्रीय सरकार का हस्तक्षेप अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि यह अन्तर्राज्यीय परियोजना है जिसके अध्यक्ष केन्द्रीय सिंचाई मंत्री हैं। मृतकों के परिवारों को एवं कीर जाति के कृषकों की खेती का नुकसान होने के कारण भरपूर मुआवजा प्रदान करें।

(दो) बुनकरों की आर्थिक दशा सुधारने के उपाय

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : सूत और केमिकल्स के मूल्य में लगातार वृद्धि होने के कारण बुनकरों के समक्ष घोर संकट उत्पन्न हो गया है। सूत की चोर बाजारी तथा कुछ लोगों द्वारा मुनाफ खोरी किए जाने के फलस्वरूप हथकरघा उद्योग भीषण कठिनाइयों के दौर से गुजर रहा है। वर्तमान स्थिति को सुधारने में सरकार को शीघ्र प्रभावी कदम उठाने चाहिए। आर्थिक संकट के कारण लगभग 25 प्रतिशत बुनकर परिवार पहले से ही कुपोषण के शिकार हो गए हैं। यदि सरकार ने सूत और केमिकल्स के मूल्य को तत्काल कम करने की दिशा में कदम न उठाया तो स्थिति और गभीर हो सकती है। यह आवश्यक हो गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित सूत के कारखानों को यह निर्देश दिया जाय कि वे सूत का अधिक से अधिक उत्पादन करें और उक्त सूत को हथकरघा उद्योग के लिए सुरक्षित रखा जाए। सरकार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि क्षेत्रीय स्पीनिंग मिल्स पहले क्षेत्रीय मांगों को ही पूरा करें। साथ ही बुनकरों द्वारा तैयार किए गए कपड़ों के निर्यात की व्यवस्था करने से बुनकरों की आर्थिक स्थिति में पर्याप्त सुधार किया जा सकता है। अतः सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए।

(तीन) गाजीपुर में इस्पात संसाधन संयंत्र स्थापित करने में विलम्ब

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश का गाजीपुर जिला आर्थिक और औद्योगिक रूप में उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा हुआ जिला है। बहुत पहले 1964 में पटेल आयोग ने इस जिले में भारी उद्योगों की स्थापना करने की सिफारिश की थी। इस जिले के लोग काफी लम्बे समय से ऐसे उद्योगों की मांग करते रहे हैं। वे लोग तत्कालीन इस्पात और खान मंत्री द्वारा अपने मंत्रालय से संबद्ध सलाहकार समिति की एक बैठक में उस जिले के नीलकर नगर में एक इस्पात परिसंस्करण सयत्र की स्थापना करने संबंधी घोषणा को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस संयंत्र के लिए स्थान देने का प्रस्ताव भी किया है। मेरी सूचना के अनुसार, इस प्रयोजन के लिए स्थान चुन लिया गया है।

अभी परियोजना पर कार्य शुरू नहीं किया गया है। कुछ समय पहले इस्पात और खान मंत्री ने मुझे सूचना दी थी कि परियोजना विभिन्न स्तरों पर व्यवस्थापन चरण में है।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस परियोजना का कार्य शुरू करने के लिए शीघ्र कार्यवाही करें।

(चार) खासी तथा जयन्तिया पहाड़ी जिले में विभिन्न स्थानों पर लगने वाले साप्ताहिक बाजारों में बंगला देशी व्यापारियों के प्रवेश पर प्रतिबन्ध में ढील देने की आवश्यकता ।

श्री बाजूबन आर० खारलुखी (शिलांग) : महोदय, मेघालय में खासी और जयन्तिया के सीमावर्ती लोग घोर आर्थिक कठिनाइयां अनुभव कर रहे हैं, चूंकि बिक्री के दिनों में बंगला देश के व्यापारियों के न आने के कारण वे अपने कृषि उत्पादों का प्रतियोगी मूल्यों पर विपणन नहीं कर पाते हैं । संतरों, पान के पत्तों और आर्कीनट्स जैसे कृषि उत्पादों को स्थानीय व्यापारियों को मामूली मूल्यों पर बेचना पड़ता है जबकि आवश्यक वस्तुओं के मूल्य लोगों की क्रय क्षमता से बाहर हैं । इसके परिणामी प्रभाव यह हैं कि 95 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा के काफी नीचे रहते हैं ।

ऐसा बताया गया है कि सभी चौकियों पर प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगने के कारण बंगला देश से व्यापारी नहीं आते जिसके परिणाम स्वरूप समस्त व्यापार और कारोबार मुट्ठी भर व्यापारियों के एकाधिकार में आ गया है जो अपने लाभ के लिए स्थिति का पूरा फायदा उठा रहे हैं ।

मैं भारत सरकार से दृढ़ शब्दों में अनुरोध करता हूं कि वे प्रतिबन्धों में ढील देने के लिए तत्काल उपाय करें और बंगला देश के व्यापारियों को डांकी, बलात, शैला, लिंगखाट, माडोन और मजेओ से सीमावर्ती साप्ताहिक बाजारों में प्रवेश करने के लिए नियमित अनुमति दें ।

(पांच) इलायची पुनर्रोपण कार्यक्रम

श्री जेवियर अराकल (एर्णाकुलम) : भारत का अनुमानत: 93,947 हैक्टार क्षेत्र है जिसमें से 86,451 हैक्टार क्षेत्र पंजीकृत है । मुख्य इलायची उत्पादक राज्य केरल 60 प्रतिशत, कर्नाटक 30 प्रतिशत और तमिलनाडु 10 प्रतिशत है । प्रति वर्ष का औसत उत्पादन 3,433 मीटरी टन है उत्पादन का 50 प्रतिशत से 60 प्रतिशत निर्यात किया जाता है जिससे प्रति वर्ष औसत आय 29.50 करोड़ रुपए होती है । अन्य इलायची उत्पादक देशों से कड़ी प्रतिस्पर्द्धा है । भारत की अधिकतर जोतें छोटे या मध्यम आकार की हैं । वर्ष 1980 से 1983 तक उत्पादिकता और उत्पादन बहुत ही कम हुआ है अर्थात् 1982-83 में वृद्धि की दर 29.3 प्रतिशत नोट की गई । यह स्थिति मुख्यत: पुनर्रोपण और प्रोत्साहन में कमी, सूखे आदि के कारण हुई है ।

इलायची उत्पादक भूभागों में आयोजित सर्वेक्षण से पता चला कि 1932 के दौरान और 1983 के पहले भाग में सूखे के कारण देश के इलायची बागान का लगभग 30 प्रतिशत पूरी तरह से नष्ट हो गया । इसके परिणाम स्वरूप बोर्ड ने 15,000 हैक्टार में त्वरित पुनर्रोपण कार्यक्रम शुरू करने का एक प्रस्ताव 10-8-1983 को मंत्रालय को भेजा ।

1982-83 के दौरान उत्पादन में भारी मात्रा में कमी आई है। यदि बोर्ड द्वारा प्रस्तुत पुनर्रोपण कार्यक्रम को 15 अप्रैल 1984 से पहले स्वीकृति नहीं दी जाती तो पुनर्रोपण का एक मौसम बीत जाएगा। धन के रूप में इसके कारण 500 मीटरी टन इलायची पर प्रति वर्ष 15 करोड़ रुपए की हानि होगी। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह सूखा प्रभावित क्षेत्रों में इलायची पुनर्रोपण कार्यक्रम को तत्काल मंजूरी दे। अन्यथा न केवल किसानों को और आगे हानि पहुंचेगी बल्कि देश को भी विदेशी मुद्रा की भारी आय खोनी पड़ेगी।

(छ) पंजाब, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश की मंडियों से आने वाले गेहूं की खरीद तुरन्त आरम्भ करने के लिये भारतीय खाद्य निगम को निदेश

श्री मनी राम बागड़ी (हिसार) : मान्यवर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और पंजाब की गेहूं की अगेती फसल निकल चुकी है और गेहूं मंडियों में आ रहा है। सरकारी खाद्य निगम और व्यापारियों की मिली भगत से किसानों का गेहूं खरीदा नहीं जाता जिससे गेहूं 136 रु० क्विंटल से ले कर 145 रु० क्विंटल तक किसानों को बेचनी पड़ रही है। सरकारी निगम को तुरन्त गेहूं मार्किट में लाने से पहले सपोर्ट प्राइस पर खरीद शुरू कर देनी चाहिए थी, परन्तु हमेशा ऐसा होता है कि जब गरीब किसान लुट जाता है तब वह मार्किट में आता है। मैंने जिन्द, नरवाना, गोहाना, हिसार और रोहतक मंडी में खास तौर से घूम कर पता किया। मैं चाहूंगा कि खाद्य निगम के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए जायें और तुरन्त गेहूं की सरकारी खरीद शुरू की जाये।

(सात) दुर्घटनाओं को रोकने के लिये चोला और सिकन्दरपुर स्टेशनों के बीच के रेल फाटक को स्थानान्तरित करना

श्री बनारसीदास (बुलन्दशहर) नियम 377 के अधीन मैं माननीय मन्त्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्त्व के निम्नलिखित मामले की ओर दिलाना चाहूंगा :

चोला और सिकन्दरपुर स्टेशनों के बीच 883 कि०मी० पर एक रेलवे क्रासिंग गेट था। चकबंदी के कारण यह मुख्य क्रासिंग गेट अब उपयोग में नहीं लाया जाता है। 881 कि०मी० पर एक सम्पन्न गांव खानपुर है। रेलवे लाईन के पार एक हाईस्कूल है और यह गांव रेलवे लाईन के दोनों ओर बसा हुआ है। कृषि खेत भी रेलवे लाईन के दोनों ओर हैं। ग्रामीणों और स्कूल जाने वाले बच्चों के द्वारा रेलवे लाईन पार करना बहुत खतरनाक है। पिछले वर्ष स्कूल जाने वाले दो बच्चे स्कूल जाने के लिये रेल लाईन पार करते समय कट कर मर गये थे। बड़ी मुश्किल से कोई एक आध दिन गुजरता है जब दूधारू गाय और भैंस और अन्य पशु नहीं मारे जाते। वर्षों से ग्रामीण 883 कि०मी० के स्थान से रेलवे क्रासिंग गेट को 881 कि०मी० के निकट हटाने के लिये अपील कर रहे हैं। मैं रेल मन्त्री का ध्यान इस क्रासिंग गेट के न होने के कारण मानव और पशु जीवन के प्रति खतरे की ओर दिलाना चाहता हूं। यह रेलवे का कर्त्तव्य है कि वह ग्रामीणों के लिए एक सुरक्षित गेट

उपलब्ध करायें। रेल मन्त्री से अनुरोध है कि वे क्रासिंग गेट को 881 कि० मी० पर हटाने के तत्काल और अत्यावश्यक उपाय करें ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके।

(आठ) बर्न स्टैंडर्ड कम्पनी लिमिटेड की तीन ईकाइयों : दुर्गापुर, रानीगंज और अनंदल का पुन: खोला जाना

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : केन्द्रीय सरकारी उपक्रम बर्न स्टैंडर्ड ने पश्चिम बंगाल में रानीगंज और दुर्गापुर स्थित अपनी दो इकाइयों को बंद कर दिया है। यह पहली बार हुआ है कि किसी राष्ट्रीयकृत उपक्रम में केन्द्रीय सरकार ने काम बंदी की घोषणा की है। इन दो सरकारी उपक्रमों को बंद करने की अधिसूचना में मजदूरों को दोषी नहीं कहा गया है। इस कार्य बन्दी का मुख्य कारण ईकाइयों को घाटा होना बताया गया है।

इस संबंध में यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि बर्न स्टैंडर्ड कम्पनी का दुर्गापुर स्थित इकाई ने 8 फरवरी, 1984 को तालाबंदी की घोषणा की थी। बाकी ईकाईयों ने 4 अप्रैल 1984 को बंदी की घोषणा की थी।

ईकाईयों अर्थ-क्षम बनाने के लिए निवेश तथा आधुनिकीकरण के सम्बन्ध में योजना सरकार को भेजी गयी थी किन्तु उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। पहले कई बार यह आश्वासन दिया गया था कि इन इकाइयों को बंद करने का प्रश्न ही नहीं है और मंत्रालय इन्हें भारत रिफ्रेक्टरीज लिमिटेड में मिलाने के लिये पहले ही सिफारिश कर चुका है।

इन सभी आश्वासनों के बावजूद भी, प्रबन्धकों ने 4 अप्रैल, 1984 को बंदी की घोषणा कर दी। 10,000 मजदूर और लगभग 10,000 उनके परिवार के सदस्य भुखमरी के कगार पर हैं।

मैं उद्योग मंत्री से आग्रह करूंगा कि बंदी की सूचना को वापस लेने एवं बर्न स्टैंडर्ड की दुर्गापुर एवं रानीगंज स्थित इकाईयों को तुरन्त पुन: चालू करने के लिए आवश्यक आदेश जारी करें।

उपाध्यक्ष महोदय : सिर्फ माननीय अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किया गयी विषय-वस्तु ही कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित किया जायेगा।

(नौ) 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत बैंकों द्वारा ऋण दिये जाने में कथित अनियमितताओं की जांच करना

श्री चन्द्रपाल शैलानी (हाथरस) : उपाध्यक्ष महोदय, नये 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीब, अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़े लोगों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए बैंकों को उन्हें ऋण तथा अनुदान के रूप में रुपया देने को निर्देश दिये हैं, परन्तु अफसोस

है कि जब उन्हें बैंकों के दरवाजे पर जाना पड़ता है तो सुबह से शाम तक खड़ा रहना पड़ता है और कोई उनकी बात पूछने वाला नहीं। यही नहीं, इन गरीब व्यक्तियों के साथ बैंकों के अधिकारी और कर्मचारी भी ठीक व्यवहार नहीं करते। एक-एक आदमी को महीनों चक्कर काटते हो गए, किन्तु उनके पल्ले कुछ नहीं पड़ा, उल्ट उनकी जेबों से सैकड़ों रुपये खर्च हो गये। उदाहरण के तौर पर मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के विजयगढ़ कनारा बक और पुरदिनगर कनारा बैंक की बात कह रह हूं, क्योंकि मेरे जिला अलीगढ़ में कनरा बैंक ही लीड बैंक है। इन दोनों स्थानों की बैंकों के शाखा प्रबन्धकों व अन्य कर्मचारियों के खिलाफ बड़ी गंभीर शिकायतें हैं। मेरा अनुरोध है कि शीघ्र ही किसी उच्च एजेन्सी से जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही की जाये।

———

158 म० प०

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1984-85

शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा में शिक्षा एवं संस्कृति मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांग [संख्या 24 से 27 पर, जिसके लिए 5 घंटे का समय दिया गया है, चर्चा तथा मतदान होगा।

सदन में उपस्थित माननीय सदस्य जिनके अनुदान की मांगों में कटौती प्रस्तावों को परिचालित किया गया है, अगर अपने कटौती प्रस्तावों को पेश करना चाहते हैं तो वे 15 मिनट के अन्दर एक पर्ची पर उनसे पेश किए जाने वाले कटौती प्रस्ताव की क्रम संख्या देते हुए सभा पटल पर भेजें। उन्हीं कटौती प्रस्ताओं को पेश किया हुआ माना जायेगा।

पेश किए गए ऐसे कटौती प्रस्तावों की सूची क्रम संख्या के साथ नोटिस बोर्ड पर थोड़ी ही देर में लगा दी जाएगी। अगर कोई भी सदस्य सूची में किसी भी प्रकार की विसंगति पाता है तो वह बिना किसी विलम्ब के सभा-पटल पर उपस्थित अधिकारी के ध्यान में ला सकता है।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> "कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय सम्बन्धी मांग संख्या 24 से 27 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिये कार्य-सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सम्बन्धी राशियों से अनधिक सम्बन्धित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत

शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय के सम्बन्ध में अनुदानों की मांगें, 1984-85

मांग संख्या	मांग का नाम	14 मार्च 1984 को सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की रकम		सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांग की रकम	
1	2	3		4	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए	राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय					
24	शिक्षा विभाग	67,50,000	...	3,37,48,000	...
25	शिक्षा	69,57,82,000	5,40,000	347,89,09,000	27,00,000
26	संस्कृति विभाग	3,36,57,000	...	16,82,85,000	...
27	पुरातत्व	1,90,83,000	....	9,54,17,000	...

2.00 म० प०

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसे ही हम शिक्षा मन्त्रालय के लिए अनुदानों की माँगों पर चर्चा शुरू करते हैं, और देश में विद्यमान शिक्षा प्रणाली को देखते हैं तो हमें चारों तरफ निराशाजनक एवं विस्मयकारी दृश्य नजर आता है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सभी के लिए मुफ्त शिक्षा देने का जो वायदा किया गया था वह झूठा हो गया है और हमारे देश तथा यहाँ के लोगों के लिए जो यह महत्वपूर्ण लक्ष्य रखा गया था उसे प्राप्त करने में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारें एवं वर्तमान सरकार विफल रही हैं। हमें यह कहते हुए खेद होता है कि आजादी के 37 वर्षों के पश्चात् भी सरकार शिक्षा को मूलभूत अधिकार बनाने में भी विफल रही है। यद्यपि यह नीति निर्देशक सिद्धान्तों में है किन्तु इस सम्बन्ध में सरकार की कोई दिशा नहीं है और निरक्षरता तेज गति से बढ़ती रही है। 1981 की जनगणना के अनुसार, 41 करोड़ लोग यानि की हमारी जनसंख्या का 70 प्रतिशत लोग हमारे देश में निरक्षर हैं जो की दुनिया की कुल निरक्षरों का आधा है। सबके लिए शिक्षा सबके लिए निरक्षरता में बदल गई है। प्राथमिक शिक्षा की जो कि सबके लिए मुक्त शिक्षा का आधार स्तम्भ है, दशा बहुत ही चिन्ताजनक है।

एन० सी० ई० आर० टी० के प्रतिवेदन के अनुसार 4.75 लाख प्राथमिक स्कूलों में से एक चौथाई स्कूलों में सिर्फ एक ही अध्यापक है, विद्यमान प्राथमिक स्कूलों में 40 प्रतिशत छप्परों में झोपड़ियों में, अथवा खुले में हैं; और 1.5 लाख से 2 लाख प्राथमिक स्कूलों में पीने के पानी की सुविधायें नहीं हैं। और कोठारी आयोग ने कहा है कि भारत के भाग्य का निर्माण कक्षाओं में हो रहा है। इस तरह हम देश के भाग्य का निर्माण कर रहे हैं।

महान शिक्षा शास्त्री एवं गांधीवादी श्री जे० पी० नायक ने अपनी पुस्तक 'दि एजूकेशन कमीशन एड आफटर' में कहा है कि सभी के लिए शिक्षा प्रदान करने के लिए 6 लाख प्राथमिक स्कूलों तथा 2 लाख माध्यमिक स्कूलों की आवश्यकता है।

प्राथमिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सरकार को इस सम्बन्ध में सभी प्रयत्न करने चाहिए तथा इसके लिए अधिक राशि का नियमन करना चाहिए किन्तु इस बारे में स्थिति क्या है? इस वर्ष के बजट में, स्कूल शिक्षा को कुल शिक्षा परिव्यय का 19.8 प्रतिशत मिला है। और प्रथम योजना के बाद के वर्षों में स्कूली शिक्षा तथा प्राथमिक शिक्षा की सरकार द्वारा निरन्तर अधिकाधिक अवहेलना की जा रही है। प्रथम योजना में स्कूली शिक्षा के लिए कुल शिक्षा परिव्यय का 58 प्रतिशत नियत किया गया था; दूसरी योजना में यह 35 प्रतिशत था, तीसरी योजना में 34 प्रतिशत तथा पांचवीं योजना में 32 प्रतिशत था। प्रौढ़ शिक्षा भी सबके लिए शिक्षा का एक अंग है, इसके लिए बजट में आवंटन धनराशि 0.92 प्रतिशत है। यह कितनी दयनीय स्थिति है।

2.03 म० प०

(श्री आर० एस० स्पैरो पीठासीन हुए)

आजकल हम देखते हैं कि लोग अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं और प्राथमिक स्तर पर बच्चों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। किन्तु सरकार इतनी कठोर एव उदासीन है कि वह उनके लिए समुचित सुविधाए प्रदान करने की स्थिति में नहीं है, ताकि उन्हें स्कूलों में ही बना रखा जा सकें। एन० सी० ई० आर० टी० के प्रतिवेदन के अनुसार लगभग ५0 प्रतिशत छात्र पहली से आठवीं कक्षा के बीच स्कूल छोड़ जाते हैं, और नवीं तथा दसवीं कक्षा में छोड़ने वाले छात्रों का प्रतिशत 97 हैं। सरकार कैसे इस स्थिति में सुधार करने जा रही है। इसके आर्थिक पहलू भी हैं, परन्तु वे क्या प्रभावशाली प्रयत्न करने जा रहे हैं ? सरकार को निःशुल्क किताबें, मुक्त कपड़ों तथा मुक्त भोजन का तथा माता-पिता को भी बड़ी मात्रा में छात्रवृति देने और माता-पिता की आय की स्थायी व्यवस्था करनी चाहिए। माता-पिता की आर्थिक सुरक्षा आवश्यक है। इनमें से अधिकांश पद दलित तथा गरीब वर्गों से हैं। उनकी समुचित देखभाल की जानी है।

जब प्राथमिक शिक्षा की ऐसी निराशाजनक तस्वीर है तो उच्च शिक्षा का क्या हो सकता है, यह हम आसानी से समझ सकते हैं। उच्च शिक्षा संकटग्रस्त है। इस संदर्भ में मैं टैगोर के शब्दों को दोहराना चाहूंगा जो कि उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान उच्च शिक्षा के बारे में कहे थे और वह आज के युग में बहुत ही संगत है। उन्होंने उनकी उच्च शिक्षा की धारणा का उपहास किया था। वास्तव में हमारी सरकार ने कुछ पहलुओं में कुछ क्षेत्रों में शिक्षा देने की कोशिश की है, किन्तु जैसा कि मैंने कहा है, हमारे यहां बुनियादी शिक्षा तथा सबके लिए प्राथमिक शिक्षा का अभाव है। टैगोर ने कहा कि एक मूर्ख ने एक बड़ी इमारत के निर्माण का कार्य एक अन्य मूर्ख को सौंपा। उस मूर्ख ने अच्छे से अच्छा सामान एकत्र किया और जब ईमारत बन कर तैयार हो गई, तो पता चला की सीढ़ियाँ नहीं बनाई गई थीं। और टैगोर ने कहा कि ब्रिटिश शासन के दौरान हमारे देश में योजना इस प्रकार बनाई जाती थी, और जैसा कि हम देखते हैं कि स्थिति आज भी भिन्न नहीं है। आजकल उच्च शिक्षा का ह्रास हो रहा है। 1982-83 के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिवेदन में हम क्या देखते हैं ? हाल के वर्षों में उच्च शिक्षा के विकास को विनियमित करने के लिए प्रयास किए गए हैं। किन्तु किस दलील पर। वे कहते हैं कि छात्रों की संख्या में वृद्धि से शिक्षा की गुणवता कम हो रही है और हम इस सूत्र को कभी नहीं समझ सकते हैं। हम हमेशा से यह जानते आए हैं कि संख्या से गुणवत्ता बनती हैं। और हमारी सरकार कहती है कि गुणवत्ता बनाने के लिए हमें सख्या में कटौती करनी चाहिए। वे कहते हैं कि जनशक्ति की आवश्यकताओं के अनुसार हमें उच्च शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी किन्तु इस तरीके से, जनशक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उच्च शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं होगी।

बेरोजगारी की स्थिति क्या है ? बेरोजगार स्नातक इंजिनियरों की संख्या 22,700 हैं; चिकित्सा स्नातक 17,100 हैं; और इसी प्रकार 1982 में कुल स्नातकोत्तरों की संख्या 173.53 लाख थी और हमारे देश में लाखों स्नातक हैं जिन्हें को कोई भी रोजगार प्राप्त नहीं हो रहा है।

हमारे देश के प्रतिभा पलायन भी हो रहा है। हजारों की संख्या में डाक्टर तथा इंजिनियर भारत से बाहर जा रहे हैं। सरकार खुश होगी कि ये लोग भारत में बेरोजगारी की संख्या को नहीं बढ़ा रहे हैं। किन्तु प्रश्न यह है कि हमारे 15,000 डाक्टर पश्चिमी देशों में काम कर रहे हैं और इससे हमें 14 करोड़ 40 लाख डालर की हानि हो रही है। यह स्थिति सिर्फ डाक्टरों के सम्बन्ध में है। सरकार यह तर्क दे सकती है और कह सकती है कि यह एक अन्तर्राष्ट्रीय परस्पर क्रिया है। अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग का अर्थ राष्ट्रीय हानि नहीं है। हमारे देश में लोगों को चिकित्सा सुविधा प्राप्त नहीं हो रही है। हमारे विद्यार्थी शिक्षा यहां प्राप्त करते हैं और उसके पश्चात् भारत से बाहर चले जाते हैं।

उच्च शिक्षा का अब ह्रास हो रहा है। 1973-74 तथा 1982-83 के बीच वार्षिक वृद्धि 3 4 प्रतिशत हुई है। यह 1963-64 से 1972-73 की अवधि के 11.2 प्रतिशत से कम है। यह 1982-83 के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग समिति के नवीनतम प्रतिवेदन में से बता रहा हूं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग समिति ने विशेषतौर पर दिल्ली विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में कहा है कि दाखिले उपलब्ध सीटों से कम हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिवेदन से पता चलता है कि दाखिला नगण्य है अर्थात् उच्च शिक्षा स्तर पर आयुवर्ग के अनुपात में दाखिला सर्वथा अपर्याप्त है।

वे यह कैसे कह सकते हैं कि वे कार्यों को नियमित करने जा रहे हैं। उच्च शिक्षा पर्याप्त नहीं है। हमारे देखने में यह आया है कि 1980-81 में प्रदान की गई 1404 डाक्टर की उपाधियों की तुलना में 1982-83 में प्रदान की गई 324 उपाधियां बहुत कम हैं। हम देख रहे हैं कि सरकार ऐसी स्थिति में पहुंच गई है जहां वह उच्च शिक्षा में और अधिक विकास को सहन कर पाने की स्थिति में नहीं है। इसका पता कैसे चलता है ? 1984-85 के केन्द्रीय बजट में कुल बजट खर्च 42,536 करोड़ रुपए है। यह सरकार इतनी धन राशि खर्च करेगी। इसमें से शिक्षा को 421 करोड़ रुपए मिलेंगे, अर्थात् 0 92 प्रतिशत।

बी० जी० खेर समिति ने सुझाव दिया था कि केन्द्र को शिक्षा पर 10 प्रतिशत तथा राज्यों को 20 प्रतिशत खर्च करना चाहिए। लेकिन, हम देखते हैं कि पिछले कुछ वर्षों से यह प्रतिशतता गिरती जा रही है। प्रथम योजना में शिक्षा का भाग 7.22 प्रतिशत था; चौथी योजना में यह 5.16 प्रतिशत था; पांचवीं योजना मे 3.3 प्रतिशत, छठी योजना में 2.8 प्रतिशत तथा संशोधित छठी योजना में यह 2.2 प्रतिशत है। यह है सरकार का शिक्षा के प्रति रवैया। वे इस सामान्य शिक्षा प्रणाली को और आगे स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हैं। अब हम देखते हैं कि शिक्षा की दोहरी प्रणाली विद्यमान है; और इससे

इस देश के गिने-चुने अमीर लोगों को काफी लाभ हो रहा है। गरीब लोगो को कुछ लाभ मिला करते थे लेकिन उनमें कमी की जा रही है।

सामान्य स्कूली शिक्षा प्रणाली, सरकार से सहायता प्राप्त प्रणाली को क्या हो रहा है ? वे वास्तव में ऐसी स्थिति में पहुंच गई है जहां उनके महत्व को कम किया जा रहा है।

क्या मैं महान फ्रांसीसी विचारक रूसो के शिक्षा के बारे में कहे गए शब्दों की याद ताजा कर सकता हूं ? उन्होंने गरीब और अमीर दोनों के लिए एक समान शिक्षा के सम्बन्ध में कहा था, "क्योंकि सांविधानिक दृष्टि से वे बराबर हैं, उन्हें एक साथ शिक्षा दी जानी चाहिए तथा एक जैसी शिक्षा दी जानी चाहिए।" मैं समझता हूं कि "ए न्यू एजूकेशन फ र पोलैंड" (पोलैंड में नई शिक्षा प्रणाली) में रूसो ने जो कुछ कहा है, वह हमारे देश में शिक्षा की मौजूदा स्थिति पर भी ठीक बैठता है।

अब हम देखते हैं कि हमारे देश में शिक्षा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र को भी सुदृढ़ किया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में केन्द्र तथा राज्यों द्वारा किया गया खर्च इस क्षेत्र में किए गए कुल खर्च का 55.56 प्रतिशत था। 1980-81 में यह बढ़कर 85 प्रतिशत हो गया। दूसरी ओर, पांचवें दशक के आरम्भ में निजी क्षेत्र का शिक्षा संस्थाओं पर कुल मिलाकर नियंत्रण 65 प्रतिशत था तथा सातवें दशक के अन्त में यह 75 प्रतिशत था। अब निजी क्षेत्र का नियंत्रण बढ़ता आ रहा है। वे प्रावेशिक शुल्क द्वारा, व्यवसायिक कालेज तथा नर्सरी स्कूल आदि खोलकर शिक्षा को अवरुद्ध कर रहे हैं। सरकार नर्सरी शिक्षा में हस्तक्षेप नहीं करती। निजी क्षेत्र के लिए यह खुला मैदान है।

अब हम देख रहे हैं कि सरकार प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा की उपेक्षा कर रही है, वे उच्च शिक्षा की ओर अधिक ध्यान दे रहे हैं। इस असंतुलन से किसे लाभ पहुंच रहा है ? उन्हें जो अपने बच्चों को नर्सरी शिक्षा के लिए भेजते हैं। निर्धन लोगों को ऐसी कोई सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं तथा सरकार का उनकी सहायता करने का कोई इरादा नहीं है। अब सरकार की यह जान-बूझकर बनाई गई नीति है, वे इस देश के अमीर लोगों को मदद पहुंचा रहे हैं।

विशिष्ट वर्गवाद। मैं यह अवश्य कहूंगा कि शिक्षा की इस प्रणाली से विशिष्ट वर्गवाद को बढ़ावा मिल रहा है, और इस मामले में मैं जे०एन०यू० के एक सुस्पष्ट उदाहरण का उल्लेख करना चाहता हूं। वहां की प्रवेश-नीति का उद्देश्य समाज के आर्थिक तथा सामाजि० रूप से वंचित वर्ग तथा अनुसूचित जाति व जन-जाति के लोगों का ख्याल रखना था, लेकिन अब इसे समाप्त कर दिया गया है। तर्क यह है कि योग्यता की उपेक्षा की जा रही है तथा जिन्हें रियायत मिल रही है, उनका कार्य-निष्पादन अच्छा नहीं है। लेकिन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की उस प्रायोजित समिति की क्या रिपोर्ट है जिसने

1978 में कुछ सर्वेक्षण किया था ? डा० जयलक्ष्मी इन्द्रोमन ने यह सर्वेक्षण किया था और उन्होने कहा था, "आर्थिक रूप से वंचित वर्गों के विद्यार्थियों में सुधार के निश्चित संकेत दिखाई दे रहे हैं, जो कि एक बहुत स्वागत योग्य प्रवृति है।" तदुपरान्त उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा, "आर्थिक रूप से वंचित वर्गों के विद्यार्थियों के प्रति सकारात्मक भेद-भाव की प्रवेश नीति से जे०एन०यू० समाज के उपेक्षित वर्गों के विद्यार्थियों को प्रवेश दिला पाने में सफल रहा है तथा इन विद्यार्थियों द्वारा जे०एन०यू० में अपने कार्य निष्पादन में सुधार दिखाना सामाजिक न्याय की प्राप्ति में एक महत्वपूर्ण कदम है।" अब उस नीति को समाप्त कर दिया गया है, वे अब विशिष्ट वर्गवाद के आधार पर दी जाने वाले शिक्षा को बढ़ावा देने में सहायता कर रहे हैं।

अब मैं उस क्षेत्र का उल्लेख करना चाहता हूं जहाँ केन्द्र सरकार सीधी जवाबदेह है। लोक लेखा समिति ने अपने 179वें प्रतिवेदन (1983-84) में जे०एन०यू०, जो एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय है, के बारे में क्या टिप्पणी की है ? जहाँ कहीं केन्द्र सरकार का हाथ है, वहाँ उनके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां हैं। हम देखते हैं कि वहां कुप्रबन्ध है, भ्रष्टाचार है तथा शिक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं है। जे०एन०यू० में क्या है ? लोक लेखा समिति ने कहा है, "वहां वित्तीय अनुशासन का घोर उल्लघन हुआ है।" वृहत् योजना (मास्टर प्लान) के लिए एक वास्तुकार को ठेका दिया गया और इसके लिए उसे 18.06 लाख रुपए का भुगतान किया गया। अब उन्हें फिर एक और वास्तुकार के पास जाना पड़ेगा। उन्होंने मेसर्ज होम डैकोलाम को 69.57 लाख रुपए का ठेका दिया है। नियमों का उल्लंघन किया गया। इसकी जाँच करने की आवश्यकता है। तदुपरान्त उपकरण खरीदे गए। स्टाक रजिस्टर सही नहीं है। कोई लेखा परीक्षा नहीं करवाई गई है। केन्द्रीय विश्वविद्यालय इस प्रकार कार्य कर रहा है। लोक लेखा समिति ने जे०एन०यू० के बारे में आगे और टिप्पणी की है :

> "सारे मामले की जांच करने के बाद यह समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि विश्वविद्यालय में वित्त-प्रबन्ध संतोषजनक नहीं है। यह बहुत सी बुराइयों का कारण हो सकता है।"

उसी लोक लेखा समिति ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू०जी०सी०), जो केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की विशेष रूप से देख भाल करता है, के बारे में टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है :

> "धन-राशि के विश्वविद्यालय की आवधिक आवश्यकता/खर्च क्षमता के अनुसार बंटन को नियमित करने की बजाए यू०जी०सी० योजना राशि के काफी बड़े भाग को वित्तीय वर्ष के अन्त में बंटन करता रहा है।"

वे यह कैसे कर सकते हैं। अत: वे बहुत सी बातें कह रहे हैं। मैं उन पर बाद में आऊंगा। उन्होने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के काम-काज की समीक्षा करने के लिए एक

समिति का गठन किया है। उन्होंने कुछ शोचनीय बातों का सुझाव दिया है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि उस रिपोर्ट में दिए गए सुझावों को स्वीकार न करे। उन्होंने कहा है कि यह विश्वविद्यालय की प्रत्येक बुराई का मूल कारण है। उन्होंने और भी बहुत सी बातें कही हैं।

अब मैं भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद (आई० सी० एच० आर) की ओर आता हूं। मैं मंत्री महोदय का ध्यान 31-3-1984 के 'स्टेट्समैन' में छपे उस आरोप की ओर आकर्षित करता हूं जिसमें बड़े पैमाने पर धन का दुरुपयोग किया गया बताते हैं। अब इसे नियमों के विरुद्ध सेवा-निवृत व्यक्तियों तथा पेंशन पाने वालों को भुगतान के रूप में दो वर्षों में 19 लाख रुपये का घाटा हुआ है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सेवा-निवृत्त व्यक्ति इतिहास विद्या विशेष के सिवाए किसी अन्य अनुभाग से सम्बन्धित हैं? इसका उत्तर दिया जाना है। इतिहास के 13 विद्वानों ने शिक्षावृत्ति लेने इन्कार कर दिया है। क्या "टूवर्ड्स फ्रीडम (1937-47)" परियोजना के सम्पादक के रूप में श्री आर० एन० चोपड़ा को नियुक्ति सरकार की नियुक्ति सरकार की स्वीकृति के बिना की गई थी? इसका उत्तर सरकार को देना है।

अब, अलोकतन्त्रीय प्रबन्धनों की ओर आते हुए, मैं इस सरकार पर आरोप लगाता हूं कि विभिन्न क्षेत्रों में जहां उनकी सीधी जिम्मेदारी है, यह कार्य अलोकतांत्रिक ढंग से किया जा रहा है। सभी सम्बन्धित परिषदें अलोकतांत्रिक हैं। यू० जी० सी० में प्रतिनिधित्व नहीं है, राज्य सरकारों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, और उनसे लोकतांत्रिक होने की आशा की जाती है। आई० सी० एच० आर० में भारतीय इतिहास कांग्रेस का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। मैं केवल उन स्थानों में भ्रष्टाचार तथा कुप्रबन्ध के आरोपों की बात कर रहा हूं जहां लोकतन्त्रीकरण नहीं है। जे० एन० यू० में कोई भी विद्यार्थी या कर्मचारी न्यायालय या विद्या परिषद का सदस्य नहीं है। ज्यादा करके यह एक नामांकित निकाय है। अधिनियम के एक अनुच्छेद में उन्होंने यह व्यवस्था की है कि "विशिष्ट ज्ञान रखने वाले ऐसे व्यक्ति जो विश्वविद्यालय के कर्मचारी न हों तथा संख्या में 5 से अधिक न हों, परिषद के सदस्य नामांकित किए जाएंगे।" केन्द्रीय विद्यालयों में भी यही स्थिति है। अध्यायक आन्दोलन कर रहे हैं लेकिन उनकी मांगें पूरी नहीं की जा रही हैं। उनकी यूनियन को मान्यता नहीं दी गई है। उन्होंने सामूहिक आकस्मिक अवकाश लिया; उन्होंने अधिकारियों को आवेदन दिए, अधिकारियों ने उन्हें नहीं रोका। लेकिन उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। उनका वेतन रुका हुआ है। मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे इस पर गौर करें।

जहां तक प्रबन्ध में हस्तक्षेप का सम्बन्ध है, मैं दिल्ली का उदाहरण लेता हूं। जिन सरकारी कालेजों का प्रबन्ध दिल्ली प्रशासन के हाथ में है, जैसे राजधानी कालेज, भगत सिंह कालेज, मोती लाल नेहरू कालेज आदि, आप देखेंगे कि वहां कोई लोकतांत्रिक प्रबंध नहीं है। वहां सभी जगह कांग्रेस (इ०) का प्रतिनिधित्व है। तिब्बिया कालेज में क्या हो

रहा है ? आन्दोलन चल रहा है। उनकी मांग क्या है ? उनकी मांग बोर्ड को हटाने की है। मैं चाहता हूं कि इन संस्थाओं का लोकतन्त्रीकरण सुनिश्चित किया जाए।

अब मैं एक और मामला लेता हूं। सरकार शिक्षा के सही विकास में सहायता नहीं दे रही है। दिल्ली तो केन्द्र सरकार की ठीक नाक के नीचे है। वहां क्या हो रहा है। यदि आप पिछले तीन वर्षों के पेपरों को देखें तो पता चलेगा कि बड़े पैमाने पर सामूहिक नकल हो रही है। प्रश्न-पत्र भी लीक हो जाते हैं। परीक्षाओं में दिक्कत है। आपको ये प्रश्न सुलझाने होंगे। बड़े पैमाने पर नकल करना एक आम बात बन गई है। इस सन्दर्भ में हमें यह कहना पड़ेगा कि अध्ययन का दृष्टिकोण बदल गया है। इससे पूर्व हम शिक्षा की प्रतिक्रियावादी विषय वस्तु के बारे में कई शिकायतें कर चुके हैं। शिक्षा विज्ञानोन्मुख नहीं है। इसमें देशभक्ति का कोई दृष्टिकोण नहीं है। हम इसके बारे में बता चुके हैं।

एक अन्य बात यह है कि पाठ्य-पुस्तकों में भी कुछ सोचनीय शरारत है। आठवीं कक्षा की उर्दू की पाठ्य पुस्तक की एक कहानी में उन्होंने क्रांति-पूर्व रूस में किसी सामाजिक बुराई का उल्लेख किया है और यह आभास दिया है सोवियत रूस की वर्तमान प्रणाली बहुत बुरी है। यदि वे यह शिक्षा देना चाहते हैं कि समाजवाद बुरी चीज है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यह कार्य गुप्त रूप से किया जा रहा है। वे बहुत बुरी चीजें सिखा रहे हैं।

अब मैं केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की सामान्य स्थितियों को लेता हूं। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, हैदराबाद, विश्वभारती-किसी भी विश्व-विद्यालय में अखिल-भारतीय स्वरूप को बरकरार नहीं रखा गया। यह बात उनकी समिति के प्रतिवेदन में कही गई है। केवल जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में किसी सीमा तक अखिल भारतीय स्वरूप बनाए रखा गया है। एम०ए०, एम० एस० सी० के स्तर पर जे० एन० यू० में 1980-81 तथा 1982-83 में प्रतिनिधित्व इस प्रकार था : दिल्ली 12.2 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश 15.72 प्रतिशत, बिहार 22.05 प्रतिशत, उड़ीसा 14.37 प्रतिशत, दक्षिण 12 प्रतिशत तथा अन्य 23.52 प्रतिशत। समिति की रिपोर्ट देखनी होगी। आप इसका अध्ययन कर सकते हैं।

अब, विश्वविद्यालयों में प्रबुद्ध वर्ग को लाना होगा। अब तक जो जबर्दस्ती की प्रवेश नीति लागू थी, उसे समाप्त कर दिया गया है। यू० जी० सी० की समिति ने कहा है कि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में निरन्तर गिरावट आती जा रही है। इसके क्या कारण हैं और इस समस्या का उपचार क्या है ? मन्त्री महोदय को इस पर विचार करना होगा।

मैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिवेदन को पढ़ रहा था। उसमें से मैंने यह पता लगाने का प्रयास किया 7 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों ने सामाजिक विज्ञानों, व्यावसायिक विषयों और विज्ञान की प्रमुख अनुसंधान परियोजनाओं के क्षेत्र में कैसा काम किया है।

सामाजिक विज्ञानों में स्वीकृत प्रमुख परियोजनाएं 14 हैं और उनमें से 5 पूरी हुई हैं। व्यवसायिक विषयों में स्वीकृत प्रमुख परियोजनाए 7 हैं और उनमें से एक पूरी हुई है। अब आप 7 राज्य विश्वविद्यालयों को लीजिए ये हैं – बिहार, बंगलौर, केरल, पुणे, पजाब, मद्रास और कलकत्ता। ससाधनों की कमी के कारण वे कई कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। किन्तु फिर भी उनका कार्य साधन सम्पन्न केन्द्रीय विश्वविद्यालयों से अपेक्षाकृत बेहतर रहा है। और केन्द्रीय सरकार कहती है कि वह गति-निधारक है। सामाजिक विज्ञानों में 22 परियाजनाएं स्वीकृत हुई और 7 पूरी हुई व्यावसायिक विषयों में 11 स्वीकृत हुई और 3 पूरी हुई। विज्ञान सहित राज्य वि वविद्यालयों में कुल 332 परियोजनाएं स्वीकृत हुई और 194 पूरी हुई जबकि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की यह सख्या 307 और 180 है।

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कार्यों की पुनरीक्षा करने वाली विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की समिति का प्रतिवेदन इतना शरारतपूर्ण है कि, मैंने जीवन में ऐसा दूसरा नहीं देखा। अपनी सिफारिश में इसने शिक्षा में निरंकुशता की प्रणाली की वकालत की है। इसमें लिखा है कोई विद्यार्थी सघ नहीं होगा। चुनावों द्वारा विभिन्न निकायों में विद्यार्थियों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होगा। विश्वविद्यालयों के उच्चतम निकायों में कोई गैर-शिक्षक प्रतिनिधि नहीं होगा। लोकतन्त्र इस प्रकार कार्य कर रहा है। मैं माननीय शिक्षा मन्त्री और माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हू कि वह इस प्रातवेदन का सावधानी से अध्ययन करे। उन्होंने यह तक लिखने की धृष्टता की है कि अनुशासन हीनता और अशान्ति का तीसरा स्रोत अध्यापक हैं। इस अनावश्यक मूखतापूर्ण वाक्य को लिखना अत्यन्त खेदजनक है। इसका विरोध अध्यापक वर्ग का काम है। इस प्रकार की प्रवृत्ति से यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नहीं बल्कि विश्वविद्यालय कब्र आयोग है। उन्होंने आगे यह भी सिफारिश की है कि परिसरों में आप केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जैसे सुरक्षा बल को स्थापना कीजिए। मैं इस प्रतिवेदन को पढ़कर बिल्कुल हैरान रह गया। वे टैगोर की बात करते हैं। टैगोर ने एक बार विद्यार्थी अनुशासनहीनता के बारे में कहा था, "उन व्यक्तियों को, जिन्हें पुलिस अधिकारी अथवा ड्रिल सार्जेंट अथवा ओझा होना चाहिए था, बच्चों को शिक्षा देने का काम नही करना चाहिए। विरोधी यह पूछ सकते हैं कि विद्यार्थी जो कुछ करते हैं क्या हमें वह सब माफ कर देना चाहिए। इस सम्बन्ध में मेरा उत्तर यह है कि यदि विद्यार्थियों के साथ ठीक व्यवहार किया जाए तो वे कभी गलत व्यवहार नहीं करेंगे।"

यदि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कम्प्यूटर की खरीद में कोई बेईमानी नहीं की जाती है तो विद्यार्थी कोई शोर नहीं मचाएंगे। यदि लोकतन्त्र नहीं है तो शैक्षिक जीवन में शान्ति नहीं हो सकती। मुझे कलकत्ता विश्वविद्यालय का अनुभव है। 1972-77 में बहुत बड़े स्तर पर नकल की गई, कोई अधिकार नहीं, कोई शिक्षा नहीं, अध्यापकों को पीटा गया और मारा गया और शैक्षिक स्तर बिल्कुल निम्नस्तर पर पहुच गया। परन्तु जब वहां लोकतन्त्र बहाल कर दिया गया तो सब कुछ ठीक हो गया। जब लोकतन्त्र बहाल हो गया तब विद्यार्थियों, अध्यापको और कर्मचारियों ने नकल करने वाले विद्यार्थियों के

खिलाफ मोर्चा लिया। परन्तु उनको यह बताना होगा कि विश्वविद्यालय आपका है, विश्वविद्यालय को पुलिस प्रवृत्ति से नहीं चलाया जा सकता।

अब विश्वभारती भी एक गम्भीर मामला है। यह सरकार टैगोर की बात करती है। प्रधान मन्त्री जो कहती हैं वह टैगोर की शिष्या थीं। मैं नहीं जानता वह कब टैगोर की शिष्या रही हैं, ? परन्तु हो क्या रहा है ? एक विधेयक आया है जिसमें यह कहा गया है कि किसी भी निकाय का कोई चुनाव नहीं होगा। टैगोर ने इन बातों की कभी कल्पना नहीं की थी। विश्व भारती के अपने कुछ आदर्श थे, शिक्षा की स्वतन्त्रता, आजादी और इस विधेयक के द्वारा, जो राज्य सभा द्वारा पारित कर दिया गया है, इन सभी आदर्शों को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे टैगोर जीवित हैं और वह इस विधेयक के विरोध में शहीद मीनार पर एक भाषण देने जा रहे हैं। टैगोर जो इस किस्म के व्यक्ति थे और अब वे टैगोर के सभी आदर्शों को किस प्रकार नष्ट कर रहे हैं। मुद्दा लोकतन्त्र के प्रसार का है। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। कलकत्ता विश्वविद्यालय में भी सिनेट में पाँच में से चार सदस्य पदेन अथवा नामित होते थे परन्तु अब चार का चुनाव होता है। गैर-अध्यापन कर्मचारियों और विद्यार्थियों को प्रतिनिधित्व देकर हम यह सुनिश्चित कर सके हैं कि वे विश्वविद्यालय और इसके शैक्षिक वातावरण को सुरक्षित रखने के लिए इकट्ठे रहें और वे अब पुलिस की बजाए अनियमितताओं को दूर करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अतः इस पुलिस प्रवृत्ति को समाप्त करना होगा। और मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिवेदन तथा अन्य ऐसी बातों पर जोर न दे।

पुलिस आयुक्त के प्रतिवेदन में भी ऐसी ही सिफारिशें की गई हैं। उन्होंने भी ये सभी कार्य करने का सुझाव दिया है। ये अत्यन्त ही भय प्रद बातें हैं। इस संदर्भ में मैं स्पष्ट रूप से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस नए उपाय को अपनाने जा रही है ? मैंने जो कुछ कहा है उसकी पृष्ठभूमि में मैं मांग करता हूं कि : (1) शिक्षा अलोकतान्त्रिक केन्द्रवाद के चगुल से स्वतन्त्र होनी चाहिए। इसका विकेन्द्रीकरण किया जाना चाहिए और इसे राज्य सूची में रखा जाना चाहिए और केन्द्र को समन्वय करना चाहिए। मैं अन्य बातों जैसाकि मातृभाषा सूत्र आदि की नहीं ले रहा हूं। (2) संविधान शिक्षा एक मूलभूत अधिकार होना चाहिए। मैं मन्त्री महोदय को यह सुझाव देना चाहता हूं कि संविधान में अनुच्छेद 45 में जहां इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी यह लिखा है कि संविधान के प्रारम्भ होने के 10 वर्षों के बाद वे सभी को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेंगे, संशोधन किया जाए। मैं अनुरोध करता हूं कि "दस वर्षों के भीतर" शब्दों का लोप करने के लिए संविधान में संशोधन किया जाए। यह हमारे लिए शर्म की बात भी है। (3) मैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय और भारतीय ऐतिहासिक अनुसधान परिषद के क्रिया-कलापों की पूरी जाँच किए जाने की मांग करता हूं। (4) मैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के सबन्ध में दिए गए

प्रतिवेदन को रद्द करने की मांग करता हूं (5) विश्व भारती विधेयक को लोक सभा में प्रस्तुत न किया जाए। (6) अध्यापकों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों के लोकतान्त्रिक अधिकार बहाल किए जाएं। (7) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पूर्व प्रचलित प्रवेश नीति को पुनः लागू किया जाए और शिक्षा की सुविधाएं अनसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों को भी दी जाएं।

इन्हीं शब्दों के साथ, मुझे समय देने के लिए, आपका धन्यवाद करता हूं और भाषण समाप्त करता हूं।

श्री ए० के० राय (धनबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि को कम करके 1 रुपया किया जाये।

(पब्लिक स्कूलों को भंग करने तथा देश में एक तरह की शिक्षा पद्धति अपनाने में सफलता।) (30)

कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि को कम करके 1 रुपया किया जाये।

(सभी राज्यों में मातृ भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने में असफलता।) (31)

कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि को कम करके 1 रुपया किया जाए।

(देश के लिए स्पष्ट शिक्षा नीति की घोषणा करने में असफलता।) (32)

कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि को कम करके 1 रुपया किया जाये।

(मौलिक वैज्ञानिक एवं तकनीकी पुस्तकों का भारतीय भाषाओं में अनुवाद करने में असफलता।) (33)

कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत माँग की राशि को कम करके 1 रुपया किया जाए।

(जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने के मामले में पिछड़े क्षेत्रों के छात्रों के लिए सुविधाओं में कमी किए जाने को रोकने में असफलता।) (34)

कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत माँग की राशि को कम करके 1 रुपया किया जाए।

(बाल्यावस्था से ही श्रम के महत्व की भावना लाने हेतु शारीरिक श्रम के कार्य को शिक्षा के अंश के रूप में शामिल करने में असफलता।) (35)

कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि को कम करके 1 रुपया किया जाये।

(सभी प्रमुख भारतीय लेखकों की पुस्तकों का विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनुवाद न करना ।) (36)

कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि को कम करके 1 रुपया किया जाये ।

(देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय बनाने के लिए पाठ्यक्रमों में संशोधन करने में असफलता ।) (37)

श्री टी० आर० शमन्ना (बंगलौर दक्षिण) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किए जायें ।

(शिक्षा को अधिक उद्देश्यपूर्ण बनाने की आवश्यकता ।) (50)

कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशियों में से 100 रुपये कम किए जायें ।

(शिक्षा के विस्तार के साथ-साथ उसकी किस्म पर भी ध्यान देने की आवश्यकता ।) (51)

कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशियों में से 100 रुपये कम किए जायें ।

(शिक्षा संस्थाओं के कार्यनिष्पादन के आधार पर अनुदान देने की आवश्यकता ।) (52)

कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशियों में से 100 रुपये कम किए जायें ।

(सभी राज्यों में त्रिभाषा फार्मूला लागू करने की आवश्यकता ।) (53)

कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशियों में से 100 रुपए कम किए जायें ।

(गैर-सरकारी इन्जीनियरी एवं चिकित्सा कालेजों द्वारा वसूल किए जा रहे प्रावशिक शुल्क को शीघ्र समाप्त करने की आवश्यकता ।) (54)

कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशियों में से 100 रुपये कम किए जायें ।

(गैर-हिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी सीखने के महत्व का प्रभावी ढंग से प्रचार करने की आवश्यकता ।) (55)

कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशियों में से 100 रुपए कम किए जायें ।

(उच्चतर अध्ययन के लिए विदेशों में जाने वाले छात्रों को रोकने की आवश्यकता ।) (56)

कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत माँग की राशियों में से 100 रुपए कम किए जायें ।

(प्रतिभाशाली छात्रों को विदेशों से वापस आने तथा भारत में कार्य करने के लिए वातावरण पैदा करने की आवश्यकता ।) (57)

कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत माँग की राशियों में से 100 रुपए कम किए जायें ।

(अधिक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं खोलने की आवश्यकता ।) (58)

कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत माँग की राशियों में से 100 रुपये कम किए जायें ।

(केन्द्रीय स्कूलों के शिक्षकों के सम्वर्ग तथा वेतनमान अन्य शिक्षा संस्थाओं के समान लाने की आवश्यकता ।) (59)

कि संस्कृति विभाग शीर्षक के अन्तर्गत माँग की राशि में से 100 रुपए कम किए जायें ।

(विभाग में पूरी तरह से सुधार की आवश्यकता जिस से यह भारतीय संस्कृतिक का बेहतर प्रसार कर सके ।) (60)

श्री सुधीर गिरि (कन्टई) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किए जायें ।

(राष्ट्रीय ऋण-वृत्तियों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता ।) (61)

कि शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत माँग की राशि में से 100 रुपये कम किए जायें ।

(कलकत्ता विश्वविद्यालय की सहायता राशि में वृद्धि करने की आवश्यकता ।) (62)

कि शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत माँग की राशि में से 100 रुपये कम किए जायें ।

(सभी विश्वविद्यालयों की वित्तीय सहायता में वृद्धि करने की आवश्यकता ।) (63)

कि संस्कृति विभाग के अन्तर्गत माँग की राशि में से 100 रुपए कम किए जायें ।

(पाण्डुलिपि परिरक्षण कार्य के लिए धन में वृद्धि करने की आवश्यकता ।) (64)

कि संस्कृति विभाग के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किए जायें ।

(ऐतिहासिक भौतिकवाद के आधार पर भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने की आवश्यकता ।) (65)

कि संस्कृति विभाग के अन्तर्गत माँग की राशि में से 100 रुपये कम किए जायें ।

(राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में अन्तर्राज्यीय सांस्कृतिक प्रदर्शनों की संख्या में वृद्धि करने की आवश्यकता ।) (66)

कि संस्कृति विभाग के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किए जायें।

(सांस्कृतिक मेलों, जैसा कि ब्रिटेन में हुआ था, पर होने वाली फिजूलखर्ची को रोकने की आवश्यकता।) (67)

कि संस्कृति विभाग के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए कम किए जायें।

(अन्तर्राज्यीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों में छात्रों और युवकों की भागीदारी में वृद्धि को सुनिश्चित करने की आवश्यकता।) (68)

कि संस्कृति विभाग के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किए जायें।

(आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों की संस्कृति के विकास के लिए उनकी वित्तीय सहायता में वृद्धि करने की आवश्यकता।) (69)

कि पुरातत्व शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए कम किए जायें।

(पश्चिम बंगाल के मुर्शीदाबाद जिले में ऐतिहासिक स्मारकों के परिरक्षण की आवश्यकता।) (70)

कि पुरातत्व शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 कम किए जायें।

(तामलूक, पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक अवशेषों के परिरक्षण की आवश्यकता।) (71)

कि शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि को कम करके 1 रुपया किया जायें।

(वर्तमान शिक्षा में मूल्यों के ह्रास को रोकने में असफलता।) (72)

कि शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि को कम करके 1 रुपया किया जाये।

(उच्च शिक्षा के लिए भर्ती होने वाले छात्रों की संख्या बढ़ाने में असफलता।) (73)

कि शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि को कम करके 1 रुपया किया जाये।

(देश में सभी वयस्कों को शिक्षा देने में असफलता।) (74)

कि शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि को कम करके 1 रुपया किया जाये।

(शैक्षिक तौर से पिछड़े समुदायों से सम्बन्धित छात्रों के लिए छात्रवृत्तियों की संख्या बढ़ाने में असफलता।) (75)

कि शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि को कम करके 1 रुपया किया जाये।

(शिक्षा को राज्य विषय बनाने में असफलता।) (76)

कि शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि को कम करके 1 रुपया किया जाये।

(13 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को शिक्षा देने में असफलता।) (77)

कि शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि को कम करके 1 रुपया किया जाये।

(डोगरी, नेपाली सन्थाली, भोजपुरी तथा मैथली भाषाओं सहित सभी प्रादेशिक भाषाओं को बढ़ावा देने में असफलता।) (78)

कि शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत मांग को राशि को कम करके । रुपया किया जाये ।

(अंग्रेजी तथा विश्व की अन्य भाषाओं में वैज्ञानिक, तकनीकी, चिकित्सा सम्बन्धी तथा कानूनी पुस्तकों का उच्च शिक्षा के उद्देश्य के लिए प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद करने में असफलता ।) (79)

कि शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत मांग को राशि को कम करके 1 रुपया किया जाये ।

(शिक्षा की औपनिवेशिक पद्धति को समाप्त करने तथा मानव मूल्यों पर आधारित पद्धति लागू करने में असफलता ।) (80)

कि शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत मांग को राशि को कम करके 1 रुपया किया जायें ।

(उच्च शिक्षा के लिए द्विभाषा फार्मूला लागू करने में असफलता ।) (81)

कि शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत मांग को राशि में से 100 रुपये कम किए जायें ।

(जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए कमजोर वर्गों के छात्रों को वरीयता देने की आवश्यकता ।) (82)

कि शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत मांग को राशि में से 100 रुपए कम किए जायें ।

(कालेजों तथा विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के वेतनमानों का संशोधन करने की आवश्यकता ।) (83)

कि शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत मांग को राशि में से 100 रुपए कम किए जायें ।

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यकरण में कार्यकुशलता लाने की आवश्यकता ।) (84)

कि शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत मांग को राशि में से 100 रुपए कम किए जायें ।

(अनौपचारिक शिक्षा के लिए अधिक धनराशि का नियतन करने की आवश्यकता ।) (85)

कि शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत मांग को राशि में से 100 रुपये कम किए जायें ।

(ग्रामीण क्षेत्रों से प्रतिभावान छात्रों के लिए माध्यमिक स्तर पर पर्याप्त संख्या में छात्रवृत्तियों की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।) (86)

श्री निर्मल सिन्हा (मथुरापुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत मांग को राशि को कम करके 1 रुपया किया जाए ।

(प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में स्वैच्छिक संगठनों को पर्याप्त सहायता देने में असफलता ।) (99)

कि शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत मांग को राशि को कम करके 1 रुपया किया जाए ।

(जिस प्रकार हिन्दी के प्रसार के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है वैसे ही वित्तीय सहायता अन्य सभी भाषाओं के प्रसार के लिए देने में असफलता ।) (100)

कि शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत मांग को राशि को कम करके 1 रुपया किया जाए ।

(कार्यसाधक साक्षरता की परियोजनायें चलाने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को दिए गए धन के कदाचार और दुर्विनियोग को रोकने में असफलता ।) (101)

कि शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत मांग को राशि को कम करके 1 रुपया किया जाए ।

(प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकारों और स्थानीय संगठनों की सहायता प्राप्त करने में असफलता ।) ('02)

कि शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत माँग को राशि को कम करके 1 रुपया किया जाए ।

(कार्यसाधक साक्षरता की परियोजनायें चलाने के लिए न कि स्वैच्छिक संगठनों के लिए, राज्यों के स्वायत्तशासी निकायों अथवा राज्यों को केन्द्रीय सहायता देने में असफलता ।) (103)

कि शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत माँग को राशि को कम करके 1 रुपया किया जाए ।

(हिन्दी से भिन्न अन्य प्रमुख भारतीय भाषाओं की उन्नति के लिए धनराशि देने में असफलता ।) (104)

कि शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत मांग को राशि को कम करके 1 रुपया किया जाए ।

(अनपढ़ प्रौढ़ व्यक्तियों की बढ़ती हुई संख्या को कम करने के लिए कार्यसाधक शिक्षा केन्द्र स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों को सहायता देने में असफलता ।) (105)

कि शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत मांग को राशि को कम करके 1 रुपया किया जाए ।

(6 से 11 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए प्राथमिक स्कूल खोलने के लिए धनराशि आवंटित करते तथा राज्य सरकारों को सहायता देने में असफलता ।) (106)

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्ग मांग की राशि में से 100 रुपये कम किए जायें ।

(इन्डियन स्कूल आफ माइन्स धनबाद को विश्वविद्यालय का दर्जा देने की आवश्यकता ।) (140)

कि संस्कृति विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 कम किए जायें ।

(समाजवादी देशों के साथ सांस्कृतिक सम्बन्धों एवं आदान-प्रदान को और ठोस बनाने की आवश्यकता ।) (141)

कि संस्कृति विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किए जायें ।

(इन्डियन पीपल्स थियेटर एसोसिएशन की विभिन्न शाखाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने की आवश्यकता ।) (142)

कि संस्कृति विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए कम किए जायें ।

(सांस्कृतिक उत्थान के कार्यों में लगी संस्थाओं को आर्थिक मदद करने की आवश्यकता । (143)

कि संस्कृति विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किए जायें ।

(ललित कला के विकास पर पर्याप्त धन व्यय करने की आवश्यकता ।) (144)

कि संस्कृति विभाग शीर्षक के अन्मर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किए जायें ।

(छोटे कला शिल्पियों को विशेष रूप से मदद करने की आवश्यकता ।) (145)

कि संस्कृति विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किए जायें ।

(पुरानी महत्वपूर्ण पाण्डुलिपियों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता ।) (146)

कि पुरातत्व शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किये जायें ।

(म्यूजियमों से होने वाली मूर्तियों एव अन्यों की चोरी को रोकने में पुरातत्व विभाग में असफलता ।) (147)

कि पुरातत्व शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किए जायें ।

(मूर्तियों के चोरों और विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों की मिलीभगत को रोकने की आवश्यकता ।) (148)

कि पुरातत्व शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किए जायें ।

(पुराने ऐतिहासिक किलों की रक्षा करने में असफलता ।) (149)

कि पुरातत्व शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किए जायें ।

(पुराने पुरातत्व के महत्व के स्थलों को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की आवश्यकता।) (150)

कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किए जाए।

(साम्प्रदायिक नजरियों से लिखी गई पुस्तकों को पाठयक्रमों से हटाने की आवश्यकता।) (168)

कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रु० कम किए जायें।

(पाठ्य-पुस्तकों में देश की एकता, धर्म-निरपेक्षता, जनतन्त्र एवं समाजवादी की भावना करने की आवश्यकता।) (169)

कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रु० कम किए जायें।

(विश्वविद्यालयों एवं विद्यालयों से साम्प्रदायिक भावनाओं को निर्मूल करने की आवश्यकता।) (170)

कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग की रशि में से 100 रु० कम किए जायें।

(तकनीकी शिक्षा का विस्तार करने की आवश्यकता।) (171)

कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किए जाएं।

(संस्कृत भाषा को अनुसंधान की भाषा के रूप में विकसित करने की आवश्यकता।) (172)

कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए कम किए जाएं।

(विश्वविद्यालयों एवं विद्यालयों में विशेषकर बिहार में परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर होने वाली चोरियों को रोकने में असफलता।) (173)

कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए कम किए जाएं।

(हिन्दी में पाठ्य-पुस्तकें तैयार करने पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता।) (174)

कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशियों में से 100 रुपये कम किए जायें।

(हिन्दी भाषी राज्यों के विश्वविद्यालयों में हिन्दी के माध्यम से उच्चतर शिक्षा देने की आवश्यकता ।) (175)

कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशियों में से 100 रुपए कम किए जायें ।

(विश्वविद्यालयों एवं विद्यालयों में छात्रों एवं अध्यापकों में अनुशासनहीनता को रोकने की आवश्यकता ।) (176)

कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशियों में से 100 रुपए कम किए जायें ।

(निजी कालेजों में योग्य शिक्षकों की बहाली नहीं कर पैरवी के बल पर बहाली करने को बन्द करने की आवश्यकता ।) (177)

कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशियों में से 100 रुपए कम किए जायें ।

(विश्वविद्यालय एवं विद्यालयों में योग्य एवं चरित्रवान शिक्षकों की नियुक्ति करने की आवश्यकता ।) (178)

कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशियों में से 100 रुपये कम किए जायें ।

(महिला शिक्षा के विकास पर और अधिक जोर देने की आवस्यकता ।) (179)

कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशियों में से 100 रुपए कम किए जायें ।

(छात्राओं को तंग करने वाले छात्रों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने की आवश्यकता ।) (180)

कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशियों में से 100 रुपये कम किए जायें ।

(दक्षिण भारत में हिन्दी के प्रचार कार्य में संलग्न सभा संस्थाओं को वित्तीय सहायता देने में आवश्यकता, विशेषकर दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास को ।) (181)

कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशियों में से 100 रुपये कम किए जायें ।

(देश की तमाम भाषाओं को बराबर का दर्जा देते हुए राष्ट्र भाषाएं घोषित करने की आवश्यकता ।) (182)

कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशियों में से 100 रुपये कम किए जायें ।

(काशी विद्यापीठ, वाराणसी को पूर्ण विश्वविद्यालय का दर्जा देने की आवश्यकता।)

(83)

कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि को कम करके 1 रुपया किया जायें।

(रोजगार उन्मुख शिक्षा की व्यवस्था करने में असफलता।) (184)

कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि को कम करके 1 रुपया किया जायें।

(ग्रामीण जनता के लिए शिक्षा की पर्याप्त व्यवस्था करने में असफलता।)

(185)

कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि को कम करके 1 रुपया किया जाए।

(नागरिकों के लिए सस्ती शिक्षा की व्यवस्था लागू करने में असफलता।)

(186)

कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि को कम करके 1 रुपया किया जाए।

(देश के प्रत्येक ग्राम में प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना करने में असफलता।)

(187)

कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि को कम करके 1 रुपया किया जाए।

(विद्यालय-भवनों की दयनीय स्थिति को सुधारने के लिए धन देने में असफलता।)

(188)

कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि को कम करके 1 रुपया किया जाए।

(बिहार में प्राथमिक विद्यालयों के निर्माण एवं मरम्मत के लिए विशेष अनुदान देने में असफलता।) (189)

कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि को कम करके 1 रुपया किया जाए।

(बिहार समेत अन्य जिन राज्यों में केन्द्रीय विश्वविद्यालय नहीं हैं वहां इस प्रकार के कम-से-कम एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने में असफलता।) (190)

कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि को कम करके 1 रुपया किया जाए।

(विश्वविद्यालयों में अनुशासन बनाए रखने में असफलता।) (191)

कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि को कम करके 1 रुपया किया जाए।

(विश्वविद्यालयों एवं कालेजों में व्याप्त असंतोष के कारणों का निदान निकालने में असफलता।) (192)

कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि को कम करके 1 रुपया किया जाए।

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सभी विश्वविद्यालयों को समान रूप से मदद देने में असफलता।) (193)

कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्ग मांग की राशि को कम करके 1 रुपया किया जाए।

(पटना विश्वविद्यालय को विशेष सहायता प्रदान करने में असफलता।) (194)

कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि को कम करके 1 रुपया किया जाए।

(पब्लिक स्कूलों को बन्द करने में असफलता।) (195)

कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि को कम करके 1 रुपया किया जाए।

(विश्वविद्यालयों एवं विद्यालयों के अध्यापकों की मांगों को स्वीकार करने में असफलता। (196)

कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि को कम करके 1 रुपया किया जाए।

(सभी विश्वविद्यालयों एवं विद्यालयों में समान पाठ्यक्रम चालू करने में असफलता।) (197)

कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि को कम करके 1 रुपया किया जाए।

(माध्यमिक शिक्षकों की मांगों को स्वीकार करने में असफलता।) (198)

कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि को कम करके 1 रुपया किया जाए।

(प्रौढ़ शिक्षा नीति को सफलता के साथ लागू करने में असफलता।) (19?)

कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि को कम करके 1 रुपया किया जाए।

(स्कूलों, विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में साम्प्रदायिकतावादी, पृथकतावादी,

जातिवादी और देश की एकता को छिन्न-भिन्न करने वाले प्रचारों को रोकने और उनका काट करने में असफलता ।) (200)

कि शिक्षा विभाग के अन्तर्गत मांग को राशि को कम करके 1 रुपया किया जाए ।

(प्राथमिक विद्यालयों से ही स्वतन्त्रता संग्राम के इतिहास को शिक्षा देने की व्यवस्था करने में असफलता ।) (201)

कि शिक्षा विभाग के अन्तर्गत मांग की राशि को कम करके 1 रुपया किया जाए ।

(स्वतन्त्रता संग्राम की प्रमाणिक पुस्तकें प्रकाशित करने की आवश्यकता ।) (202)

कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किये जायें ।

(शिक्षा मंत्रालय में राजभाषा अधिनियम, 1963 क्रियान्वित करने की आवश्यकता ।) (203)

कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किए जाएं ।

(छात्रों को दी जाने वाली राशि में वृद्धि करने की आवश्यकता ।) (204)

कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रु० कम किए जायें ।

(सभी विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा की उचित व्यवस्था करने की आवश्यकता ।) (205)

कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रु० कम किए जायें ।

(स्कूलों, कालेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकेतर कर्मचारियों की मांगों को स्वीकार करने की आवश्यकता ।) (206)

कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग की रशि में से 100 रु० कम किए जायें ।

(विद्यालय अनुदान आयोग में बरती जाने वाली अनियमितता को रोकने की आवश्यकता ।) (207)

कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किए जाएं ।

(अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़ी जाति के छात्रों को दी

जाने वाली छात्रवृत्तियों की राशि में वृद्धि करने की आवश्यकता ।) (208)

कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए कम किए जाएं ।

(इण्डियन स्कूल आफ माइन्स, धनबाद में व्याप्त कदाचार एवं भ्रष्टाचार को रोकने की आवश्यकता ।) (209)

कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए कम किए जाएं ।

(इण्डियन स्कूल आफ माइन्स, धनबाद के अध्यापकों एवं कर्मचारियों में व्याप्त असन्तोष को दूर करने की आवश्यकता ।) (210)

कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किए जायें ।

(बिड़ला इंस्टीटयूट आफ टेकनोलोजी, मेसरा, रांची में व्याप्त घोटाले को समाप्त करने की आवश्यकता ।) (211)

कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए कम किए जाएं ।

(बी० आई० टी० मेसरा-रांची को रांची विश्वविद्यालय से सम्बन्धित कराने की आवश्यकता ।) (212)

कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए कम किए जाएं ।

(बी० आई० टी० मेसरा, रांची के अध्यापकों की एवं कर्मचारियों में असंतोष को दूर करने की आवश्यकता ।) (213)

श्री चतुर्भुज (झालावाड़) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशियों में से 100 रुपये कम किए जायें ।

(हिन्दी को राष्ट्र भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता ।) (151)

कि शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशियों में से 100 रुपये कम किए जायें ।

(शिक्षा प्रणाली का भारतीयकरण करने की आवश्यकता ।) (152)

कि शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशियों में से 100 रुपये कम किए जायें ।

(नैतिक तथा चरित्र निर्माण करने वाली शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता ।) (153)

कि शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशियों में से 100 रुपये कम किए जायें ।

(विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी सम्बन्धी पुस्तकों का हिन्दी में अनुवाद करने की आवश्यकता ।) (154)

कि शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशियों में से 100 रुपए कम किए जायें ।

(सभी के लिए शिक्षा अनिवार्य करने की आवश्यकता ।) (155)

कि शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशियों में से 100 रुपए कम किए जायें ।

(देश भर में 10वीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता ।) (156)

कि संस्कृति विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किए जायें ।

(राष्ट्रीय ललित कला परिषद् और पुरातत्वीय तथा मानव विज्ञान संग्रहालयों के लिए सुरक्षा की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।) (157)

कि संस्कृति विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए कम किए जायें ।

(देश की सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा तथा परिरक्षण के लिए संस्थाएं स्थापित करने की आवश्यकता ।) (158)

कि संस्कृति विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए कम किए जायें ।

(नृत्य तथा नाटक मंडलियों को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता ।) (159)

कि संस्कृति विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किए जायें ।

(विदेशों में भारतीय संस्कृति को लोकप्रिय बनाने की आवश्यकता ।) (160)

कि संस्कृति विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किए जायें ।

(देश भर में भारतीय संस्कृति को एक रूप देने की आवश्यकता ।) (161)

कि संस्कृति विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किए जायें ।

(देश के सभी राज्यों की विभिन्न संस्कृतियों को अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान करने की आवश्यकता ।) (162)

कि पुरातत्व शीर्षक के अन्तर्गत माँग की राशि में से 100 रुपये कम किए जायें ।

(भारत की सभी प्राचीन ऐतिहासिक इमारतों का परिरक्षण करने की आवश्यकता ।) (163)

कि पुरातत्व शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किए जायें ।

(भारत के चार ऐतिहासिक धामों यथा बदरीनाथ, रामेश्वरम, द्वारिका और जगन्नाथ पुरी के कलात्मक, सांस्कृतिक तथा भावात्मक महत्व को शिक्षा में शामिल करने की आवश्यकता ।) (164)

कि पुरातत्व शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशियों में से 100 रुपये कम किए जायें ।

(भारत के प्राचीन गुफाओं की कला शैली भावना को मूर्त रूप देने की आवश्यकता ।) (195)

कि पुरातत्व शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए कम किए जाएं ।

(ऐतिहासिक इमारतों और संग्रहालयों की उचित रूप से रख-रखाव करने की आवश्यकता ।) (166)

कि पुरातत्व शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए कम किए जाएं ।

(पुरातत्व विभाग द्वारा एतिहासिक खंडहर इमारतों, भवनों, मंदिरों और गुफाओं का पुन: जीर्णोद्धार करने की आवश्यकता ।) (167)

कि शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत माँग की राशि में से 100 रुपये कम किए जायें ।

(बजट का 10 प्रतिशत भाग शिक्षा और संस्कृति पर खर्च करने की आवश्यकता ।) (214)

कि शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए कम किए जाएं ।

(शिक्षा के सभी स्तरों पर हिन्दी आवश्यक रूप से पढ़ाने की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।) (215)

कि शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत माँग की राशि में से 100 रुपए कम किए जाएं ।

(शिक्षा नीति में तत्काल आमूल मौलिक परिवर्तन करने की आवश्यकता।)

(216)

कि शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किए जाएं।

(देश के सम्पूर्ण राज्यों में समान शिक्षा नीति घोषित करने की आवश्यकता।)

(217)

कि शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रु० कम किए जायें।

(देश की सम्पूर्ण शिक्षा संस्थाओं में एक प्रकार का पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने की आवश्यकता।) (218)

कि शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रु० कम किए जायें।

(देहाती क्षेत्रों के माध्यमिक स्कूलों में कृषि को विषय के रूप में शामिल करने की आवश्यकता।) (219)

कि शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किए जाएं।

(देश के महान पुरुषों के जीवन को पाठ्यक्रम का विषय बनाने की आवश्यकता।)

(220)

कि शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए कम किए जाएं।

(समय-समय पर देश पर आक्रमण करने वालों को पाठ्य-पुस्तकों में भारत पर आक्रमणकारी के रूप में दिखाने की आवश्यकता।) (221)

कि शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए कम किए जाएं।

(भारतीय जीवन के चारों वर्ण आश्रमों को पाठ्य पुस्तकों में शामिल करने की आवश्यकता।) (222)

कि शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किए जाएं।

(शिक्षा को राजनीति से दूर रखने की आवश्यकता।) (223)

कि शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किए जाएं।

(मिशनरी स्कूलों को समाप्त करने की आवश्यकता।) (224)

'कि शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत माँग की राशि में से 100 रुपए कम किए जाएं।"

(अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने वाली संस्थाओं को समाप्त करने की आवश्यकता।)

(225)

"कि शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किए जाएं।"

(ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का 80 प्रतिशत बजट खर्च करने, ग्रामीण छात्रों को छात्रवृत्ति देने की ग्रामीण छात्रों के लिए ग्रामीण छात्रावास खोलने की आवश्यकता।)

(226)

"कि शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत माँग की राशि में से 100 रुपए कम किए जाएं।"

(शिक्षा को रोजगारोन्मुख बनाने की आवश्यकता।) (227)

"कि शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किए जाएं।"

(स्कूल अध्यापकों के वेतन को कम से कम 2000/—महावार निर्धारित करने का आवश्यकता।) (228)

"कि शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत माँग की राशि में से 100 रुपए कम किए जाएं।"

(कालेज तथा विश्वविद्यालय के अध्यापकों के वेतन को प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के बराबर करने की आवश्यकता।) (229)

"कि शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए कम किए जाएं।"

(ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल भवनों की स्थिति में सुधार करने की आवश्यकता।)

(230)

'कि शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किए जाएं।"

(स्कूलों में खेल कूद; सैनिक प्रशिक्षण को अनिवार्य बनाने की आवश्यकता।)

(231)

"कि शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए कम किए जाएं।"

(शिक्षा और अनुसंधान को सुधारने तथा उच्च शिक्षा के स्तर को बनाए रखने की आवश्यकता।) (232)

"कि शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत माँग की राशि में से 100 रुपये कम किए जाएं ।"

(शारीरिक शिक्षा, योग शिक्षा को सभी शिक्षा संस्थान में आवश्यक करने की आवश्यकता ।) (233)

"कि शिक्षा शीर्षक के अन्तगत माँग की राशि में से 100 रुपये कम किए जायें ।"

(अपने मौलिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की असफलता ।) (234)

"कि शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए कम किए जायें ।"

(विश्वविद्यालय, कालेज, माध्यमिक तथा प्राइमरी स्कूल और अन्य शिक्षण संस्थाएं भारतीय मौलिक सिद्धान्तों के ज्ञान को देने में असफलता ।) (235)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि को कम करके 1 रुपया किया जाये ।"

(गैर-हिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी सीखने के महत्व का प्रभावी ढंग से प्रचार करने में असफलता ।) (236)

"कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि को कम करके 1 रुपया किया जाए ।"

(अधिक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं खोलने में असफलता ।) (237)

"कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि को कम करके 1 रुपया किया जाए ।"

(केन्द्रीय विद्यालय संगठन के स्कूलों में व्याप्त गुटबाजी, कदाचार, कामचोरी, अफसरशाही रोकने में असफलता ।) (238)

"कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तगत मांग की राशि को कम करके 1 रुपया किया जाए ।"

(केन्द्रीय विद्यालयों के शिक्षकों एव विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के वेतनमानों में सुधार करने में असफलता ।) (239)

"कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत माँग की राशि को कम करके 1 रुपया किया जाए ।"

(आधुनिक भारतीय भाषाओं का विस्तार करने में असफलता ।) (240)

"कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि को कम करके 1 रुपया किया जाये ।"

(विदेशों में हिन्दी का प्रचार-प्रसार करने में असफलता।) (241)

"कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग को राशि को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

(हिन्दी के क्षेत्र में काम करने वाले स्वयं सेवी संगठनों द्वारा प्रभावी काम लेने में असफलता।) (242)

"कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

(महिलाओं एव बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा देने में असफलता।) (243)

"कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

(प्रौढ़ शिक्षा का प्रभावी विस्तार करने में असफलता)। (244)

"कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

(तकनीकी शिक्षा और गैर-तकनीकी शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों को छात्र-वृत्तियां देने की असफलता।) (245)

"कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि को कम करके1 रुपया किया जाए।"

(पाठ्य पुस्तकों का सुधार कर उन्हें अपने देश के वातावरण के अनुरूप बनाने में असफलता।) (246)

"कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

(राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने में असफलता।) (247)

"कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

(राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद् में प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति के अन्तर्गत योग्य छात्रों को चुनने में असफलता।) (248)

"कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

(राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद के द्वारा पाठ्य पुस्तकें तैयार करने, छात्रवृत्ति योजना विस्तार करने तथा विभागीय फिल्मों के निर्माण में व्याप्त भ्रष्टाचार रोकने में असफलता।) (249)

कि संस्कृति विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किए जायें।

(संस्कृति विभाग में अनुसूचित जनजाति के आरक्षित पदों को भरने की आवश्यकता।) (250)

कि संस्कृति विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए कम किए जायें।

(संगीत नाटक अकादमी ललित कला अकादमी, राष्ट्रीय आधुनिक कला विधि तथा नेशनल स्कूल आफ ड्रामा आदि संस्थानों में व्याप्त जाति तथा सोर्स पैरवीवाद को समाप्त कर देश के वास्तविक कलाकारों और संगीतज्ञों को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता।) (25)

कि संस्कृति विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किए जायें।

(गांधी दर्शन समिति बौद्धिक दर्शन विश्वविद्यालय, केन्द्रीय उच्चतर तथा तिब्बतीय संस्थान, वाराणसी में व्याप्त एकाधिकार को समाप्त करने की आवश्यकता।) (252)

कि संस्कृति विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए कम किए जायें।

(पांडुलिपि परिरक्षण कार्य के लिए अधिक धनराशि की आवश्यकता।) (253)

कि संस्कृति विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 कम किए जायें।

(राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक प्रदर्शनियों-तत्सम्बन्धी लघु वृत्त चित्रों का निर्माण कराकर उन्हें दिखलाने की आवश्यकता।) (254)

कि संस्कृति विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किए जायें।

(आर्थिक रूप से पिछड़े और कमजोर वर्गों की संस्कृति के विकास के लिए कार्य करने की आवश्यकता।) (255)

कि संस्कृति विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किए जायें।

(फतेहपुर सीकरी, खजुराहो एवं देश के अन्य ऐतिहासिक स्मारकों के रख-रखाव में और अधिक धन लगाने की आवश्यकता।) (256)

कि संस्कृति विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किए जाएं।

(भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा प्राचीन ताम्रलिप्ता पत्तन, सारनाथ, कोशाम्बी,

बलालधीपी-नादिया जिले में स्वर्ण बिहार की पुरातत्वीय खोदाई एवं उसकी सुरक्षा करने का आवश्यकता ।) (257)

कि पुरातत्व शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि को कम करके 1 रुपया किया जाए ।

(देश के वास्तविक कलाकारों को प्रोत्साहन देने में असफलता ।) (258)

कि पुरातत्व शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि को कम करके 1 रुपया किया जाये ।

(भारतीय कला और संस्कृति का विदेशों में प्रचार-प्रसार करने में असफलता ।) (259)

कि पुरातत्व शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि को कम करके 1 रुपया किया जाए ।

(देश में भारतीय कला-संस्कृति के व्यापक प्रचार-प्रसार में असफलता ।) (260)

कि पुरातत्व शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि को कम करके 1 रुपया किया जाये ।

(ऐतिहासिक स्थानों के पुरातात्विक अवशेषों-खोजों और खुदाइयों को पूरा कराने में असफलता ।) (261)

कि पुरातत्व शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि को कम करके 1 रुपया किया जाए ।

(प्राचीन स्मारक का संरक्षण करने एवं उन्हें बनाए रखने में असफलता ।) (262)

कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए ।

(शिक्षा को अधिक उद्देश्य पूर्ण बनाने में असफलता ।) (263)

कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए ।

(सभी राज्यों में त्रिभाषा फार्मूला लागू करने में असफलता ।) (264)

कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें ।

(शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय में अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों के लिए आरक्षित स्थानों को भरने की आवश्यकता ।) (265)

कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं ।

शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय में प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के बेतहाशा बढ़ते हुए भत्तों को कम करने की आवश्ययता ।) (266)

कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं ।

(वैज्ञानिक अनुसंधान को और कारगर बनाने की आवश्यकता ।) (267)

कि शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत माँग की राशि में से 100 रुपए कम किए जाये ।

(प्राथमिक शिक्षा में सुधार करके स्कूलों में पढ़ाई छोड़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या कम करने की आवश्यकता ।) (268)

कि शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत माँग की राशि में से 100 रुपए कम किए जायें ।

(अंशकालीन अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था करके प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता ।) (269)

कि शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत माँग की राशि में से 100 रुपये कम किये जाएं ।

(राज्यों में बुनियादी, नर्सरी तथा मोंटिसरी स्कूल खोलने के लिए निजी संस्थाओं को अनुदान देने की आवश्यकता ।) (270)

"कि शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किए जाएं ।"

(निजी माध्यमिक विद्यालयों को पर्याप्त अनुदान देने की आवश्यकता ।) (271)

"कि शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपए कम किए जायें ।"

(निम्न श्रेणियों के गरीब छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान करने की आवश्यकता ।) (272)

"कि शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपए कम किए जायें ।"

(देश में पब्लिक स्कूलों के छात्रों को योग्यता छात्रवृत्तियां देने की आवश्यकता ।) (273)

"कि शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किए जायें ।"

(प्रभावी पाठ्यपुस्तक तैयार करने की आवश्यकता ।) (274)

"कि शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें ।"

(प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करने की आवश्यकता ।) (275)

"कि शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किए जायें ।"

(संघ राज्यक्षेत्रों तथा राज्यों में कारगर तथा व्यावहारिक ग्रामीण साक्षरता योजनाएं आरम्भ करने की आवश्यता ।) (276)

"कि शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें ।"

(महिलाओं तथा लड़कियों को अनौपचारिक शिक्षा देने की आवश्यकता ।) (277)

"कि शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

(हिन्दी के क्षेत्र में काम करने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं को पर्याप्त अनुदान देने की आश्यकता ।) (278)

"कि शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

(विश्वविद्यालयों में शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने की आवश्यकता ।) (279)

"कि शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

(काशी हिन्दू विश्वविद्यालय तथा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कमजोर वर्गों तथा अनसूचित जातियों के छात्रों को दाखिला देने में तरजीह देने की आवश्यकता ।) (280)

"कि शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

(काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में कदाचार रोकने की आवश्यकता ।) (281)

"कि शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

(काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में शैक्षिक, गैर-शैक्षिक तथा तकनीकी कर्मचारियों एवं अधिकारियों के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित कोटे को भरने की आवश्यकता ।) (282)

"कि शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा छात्रों तथा शिक्षकों के साथ किए जा रहे भेदभाव को रोकने की आवश्यकता ।) (283)

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़) : माननीय सभापति जी, मैं शिक्षा तथा सांस्कृतिक मंत्रालय के अनुदानों की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं। शिक्षा समाज का आधार है और बिना शिक्षा के कोई भी प्रजातंत्र सफल नहीं हो सकता। प्रजातंत्र की सफलता की बात बिना शिक्षा के नहीं कही जा सकती।

मान्यवर, निःसंदेह हमारी सरकार ने बहुत कुछ किया है। मेरे पूर्ववक्ता जो बात कह रहे थे मैं कहना चाहती हूं कि सरकार ने जो कुछ भी किया है और निरन्तर कर रही है, उससे देश में शिक्षा का प्रतिशत बढ़ा है। 1971 में हमारे देश में शिक्षा का प्रतिशत 28.45 था जो 1981 में बढ़कर 36.17 हो गया है। यह वही शिक्षा है जिसके आधार पर हमारे देश के कई वैज्ञानिकों ने अन्तर्राष्ट्रीय जगत में नाम कमाया है। मैं श्री खुराना, रमण और श्री चन्द्रशेखरन आदि का नाम लेना चाहूंगी, जिन्होंने यहां शिक्षा प्राप्त करके विश्व के मानचित्र पर देश का नाम रोशन किया है।

शिक्षा पर जो अपना कल्याणकारी बजट है, उसका बहुत अधिक प्रतिशत खर्च

किया जा रहा है । छठी पंचवर्षीय योजना में इस पर 2,320 करोड़ रुपए व्यय कर रहे हैं । इसका मतलब है सवा करोड़ रुपया प्रति दिन शिक्षा पर व्यय किया जा रहा है । इसलिए, शिक्षा के लिए नकारात्मक पहलू नहीं ले सकते । आज हमारे देश में 125 विश्व-विद्यालय हैं । उनमें सात केन्द्रीय विद्यालय, चार हजार डिग्री कालेज, पचास हजार हाई-स्कूल, सवा लाख मिडिल स्कूल और पांच लाख प्राईमरी स्कूल हैं । सीमित बजट होते हुए भी इतनी तरक्की हमने की है, इसको इंकार नहीं किया जा सकता । अभी शिक्षा में बहुत कुछ करना शेष है । उसके लिए नियोजित तरीके से हम शिक्षा में परिवर्तन कर सकते हैं । सबसे बड़ी परेशानी यह है कि शिक्षा के आधार पर शिक्षित बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है । अभी हमारे माननीय सदस्य बता रहे थे कि शिक्षा, राज्य सूची का विषय होना चाहिए । लेकिन, यह तो बहुत वर्षों से राज्य सूची का ही विषय था । संविधान में जो 42वां परिवर्तन हुआ है, मैं समझती हूं कि शिक्षा समवर्ती सूची में आ जाने के बाद देश में कामन फंम और यूनिवर्सल शिक्षा के पैटर्न के बारे में सोच सकेंगे तथा उसके लिए कुछ काम कर सकें । महात्मा गांधी और डा० राधाकृष्णन ने भी शिक्षा के बारे में बहुत कुछ कहा तथा मुदलियार आयोग भी बनाया गया था । प्रो० रइस अहमद और डी० पी० चटोपाध्याय की अध्यक्षता में आयोग बनाए गए हैं । मैं उसका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि उनके सृजनात्मक सुझावों से शिक्षा के स्वरूप में काफी परिवर्तन आएगा । शिक्षा यदि राज्य का विषय रहता है तो ऐसी स्थिति में शिक्षा प्राप्त करके युवक राष्ट्रीय धारा से नहीं जुड़ सकते । इससे नेशनल इन्टीग्रेशन का स्वप्न कभी भी साकार नहीं हो सकता । हमें, अलग-अलग तरह की शिक्षा प्रणाली देखने को मिलती हैं । काश्मीर में शिक्षा प्राप्त करने वाला मद्रास में शिक्षा ग्रहण करने वाले युवक से भिन्न है । इसी प्रकार राजस्थान में शिक्षा ग्रहण करने वाले युवक दिल्ली की शिक्षा संस्थाओं से भिन्नता रखते हैं । शिक्षा, समवर्ती सूची का विषय होने के बाद उसमें काफी परिवर्तन देखने को मिलेगा । मेरा पहला सुझाव यह है कि स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय और तकनीकी शिक्षा में एक जैसा स्तर लागू करना चाहिए । हमारे देश में अलग-अलग सिलेबस और अलग-अलग किताबें हैं । टैन प्लस टू प्लस थ्री की स्कीम का सुझाव निःसंदेह बंगाल यूनिवर्सिटी ने दिया था । इस ओर सरकार ने काफी कदम उठाए हैं । कई राज्यों में यह स्कीम लागू हो गई है । जिन राज्यों में यह स्कीम नहीं है, वहां के विद्यार्थी अच्छे विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने में असमर्थ रहते हैं । यह स्कीम हमारे राजस्थान में लागू नहीं हुई है । इसीलिए, वहां का प्रखर बुद्धि छात्र सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी में प्रवेश नहीं ले पाता । इसलिए जितनी जल्दी हो सके इस स्कीम को लागू करना होगा ताकि विद्यार्थियों का स्तर एक जैसा होने में मदद मिल सके । इसके अलावा पाठ्यक्रम बहुत पुराना है । आप होब्स, रूसो आदि पढ़ते चले जाए इससे काम नहीं चलेगा । आज शिक्षा में समाज और उसकी आवश्यकतानुसार परिवर्तनत आना जरूरी है । अन्यथा वह शिक्षा किसी काम की नहीं है ।

मेरा एक सुझाव यह है कि 25 वर्ष पहले त्रिभाषा फार्मूले की बात कही गई थी जिसके

अनुसार विद्यार्थी स्थानीय भाषा, हिन्दी भाषा और एक अन्तर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी या अन्य किसी भाषा का अध्ययन करें। लेकिन इस फार्मूले को कई राज्यों में अभी तक नही माना है। मेरा सुझाव है कि इस त्रिभाषा फार्मूले को निश्चित तौर पर लागू किया जाना चाहिए क्योंकि देश की 70 फीसदी जनसंख्या हिन्दी बोलती और समझती है। हिन्दी सीखना कोई अपराध नहीं है। लोग फिल्मों के माध्यम से हिन्दी जरूर सीख लेंगे, लेकिन स्कूल की चारदीवारी से नहीं सीखेंगे, यह एक बड़ी भारी विडम्बना है। इसलिए त्रिभाषा फार्मूले की ओर सरकार को अवश्य ध्यान देना चाहिए।

मेरा दूसरा सुझाव है कि, व्यावसायिक शिक्षा के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, मैं चाहती हूं कि, प्राथमिक स्तर पर हो, या व्यावसायिक स्तर पर हो या विश्वविद्यालय स्तर पर हो, सब जगह किसी न किसी मात्रा में होबी के रूप में वोकेशनल ट्रेनिंग जरूर होनी चाहिए। तभी हम बेरोजगारी का कम कर सकेंगे।

मेरा तीसरा सुझाव यह है कि आज खेल का स्टैंडर्ड बहुत कुछ गिरा हुआ है। आप एशियाड कर चुके हैं परन्तु उसमें हमें अधिक सफलता नहीं मिली। इसलिए शिक्षा के स्तर पर इसको लागू करना पड़ेगा।

इन सुझावों के साथ-साथ आज वर्तमान शिक्षा पद्धति में क्या-क्या कमियां हैं उनकी तरफ भी सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी ताकि उन कमियों को दूर करके, शिक्षा व्यवस्था में, जो समाज की आवश्यक कड़ी है, उसमें कुछ सृजनात्मक कार्य हो सके। मैं चार स्तर में बताऊंगी—प्राथमिक, माध्यमिक, विश्वविद्यालय और तकनीकी शिक्षा का स्तर। नीति निर्देशक तत्वों में प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क की बात कही गई है। इसे हम कब पूरा करेंगे ? अनुच्छेद 45 में सर्वव्यापी और सर्वसुलभ शिक्षा की बात कही गई है। छठी योजना में प्राथमिक शिक्षा पर हम 905 करोड़ रु० खर्च कर रहे हैं, उसमें से 851 करोड़ रु० राज्यों पर खर्च होगा और 54 करोड़ रु० केन्द्र में खर्च करेंगे। इसलिए मेरा सुझाव है कि जो आप कर रहे हैं प्राथमिक शिक्षा गांवों में अभी भी अनिवार्य नहीं है, बहुत से गांवों में विद्यालय हैं ही नहीं। इसलिए हमें अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था को लागू करना होगा। 20 सूत्री कार्यक्रम में 16वां सूत्र प्रारम्भिक शिक्षा के बारे में हैं, मैं उसका स्वागत करती हूं। यह 20-सूत्री प्रोग्राम का अंग है, परन्तु प्राथमिक शिक्षा गांवों में शोचनीय है। कई स्थानों पर हमारे ग्रामीण स्कूल वन मैन स्कूल हैं। एक ही अध्यापक पहली क्लास से लेकर पाँचवीं क्लास तक सभी विद्यार्थियों को एक साथ एक समय कैसे पढ़ाता होगा, समझ में नहीं आता। जो हमारी नींव के पत्थर हैं, जो गांवों की 80 फीसदी जनसंख्या कवर करते हैं वहाँ के विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए हमारी व्यवस्था कुछ अच्छी होनी चाहिए। उनको यदि हमने अच्छा नहीं किया और इसी प्रकार भाग्य के भरोसे एक आदमी उनको पढ़ाता रहेगा तो सुधार नहीं हो सकता।

आज आपने बहुत सारे पाठ्यक्रम स्कूलों में दिए अध्ययन के लिए, उनको देख कर शर्म आती है कि किस प्रकार की गलत-गलत बातें पाठ्यक्रम में बतायी गई हैं। आप

दूर मत जाइए । दिल्ली माध्यमिक बोर्ड की कुछ पुस्तकों का उदाहरण मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगी ।

कक्षा 5 की सामान्य ज्ञान की किताब है उसके पृष्ठ 147 पर लिखा गया है कि यू० एन० ओ० के 149 राष्ट्र हैं जबकि इस समय 158 के करीब राष्ट्र उसमें मेम्बर हैं । आज हालत यह है कि पुस्तक का सस्करण बदल दिया जाता है, पर मैटर वही रहता है ।

चौथी कक्षा की किताब में हमारे देश भारत को असम बताया गया है और असम के बारे में यह बताया गया है कि असम के 3 और देश हैं—भूटान, बंगलादेश और चीन । जबकि चीन हमारे असम से लगता भी नहीं है. वह अरुणाचल प्रदेश के पास है । इस प्रकार की भूलें हम करेंगे, इस प्रकार की बातें विद्यार्थियों को पढ़ायेंगे तो यह भयंकर भूल है । हम एशियाड में देख चुके हैं । इस प्रकार की भूल नहीं होनी चाहिए ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : यह पुस्तकें टेबल पर रखिए ।

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : हमारी माननीया मन्त्री ने बहुत अच्छे काम किए हैं । सबसे पहला काम उन्होंने यह किया है कि टीचर्स को सम्मानित करने की योजना शुरू की है । यदि समाज में टीचर का आदर होता है यो समाज तरक्की करता है । इसके लिए मैं मंत्री महोदया को बधाई देना चाहूंगी ।

दूसरे इंसेट 1-बी के माध्यम से अपने स्कूलों में शिक्षा देनी शुरू की है । थोड़े से समय में जितना काम किया जा सकता था, वह आपने किया है । आपने कुछ स्कूलों में जैसे आंध्र में और उड़ीसा में यह आरम्भ किया है । मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि 70 परसेंट जनसंख्या को आप टी० वी० में लेना चाहते हैं तो गाँव में एक ही अध्यापक पढ़ाता है, वहाँ अगर इंसेट 1-बी के माध्यम से शिक्षा देने लगेंगे तो निश्चित तौर पर उससे ग्रामीणों का भला होगा ।

आज हमारे प्राथमिक स्तर पर खेलों के लिए बिल्कुल बजट नहीं है । दूसरे राज्यों के बारे में मुझे मालूम नहीं, परन्तु हमारे राजस्थान में जब भी कभी खेल के लिए कोई व्यवस्था करनी होती है तो बेचारे टीचरों को चन्दा करके या और तरीकों से बच्चों का टूर्नामेंट कराना होता है । न आप उसके लिए फंड दे सकते हैं, न खेलने की व्यवस्था कर सकते हैं, यह उपेक्षा कब तक होगी ?

माध्यमिक शिक्षा के बारे में आप 10 कक्षा तक सामान्य ज्ञान दीजिए । उसके बाद 2 साल जो बचते हैं, उसमें व्यक्ति को सोचने के लिए समय दीजिए कि आगे जाकर वह क्या करने वाला है । मारीशश, चाहे हमसे डेवलप्ड कन्ट्री नहीं है, लेकिन वहाँ 2 वर्ष तक व्यक्ति को सोचने का सयय दिया जाता है कि पढ़ने के बाद वह क्या करेंगे । हम दो वर्ष इनके बेकार नहीं करते, बल्कि उसमें वोकेशनल ट्रेनिंग देकर, कार्य के बारे में बताकर उनके स्तर को ऊंचा उठा सकते है ।

इसी प्रकार माध्यमिक स्तर पर शिक्षा का जो तरीका है, प्रश्न वगैरह जिस प्रकार बनने हैं, वह तरीका बहुत पुराना हो गया है । आज ओबजेक्टिव टाइप के प्रश्न यदि आप किसी व्यक्ति से पूछेंगे तो उनके ज्ञान का अधिक विस्तार हो सकेगा । अभी 10 में से 5 प्रश्न 3 घंटे में करने होते हैं, इस ट्रेडीशन में लड़का कुछ प्रश्न याद कर लेता है और पास हो जाता है । उसका ज्ञान सीमित रहता है, इसलिए ओबजेक्टिव प्रश्न पूछे जाने चाहियें ।

जैसा मेरे पूर्व वक्ता ने कहा, मैं भी मानती हूं कि कभी-कभी पेपर आउट हो जाता है । अभी एग्जाम शुरू नहीं हुए हैं, लेकिन आपने इस मामले में कितना कन्ट्रोल किया है, यह मैं नहीं जानती । आशा है आपने बहुत कुछ कन्ट्रोल कर लिया होगा और भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं हो सकेगी ।

माध्यमिक शिक्षा के बारे में मैं यह भी कहना चाहती हूं कि आज-कल विद्यार्थियों के पढ़ने के दायरे को संकुचित करने वाले कुछ ऐसे सरस्वती के सौदागर हैं, जो इस तरह की किताबें बनाते हैं : शार्ट वे टू सक्सेस, वन डे सक्सेस, सेवन डेज सक्सेस । इन किताबों को पढ़ने से विद्यार्थियों का सोचने का दायरा सीमित हो जाता है । इसका एक दुष्परिणाम यह भी होता है कि विद्यालयों की किताबों और लाइब्रेरीज की किताबों पर धूल जमती रहती है, उनको कोई नहीं पढ़ता । केवल छोटी-छोटी किताबें पढ़कर ज्ञान का दायरा संकुचित हो जाता है । हमें सख्ती से इस प्रवृत्ति को खत्म करना होगा और ऐसी किताबों को बन्द करना होगा । अगर इसके लिए कानून भी बनाना पड़े, तो वह बनाना चाहिए ।

कई ऐसे भी स्कूल हैं, जिन्हें सरकार की ओर 90 परसेंट एड दी जाती है । उन स्कूलों के संचालक इधर-उधर से चन्दा करके 10 परसेंट पैसा अपना लगा कर उन स्कूलों को अपनी स्वयं की सम्पत्ति समझ लेते हैं । मेरा सुझाव है कि इस प्रकार की प्राईवेट शिक्षण संस्थाएं बन्द होनी चाहिए और शिक्षा का नेशनलाइजेशन होना चाहिए । ऐसी स्थिति में क्या होता है कि या तो वे ऐसे टीचर्ज नियुक्त करते हैं, जो योग्य नहीं होते और भाई-भतीजावाद के आधार पर किसी को एपायंट कर लेते हैं, या वे टीचर्ज को सैलरी तो कम देते हैं, परन्तु उनसे दस्तखत ज्यादा सैलरी के कराते हैं । समाज के लिए यह एक बहुत बड़ी बुराई है । इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षा का नेशनलाइजेशन होना चाहिए ।

मेरा यह भी सुझाव है कि स्कूलों में वोकेशनल गाइडेंस के लिए एक सैल होना चाहिए, जो यह बताए कि कितनी शिक्षा प्राप्त करने के बाद विद्यार्थी के लिए किस लाइन में जाने के लिए दरवाजे खुले हुए हैं और उसके लिए वित्तीय सहायता किस प्रकार दी जाएगी । माध्यमिक विद्यालयों में यह व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि यूनिवर्सिटियों पर विद्यार्थियों के प्रवेश का भार अधिक न बढ़ सके ।

अब मैं यूनिवर्सिटी शिक्षा का बहुत कुछ विवेचन करना चाहती हूं । यूनिवर्सिटी

शिक्षा के लिए काफी अधिक रकम बढ़ाई गई है, इसका मैं स्वागत करती हू। 1981-82 में इसके लिए 29.52 करोड़ रुपए रखे गए थे, जबकि 1982-83 में 31.37 करोड़ रुपए रखे गए। जहां तक केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का सम्बन्ध है, मुझे बड़ा दुख है कि आटानोमी के नाम पर उन विश्वविद्यालयों में बहुत अधिक धांधली हो रही है। जे० एन० यू० का उदाहरण ले लीजिए। मैं विस्तार में न जाते हुए कहना चाहती हूं कि जवाहरलाल नेहरू ने स्वप्न देखा था कि एक ऐसा आश्रम होगा, जहां विश्व-विख्यात अध्यापक आकर पढ़ाएगे। परन्तु जे० एन० यू० नेहरू जी के उस स्वप्न को साकार न कर सका। सरकार उस पर 100 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है और प्रति-वर्ष दो करोड़ रुपए व्यय कर रही है। परन्तु उसकी हालत यह है कि वहाँ पर अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएं पनप रही हैं और हमारे विद्यार्थियों को गुमराह कर रही हैं। मेरे पूववक्ता ने कहा कि विद्यार्थियों को सब तरह की छूट होनी चाहिए। मैं निवेदन करना चाहती हूं कि राजनीति के लिए जीवन में बहुत समय रहता है। अगर हम स्टुडेंट्स के आधार पर राजनीति करने लगेंगे, अगर प्रोफेसर या दूसरे व्यक्ति यह सोचने लगें कि विद्यार्थियों को टूल बनाना है, तो यह उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय है। राजनैतिक पार्टियों को चाहिए कि वे यूनिवर्सिटियों को अपनी गतिविधियों का क्षेत्र न बनाएं और जो लोग राजनीति में सक्रिय हैं, उन्हें यूनिवर्सिटियों को छोड़ देना चाहिए।

यह सत्य है कि कई प्रोफेसर विश्व-विख्यात राजनीतिज्ञ हुए हैं, नेता हुए हैं। राजेन्द्र बाबू और डा० राधाकृष्णन् के अलावा सुभाषचन्द्र बोस भी प्रोफेसर थे। परन्तु जो लोग राजनीति में भाग लेते हैं, उनको यूनिवर्सिटी को छोड़ देना चाहिए और अपनी राजनैतिक आकांक्षाओं के आधार पर विद्यार्थियों के जीवन से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए।

मेरा निवेदन है कि जे० एन० यू० के वातावरण को सुधारने के लिए आटानौमी के आधार पर चैन्स एड वैलेसिज का सिद्धान्त लागू करना पड़ेगा। इसके लिए सरकार को कुछ न कुछ व्यवस्था अवश्य करनी पड़ेगी। सब से पहले मेरा सुझाव है कि जे०एन०यू० और दूसरे विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों का प्रवेश केवल अच्छे अंकों के आधार पर ही होना चाहिए। सबसे ऊंचा पर्सेन्टेज जिन विद्यार्थियों का हो उन्हीं को वहां पर प्रवेश दिया जाना चाहिए। बाकी दूसरे विद्यार्थी जो वहां पर आ जाते हैं, या लड़कियां अच्छा वर मिलने की आशा में वहां पर आ जाती हैं, उनसे आप यूनिवर्सिटी को बचाइये। वास्तव में जो लड़के पढ़ाई करना चाहते हैं उन्हीं को वहाँ प्रवेश मिलना चाहिए। मैं यह भी सुझाव देना चाहूंगी कि जो विद्यार्थी एक बार फेल हो जाता है उसको यूनिवर्सिटी में दोबारा प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिए।

इसके साथ साथ मेरा यह भी सुझाव है कि विश्वविद्यालयों में एन०सी०सी० मिलिटरी साइन्स को एजूकेशन जरूर दी जानी चाहिए। अभी हमारी प्रधान मन्त्री लीबिया गई थीं। कल हमने टी०वी० पर जो उनकी यात्रा सम्बन्धी रील देखी, उससे पता लगा कि लीबिया में महिलायें मिलिटरी एजूकेशन ले रही हैं तो हम अपने देश में यूनिवर्सिटी में एन०सी०सी०

और मिलिटरी साइन्स की कम्पलसरी ट्रेनिंग क्यों नहीं दे सकते हैं? कई विकसित राष्ट्रों में—अमरीका, इंग्लैंड आदि—यह शिक्षा कम्पलसरी है। आज हमारी मिलिटरी पर बहुत भार पड़ रहा है। इसलिए सेकेन्ड लाइन आफ डेफेन्स बनाने के लिए स्कूल कालेजों में मिलिटरी की कम्पलसरी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए।

इसके अलावा जैसा मैंने पहले कहा है, यूनिवर्सिटी की एटोनोमी परचेस ऐड बैलेंसेज होने चाहिए। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरह से एक यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन की स्थापना की जानी चाहिए। उसी के माध्यम से वाइस चान्सलर, रीडर्स, प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स का सेलेक्शन होना चाहिए और नियुक्ति होनी चाहिए। एक केन्द्रीय स्थान से नियुक्ति होनी चाहिए। और फिर उनको विभिन्न स्थानों पर भेजा जाना चाहिए। साथ ही टीचिंग स्टाफ की ट्रान्सफरेबिल पोस्ट होनी चाहिए—यह भी मेरा सुझाव है। यदि कोई बंगाल का प्रोफेसर है तो उसको राजस्थान भी भेजा जाना चाहिए और यदि कोई राजस्थान का है तो उसको तमिलनाडू भेजा जाना चाहिए ताकि नेशनल इंटिगरेशन की भावना पैदा हो सके।

जहां तक तकनीकी एजूकेशन का सम्बन्ध है, उसमें निःसन्देह काफी सुधार आया है। हमारे देश के बहुत सारे डाक्टर्स और टेक्नीशियन्स गल्फ कन्ट्रीज में सेवा कर रहे हैं परन्तु तकनीकी शिक्षा देने के सम्बन्ध में हमारी कोई प्लानिंग नहीं है क्योंकि हम देखते हैं हमारे बहुत सारे विद्यार्थी तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के बाद बेकार रहते हैं। उदाहरण के लिए धनबाद स्थित स्कूल आफ माइन्स में पेट्रोलियम इन्जीनियरिंग की शिक्षा लेकर जो विद्यार्थी वहां से बाहर निकले उनको सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में नहीं लिया जा सका। परिणामस्वरूप उन्होंने विदेशी पेट्रोलियम कम्पनियों में जाना प्रारम्भ कर दिया। मेरा सुझाव यह है कि जब आपने इस तरह के किसी नये विषय की शिक्षा प्रारम्भ की तो वहां से शिक्षा प्राप्त करके जो बाहर निकलें उनकी खपत भी सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में होनी चाहिए वरना इस देश से प्रतिभा पलायन होता रहेगा। करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद भी देश का कोई लाभ नहीं होगा।

आज बहुत सारे इन्जिनियरिंग तथा मेडिकल कालेजेज में प्रवेश के समय विद्यार्थियों से डोनेशन के नाम पर पैसा लेकर उनको एडमिशन दिया जाता है। मेरा सुझाव है कि इस प्रकार की संस्थाओं को नेशनलाइज कर दिया जाए। सरकार उनको अपने हाथ में ले ले ताकि गरीब लोगों का इस प्रकार से शोषण बन्द हो सके क्योंकि वहां पर गरीब लोगों के बच्चों को एडमिशन नहीं मिल सकता है। सरकार यदि तकनीकी शिक्षा का प्रसार अधिक नियोजित ढग से करेगी तो मैं समझती हू इस देश को आगे बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी।

मेरा एक और निवेदन है। राष्ट्रीय कला परिषद् की स्थापना के लिए तो मैं मन्त्री जी को बहुत धन्यवाद देती हूं। पुरातत्व अभिलेखागार अकादमी के कामों में भी गति आई है, उसके लिए मैं बधाई देना चाहूंगी।

आपने भारत महोत्सव मनाने के लिए श्री पुपुल जयकर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है। उन्होंने ब्रिटेन में इस प्रकार का महोत्सव आयोजित किया है। इसी प्रकार अब आप अमरीका और फ्रांस में आयोजित करने जा रहे हैं। यह बहुत अच्छी बात है। इससे विश्व में लोगों को भारतीय संस्कृति और भारतीय प्रतिभा के बारे में जानकारी होगी।

अन्त में, मैं यह कहना चाहती हूं कि 1980 से शिक्षा में परिवर्तन करने और अच्छा बनाने की कोशिश की है और उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में इसमें और अधिक सुधार होगा। इसके लिए मैं मन्त्री महोदय और हमारी सरकार को बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करती हूं।

सभापति महोदय : मुझे माननीय सदस्यों से एक अनुरोध करना है। जिस विषय पर वाद-विवाद चल रहा है, वह निस्संदेह अत्यन्त व्यापक और अत्यन्त महत्वपूर्ण भी है। कृपया उपलब्ध समय में ही भाषण समाप्त करने का तथा यथा संभव संक्षिप्त भाषण देने का प्रयास करें। निस्सन्देह, संगत बातें अवश्य ही कहीं जाए क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण विषय है। परन्तु यथा सम्भव संक्षिप्त भाषण देने का प्रयास करें। कृपया मुझसे सहयोग करें। श्री० ए०ई०टी० बैरो।

श्री ए०ई०टी० बैरो (नामित-आंग्ल भारतीय) : सभापति महोदय, मुझे केवल तीन छोटी-छोटी सी बातें कहनी हैं और मैं आपकी सलाह का भी ध्यान रखूंगा।

पहली बात, विद्यालयों में कम्प्यूटर प्रारम्भ करने की है। इस विषय पर बोलने से पूर्व मैं एक किस्सा सुनाना चाहता हूं।

एक खरगोश, एक पक्षी, एक मछली, एक गिलहरी, एक बतख तथा अन्य कुछ छोटे जीवों ने एक विद्यालय चलाने का निर्णय किया। वे पाठ्यक्रम लिखने के लिए बैठे। खरगोश ने पाठ्यक्रम में दौड़ को शामिल करने पर जोर दिया, पक्षी ने उड़ान को, मछली ने तैराकी को, गिलहरी ने वृक्ष पर चढ़ने को आदि-आदि। इस प्रकार उन्होंने सब विषयों को पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर लिया और सभी जीवों द्वारा सभी विषय लेना अनिवार्य करके उन्होने एक शानदार गलती कर दी।

युवा खरगोश एक शानदार धावक था परन्तु उन्होंने आग्रह किया कि उड़ान भरना एक बौद्धिक, भावनात्मक और फैशनेबुल विषय है, अतः इसे खरगोश को भी सिखाया जाना चाहिए। इस प्रकार उन्होंने खरगोश को एक पेड़ की टहनी पर बैठा दिया और उससे कहा 'खरगोश जी, उड़ो'। बेचारे खरगोश ने छलांग लगा दी। और अपनी टांग तुड़वा ली और खोपड़ी फुड़वा ली और उसके दिमाग को भी नुकसान पहुंचा। इस प्रकार वह अच्छी तरह दौड़ने लायक भी नहीं रहा।

मैंने यह किस्सा इसलिए सुनाया है क्योंकि हाल ही में प्रधान मन्त्री की ओर से एक प्रश्न का उत्तर देते हुए राज्य मन्त्री ने बताया था कि इलेक्ट्रोनिकी विभाग वर्ष 1984 85

से अर्थात् इस शैक्षिक वर्ष से विद्यालयों में कम्प्यूटर का विषय आरम्भ करना चाहते हैं। वह बिना किसी योजना के इस पाइलट परियोजना पर 2.2 करोड़ रुपए व्यय करने जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इसका उद्देश्य वर्ष 1984-85 में 250 हायर सैकेण्डरी स्कूलों में कम्प्यूटर साक्षरता/शिक्षा आरम्भ करना है। मैं यह बताना चाहता हूं कि कम्प्यूटर साक्षरता का अर्थ कम्प्यूटर के बारे में जानकारी है। हम इसे इसलिए आरम्भ कर रहे हैं क्योंकि यह फैशनेबुल है। परन्तु मुझे यह आश्चयजनक लगता है कि इस फैशनेबुल परियोजना पर व्यय करने के लिए धन हमें कहां से मिल गया है, विशेष रूप यह देखते हुए कि ऐसी परियोजनाए अतीत में असफल रही हैं।

कई माननीय सदस्यों को सम्भवत: याद नही होगा। परन्तु जब मौलाना आजाद शिक्षा मन्त्री थे और प्रो० हुमायूं कबीर शिक्षा सचिव थे तब उन्होंने 500 बहुउद्देश्यीय विद्यालय आरम्भ करने की योजना बनाई और इसके लिए विदेशों से उपकरण भी आयात किए। मुझे यह व्यक्तिगत रूप से जानकारी है कि कोई समुचित योजना नहीं बनाई गई थी और कई विद्यालयों में उपकरण आदि कई वर्षों तक पैकेटों में ही बन्द पड़े रहे।

3.00 म०प०

मैं प्रो० कबीर को बहुत अच्छी प्रकार से जानता हूं उनसे मेरी इस बारे में बातचीत भी हुई थी। मैंने प्रो० कबीर को चेतावनी दी थी कि उन्नत देशों में तो उन्होंने दो-तीन स्कूलों से आरम्भ किया था यहां हमने 500 स्कूलों के साथ आरम्भ किया था। मुझे आश्चय होगा यदि शिक्षा मन्त्री मुझे यह बता सकें कि इस बहुउद्देशीय योजना का क्या हुआ।

1974-75 में हमने साइट कार्यक्रम (उपग्रह अनुदेश दूरदर्शन प्रयोग) शुरू किया था। मेरे पास यह सूचना है कि ग्रामीण शिक्षा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

इन अनुभवों को ध्यान में रखते हुए, मैं आशा करत हू कि कम्प्यूटर द्वारा शिक्षा देने का प्रयोग करने की जो योजना है, उसको सोच-समझ कर और उचित योजना के बाद ही लागू किया जाएगा।

मैं यह स्पष्ट करना चाहूगा कि मैं कम्प्यूटर शिक्षा के विरुद्ध नहीं हूं। किन्तु यह मेरी समझ से बाहर है कि शैक्षणिक जुगतों और चालों के लिए हम धन कहां से ला सकते हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद के सर्वेक्षण के अनुसार देश में 2,937 प्राथमिक स्कूल अध्यापकों के बिना चल रहे हैं और 1,88,500 स्कूलों में श्याम-पट नहीं हैं और फिर भी हमने 2.2 करोड़ रुपए कम्प्यूटर शिक्षा अथवा कम्प्यूटर ज्ञान के लिए रखे हुए हैं।

मैं बहुत वर्षों तक अध्यापक रहा हूं और मैं विश्वास करता हूं कि आगे भी बहुत वर्षों तक अध्यापन के मुख्य आधार अध्यापक के भाषण और अध्यापक द्वारा दिए गए

नोटस ही रहेंगे। हमारी शिक्षा प्रणाली में अभी बहुत वर्षों तक अध्यापक का केन्द्रीय स्थान बना रहेगा और मुख्य दृश्य-श्रव्य साधन श्याम-पट ही रहेगा।

मैं नहीं जानता कि हम कैसे अपनी वरीयता निर्धारित करते हैं। जब 'एलिस इन वंडरलैण्ड' में 'मॉक टर्टिल' "रीलिंग एड रीथिंग" की बात करता है, तो हमें अपनी शैक्षणिक वरीयताओं को भी ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि हम साधारण साक्षरता और गिनती के सिवाय हर बात का प्रयास कर सकते हैं। अब हम उन्हें कम्प्यूटर साक्षरता देने जा रहे हैं।

मुझे उन्नत देशों में स्कूलों में कम्प्यूटरों के बारे में कुछ जानकारी है। मैं कुछ समय आस्ट्रेलिया में रहा हूं। क्या आप जानते हैं कि कुछ स्कूलों में निचली कक्षाओं में कम्प्यूटरों का प्रयोग किस प्रकार से होता है ? वे कम्प्यूटर खेलों में 'शुभ क्रिसमस' 'शुभ जन्मदिन' कुछ वायुयान या युद्धपोत शामिल करते हैं।

इसीलिए, क्या हम इस प्रकार की शैक्षिक जुगतों और चालों में 2.2 करोड़ रुपए का प्रयोग करने जा रहे हैं ?

जैसा कि मैंने पहले भी कहा मैं कम्प्यूटरों के विरुद्ध नहीं हूं। यदि आप कम्प्यूटरों को लाना चाहते हैं तो उनका उपयोग ग्यारहवीं एवं बारहवीं कक्षाओं में 'कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग' शिक्षण में, कम्प्यूटर विज्ञान शिक्षण में कीजिए।

किन्तु मेरी वरीयता यह नहीं होगी। मेरी वरीयता यह होगी कि चुने हुए प्रशिक्षण कालेजों में कम्प्यूटर का प्रयोग किया जाए। जब तक अध्यापक यह नहीं जानगे कि कम्प्यूटरों का प्रयोग कैसे किया जाए तो स्कूलों में कम्प्यूटर लगाने का कोई लाभ नहीं होगा।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : रेल-आरक्षणों में कम्प्यूटर का प्रयोग किया जा सकता है।

श्री ए०ई०टी० बैरो : जी हां, दुर्भाग्यवश, प्रो० मधु दंडवते के पास यह मन्त्रालय अधिक दिनों तक नहीं रहा, अन्यथा, वे भी उलझन में पड़ जाते कि कम्प्यूटरों का प्रयोग किया जाए या नहीं।

उन्हें अपने विषयों के शिक्षण में कम्प्यूटरों के प्रयोग के बारे में जानकारी होनी चाहिए और कम्प्यूटर में भरी जाने वाली सामग्री का चयन और मूल्यांकन इस दृष्टि से किया जाए कि कम्प्यूटर उनकी शिक्षण योजना और पाठ कार्यक्रमों का एक अभिन्न हिस्सा बन जाए। अध्यापकों को पाठ्यचर्या और बच्चों पर पड़ने वाले कम्प्यूटर के प्रभाव की जानकारी होनी चाहिए।

शिक्षण प्रक्रिया में अध्यापक सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्सा है और जब तक अध्यापकों को यह ज्ञान नहीं होगा, तब तक कम्प्यूटर से कोई लाभ नहीं होने वाला है।

एक राष्ट्रीय कम्प्यूटर कार्यक्रम जो 'ब्रिक अप' के रूप में ब्रिटेन में जाना गया था, उसने सारे प्राथमिक स्कूलों में गड़बड़ पैदा कर दी। कम्प्यूटर मूर्ख भी हो सकता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हू। इस कार्यक्रम में बच्चे से 'डेन्' से शुरू होने वाला शब्द बनाने के लिए कहा जाता है और दांत के बारे में कुछ बताया जाता है। जब बच्चा डेंटिस्ट' के स्थान पर 'डेंटल' शब्द की चाबी दबाता है कम्प्यूटर में क्या आता है 'डेंटिस्ट' वह भी गलत हिज्जे के साथ, जैसा कि 'बाईबल' में कहा गया है "मनुष्य जो सीखता है उससे नहीं वरन् अपने कार्यों से भ्रष्ट होता है।" कम्प्यूटर के मामले में, कम्प्यूटर में भी गई गलत सामग्री के कारण ही कम्प्यूटर गलती करता है और वही गलतियाँ वह दुहराता है जो उसमें भरी गई सामग्री में होती है। अतः आपको गलत जानकारी मिलती है। जब तक हमारे शिक्षक यह नहीं जानते कि कम्प्यूटर में क्या भरना होगा और यह उनको अपने बच्चों के प्रयोग में करना होगा। तब तक हम सारे देश के लिए इस प्रकार का कम्प्यूटर कार्यक्रम नहीं रख सकते हैं। कम्प्यूटर का प्रयोग करने के बारे में पहला नियम यह है कि यदि कम्प्यूटर में 'गलत सामग्री भरी जाएगी तो कम्प्यूटर से गलत सूचनाएं ही मिलेगी।'

एक और मामला है। जिन कम्प्यूटरों का आयात किया जाना है वह रोमन लिपि में होंगे। हमारे पास वाणिज्यिक पैमाने पर हिन्दी के कम्प्यूटर नहीं हैं। अतः हम इन कम्प्यूटरों का प्रयोग नगरों में करने जा रहे हैं। मैं इसके विरुद्ध नहीं हूं क्योंकि इससे अंग्रेजी की उन्नति होगी। किन्तु शैक्षिक आधारों पर मैं इसके विरुद्ध हूं। विभिन्न मंचों पर हम हमेशा शैक्षणिक अवसरों की समानता की बात करते हैं किन्तु जब तक हमारे कम्प्यूटर क्षेत्रीय भाषाओं में नहीं होंगे तब तक इससे ग्रामीण क्षेत्रों और नगरीय क्षेत्रों के स्कूलों के शिक्षण में केवल गहरी खाई, बहुत बड़ा अंतराल ही पैदा होगा। क्योंकि इलेक्ट्रोनिक्स मंत्रालय पता नहीं कहाँ से कम्प्यूटर प्राप्त कर रहा है—मेरा यह विश्वास है और हो सकता है मैं गलत हूं—शिक्षा मंत्रालय निर्णय लेने की शक्ति गंवा रहा है और इसीलिए स्कूलों में कम्प्यूटर साक्षरता लाने वाला है। हमें इसके लिए मना कर देना चाहिए और कम्प्यूटरों का प्रयोग रेल-आरक्षण में करना चाहिए।

जब मैं अन्य दो छोटे-छोटे मामलों पर आता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय में आनर्स पाठ्यक्रमों में पढ़ाई छोड़कर जाने वाले छात्रों की संख्या क्या है—मैं केवल दिल्ली विश्वविद्यालय की बात कर रहा हू क्योंकि मुझे कुछ आँकड़े विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मंत्रालय के माध्यम से मिले है। किन्तु जैसा कि मैं कहता हू, दिल्ली विश्वविद्यालय से हम कोई सामान्यीकरण नहीं कर सकते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में, मानविकी में पाठ्यक्रम के अन्त तक पढ़ाई छोड़कर जाने वाले छात्रों की संख्या 40 से 47 प्रतिशत तक है। 40 से 47 प्रतिशत तक—मैं आपको आंकड़े दे रहा हू—पाठ्यक्रम के अन्त तक। विज्ञान और गणित में पढ़ाई छोड़ कर जाने वाले छात्रों की संख्या प्रथम वर्ष में 2[illegible] प्रतिशत तथा पाठ्यक्रम के अन्त तक 33 और 47 प्रतिशत के मध्य है। हम प्राथमिक शिक्षा में पढ़ाई छोड़कर

जाने वाले छात्रों की संख्या के बारे में बात करते हैं। किन्तु यहाँ धन का अधिक निवेश है और यहाँ पढ़ाई छोड कर जाने वाले छात्रों की संख्या यह है। पढ़ाई छोड़ कर जाने वाले छात्रों की संख्या को कम किया जाना चाहिए। मेरे विचार से यह धन की अत्यधिक बर्बादी है और मुझे विश्वास है, कि इसका कारण अवैज्ञानिक, और गलत आधारों पर प्रवेश किया जाना है। यह केवल अंकों पर आधारित है। इसका कोई महत्व नहीं है कि प्रवेशार्थी किस बोर्ड से आया है, बोर्ड में विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम हैं, विभिन्न प्रकार के प्रश्न-पत्र हैं, विभिन्न परीक्षक और विभिन्न स्तर हैं। केवल अंकों का प्रतिशत देखा जाता है और तभी यह बर्बादी है।

श्रीमन्, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रवेश के लिए परीक्षा लेता है। मैं केवल आनर्स पाठ्यक्रमों की बात कर रहा हूं। क्या यह आनर्स पाठ्यक्रमों के लिए नहीं किया जा सकता ताकि यह बर्बादी कम हो जाए ? जब तक हम प्रवेश के लिए परीक्षा नहीं लेते— क्या मैं मंत्री महोदय से कह सकता हूं कि जहाँ भी प्रथम वर्ष के अन्त तक पढ़ाई छोड़कर छात्र जाते हों, ऐसे सभी कालेजों से बी०ए० (पास) और बी०ए० (जनरल) पाठ्यक्रमों में योग्य प्रवेशार्थियों को ही प्रवेश देने के लिए कहा जाना चाहिए, वहाँ खाली स्थानों को भरे जाने के योग्य जो छात्र हों उन्हें ही लिया जाए ताकि कालेज में जो सुविधाएं हैं उनकी बर्बादी न हो।

मुझे अभी एक बात और कहनी है। अब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में आनर्स पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता पर आता हूं। मैंने यह बात अन्य मंचों पर भी उठाई है मैं परीक्षा-प्रणाली जो हमारे केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में है के बारे में कुछ कहना चाहता हूं।

1982 में बी०ए० अंग्रेजी आनर्स की परीक्षा में बैठे 292 छात्रों में से केवल 8 को प्रथम श्रेणी दी गई थी जबकि भौतिकी आनर्स की परीक्षा में बैठे 242 छात्रों में से 20 को प्रथम श्रेणी दी गई थी।

1983 में अंग्रेजी आनर्स की परीक्षा में बैठे 268 छात्रों में से तीन को प्रथम श्रेणी दी गई जबकि भौतिकी आनर्स की परीक्षा में बैठे 253 छात्रों में से 187 को प्रथम श्रेणी दी गई। श्रीमन्। मैंने केवल दो विषयों के आंकड़े दिए किन्तु आपने पाया कि मानविकी में प्रथम श्रेणी लाने वाले छात्रों की संख्या विज्ञान और गणित की तुलना में बहुत कम है। यह विषमता छात्रों की योग्यता के कारण नहीं है वरन् परीक्षा-प्रणाली के कारण है। विश्वविद्यालय कच्चे अंकों का उपयोग करता है। विज्ञान और गणित की तुलना में मानविकी पाठ्यक्रमों में कच्चे अंक प्रायः कम ही होते हैं। मैं परीक्षा की तकनीकों में जाना नहीं चाहता हूं। कभी यह कहा जाता था कि अधिक बुद्धिमान छात्र ही विज्ञान पाठ्यक्रमों में जाते हैं और कम बुद्धिमान छात्र मानविकी पाठ्यक्रमों में जाते हैं। यह सच नहीं है।

हमारी 10+2 प्रणाली में, विशिष्टीकरण जमा 2 के स्तर पर ही होता है। जिस

स्कूल के साथ मैं जुड़ा हुआ था, उस समय से ही मैं जानता हूं कि अंग्रेजी साहित्य का स्तर उतना ही ऊंचा है जितना अन्य विश्वविद्यालयों तथा बाहर के विश्वविद्यालयों में। मैं एक परीक्षा बोर्ड का प्रभारी था। मैंने प्रश्न-पत्र, छात्रों के उत्तर और अंक देने की योजना लंदन और केम्ब्रिज बोर्डों को भेजी उन्होंने हमारे छात्रों की योग्यता के ऊंचे स्तर पर अपना सन्तोष व्यक्त किया। अंग्रेजी में ऐसे उच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्र जब विश्वविद्यालय में प्रवेश करते हैं तो प्रथम श्रेणी नहीं ला पाते हैं जबकि भौतिकी और गणित में छात्र सरलता से प्रथम श्रेणी ले जाते हैं। यह विफलता हमारी परीक्षा प्रणाली में है ? भारत में इस बारे में अनुसंधान किया गया और प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया गया। 1940 में प्रो० चक्रवर्ती ने इस समस्या की जांच की थी। उसके बाद 1961 में गायेन द्वारा यह कार्य किया गया और 1962 में डोंगरकेरी प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। 'टेलर' द्वारा भी इस समस्या पर कार्य किया गया तथा इस समय के हीर-विश्वविद्यालय बोर्ड की उच्चतर शिक्षा में परीक्षाओं पर एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। इन सभी ने अंकों के अनुसार ही छात्रों की योग्यता को मापे जाने की आशंका की। इससे हमारी परीक्षा-प्रणाली अंकों पर और भी अधिक निर्भर हो जाएगी। मैं 'उच्चतर शिक्षा में परीक्षा विषय पर दिए गए प्रतिवेदन से कुछ उद्धृत करता हूं :

> "मूल्यांकन ही एक मात्र महत्वपूर्ण सुधार है जो हमारे परीक्षा अंकों को आज से भी अधिक विश्वसनीय बना देगा।"
>
> कम अंकों के बारे में बोलते हुए मैं इन शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।
>
> पिता ने पुत्र से कहा, "इतने कम अंक आने पर तो खूब पिटाई की जानी चाहिए।"
>
> पुत्र ने उत्तर दिया, "बहुत अच्छा डैडी, मैं अध्यापक का घर जानता हूं।"

***श्रीमती प्रमिला दण्डवते (बम्बई उत्तर-मध्य)** : सभापति महोदय अभी हम शिक्षा और संस्कृति मन्त्रालय के नियन्त्रणाधीन अनुदान की मांगों पर चर्चा कर रहे हैं। अनुदान की मांगों पर चर्चा से, माननीय सदस्यों को, गत 36 वर्षों के दौरान देश में हुई शिक्षा की प्रगति का जायजा लेने और उसके सुधार के लिए कुछ उपायों का सुझाव देने का बड़ा अच्छा अवसर प्राप्त हुआ है। अब एक ऐसा समय आ गया है जब हम शिक्षा के क्षेत्र में की गई अपनी प्रगति की समीक्षा करें और इस बात का मूल्यांकन करें कि इससे व्यष्टि और समष्टि के विकास में कितनी सहायता मिली है।

यह शिक्षा प्रणाली हमें अंग्रेजों से विरासत में मिली है, जिसे इसके निमान्ताओं ने, ऐसे व्यक्तियों को अपने उद्देश्यार्थ अनुरूप प्रशिक्षित करने हेतु विकसित किया था, जो कि उनके प्रशासन संचालन में सहायता कर सकें। परन्तु आजादी के बाद भी, हमने अपनी शिक्षा प्रणाली को अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की पद्धति के अनुरूप ढाल लिया। अतः, यह

*मराठी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर

देश में आवश्यक प्रशिक्षित मानव-शक्ति प्रदान करने में असफल रही है। अंग्रेज गुलाम मनोवृत्ति वाला एक बाबू वर्ग चाहते थे। अतः उन्होंने ऐसी शिक्षा-प्रणाली विकसित की जो उनके उद्देश्य के अनुकूल थी। वे इस देश के नागरिकों के ज्ञानोदय और उनके बौद्धिक विकास के लिए शिक्षा नहीं देना चाहते थे इस सीमित उद्देश्य वाली यह शिक्षा-प्रणाली ऐसे व्यक्तियों को प्रशिक्षित नहीं कर सकी जो कि स्वतन्त्रता चिन्तन को अपना सकें।

तथापि, स्वतन्त्रता के बाद हमने शिक्षा के मूल उद्देश्य में परिवर्तन कर दिया। हमने यह विचार किया कि शिक्षा न केवल व्यक्ति के विकास का साधन है, अपितु सामाजिक परिवर्तन का भी एक अत्यन्त शक्तिशाली साधन हैं। केवल शिक्षा द्वारा ही, आत्म-निर्भरता के सिद्धांत पर आधारित, नये समाज का निर्माण सम्भव है। अतः, शिक्षा के प्रसार हेतु, हमें अधिकाधिक धन-राशि का निवेश करना होगा। किसी भी प्रकार प्रगति, चाहे यह उद्योग के क्षेत्र में हो, कृषि, योजना, प्रशासन के क्षेत्र में हो, तभी प्राप्त की जा सकती है, जबकि नागरिक सही ढंग से शिक्षित हों। किसी भी राष्ट्र के विकास में, एक व्यक्ति की भी निर्णायक, महत्वपूर्ण स्थिति होती है। अतः, इस देश के नागरिकों को शिक्षित करने के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जानी चाहिए। चूंकि हम व्यक्ति के विकास हेतु अपनी शिक्षा प्रणाली को त्वरित गति प्रदान करने में असफल रहे हैं तो, हमें इसके गम्भीर परिणामों का सामना करना पड़ रहा है जो कि उन विषमताओं, विरोधाभासों और असमताओं से स्पष्ट है जो कि आज भी हमारे देश में विद्यमान हैं। एक ओर तो हमने इस सीमा तक वैज्ञानिक प्रगति प्राप्त कर ली है कि श्री राकेश शर्मा नाम के भारतीय ने अन्तरिक्ष में सफलतापूर्वक यात्रा की है, परन्तु दूसरी हजारों ऐसी आम जनता है और राजनीतिज्ञों जैसे समाज के सबसे ऊंचे दर्जे के लोग हैं जो कि 'तान्त्रिक' आदि की सलाह जैसे अन्धविश्वासों में जीते हैं। विरोधाभास का एक अन्य ज्वलन्त उदाहरण यह है कि इस देश की एक महिला प्रधान मन्त्री जैसी स्पृहणीय स्थिति में है, परन्तु उसी के साथ-साथ ऐसी हजारों स्त्रियाँ हैं जो गुलामी का जीवन जी रही हैं और उनके कष्टों का कोई अन्त नहीं है। यही समय है कि हम ऐसे विरोधाभासों और असमानताओं का कारण ढूढ निकालें। मेरे विचार से, इसका सम्बन्ध हमारी उन गलत शिक्षा नीतियों से अधिक है, जिन्हें हम अभी तक अपनाते चले आ रहे हैं।

कुछेक वर्षों के बाद हम इक्कसवीं शताब्दी में प्रवेश कर जायेंगे। हमारे समक्ष शिक्षा के कुछ लक्ष्य हैं। यदि हम साक्षरता की दर पर दृष्टिपात करें और उसकी तुलना उन देशों के साथ करें जो हमारे साथ ही स्वतन्त्र हुए थे तो, हमारी असफलता एक दम स्पष्ट हो जाती है। 1951 में साक्षरता 16.17 प्रतिशत थी और आज यह 36.37 प्रतिशत है। विभाजन से पहले हमारी कुल जनसंख्या 40 करोड़ थी। परन्तु, महोदय आपको आश्चर्य होगा कि आज उस समय की जनसंख्या से कहीं अधिक निरक्षरों की संख्या है। यह 44 करोड़ है।

अतः, यह तो हमारी उपलब्धि है । मैं अपनी साक्षरता की दर से अन्य देशों के साथ तुलना करना चाहूंगी :

दक्षिण कोरिया	93 प्रतिशत
फिलीपाइन्स	75 प्रतिशत
थाईलैंड	84 प्रतिशत
श्रीलंका	84 प्रतिशत
इन्डोनेशिया	62 प्रतिशत
मलेशिया	60 प्रतिशत
चीन	66 प्रतिशत
भारत	36 प्रतिशत

साक्षरता की दर में हम सबसे पीछे हैं। और तभी भी हम एशिया महाद्वीप के नेतृत्व की बात करते हैं। मैं साक्षरता के सम्बन्ध में 1960 और 1977 के आंकड़े भी उद्धृत करना चाहूंगी ।

	1960	1977
इन्डोनेशिया	39 प्रतिशत	62 प्रतिशत
थाईलैंड	68 प्रतिशत	83 प्रतिशत
भारत	28 प्रतिशत	36 प्रतिशत

स्त्रियों में साक्षरता की दर की स्थिति और भी अधिक दयनीय है जो कि केवल 24.8 प्रतिशत है। इससे केवल यही सिद्ध होता है कि हम इस देश में साक्षरता को बढ़ावा देने में पूर्णतया असफल रहे हैं ।

विभिन्न क्षेत्रों में, विकास के अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, यह अनिवार्य हो जाता है कि हम अपने बजट में शिक्षा हेतु आवंटन को बढ़ाएं। परन्तु कितने आश्चर्य की बात है कि हम शिक्षा हेतु धन के आवंटन में कमी कर रहे हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान कुल योजना व्यय में, शिक्षा के लिए आवंटन 5.2 प्रतिशत था। परन्तु, पांचवी और छठी योजना के दौरान यह क्रमशः और घटकर 3.3 प्रतिशत और 2.7 प्रतिशत हो गया। श्री बो० जी० खेर ने अपने प्रतिवेदन में उल्लेख किया था कि शिक्षा के लिए केन्द्र और राज्य को योजना व्यय में 10 और 20 प्रतिशत तक का आवंटन करना चाहिए। अधिकाधिक व्यक्तियों को शैक्षिक सुविधाए प्रदान करने की हमारी नीति है, परन्तु कितने आश्चर्य की बात है कि हम धन आवंटन में कमी करते चले जाते हैं। हमारा लक्ष्य प्राथमिक स्तर पर 95 प्रतिशत को विद्यालय भेजने का है। यह उल्लेखनीय बात है कि हमारी जनसंख्या का 42 प्रतिशत 15 वर्ष की आयु से नीचे के लोग हैं। अतः, मुझे संदेह है कि आया क्या

शिक्षा के लिए वर्तमान आवंटन पर्याप्त होगा। आजकल हम सातवीं पंचवर्षीय योजना तैयार कर रहे हैं। मेरा शिक्षा मंत्री महोदया से निवेदन है कि उपरोक्त मुद्दों पर विचार करें और शिक्षा के लिए आवंटन में पर्याप्त वृद्धि करें। छठी पंचवर्षीय में शिक्षा की घोर उपेक्षा की गई थी। मैं यह बता देना चाहती हूं यदि आप शिक्षा के लिए आवंटन में वृद्धि करें तो विपक्ष का आपको पूर्ण समर्थन मिलेगा।

हमें अब इस बात पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना होगा कि हमारी शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य क्या होना चाहिए। मेरे मतानुसार हमारा उद्देश्य व्यक्ति को इस प्रकार प्रशिक्षित करना होना चाहिए, जिससे वह एक उत्तरदायी नागरिक बन सके जो कि सही अर्थों में प्रजातंत्रीय, सामाजिक और धर्म-निरपेक्ष भारत का निर्माण कर सके। हमें अपनी भावी पीढ़ियों में राष्ट्रीय भावना और राष्ट्रीय एकता भावना जगानी होगी। वर्तमान स्थिति तो बहुत ही निराशाजनक है। विभाजक तावतें अपना बदसूरत सिर ऊपर उठा रही है। भाषाई और अन्य जातीय समस्याएं वातावरण को बोझिल बना रही हैं। हम ऐसे नागरिक पैदा करने में असफल रहे हैं जो चरित्रवान हों जो देशभक्ति की भावनाओं से भरपूर हों। अतः, समय की माँग यह है कि शिक्षा की एक ऐसी प्रणाली विकसित की जाए जो एक व्यक्ति को धर्म निरपेक्ष और देशभक्त बनाए। केवल तभी हम इस देश में लोकतंत्र को बनाए रख सकते हैं। परन्तु दुर्भाग्य से हम ऐसी शिक्षा प्रणाली अपनाने में असफल रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि हमारी शिक्षा प्रणाली 'उपयोगिता-परक' होनी चाहिए। परन्तु प्राथमिक शिक्षा के पूर्व से लेकर विश्व-विद्यालयीय शिक्षा तक इतना भ्रष्टाचार व्याप्त है कि मुझे सन्देह है कि क्या हम अपने देश में इस प्रकार की शिक्षा दे सकते हैं। मैं यह बता देना चाहती हूं कि कुछ विश्व-विद्यालय प्रावेशिक शुल्क लेते हैं। चिकित्सा महा विद्यालयों में प्रवेश पाने के लिए अंक विवरणिकाओं में अंक बदलने जैसी अनियमितताएं बरती जाती हैं। प्रभावशाली लोग इस प्रकार के गलत हथकण्डे अपनाकर प्रवेश पाने में सफल हो जाते हैं। अतः, योग्यता का मापदण्ड भी सही नहीं है। मुझे दिल्ली में कुछ ऐसे अभिभावक मिले जिन्होंने मुझे बताया कि दिल्ली में किसी अच्छे नर्सरी स्कूल में प्रवेश के लिए 20,000 रुपए तक का अंशदान करना पड़ता है। इस प्रकार भ्रष्टाचार शिक्षा के हर स्तर पर व्याप्त है। एक बच्चा जो यह जानता है कि उसके माता-पिता को उसे नर्सरी में प्रवेश दिलाने के लिए 20,000 रुपए खर्च करने पड़े थे तो जब वह शिक्षा समाप्त करता है तो वह 20 लाख रुपए लेने का प्रयास करता है। वह ईमानदारी में विश्वास नहीं रखता है और ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से कभी नहीं पढ़ता है। हमने शिक्षा का जो उद्देश्य नियोजित किया है, इस मनोवृत्ति की पीढ़ी उसे कभी नहीं प्राप्त कर सकेगी।

शिक्षा को हमारी बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए। हमने 10+2+3 प्रणाली को अपनाया है। पश्चिमी देशों में, जब तक कोई छात्र दसवीं पास करता है, वह आवश्यक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर लेता है और उच्च शिक्षा प्राप्त करने की छूट उसे सदैव रहती है। परन्तु हमारी शिक्षा प्रणाली में, जब कोई बच्चा प्राथमिक कक्षा से पूर्व कक्षा में प्रवेश पाता है तो वह विश्व-विद्यालय से स्नातक

बनकर ही निकलता है । हमारे यहां पर केवल एकल मुद्दा प्रवेश होता है और किसी बच्चे को सभी अवस्थाओं से यान्त्रिक रूप से गुजरना पड़ता है । हमारी शिक्षा प्रणाली एक बड़े कारखाने की तरह है जहां बच्चे-कच्चे माल के रूप में प्रवेश करते हैं लेकिन तैयार माल भी आशा के अनुरूप नहीं होता । जब वह शिक्षा पूरी करता है तो नौकरी की कोई गारंटी नहीं होती और वह हताश हो जाता है तथा उसका कोई भविष्य नहीं है । प्रणाली बहुत दोषपूर्ण भी है तथा यह व्यक्ति को आत्म-निर्भर बनने में कोई सहायता नहीं करती ।

कोठारी आयोग ने व्यवसायिक शिक्षा पर बल दिया था । हमारे देश में बहुत सी तकनीकी संस्थाए हैं और अब हमें उनकी उपयोगिता का मूल्यांकन करना है । हमें केवल उतनी प्रशिक्षित तकनीकी मानवशक्ति तैयार करनी है जितनी हमें चाहिए । लेकिन इस समय यह हमारे पास फालतू है तथा जिन नवयुवकों ने तकनीकी शिक्षा प्राप्त की है, उनमें काफी हताशा है । तमिलनाडु में किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि वहां 20 हजार ऐसे नवयुवक हैं जिन्होंने अपनी तकनीकी शिक्षा पूरी कर ली है, लेकिन वे बेरोजगार हैं । 1 77 में तमिलनाडु में तकनीकी शिक्षा प्राप्त 30 हजार व्यक्ति थे, जिन्हें नौकरी नहीं मिल पाई । इससे पता चलता है कि इस देश में तकनीकी शिक्षा हमारी आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है शिक्षा केवल 'रोजगारोन्मुख' ही नहीं होनी चाहिए, यह 'स्व-रोजगारोन्मुख' भी होनी चाहिए । चूंकि हमारी जनसंख्या का 70 प्रतिशत भाग गांवों में रहता है, अब हमें उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होगी । इस दृष्टिकोण से कृषि-उद्योग, मछली पालन, डेयरी तथा ऐसे ही अन्य उद्योगों को प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर मिल सकें ।

हमने 2,000 ई० तक सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना बनाई थी । हमारी स्वास्थ्य नीति में मुख्य बल निरोधक औषधियों पर दिया जाना चाहिए । ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए । हमारी महिलाओं को स्वास्थ्य शिक्षा दी जानी चाहिए । वैज्ञानिक दृष्टिकोण को उत्साहित करने पर हमें बल देना चाहिए ।

बजट में शिक्षा के लिए आवंटित धन राशि का 75 प्रतिशत भाग महिलाओं की शिक्षा पर खर्च किया जाना चाहिए । महिलाओं के लिए दसवीं कक्षा तक निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए । यदि महिला शिक्षित होगी तो वह समूचे परिवार को शिक्षित कर सकती है । अतएव महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है ।

हमारे बच्चों के लिए पूर्व-प्राथमिक शिक्षा आवश्यक है । यदि हम काफी संख्या में पूर्व-प्राथमिक स्कूल खोलें तो हम बहुत सी महिलाओं को रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं । मैंने प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों की समस्याओं के बारे में माननीय मंत्री को लिखा था । मैं अनुरोध करता हूं कि माननीय मंत्री कृपया उनकी शिकायतों पर गौर करें तथा कोई हल ढूंढें । पूर्व-प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ रहे बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए कुछ योजनाएं आरम्भ की जानी चाहिए । यह कहने की आवश्यकता नहीं

है कि केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चों की ही प्रतिभा का विकास हो सकता है तथा वे भविष्य में सामाजिक जिम्मेदारियों को निभा सकते हैं।

केन्द्रीय विद्यालयों के अध्यापक इस बात को लेकर आन्दोलन कर रहे हैं कि उन्हें अन्य सरकारी कर्मचारियों के समकक्ष माना जाना चाहिए। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करती हूं कि वह उनकी समस्याओं पर गौर करें।

मध्यम-वर्गीय छात्र विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा का खर्च वहन नहीं कर सकते। बहुत से विश्वविद्यालयों में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। मैं सुझाव देना चाहूंगी कि हमें अपने विश्वविद्यालय दो वर्ष के लिए बन्द कर देने चाहिए। मुझे विश्वास है कि ऐसी स्थिति से कोई हानि नहीं होगी। हम अपने युवाओं को श्रम का गौरव सिखा सकते हैं तथा उन्हें वृक्षारोपण जैसे रचनात्मक कार्य आरम्भ करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं।

परीक्षाओं में भ्रष्ट तरीके अपनाए जाते हैं। प्रश्न-पत्र पहले ही बिक जाते हैं। हमारी परीक्षा प्रणाली में कुछ मूलभूत परिवर्तन करने की आवश्यकता है। केवल तभी हम इसे समाप्त कर सकते हैं। मेरा सुझाव है कि छात्रों को परीक्षा में पुस्तकें देखने की अनुमति दे दी जानी चाहिए। केवल वही छात्र सभी संदर्भ जुटा पाने में सफल होगा जिसने भली भांति अध्ययन किया होगा। ऊंचे मूल्यों तथा मानदण्डों का आचरण करके ही नैतिकता मन में बैठाई जा सकती है। यह छात्रों पर थोपी नहीं जा सकती। इसलिए, परीक्षा की मौजूदा प्रणाली को जो छात्रों में अपराधिक प्रवृत्तियों को बढ़ावा देती है, पूरी तरह बदल देना चाहिए।

मैं फिर कहती हूं कि महिलाओं की शिक्षा को उच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए और हमारी शिक्षा प्रणाली इस ढंग से बनाई जानी चाहिए कि यह भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : सभापति जी, मैं शिक्षा मंत्रालय की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। नए बीस सूत्री कार्यक्रम में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यह रखा गया है कि शिक्षा का सर्वत्र प्रसार किया जाए और सभी को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिलाई जाए। यह उद्देश्य बहुत अच्छे हैं और इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए 1990 तक का समय निर्धारित किया गया है। यूनिवर्सलाईजेशन आफ एजूकेशन 1990 तक प्रधान मन्त्री के नए बीस सूत्री कार्यक्रम के मंशे के मुताबक पूरा किया जाएगा। इस सम्बन्ध में जो कार्यवाही हो रही है उसकी ओर हम जब नजर दौड़ाते हैं तो जहां हमको एक तरफ इस बात से संतोष होता हैं कि देश के बहुत सारे राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में प्रगति अच्छी है, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ठोक प्रकार से काम किए गए हैं और किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हमें बड़ी मायूसी होती है कि बहुत से ऐसे राज्य भी हैं जहां ठीक

प्रकार से इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए काम नहीं किए जा रहे हैं। उन प्रदेशों में इस बात का शुबहा बना हुआ है कि 1990 तक जो मंशा पूरी करने का लक्ष्य हमारे शिक्षा मंत्रालय ने और विशेषकर प्रधान मन्त्री के नए बीस सूत्री कार्यक्रम ने निर्धारित किया है वह पूरा हो भी पाएगा या नहीं। इस सम्बन्ध में हमारी सबसे पहले निगाह उत्तर प्रदेश की तरफ जाती है जो कि इस देश का सबसे बड़ी आबादी वाला प्रदेश है। उत्तर प्रदेश शिक्षा के मामले में भी सबसे अधिक पिछड़ा हुआ है और इस प्रकार का शुबहा बराबर व्यक्त किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश इस मंशा को पूरा नहीं कर सकता।

अभी पिछले दिनों 7 अप्रैल के 'जनसत्ता' में मैंने एक आर्टिकल देखा जिसका शीर्षक मैं कोट करना चाहूंगा। उसका शीर्षक था—"उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षा में अंधेरा।" इसका पहला पैराग्राफ भी मैं कोट करना चाहता हूं :

> "अगली बरसात में उत्तर प्रदेश के मौसम की दया दृष्टि पर चलने वाले 15 हजार से अधिक भवनहीन विद्यालय बन्द ही रहेंगे। अगली बार पढ़ाई-लिखाई न करने वाले एक करोड़ 10 लाख मजदूरी करने वाले बेबश बच्चों की तादाद बढ़ जाएगी। स्कूल का मुख देखना शायद ही बच्चों को मिलेगा।"

सभापति जी, उत्तर प्रदेश में आज हालत यह है कि आधे से अधिक प्राथमिक विद्यालयों का भवन नहीं है, चाहे सरकारी फाइलों में या केन्द्रीय सरकार के पास सूचना जो कुछ भी हो। वे बच्चे आसमान के नीचे, पेड़ों की छाया के नीचे पढ़ रहे हैं। बहुत से विद्यालय ऐसे हैं, जो विद्यालय बना दिए गए हैं, लेकिन उनके भवनों का निर्माण नहीं हुआ। बहुत अधिक संख्या ऐसे विद्यालयों की हैं, जो वर्षा में बाढ़ के कारण या पुराने होने के कारण गिर गए हैं, ढह गए हैं और न उनकी कोई मरम्मत हुई है और न ही उनका पुनर्निर्माण हुआ है।

उत्तर प्रदेश में हर वर्ष प्रत्येक जिले में चार या छः विद्यालय बनाए जाने की योजना आती है। चार-छः विद्यालय बनाए जाते हैं, लेकिन 40-50 विद्यालय हर वर्ष बरसात के दिनों में गिर जाते हैं। ऐसी स्थिति में बरसात के दिनों में या गर्मी की तप्ती धूप के दिनों में पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पाती है। लड़के पढ़ाई छोड़कर चले जाते हैं, अध्यापक पढ़ाई नहीं करा पाते हैं और हमारी शिक्षा के लक्ष्य की बात पूरा होना तो दूर, उत्तर प्रदेश में जितने विद्यार्थी हैं उनकी आधी संख्या को भी सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं। जो सुविधाएं उपलब्ध हैं, वह आधी संख्या के लिए भी ठीक प्रकार से नहीं हैं। ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश में हम कैसे यूनिवर्सल एजूकेशन को पूरा कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि यह स्थिति दूसरे स्थानों की भी होगी। बहुत से गांव ऐसे हैं, जहां कि आबादी 1500 से 2000 तक है, लेकिन आज भी प्राथमिक पाठशालाएं नहीं है। जिसका भयंकर परिणाम यह हो रहा है

कि बहुत बड़ी तादाद लड़के-लड़कियों की पढ़ाई से वंचित रह जाती है। बावजूद इसके कि हमने मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ शिक्षा प्राथमिक आधार पर खतरनाक मोड़ ले रही है। बहुत से ऐसे स्कूल और कालेज खुल रहे हैं, जो एक विशेष मोटिव से चलाए जा रहे हैं। व्यापारिक दृष्टिकोण से स्कूल खोले जा रहे हैं, जहां पर 20-20, 25-25 या 50-50 रु० फीस ली जा रही है। इन स्कूलों से पैसा कमाया जा रहा है, व्यापार किया जा रहा है। कुछ विद्यालय आइडियोलाजिकल प्रसार के लिए चलाए जा रहे हैं। एक विशेष प्रकार की आइडियोलाजी भरने के लिए स्कूल खोले जाते हैं। लड़के-लड़कियों के माता-पिता स्वयं पढ़े-लिखे नहीं होते हैं, उनको अपने बच्चों को भेजना पड़ता है। आर०एस०एस० के लोग शिशु मन्दिर की शाखाएं जगह-जगह खोल रहे हैं। वहां संकीर्ण मनोवृत्ति की शिक्षा दी जा रही है या आनन्द मार्ग के लोग जगह-जगह स्कूल खोल रहे हैं। वहाँ देश में अलगाव और दूसरे प्रकार की खतरनाक जहनियत शिक्षा दी जा रही है।

सरकार जो निःशुल्क शिक्षा का दावा करती है, जब वहाँ तक शिक्षा सुविधाएं पहुंचाने में असमर्थ है, तब बाध्य होकर लोग इस प्रकार की संकीर्ण, संकुचित मनोवृत्ति की शिक्षा को ग्रहण करने के लिए तैयार हो रहे हैं।

आज कल शिक्षा दो हिस्सों में बट गई है—एक बड़े शहरों की शिक्षा, जिनके पास पैसा है, जो उसके खर्चे को एफोर्ड कर सकते हैं, उनके लिए और दूसरी गरीबों के लिए। एक शहरों में रहने वालों के लिए है और दूसरी देहातों में रहने वालों के लिए है। जो पैसा खर्च कर सकते हैं, अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में भेजते हैं मैरिट के आधार पर नहीं, पैसे के आधार भेजते हैं। दिल्ली शहर में ही एक-एक स्कूल ऐसे हैं जहाँ एक विद्यार्थी के प्रवेश के लिए 15-20 हजार, बल्कि 25 हजार रुपए दिए जाते हैं। काफी संख्या में ऐसे स्कूल हैं, जहां काफी फीस ली जाती है। लेकिन गांवों में ऐसे स्कूल हैं जहां छत नहीं है, आसमान के नीचे, पेड़ों के नीचे पढ़ रहे हैं। मैं चाहूंगा—शिक्षा मंत्री जी अपने जवाब में बतलाएं, यूनीवर्सलाइजेशन का जो उद्देश्य है, वह उत्तर प्रदेश में कैसे पूरा होगा। मैं समझता हूं उनके पास भी इस बात के आंकड़े होंगे, क्योंकि वे स्वयं भी उत्तर प्रदेश से आती हैं, कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा को किस तरह से नजर-अन्दाज किया जा रहा है। किस तरह से वहाँ पर स्कूल बिना भवन के चल रहे हैं, साज-सज्जा के बिना चल रहे हैं, बैठने के लिए टाट-पट्टी तक नहीं है, लिखने के लिए ब्लैक-बोर्डस तक नहीं हैं। इस तरह से आप शिक्षा का उद्देश्य कैसे पूरा कर सकती हैं?

सभापति जी, पूरे देश में जहाँ क्लास 1 से लेकर 8 तक शिक्षा निःशुल्क है, वहाँ उत्तर प्रदेश के बारे में शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में लिखा है—

> "अनुच्छेद 45 के सांविधानिक निर्देश के अनुसार उत्तर प्रदेश में कक्षा 7-8 के बालकों को छोड़कर सभी सरकारी, स्थानीय निकायों तथा सहायता-

प्राप्त विद्यालयों में प्राथमिक स्तर (श्रेणी -5) तथा माध्यमिक स्तर (श्रेणी -8) की शिक्षा सभी राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों में निःशुल्क है।"

शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक केवल उत्तर प्रदेश ही पूरे देश में ऐसा प्रदेश है जहां क्लास 6 से 8 तक शिक्षा फ्री नहीं है। इस बारे में शिक्षा मन्त्री महोदया को विशेष ध्यान देना चाहिए।

अब मैं माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में कुछ शब्द कहना चाहता हूं—मैं बहुत अधिक तो नहीं कह सकता, क्योंकि समय कम है, लेकिन एक बात की तरफ शिक्षा मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं - आज कल "नकल" एक आम बात हो गई, चाहे हाई स्कूल की परीक्षा हो, चाहे +2 की परीक्षा हो— नकल करने की बीमारी तमाम विद्यालयों को घेरे हुए है···

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : यू०पी० में।

श्री जैनुल बशर : यू०पी० में सबसे ज्यादा है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मेरी स्टेट में नहीं है।

श्री जैनुल बशर : बहुत अच्छी बात है, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली में नकल की बीमारी आम हो गई है। इसको रोकने का क्या तरीका होगा ? इस के लिए परीक्षा का जो तरीका है, उसमें व्यापक तरीके से सुधार करने की आवश्यकता है।

मेरे एक मित्र बतला रहे थे—जो प्रधानाचार्य रहे हैं और शायद, सभापति जी, आप भी जानते होंगे, कि लड़कों के अभिभावक, उनके भाई, उनके पिता, उनके गार्डियन, नकल कराने के लिए स्वयं स्कूल जाते हैं। और नकल करने में मदद करते हैं। एक प्रधानाचार्य मुझे बता रहे थे कि एक साहब उनके पास आए, लड़के के पिता लड़के को साथ लेकर आए और कहा कि नकल के मामले में मेरे लड़के की कुछ मदद कीजिए। उन्होंने कहा कि मैं मदद करने का तैयार हूं लेकिन कौन नकल कराएगा। उन्होंने कहा कि मैं लिख कर भेज दूंगा और लड़का लिख लेगा। इस पर प्रधानाचार्य ने कहा कि मुझे यह जान कर बड़ी प्रसन्नता है कि आप अपने लड़के को नकल करा सकते हैं लेकिन मुझे दुःख इस बात का है कि आपका लड़का अपने लड़के को नकल कैसे कराएगा। इस तरह से ऐसे विद्यार्थियों की बहुत बड़ी संख्या है, जो नकल के आधार पर परीक्षा में आगे बढ़ रहे हैं और इसका नतीजा आप देख रहे हैं कि किस प्रकार की क्वालिटी सामने आ रही है। इसलिए मेरा कहना यह है कि इस पर नजर रखने की जरूरत है और मैं चाहता हूं कि परीक्षा के मामले में खासकर इस प्रकार के सुधार किए जाएं कि यह जो नकल की बीमारी है, उससे छुट्टी मिल सके। हमने सुना है कि विदेशों में लोग कापी किताब रखकर परीक्षा देते हैं। इस प्रकार की पढ़ाई की वहां पद्धति है। इस प्रकार से यहां पर इस बारे में कुछ विचार किया जाना चाहिए।

अब मैं यूनिवर्सिटी एजूकेशन की तरफ आना चाहता हूं। मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं कि अपेक्षाकृत इस वर्ष यूनिवर्सिटी एजूकेशन के क्षेत्र में काफी शान्ति रही है और जिस प्रकार से पहले अशान्ति यूनिवर्सिटी में हुआ करती थी, उसमें काफी सुधार आया है और इसके लिए मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। जैसा कि बताया गया है कि केवल बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी ही शिक्षा सत्र से कुछ पीछे है और वह भी कुछ फैकेल्टीज में और बाकी जो सेन्ट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, वे अपने शिक्षा सत्र के मुताबिक काम कर रही हैं। यह एक अच्छी बात है। आज से दो साल पहले कई यूनिवर्सिटियां शिक्षा के मामले में अपने शिक्षा सत्र से पीछे थीं लेकिन इस साल वहाँ पर शान्ति है और इसके लिए मैं शिक्षा मन्त्री जी को बधाई देता हूं लेकिन एक बात बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी के बारे में कहना चाहता हूं कि आखिर वह शिक्षा सत्र से पीछे क्यों चल रहा है। वह एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, जहां कि टैक्निकल शिक्षा से लेकर ह्यूमीनटीज तक शिक्षा के लिए बहुत बड़ी सुविधाएं उपलब्ध हैं। वहाँ पर अच्छे प्रोफेसर हैं, अच्छे टीचर हैं और सभी सुविधाएं हैं लेकिन फिर भी वह यूनिवर्सिटी पीछे क्यों है। अभी यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन की रिपोर्ट आई है और उसने जो इस यूनिवर्सिटी के बारे में अपनी राय जाहिर की है, वह कोई अच्छी राय नहीं है। उसने यह लिखा है कि यह यूनिवर्सिटी अपना नेशनल करेक्टर समाप्त कर रही है और आल इण्डिया करेक्टर खो रही है। वहां पर जो स्टूडेंट्स हैं, उनमें 90 प्रतिशत से अधिक विद्यार्थी उत्तर प्रदेश और बिहार के रहने वाले हैं इसी प्रकार से अध्यापकों में भी 75 और 80 प्रतिशत अध्यापक उत्तर प्रदेश और बिहार के रहने वाले हैं। इस तरह एक महान् शिक्षा संस्थान अपना अखिल भारतीय चरित्र खो रही है, यह दुःख की बात है और चिन्ता का विषय है। मैं चाहता हूं कि शिक्षा मन्त्री जी इस तरफ कदम उठाएं और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के बारे में एक काम्प्रीहैंसिव बिल लाएं। बहुत दिनों से वह ओवरड्यू है और इसके बारे में बार-बार शिक्षा मन्त्रालय और शिक्षा मन्त्री जी यह कहती आ रही हैं कि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के लिए एक काम्प्रीहैंसिव बिल बनाया जा रहा है जो कि इस सदन में पास किया जाएगा लेकिन चार वर्ष होने के बावजूद यह अभी तक नहीं आया है। मैं प्रत्येक वर्ष सवालों के माध्यम से, कालिंग एटेंशन के माध्यम से और जब भी शिक्षा मन्त्रालय पर बहस होती है, उसके माध्यम से बराबर यह मांग करता आ रहा हूं कि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के लिए एक काम्प्रीहैंसिव बिल पास किया जाना चाहिए ताकि उस यूनिवर्सिटी में जो त्रुटियां हैं, जो खराबियां हैं, उनको दूर किया जा सके और उस यूनिवर्सिटी को एक अच्छी दिशा दी जा सके।

एक बात मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के बारे में कहना चाहता हूं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हमारे देश की एक बहुत ही प्रैस्टीजियस यूनिवर्सिटी बनाई गई है, जिस पर सभी विश्वविद्यालयों से अधिक पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन उस यूनिवर्सिटी के बारे में बराबर समाचारपत्रों में छपता रहता है। वहाँ पर भ्रष्टाचार की भी शिकायत है। जो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी हो और जहां पर इतने बड़े बड़े विद्वान् प्रोफेसर हों, वहां के लिए इस प्रकार की शिकायत आना बड़े शर्म की बात है और एक बड़ी

गलती जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने इस वर्ष की है कि पिछड़े हुए क्षेत्रों के आधार पर जो एडमिशन हुआ करते थे, उन पर इस साल रोक लगा दी है, मैं इसके खिलाफ हूं। मैं चाहता हू कि पिछड़े क्षेत्रों के आधार पर जो एडमिशन के लिए स्थान आरक्षित रखे जाते थे, उस को फिर से चालू किया जाए। सभापति जी, नैतिक आधार पर यह न्याय की बात है, कानूनी आधार पर आप चाहे जो भी कह सकते हैं लेकिन नैतिक आधार पर पिछड़े हुए क्षेत्रा के विद्यार्थियों को मैरिट के आधार पर लेना चाहिए और उन के लिए भी वहाँ पर स्थान रहने चाहिए। इसके लिए एक बहुत बड़ा आन्दोलन चल रहा है। बहुत से पिछड़े क्षेत्रों के विद्यार्थी जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी मे आ सकते थे, अगर यह नीति चालू रही, जो इस वर्ष कायम की गई है, वे नहीं आ सकते हैं और यह विश्वविद्यालय केवल दिल्ली तक ही महदूद रह जाएगा क्योंकि हमारे यहां शिक्षा की पढ़ाई में बहुत अन्तर है एक राज्य में और दूसरे राज्य में। मैं तो यह देखता हूं कि जहां दिल्ली में अधिक नम्बर देने की नीति है और शिक्षक यह सोचते हैं कि अधिक से अधिक नम्बर दिए जाएं, वहाँ हमारे उत्तर प्रदेश में कम नम्बर देने की नीति है।

उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों के एग्जामीनर नम्बर देने में बहुत कंजूस है। दूसरी तरफ दिल्ली के एग्जामिनर्स नम्बर देने में बहुत फराक-दिल हैं। हिस्टरी और इंगलिश जैसे विषय में 70 और 75 प्रतिशत नम्बर लेना आसान है। उत्तर प्रदेश में 60 परसेंट नम्बर लेना बहुत मुश्किल है। इसलिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और दूसरे राज्यों के लोग जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में प्रवेश नहीं ले सकते। केवल दिल्ली या आस-पास के रहने वाले लड़कों को या जो केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं, उनको जे० एन० यू० में एडमिशन मिल जाता है। मैं कहना चाहूंगा कि पिछड़े क्षेत्रों की जो आरक्षण की मांग थी, उस पर पुनर्विचार करें। पहले जो नीति थी, उसी को जारी रखे। यूनिवर्सिटीज में जो टीचर्स के अपाइन्टमेंट होते हैं, उनकी भी फेवरेटिज्म की बराबर शिकायत मिलती रहती हैं। कहीं पर जाति-बिरादरी, कहीं पर धर्म के नाम पर, कहीं पर आइडियोलाजी और कहीं पर किसी प्रोफेसर का चहेता स्टूडेन्ट होने के नाम पर अपाइन्टमेंट में धांधली की शिकायत मिलती रहती है। क्या कोई ऐसा तरीका नहीं अपनाया जा सकता जिससे इन शिकायतों को रोका जा सके ? मैं चाहता हूं कि आई० ए० एस० की तरह आल इण्डिया एजूकेशन सर्विस कायम की जाए, जिससे चुने हुए लोगों को विभिन्न विश्वविद्यालयों में भेजा जाए। इससे अपाइन्टमेंट के मामले में एक अच्छी नीति सामने आ सकती है। हमारे यहाँ सात केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं। ये किस आधार पर बनाए गए हैं ? बनारस, अलीगढ़, चण्डीगढ़ और नार्थ-इस्टर्न रीजन में विश्वविद्यालय बन गया है। शिक्षा हमारी करेंट लिस्ट में है। क्या इस बात की गुंजाइश नहीं है कि और विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाया जाए ?

इसमें मेरा एक निवेदन है कि और केन्द्रीय विश्व विद्यालय कायम किये जाने चाहिएं। खासतौर से जो पुराने विश्वविद्यालय थे, जिनकी इस देश में बड़ी ख्याति रही है,

इलाहाबाद विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय, बंबई विश्वविद्यालय और मद्रास विश्वविद्यालय । ये विश्वविद्यालय जिनको बड़ी ख्याति रही है और ये बहुत पुराने हैं। इन विश्वविद्यालयों को भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाना चाहिए । ये विश्व-विद्यालय राज्य सरकार की ग्रांट के ऊपर डिपेंड करते हैं । इससे इनका स्तर गिरता जा रहा है । क्योंकि राज्य सरकार अपने सीमित साधनों में उन विश्वविद्यायों के साथ न्याय नहीं कर पाती । उनको वे सभी विश्वविद्यालयों के स्तर पर तोलती हैं । ये महान विश्व-विद्यालय जो बड़े-बड़े हमारे देश में रहे हैं, इनका स्तर गिरता जा रहा है । यह चिंता की बात है । इनको केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाए जाने के बारे में विचार किया जाए ।

सभापति जी, टेक्नीकल एजूकेशन के बारे में थोड़ी सी बात कहना चाहता हूं । अभी हाल ही में प्रधानमन्त्री जी ने एक डायरेक्टिव जारी किया है, अल्पसंख्यकों की भलाई के लिए, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए । उस डायरेक्टिव में एक डायरेक्टिव यह है कि उन स्थानों पर टेक्नीकल एजूकेशन के सेंटर्स या कालेजेज या इंस्टीट्यूशंस खोले जाए जहां अल्पसंख्यकों की संख्या अधिक है । क्योंकि आज उनमें शिक्षा की कमी है और बेरो-जगारी उनके अन्दर बहुत ज्यादा है । इसलिए उनकी बेरोजगारी को दूर करने के लिए और टेक्नीकल एजूकेशन देने के लिए उन स्थानों पर ज्यादा टेक्नीकल एजूकेशन के सेंटर्स खोले जाने चाहिएं । ऐसे डायरेक्टिव्स प्रधानमन्त्री जी ने दिए हैं । ये शिक्षा मंत्रालय को भी मिले होंगे । मेरे यहां गाजीपुर जिला उत्तर प्रदेश में एक जगह दिलदार नगर है, जहां मायनारिटीज की तादाद बहुत अधिक है । अल्पसंख्यक लोग वहां बहुत रहते हैं, पिछड़ा इलाका है ।

4.00 म० प०

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

गरीब लोग हैं । वहां टेक्नीकल एजूकेशन की कोई व्यवस्था नहीं है । मैंने शिक्षा मन्त्री जी को लिखकर निवेदन किया है और मैं चाहता हूं कि टेक्नीकल एजूकेशन का एक इन्स्टीट्यूशन खोला जाए ।

अन्त में अध्यक्ष महोदय मैं एक निवेदन करना चाहता हूं । हमारे यहां गाजीपुर में एक केन्द्रीय विद्यालय खोला जाना चाहिए । वहां अफीम का एक बड़ा कारखाना है । उस अफीम के कारखाने में काफी केन्द्रीय कर्मचारी काम करते हैं । इसके अलावा रेलवे में और डाकतार विभाग में कई केन्द्रीय कर्मचारी हैं । हमारे जिले में सशस्त्र सेनाओं में भी बहुत लोग काम करते हैं । कभी कभी अपनी पोस्टिंग पर जाने पर अपने परिवारों को रखना पड़ता है । कभी जब उनकी पोस्टिंग दूर हो जाती है या जहां परिवार के लिए क्वार्टर नहीं मिलता वहां पर अपने बच्चों को अपने घर भेजने के लिए मजबूर होना पड़ता है । ऐसे बच्चों की शिक्षा पर बहुत बुरा असर पड़ता है । गाजीपुर में लाखों सैनिक हैं जो विभिन्न प्रकार की सेनाओं और विभिन्न प्रकार की केन्द्रीय पुलिस बल में काम करते हैं । ऐसे लोगों की

सुविधा के लिए वहां पर केन्द्रीय विद्यालय खोला जाना चाहिए। अफीम कारखाने की तरफ से एप्लीकेशन के साथ पूरे फार्म भरकर, जगह देने के लिए भेजा है और जो भी शर्तें केन्द्रीय विद्यालय के लिए आवश्यक हैं, उनको पूरा करने के लिए वे तैयार हैं। तो मैं शिक्षा मन्त्री जी से निवेदन करता हूं कि आने वाले जुलाई सत्र से वहां केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।

*श्री एम० कंडास्वामी (तिरुचेंगोडे) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय की वर्ष 1984-85 की अनुदान माँगों के सम्बन्ध में कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

हमारे देश में शिक्षा के क्षेत्र में अत्यन्त महत्वपूर्ण उद्देश्य साक्षरता का प्रसार करना है ताकि शिक्षित लोगों की संख्या बढ़ती जाए। शिक्षा धर्म या जाति जैसे दृष्टिकोणों से परे होनी चाहिए। छठी पंचवर्षीय योजना में जिस शिक्षा नीति की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है उसका यह मूलाधार है। अब मैं देश में प्रचलित शिक्षा के स्तर का उल्लेख करूंगा। यह कहा गया है कि उच्च शिक्षा में स्तर बनाए रखने की विशेष जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की है। लेकिन देश की मौजूदा स्थिति देश में शिक्षा के उच्च स्तर को सुनिश्चित करने में केन्द्र सरकार के कठोर दृष्टिकोण को स्पष्ट करती है। देश की आर्थिक प्रगति तकनीकी शिक्षा की प्रगति पर निर्भर करती है। छठी पचवर्षीय योजना में तकनीकी शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। मौजूदा सुविधाओं का अधिकतम उपयोग, जिन क्षेत्रों में दुर्बलता है, वहाँ सुविधाओं को सुदृढ़ करना तथा उसमें विस्तार करना, देश के विकास के लिए अनिवार्य नई टेक्नोलोजी के क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा तैयार करना तथा शिक्षा की क्वालिटी तथा स्तर में सुधार लाना, ये कुछ ऐसे उद्देश्य हैं, जिनका छठी योजना में उल्लेख किया गया है। दुर्भाग्यवश सारे देश में शिक्षा का स्तर गिरा है। विशेष रूप से तामिलनाडु में वैज्ञानिक शिक्षा के विकास या सामान्य ज्ञान के क्षेत्र में विस्तार को मानव विकास के इन पहलुओं के कारण महत्व नहीं दिया जाता। शिक्षा के स्तर में निरन्तर गिरावट आ रही है। कालेजों तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की परीक्षाओं में फिल्म अभिनेताओं तथा अभिनेत्रियों के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। एक परीक्षा में फिल्म अभिनेत्री जयाललिता के बारे में प्रश्न पूछा गया था। एक अन्य स्थान पर फिल्म अभिनेता पकियाराज तथा अभिनेत्री पूर्णिमा के विवाह के बारे में प्रश्न पूछा गया था। आप कल्पना कर सकते हैं कि किस सीमा तक छात्रों के ज्ञान का संवर्धन किया जा रहा है। आज केन्द्र सरकार तामिलनाडु की राज्य सरकार के साथ निकटवर्ती सम्बन्ध बना रही है। मैं आशा करता हूं कि केन्द्र सरकार राज्य सरकार को यह सलाह देगी कि वह शिक्षा के प्रसार की ओर अधिक ध्यान दे। तामिलनाडु सरकार तथा वहां के मुख्य मन्त्री श्री एम० जी० रामचन्द्रन को शिक्षा के प्रसार की बजाए फिल्म उद्योग के विकास की अधिक फिक्र है। आप देख सकते हैं कि तामिलनाडु में डाक्टर की उपाधि के शोध-प्रबन्ध किस सीमा तक गिर गए हैं। 'श्री

* तमिल में दिए गए मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

एम० जी० रामचन्द्रन तथा तमिलनाडु में फिल्म उद्योग के विकास में उनका योगदान' यह एक अभ्यार्थी का शोध-प्रबन्ध था, जिसे इस विशाल शोध कार्य के लिए डाक्टर की उपाधि प्रदान की गई। यदि श्री एम० जी० रामचन्द्रन तथा उनकी सरकार को शिक्षा में उतनी ही रुचि है तो फिल्म अभिनेताओं तथा अभिनेत्रियों के बारे में ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिएं।

अध्यक्ष महोदय: आप काम की बात पर अपना भाषण केन्द्रित करें। जो कुछ आप कह रहे हैं वह चर्चा के अन्तर्गत विषय में अप्रासंगिक है।

श्री एम० कंडास्वामी: मैं तमिलनाडु में शिक्षा के स्तर में गिरावट की बात कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: आप उससे भी कुछ अधिक कर रहे हैं।

श्री एम० कंडास्वामी: महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या वार्षिक परीक्षाओं में फिल्मी नायक तथा नायिकाओं के बारे में प्रश्न पूछना राज्य में शिक्षा के प्रसार के लिए सहायक है।

अध्यक्ष महोदय: यह इन मामलों पर सार्वजनिक चर्चा करने के लिए उपयुक्त मंच नहीं है।

श्री एम० कंडास्वामी: महोदय, मैं जिस बात पर बल देना चाहता हूं···

(व्यवधान)

डा० ए० कलानिधि (मद्रास केन्द्रीय): हम सारे देश में एक समान शिक्षा नीति की माँग कर रहे हैं।

श्री एम० कंडास्वामी: तमिलनाडु में मध्याह्न भोजन योजना चल रही है जिसे पौष्टिक भोजन योजना कहा जाता है। मैं इस योजना को दोषपूर्ण नहीं कहता। लेकिन इस योजना के कार्यान्वयन में अध्यापकों पर आवश्यकता से अधिक बोझ पड़ गया है। उन्हें चावल, दालों सब्जियों आदि तथा भोजन के मीनू की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है।

श्री सी० विन्नास्वामी (गोबिचेट्टियलयम): इस योजना के कार्यान्वयन के लिए हमने अलग अधिकारी नियुक्त किए हैं।

श्री एम० कंडास्वामी: मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि अध्यापकों का ध्यान बंट जाता है। अध्यापकों को पढ़ाने का समय नहीं मिलता। मध्याह्न भोजन योजना का सही कार्यान्वयन सुनिश्चित करने में अध्यापकों पर भारी बोझ पड़ने के कारण बच्चे पढ़ाई की सुविधा से वंचित रह जाते हैं। स्कूलों में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए अलग से कुछ कर्मचारी नियुक्त किए जाने चाहिए।

यह वास्तव में शर्म की बात है कि तमिलनाडु में एम० बी० बी० एस० के प्रवेशों में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। अन्य राज्यों में, छात्रों को प्रवेश देने से पूर्व प्रावेशिक शुल्क लिया जाता है और इसकी रसीद दी जाती है। लेकिन तमिलनाडु में एम०बी०बी० एस० में प्रवेश पूरी तरह भ्रष्टाचार पर आधारित है। यह कुदरती बात है कि इससे चिकित्सा शिक्षा के स्तर को क्षति पहुंचती है। जब योग्यता को पैसे के बल पर पीछे धकेल दिया जाता है तो चिकित्सा शिक्षा में स्तर कहाँ रह जाएगा ? 120 विद्यार्थियों द्वारा दायर किए गए मामलों में, मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल ही में आदेश दिए हैं कि 86 विद्यार्थियों को मैडीकल कालेज में प्रवेश दिया जाए। इस वर्ष सत्र आरम्भ होने के आठ मास बाद भी इन 86 विद्यार्थियों को एम० बी० बी० एस० पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं मिला है। यदि उन्हें अगले वर्ष प्रवेश दिया जाता है तो अगले वर्ष का कोटा कम हो जाएगा। एम० बी० बी० एस० पाठ्यक्रम में कदाचार इस सीमा तक बढ़ गया है कि उच्च न्यायालय को अपने निर्णय में कटु आलोचना करनी पड़ी है। चूंकि तमिलनाडु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार तथा वहां के सत्ताधारी दल के निकट आती जा रही है, मैं माननीय शिक्षा मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि वह राज्य सरकार को एम० बी० बी० एस० के प्रवेश में ईमानदारी सुनिश्चित कराने की सलाह दें ताकि राष्ट्र का भावी स्वास्थ्य जोखिम में न पड़े।

श्रीमन्, तमिलनाडु में समृद्ध लोग राज्य सत्ताधारी दल को भारी राशि चन्दे के रूप में देते हैं और उनको अपनी मर्जी से तकनीकी संस्थाएं चलाने की छूट दी जाती है, वे सभी दाखिले के लाभकारी व्यापार के केन्द्र बन गए हैं। तमिलनाडु में खुले तौर पर, बी०काम० के दखिले के लिए 5,000 रु०, बी० एस० सी० (रसायन शास्त्र) के 3,000 से 5,000 रु० मांगे जाते हैं। राज्य सरकार के एक भूतपूर्व मन्त्री ने कोडइकनाल में एक पोलिटेक्नीक खोला हुआ है। जो कि उसके लिए 'सोने की खान' का काम कर रहा है। वह दाखिले से रुपये बना रहा है। वह इस पोलिटेक्नीक में दाखिले के लिए 15,000 रु० मांग रहा है। केन्द्र सरकार को तमिलनाडु में शिक्षा में चल रही इस अव्यवस्था को समाप्त करना चाहिए। यह भी उपहास का विषय है कि तमिलनाडु के विश्वविद्यालयों के सम्मानार्थ डिग्रियों का स्तर काफी निम्न है। केन्द्र को राज्य सरकार को इस बारे में सतर्क रहने के लिए कहना चाहिए। श्रीमन्, आपने समाचारपत्रों में अवश्य पढ़ा होगा कि ग्रेट ब्रिटेन ने बिहार मेडिकल कालेज की एम० बी० बी० एस० डिग्री की मान्यता समाप्त कर दी है। इससे मेरे इस तथ्य की पुष्टि हो जाती है कि हमारे देश में शिक्षा के स्तर में भारी गिरावट आई है।

तमिलनाडु में भ्रष्टाचार का एक अन्य स्रोत है विश्वविद्यालयों में सीनेट और सिंडिकेट की सदस्यता। राज्य सत्ताधारी दल को भारी मात्रा में दानराशि दी जाती है और विश्वविद्यालयों में सिंडिकेट और सीनेट की स्थायी सदस्यता प्राप्त की जाती है। दुर्भाग्यवश, तमिलनाडु में राज्य के विश्वविद्यालयों में सीनेट और सिंडिकेट सत्तादल के राजनितिज्ञों

का अखाड़ा बन गए है। इस पर भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विचार किया जाना चाहिए।

श्रीमन्, मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में यह स्वीकार किया गया है कि शिक्षा की दृष्टि से आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राजस्थान पिछड़े प्रदेश हैं। दूसरे शब्दों में करीब 60 प्रतिशत जनसंख्या शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ी हुई है। इसी प्रकार से हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब और राजस्थान में शिक्षा की 10+2 पद्धति लागू नहीं की गई है। मैं जानना चाहता हूं कि उपरोक्त शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े राज्यों को ऊंचा उठाने के लिए उपाय क्यों नहीं किए गये, हालांकि हमने 6 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की हैं। मैं चाहता हूं कि माननीय शिक्षा मन्त्री इस बात को स्पष्ट करें।

कुछ वर्ष तमिलनाडु में दो विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे। अभी उन्हें मान्यता दी जानी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अकुशल कार्य का यह एक और उदाहरण है। इन दो विश्वविद्यालयों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक समिति भेजनी है। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर इनको मान्यता दी जानी है। मैं पूछना चाहता हूं कि इन दो विश्वविद्यालयों में अब तक समिति क्यों नहीं भेजी गई। इसी प्रकार से भारथियार विश्वविद्यालय में कोई लोकतान्त्रिक व्यवस्था नहीं है। वहाँ न तो सीनेट हैं न ही सिंडीकेट हैं। इन विश्वविद्यालयों को लोकतान्त्रिक तरीके से चलाने के लिए आवश्यक है कि शीघ्र ही सीनेट और सिंडिकेटों बनाए जाने चाहिए। तभी विश्वविद्यालयों की मनमानी और तानाशाही कार्य समाप्त हो सकता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा एफ० आई० पी० के तहत दी जाने वाली राशि को काफी देर से दिया जाता है। निश्चय ही इससे प्राप्तकर्ताओं को मुश्किल का सामना करना पड़ता है। यू० जी० सी० को एफ० आई० पी० के अन्तर्गत दी जाने वाली राशि को शीघ्र अदा करने के लिए कहना चाहिए।

श्रीमन्, केन्द्रीय सरकार हिन्दी के प्रसार में काफी रुचि ले रही है। 140 स्वैच्छिक संगठन हिन्दी के प्रसार के लिए कार्यशील हैं। इन सभी संगठनों मन्त्रालय द्वारा काफी सहायता दी जा रही है। ब्रिटेन, अमेरिका, पश्चिम एशिया, पूर्वी एशिया, जैसे विदेशी देशों में भी हिन्दी के प्रसार के लिए केन्द्रीय सरकार एक योजना को लागू कर रही है। विदेशों में हिन्दी का तेजी से और ज्यादा प्रचार केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जा रहा है। इस योजना के अधीन विभिन्न विदेशी छात्रों को केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, नई दिल्ली में हिन्दी का अध्ययन करने के लिए 50 छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। 1983-84 के दौरान इस संस्थान में छात्रवृत्तियों के आधार पर 44 छात्रों को प्रवेश दिया गया। उनको दिल्ली आने व वापिस जाने का हवाई किराया और 650 रु० प्रति माह छात्रवृत्ति दी जाती है। देश की क्षेत्रीय भाषाओं को यह महत्व नहीं दिया जाता है। इस दुर्व्यवहार से तमिलनाडु में 1965 की तरह हिन्दी-विरोधी आन्दोलन चल सकता है। केन्द्रीय सरकार को यह बात

ध्यान में रखनी चाहिए और सभी क्षेत्रीय भाषाओं के विकास के लिए समान अवसर दिए जाने चाहिए ।

केन्द्रीय सरकार द्वारा पंडित जवाहर लाल नेहरू के इस आश्वासन का कि गैर-हिन्दी भाषी लोगों पर जब तक वे न चाहें हिन्दी नहीं थोपी जाएगी। उल्लंघन किया जा रहा है । राज्यों के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में हिन्दी शिक्षण का व्यय केन्द्रीय सरकार उठाती है । केन्द्रीय विद्यालयों में हिन्दी अनिवार्य विषय है । राज्यों में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वार्षिक वृद्धि तब तक के लिए रोक दी जाती है जब तक कि वे हिन्दी परीक्षा न पास कर लें । देश की राजधानी, दिल्ली में, टेलिफोन के बिल, जीवन बीमा के नोटिस, आदि गैर-हिन्दी भाषाओं के लोगों को हिन्दी में दिए जाते हैं, राज्यों में स्थित सार्वजनिक उपक्रमों से कहा गया है कि वे केन्द्रीय मन्त्रालयों के साथ हिन्दी में पत्र-व्यवहार करें । इस प्रकार से गैर-हिन्दी लोगों पर बुरी तरह से हिन्दी लादी जा रही है । इसे एकदम समाप्त किया जाना चाहिए । विख्यात 'इन्डोलोजिस्ट' डा० बुरनेल्ल ने कहा है कि तंजावूर में सरस्वती महल लाइब्रेरी, शायद विश्व की सबसे महत्वपूर्ण और अच्छी लाइब्रेरी है जिसमें ताड़ के पत्तों पर लिखी 4,000 पांडुलिपियां हैं जो कि संस्कृत, मराठी, तमिल, तेलगू और अन्य भाषाओं में हैं । इसके अतिरिक्त वहां भारतीय और अन्य यूरोपीय भाषाओं के 23,000 पुस्तकों का संग्रह भी है । केन्द्रीय सरकार को हमारी विरासत के इस अमूल्य खजाने के रख-रखाव के लिए खुले दिल से राशि देनी चाहिए ।

इन शब्दों के साथ मैं, अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

4.15 म० प०

(श्री चिन्तामणि पाणिग्रही पीठासीन हुए)

प्रो० नारायण चन्द पराशर (हमीरपुर) : मैं माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा सभा में शिक्षा मंत्रालय द्वारा पेश की गई अनुदान की माँगों का समर्थन करता हूं ।

एक महत्वपूर्ण बात जिस पर जोर दिया गया है वह रिपोर्ट के पहले ही पृष्ठ पर दी गई है । मैं प्रस्तावना वाले भाग की सातवीं लाइन की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । यह कहा गया है कि :

> "6—14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने और 15—35 आयु वर्ग के प्रौढ़ों को साक्षर बनाने से सम्बन्धित कार्यक्रम को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है ।"

यह बहुत खुशी की बात है कि आयु वर्ग में वृद्धि की गई है । इसे 80—100 से बढ़ाकर 335 कर दिया गया है । आयु वर्ग को 15 से बढ़ाकर 335 कर दिया गया है । मैं आशा करता हूं कि यह एक अच्छा शकुन है कि आयु को इतना बढ़ाया गया है । लेकिन, वास्तव में यह मुद्रण की भूल है जो कि पहले ही पृष्ठ पर हुई है । पहले ही पैराग्राफ में ।

इस रिपोर्ट की सातवीं-आठवीं लाइन में। इससे पता चलता है कि कितनी सावधानी से यह रिपोर्ट तैयार की गई हैं।

श्रीमन्, एक बात जो कष्टदायक है वह है व्यय में कटौती। आरम्भ में जो वार्षिक योजना थी और जो शिक्षा मंत्रालय ने मांगी थी उस राशि में कमी की गई है। यह कहा गया है कि:

> "वर्ष 1984-85 के लिए मंत्रालय ने 335 करोड़ रुपए के परिव्यय के प्रस्तावों के स्थान पर 203.65 करोड़ रुपये का परिव्यय (एस० ए० सी० सी० के अन्तर्गत विज्ञान और प्रौद्योगिकी की विशेष योजनाओं के लिए 7 करोड़ रु० सहित) मंजूर किया गया है।"

इसका मतलब है शिक्षा मन्त्रालय के 235 करोड़ रु० के प्रावधान में भी योजना आयोग ने 132 करोड़ रु० की भारी कमी कर दी है। इसका अर्थ है शिक्षा प्रावधान में भारी कमी की गई है। इससे यह भी सावित होता है कि शिक्षा को योजना के दौरान इसका उचित स्थान नहीं दिया गया है, हालांकि यह एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है।

लेकिन मैं प्रथम पंचवर्षीय योजना से छठी पंचवर्षीय योजना तक विभिन्न प्रतिशत प्रावधानों का जिक्र कर रहा हूं। यह पाया गया है कि योजना प्रावधान के अन्तर्गत, प्रथम पंचवर्षीय योजना से छठी योजना पर निवेश 7.2 प्रतिशत से घटकर 2.8 प्रतिशत ही रह गया है। अगर यही भाग्य है तो, मैं नहीं जानता कि इस देश में शिक्षा व्यवस्था का क्या होगा, क्योंकि एक तरफ तो जनसंख्या में वृद्धि हो रही है और मूल्यों में भी वृद्धि हो रही है। वर्तमान मूल्य स्तर में प्रावधान और भी कम है। और दूसरी ओर हम प्रावधान का प्रतिशत कम कर रहे हैं। मैं शिक्षा के लिए अधिक प्रावधान की माँग करता हूं। और जब तक ऐसा नहीं होता तक तक शिक्षा को समस्या से न्याय करने के लिए कोई भी भाषण या घोषणा संगत नहीं होगी। इसलिए, मैं माननीय शिक्षा मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह योजना आयोग के पास शिक्षा को उच्च प्राथमिकता दिए जाने और इसे सातवीं पंचवर्षीय योजना के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में शामिल करने के लिए जोर डालें। जब तक ऐसा नहीं किया जाता, तो आज की संख्या के अनुसार हम 120 विश्वविद्यालयों, उच्च शिक्षा के लिए 13 संस्थानों और विश्वविद्यालयों और कालिजों में 53 लाख छात्रों के जमघट को सुलझा नहीं पायेंगे। हम अपने विश्वविद्यालयों पर पड़ने वाले दबाव को देख सकते हैं। ये बातें किसी प्रकार के डर या नैराश्य से नहीं कही जा रही हैं, बल्कि यह बताने के लिए कि शिक्षा के लिए अधिक प्रावधान की आवश्यकता है, कही जा रही हैं।

विद्यालय स्तर पर देखा गया है कि स्थिति बहुत ही खराब है क्योंकि जैसे फैलाव होता जाता है तो निश्चित रूप से स्तर में गुणवत्ता में गिरावट आती जाती है। आल इण्डिया एजूकेशन सर्वे की चौथी रिपोर्ट जो कि 1978 में प्रकाशित हुई थी में कहा गया है कि काफी संख्या में विद्यालयों के पास भवन नहीं हैं और कम-से-कम 1.5 लाख विद्यालय

एक ही प्राथमिक अध्यापक वाले विद्यालय हैं। इससे पता चलता है कि सुधार की कितनी अधिक जरूरत है।

जैसा कि मेरे मित्रों ने कहा नौ राज्य अभी भी शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि शिक्षा में पिछड़े हुए इन राज्यों के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं।

इस रिपोर्ट की प्रस्तावना में जानकारी दी गई है कि प्राथमिक शिक्षा की राष्ट्रीय समिति का गठन अगस्त 1980 में किया गया है और केन्द्रीय शिक्षा सचिव इसके अध्यक्ष हैं। कई राज्यों को विश्वास में लिया गया है और कई राज्यों में प्राथमिक शिक्षा के कार्यकारी दल भी बनाए गए हैं। यह सही दिशा में कदम है। मैं केन्द्र सरकार से यह अपील करूंगा कि अब जबकि शिक्षा समवर्ती सूची में रखी गई है, सरकार उपयुक्त कानून बनाने में पहल कर सकती है, जिससे न केवल विश्वविद्यालय और कालेज के स्तर पर बल्कि स्कूल के स्तर पर भी सुधार हो और तत्सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमों में समन्वय हो। सरकार को ऐसा करना चाहिए और आवश्यक कानून भी बनाया जाना चाहिए।

यहां मैं यह बताना चाहता हूं कि कई राज्यों ने पाठ्यक्रमों को एक नया रूप देने के नाम पर काफी गड़बड़ी पैदा कर दी है।

विशेषकर मैं आपका ध्यान पश्चिमी बंगाल प्रधानाध्यापक संघ द्वारा प्रकाशित एक पुस्तिका अनसैटल्ड सैटल्ड फैक्टस वनस अगेन की ओर दिलाना चाहता हूं। जिसमें सोदाहरण स्पष्ट किया गया है कि इतिहास को किस प्रकार से तोड़ा-मरोड़ा गया है। यहां तक कि पाठ्यक्रम और कोर्सों को भी नहीं छोड़ा गया...

श्री अजय विश्वास (त्रिपुरा पश्चिम) : यह निराधार है।

प्रो० नारायण चन्द पराशर : यह शिक्षा मन्त्री को पता करना है कि यह निराधार है या इसका कोई आधार है। उन्हें सदन को जवाब देना है। इस पुस्तिका में सोदाहरण उल्लेख किया गया है। यहां तक कि राष्ट्रीय शिक्षा अनुसन्धान प्रशिक्षण परिषद द्वारा तैयार किए गए पाठ्यक्रमों को भी छोड़ा नहीं गया है।

श्री अजय विश्वास : सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दे दिया है।

प्रो० नारायण चन्द पराशर : आप कृपया मन्त्री जी के भाषण को ध्यानपूर्वक सुनें। यह मन्त्री जी को अपने उत्तर में कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय क्या है क्या नहीं है ? मैं तो केवल उनके ध्यान में एक प्रकाशित दस्तावेज ला रहा हूं।

इस प्रलेख में दिए गए उदाहरणों के आधार पर यह बातें साबित की गई हैं। शिक्षा के प्रचार-प्रसार सम्बन्धी राज्य सरकार के अधिकारों से हमें कोई लेना-देना नहीं है। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि हमें किसी भी स्तर पर शिक्षा को नया रूप

देने के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के महत्व को कम नहीं करना चाहिए । यदि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान प्रशिक्षण परिषद ने कुछ दिशा निर्देश दिए हैं तो राज्य सरकार केन्द्र को सुझाव दे सकती है ।एन०सी०ई०आर०टी० द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों में अमुक दोष है अथवा उनका दृष्टिकोण इस स्थान पर दोष पूर्ण है । परन्तु उनके प्रस्ताव को पूर्ण रूप से नजर अन्दाज करना और अपना ही पाठ्यक्रम लागू करना देश को कठिन परिस्थिति में ला खड़ा करेगा । अगर प्रत्येक राज्य सरकार अपने ही दृष्टिकोण से पाठ्यक्रम लागू करेगा तो समन्वय कैसे होगा ? अगर हम पहले से तय की गई बातों पर सहमत नहीं हैं और एक ही राष्ट्रीय परम्परा को नहीं मानते हैं तो हम भविष्य से क्या अपेक्षा कर सकते हैं, यह एक बात थी जिसका मैं जिक्र करना चाहता था ।

राज्यों की सहमति से सरकार इस कानून को बनाने में पहल कर सकती है उसके पास समुचित शक्तियां हैं, समवर्ती विषय का तात्पर्य है कि राज्य सरकार की सहमति लेना आवश्यक है इसलिए सहमति लेनी ही होगी । राज्य अपनी राय दे सकते हैं, किन्तु किसी भी स्थिति में ऐसा कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए जिससे शिक्षा के राष्ट्रीय स्वरूप पर और उन परम्पराओं पर, जिन्हें हमारे पूर्वजों ने अत्यन्त सम्मान से और प्रतिष्ठा पूवक कायम रखा और जो भविष्य में हमारे लिए पथ प्रदर्शक का काम देंगी, कुप्रभाव पड़े अर्थात उसका महत्व कम हो ।

इस सन्दर्भ में सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कार्यकरण सम्बन्धी रिपोर्ट पर उदारता से विचार करे । मैं न तो इस रिपोर्ट के विरोध में बोल रहा हूं न ही इसका समर्थन कर रहा हूं । मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि इस रिपोर्ट से काफी विवाद उत्पन्न हो गया है, अतः शैक्षिक समुदाय की सलाह लिए बिना अगर सरकार इसे मंजूर कर देती है तो यह वाँछनीय न होगा । मैं समझता हूं कि इस रिपोर्ट के खिलाफ शैक्षिक समुदाय ने जो विभिन्न स्तरों पर आलोचना की है उसे ध्यान में रखते हुए संक्षिप्त उत्तर तैयार करना चाहिए जिससे वे संतुष्ट हों । ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि यह समिति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उच्च अफसरों की प्रतिकृति है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष इस समिति के भी अध्यक्ष थे । यू०जी०सी० के उपाध्यक्ष इस समिति के सदस्य थे । शिक्षक समुदाय संघ या छात्र अथवा कर्मचारी संघों का कोई भी प्रतिनिधि इससे सम्बन्धित नहीं था इस लिए इसमें कोई नई बात नहीं हुई ।

देश और शैक्षिक संस्थानों के हित में यही होगा अगर सरकार अनेक विवादास्पद विषयों पर उदारता से विचार करे । इससे सरकार को लाभ होगा । हो सकता है कि कुछ कमियां हों । लेकिन अन्तिम निर्णय लेने से पहले अगर शैक्षिक समुदाय और देश भर के शिक्षकों से राय ली जाय तो यह एक अच्छा पूर्वोदाहरण होगा । सरकार को ऐसा पूर्वोदाहरण कायम करना चाहिए ताकि अन्तिम निर्णय लेने से पहले शैक्षिक समुदाय के लोगों की भी राय पर विचार किया जाए ।

मैं शिक्षा मंत्रालय को सराहना करता हूं जो देश भर में करीब 400 केंद्रीय जगह विद्यालय चला रहे हैं। यह स्कूल विभिन्न परिस्थितियों में पले छात्रों को एक जगहलाकर उन्हें शिक्षा की एक व्यवस्था के अनुसार एकरूप प्रणाली से शिक्षा देते हैं। देश के कई भागों से ऐसे और कई विद्यालय खोलने की मांग की गई है। मैंने भी कई बार अपील की कि इस समन्वय में कुछ सांस्कृतिक एवं शैक्षिक संतुलन बना रहना चाहिए और जिलों में ऐसे स्कूल होने चाहिए। हो सकता है कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारी वहाँ न हों परन्तु बहुत से भूतपूर्व सैनिक होंगे जिन्हे यह सुविधा प्राप्त हो सकती है। केन्द्रीय संस्थान भी वहां बनाए जा सकते हैं। अभी करीब 450 सेंट्रल स्कूल है और इतने ही जिले भी हैं—इसलिए करीब करीब हर जिले में यह स्कूल है। कुछ ही जिलों में यह नहीं है। वह एक या दूसरी तरह से समायोजित किए जा सकते हैं। मैं यहां अपील करना चाहता हूं कि सेंट्रल स्कूल बनाने से पहले स्थान का चयन करते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ पर सेना में सबसे ज्यादा लोग भर्ती किए जाते हैं। इन जगहों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इस विषय में मैं कहना चाहूंगा कि हमारे राज्य हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से बहुत लोग सशस्त्र सेना में भर्ती होते हैं और वहां काफी संख्या में भूतपूर्व सैनिक भी इस सुविधा के लिए प्रयास कर रहे हैं। सेंट्रल स्कूल खोलने की स्वीकृति देने से पहले इन राज्यों का ध्यान रखना अति आवश्यक है।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : क्या आपके क्षेत्र में अभी कोई नहीं है ?

प्रो० नारायण चन्द्र पराशर : इन राज्यों में से कुछ में तो सेंट्रल स्कूल हैं परन्तु कुछ में नहीं है। जिन राज्यों में सेंट्रल स्कूल नहीं है वह उसकी माँग काफी समय से कर रहे हैं। मैं सुझाव देता हूं कि अगर आप विश्वविद्यालय शिक्षा को सफल बनाना चाहते हैं और शैक्षिय संकायों को सफलता से चलाना चाहते हैं तो स्कूल के स्तर से ही आपको गैर-क्षेत्रीय शिक्षा का प्रचार-प्रसार करना होगा। अगर राज्यों में इस प्रकार की शिक्षा वर्तमान शिक्षा संस्थान नहीं दे पा रहे हैं तो उनके स्थान पर सेंट्रल स्कूल की स्थापना होनी चाहिए जो विश्वविद्यालय परिसर में हों। इससे शिक्षकों के तबादले मे कोई कठिनाई नहीं होगी और वह पाठ्यक्रम में कोई फर्क नहीं पायेंगे।

इसी प्रकार मैं स्कूलों के वायकरण में सुधार चाहता हू। हम विश्वविद्यालयों के लिए उत्कृष्टता की बात करते हैं परन्तु क्या यह ठीक नहीं है कि पहले स्कूलों को भी उत्कृष्टता का केन्द्र बनाया जाए ?

अगर हम उच्च शिक्षा का अर्थ जानना चाहते हैं तो यह देखना होगा कि प्राथमिक और उच्चतर स्तर पर क्या कुछ सिखाया गया है। जिस प्रकार वाहक पट्टे में जो कुछ डाला जाता है अन्तिम अवस्था मे वही प्राप्त होता है उसी प्रकार प्राथमिक और माध्यमिक स्तर में जो सिखाया जाता है उच्च शिक्षा में उसी का फल प्रतिबिम्बित होता है। प्राथमिक और उच्चतर शिक्षा के स्तर तो केवल पोषक का काम करते हैं और छात्र को विश्वविद्यालय और कालेज में उच्च शिक्षा के लिए तैयार करता है।

इसलिए यदि हम केन्द्र और राज्य सरकार के समन्वय से कुछ किस्म के आदर्श स्कूलों की स्थापना करने में समर्थ होते हैं तो इससे देश की शिक्षा प्रणाली में बहुत हद तक एकरूपता आ जाएगी।

इससे पहले कि मैं अपनी बात समाप्त करूं मैं भाषाओं के बारे में कुछ कहूंगा। भाषा का प्रचार-प्रसार भी शिक्षा मंत्रालय का कार्य है। यह प्रसन्नता की बात है कि संस्कृत के लिए भी कुछ प्रावधान किया गया है। परन्तु 10+2 प्रणाली के अन्तर्गत संस्कृत को भारी नुकसान हुआ है। इस प्रणाली ने अन्य प्राचीन भाषाओं को उपेक्षित किया है।

मैं अपील करता हूं कि शिक्षा मन्त्रालय इस बात का ध्यान रखे कि कितने छात्र संस्कृत लेते हैं। चलिए हम दिल्ली विश्वविद्यालय और अन्य दिल्ली स्कूलों का उदाहरण लें। इस प्रणाली की शुरूआत से पहले जितने विद्यार्थी संस्कृत विषय लेते थे उनकी संख्या और जितने विद्यार्थी अब यह विषय ले रहे हैं उनकी संख्या की तुलना करें तो आप देखेंगे कि आज यह संख्या काफी कम है। यह अच्छी बात नहीं है। पाली जैसी प्राचीन और अन्य आधुनिक भारतीय भाषाओं को भी इन विषयों में शामिल करना चाहिए। अभी तो हम केवल संविधान में मान्यता प्राप्त 16 भाषाओं की ओर ध्यान दे रहे हैं। उन अन्य भाषाओं के बारे में क्या किया जा रहा है जैसे आदिवासी भाषायें या वे भाषाएं जिनको अभी मान्यता प्रदान नहीं की गई अथवा वे भाषाएं जो कि साहित्य अकादमी की ओर से मान्यता प्राप्त है परन्तु संविधान ने अभी मान्यता नहीं दी है? उनके लिए विशेष रूप से कुछ नहीं किया जा रहा है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि उनके लिए तत्काल कुछ किया जाए।

एक शब्द प्रशिक्षण शिक्षा के बारे में भी कहूंगा। मैं यह सुझाव दूंगा कि कुछ और क्षेत्रीय इन्जीनियरिंग कालेज खोले जाएं। यह रिपोर्ट सातवीं योजना से पहले ही चर्चा का विषय बन गई है इसलिए इस पर कुछ किया जाना चाहिए। मैं अपने प्रदेश में क्षेत्रीय शिक्षा कालेज की स्थापना की मांग करता हूं। यह बात कई साल पहले मान ली गई थी। इसलिए इसमें अब और देर नहीं होनी चाहिए। इस कालेज से हमारे प्रदेश एवं पड़ोसी राज्य को बहुत लाभ होगा।

शिक्षा प्रदान करना एक पवित्र कार्य है और अपने विश्वविद्यालयों और स्कूलों में हम भारत का भविष्य देखते हैं। नेहरू जी कहते थे विश्वविद्यालय अथवा कालेज क्या है? यह साहसिक विचारों का उद्गम स्थान है। यह एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहां से उत्पन्न होने वाले विचार ज्ञान प्राप्ति के लिए लोगों का मार्ग दर्शन करें। इसलिए मेरा सुझाव है कि प्राधिकारियों को विश्वविद्यालयों और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की रिपोर्ट क्रियान्वित करने के लिए कहने से पहले आपको राज्य विश्वविद्यालयों की जरूरतों पर भी विचार करना चाहिए क्योंकि अन्ततः वे भी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय हैं। यदि आप केवल केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लिए ही अखिल भारतीय पाठ्यक्रम की बात सोच रहे हैं

तो वह बड़ी भारी भूल होगी क्योंकि देश के सभी भागों के छात्र केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में नहीं पढ़ पायेंगे।

भारत के भविष्य का निर्धारण और निर्माण राज्य विश्वविद्यालयों में ही होगा जिनकी संख्या 113 है जबकि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या केवल 7 ही हैं। इसलिए मैं न केवल केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लिए बल्कि राज्य विश्वविद्यालयों के लिए भी जो राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकता पूरी करते हैं, समान रूप से चिन्ता व्यक्त करना चाहूंगा। मैं हिमाचल प्रदेश के लिए शिक्षा का एक प्रादेशिक कालेज खोलने का भी अनुरोध करता हूं जिसके लिए मैं काफी समय से कहता आ रहा हूं क्योंकि विभिन्न प्रदेशों को ध्यान में रखकर ही हम शिक्षा के माध्यम से भारत को एक मजबूत राष्ट्र बना पाएंगे जिससे अन्ततः हमारी राष्ट्रीय अखण्डता को सुदृढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। धन्यवाद।

श्री चन्द्रपाल सिंह (अमरोहा) : सभापति महोदय, आपने शिक्षा अनुदान की मांगों पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद देता हूं। आजादी के 37 साल के बाद भी जितना ध्यान शिक्षा की ओर दिया जाना चाहिए था उतना ध्यान नहीं दिया गया। शिक्षा से देश बनता है। जब बच्चा प्रारम्भ में शिक्षा और संस्कृति का ज्ञान नहीं कर पाता तो वह देश का अच्छा नागरिक कैसे बन सकता है। आज प्राइमरी शिक्षा में बहुत भेद भाव है। इस ओर कई साथियों ने ध्यान दिलाया है। शिक्षा पर प्रथम पंचवर्षीय योजना में सरकार ने 7 परसेंट खर्च किया था जो छठी पंचवर्षीय योजना में घट कर दो परसेंट तक आ गया है। दुनियां के दूसरे देशों की ओर देखिए कि वे कितना खर्च कर रहे हैं और हम कितना खर्च कर रहे हैं। जबकि आज के वैज्ञानिक युग में लोग तरक्की करने की बात कर रहे हैं जिससे हमारा देश आगे बढ़ सकता है। इस ओर बहुत कम रुचि ली जा रही है। आज दो तरह की प्राइमरी शिक्षा देश में दे रहे हैं। एक तो ऐसी शिक्षा संस्थाएं बनी हुई हैं जो प्राइमरी शिक्षा देती हैं और दूसरे जो हम बच्चों को प्राईमरी स्कूलों में पढ़ाते हैं जहां 37 फीसदी स्कूलों में छत नहीं है, छप्पर तहीं है। वहां पर बच्चों के बैठने के लिए टाट पट्टा नहीं है। पूरे स्कूल में एक अध्यापक है जो अपने घर के ग्राम में अपना ट्रांसफर करा लेता है और फिर वहां से दूसरी जगह जाने के लिए तैयार नहीं होता। कई स्कूलों में तो अध्यापक ही नहीं है। इस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में भेद भाव हमारे साथ हो रहा है। यह भेद भाव और किसी देश में हमको देखने के लिए नहीं मिलता। इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। बड़े लोगों के लिए स्कूल बने हुए हैं जहां पर हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं और एक तरफ ये प्राईमरी स्कूल हैं। इस तरह से बच्चों की जिन्दगी के साथ आगे चल कर भी भेदभाव हो जाता है। इन्हीं बातों के कारण आज 952 परिवार देश में ऐसे हैं जिनके हाथ में सारी सम्पत्ति इस देश की आई हुई है। जब तक इस तरह का भेदभाव चलता रहेगा तब तक देश कभी तरक्की नहीं कर पायेगा।

इसके बाद मिडिल स्कूल की बात आती है। यह इंटरमीजिएट तक हम शिक्षा देते हैं। इसके लिए कुछ लोगों ने इसको अपनी बपौती बनाई हुई है। कुछ इस तरह के

स्कूल खोले हुए हैं जहाँ एक ही परिवार के लोगों को अध्यापक रखा जाता है और मैनेजमेंट भी उन्हीं के हाथ में होता है। उनके परिवार के नाम से स्कूल और कालेज बने हुए है। उनके द्वारा इस तरह की भावना फैलाई जाती है जिससे बच्चे के अन्दर शुरू से ही यह बात आ जाती है कि मुझे इस तरह से जीवन में चलना है। आगे जीवन में वह पूरी तरह से वही बात सोचता है। तो इस तरह के परिवारों की प्रवृत्ति को रोकने की आवश्यकता है। इसी तरह से परिवार के नाम पर और कौम के नाम पर जो स्कूल कालेज बनाए गए हैं, सरकार को उनके नाम बदलने चाहिए। इस ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

आगे की शिक्षा यूनिवर्सिटी की शिक्षा आती है। इसमें हम देखते हैं कि 120 विश्वविद्यालय हैं। ये शिक्षा संस्थान है जो 33 लाख की डिग्रियां बाँट रहे हैं। ये आज डिग्रियाँ बांटने के कारखाने बन गए हैं। शिक्षा की दृष्ट से वहां पर कोई तरक्की नहीं हुई है। जिस तरह का विकास देश में होना चाहिए उस तरह का अभी तक नहीं हो रहा है। टेक्नीकल एजूकेशन और मेडीकल एजूकेशन के क्षेत्र में जिस प्रकार का रचनात्मक होना चाहिए वह नहीं हुआ है। आज बेरोजगारी बढ़ रही है। आज दुनियां में 72 करोड़ बेरोजगार पढ़े-लिखे हैं और उनमें आधे से ज्यादा हमारे हां देश में हैं। 50 फीसदी लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे हैं। उन सब पर दृष्टि डालनी होगी। किस तरह से हम अपने यहां प्राइमरी एजूकेशन को ठीक कर सकते है, इसकी ओर विशेष कदम उठाने की आवश्यकता है।

आज विश्वविद्यालयों में जो बच्चे पढ़ते हैं और होस्टलों में जो बच्चे रहते हैं, उनमें आज नशा करने की आदत बढ़ती जा रही है। यहां पर टीचर्स की यूनियनें बनी हुई हैं। हर जगह दंगा और पार्टी बाजी चलती रहती है। इस तरह का वातावरण आज विश्व-विद्यालयों की शिक्षा में हो गया है।

अगर हम लोगों ने शिक्षा की ओर समुचित ध्यान नहीं दिया तो चाहे जितनी स्कीम्स बनाई जाएं, देश उन्नति नहीं कर सकता। चाहे जितनी योजनाएं बनाए, कितने ही कारखाने खोलें, शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाए बिना हम उन्नति नहीं कर सकते।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री चिरंजीलाल शर्मा (करनाल) : माननीय सभापति महोदय एक बात जिसके बारे में मैं स्पष्ट निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहा हूं कि मुझे हिन्दी में बोलना चाहिए या अंग्रेजी में बोलना चाहिए। राजभाषा सम्बन्धी संसदीय समिति का उपसभापति होने के नाते मुझे अपने विचार हिन्दी में व्यक्त करने चाहिए, विशेषकर तब जब मैं सदन में बोलूं।

मुझे याद है कि वर्ष 1980 में जब मैं विदेश गया था और स्वीजरलैण्ड में हम एक बैठक में भाग ले रहे थे तो उनकी ओर से एक सज्जन अपनी भाषा में बोल रहे थे, मैं उनके

साथ हिन्दी में बात कर रहा था तो हमें बताया गया कि यहां पहली दफा हिन्दी बोली जा रही है। हाल ही समिति कक्ष में हमारी एक बैठक हुई जिसे सोवियत संघ के राजदूत ने सम्बोधित किया, राजदूत रूसी भाषा में बोले जबकि हमारे दल के दो सदस्यों को छोड़कर सभी ने अंग्रेजी अपने में विचार व्यक्त किए। मुझे एक घटना याद आती है जब प०जवाहर लाल नेहरू चीन कीयात्रा पर गए थे तो वहां मेरे इलाके के एक सज्जन प० मौलीचन्द्र थे जो यदा-कदा पंडित जी के पास जाते रहते थे। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद पंडित मौलीचन्द्र पंडित जवाहर लाल नेहरू के पास गए और उनसे कहा—"पंडित जी, हमें अपनी प्राचीन संस्कृति और भाषा को अपनाना चाहिए।" पंडित जी उन पर बरस पड़े—"आप क्या बात करते हैं? आप विकास की बात करते हैं? प्रौद्योगिकी की बात करते हैं। विज्ञान की बात करते हैं। उद्योग की बात करते हैं। पंडित मौली चन्द्र खामोश रहे। तत्पश्चात् ठीक एक महीने या उसके बाद पंडित जी चीन की यात्रा पर गए वहाँ उनकी प्रतिनिधि श्रीमती सुन-यात सेन के साथ बैठक हुई। उस सरकारी बैठक में द्विभाषिए मौजूद थे। लेकिन शाम को जब पंडित जी रात्रिभोज पर उनसे मिले तो पंडित जी ने उनसे कहा—"श्रीमती जी आपने दिन में दुभाषिए की मदद लेकर समय की बेकार बर्बादी की जबकि हम लोग अच्छी तरह से अंग्रेजी में बात कर सकते थे।" उत्तर में उन्होंने कहा—"मैं वहां पर गणतन्त्र चीन का प्रतिनिधित्व कर रही थी और वह बैठक भारतीय प्रधानमन्त्री के साथ हो रही थी और इसलिए मुझे अपनी राष्ट्र भाषा का ही प्रयोग करना जरूरी था।" पंडित जी ने राष्ट्र भाषा के महत्व को समझा। जब वे रूस गए वहां भी ऐसा ही उनका अनुभव रहा। वहाँ वह एक आम बैठक को अंग्रेजी में सम्बोधित करने लगे। श्रोता आपस में कानाफूसी करने लगे तो नेहरू जी ने इसका कारण पूछा। रूस के लोगों ने कहा कि आप भारत के प्रधानमन्त्री हैं आपकी जुबान अंग्रेजी नहीं है। जब अंग्रेजी का रूसी में अनुवाद किया जा सकता है तो हिन्दुस्तानी का भी रूसी में अनुवाद हो सकता है। जब पंडित जी ने हिन्दुस्तानी में बोलना शुरू किया तो श्रोताओं ने तालो बजाकर खुशी प्रकट की। इससे उन्हें राष्ट्र भाषा के महत्व का पता चला। उसके बाद पंडित जी ने हिन्दी आयोग गठित किया मैं राष्ट्रभाषा का महत्व बताने की चेष्टा कर रहा हूं। सभापति महोदय भारत को आजादी मिले 37 वर्ष से अधिक समय हो गया है और अभी भी सम्पर्क भाषा अंग्रेजी बनी हुई है। हिन्दी क्यों नहीं?

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण): आपके सूचनार्थ, कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है।

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह): इसलिए आप हिन्दी मे बोलें।

श्री चिरंजीलाल शर्मा: अब मैं हिन्दी में बोलूंगा।

श्री मूलचन्द डागा (पाली): आज तो आप हिन्दी में बोलें।

श्री चिरंजी लाल शर्मा : ठीक है, मैं अपने चीफ व्हिप का हुकुम नहीं टाल सकता।

चेयरमैन साहब, किसी जम्हूरियत में, किसी लोकतन्त्र में शिक्षा सरकार की जिम्मेदारी है। इसमें दो राय नहीं हैं कि देश ने जबसे आजादी प्राप्त की न सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में, जिन्दगी के किसी शोबे पर नजर डालें तो पायेंगे कि देश ने काफी तरक्की की है। लेकिन इस सिलसिले में मैं कहना चाहूंगा क्योंकि शिक्षा मन्त्री महोदया यहां मौजूद हैं, कितनी शिक्षण संस्थायें देश में ऐसी हैं जो एडेड इन्स्टीट्यूशन्स कहलाती हैं जो आर्गेनाइजेशन्स चला रही हैं, जैसे डी०ए०वी०, सनातन धर्म स्कूल और कालेज या और बहुत सी संस्थायें। और जब इस तरफ हम नजर दौड़ाते हैं तो हम देखते हैं कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर उस प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स के मुकाबले में बहुत नीचे है। उनके रिजल्ट्स, अनुशासन और स्टैन्डर्ड आफ ऐजुकेशन, एक्स्ट्रा कैरिकुलर ऐक्टिविटीज गवर्नमेंट स्कूलों के मकाबले कहीं अच्छा होता है। लेकिन जब प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स के टीचर्स का मुकाबला करते हैं सरकारी स्कूलों और कालेजों के टीचर्स से उनकी तनख्वाहों और पार्श्व से तो प्राइवेट स्कूलों के टीचर्स के चेहरे पर मायूसी दिखाई पड़ती है। वह आन्दोलन करते हैं, सत्याग्रह करते हैं, मैनेजमेंट से मांग करते हैं कि हमारी तनख्वाहें ऐट पार लाओ सरकारी स्कूलों को इस सिलसिले में मैं शिक्षा मन्त्री महोदया को सुझाव दूंगा कि आप इस मामले पर विचार करें। ऐजुकेशन कानकरेंट लिस्ट में है, और स्टेट्स डील कर रही हैं ऐजूकेशन को, उनको अगर साधन दिये जायें तो अच्छा रहे ताकि वह स्कूल और कालेजों के टीचर्स को उतनी ही तनख्वाह और सहूलियतें दे सकें जितनी कि सरकारी स्कूलों में मिलती हैं।

दूसरी चीज यह है कि देहात में रहने वाले विद्यार्थी, जो खासतौर पर मैडिकल कालेजेज और इन्जीनियरिंग कालेजों, ऐग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में दाखिले के लिये जाए तो उनके लिए रिजर्वेशन कोटा होना चाहिए कुछ परसेंटेज। जैसे दो साल पहले एम० डी० यूनिवर्सिटी, रोहतक ने रोहतक मैडिकल कालेज में किया था। क्यों? आप इससे सहमत होंगे कि देहात में 82 फीसदी लोग रहते हैं, वहाँ के रहने वाले बच्चों को वह सुविधायें हासिल नहीं हैं जो शहरों में हैं, और उनका शिक्षा का स्तर उतना ऊंचा नहीं हो सकता, क्योंकि वह माहौल उनको वहां देहात में नहीं मिलता है जिससे वह अपनी हायर ऐजूकेशन की ख्वाहिशात को हासिल कर सकें। वह जब मैडिकल कालेज और इन्जीनियरिंग कालेजों में जाते हैं तो उनको धक्के मिलते हैं यह कह कर कि तुम कम्पीट नहीं कर सकते हो। इसलिए उनके लिये रिजर्वेशन होना निहायत जरूरी है।

हिन्दी के सिलसिले में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मुझे जाती तजुर्बा हुआ बहुत से आफिसेज में जाने का सब-कोर्ट के चेयरमैन होने की हैसियत से, हम आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, रजिस्ट्रार आफ कम्पनीज और फारेन आफिसेज में गए, हर जगह अफसरान ने यह आपत्ति हमारे सामने रखी कि हमारी कठिनाइयाँ क्या हैं कि टर्पिनोलाजी साइन्स की, टैक्नोलाजी की, मैडिसिन की और ला की किताबों के हिन्दी तर्जुमे नहीं हैं।

उनको शब्दों के इक्विवैलेंट नहीं मिल सकते, इसलिए उनका हिन्दी के प्रयोग में दिक्कत हो रही है। इस सिलसिले मे मैं सुझाव दूंगा कि साइन्स, टैक्नोलाजी और मैडिसन तथा कानून की किताबों के हिन्दी में अनुवाद कराये जायं।

हिन्दी किसी एक प्रान्त की भाषा नहीं। बिहार, यू० पी०, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरयाणा वगैरह किसी एक की नहीं है चाहे कोई वलम करे। इसके बारे में किसी को टची नहीं होना चाहिए।

जहां तक हिन्दी के प्रचार और प्रसार का सवाल है, इसके लिए मैं सुझाव दूंगा कि जो वालेन्टरी आर्गनाइजेशन हिन्दी का प्रचार कर रही हैं, उनको माकूल आर्थिक सहायता दी जाए, एडीक्वेट एड दी जाये।

जो रिनोन्ड आथर्स हैं, उनके वर्क का हिन्दी में ट्रान्सलेशन करके सस्ते दामों पर देश के भिन्न भिन्न कोनों में मुहैया करने के साधन किए जायें।

फ्रीडम मूवमैंट में हमारे हिन्दुस्तानी भाइयों ने ब्रिटेनिया सरकार के सामने आजादी की लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया, अपनी जिन्दगी की आहुतियां दीं। उनके कार्यों का हिन्दी में अनुवाद करके प्राइमरी स्कूलों और सैकेन्डरी स्कूलों में लगाया जाये। इसके अलावा जिन स्वतन्त्रता सेनानियों ने इस संघर्ष में हिस्सा लिया, जद्दोजहद की गोलियों का शिकार हुए, उनकी जीवनियां हिन्दी में छपवाकर कोर्स में लगाई जायें, मैं यह तजवीज पेश करूंगा। इसके अलावा हिन्दी की टीचिंग के लिए नान-हिन्दी एरियाज में खास इन्तजाम किये जायें।

जहां हमारी शिक्षा का प्रसार हुआ है, क्वाता स्टैंडर्ड आफ एजुकेशन बढ़ा है, लेकिन मारेली डिग्रेडेशन हुआ है। इस सिलसिले में मैं मन्त्री महोदय की तवज्जह मांग कापीईंग की तरफ दिलाना चाहता हूं। जो मैल-प्रैक्टेसिज हैं, अन-फेयर मीन्स हैं जो कि एग्जामिनेशन सैंटर में इस्तेमाल किए जाते हैं, आप रोजाना अखबारों में पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि जो स्टूडैंट्स एग्जाम देने के लिए जाते है, उनमें इतनी जुरंत है कि कुछ तो अपनी जेब में चाकू लेकर जाते हैं, सुपरिन्टैंडैंट आफ एग्जामिनेशन और इनविजिलेटर को···थ्रैटनिंग करते हैं कि अगर आपने कापीइंग की इजाजत नहीं दी तो अपनी जिन्दगी से हाथ धो लेगे।

इसके अलावा भ्रष्टाचार एक भयंकर रूप धारण किए हुए हैं। मैं जाती नालेज के आधार पर यह कह सकता हूं कि बहुत सी जगह पर-हैड पैसे इकट्ठे किए जाते हैं लड़कों से। इसलिए कि जो सुपरिन्टैंडैंट आफ एग्जामिनेशन या इनविजीलेटर हैं, उनकों हर प्रकार की सुविधाएं दी जायें, ड्रिंक्स सप्लाई किए जाएं ताकि मैंड-रेस हो और रिजल्ट अच्छा हो, लड़के ज्यादा से ज्यादा पास हों। यह बुरी बात है। इस सिलसिले में पंजाब यूनिवर्सिटी, पंजाबी यूनिवर्सिटी और गुरू नानक यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स, अभी आपने अखबारों में पढ़ा होगा, पोस्टपोन किए गए हैं। मुझे बताया गया है कि इसलिए पोस्टपोन

किए गए हैं कि पर्चों का लीकेज हुआ है। यह बड़ा गम्भीर मामला है। जो भी एग्जाम पोस्टपोन किए हैं, पता नहीं महीना लगे, दो महीने लगें, ऐसी हालत में मैं मन्त्री महोदय से अर्ज करना चाहूंगा कि उन यूनिवर्सिटीज के इम्तहान जल्द से जल्द कराने की सुविधा दी जाए।

5.00 म० प०

मैं हरियाणा की करनाल कांस्टीट्युएन्सी को रिप्रेजेन्ट करता हूं। करनाल में एन० डी०आर०आई०—नेशनल डेरी रिसर्च इंस्टीट्यूट—और आई०सी०ए०आर०—इण्डियन कौंसिल आफ एग्रीकल्चरल रिसर्च—बड़े जबर्दस्त इंस्टीट्यूशन्ज हैं। मैं समझता हूं कि वे न सिर्फ हमारे देश के टाप इंस्टीट्यूशन्ज कहे जा सकते हैं, बल्कि एशिया के गिने-चुने इन्स्टीट्यूशन्ज में से हैं। फारेन कन्ट्रीज से बहुत से स्टूडेंट्स इन इन्स्टीट्यूशन्ज में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते। वहां बहुत अच्छा एटमास्फियर है, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इन इन्स्टीट्यूशन्ज के एग्जामिनेशन्ज कौन कन्डक्ट करता है—कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी, जो दूसरे जिले में है और डिग्रीज कौन कनफर करता है—कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी। यह तो पुटिंग दि कोर्ट बिफोर दी हार्स वाली बात है।

पता नहीं, आपने कभी ये इन्स्टीट्यूशन्ज देखें हैं या नहीं। अगर आप उन्हें देखेंगे, तो आपको खुशी हासिल होगी। पिछले महीने की 22 तारीख को एग्रीकल्चर मिनिस्टर, राव विरेन्द्र सिंह, वहां गए थे। जब हमने उनसे मांग की कि उन इन्टीट्यूशन्ज को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाय, तो राव साहब ने कहा कि आपकी बात जायज है, लेकिन इसमें शिक्षा मन्त्रालय और यू० जी० सी० का सहमत होना जरूरी है। चूंकि मंत्री महोदय यहां पर जलवा-अफरोज हैं, इसलिए आपकी बसातत से मैं उनसे अनुरोध करूंगा, प्रार्थना करूंगा, पुरजोर अपील करूंगा कि वह करनाल के इन इंस्टीट्यूशन्ज को यूनिवर्सिटी का दर्जा देने की तरफ ध्यान दें, जिसके लिए एग्रीकल्चर मिनिस्टर इन प्रिंसिपल एग्री कर चुके हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस बारे में शिक्षा मन्त्रालय को लिखेंगे।

आजकल हमारे नौजवान विद्यार्थियों को अमरीका और कैनेडा वगैरह दूसरे मुल्कों में जाने का क्रेज हो गया है। वे एजूकेशन के लिए वहां जाएं, तो ठीक है। लेकिन वे शिक्षा ग्रहण करने के लिए वहाँ जाते हैं और वहां के सिटिजंज बन जाते हैं। आज हिन्दुस्तान को फिलासफर्ज, इकोनोमिस्ट्स, इन्जीनियर्ज, डाक्टर्ज, मैथेमैटीशन्ज और टेक्नीशंज की जरूरत है। लेकिन हमारे ये भाई विदेशों में जाकर अपने देश को भूल जाते हैं, उस पवित्र भूमि को भूल जाते हैं, जहाँ उन्होंने जन्म लिया, उन कुंओं को भूल जाते हैं, जिन्होंने उनकी प्यास बुझाई थी, उस हवा को भूल जाते हैं, जिसमें उन्होंने जिन्दगी पाई थी। उनके सामने सिर्फ चांदी के सिक्के रहते हैं और उनकी खातिर वे अपने देश को वापिस नहीं आना चाहते।

पिछले दिनों मैं इंगलैंड गया। वहां पर मेरे एक क्लास फेलो थे। मैंने टेलीफोन पर उनसे बात की, क्या मैं श्री केदार शर्मा से बात कर सकता हूं?

उसने जवाब दिया, हां, बोल रहा हूं मैंने कहा, केदार भाई, राम राम। उसने कहा, कौन बोल रहा है यह राम राम क्या है ? मैट्रिक तक वह मेरा क्लास फेलो था, देहात में रहने वाला गरीब लड़का, दसवीं क्लास तक जिसकी फीस माफ हुई थी। जब मैंने उसको अपना नाम बताया, तो उसने कहा, शर्मा अब तुम बहुत रूखे हो गए हो, तुम स्कूल में तो बहुत व्यावहारिक थे। मैंने जवाब दिया, केदार, यह भाषा अब तुम्हें कहां नसीब होगी, 32 साल हो गए तुम्हें अपने गाँव से यहां आए हुए। जब मैं उससे मिलने के लिए गया, तो मुझे उसकी यह बात सुन कर आश्चर्य हुआ। मैं यहाँ 32 वर्ष पहले आया था भारत वापस जाने का क्या लाभ है ? मेन्टल आउटलुक कितना चेंज हो गया है। यह दुर्भाग्य की बात है। इसलिए इस बात की जरूरत है कि यहां पर ऐसा एटमास्फियर क्रीएट किया जाए कि फोरेन क्वालिफाइड में हमारे जो लोग गए हुए हैं, जो हमारे ब्रेन हैं, जहीन तबका, इनटेलिजेंसिया हैं, वे वापस देश में आए।

हमारे मेडिकल कालेजों और इंजीनियरिंग कालेजों में कैपिटेशन फी की जो हवा फैली है, उसका कत्ला-कमा किया जाना चाहिए। जो हमारे डिजर्विंग स्टुडेंट्स हैं, जो वाकई काबिल हैं, जिन्होंने झोंपड़ी में जन्म लिया है, जो देश के भविष्य को उज्ज्वल बनाने में अपना योगदान दे सकते है, वे उच्च शिक्षा ग्रहण करने से महज इसलिए मेहरूम रह जाते हैं, क्योंकि वे उसका खर्चा बर्दास्त नहीं कर सकते। उन कालेजों में पचास-पचास हजार और एक-एक लाख रुपए कैपिटेशन फीस लेकर स्टुडेंट्स का दाखिल किया जाता है। यह लानत हमारी जम्हूरियत पर एक बदनुमा दाग है। इसलिए यह कानून बनाया जाए कि जो इंस्टीट्यूशन कैपिटेशन फी ले, उसको डिसएफिलिएट कर दिया जाए।

श्री चतुर्भुज (झालावाड़) : सभापति महोदय, शिक्षा के ऊपर बड़ी गम्भीरता से विवाद हो रहा है और सत्ता पक्ष के लोग भी उसमें अपने सुझाव प्रस्तुत करते हैं। खेद का विषय यह है कि शिक्षा को हमने गम्भीरता से नहीं लिया है। 36 साल की स्वतन्त्रता के बाद अगर हम पुराने इतिहास की ओर जायं, सन् 47 से पहले के इतिहास के अंदर जाए तो मालूम होगा कि देश के महान पुरुषों ने एक कल्पना की थी अपने मन के अन्दर, एक कसम खाई थी और उस कल्पना को साकार करने के लिए एक संकल्प लिया था। उनकी कल्पना थी कि इस देश का आगे चल कर एक इतिहास होगा, आने वाला समय देश का होगा लेकिन आज हम देखते हैं 36 साल बाद कि राज्य मंत्री के स्तर के मंत्री शिक्षा के अंदर बैठे हुए हैं, इसको हम कैबिनेट स्तर का मंत्री भी नहीं दे सके हैं। विश्व के दूसरे छोटे-छोटे देशों को देख लीजिए, तीस चालीस देशों को उठा कर देख लीजिए जो हमारे बाद आजाद हुए थे, उनका शिक्षा का स्तर बढ़ता जा रहा है और हमारे देश के अंदर शिक्षा का स्तर घटता चला जा रहा है।...(व्यवधान)...इसलिए शिक्षा के ऊपर वाद-विवाद में भाग लेना बेकार हो जाता है। मैं यह दिखाना चाहता हूं कि शिक्षा को देश की संस्कृति के अनुरूप नहीं ढाला जा रहा है, जो इस देश के महान व्यक्तियों ने कल्पना की थी उस कल्पना को

साकार नहीं किया जा रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, बापू ने, डा० राधाकृष्णन ने और डा० राजेन्द्र प्रसाद ने शिक्षा के सम्बन्ध में अपने सुझाव दिए थे, जितने भी बड़े-बड़े महात्मा थे, क्रान्तिकारी थे उन सबने शिक्षा की एक कल्पना की थी। उन्होंने सोचा था कि यह 40-50 करोड़ की आबादी का देश है, यह गुलाम क्यों बना ? इस देश का उद्धार, इसका विकास किस तरह से होने जा रहा है ? आने वाला समय क्या होगा ? इसकी एक कल्पना उन्होंने की थी। सन् 47 के बाद वह जो हमने कल्पना की थी वह साकार होती हुई नहीं दिखाई पड़ती।

हमारी जो राष्ट्रभाषा है हमने उसको एक झझट में डाल दिया है। दूसरे देशों की एक राष्ट्रभाषा है, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्की छोटे-छोटे दशों को ले लीजिए, किसी भी देश में चले जाइए, सब की अपनी राष्ट्रभाषा है। अभी अन्तरिक्ष यान के अंदर जो रशिया वाले थे वह रशियन भाषा में बात कर रहे थे और हम अंग्रेजी में बात कर रहे थे। टी० वी० के ऊपर देखकर हमारा सिर शर्म से झुकता जा रहा था। हम एक तरफ उन्नति की बात करते हैं, दूसरी तरफ हमारा सिर नीचे झुकता जा रहा है। यहां हमारे संसद के अंदर जो विदेशी आते हैं चाहे एशिया के राष्ट्रपति हों या अन्य किसी देश के राष्ट्रपति हों, वह अपनी-अपनी लैंग्वेज के अन्दर बात करते हैं और हम शर्म खाते हैं। लगता है जैसे हम मैंकाले की सन्तान बन गए हों, यह देश सारा का सारा मैंकाले की संतान बन गया हो, जैसे हमने एक संकल्प ले लिया हो कि हम आज भी अंग्रेजी के गुलाम हैं। मैं आज भी कहता हूं कि जब तक इस देश के ऊपर विदेशी संस्कृति हावी रहेगी, विदेशी शिक्षा रहेगी, तब तक यहाँ का व्यक्ति स्वतन्त्रता के वातावरण में नहीं घूम सकता। जितने भी शिक्षा आयोग बैठे हैं उन सबकी एक कल्पना थी कि इस देश के अन्दर जब तक मातृभाषा के अन्दर शिक्षा नहीं दी जाएगी तब तक देश ऊपर नहीं उठ सकता।

आप आज देख लीजिए, हमने एक संकल्प लिया था सन् 70 में, 75 में या 80 में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा लागू करेंगे। अब कहते हैं कि हमारा संकल्प 90 में पूरा होगा। मैं कहता हूं कि 100 साल में भी आपका संकल्प पूरा नहीं होगा।

प्रौढ़ शिक्षा और प्राइमरी शिक्षा की हालत देख लीजिए। गांवों के अन्दर जहां पर 80 प्रतिशत बच्चे हों, वहाँ सातवीं कक्षा तक शिक्षा को परीक्षा से छोड़ दिया गया है। क्या मिडिल स्कूलों के अन्दर, हाई स्कूलों के अन्दर, यूनिवर्सिटीज के अन्दर, इंजीनियरिंग या मेडिकल कालेजों के अन्दर काम्पीटीशन में कोई गाँव के अन्दर शिक्षा प्राप्त किया हुआ पाठक भी आ जाएगा ? वह जो सातवीं कक्षा पास करके ग्रामीण क्षेत्र से विद्यार्थी आएगा, हाई स्कूल में उसका ऐडमीशन कैसे होगा, कालेज के अन्दर उसका ऐडमीशन कैसे होगा ? उसकी क्या दशा होगी ?

आज सारे देश के अन्दर प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं और ऐसा दिखाई देता है कि लालडेंगा, फिजो और जिन्ना जैसे लोगों ने जिन्होंने देश के साथ गद्दारी की थी या गद्दारी

की है वह इन्हीं शिक्षा संस्थाओं से निकले हैं और इन शिक्षा संस्थाओं के अन्दर देश के गद्दार पैदा हो रहे हैं। देख लीजिए, पूर्वान्चल में चले जाइए या अन्य यूनिवर्सिटीज में देख लीजिए वहां से कौन निकल रहे हैं ? किसने देश का बंटवारा किया था ? कहां पढ़े थे वह लोग ? देश भक्ति का पाठ पढ़ाने वाली शिक्षा हमारे पास नहीं है। देश को चरित्र देने वाली शिक्षा हमारे पास नहीं है। लोकतन्त्रीय मूल्यों के लिए जीवन समर्पण करने वाली शिक्षा हमारे पास नहीं है। तो हम किस आधार पर बोलेंगे ? हमारी कौन सी शिक्षा होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, 36 साल के बाद भी हम अभी तक इसमें भटक रहे हैं। ऐसा दिखाई देता है कि जो देश के जन-प्रतिनिधि हैं, राजनेता हैं वह आज भी गुलामी की जंजीरों के अन्दर जकड़े हुए हैं। इनकी मानसिकता गुलामी की ओर झुकी हुई है। आज भी ये स्वतन्त्र नहीं हैं। एक छोटा सा देश इस्राइल जहां एक से एक भाषाएं बोली जाती थीं, थोड़े से समय के अन्दर उसने अपनी एक हिब्रू भाषा तैयार करके दिखा दिया और तकनीकी तथा वैज्ञानिक ज्ञान में सारे संसार के अन्दर आज वह अपना नाम ऊंचा किए हुए हैं और 70 करोड़ का यह देश —दुर्भाग्य है इस शिक्षा मंत्री का, दुर्भाग्य है इस कैबिनेट का, इस सरकार का जो देश के लिए आज तक एक राष्ट्रभाषा नहीं दे सकी, एक दिशा नहीं दे सकी। ऐसी सरकार को राज करने का क्या अधिकार है ? और शिक्षा मन्त्री को अपनी उपलब्धियां बताने का क्या अधिकार है ? कुछ समय पहले प्रधानमन्त्री ने कहा था कि हमने दो गल्तियां की हैं एक तो शिक्षा में और दूसरी प्रशासन में, लेकिन उन दोनों गलतियों को आप सुधार नहीं सके हैं। राष्ट्रपति भी बोल रहे हैं, प्रधानमन्त्री भी बोल रही हैं, राष्ट्रीय नेता और तमाम विद्वान भी कह रहे हैं फिर यह सुधार कौन करेगा ? किस प्रकार से यह सुधार आएगा ? आज की शिक्षा से जनरल लोग किस जैसे गद्दार पैदा हो रहे हैं। इस देश की सीमाओं की रक्षा कौन करेगा ? इस शिक्षा से देश में भुखमरी और अराजकता ही आएगी। इस देश की शिक्षा में आपको क्रांतिकारी परिवर्तन करना होगा। जब इस देश के राष्ट्रपति कहते हैं, प्रधान मंत्री कहते हैं, अन्य राष्ट्रीय नेता भी शिक्षा में बुनियादी परिवर्तन की बात कहते हैं तो फिर कौन परिवर्तन लाएगा और वह परिवर्तन कब आएगा।

आज दूसरे देशों के नेता यहां पर आते हैं तो वे अपनी मातृ भाषा में बात करते हैं लेकिन जब हमारे नेता उनसे अंग्रेजी में बात करते हैं तो हमारा सिर शर्म से झुक जाता है। मैं समझता हूं इस सदन में यह प्रस्ताव पास होना चाहिए कि कोई भी नेता, कोई जन-प्रतिनिधि, कोई भी पार्लमेंट का मेम्बर या कोई भी विधान सभा का मेम्बर विदेशों में जाएगा तो राष्ट्र भाषा में ही बोलेगा। राष्ट्र भाषा का अनुवाद करने के लिए उनके साथ ट्रांसलेटर भी जा सकते हैं।

मैं यह मांग करता हूं कि हमारी शिक्षा प्रणाली का भारतीयकरण किया जाना चाहिए। ऐसी शिक्षा पाकर फिर गद्दार नहीं पैदा होंगे। आज ईसाई मिशनरीज जो नागालैंड तथा पूर्वान्चल में शिक्षा दे रहे हैं उससे इस देशका सत्यानाश हो रहा है। उस शिक्षा

को देकर वे इस देश के टुकड़े कराने का षडयन्त्र कर रहे हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कहीं तो उर्दू की मांग की जा रही है और कहीं दूसरी भाषा की माँग की जा रही है। इस देश के नेताओं ने पूरे देश पर पानी फेर दिया है। इसलिए मेरी मांग है कि इस देश की शिक्षा का भारतीयकरण किया जाए तथा ऐसी शिक्षा दी जाए जो कि रोजगारोन्मुख हो, जो कि देश के हर हाथ को काम दे सके और हर दिमाग का विकास कर सके। ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जो कि जनता में राष्ट्रीय चेतना का संचार कर सके और भारतीय संस्कृति का प्रसार कर सके। जब तक यह सब नहीं होगा तब तक देश के आगे बढ़ने की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। मेरा सुझाव है कि शिक्षा के पूरे बजट का 80 प्रतिशत बुनियादी शिक्षा पर ग्रामीण अंचलों में खर्च किया जाए। आज एक लाख 40 हजार गांवों में प्राथमिक स्कूल ही नहीं हैं और 37 विद्यार्थियों के पीछे एक अध्यापक रखा हुआ है जिसको आप चपरासी की तनख्वाह भी नहीं देते हैं। आज देश के हाई स्कूल गुण्डागर्दी के घर बन गए हैं। भाँग, गांजा, दारू सब कुछ वहां चल रहा है। हमारी शिक्षा संस्थाएं सरस्वती के मन्दिर होने चाहिए तभी जो हमारा प्राचीन गौरव था और विश्व में हम गुरू कहलाते थे, वह स्थान हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। मेरा निवेदन है कि तत्काल इसके ऊपर पुनर्विचार होना चाहिए तथा शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्तन होना चाहिए। अगले सत्र से ही आपको फैसला करना चाहिए कि टेन प्लस टू प्लस थ्री होगा या नहीं होगा। राष्ट्रीय योजना के अन्तर्गत समयबद्ध कार्यक्रम की व्यवस्था, राष्ट्रीय चेतना का प्रसार करने वाली राष्ट्रीय संस्कृति का प्रसार करने वाली लोकतन्त्रीय मर्यादा और देश के प्रति समर्पित करने वाली शिक्षा का जब तक पाठ्यक्रमों की पुस्तकों में समावेश नहीं किया जाएगा, इस देश का भविष्य अधकार में रहेगा। इसलिए देश के नाम पर, समाज के नाम पर मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन कीजिए। राष्ट्रीयकरण और भारतीयकरण कीजिए; तभी देश का उद्धार होगा। नहीं तो देश भक्त भगतसिंह, चन्द्रशेखर, सावरकर और सुभाषचन्द्र बोस पैदा करने के स्थान पर लालडेंगा फिजो, जनरल लारेंस जैसे गद्दार लोग पैदा होंगे। छत्तीस साल की आजादी के बाद भिंडरावाला जैसा व्यक्ति इस देश में पैदा होगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि भारत को शिक्षा को भारत के रूप में परिवर्तित कीजिए, देश के प्रति समर्पण करने वाली और देश की संस्कृति का ज्ञान पहुंचाने वाली शिक्षा पैदा कीजिए।

इन्हीं चन्द शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री राम स्वरूप राम (गया) : सभापति महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत शिक्षा विभाग की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। विषम परिस्थिति में भी शिक्षा के प्रसार के लिए मन्त्री जी द्वारा ठोस कार्यक्रम सारे मुल्क में चलाए जा रहे हैं। मैं अपनी बात कहने से पहले यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आपकी शिक्षा नीति दोहरी नीति के आधार पर चल रही है। आप एक ही समय में, एक ही गांव में, एक ही वर्ष में डब्ल स्टेंडर्ड की शिक्षा दे रहे हैं। जबकि आपकी मंशा है कि शिक्षा एक सोशियल

और इकोनामिक स्थिति के सुधार का एक इन्स्ट्रूमेंट है और शिक्षा को तमाम जनमानस तक ले जाया जाना चाहिए। दूसरी बात यह कि भारत सात लाख गांवों का देश है, मैं समझता हूं कि हर गांव में प्राथमिक विद्यालय खुल गए हैं, यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारत के प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में लड़के पढ़ रहे हैं। लेकिन यदि आप उनकी स्थिति जाकर देखें तो विद्यालयों के लिए भवन नहीं है, वे पेड़ की छाया और खुले आसमान के नीचे बैठ कर पढ़ रहे हैं। जैसा कि अभी उत्तर प्रदेश के माननीय सदस्य श्री जैनुल बशर वहां की स्थिति के बारे वर्णन कर रहे थे। वहां भी 75 प्रतिशत ऐसे स्कूल हैं जिनके भवन नहीं हैं और यदि कहीं हैं भी तो भग्नावशेष स्थिति में हैं। दूसरी ओर बिलकुल भिन्न तस्वीर है। दिल्ली में आप दिल्ली पब्लिक स्कूल चला रहे हैं, सेंट एक्जेवियर स्कूल चला रहे हैं। यहां मुझे एक कहानी याद आती है--यदि एक व्यक्ति का 6 महीने तक पैर बांध कर रखा जाय और दूसरे व्यक्ति के पैर की 6 महीने तक मालिश की जाय, उसके बाद उनसे कहा जाय कि दोनों दौड़ो, दोनों में प्रतियोगिता हो तो क्या परिणाम आयेगा ? स्वाभाविक बात है जिसकी 6 महीने तक मालिश हुई है, वह दौड़ में आगे निकल जायेगा। जिसको बांध कर रखा गया है, वह कैसे आगे निकल सकता है। आप समता और समाजवाद की बात कहते हैं, लेकिन जब शिक्षा में इस प्रकार का अन्तर होगा, तो वहां समता कहां रहती है। मैं एक और उदाहरण आप को देता हूं—हमारे ही सदन के स्पीकर साहब ने बड़े जोरदार शब्दों में कहा है—

> "जाखड़ कान्वेन्ट स्कूलों को सरकार के हाथ में लेने के पक्ष में हैं। मैसूर विश्वविद्यालय के 63वें दीक्षान्त समारोह को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अमीर बच्चों को कान्वेट स्कूलों में पढ़ाया जाता है और गरीब छात्र जो साधारण स्कूलों में निम्न स्तर की शिक्षा पाते हैं, अमीर छात्रों का मुकाबला नहीं कर सकते। इस पद्धति में परिवर्तन करने के लिए किसी अच्छी सरकार को चाहिए कि या तो साधारण स्कूलों को सामान्य सुविधाएं उपलब्ध कराएं अथवा पब्लिक स्कूलों को अपने हाथ में ले"

यदि आप चाहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में सभी स्कूलों को समान अवसर मिलें तो जितने स्कूल गांवों में हैं उन सब को पब्लिक स्कूल की तरह से वेल-इक्विप्ड कर दें। यदि ऐसा नहीं कर सकते हैं तो सभी पब्लिक स्कूलों को बन्द कर दें। मैं चाहता हूं कि चाहे गांव के स्कूल हो या शहरों के स्कूल हों सबको एक स्तर पर लाया जाय। यदि आप ऐसा कर सकें तो, वह बड़ा सुनहरा अवसर होगा जब तमाम देश के बच्चों को एक ही माहौल मिलेगा, एक ही तरह का वातावरण मिलेगा।

हम अभी भी शिक्षा के क्षेत्र में तरह-तरह के प्रयोग कर रहे हैं। 10+2 की शिक्षा चला रहे हैं—इस तरह की बातें बहुत सोच-समझ कर करनी चाहिए। मैं बहुत बड़ा बुद्धिजीवी नहीं हूं, लेकिन अनुभव के आधार पर, क्योंकि मैं स्वयं गांव से आता हूं, इस बात को महसूस करता हूं कि जो वर्तमान शिक्षा पद्धति चल रही है इससे सोशल चेन्ज

का बहुत बड़ा महौल खड़ा नहीं कर सकेंगे, समता का माहौल देश को नहीं दे सकेंगे ।

सभापति जी, जहाँ तक शिक्षा के प्रसार का सम्बन्ध है—लिट्रेसी का जो डाटा हमारे सामने आया है वर्ष 1981 के जनसंख्या के आकड़ों से पता चलता है कि कुल जनसंख्या का 36.2 प्रतिशत लोग साक्षर हैं । वर्ष 1971-81 के दौरान साक्षरता में बहुत कम प्रगति हुई । स्त्री जनसंख्या का 75 प्रतिशत से अधिक और पुरुष जनसंख्या का 50 प्रतिशत से अधिक लोग अशिक्षित हैं । आप देख रहे हैं कि अभी तक 36.2 परसेन्ट को ही लिट्रेसी है और आप 1990 तक 14 वर्ष तक के बच्चों को कम्पलसरी एजूकेशन दे सकेंगे ।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : उसमें कम्पलसरी का नाम नहीं लिया है । अगर ऐसा कहते तो हम खुश हो जाते ।

श्री राम स्वरूप राम : मैं जिस बात की ओर आपका ध्यान खींचना चाहता हू वह यह है कि हरिजन और आदिवासियों के बच्चों का प्राथमिक कक्षा में तो नामांकन रह जाता है, लेकिन चौथी क्लास तक पहुंचते-पहुंचते उसकी इकानामिक हालत इतनी खराब हो जाती है कि वह अपनी शिक्षा को बढ़ा नहीं सकता ।

5.25 म०प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

उसके बाद बच्चा अपने पिता के साथ, अपने गार्जियन के साथ खेतों में एग्रीकल्चर का काम शुरु कर देता है । मंत्री महोदय ने इस बात को अनुभव किया होगा कि स्कूलों में जो ड्रोप-आऊट्स होते हैं, उनमें से अधिकांश बच्चे कमजोर वर्गों के ही होते हैं । उनके लिए प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जा रही है लेकिन आगे चल कर जो ड्रोप आऊट होता है, वह वीकर सेक्शन्स के बच्चों का हो रहा है । इसलिए इस तरफ भी आप को ध्यान देना चाहिए ।

गांवों में हमने देखा है कि जो हरिजन, आदिवासी और वीकर सेक्शन्स के बच्चे हैं, जो लोग मजदूरी करके अपने बच्चों को मैट्रिक पास कराते हैं और बी०ए० पास कराते हैं और दूसरी तरह की एजूकेशन दिलाते हैं, उन बच्चों को एम्पलायमेंट नहीं मिल रहा है और जब इन पढ़े-लिखे बच्चों को एम्पलायमेंट नहीं मिलता है, तो इसका असर दूसरे बच्चों पर बहुत बुरा पड़ता है । मेरा कहना यह है कि अगर इस चीज को देखा नहीं गया और उन बच्चो को एम्पलायमेंट देने का कोई इन्तजाम नहीं हुआ, तो एक समय वह आयेगा कि तमाम वीकर सेक्शन्स के बच्चों का एजूकेशन की तरफ से रुझान खत्म हो जायेगा । इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि फूड फोर एजूकेशन का प्रोग्राम चलाया जाए । फूड फोर एजूकशन से मेरा मतलब यह है कि जो गरीब वर्गों के बच्चे हैं, उनके लिए भोजन की व्यवस्था की जाए ताकि उनको पढ़ने में इनिशियेटिव मिले । उनकी आर्थिक स्थिति खराब होने के साथ-साथ वे अपनी पढ़ाई जारी रख सकें और अगर ऐसी स्कीम आप ने चलाई तो ये जो ड्रोपआऊट्स बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं,

इनमें कमी आयेगी। इसलिए उनको पढ़ने के लिए इनिशियेटिव देने के लिए फूड फोर एजूकेशन का प्रोग्राम चलाया जाए और उनके लिए भोजन आदि की व्यवस्था हो।

एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आज बहुत सी संस्थाएं ऐसी चल रही हैं, जो कि कामर्शियेलाइज्ड एजूकेशन के तौर पर चल रही हैं। इसके अलावा बहुत सी संस्थाएं धर्म के नाम पर चल रही हैं। बहुत सी संस्थाओं में क्षेत्रीयता की भावना से शिक्षा दी जा रही है और कहीं पर इस तरह की शिक्षा दी जा रही है, जिससे नेशनल इनटेग्रेशन को ठेस पहुंच रही है और इस तरीके की शिक्षा दी जा रही है कि नेशनल इनटेग्रेशन नहीं पनप पा रहा है। कहीं पर आनन्द मार्गी अपने विद्यालय चला रहे हैं और कहीं पर आर० एस० एस० वाले अपने विद्यालय चला रहे हैं और उनमें ऐसी शिक्षा दे रहे हैं, जिससे एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से नफरत हो जाए। इसी तरह से कुछ संस्थाएं जमायते इस्लामी भी चला रही हैं। मेरा कहना यह है कि इस तरह की संस्थाओं को बन्द करना चाहिए। वहाँ पर इस तरह की शिक्षा दी जाती है, जो नेशनल इनटेगिरिटी को ठेस पहुंचाती है और शिक्षण संस्थाओं की पवित्रता मेन्टेन नहीं की जाती है। यही बहुत बड़ा कारण है, जिससे नेशनल इनटेग्रेशन नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि ऐसी सस्थाओं को, जो कि धर्म के नाम पर चलती हैं या कहीं पर क्षेत्रीयता के नाम पर चलती हैं और ऐसी भावना को लेकर जो शिक्षा लोगों को दी जा रही है, उनको तुरन्त बन्द किया जाए। आज क्रिश्चियन स्कूलों में, सेंट जेवियर स्कूलों में जो बच्चे बढ़ते हैं, उन बच्चों का देश के प्रति रूझान कम हो जाता है और नेशनल इनटेगरिटी की भावना उनमें खत्म हो जाती है। ऐसी सब संस्थाओं को आपको बन्द कर देना चाहिए।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं। एक ही तरह का सिलेबस सारे मुल्क में होना चाहिए। चाहे देहात का स्कूल हो और चाहे दिल्ली नगर का स्कूल हो, एक ही तरह का सिलेबस सारे मुल्क में होना चाहिए। चाहे वह बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो और चाहे केरल हो, त्रिवेन्द्रम हो, हर जगह एक ही तरह का सिलेबस होना चाहिए ताकि लोगों में राष्ट्रीयता की भावना पनप सके और बच्चों में एक माहौल बन सके कि यह हमारी मातृभूमि है और इसके लिए हमें सब कुछ करना है। अगर एक ही सिलेबस सारे देश में होगा, तो इससे नेशनल इनटेग्रेशन में बहुत बड़ा योगदान मिलेगा। अन्त में मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि सारे मुल्क में गरीब बच्चों के लिए विद्यालयों में भोजन की व्यवस्था कराई जाए और आपने जो मुझे बोलने का समय दिया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री पीतांबर सिंह (बेतिया) : उपाध्यक्ष जी, हमारे देश में मेरी समझ में जो सबसे बड़ी शिक्षा की समस्या है वह अशिक्षा और निरक्षरता की है। इस सिलसिले में राज्यमन्त्री शिक्षा ने 9 मार्च 1984 को एक प्रश्न का जवाब देते हुए राज्य सभा में बताया था कि इस देश में अभी निरक्षर लोगों की संख्या 42 करोड़ 42 लाख 56 हजार है, लेकिन आसाम को छोड़कर और 1981 की जनगणना के आधार पर थे आंकड़े बताए थे।

निरक्षरता की यह समस्या जब 31 मार्च 1984 को इस संख्या के अनुपात से देखते हैं तो यह 45 करोड़ 50 लाख के करीब हो जाती है। पिछले 31 मार्च को हमारी जनसंख्या 72 करोड़ के लगभग हो गई है। इसमें 45 करोड़ 50 लाख लोग ऐसे हैं जिनका शिक्षा से कोई वास्ता नहीं है। यही हमारे देश की 37 सालों की सबसे बड़ी उपलब्धि है शिक्षा के क्षेत्र में। दूसरी जो बड़ी उपलब्धि है वह है हरिजन-आदिवासियों और महिलाओं की अशिक्षा देश में जो निरक्षर लोग हैं उनमें दो तिहाई संख्या महिलाओं की है। महिलाओं की शिक्षा के लिए कमेटियां बहाल हुईं। दुर्गाबाई देश मुख कमेटी, हंसा कमेटी, ये कमेटियां बहाल हुईं। इन कमेटियों ने शिक्षा में पुरुषों और स्त्रियों की शिक्षा में भेद को दूर करने के लिए प्रयास करने का सुझाव दिया। इसके लिए बहुत सी बातें बताई और दुहराई गई। लेकिन 25 साल के बाद जब रिव्यू किया गया तो पता लगा कि इस क्षेत्र में कोई विशेष प्रगति नहीं हो पाई है। इस सिलसिले में 1951 में निरक्षर स्त्रियों की संख्या 16 करोड़ 10 लाख 90 हजार थी वह आज बढ़कर 1981 में 25 करोड़ 10 लाख 30 हजार हो गई है। इस तरह से निरक्षरों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है।

स्त्रियो, हरिजनों और आदिवासियों की शिक्षा के सिलसिले में शिक्षा विभाग की तरफ से आँकड़े प्रकाशित किए गए हैं। प्राइमरी शिक्षा के लिए कहा गया है कि इसमें 1982 में 84 फीसदी लड़के भर्ती किए गए। लड़कियों का 6-11 वर्ष शिक्षा के लिए 66 प्रतिशत बताया गया है। लेकिन जब देखते हैं कि हरिजनों और आदिवासियों की शिक्षा के बारे में तो वहाँ दिया गया है कि वहाँ भर्ती 60 फीसदी हो गई है। यह पढ़ने के बाद मुझे ऐसे लगा कि ये आंकड़े दफ्तर ने दिए हैं। सारे देश की संस्थाओं में जो काम हो रहा है, वहां से आंकड़े संग्रहीत करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। यह आंकड़ा सही हो ही नहीं सकता। असम्भव है।

इससे बड़ी असत्य बात और नहीं हो सकती कि हरिजन और आदिवासियों की भर्ती 6-11 वर्ष की उम्र के लिए 86 फीसदी हो जाए और जनरल 84 फीसदी ही रहे। प्राइमरी शिक्षा की हालत बहुत खराब है। इसमें शक नहीं कि प्राइमरी शिक्षा का देश में विस्तार हुआ है। नए स्कूल खुले हैं और नई भर्ती भी हुई है। लेकिन जनवरी में नयी भर्ती की जाती है। शहरों में अगर सौ लड़के यदि भर्ती किए हैं तो वहाँ उपस्थिति अधिक ठीक रहती हैं। लेकिन, गांवों में तीस फीसदी से ज्यादा उपस्थिति नहीं हो पाती है। पांचवी क्लास तक जाते-जाते सिर्फ तीस लड़के रह जाते हैं। ड्राप-आउट की भी बहुत बड़ी समस्या है। प्राईमरी शिक्षा के विस्तार के साथ-साथ शिक्षा को रुचिकर और आकर्षक बनाना है। साथ ही साथ जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तो उन्हें घर और बाहर माँ-बाप की सहायता के लिए दूसरे कामों में जुटना पड़ता है, नतीजा यह हो जाता है कि पेट की भूख शिक्षा के प्यास से ज्यादा ताकतवर हो जाती है। इसलिए किसी भी अवस्था में ड्राप-आउट बढ़ता जाता है और स्थिति बिगड़ती जाती है। 1951 से 1971 तक 12 फीसदी और 1971 से 1981 तक मुश्किल से सात फीसदी साक्षरता बढ़ी है। संविधान की धारा 45 में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाया गया। 1960 तक प्राथमिक शिक्षा

को लागू करने की बात की गई। इसके बाद सेन्ट्रल एडवाइजरी कमेटी ने कहा कि इसे 1984 तक पूरा करना है। आप जानते हैं कि अपने लक्ष्य से हम कितना पीछे हैं। अब यह कहा गया है कि 1990 तक हमारा लक्ष्य पूरा हो जायेगा। राज्य मन्त्री ने यह कहा है कि 25 से 35 वर्ष तक के युवकों की साक्षरता को पूरी करेंगे और इस काम को 1990 तक हमें पूरा करना है। मेरा निश्चित अनुमान है कि जिस गति से काम हो रहा है, अगर सरकार सन् दो हजार तक यह काम पूरा कर दे तो यह एक महान उपलब्धि होगी। सेकेन्डरी एजुकेशन के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संघ ने अपनी मांगों के सिलसिले में काफी प्रयास किया, विभाग के पदाधिकारियों और मन्त्री महोदया से, कि उनकी समस्यायें सुनी जायें। उनका कहना है कि 13 राज्यों में उनसे बड़ा हुआ वेतन-मान उपलब्ध है। उनके प्रिंसिपलों की बहाली के लिए कलकत्ता, हैदराबाद और दिल्ली में परीक्षाएं ली गईं और उसके बाद कह दिया गया कि परीक्षा बेकार हो गई। न तो रिजल्ट ही प्रकाशित किया जा रहा है और न ही बहाली की जा रही है। उन परीक्षाओं के परिणाम के अनुसार बहालियों की जांच और उनके संघ से वार्ता कर मंजूरी दी जाए।

उपाध्यक्ष जी, पुरानी जो भर्ती की नीति अपनाई गई थी। 1973 में जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में उसको साधारण परिवर्तन के साथ फिर लागू रखना चाहिए। उसमें जो इन्टरव्यू के लिए 40 मार्क्स थे वह ज्यादा थे और उसी को लेकर गड़बड़ी हो रही थी, और जिस गड़बड़ी का निराकरण करने के लिए नीति बदलने की बात कही गई परिवर्तन करके उसे प्रतिकूल दिशा में ला दिया गया। जिसमें विघटनकारी शक्तियों को बल मिला। इसलिए पुरानी भर्ती नीति को उपरोक्त संशोधन के साथ लागू करने का प्रयास करना चाहिए।

शिक्षा का उद्देश्य नेशनल इन्टेग्रेशन और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने वाली शक्तियों को बढ़ावा देना है। यह शिक्षा का केन्द्र बिन्दु होना चाहिये। यह चर्चा बार बार की जाती है, प्रधान मन्त्री दोहराती भी हैं, लेकिन जितनी परियोजनाएं शिक्षा विभाग द्वारा चलाई जा रही हैं उसमें एक भी परियोजना ऐसी नहीं है जो नेशनल इन्टेग्रेशन के तत्वों को पुष्ट करने, उनको शक्तिशाली बनाने में सहायता हो।

त्रिभाषी फार्मूला था, और विशेषकर उत्तर भारत के राज्यों में तेलगू, तमिल भाषाओं को पढ़ाने का प्रयास किया जाना था। कुछ राज्यों में निर्णय भी हुआ तीसरी भाषा के रूप में दक्षिण भारत की भाषायें पढ़ाई जायेंगी। लेकिन उसके लिये न कोई कोर्स है और न ही टीचर्स हैं। सच बात यह है कि उत्तर भारत में जहां कहा जाता है कि यह फार्मूला लागू है, उस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

एक यहां केन्द्रीय हिन्दी इन्स्टीट्यूट है जिसकी बड़ी शिकायतें हैं। शिक्षा विभाग के सीधे नीचे जितनी संस्थायें काम कर रही हैं उनके बारे में भयंकर भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं, और सेन्ट्रल इन्स्टीच्यूट उनमें सबसे ऊपर है। यही नहीं उसके डायरेक्टर के

खिलाफ शिकायतें सुनी गई हैं, कि वह महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, फंड्सका गोल-माल किया है उस बारे में इनक्वायरी के लिए जांच की गई, शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने उनके खिलाफ रिपोर्ट भी दी, लेकिन पता चला है कि ऊपर के दबाव के चलते यह रिपोर्ट दबायी जा रही हैं और उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

एक बात और सुनने में आई है दक्षिण भारत के लोगों को शिकायत है कि वह भेदभाव करते हैं। अगर ऐसी बात है तो यह हिन्दी भाषी लोगों के लिए उचित नहीं है कि दक्षिण भारत के लोगों में हमारे कार्यों से किसी प्रकार का असंतोष हो। यदि इस तरह की प्रवृत्ति को नहीं रोका गया तो हिन्दी का भविष्य अन्धकारपूर्ण हो जाएगा। हिन्दी भाषा भाषियों को देश की एकता के लिए ही काम करना है।

उर्दू के प्रोमोशन के लिए एक ब्यूरो बनाया गया है उसने 1 वाल्यूम का 5 लाख रु० खर्च करके एक ऐनसाइक्लोपीडिया बनाया है। मैंने सुना है कि पाकिस्तान में ऐनसाइ-क्लोपिडिया तैयार करने की योजना बनाई गई है। यहाँ सारी वौल्यूम्स तैयार हैं लेकिन प्रकाशित नहीं हुई हैं। 400 किताबें उस ब्यूरो ने प्रकाशित की हैं, अधिकतर किताबें हैं और बड़ी आकर्षक और रुचिकर हैं। लेकिन विज्ञान और टैक्नोलाजी पर एक भी किताब प्रकाशित नहीं हुई, और मैंने सुना है कि यह सारी वौल्यूम्स सड़ रही हैं। अगर प्रकाशित की गई होतीं तो हिन्दुस्तान का नाम ऊंचा होता और इस ब्यूरो की कार्यवाहियाँ सारी दुनिया में उर्दू बोलने वालों के लिए एक बड़े संतोष की बात होती।

मैं जानना चाहूंगा कि कितने देशों के और कितने स्थानों के प्राइवेट पैसे शिक्षण संस्थाओं में लगे हुए हैं, इन्वैस्टमेंट हुआ है और कितनी शिक्षण संस्थायें इन पैसों पर और उनकी परियोजनाओं पर काम कर रही हैं ? मुझे सन्देह है, जैसा कि रात-दिन सुना जा रहा है कि अमेरिकन मनी और सी० आई० ए० के लोग किस तरह से विश्वविद्यालयों में काम कर रहे हैं और वह शिक्षा व रिसर्च के नाम पर दूसरी कार्यवाहियों में इस देश में लगे हुए हैं।

इस देश की सुरक्षा, इन्टेग्रेशन, धर्मनिरपेक्षता एकता का प्रश्न है और देश के विकास का प्रश्न है। पता नहीं इस देश का राज कौन चलाता है ? श्रीमती इन्दिरा गांधी ने एक जगह कहा कि देश में शिक्षा प्रणाली का विकास होना चाहिए और कई बार उन्होंने यह दुहराया है। मैं जानना चाहता हूं शिक्षा के विकास की जिम्मेदारी किसकी है और शिक्षा प्रणाली, परीक्षा प्रणाली बदलने करने का काम किसके जिम्मे है ? देश को कौन चला रहा है, पता नहीं ? ये देश को कहां ले जायेंगे ? ऐसी स्थिति में मुझे आश्चर्य होता है। यह सरकार चलती कैसे है ?

इधर हमारे नेशनल म्यूजियम का कोई डायरेक्टर नहीं है। नेशनल म्यूजियम और देश के दूसरे म्यूजियमों से सामान की चोरियां हो रही हैं। इसकी बड़ी-बड़ी कहानियाँ अखबारों में आ रही हैं। चोरी में बड़े-बड़े अन्तर्राष्ट्रीय, और इस देश के गिरोह काम कर रहे हैं। नेशनल म्यूजियम के डायरेक्टर की जगह खाली है।

मैंने यह भी सुना है कि आर्केलाजिकल सर्वे आफ इण्डिया का कोई डायरेक्टर आया है और उसने आते ही तमाम लोगों को सस्पेंड, डिसमिसल और ट्रांसफर करने का धंधा शुरू कर दिया है। सुना गया है कि उनसे ज्यादा काबिल लोग उनके सबोर्डिनेट ही हैं, लेकिन उन्होंने पूरे विभाग को अशांत कर दिया है। वह काम करने के वजाए बाधाएं उपस्थित कर रहे हैं।

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसे और मोर्चों पर हम पिछड़े हुए हैं, वैसे ही शिक्षा के क्षेत्र में भी हम पिछड़े हुए हैं।

अगर इस देश में जनतन्त्र को सुरक्षित रखना है, महत्व देना है, उसे सही तरीके से सफल बनाना है तो आवश्यक है कि प्रत्येक नागरिक शिक्षित हो और उसे शिक्षित किया जाए।

हमारा दुर्भाग्य है कि शिक्षा पर जितना व्यय किया जाना चाहिए, वह नहीं किया जा रहा है और जो योजनाएं चलाई भी जा रही हैं, उनमें से बहुत-सी कागज के ऊपर हैं, जैसे प्रौढ़ शिक्षा को ले लीजिए। इसका बहुत ढिंढोरा पीटा जा रहा है और उस पर बहुत सारा रुपया खर्च करने का भी सरकार दावा करती हैं, लेकिन मैं और कहीं तो गया नहीं। अगर उत्तर प्रदेश में आप चले जाएं तो यह प्रौढ़ शिक्षा की पाठशालाएं अगर कहीं होंगी तो जो उसके अधिकारी होंगे उनको ही पता होगा, बाकी पब्लिक को पता नहीं कि पौढ़ शिक्षा के केन्द्र कौन से हैं। वह कागज पर ही होंगे। पैसे लिए जाते होंगे, लेकिन पढ़ने वाले लोग नहीं हैं।

अगर हम अपने बच्चों को बुनियादी रूप से ठीक तरह से नहीं पढ़ाएंगे, तो उनका भविष्य उज्ज्वल नहीं होगा वे आगे भी अच्छी शिक्षा नहीं ग्राहण कर पाएंगे।

आज सबसे बड़ी जरूरत यह है कि बुनियादी शिक्षा को फिर से गठित किया जाए, चलाया जाए। इस समय जो बेसिक एजूकेशन और प्राइमरी एजूकेशन चल रही है, वह एक दिखावा मात्र है, चाहे वह म्युनिसिपल बोर्ड के प्राइमरी स्कूल की शिक्षा हो और चाहे जिला परिषद के बेसिक स्कूल की शिक्षा हो। पढ़े-लिखों की जो संख्या दी जाती है, उसमें वह फिक्टाशस संख्या भी शामिल है, जिसे प्राइमरी स्कूलों के टीचर्ज को नियुक्त करने और बनाए रखने के लिए दिखाया जाता है। मैं दावा करता हूं कि आप देहात या शहर के किसी भी प्राइमरी स्कूल में चले जाइए, आपको पता चल जाएगा कि बाकायदा पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या 50 प्रतिशत से अधिक नहीं है। एनरोलमेंट 100 विद्यार्थियों का हुआ है, नाम 100 विद्यार्थियों के लिखे हुए हैं और उसी के हिसाब से अध्यापक रखे हुए हैं, लेकिन अगर मन्त्री महोदय किसी भी दिन मुआयना करें, या एम०पी० और एम०एल०ए० को मुआयना करने के लिए कहें, तो वहां कभी भी 100 बच्चे हाजिर नहीं मिलेंगे, 80 भी नहीं मिलेंगे, मुश्किल से 80 हाजिर मिलेंगे। शिक्षा के आँकड़े हर साल बढ़ा दिए जाते हैं। उसमें बहुत कुछ योगदान इन फर्जी आंकड़ो का भी है।

कृषि मन्त्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : 50 तो पढ़ते हैं न ।

श्री हरीश कुमार गंगवार : लेकिन फिक्टीशस 50 से हमारे साक्षरता के आँकड़े दुगने हो जाते हैं । ऊपर से कहा जाता है कि अगर इतने बच्चे नहीं होंगे, तो हम स्कूल बन्द कर देंगे या टीचर्ज कम कर देंगे । इस चक्कर में पड़ कर ये आँकड़े दिए जाते हैं । हर पाठशाला में ये फिक्टीशस आंकड़े रखे जाते हैं ।

दो साल पहले मैं 31 जनवरी को अपने क्षेत्र में शारदा नदी के पार एक गांव में गया । मैंने लोगों से पूछा कि क्या कोई समस्याएं हैं । कहने लगे कि सामने वह बिल्डिंग दीख रही है । मैंने कहा कि दीख रही है, इसमें क्या खास बात है । उन्होंने कहा कि यह जूनियर हाई स्कूल है । मैंने कहा कि होगा, इसमें भी कौन सी खास बात है । उन्होंने बताया कि जुलाई से लेकर आज 31 जनवरी तक यह स्कूल कभी नहीं खुला है । मैंने कहा कि 26 जनवरी और 15 अगस्त को तो जरूर स्टाफ आया होगा, उसने राष्ट्रीय झंडा फहराया होगा । उन्होंने कहा कि 26 जनवरी को खाली हैड मास्टर झंडा फहरा कर गए हैं और 15 अगस्त को झंडा नहीं फहराया गया ।

मैंने डी०एम० से इसकी शिकायत की । दो महीने बाद मुझे जवाब मिला कि इस जूनियर हाई स्कूल का डिपुटी इन्स्पैक्टर ने दो बार मुआयना किया है और इसको ठीक चलते पाया गया है ।

देहात में प्राइमरी स्कूल और जूनियर हाई स्कूल में ऐसे टीचर हैं, जो महीने में शायद दस दिन स्कूल में जाते होंगे । यह बात कहते हुए मुझे कोई खुशी नहीं है । न ही मैं किसी पर इल्जाम लगाना चाहता हूं । यह तो नग्न सत्य है । कोई भी सरकार आए, यह काम कभी बन्द नहीं हुआ । कुछ टीचर्ज ऐसे हैं, जो साल-साल भर स्कूल नहीं जाते, मगर तनख्वाह ले रहे हैं । प्राइमरी एजूकेशन, हमारे समाज के बच्चों के लिए रीढ़ है । अगर वही ठीक नहीं होगी, तो आगे कैसे सुधार होगा ?

मैं एक दो बातें और रखना चाहता हूं । नकल की समस्या बड़ा भयानक रूप धारण कर रही है । वैसे इसकी कोई जरूरत भी नहीं है । कहते हैं कि इम्तहान के लिए पढ़ने की जरूरत क्या है ? बगैर पढ़े लिखे तो मिनिस्टर हो सकते हैं, राष्ट्रपति हो सकते हैं, हमें क्या जरूरत है पढ़ने की ? वह कहते हैं पढ़े लिखे तुम्हीं ठीक ? हम बगैर पढ़े लिखे ही ठीक हैं । हम भारत का सबसे बड़ा ओहदा भी सभाल सकते हैं । तुममें वह कैपेसिटी नहीं है । हम उसके लिए सैलेक्ट किए जा सकते हैं । तो लड़के पढ़ते नहीं और नकल होती है, उस नकल को रोकते नहीं । इसी तरीके से परीक्षाए समय पर नहीं होतीं । किसी यूनिवर्सिटी की परीक्षा कभी हो रही है तो किसी की कभी हो रही है । किसी-किसी यूनिवर्सिटी में तो एक-एक साल के बाद पिछले साल का इम्तहान हो रहा है । सारी शिक्षा का सत्यानाश हो रहा है । कभी आपने जून में भी इम्तहान सुना था किसी जमाने में ?

मार्च तक या 15 अप्रैल तक सारे इम्तहान हो जाया करते थे। आज जून, जुलाई, अगस्त, सितम्बर, सभी महीनों में इम्तहान होते हैं और जब जरा सा आन्दोलन हो जाय तो वह डेट और आगे बढ़ा दी जाती है। चाहे जब इम्तहान दे लो, चाहे जब नकल कर लो। पास अगर होना है तो उन्हें करना पड़ेगा चाहे पढ़ें या न पढ़ें। यह शिक्षा की जो प्रणाली है उसका हाल है। तो कैसे यह देश तरक्की करेगा ? कैसे इसमें अच्छे नागरिक पैदा होंगे ?

श्री मूल चन्द डागा : कैसे पार्लियामेंट में पढ़े लिखे लोग आएंगे ?

श्री हरीश कुमार गंगवार : जी हां। डागा जी के समान कोई नहीं है। यह हर समय डिग करते रहते हैं। बहुत गहरा डिग करते हैं।

उत्तर प्रदेश में अभी टीचर्स ने हड़ताल की। वहां दोहरी शिक्षा प्रणाली चल रही है। या तो सबका राष्ट्रीयकरण कर दीजिए, या मैनेजमेंट को ही पावर दीजिए। आपने मैनेजमेंट भी रखा हुआ है जबकि उसको पावर्स कुछ भी नहीं हैं। दिखावे का मैनेजमेंट है। वह न उनको सस्पेंड कर सकता है न उनके खिलाफ अनुशासन की कार्यवाही कर सकता है। तनख्वाह सरकार पूरी देती है। तो इस मैनेजमेंट को बीच में रखा क्यों है ? उसके रहने से नुकसान यह हो रहा है कि टीचर्स के ऊपर कोई अनुशासन नहीं रहा। मैनेजमेंट को कोई ताकत नहीं और इसपेक्टर साहब को इतनी फुर्सत नहीं कि वहां जा कर देख लें। वहां चले भी जाएं तो उस टीचर का ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो या तो इस शिक्षा का राष्ट्रीयकरण कर दीजिए, सब स्कूल एक साथ आ जाएं और मैनेजमेंट को पावर दीजिए उनको चेक कर सके। यह काम तो आप को करना होगा नहीं तो शिक्षा को आप ने बिलकुल खत्म कर दिया है, यही कहना चाहिए। बहुत से लोग मेरी इस बात से सहमत होंगे। मैनेजमेंट उनका कुछ नहीं कर सकता। खाली दिखावे का मैनेजर है, छुट्टी आयेगी तो सैंक्शन कर देगा।

दूसरी बात इतनी बड़ी हड़ताल हो गई। सरकार कह रही है कि हर मैनेजमेंट को चाहिए कि उनकी छुट्टी सैंकशन कर दे किसी किस्म की भी। दो महीने चाहे हड़ताल की हो, उनकी छुट्टी ड्यू हो या न हो, उनको दो महीने की तनख्वाह दिलवा रही है। तनख्वाह उनको मिलनी है, छुट्टी सैंक्शन करनी है। तो आप अपने आप छुट्टी सैंक्शन कर लीजिए, अपने आप स्कूल चला लीजिए, बीच में मैनेजमेंट को क्यों बना रखा है ? उसकी जरूरत क्या है ? और अगर रखा है तो पावर दीजिए। डिटरिओरेशन हो रहा रहा है, टीचर्स पढ़ा नहीं रहे हैं। पढ़ाने में टीचर्स का मन नहीं लग रहा रहा है क्यों कि उनके ऊपर अनुशासन रखने वाला कोई नहीं है। सरकार का भी अनुशासन नहीं है और मैनेजमेंट का भी अनुशासन नहीं है।

एक बात की ओर और ध्यान दिलाना चाहता हूं। बालाहार योजना आपने चला रखी है। यह बालाहार योजना प्रौढ़ाहार योजना में बदल गई है। जितने बड़े लोग हैं वह

सब डकार जाते हैं और बच्चे तक एक तोला, एक रत्ती तक नहीं पहुंचता। इसका इंसपेक्शन भी हो जाता है, मुआयना भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। मैं चुनौती देता हूं किसी भी जिले में आप देख लीजिए, इस बालाहार योजना का 25 प्रतिशत भी सही यूटिलाइजेशन हुआ हो तो आप जो चाहे सजा दें। मैं यह कहना चाहता हूं कि आप चाहे कितनी भी योजनाएं क्यों न बनाएं, जबतक इस देश की बच्चियों और लड़कियों की शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं दिया जाएगा तबतक यह देश मजबूत नहीं हो सकता है और न समाज मजबूत हो सकता है। यदि आप एक लड़की को शिक्षा देते हैं तो उसके द्वारा सारे परिवार को शिक्षा मिलती है क्योंकि वह कहीं बेटी है, कहीं बहू है और कहीं मां है। वह अपनी सन्तान के साथ-साथ दूसरों को भी योग्य बनाती है। लेकिन आज लड़कियों की शिक्षा की घोर उपेक्षा हो रही है। बैकवर्ड इरियाज में तो लड़कियों की शिक्षा नाम की चीज ही नहीं है। मैं पीलीभीत से यहां पर आता हूं जिससे ज्यादा बैकवर्ड को दूसरा जिला नहीं होगा। लखीमपुर उसके साथ मिला हुआ है। मैं चाहता हूं आप वहां पर लड़कियों का एक डिग्री कालेज खोलें। वहां पर कन्याओं का इण्टरमीडिएट कालेज काई नहीं है। शिक्षा मन्त्री तो स्वयं एक महिला हैं, वे इस बात को जानती हैं कि लड़कियों को पढ़ाने से इस देश का कितना भला हो सकेगा। दूसरी बात यह भी है कि लड़कियों का शिक्षा देने से, आप जो आज शिक्षा का प्रचार और प्रसार करना चाहते हैं, वह स्वयं हो जायेगा।

आज विद्यार्थियों, टीचर्स और मैनेजमेंट में भी जो अनरेस्ट है उसको समाप्त करना चाहिए। एग्जामिनेशन आप सही टाइम पर करवायें तथा पढ़ाई को कड़ाई के साथ करवाए। अगर कोई धमकी दे तो उससे भी आप कड़ाई के साथ निपटिए। छुरा और बन्दूक लेकर लोग वहां बैठें इसको भी आप रोकिए। जिस तरह से आज पंजाब जल रहा है उसी तरह से यदि इसको भी आप जलाना चाहें तो मैं कुछ नहीं कहता। मैं तो केवल सुझाव ही दे सकता हूं, करना आप ही को है।

नेशनल लैंग्वेज के बारे में कहना चाहूंगा कि संविधान में एक आर्टिकल (343) है।

उपाध्यक्ष महोदय : कार्य मंत्रणा समिति ने पहले ही निर्णय किया है कि हम 6 बजे के बाद तक बैठे रहेंगे हम दोपहर के भोजन के समय को भी समाप्त किया है। आपके सूचनार्थ मैं आपको अवगत करता हू कि हम अनुसूची से काफी पीछे हैं। आज हमें सूचना एव प्रसारण मन्त्रालय को ले लेना चाहिए था, जबकि हम अभी तक शिक्षा एवं संस्कृति मन्त्रालय पर ही बहस कर रहे हैं। हमें वाणिज्य मन्त्रालय पर भी चर्चा पूरी करनी है। हम अनुसूची से काफी पीछे हैं। ऐसी शिकायत है कि हम सभी भागों पर चर्चा नहीं करते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्यगण अपने ही हित में सहयोग दें और सदन में उपस्थित रहें।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव (मधेपुरा) : आपको सदन की सर्वसम्मत राय जाननी

चाहिए कि सदन की कार्यवाही 6 बजे के बाद तक चलती रहे या नहीं।

मात्र यह कह देना कि कार्य मन्त्रणा समिति ने निर्णय लिया है, इसका कोई अर्थ नहीं है। आपको सदन की राय जाननी है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उन सभी माननीय सदस्यों के नाम पुकार रहा हूं जिन्होंने अपने नाम दिए हैं। दरअसल, सत्तारूढ़ दल ने अपने माननीय सदस्यों के कुछ नाम वापस ले लिए हैं क्योंकि समय नहीं, और हमें निर्धारित अनुसूची के अनुसार चलाना है।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : सदन की राय के अनुसार ही सदन की कार्यवाही चलेगी। सदन की सर्वसम्मत राय क्या है—आपको इस पर गौर करना है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह मैं कैसे ले सकता हूं ?

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : आपको माननीय सदस्यों को अपनी राय व्यक्त करने के लिए कहना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप देर तक बैठने के लिए सहमत नहीं हैं ?

श्री बूटा सिंह : अध्यक्ष महोदय ने सुबह भी अपनी सहमति दी कि इस विषय को आज पूरा हो जाना चाहिए और विपक्ष के नेताओं से भी मैंने अनुरोध किया हैं हम आज कुछ देर तक बैठ कर आज ही बहस पूरी कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : हम अन्य मामलों को कल ले सकते हैं। होता यह है कि यदि हम देर तक नहीं बैठते हैं तो हम महत्वपूर्ण मन्त्रालयों पर भी चर्चा नहीं कर सकते हैं। हम अति-महत्वपूर्ण मन्त्रालयों पर बहस पूर्ण नहीं कर सके। इस पर आपको भी विचार करना चाहिए'''आपको क्या कठिनाई है ? जो भी बोलना चाहता है मैं सभी को अनुमति दे रहा हूं। हम हरेक की सुविधा को नहीं देख सकते। हम चाहते हैं कि सदन में अधिकाधिक चर्चा हो। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, श्री राय आप व एक और सदस्य, के सिवाय सभी बोल चुके हैं सत्तारूढ़ दल के सभी सदस्य अपने नाम वापस लेने के लिए तैयार हैं ताकि समय बचाया जा सके। क्या आप सहयोग नहीं करेंगे ?

श्री बूटा सिंह : पार्टियों के नेता प्रातः इस प्रस्ताव पर सहमत हो गए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अभी आपने जो समय लिया है उसका चर्चा के लिए उपयोग किया जा सकता था।

अब कृपया श्री गंगवार अपना भाषण समाप्त करें।

श्री हरीश कुमार गंगवार : महोदय, मैं सदन का ध्यान राजभाषा के सम्बन्ध में अनुच्छेद 343 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, इसमें कहा गया है :

"संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनगरी होगी। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अन्तर्राष्ट्रीय रूप होगा।

(2) खण्ड (1) में किसी बात के होते हुए भी इस संविधान के प्रारम्भ से पन्द्रह वर्ष की कालावधि के लिए संघ के उन सब राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा प्रयोग की जाती रहेगी जिनके लिए ऐसे प्रारम्भ के ठीक पहले वह प्रयोग की जाती थी।"

मैं सरकार से जानना चाहता हू कि संविधान में दिए हुए आर्टिकल के अनुसार अब तक आपने क्या कार्यवाही की है ? हो सकता है कि कोई कहे इंगलिश होनी चाहिए या कोई कहे दूसरी भाषा होनी चाहिए, लेकिन जब तक हमारे संविधान में लिखा है, तब तक ये हमारा धर्मशास्त्र है। इसमें लिखा है कि 15 साल तक इंगलिश चलेगी, लेकिन 15 साल में हम कोशिश करके हिन्दी को आफिशियल लैंग्वेज के रूप में अपना लेंगे—इस सम्बन्ध में आपने अब तक क्या कार्यवाही की है ? मैं पूछना चाहता हूं कि कब तक आप संविधान की इस आत्मा को मान्यता देंगे, जिसके अन्दर सब बातें निहित हैं ?

अपनी बात समाप्त करते हुए आपसे अनुरोध करता हूं कि शिक्षा के ऊपर आप अधिक धन खर्च करें। इसके एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छी तरह चलाएं, इसको पंसारी की दूकान न बनने दें। बहुत से व्यक्तियों ने कहा है कि पब्लिक स्कूल नहीं चलने चाहिए, मैं भी इस विचारधारा से सहमत हूं। ज्यादा से ज्यादा दुर्गति किसी विभाग में नहीं है, जितनी कि इस विभाग में हैं, यह भ्रष्टाचार का अड्डा बन कर रह गया है। उदाहरण देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं, इसको दूर करना चाहिए। इससे इस देश का भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है। इसलिए इस पर आपको गम्भीरता से सोचना चाहिए। इन चन्द शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

———

6.10 म०प०

पत्तन तथा गोदी कर्मचारियों द्वारा की गई हड़ताल के बारे में वक्तव्य

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री विजय भास्कर रेड्डी) : जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम है बड़े पत्तनों पर के पत्तन और गोदी कर्मचारियों ने सभी बड़े पत्तनों पर 15/16 मार्च 1984 की आधी रात से हड़ताल कर दी थी और उनकी यह मांग थी कि उनके वेतन में 1-1-1984 से संशोधन किया जाय जो चार वर्ष तक लागू रहे। इस बारे में चार बड़ी यूनियनों के साथ बातचीत चल रही थी। माननीय सदस्यों को यह बताते हुए मुझे

खुशी हो रही है कि काफी दिनों तक बातचीत करने के बाद 10-4-1984 की रात को इन माँगों के बारे आमतौर पर समझौता हो गया है। इस समझौते के परिणाम स्वरूप उक्त चारों यूनियनों ने सभी बड़े पत्तनों पर तत्काल हड़ताल वापस ले ली है और आज से काम पहले की तरह शुरू हो गया है। इस समझौते का मसौदा दोनों पक्ष मिल कर तैयार कर रहे हैं और इस पर शीघ्र ही हस्ताक्षर हो जाएंगे।

इस समझौते में जिन बातों पर सहमति हुई है वे ये हैं - 31-12-1983 और 1-1-1984 को जो कर्मचारी नियुक्त थे उन सभी कर्मचारियों के वेतन में समान रूप से 91 रुपए की वृद्धि, वेतन में महगाई भत्ते के 59 रुपयों को मिलाकर वेतन दर में संशोधन, संशोधित वेतन मान में 2 अतिरिक्त वेतन वृद्धि, चार वर्षों की अवधि में मकान किराये भत्तों की क्रमिक रूप से संस्वीकृति और इसकी दर नगरों के वर्गीकरण के आधार पर 10 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक रहेगी, कपड़ा धुलाई भत्ते में 50 प्रतिशत की वृद्धि, मौजूदा उजरत दरों/प्रोत्साहन दरों और विशेष वेतन और विशेष भत्तों में .4 प्रतिशत की दर से संशोधन। इस समझौते के कारण प्रति वर्ष लगभग 44.7 करोड़ रुपए का खर्च होगा, जब कि यूनियनों की माँगों से 57 करोड़ रुपए के खर्च और सरकार की पेशकश से खर्च लगभग 40 करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान था।

मैं इस मौके पर केन्द्रीय सरकार के सभी अन्य विभागों, राज्य सरकारों और सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकरणों और साथ ही यूनियनों के वालंटियरों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने अनिवार्य सेवाओं को चालू रखने और आवश्यक चीजों की सप्लाई बनाए रखने में पत्तन प्राधिकरणों की सहायता की। मुझे पूरा विश्वास है कि इस समझौते के बाद बड़े पत्तनों पर स्थायी रूप से शांतिपूर्वक काम होगा और पत्तन और गोदी कर्मचारी पत्तन के प्रबंधकों का पूरा-पूरा हाथ बटाएंगे जिससे बड़े पत्तनों पर और अधिक कुशलतापूर्वक काम होगा और इन पत्तनों के परिणामों में सुधार होगा।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : आपको नौसेना अधिकारियों को इसके लिए धन्यवाद करना चाहिए।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : आपको मजदूरों का भी धन्यवाद करना चाहिए। मैं सिर्फ यह चाहता हूं कि निणय कर लेने के बाद क्या सरकार उसे ईमानदारी से क्रियान्वित करेगी ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : आप को सरकार की उदार नीति की भी प्रशसा करनी चाहिए।

श्री के० विजय भास्कर रेड्डी (कुरनूल) : बेशक आप ऐसा न करें परन्तु संघ के नेताओं ने इसे खुले रूप में स्वीकार कर लिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि हमने यहाँ सदन में चर्चा की और

इसे बहुत ही अच्छी तरह निपटा दिया गया है। मैंने उस समय अन्त में यह भी कहा था कि इसे प्रतिष्ठा का विषय नहीं समझना चाहिए और दोनों पक्षों को इस मामले को सुलझाना चाहिए। अब इसे सुलझाया जा चुका है। मैं इस बारे में बहुत ही प्रसन्न हूं। मैं भी मन्त्री जी का धन्यवाद करता हूं।

प्रो० सत्य साधन चक्रवर्ती : यह बहुत पहले ही किया जा सकता था।

श्री के० विजय भास्कर रेड्डी : मैं गुण-दोषों में नहीं जाना चाहता।

एक माननीय सदस्य : श्री सत्य साधन चक्रवर्ती श्रमिकों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : मैं उनका प्रतिनिधित्व करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : वह अध्यापक-श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

श्री आर०पी० यादव।

6.14 म०प०

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1984-85

शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय—जारी

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव (मधेपुरा) : उपाध्यक्ष जी, मुल्क को आजाद हुए करीब 36 वर्ष हो गए, लेकिन आज तक शिक्षा की कोई नीति देश में नहीं बन पाई है और यह सरकार शिक्षा के प्रति कितनी जागरूक है, वह इसी से आप जान सकते हैं कि शिक्षा जो इतना महत्वपूर्ण विषय है, उसको इन्चार्ज स्टेट मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर नहीं हैं। कैबिनेट मिनिस्टर को कुछ ज्यादा सुविधा होती है और वे कुछ मामलों में स्वयं फैसले ले सकते हैं, जो स्टेट मिनिस्टर नहीं ले सकते हैं। इस बात से भी आप देख सकते हैं कि सरकार शिक्षा को कितना महत्व देती है, आज 6 बजे के बाद भी शिक्षा पर बहस कर रहे हैं, हमारे चाहने या न चाहने के बाद भी आपके आदेश के मुताबिक यह बहस जारी है—इससे जाहिर होता है कि आप शिक्षा के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं।

अंग्रेजों के जमाने में अंग्रेजी का मुख्य रूप से प्रचार हुआ, क्योंकि प्रशासन चलाने के लिए उन्हें अंग्रेजी जानने वाले क्लर्कों और अफसरों की जरूरत थी। लेकिन उनके जाने के बाद जब यह सरकार आई तो बार-बार यहां पर कहा गया कि कि हम शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन लाएंगे, ताकि देश का लाभ हो सके, लेकिन आपको यह जान कर हैरत होगी कि आज तक शिक्षा के क्षेत्र में एक्सपेरिमेन्टस ही हो रहे हैं।

आज तक उसका फाइनल शेप इस मुल्क के सामने आया ही नहीं। आपने शुरू में कहा था कि बुनियादी शिक्षा देंगे, फिर आपने उसे हटा दिया। फिर आपने अंग्रेजी को कहा कि कम्पलसरी होगी लेकिन बाद में कहा कि उसकी जरूरत नहीं है। फिर बाद में आपने एसेसमेंट चलाया और उसको भी खत्म कर दिया है और आज वह 10 प्लस 2 चला रहे हैं लेकिन वह भी देश में सब जगह नहीं चल पा रहा है। इसलिए मैं यह कहना चाहता था कि अगर आप देश मे शिक्षा देना चाहते हैं और वास्तव में शिक्षा ही माध्यम होगा देश को आगे ले जाने का और हमारे मुल्क का भविष्य क्या होगा, वह भी शिक्षा पर निर्भर करता है लेकिन आप शिक्षण संस्थाओं में जाकर देखिए कि क्या हो रहा है। शिक्षा की एक नीति तो अवश्य ही होनी चाहिए और अगर देश व्यापी शिक्षा की नीति नहीं होगी, तो यह देश आगे नही जा पाएगा। आप अगर शिक्षण संस्थाओं में जाएं, तो वहाँ जाकर आपको मायूसी होगी यह देखकर कि वास्तव में इस मुल्क के बनाने वाले लोगों ने और मुल्क को आजादी दिलाने वाले लोगों ने शिक्षा के बारे में यह सोचा था कि शिक्षा का इस तरह से प्रचार और प्रसार होगा कि गांव के लोगों को भी वही सुविधाएं दी जा सकेंगी जो कि शहरों के लोगों को दी जाती हैं, पर आप कहीं वह चीज नहीं पाएंगे। मैं तो यह चार्ज करना चाहता हूं कि आज सरकार शिक्षा के माध्यम से मुल्क में अलग-अलग क्लास क्रीयेट करना चाहती है। आप यह देखेंगे कि जो काफी पैसे वाले लोग हैं, उनके बच्चे पब्लिक स्कूलों में पढ़ते हैं, उनके नीचे के जो कर्मचारी हैं या अपर क्लास लोग हैं या बड़े अफसर हैं, उनके बच्चे सेन्ट्रल स्कूलों में पढ़ते हैं और फिर शहर में जो दूसरे लोग रहते हैं, उनके बच्चे म्यूनिसिपल स्कूलों में पढ़ते हैं लेकिन देहात में रहने वाले जो लोग हैं, उनके बच्चे ऐसे स्कूलों में पढ़ते हैं, जहाँ पर छत नहीं है। आपको यह जानकर हैरत होगी, अभी भी जहाँ से मैं आता हूं बिहार से, वहां पर 00 में से 80 स्कूल ऐसे हैं, जिनके ऊपर छत नहीं है, घास-फूस की भी छत नहीं है और वे आसमान के नीचे बैठ कर पढ़ते हैं। इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि चार तरह की जो शिक्षा दी जा रही है, उसमें चार तरह के बच्चे पढ़ कर निकल रहे हैं और जब उनके सामने कोई एक समस्या आएगी, तो चार तरह का समाधान उस समस्या का होगा क्योंकि चार तरह के अलग-अलग पढ़ने वाले बच्चों को वैसी तालीम दी गई है। इसलिए मैं यह कहता हूं कि ये जो अच्छे कपड़े पहनते हैं, जो अंग्रेजी बोल सकते हैं, जो टेबुल डिसिपलिन को जानते हैं, जो अच्छी तरह से चम्मच और छुरी पकड़ कर खाना खा सकते हैं, उनको क्लास । सर्विस में भेजा जाएगा और ये वे लोग ही मुल्क पर शासन करते हैं। दूसरे जो इससे कम दर्जे के लोग होंगे, उन को उनसे कुछ नीचे रखा जाएगा और तीसरे को और नीचे और जो चौथा होगा, उसको उसी स्कूल का टीचर बना कर भेजा जाएगा, जिसमें वह बिना छप्पर के, बिना छत के पढ़ा होगा। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर यह कब तक चलता रहेगा। बार-बार इस सदन में और इस सदन के बाहर भी इसके बारे में कहा गया है और आप कहते हैं कि हम आमूलचूल परिवर्तन करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि सदन के दोनों तरफ से और सदन के बाहर भी यह मांग कई बार की जा चुकी है कि पब्लिक स्कूलों को एबोलिश किया

जाए । समझ में नहीं आता है कि ऐसा करने में क्या दिक्कत हो रही है और पब्लिक स्कूलों को एबोलिश क्यों नहीं किया जा सकता । आप यह सोचिए कि सारे बच्चे मुल्क के बच्चे हैं और वे पढ़ कर वास्तव में मुल्क के नागरिक होंगे । तो फिर आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते, यह हमारी समझ में नहीं आता ।

आपकी मंशा बड़ी अच्छी है और हमारी माननीय शिक्षा मन्त्री जो कुछ करना भी चाहती हैं । हमें जानकारी है कि उन्होंने विदेशों का भ्रमण भी किया है और वहां पर जो शिक्षा पद्धति है, उसको भी जाकर देखा है । वे चाहती हैं कि यहां पर भी ऐसा ही हो । इससे पहले हमें मालूम है कि श्री नूरुल हसन, जो पहले शिक्षा मन्त्री थे, वे जी०डी०आर० और सोशलिस्ट मुल्कों में देखकर आए थे और उन्होंने चाहा था कि उसी तरह की शिक्षा कहां पर प्रदान की जाए । फिर पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है सरकार को, यह हमारी समझ में नहीं आता ।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : जो एलीमेन्टरी स्कूल हैं, उनके स्तर को ऊपर उठाना चाहिए और यह नहीं होना चाहिए कि ऊपर वाले को नीचे किया जाए ।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : वही करिए । मैं यूनिफार्मिटी की बात कर रहा हूं । आप पैसे वाले हैं । आपके बच्चे इन स्कूलों में पढ़ रहे होंगे, इसलिए आपको यह बात समझ में नहीं आएगी । यह गांवों का मुल्क है और यहां पर 100 में से 80 स्कूलों में छतें नहीं हैं और आसमान के नीचे बैठकर बच्चों को पढ़ाया जाता है । जो बेसिक फैसीलिटीज हैं, वे इन लोगों को मिलनी चाहिएं । आपने कहा कि दिन का खाना देंगे लेकिन कहां मिल पाता है वह दिन का खाना । आपने कहा कि कम्पलसरी एजूकेशन हम करेंगे लेकिन कम्पलसरी एजूकेशन करने में आपको क्या दिक्कत हो रही है । गांवों में गरीब लोगों के बच्चे स्कूलों में जाएंगे, तो काम क्या कर पाएंगे । मां-बाप चाहते हैं कि वे काम करें और अपना पेट भरें और मां-बाप का पेट भरें । यह स्थिति इस मुल्क की है । आपकी परिकल्पना थी कि 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को कम्पलसरी एजूकेशन देंगे लेकिन आज कहां वह हो रहा है । यदि आप गांवों में जाएंगे, तो यह पाएंगे कि ऐसा नहीं हो रहा है । आपके आंकड़े क्या हैं, वे मुझे नहीं मालूम लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि हम मुल्क के जिस हिस्से से आते हैं, वहां पर बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। इसलिए पढ़ने नहीं जाते क्योंकि स्कूल में छत नहीं है । घास पर स्कूल लगते हैं या उनमें पढ़ाई नहीं होती है । इसलिए बच्चे वहां जाना नहीं चाहते । ज्यादातर गांव के ही शिक्षक हैं जो अपनी खेती-बाड़ी की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं और शिक्षण की तरफ ध्यान नहीं देते हैं । इसलिए हमको इस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि वहां का पढ़ा हुआ बच्चा भी आगे जाकर देश में प्रशासन या राजनीति में या अन्य क्षेत्र में काम कर सके । इसलिए मैं आरोप लगाना चाहता हूं कि सरकार इस देश में शिक्षा के माध्यम से क्लासेस-क्रिएट कर रही है । इसको समाप्त किया जाना चाहिए ।

आज शिक्षण संस्थाओं की क्या हालत है। आज समय पर परीक्षाएं नहीं हो पाती हैं। बिहार से मैं आता हूं। दो-दो साल पीछे परीक्षाएं चलती हैं। कहा जाता है कि अनुशासन-हीनता है। इस अनुशासन-हीनता का दायित्व किस पर है। मेरा निजी अनुभव है कि एन०सी०सी० आदि के जरिए आप कम से कम अनुशासन तो ला ही सकते हैं। अनुशासन की आदत डालने के लिए आप प्रत्येक शिक्षण सस्था में एन०सी०सी० या ए० सी०सी० को कम्पलसरी कर दीजिए ताकि अनुशासन की भावना पैदा हो सके। इसमें आपका कोई ज्यादा पैसा खर्च होने वाला नही है, सिर्फ बिल की आवश्यकता है।

इसी प्रकार जो कांस्टीट्वेंट कालेजेज हैं, उनमें जो प्रोफेसर हैं उनको सरकारी अधिकारी की तरह सुविधाएं दी गई हैं। लेकिन ये प्रोफेसर बिना त्यागपत्र दिए हुए एम० पी० और एम० एल० ए० हो सकते हैं। इसमें अलग-अलग विचारों के लोग जाते हैं और ये उन शिक्षण संस्थाओं पर अपने आइडियाज थोपने की कोशिश करते हैं। श्री चक्रवर्ती शायद मेरे विचार से सहमत नहीं होंगे लेकिन इस प्रकार की सुविधा को समाप्त किया जाना चाहिए। ताकि वे अपने आइडियाज को उन शिक्षण संस्थाओं पर न थोप सकें।

तीसरी बात मैं राष्ट्रभाषा के बारे में कहना चाहता हूं। एक माननीय सदस्य कोट कर रहे थे कि संविधान में आपने कहा है कि 15 साल के अन्दर हिन्दी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दे दिया जाएगा। हमें पिछले दिनों सोवियत यूनियन जोन का सौभाग्य मिला था। वहां एम०पीज० का डेलीगेशन गया था। वहां की एक एम०पी० ने मजाक में कहा कि आप पोलिटिकली तो आजाद हो गए हैं लेकिन भाषा के दृष्टिकोण से अभी भी गुलाम हैं। सिर्फ आप का ही डेलीगेशन ऐसा है जिसके लिए 4 तरह के इंटरप्रेटर्स का इन्तजाम किया गया है। अंग्रेजी, हिन्दी, साउथ इण्डियन लैंग्वेज जानने वाला और बंगाली जानने वाला। क्या हम एक तरह की राष्ट्रीय सम्पर्क भाषा भी नहीं बना सकते हैं। रोज इस बात को उठाया जाता है। शुरू में एक समय था, उस समय अगर जोर दिया गया होता तो कम से कम राष्ट्रीय सम्पर्क भाषा तो बन ही जाती। वह नहीं हो पाया। साउथ में आज यह समस्या और बढ़ती जा रही है। इसके लिए आपका कमिटमेंट था। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि इसको आप देखें। कम से कम राष्ट्रभाषा न बन सके किसी कारण से और आपको कमिटमेंट से थोड़ा पीछे जाना भी पड़े तो कम से कम एक राष्ट्रीय सम्पर्क भाषा तो होना ही चाहिए ताकि देश के सारे लोग यदि कहीं भी चले जाएं तो एक भाषा के माध्यम से बोल तो सकें। हमें खेद है कि बहुत से हमारे प्रतिनिधि जो बाहर जाते हैं वे अंग्रेजी में बोलने का प्रयास करते हैं या फिर अपना रीजनल भाषा बोलने का प्रयास करते हैं। इंटरप्रेटर्स की व्यवस्था हो यह अलग बात है लेकिन इससे देश के खिलाफ एक वातावरण बनता है कि यह एक मुल्क है जो 36-37 वर्ष के बाद भी अपनी राष्ट्रीय सम्पर्क भाषा भी नहीं बना पाया। एक भाषा में ये लोग बोल भी नहीं सकते हैं। एक तरह की बोली नहीं बोल सकते।

इसलिए, मैं आग्रह करूंगा कि हिन्दी के लिए जो संविधान में वायदा किया हुआ है, उसको पूरा करें। जे० एन० यू० की स्थापना इसलिए हुई थी कि देश के विभिन्न भागों से लड़के आएं। उनको इस तरह का आदेश बनाया जाए कि दूसरी यूनिवर्सिटीज भी फालो करें। वहां के एडमिशन के बारे में भी कहा गया था पिछड़े क्षेत्र के लोग उसमें आएंगे। लेकिन, वहां तो अच्छे घरों के लड़के आते हैं और फटाफट अंग्रेजी बोलते हैं।... ...(व्यवधान) पिछले दिनों वहां पर काफी हंगामा हुआ है। चाहे चन्द्राकर कमेटी बनी हो, अन्ततोगत्वा जवाबदेही सरकार की ही है। पिछली बार मंत्री महोदया ने कहा था कि यह आटोनोमस आरगेनाइजेशन है इसलिए हमारे हाथ में यह नहीं है। आखिर, शिक्षा पर कन्ट्रोल तो आपका ही है। जितनी भी आटोनोमस यूनिवर्सिटीज हैं, वे भी आपकी गाइड-लाइन्स को फालो करती है। अगर वहां गड़बड़ी होती है तो उसको कौन देखेगा? आपको इंटरफेयर करना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं कि गांव के बच्चों को वहां पर एडमिशन मिले तो पुरानी एडमिशन पालिसी की तरफ आपको ध्यान देना पड़ेगा। पिछले दिनों यहां पर कहा गया था कि मन्डल कमीशन की रिपोर्ट विचाराधीन है चाहे वह एडमिशन, नौकरी या प्रोमोशन का आरक्षण के सम्बन्ध में हो। दूसरी तरफ, जो पिछड़े हुए लोगों को आरक्षण मिला हुआ है, उसे आप छीनना चाहते है, सरकार की दो तरह की नीति हमें समझ में नहीं आती। मैं आग्रह करना चाहूंगा कि मन्त्री महोदया जब जवाब दें तो इस पर अवश्य रोशनी डालें। यूनिफार्मिटी आफ एजूकेशन लाने का आपका विचार है या नहीं? यह आप कब तक करना चाहती हैं? इनडिसीप्लीन का माहौल शिक्षा संस्थाओं में बना हुआ है, उसको दूर किया जाना चाहिए। एन० सी० सी० को कम्पलसरी किया जाना चाहिए। टीचर्स या प्रोफेसर्स जो चुनकर आते हैं, वे भी सरकारी पदाधिकारियों की तरह होने चाहिए और नौकरी से त्यागपत्र देकर आना चाहिए ताकि अपने आइडियाज जबर्दस्ती न थोप सकें। हमारा मुल्क तो बना लेकिन चरित्र नहीं बन पाया। शिक्षा का इस तरह का केरीकुलम हो जिससे पता लग सके कि किस तरह लोगों ने मुल्क के लिए कुर्बानी दी थी। स्कूल या कालेज में जब कोई व्यक्ति परीक्षा देने जाता है तो कम से कम पांच या छह उसके पीछे रहते हैं। वे सब उसको परीक्षा दिलाने के लिए जाते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि कुछ न कुछ अवश्य किया जाए अन्यथा आज बी० ए० और एम० ए० पढ़े हुए एक सेन्टेंस नहीं लिख सकते। हमें अपना स्टैण्डर्ड ऊंचा रखना चाहिए ताकि दुनिया के सामने अपना सिर न झुकाना पड़े।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : उपाध्यक्ष महोदय, दिन भर के अथक परिश्रम के बाद हम सभी थके हुए हैं और मैं भी थका हुआ हूं, मैं सदन का अधिक समय नहीं लेने जा रहा हूं और मैं निश्चित रूप से उन मुद्दों को भी नहीं दोहराऊंगा जो कि चर्चा के दौरान मेरे माननीय मित्रों ने उठाए।

मैं बताना चाहूंगा कि इस मन्त्रालय के अनुदानों की मांगों के लिये विभिन्न कटौती प्रस्तावों द्वारा 320 मुद्दों पर जोर दिया गया है, और मैं कहूंगा कि प्रत्येक मुद्दा शिक्षा से संबद्ध है। एक प्रकार से ये 320 समस्याएं शिक्षा से संबंधित हैं और

इसके अतिरिक्त यह सोचा गया था कि अन्य मन्त्रालय हैं जिनका महत्व अधिक है और उन्हें अधिक समय दिया गया था। शिक्षा मन्त्रालय को सिर्फ चार या पांच घन्टे ही क्यों दिए गए ? सदन में सदस्यों की कम उपस्थिति से मुझे दुख नहीं हुआ क्योंकि विभिन्न मन्त्रालयों पर चर्चा के दौरान हमेशा ही ऐसा होता आया है, चाहे वह रक्षा, विदेश गृह मन्त्रालय या कोई अन्य मन्त्रालय था। परन्तु जहां तक शिक्षा का सम्बन्ध है, अगर मैं संसदीय मामलों में कुछ राय रखता हू और मैं विरोधी दल और सत्ताधारी दल को एकमत कर सकता तो इसके लिए आवश्यक था कि एक विप जारी की जाती जिसके अन्तर्गत सभी सदस्य आज उपस्थित होते। इसको इतना महत्व दिया जाना चाहिए था।

उपाध्यक्ष महोदय : किन्तु आपने स्वयं विप जारी नहीं किया है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : इस सदन में हम तीन सदस्य हैं। मैं यहां हूं; एक सदस्य अपने निर्वाचन क्षत्र में गया हुआ है और एक सदस्य अस्वस्थ हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अपने बारे में कोई भी नहीं बोलता, सभी व्यक्ति दूसरों के बारे में बोलते हैं। यही तो मुश्किल है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : हमारे देश में दो उदाहरण हैं जब शिक्षा को प्राथमिकता मिली। और अगर आप सर्वेक्षण करें आप पायेंगे कि मौलाना अबुल कलाम आजाद तथा शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने शिक्षा को प्रथम प्राथमिकता दी। जब श्री जवाहरलाल नेहरू ने मौलाना अब्दुल कलाम आजाद से पूछा कि वह किस प्रकार से राष्ट्र की सेवा करना पसन्द करेंगे, वह उस ऊंची प्रतिष्ठा के व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि ऐसा शिक्षा के द्वारा ही किया जा सकता है। जहां तक शेख अब्दुल्ला का सम्बन्ध है, 8 या 9 महीनों की अवधि को छोड़कर, वह हमेशा ही उसके साथ शिक्षा विभाग में रहे।

कुछ सदस्यों ने परीक्षाओं में हेरा-फेरी करने के सम्बन्ध में कहा है। मैं गर्व के साथ अपने सहयोगियों को सूचित करना चाहता हूं कि जम्मू एंव कश्मीर राज्य परीक्षाओं में हेरा फेरी से मुक्त हैं। यह 1975 की बात है जब शेख अब्दुल्ला राज्य के मुख्य मन्त्री बने और वह स्वयं परीक्षा कक्ष में यह देखने के लिए स्वयं गए कि वहां कोई नकल तो नहीं हो रही है। और एक विशाल जनसमूह में उन्होंने कहा कि भविष्य में हम बीच में जवाहर लाल, इकबाल तथा टैगोर जैसे व्यक्ति चाहते हैं और इस प्रकार के नाटकबाजी अर्थात् परीक्षाओं में गलत तरीके अपनाने से हम भविष्य में कभी भी नेहरू, टैगोर अथवा इकबाल को तैयार नहीं कर सकेंगे। और यह संदेश जम्मू एवं कश्मीर राज्य के लोगों ने बहुत ही सम्मान के साथ सुना था। परीक्षाओं में हेरा-फेरी की घटनाएं यहां वहां हो जाती हैं किन्तु उत्तर प्रदेश तथा अन्य स्थानों में जो इस तरह का नाटक हो रहा है, मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि हम इस समस्या से मुक्त हैं। जम्मू एवं कश्मीर राज्य में परिक्षाएं नकल के संकट से मुक्त हैं।

अब शिक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर अपने विचार व्यक्त करूंगा। मैं

इस सम्बन्ध में प्रतिवेदन पढ़ रहा था, मैंने देखा कि जितने भी प्रतिवेदन मैंने अभी तक देखे हैं यह उनमें सबसे अच्छा प्रतिवेदन है। रक्षा मन्त्रालय का प्रतिवेदन बहुत अच्छा था, परन्तु गृह मन्त्रालय का प्रतिवेदन नीरस एवं अपूर्ण है; जो कि संसद का अपमान था, किन्तु यह प्रतिवेदन बहुत ही अच्छा है और मेरे विचार से मन्त्रालय ने इसके लिये अथक परिश्रम किया है, किन्तु मेरे विचार से इससे यह पता नहीं चलता कि मन्त्रालय ने असाधारण उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं। यह इसकी वास्तविक उपलब्धियों को प्रतिबिंबित नहीं करता है। मैं ब्यौरे में नहीं जाऊंगा; इस तथ्य के बावजूद भी कि यह एक व्यापक प्रतिवेदन है और कतिपय क्षेत्रों में मन्त्रालय द्वारा किये गए अच्छे कार्यों को दर्शाता है, फिर भी यह इनकी वास्तविक उपलब्धियों को नहीं बताता।

मैं एक खण्ड से दूसरे खण्ड पर नहीं जाऊंगा। यह बहुत ही लम्बा एवं व्यापक प्रतिवेदन है। मैं सिर्फ दो ही क्षेत्रों को लूंगा क्योंकि मैंने वायदा किया है कि जो कुछ भी अन्य सदस्यों ने कहा है मैं उसकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगा। मैं शिक्षा के सर्वव्यापीकरण पर बोलूंगा और उसके पश्चात प्रौढ़ शिक्षा के बारे में अपने विचार व्यक्त करूंगा। मैं मन्त्री महोदया पर अक्षमता का आरोप नहीं लगाता किन्तु वह सामने आयें और योजना आयोग तथा वित्त मन्त्रालय के समक्ष मांग रखें और चर्चा का आयोजन करें। शिक्षा को कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है। इसके लिए पर्याप्त धन नहीं है। इस देश में क्रांति लाना चाहते हैं, यह सिर्फ शिक्षा के द्वारा ही लाई जा सकती है। 1983-84 के लिये, प्रतिवेदन में कहा गया है कि बजट में शिक्षा के बजट में कुल योजना परिव्यय का 2.67 प्रतिशत ही रखा गया है। सात वर्ष पहले, अमरीक सिंह नाम के व्यक्ति के एक लेख पर इस देश में एक चर्चा हुई थी। यह लेख "इलस्ट्रेटिड वीकली" में प्रकाशित हुआ था। उन्होंने कहा कि हम दुनियाँ में निर्धन से निर्धन हैं, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय बजट का सिर्फ 3 प्रतिशत ही शिक्षा पर खर्च किया गया था। किन्तु हम इन वर्षों में निरन्तर निधन बने रहे हैं। यह शर्मनाक बात है। मन्त्री जी को अब अपनी क्षमता का उपयोग करना चाहिये।

कोई व्यक्ति शिक्षा मन्त्रालय के लिए मन्त्रिमंडल पद चाहते हैं। उन्हें तरक्की मिल सकती है। इससे वस्तुस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसमें तो भावना और रूचि का ही महत्व है। इसलिए मैं माननीय मन्त्री को दोषी नहीं ठहराता। उन्होंने शिक्षा में अपनी इच्छा प्रकट की होगी। किन्तु अब उन्हें अपनी क्षमता का प्रयोग करना चाहिए तथा वह योजना आयोग, मन्त्रिमंडल के समक्ष मांगें प्रस्तुत करें व प्रधानमन्त्री से भी मिले और देश में एक बहस का आयोजन करें। कुल बजट के 3 प्रतिशत से हम क्या कर सकते हैं? फिर भी आप अनेक कार्य करने का नाटक करना चाहते हैं। इस प्रतिवेदन में एक बहुत ही लम्बी सूची है।

उपाध्यक्ष महोदय : देश में अलग-अलग विधानसभाओं द्वारा किए गए निमित्त आवंटनों पर भी विचार किया जा सकता है। इससे प्रतिशतता में वृद्धि होगी।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : वे शिक्षा के सामान्योकरण शैक्षणिक प्रौद्योगिकि कार्यक्रम, जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम, अभिस्थापन कार्यक्रम, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम, उच्च शिक्षा कार्यक्रम, तकनीकी शिक्षा कार्यक्रम और प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम तथा छात्रवृत्ति की प्रणाली, पुस्तक संवर्द्धन आदि के बारे में बातें करते हैं। वे बहुत सी चीजों के बारे में बातें करते हैं। किन्तु इस अल्प बजट से वे कुछ भी नहीं कर सकते। इस अल्प बजट का कितना प्रतिशत आप प्राथमिक शिक्षा पर खर्च करते हैं ? यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आंकड़े देने का इच्छुक नहीं हूं जो कि गलत भी हो सकते हैं। किन्तु मेरा अनुमान है कि मोटे रूप में 70 प्रतिशत उच्च शिक्षा को मिलता है जिसमें शोध कार्य भी शामिल हैं। प्राथमिक क्षेत्रों के लिए क्या बचता है ? वे हमें बताना चाहते हैं कि वे ये करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं। मैं नहीं समझता कि वे अधिक प्राप्त कर सकते हैं।

आरम्भ में, मैंने कहा था कि हमारे देश में शिक्षा का कोई अधिक महत्व नहीं है। क्योंकि अगर वे शिक्षा का आर्थिक विकास से सम्बन्ध स्थापित करें और अमरीका, ब्रिटेन, फ्रान्स तथा यहां तक कि रूस में भी शिक्षा की स्थिति देखें तो आप पायेंगे कि वे सर्वप्रथम शिक्षा की योजना बनाते हैं और फिर उसे आर्थिक विकास से जोड़ते हैं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : आप ऐसा क्यों कहते हैं, कि रूस भी ?

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैंने ऐसा इसलिए कहा है, क्योंकि उनकी थोड़ी भिन्न प्रणाली है। मैं कह रहा हूं कि लोकतान्त्रिक प्रणाली के तहत क्या क्या मुमकिन है।

वार्षिक प्रतिवेदन के पृष्ठ (xii) के निष्कर्ष के अन्तर्गत निम्नलिखित कहा गया है :

> "शिक्षा वस्तुत: ज्ञान, कौशल प्रशिक्षण तथा मूल्यों के संवर्धन की एक तिहरी प्रक्रिया है। सरकार का इस दिशा में अपने प्रयासों को तेज करने का विचार है। इसमें वर्णित कार्यक्रमों की शुरुआत अच्छी रही है तथा इनका विस्तार भी अच्छा रहा है और ये आने वाले वर्षों में सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से प्रभावी सिद्ध होंगे।"

प्रतिवेदन के पृष्ठ (xii) की पहली पंक्ति में उन्होंने निम्नलिखित कहा :

> "भारत में शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण समस्याएं हैं : (i) साक्षरता का प्रसार और (ii) प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना। छठी योजना में न्यूनतम आवश्यक शिक्षा पर जोर दिया गया है। ताकि सभी नागरिकों को उनकी आयु लिंग और आवास पर ध्यान दिये बगैर शिक्षा दी जा सके। अत: 6-14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने और 15-35 आयु वर्ग के प्रौढ़ों को साक्षर बनाने से सबंधित कार्यक्रम को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है।"

मैं कहूंगा कि यह हमारे साथ धोखा है । किन्तु मैं नहीं समझता कि मन्त्री जी इस छलपूर्ण प्रक्रिया में अन्तर्ग्रस्त दिखाई पड़ती है । अत: मैं "धोखा" शब्द का प्रयोग नहीं करता किन्तु, निश्चय ही उन्होंने हमारी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की है। जैसा कि उर्दू में कहते हैं, धूल झोंक दी है हमारी आंखों में । आप बिना कुछ किए शिक्षा के सर्वव्यापीकरण की बात करते हैं, आप साक्षरता कार्यक्रम तथा प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की बात करते हैं, आप इसके लिए कुछ भी नहीं कर रहे है । इसके बाद वे 20 सूत्री कार्यक्रम की बात करते हैं । मैं 20 सूत्री कार्यक्रम की राजनीति में विश्वास नहीं करता किन्तु मैंने इसका आर्थिक पहलू देख लिया है । मैं बिना किसी खण्डन के भय से कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री का 20-सूत्री कार्यक्रम बहुत ही प्रशंसनीय कार्यक्रम है। मुझे 17-सूत्रों के बारे में कोई जानकारी नहीं है । मुझे नहीं मालूम उनका क्या हुआ ? क्योंकि कांग्रेस (आई) सदस्य प्रधान मन्त्री की प्रशसा कर रहे हैं, वे एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि उन 17-सूत्रों के अन्तर्गत बहुत सी उपलब्धियाँ प्राप्त की जा चुकी हैं । किन्तु जहां तक 3 सूत्रों का सम्बन्ध है । एक पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन से सम्बन्धित है और दूसरा कमजोर-वर्गों के बच्चों के लिए अभ्यास पुस्तिकाओं (कापियों) के उत्पादन से सम्बन्धित है । उन दो सूत्रों को हटा देना चाहिए, क्योंकि उसके लिए कुछ भी कार्य नहीं किया जा रहा है । उन्होंने उस चार्टर के प्रावधानों का आह्वान किया है और वे वार्षिक प्रतिवेदन के पृष्ठ (vii) के अनुसार कहते है :—

प्रारम्भिक शिक्षा को व्यापक बनाने और प्रौढ़ शिक्षा से सम्बन्धित नये 20 सूत्री कार्यक्रम के सूत्र 16 के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने का कार्य आलोच्च वर्ष के दौरान जारी रखा गया ।"

20-सूत्री कार्यक्रम की बात करते हुए वह सोचते हैं कि उन्होंने प्राथमिक शिक्षा के सामान्यीकरण और प्रौढ़ शिक्षा के सम्बन्ध में बहुत कुछ कर लिया है जो वैसे वह नहीं कर पाते, उनका यह दावा बिल्कुल गलत है । मैं नहीं समझता कि मन्त्री जी के पास खण्डन करने के लिए कोई तथ्य है जब मैं कहता हूं कि शिक्षा के सर्व व्यापीकरण के लिए कुछ भी नहीं किया गया है और प्रौढ़ शिक्षा के लिए भी कुछ नहीं किया जा रहा है क्योंकि वे 20-सूत्री कार्यक्रम की बात ऐसे करते हैं मानो सभी समस्याओं का समाधान केवल 20-सूत्री-कार्यक्रम ही हो । मैं समझता हूं कि यह एक बहुत बड़ा धोखा है क्योंकि उन्होंने प्रतिवेदन में यह साबित नहीं किया है कि वे ऐसा क्या काम है जो उन्होंने 20-सूत्री कार्यक्रम से अन्यथा न किया जा सकता । उदाहरण के लिए, आप कहते हैं कि आप प्रौढ़ शिक्षा के सर्वव्यापीकरण के संवैधानिक उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं और आप सभी प्रौढ़ों को साक्षर बनाने का संवैधानिक कर्त्तव्य पूरा कर रहे हैं। आपने यह कैसे किया है ? आप इसे ऐसे आंकड़े से साबित नहीं कर सकते जो कि अविश्वसनीय है ।

उदाहरण के लिए आपने कहा है कि वर्ष 1983-84 के दौरान कक्षा 1-8 में अतिरिक्त नामांकन 47.02 लाख के लक्ष्य से अधिक होगा । यह एक बहुत प्रशंसनीय

लक्ष्य तो है परन्तु यह बड़ा लक्ष्य नहीं है। चाहे इसे आप प्राप्त भी कर लें तो आप देश के प्रति कोई सेवा नहीं कर देंगे। में अभी आपको बताऊंगा। आप कहते हैं कि "योजना के पहले चार वर्षों में सम्भवत: 95.95 लाख की उपलब्धि होगी" जैसे यह आंकड़े यदि प्राप्त किए जाएं तो बहुत कठिन कार्य हो जाएगा। आप कहते हैं कि अनौपचारिक शिक्षा की समर्थक प्रणाली आपको 25.64 लाख नामांकन प्रदान करेगी। सभापति महोदय, यह केवल अनाप-शनाप बात है।

एक माननीय सदस्य : "उपाध्यक्ष महोदय" कहिए

प्रो० सैफुद्दीन सोज : क्या आपको सभापति महोदय कहना असंवैधानिक है। मैं जब सभापति' कहता हूं तो मेरा अभिप्राय है "अध्यक्ष महोदय"।

श्री ए०के० राय (धनबाद) : परन्तु आप 'उपाध्यक्ष महोदय' कभी ठीक से नहीं कहते।

उपाध्यक्ष महोदय : दिन के अन्त में वे बहुत ही भ्रम में पड़ गए हैं।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैं आरम्भ में ही कह चुका हूं कि हम सब थक गए हैं।

हां तो, चाहे आप वर्ष 1983-84 के दौरान 47.25 लाख के लक्ष्य से बढ़ भी जाए और आप को अनौपचारिक प्रणाली से समर्थन भी प्राप्त होता है तब भी आप इसे कोई अपनी उपलब्धी नहीं कह सकते क्योंकि आप हमें इस बारे में विश्वास में नहीं ले रहे हैं कि बीच में ही छोड़ जाने वालों की दर क्या है। आपको इस बारे में विचार विमर्श करना ही होगा। जब भी आप आगे बढते हैं और प्रौढ़ शिक्षा की बात करते हैं तो आप को हमें विश्वास में लेना ही होगा क्योंकि जब आप शिक्षा के सामान्यीकरण के बारे में बात कहते हैं तो ऐसा करने और अपनी योजना को कार्यान्वित करने के लिए आपको अपनी तत्परता दिखानी होगी। केरल राज्य को छोड़ इस देश में शिक्षा की व्यापकता कहाँ है ? और जम्मू और काश्मीर ऐसा दूसरा राज्य है। आपको शिक्षा को अनिवार्य करना होगा। इसे अनिवार्य कर दें। अन्यथा आप शिक्षा की व्यापकता के बारे में बात ही करते रहेंगे और बीच में छोड़ जाने वालों के साथ इसका सम्बन्ध जोड़े बिना आप केवल अनाप-शनाप ही करते रहेंगे। और दस वर्ष बाद एक बहुत बड़ी रिपोर्ट तो प्रस्तुत करेंगे परन्तु शिक्षा व्यापकता की समस्या वहीं की वहीं रहेगी। इसलिए, जब तक आप प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य नहीं करते, आप इसे व्यापक भी नहीं बना सकते। अतः आप भारत के संविधान को बीच में न लाएं। आप प्रौढ़ शिक्षा की भी बात करते हैं। प्रौढ़ शिक्षा के सम्बन्ध में आप बहुत निराली बात यह कहते हैं कि वर्ष 1983 के लिए, 30-9-1983 तक 46 लाख प्रौढ़ निरक्षरों को नामांकित किया गया। यह नामांकन है क्या ? आप जितने चाहें उतने व्यक्ति नामांकित कर लें। क्या यह काफी है। उपाध्यक्ष महोदय, छठी योजना के दस्तावेज में पूर्ण प्रौढ़ निरक्षर जनसंख्या अर्थात् 11 करोड़ को शामिल करना विहित है। मैं इस

सभा को चुनौती देता हूं कि आप इससे आधी जनसंख्या भी शामिल नहीं कर सकते और यदि माननीय मन्त्री···(व्यवधान)

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : लोगों के सहयोग से आप ऐसा कर सकते हैं।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : निश्चय ही ऐसा किया जा सकता है इन्होंने लोगों को इस प्रकार से संगठित नहीं किया है। इस छठी योजना के दस्तावेज में लिखा है कि 1990 तक वे प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम द्वा ा पूर्ण निरक्षर जनसंख्या को शिक्षित कर देंगे। फिर भी यह दस्तावेज यह नहीं बताता कि बीच में छोड़ जाने वालों की दर क्या है। उन व्यक्तियों की संख्या क्या है जो उन केन्द्रों को बीच में ही छोड़ कर चले जाते हैं जिन्हें आपने प्रौढ़ शिक्षा के लिए संगठित किया है।

प्रो० एन०जी० रंगा : आप उन्हें दूरदर्शन द्वारा पकड़ें।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : इसलिए, प्राथमिक स्तर पर प्रौढ़ शिक्षा के अनिवार्य सर्व-सामान्यीकरण के न होने पर और प्राथमिक स्तर पर छोड़ जाने वालों की दर की हालत देख कर और इसके साथ प्रौढ़ शिक्षा के लिए जो आपने केन्द्र चलाए हैं, वहां छोड़ने वालों की दर पर भी ध्यान दिया जाए तो वर्ष 1990 तक 11 करोड़ जैसी कोई चीज आप प्राप्त नहीं कर सकते। यह सब भ्रामक है और यह किया ही नहीं जा सकता है। और अब चूंकि रिपोर्ट ससद के समक्ष रख दी गई है मैं मन्त्रालय को भारत के संविधान के प्रावधानों के प्रति अनुक्रियाशील बनाने के लिए लड़ता रहूंगा। और अब वे बिना किसी उत्कठ इच्छा के ऐसी बातें कर रहे हैं। ऐसी कोई योजना नहीं है जिसके अन्तर्गत प्रौढ़ शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा के सामान्यीकरण के लिए किसी प्रभावशाली कार्यवाही की कल्पना नहीं की जा सकती है।

अब प्राथमिक क्षेत्र की ओर ध्यान दें। वे जो चाहते हैं, उन्हें करने दें। किन्तु प्राथमिक क्षेत्र को महत्व देना आवश्यक है क्योंकि इसकी हालत कुछ गए वर्षों से खराब ही रही है। इसे चार तरीकों से कर सकते हैं। पहले, प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य रूप से व्यापक बनाया जाए। दूसरे, शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए जोरदार कार्यक्रम चलाया जाए। आप एक नया पाठ्यक्रम लागू कर रहे हैं। मेरे राज्य में हमें राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के पाठ्यक्रम को अपनाने का सौभाग्य मिला था जो कि बहुत अच्छा है। परन्तु हमने तो जोरदार प्रशिक्षण कार्यक्रम गठित किए हैं और तब भी हमें सफलता नहीं मिली है। आप उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य को लें। वहां 12 करोड़ की जनसंख्या है। वहां ऐसे सैकड़ों स्कूल हैं जहां अध्यापक नहीं हैं और और वहां पर पट्टाधारी प्रणाली है, जिसके अधीन वास्तविक शिक्षा के लिए लोग प्रतिनिधित्व करते हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसी काफी बुराईयां हैं। शिक्षकों को प्रशिक्षण देने की कोई जल्दी ही नहीं है। परन्तु उन्हें गणित और विज्ञान में प्रशिक्षण लेना ही होता है। मैं प्राथमिक स्तर की बात कर रहा हूं जहां पर आपकी नींव पक्की ही होनी चाहिए। यह प्रशिक्षण पुनःश्चर्या कार्यक्रमों

द्वारा नहीं दिया जा सकता। तीसरे, प्राथमिक स्कूलों तथा माध्येमिक स्कुलों को विज्ञान किटें प्रदान करें ताकि शिक्षार्थी छोटी सी उम्र से ही विज्ञान के प्रति जागरूक हो जाएं। गणित और विज्ञान पर काफी जोर दिया जाना चाहिए क्योंकि विज्ञान और गणित के ज्ञान का बहुत विस्तार हो रहा है। चौथे, प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों के लिए प्रोत्साहन दें उनको बेहतर ग्रेड दें। वे ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं। उनके पास रहने के लिए कोई स्थान नहीं है। यदि आप प्राथमिक शिक्षा को सुधारने पर जोर देते हैं तो आपको प्राथमिक स्कूल के अध्यापकों के लिए प्रोत्साहन स्थापित करने होंगे। आपको उनकी भर्ती एक उचित तरीके से करनी होगी।

यद्यपि प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम बहुत प्रशंसनीय है और यह भारत के संविधान की भावना के अनुरूप है, तब भी मैं यह कहना चाहूंगा कि प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को पूर्ण रूप से रद्द कर दिया जाए। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम द्वारा कुछ भी प्राप्त नहीं होगा क्योंकि प्राथमिक स्तर पर बीच में छोड़ जाने वालों की संख्या बहुत अधिक है। सबसे पहले तो आप बीच में छोड़ने वालों की रोकथाम करें और यह पता लगाएं कि कितने निरक्षर लोग हैं और फिर इसके बाद आप इसे नए सिरे से आरम्भ कर सकते हैं। अन्यथा आप इसे असन्तुलित तरीके से करते रहेंगे जिससे सार्वजनिक धन को व्यर्थ गवाएगे। अभी तक इस योजना पर 122 करोड़ रुपए व्यर्थ हो गए हैं।

हमें समाज के कमजोर वर्गों के बच्चों को प्रतिस्पर्धी सामर्थ प्रदान करनी चाहिए। यहाँ पर कोई व्यक्ति इस सम्बन्ध में बात कर रहा था। परन्तु उन्होंने यह बात आधे मन से कही थी। परन्तु हम समाज के कमजोर वर्गों के व्यक्तियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। मैंने कहीं एक लेख पढ़ा था कि पिछड़ी जातियों के लिए हमारे पास कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए क्योंकि इसे देश की कुशलता को चोट पहुंचेगी। जिसने वह लेख लिखा था उस बेचारे साथी को यह नही पता होगा कि आदिवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, गूजर और बकरवाल जैसे पिछड़े वर्गों के बच्चे उन बच्चों के साथ मुकाबला नहीं कर सकते जो पब्लिक स्कूलों और प्राइवेट स्कूलों में पढ़े होते हैं और जिन्होंने अच्छी शिक्षा प्राप्त की होती है। इस लिए मंत्रालय का यह कर्तव्य है कि शिक्षा प्रणाली में सुधार किया जाए—वे संविधान की बात यूं ही करते हैं, उन्हें संविधान के बारे में तब बात करनी चाहिए जब वे इसके योग्य हो जाए—ताकि पिछड़े वर्गों के बच्चों को प्रतिस्पर्धी सामर्थ के योग्य बनाया जा सके। इसके लिए मैं शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की प्रार्थना करूंगा ताकि हमारे यहाँ कोई प्राइवेट स्कूल न हों। मैं आपको बताता हूं कि प्राइवेट स्कूलों, विशेषकर मेरे राज्य के स्कूलों मे क्या होता है। और राज्यों में तो हालत और भी खराब होगी। मेरे राज्य में शिक्षा को शेख मो० अब्दुल्ला के पहले उनके प्रधान मन्त्री और बाद में मुख्य मन्त्री के रूप में उनके कार्यकाल में बिल्कुल अविचिलित ध्यान प्राप्त हुआ। हमें उसका कुछ लाभांश मिला। परन्तु ध्यान दीजिए कि उस राज्य में भी क्या होता है। राजनीतिज्ञों के बच्चे, अधिकारियों के बच्चे और धनी लोगों के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से आपके बच्चों को छोड़कर।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : इस बात को गुप्त रहने दें। इस सम्बन्ध में मैं आपसे आपके कमरे में बात कर सकता हूं। और सरकारी स्कूलों में क्या होता है ? केवल बहुत ही गरीब व्यक्तियों के बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते हैं और वहाँ हालत वैसी ही है जैसा कि श्री जैनुल बशर और अन्य व्यक्तियों न कहा है कि वहाँ चटाइयां नहीं हैं, कोई ब्लैक-बोर्ड नहीं है, कोई चाक नहीं है। अस्तु, यदि आप भारत के संविधान के प्रावधानों का आदर करना चाहते हैं तो आपको शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करना ही होगा। अधिकारी का बच्चा, सांसद का बच्चा, राजनीतिज्ञ का बच्चा, अमीर आदमी का बच्चा सरकारी स्कूल में जाना चाहिए। इसमें हम सब को भागीदार होना चाहिए, नहीं तो आप जनता का एक ऐसा वर्ग बना रहे हैं जिन्हें उन लोगों की वजह से जिनके लिए आपको रुतबा मिलता है बेहतर व्यवस्था करनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री ए०के० राय।

प्रो० एन० जी० रंगा : महोदय हम कितनी देर तक बैठेंगे। श्रीमान् राय आधा घण्टा लेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से वे बहुत ही संक्षिप्त बोलेंगे।

श्री ए० के० राय (धनबाद) : यदि आप चले जाते हैं तो मैं बोलना बन्द कर दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : वह दस मिनट से ज्यादा नहीं लेंगे। श्रीमान् राय, मैंने रंगा जी को विश्वास दिलाया है कि आप दस मिनट से ज्यादा नहीं लेंगे। मैंने जो उन्हें वचन दिया है, कृपया उसको निभा देना।

श्री ए० के० राय : महोदय, इस वाद-विवाद को सुनने के पश्चात् मुझे जार्ज बर्नाड शा की उच्च शिक्षा के बारे में दी गई परिभाषा याद आ रही है—'जब कोई व्यक्ति किसी को वह पढ़ाए जिसका उसे स्वयं ज्ञान न हो और उस व्यक्ति में सीखने की योग्यता न हो और तब वह उसे कुशलता का प्रमाण-पत्र दे दे तो समझ लीजिए कि उसने अपनी विश्व-विद्यालय की शिक्षा समाप्त कर ली'। मेरे विचार से इस देश में शिक्षा के बारे में बर्नाड शा ने किसी तरह पूर्वानुमान लगा अथवा पहले से सोच लिया होगा। इस देश में माननीय शिक्षा मन्त्री के ढीले नियंत्राधीन हमारे पांच आई०आई०टी०, कहने को केन्द्र द्वारा शासित सात विश्वविद्यालय, यू०जी०सी० द्वारा सहायता प्राप्त करने वाले 123 विश्वविद्यालय, कुछ 900 अनुसंधान संस्थान और कई अन्य ऐसी संस्थाएं हैं।

7.00 म०प०

एक बहुत ही रचनात्मक सुझाव देने के लिए मैंने इस वाद-विवाद में भाग लिया है। मेरे पास केवल एक ही रचनात्मक सुझाव है। वह यह कि कम से कम पांच वर्ष के

लिए उच्चतर शिक्षा की सभी संस्थाएं बन्द कर दी जाए और शिक्षा के स्वरूप, दिशा और तत्व ज्ञान के सम्बन्ध में समाज में, देश में एक खुली बहस करें।

हमारे देश में, स्वतन्त्रता संग्राम, राष्ट्रीय दिवसों के दौरान, हमारे राजनीतिक नेता, हमारे सांस्कृतिक और शैक्षिक नेता भी होते थे। गांधी जी ने नई तालीम का प्रयोग किया। देश बन्धु सी०आर० दास ने यह कहते हुए कि हमारे अपने महाविद्यालय होने चाहिएं, राष्ट्रीय चिकित्सा महाविद्यालयों का गठन किया। आचार्य प्रफुल्ल चन्द्र राय ने उद्योग का गठन किया और कहा कि हमारे और अधिक उद्योग होने चाहिएं और हमारा अपना जीवन दर्शन होना चाहिए। उन्होंने एक आधुनिक वैज्ञानिक पाठ्यक्रम की प्रेरणा दी। ऐसे कई नेता थे। रविन्द्र नाथ टैगोर ने शान्तिनिकेतन का गठन किया। पश्चिमी क्षेत्र में राजाओं ने आर्य समाज का गठन किया। अपने समय में सभी प्रमुख राष्ट्रीय नेताओं का शिक्षा के सम्बन्ध में अपनी-अपनी विचारधारा थी।

शिक्षा के बारे में आपकी क्या विचारधारा है ? 10+2+3 और 10+3+2; यह सब बीजगणित और गणित की बात है। गणित का यह भेद जारी है। आपकी विचार-धारा केवल 10+2+3 और 10+3+2 है। क्या आप इन अंकों के उछलाव के 30 वर्ष बाद गांधी जी की नई तालीम का पालन करेंगे।

माननीय मन्त्री महोदया आयु में हमसे काफी बड़ी हैं। वे उन दिनों की देन है जब हर ओर राष्ट्रवादी वातावरण विद्यमान था। क्या वह हमें बता सकती हैं कि बुनियादी विद्यालय क्यों बन्द होते जा रहे हैं और पब्लिक स्कूल फिर से क्यों खुल रहे हैं ? हमारे मूल्य कहां चले गए हैं ? आपने कहा कि शिक्षा का तिहरा उद्देश्य है : शिक्षा प्रदान करना, कुशलता प्रदान करना अथवा उसमें अभिवृद्धि, करना तथा मूल्यों को समावेशित करना। पिछले 30 वर्षों से आप किस प्रकार के मूल्यों का समावेश कर रहे हैं ? यही मुख्य मुद्दा है; हमें अन्य बातों पर विस्तार से विचार करने की आवश्यकता नहीं है। आज हमारे सामने एक ऐसी स्थिति आ खड़ी हुई है, जहां हमें इस बात के लिए ईमानदारी से खोज और आत्मविश्लेषण करना चाहिए कि ये हमें किस दिशा की ओर ले जा रही हैं और हमारे मूल्य कहां विलीन हो गए हैं।

नई पीढ़ी को ज्यादा उदार, ज्यादा सुधारवादी, ज्यादा सैद्धान्तिक, ज्याद त्यागपरक, ज्यादा समर्पित तथा ज्यादा क्रान्तिकारी समझा जाता है। पर आज हम क्या देख रहे हैं ? हम देख रहे हैं कि नई पीढ़ी ज्यादा साम्प्रदायिक, ज्यादा कट्टर, भौतिक जीवन में ज्यादा विश्वास रखने वाली तथा ज्यादा उग्रवादी हैं। आज आपने पंजाब में सिख छात्र संगठनों पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। असम में भी यही हुआ है। वे कौन हैं ? उन्हें किसने बनाया है ? इसके लिए कौन उत्तरदायी है ? इसके लिए या तो अध्यापक अथवा माता-पिता उत्तरदायी हैं ? यह कैसे हो गया कि राष्ट्रवादी नेताओं की पीढ़ी के बाद साम्प्रदायिक लोगों की पीढ़ी आए ? क्या आप इसका स्पष्टीकरण दे सकती हैं। स्वतन्त्रता संग्राम के दिनों में हमारे राष्ट्रवादी नेता सुधारवादी तथा क्रान्तिकारी हुआ करते थे।

प्रो० रंगा को कराची सम्मेलन याद होगा जहाँ नई पीढ़ी ने, भगतसिंह के शहीद हो जाने के बाद, और ज्यादा सुधारवादी नीति की मांग करते हुए विद्रोह कर दिया था। आज यह कैसे हो गया कि पंजाब की नई पीढ़ी भगतसिंह का अनुसरण न करके भिंडरांवाले का अनुसरण कर रही है ? इसके लिए कौन उत्तरदायी है ? देश के मूल्यों को प्रदूषित किसने किया ? मैं कहता हूं कि मन्त्री महोदय उत्तरदायी हैं क्योंकि यह आपकी नीति का परिणाम है।

मैं शिक्षा के मूल्यों के सम्बन्ध में बर्ट्रेन्ड रसेल द्वारा लिखी हुई पुस्तक पढ़ रहा था। उनका कहना है कि उन देशों तक में भी यह हो रहा है जहाँ औद्योगिक क्रान्ति हुई और लोगों को सामन्तवादी आदतों से मुक्ति दिलाई गई। वे यह भी बता रहे थे कि जब तक बौद्धिक श्रम का शारीरिक एव रचनात्मक श्रम के साथ ठीक प्रकार से सम्मिलित नहीं किया जाता, व्यक्ति का सही रूप सामने नहीं लाया जा सकता। कुल मिलाकर शिक्षा का उद्देश्य क्या है ? शिक्षा का उद्देश्य है सामाजिक तौर पर एक उपयोगी मनुष्य की रचना। यहां एक शिक्षित व्यक्ति स अभिप्राय है एक अनुत्पादक व्यक्ति। शिक्षा की ओर उन्मुख हो रहे एक व्यक्ति से अभिप्राय है कि वह समाज के लिए बेकार तथा अनुत्पादक होता जा रहा है। बहुत से लोगों ने कहा है कि यदि वे अपने बच्चों को विद्यालय भेजते हैं, तो अगले ही दिन से वे कहने लगते हैं कि वे भूमि नहीं जोतेंगे, वे बेलचा नहीं उठायेंगे, वे हथौड़ा नहीं उठायेंगे। वह कोई शारीरिक मेहनत नहीं करना चाहता। कांग्रेस पक्ष अथवा अन्य पक्ष के हमारे बहुत से नेता यह दलील देते हैं कि शिक्षित बेरोजगारों की समस्या पर विचार किया जाना जाहिए। परन्तु शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों की समस्या को विशेष समस्या क्यों माना जाता है ? क्योंकि वे सफेदपोश लोग हैं, मध्यवर्गीय लोग हैं, वोट के लिए उनका महत्व है, इसलिए हम इन शिक्षित व्यक्तियों को सन्तुष्ट करने के सभी प्रयास करते हैं। हममें यह कहने का साहस नहीं कि हम उन्हें कहें कि जाओ और जाकर जमीन में हल चलाओ। शिक्षा का अभिप्राय व्यक्ति को व्यवस्था विरोधी बनाना नहीं है। शिक्षा देने से अभिप्राय है। व्यक्ति को कार्य-विरोधी बनाना। श्रीमान्, हमें अपने समय में विश्वविद्यालयों में बहुत निष्ठावानलोगों को देखने का अवसर मिला है। मैंने प्रो० प्रियादास राय को देखा है। वे हमारे देश के महानतम् रसायनविदों में से एक थे और आचार्य प्रफुल्लचन्द्र राय के शिष्य थे। मैंने सत्येन बोस, मेघनाथ साहा को देखा है। वे हाथों से काम किया करते थे। क्या आप उनसे मिलेंगे। प्रो० राय प्रयोगशाला से बाहर आये, जो कुछ नोट्स मुझे उनसे चाहिएं थे, उन्होंने मुझे दिए और मैंने देखा कि तत्काल ही वे अपने हाथों से काम कर रहे थे। आज एक कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी भी गिलास उठाने पानी ले जाने या बर्नर जलाने हेतु किसी व्यक्ति को सहायक के रूप में मांग करता है। मैं पूछता हूं समाज का दिशाभ्रम किसने किया है ?

अब मैं पब्लिक स्कूलों पर आता हूं। जनता सरकार के समय में भी मैं पिछली संसद में था। जनता पार्टी के लोग चिल्लाते हैं कि अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों को

समाप्त किया जाना चाहिए, यह किया जाना चाहिए वह किया जाना चाहिए । और, जब जनता सरकार थी, मैंने एक संशोधन रखा ठीक वैसा ही जैसा संशोधन मैं आज रख रहा हूं कि आप अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों को समाप्त करिए । उस समय भी मन्त्री महोदय ने नहीं, नहीं कहते हुए खड़े होकर ये कहा था कि इससे संविधान के अनुच्छेद 21, 24 और 16 के उपबन्धों का उल्लंघन होगा । इसलिए, हम ऐसा नहीं कर सकते । और आज, मैं जानता हूं कि माननीया तथा हमारी प्रिय शिक्षा मंत्री महोदया खड़ी होकर कहेंगी कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इससे संवैधानिक उपबन्धों का उल्लंघन हो जाएगा । आज, मैं पूछता हूं कि जहां तक शिक्षा का प्रश्न है, इस सभा में कोई विरोधी पक्ष है ? मैं समझता हू कोई नहीं है । कारण यही है कि केन्द्र में किसी दल का शासन है जबकि एक राज्य किसी अन्य दल का और दूसरे मे, किसी अन्य का शासन है । इस प्रकार, हमारे सार दल सत्ता मे हैं, चाहे केन्द्र में हों अथवा राज्यों में । और आप जानते ही हैं शिक्षा का विषय समवर्ती विषय है और अभी तक किसी भी दल में पब्लिक स्कूलों पर प्रतिबन्ध लगाने का साहस नही है । पब्लिक स्कूल भ्रमित करसे वाला नाम है । वास्तव में ये निजी स्कूल हैं । इस कारण, कोई भी दल ऐसा करने को तैयार नहीं । ऐसा क्यों है ?

प्रो० एन० जी० रंगा : निजी स्कूल को पब्लिक स्कूल का गलत नाम दिया जाता है ।

श्री ए० के० राय : जी हां, यही तो भ्रामक नाम है । ठीक उसी प्रकार जैसे अधिकतर पूंजीवादी विचारधारा के लोगों को समाजवादी के रूप में जाना जाता है । स्थिति यह है । क्योंकि आप उपाध्यक्ष हैं, इसलिए आपको कम बोलना चाहिए, पर आप ज्यादा बोलते हैं । इसी कारण, ये सब बातें इस तरह से हो रही हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं बहुत वर्षों तक राज्य सभा में आपके साथ था ।

श्री ए० के० राय : मैं जानता हू, श्रीमान् ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : यदि आप अनुमति दें, केवल उनकी जानकारी के लिए मैं कहूगा कि पश्चिम बंगाल में पूर्ण निष्ठा से हमने इसे करने का प्रयास किया । आप जानते हैं आन्दोलन किसने शुरू किया था । हालांकि हम इसे करना चाहते थे परन्तु उच्च न्यायालय और कुछ इसी तरह की बातों के कारण हम इसे नहीं कर सके ।

श्री ए० के० राय : ये सब बातें मुझे मत सुनाइए ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप आरोप लगा रहे हैं ।

श्री ए० के० राय : जी हां, मैं भारतीय साम्यवादी दल मार्क्सवादी को दोषी ठहराता हूं ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : आपने कहा कि राज्य सरकार इसे नहीं कर सकती।

श्री ए० के० राय : जी हां, आप में साहस नहीं, क्योंकि आप लोगों को वोट चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : वे किसी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : पश्चिम बंगाल में हम इसे करना चाहते थे। आप गलत कह रहे हैं।

श्री ए० के० राय : श्रीमान्, मैं कहता हूं बात वर्ग की है, ये अनुत्पादक लोग, अंग्रेजी जानने वाले लोग, सुविज्ञ लोग, जिनका किसी शारीरिक श्रम से कोई सम्बन्ध नहीं है, केवल आज ही नहीं, बल्कि कम से कम पिछली 10 पीढ़ियों से उन्होंने भारत में सभी क्षेत्रों में सत्ता हथिया ली है। यही कारण है कि जो कोई भी आता है, अपने विशेषाधिकारों के उस अति सुरक्षित गढ़ को, जिनमें वे सत्ता चला रहे हैं, उसे कोई भी नष्ट नहीं करेगा। केवल उतना ही नहीं।

प्रो० एन० जी० रंगा : हमें मन्त्री महोदय का उत्तर कल सुनना चाहिए।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : यह आज रात ही होना चाहिए। वे कम समय ले सकती हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां, वे कल उत्तर देंगी।

श्री ए० के० राय : दो अध्ययन किए गए थे। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, आपने फिर बोलना शुरू कर दिया। वास्तव में आपको केवल एक श्रोता बने रहना चाहिए ना कि एक वक्ता। मैं आपको बताता हूं कि दो अध्ययन किए गए थे। एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के बारे में था, और दूसरा विशिष्ट के अस्तित्व में आने के बारे में है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप समाप्त कर सकते हैं।

श्री ए० के० राय : मैं समाप्त कर रहा हूं।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के सम्बन्ध में, अध्ययन से पता चला कि उन विद्यार्थियों में से, जिन्हें प्रवेश मिलता है, 67 प्रतिशत उस विशिष्ट वर्ग से सम्बन्ध रखते हैं जिन्होंने अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में अध्ययन किया होता है। अन्यों के बारे में, भारतीय समाज विज्ञान परिषद् ने एक सर्वेक्षण किया जिसके अनुसार डाक्टर, इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर, प्रबन्धकीय कार्मिक, प्रशासक तथा राजनीतिज्ञ, और दक्षिण अफ्रीका की भांति यहां भी आंतरिक उपनिवेशवाद है। विशिष्टतम भारत विशिष्ट वर्ग के सीमित दायरे से सम्बन्ध रखते हैं। उदाहरणतः, उनके आवास के बारे में, उन्होंने कहा कि उनके कुल का केवल 13.08 प्रतिशत गांवों में था, 16.01 प्रतिशत से कम, छोटे कस्बों में था, 69.20 प्रतिशत बड़े कस्बों

और महानगरीय शहरों में था और शेष 1.67 प्रतिशत है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि इस प्रकार है : सरकारी नगर निगम के स्कूल—26.70 प्रतिशत, मिशनरी स्कल—18.20 प्रतिशत, पब्लिक स्कूल—18.58 प्रतिशत, और निजी स्कूल—32.38 प्रतिशत। इसका अर्थ यह हुआ कि केवल शेष लोगों में से 25 प्रतिशत आते हैं। अब मैं आपको सामाजिक मूल के भारतीय शहरों के बारे में बता रहा हू : प्रबन्धक—23.30 प्रतिशत, पर्यवेक्षक—19.71 प्रतिशत, अधिकारी—19.53 प्रतिशत, सम्पन्न किसान—11.3 प्रतिशत, वकील—16.07 प्रतिशत, श्रमिक वर्ग—1.70 प्रतिशत, और कृषक मजदूर तथा गरीब किसान—शून्य।

हमारी शिक्षा प्रणाली जिन भारतीय विशिष्ट वर्गों का सृजन कर रही है, उसके उद्भेव की यह स्थिति है।

शिक्षा के बारे में, मैं शीघ्रता से केवल तीन बातों का उल्लेख करूंगा। एक है मातृ-भाषा के माध्यम से शिक्षा। इस सम्बन्ध में मैं महात्मा गांधी द्वारा शिक्षा के सम्बन्ध में 'टू स्टुडेंट्स' (छात्रों के लिए) शीर्षक से लिखी गई पुस्तक में से उद्धरण दूंगा। इसमें गांधीजी ने कहा है :

> "मुझे पूना के कुछ प्रोफेसरों के साथ निकट से बातचीत करने का अवसर मिला। उन्होंने मुझे बताया कि प्रत्येक भारतीय नवयुवक ने अंग्रेजी भाषा के माध्यम से अपना ज्ञान अर्जित करने के फलस्वरूप, जीवन के कम से कम छः बहुमूल्य वर्ष गवाए हैं। इसे हमारे स्कूलों और विश्वविद्यालयों से निकलने वाले छात्रों की संख्या से गुना कीजिए और स्वयं देख लीजिए कि राष्ट्र के कितने हजार वर्ष गंवाए जा चुके हैं।"

यह विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की पुस्तकों के अनुवार के बारे में है। 'दि इकोनोमिक एंड पालिटिकल वीकली' ने कहा है :

> "हिन्दी तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तर की पाठ्य पुस्तकें तैयार करने के लिए भारत सरकार ने 1968 में एक योजना तैयार की और इस उद्देश्य के लिए 14 करोड़ रुपये की राशि निश्चित की। हिन्दी पाठ्य-पुस्तकों के लिए उ० प्र०, बिहार, म० प्र०, राजस्थान, हरियाणा में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के पारिभाषिक आयोग के अन्तर्गत पांच हिन्दी ग्रन्थ अकादमियां स्थापित की गई और केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय का कार्य बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय तथा दिल्ली विश्वविद्यालय को सौंप दिया गया। एक अकादमी को 1 करोड़ रु० दिया गया। 1000 पुस्तकों को तैयार करने पर 3.01 करोड़ रु० खर्च किए गए। परन्तु 2.5 करोड़ रु० मूल्य की पुस्तकें गोदामों में पड़ी हुई थीं और पांच अकादमियों को विश्वविद्यालयों तथा कालेजों के पाठ्यक्रम में स्थान प्राप्त नहीं हो रहा है—छात्रों में लोकप्रिय नहीं हैं।"

यह कुल उपलब्धि है ।

मैं प्रौढ़ शिक्षा पर आता हूं । अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि हम दस वर्ष के भीतर निरक्षरता को दूर करने का प्रयत्न करेंगे । प्रौढ़ शिक्षा को प्रधानमन्त्री के नये 20-सूत्री कार्यक्रम में शामिल किया गया है । 1990 तक 15-35 वर्ष के आयु वर्ग के 1100 लाख अशिक्षित प्रौढ़ों को इसके अधीन लाने का लक्ष्य है । योजना आयोग ने इसे छठी योजना में आधारभूत न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के एक आवश्यक संघटक के रूप में शामिल किया था । इस समय केवल 25 लाख प्रौढ़ व्यक्ति शिक्षा केन्द्रों में जा रहे हैं । आठ वर्षों में 1100 लाख प्रौढ़ों को शिक्षित बनाने का लक्ष्य संभवत: प्राप्त नहीं किया जा सकेगा । साक्षरता के प्रचार के लिए राजनैतिक इच्छा की आवश्यकता होती है जो कि भारत में देखने को नहीं है ।

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के बारे में, अधिकतर अनुसंधान तथा अधिकतर बल, जिसे करना चाहिए "फ्रन्टियर टैक्नोलाजी" पर है । इसका अर्थ है कि समग्र परिष्कृत प्रौद्योगिकी, अन्तरिक्ष अनुसंधान तथा इसी प्रकार की सभी बातों से सम्बन्धित प्रौद्योगिकी । एक आधार के बिना आप एक काफी बडी लागत का विशाल ढ़ाँचा खड़ा नहीं कर सकते । आप रोनाल्ड रास का शो कर रहे हैं । आपके प्राथमिक स्कूलों की स्थिति बिगड़ रही है । आप आन्तरिक्ष उड़ान कर रहे हैं जबकि आपके पास कम से कम अपना स्वदेशी राकेट भी नहीं है ।

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी पर कुल व्यय अब करीब-करीब जी० एन० पी० का 0.6 प्रतिशत है । सभी सुविधाओं के बावजूद, अनुसंधान का विषय विज्ञान के सीमान्त क्षेत्रों के लिए, जो कि नगण्य स्रोतों का अधिकतर भाग तो ले लेते हैं परन्तु कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों के सतह को खोल पाने में असमर्थ होते हैं, विद्यमान है । आज भी, शहरी क्षेत्र का 75 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्र का 90 प्रतिशत माल बैलगड़ियों से ढोया जाता है । भारत में नगरीय परिवहन का 90 प्रतिशत से अधिक गैर-मशीनीकृत है । ऊर्जा का लगभग 50 प्रतिशत पुराने गैर व्यावसायिक स्रोतों से प्राप्त होता है ।

जिस बात की आवश्यकता है वह है विज्ञान और प्रौद्योगिकी का हमारे समाज, हमारे जीवन के साथ सामंजस्य । शिक्षा समाजोन्मुख होनी चाहिए । बौद्धिक श्रम को शारीरिक श्रम की ओर उन्मुख किया जाना चाहिए ताकि हम इसे विस्तृत बना सकें । केवल तभी, शिक्षा एवं संस्कृति, इस देश को उसके विद्यमान स्तर से एक उज्ज्वल भविष्य की दिशा में पहुंचा सकेगी । धन्यवाद ।

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों की राज्यमन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : यदि मुझसे कहा जाता है तो मैं उत्तर देने को तैयार हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं, आप अन्तिम वक्ता होंगे—5 मिनट

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी सदन में जो बातें हुई हैं ऐसा मालूम होता है कि शिक्षा में परिवर्तन होना आवश्यक है। हमारी प्रधान मन्त्री ने शांतिनिकेतन में भाषण दिया, उन्होंने यह माना है कि आज की शिक्षा अनुपयोगी है, और देश के बड़े बड़े लोगों ने मान लिया है कि शिक्षा में परिवर्तन की आवश्यकता है। परिवर्तन की हम सब बात करते हैं लेकिन यह मालूम नहीं है कि परिवर्तन किस तरह का चाहते हैं। अभी 9 अप्रैल, 1984 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" के एडीटोरियल में लिखा है :

> "यह बताकर कि चौदह विश्वविद्यालय केन्द्रीय सहायता प्राप्ति के लिए अयोग्य पाये गए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समस्या की ओर केवल ध्यान दिलाया गया है। ऊंची शिक्षा में रुग्णता और गंभीर होती जाती है। यहां तक कि वे संस्थाएं जिन्हें केन्द्रीय सहायता मिलती है, बहुत कम बार अपनी श्रेष्ठता दर्शा पाते हैं। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में माधुरी शाह रिपोर्ट में, जिसने शिक्षकों, छात्रों और कर्मचारियों में काफी उत्तेजना पैदा कर दी थी, शिक्षा के इन प्रतिष्ठित केन्द्रों में स्थिर हो गई सड़न की चर्चा की है। जो समस्या है वह है उच्च शिक्षा में तेजी से आती हुई गिरावट।"

आज जो विश्वविद्यालय हैं, वह विश्वविद्यालय नहीं रहे, बल्कि विष विद्यालय हो गए हैं। वहां जो काम हो रहे हैं वह हमारी शिक्षा पद्धति के अनुसार नहीं हैं। उनमें परिवर्तन चाहिए। 54 लाख रु० छात्रवृत्ति के मिट्टी में गए। इन्होंने कहा है : जवाहर लाल यूनिवर्सिटी में पिछले 12 सालों के इतिहास में छात्रवृत्ति देते हुए ऐसे शोध कार्य हुए जिन्होंने अपनी थीसिस नहीं लिखी और विश्वविद्यालय छोड़ दिया जिसके कारण 65 लाख रु० बर्बाद हुए। यही हालत पटना विश्वविद्यालय की है। वहां एक काम हो रहा है कि लोगों के कत्ल हो रहे हैं। इसी तरह से बनारस यूनिवर्सिटी भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। इसलिए जितनी ऐकेडेमीज हैं उनमें यह काम हो रहा है। सारे विश्वविद्यालय न रह कर विष विद्यालय हो गये हैं।

शिक्षा के मामले में हमारी एक पौलिसी बननी चाहिए। 36 साल के बाद अभी तक कोई ऐजूकेशन पौलिसी नहीं बनाई है। इस पर हमें विचार करना चाहिए। और आज जो विद्यार्थी शिक्षा लेकर निकलते हैं वह देश के लिए कितने कारगर साबित होते हैं, हम सब जानते हैं। इसलिए सारी शिक्षा जोब ओरियेंटेड होनी चाहिए। आज के विद्यार्थी कल के नागरिक बनते हैं। और उन नागरिकों से देश बनता है। हमारा भविष्य उनके हाथों में छिपा हुआ है, लेकिन आज की शिक्षा देश को किधर ले जाएगी, यह शिक्षा शास्त्रियों के ही जिम्मे नहीं, हमारे शिक्षा मन्त्री के जिम्मे नहीं। देश के अन्दर जो कान्करेंट सब्जैक्ट है, उसको सैंटर का सब्जैक्ट कर लेना चाहिए और एक ही शिक्षा पद्धति राष्ट्र के एक कोने से दूसरे कोने तक होनी चाहिए। जब तक यह नहीं होगा, तब तक हम

शिक्षा में सुधार नहीं कर सकेंगे, क्योंकि स्टेट सब्जैक्ट होने के नाते स्टेट वाले मनचाहे ढंग काम चला रहे हैं।

श्री डी० के० नायकर (धारवाड़ उत्तर) : उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा और संस्कृति मन्त्रालय से सम्बन्धित अनुदान की मांगों का समर्थन करते हुए मैं कुछ उपाय सुझाना चाहता हूं जिन पर सरकार को गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

अन्य विद्वान सदस्यों ने अपने भाषणों में कहा है कि हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली जीविकोन्मुख नहीं है और वह समग्र देश के लिए लाभप्रद नहीं है, इसलिए शिक्षा प्रणाली के आमूल परिवर्तन होना आवश्यक है। मेरी जानकारी के अनुसार शिक्षा की यह पद्धति 1857 की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जब एक अधिनियम पारित करके तीन विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी। उस समय, जब ईस्ट इण्डिया कम्पनी सत्ता में थी, भारतीयों को रोजगार दिए बिना प्रशासन को चलाना सम्भव नहीं था। इसलिए प्रशासनिक सेवाओं में भारतीयों को कलर्कों के रूप में प्रशिक्षित करने के लिए उन्होंने तीन विश्वविद्यालयों की शुरूआत की। 1858 में ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार अधिनियम पास करके ईस्ट इण्डिया कम्पनी से सत्ता लेने के बाद 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया। आज, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम के अन्तर्गत 300 से अधिक विश्वविद्यालय हैं। फिर भी, शिक्षा का स्तर पहले जैसा ही है। अतः शिक्षा के इस स्तर से सम्पूर्ण देश में बेरोजगारी उत्पन्न हो गई है और किसी भी कुशल सरकार द्वारा इस बेरोजगारी की समस्या का हल नहीं किया जा सकता। इसलिए इस शिक्षा द्वारा जो भी उपलब्धि प्राप्त करनी है, इस समय प्राप्त नहीं की जा रही है।

इस सन्दर्भ में, मैं कहना चाहता हूं कि 1945 में "प्रोविनशियल एसैम्बलीस" (प्रान्तीय सभाओं) के लिए मतदान के समय कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने एक घोषणा-पत्र जारी किया था कि यदि कांग्रेसी सदस्यों को मत देकर समर्थन प्रदान किया गया तो वह स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष करेंगे, और यदि स्वतन्त्रता प्राप्त हो गई, तो वे निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान किये जाने की बात को संविधान में मूल अधिकार के रूप में रखने का काम करेंगे। परन्तु, वास्तव में, इस अधिकार को संविधान में मूल अधिकार के रूप में नहीं अपनाया गया। संविधान में निदेशक तत्वों के अन्तर्गत इसे अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है किन्तु इसे किसी भी विधि न्यायालय के माध्यम से लागू नहीं किया जा सकता। इसलिए यदि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को संविधान में मूल अधिकार के रूप में प्रदान कर दिया जाए तो निरक्षरता बहुत बड़ी सीमा तक कम हो जाएगी। इसके विपरीत यदि आप देश में शिक्षा की वही पद्धति जारी रखेंगे, तो मुझे डर है कि इस देश में अज्ञानता स्थायी रूप ग्रहण कर लेगी।

मेरे विचार से दूसरे देशों में बुनियादी शिक्षा 22 अथवा 23 वर्ष की आयु तक अनिवार्य है। परन्तु यहां केवल 14 वर्ष तक अनिवार्य है। इसलिए उचित शिक्षा की कमी

भी अन्य कारणों में से एक है जिसके फलस्वरूप लोगों को देश में सामाजिक-आर्थिक न्याय नहीं मिल पाता। इसलिए अब भी शिक्षा-प्रणाली में आमूल परिवर्तन लाने के लिए बहुत देर हो गई है।

माननीय मन्त्री जी जानते हैं कि पिछले वर्ष तकनीकी संस्थानों में प्रवेश के समय दिये जाने वाले प्रतिव्यक्ति शुल्क को प्रारम्भ करने के प्रश्न पर काफी वाद-विवाद हुआ था। केन्द्र द्वारा कोई सशक्त कदम नहीं उठाये गए। प्रति-व्यक्ति शुल्क के प्रारम्भ होने से विषमता की भावना उत्पन्न हो गई। और एक विशेष-वर्ग बन गया है। तकनीकी शिक्षा पर उच्च वर्ग के लोगों का एकाधिकार हो गया। अतः तकनीकी शिक्षा ग्रहण करने के लोगों के अधिकार को वापिस ले लिया गया। उन्हें उस अधिकार से वंचित कर दिया गया। लोगों के साथ किया गया यह वह बहुत बड़ा अन्याय है। इसलिए, मैं माननीय मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इस सम्बन्ध मे प्रगतिशील विधान लाकर प्रति-व्यक्ति शुल्क पर प्रतिबन्ध लगाएं। अन्यथा जहां तक शिक्षा का सम्बन्ध है, गरीब लोग उसी प्रकार पिछड़े रहेंगे।

समय के अभाव के बावजूद भी मुझे मांगों पर बोलने के लिए दिए गए अवसर के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

7.30 म०प०

(श्री चिन्तामणि पाणिग्रही पीठासीन हुए)

श्री चन्द्रभान आठरे पाटिल (अहमदनगर) : सभापति महोदय, यह मेरे लिए अत्यन्त सन्तोष की बात है कि मुझे इस वाद विवाद में भाग लेने और बोलने का अवसर दिया गया।

मैं शिक्ष के क्षेत्र में पिछले 40 वर्षों से काम कर रहा हूं—मैंने अध्यापक के रूप में और वकील के रूप में कार्य किया है।

यहां जो भी बातचीत हो रही है वह सारे देश के लिए गहन चिन्ता का विषय है और वर्तमान शिक्षा प्रणाली सम्बन्धी अपने विचारों की अभिव्यक्ति मुझे अवश्य करनी चाहिए।

वर्तमान शिक्षा प्रणाली द्वारा केवल एक नए विशिष्ट वर्ग का सृजन हुआ है जो पूर्ण रूप से हमारी धरोहर, संस्कृति और उच्च परम्पराओं से भिन्न हैं। यह विशिष्ट वर्ग, शिक्षित वर्ग एक विशेष सुविधा प्राप्त लोगों की श्रेणी में आ गए हैं। उनका साधारण लोगों, किसानों और श्रमिकों के साथ व्यवहार बिल्कुल भिन्न है, जो भारतीय संस्कृति के अनुसार बिल्कुल भी आदरणीय और प्रशंसनीय नहीं है।

इसलिए हमें इस शिक्षा प्रणाली को परिवर्तित करना है। परन्तु शिक्षा प्रणाली में

परिवर्तन लाना आसान काम नहीं है। यह परिवर्तन एक दम नहीं लाया जा सकता। परिवर्तन की प्रक्रिया बड़ी धीमी और सतर्क होनी चाहिए और हमें अपनी सभी स्थितियों और संसाधनों पर विचार करना चाहिए।

शिक्षा पर उच्च वर्गीय लोगों का एकाधिकार हो गया है। सामान्य लोग, निर्धनतम लोग शिक्षा के लाभों से वंचित हैं।

हमने शिक्षा के क्षेत्र में जो अब तक प्रगति की है उसका सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। यह बहुत आवश्यक है।

यदि शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकता है तो यह परिवर्तन केवल उन्हीं लोगों द्वारा लाया जा सकता है जो देश का सम्पूर्ण प्रशासन चलाते हैं, और जो देश के प्रशासनात्मक ढांचे में ऊंचे पदों पर हैं। वे केवल शिक्षा के क्षेत्र में मार्ग दर्शन कर सकते हैं किसी उद्योग को चलाने के लिए, तकनीकी, कृषि और विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति के लिए शिक्षा बहुत आवश्यक है। शिक्षा और संस्कृति सत्ता का प्राण और समाज की प्रगति है।

हमे शिक्षा को नए दृष्टिकोण से देखना चाहिए। हमारी शिक्षा प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जो राष्ट्र के हितों के लिए उत्तरदायी और जिम्मेवार होगी।

मैं उन दो तथ्यों का उल्लेख करना चाहूगा जो प्रतिवेदन में और सदन के समक्ष बातचीत में नहीं आए हैं। मैं मर्चेन्ट नेवी शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष हूं। वह बोर्ड किसी भी तरह शिक्षा मन्त्रालय से सम्बन्धित नहीं है। हमें वहां प्राध्यापक नहीं मिलते क्योंकि प्रशिक्षित लोग विदेशों में चले जाते हैं जहाँ वेतन बहुत अधिक हैं। यहां से प्रतिभा-पलायन हो रहा है। वे हमारे स्कूलों और कालिजों में काम करने के लिए तैयार नहीं हैं। लाल बहादुर शास्त्री कालिज बम्बई में स्थित है। इसे जहाज मालिकों से सहायता मिलती है। वहाँ पर ऐसी अनियमितता क्यों है ? हम शिक्षा के उस पहलू की उपेक्षा क्यों कर रहे हैं जबकि हमारे नाविकों और समुद्री कैप्टनों की माँग ज्यादा है और उनकी सेवाए अधिक प्रशंसनीय हैं शिक्षा मन्त्रालय को शिक्षा के इस पहलू का इन्चार्ज (प्रभारी) होना चाहिए। यह मेरा पहला अनुरोध है।

कानूनी शिक्षा के क्षेत्र में 'भारतीय विधिज्ञ परिषद्' बहुत मनमानी कर रही है। विधिज्ञ परिषद् अधिनियम के खण्ड 23 के अनुबन्ध का भारतीय विधिज्ञ परिषद् पालन नहीं करती, जिसमें विशेष रूप से यह बताया गया है कि यदि डिग्री पाठ्यक्रम में परिवर्तन करना हो तो यह परिवर्तन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के परामर्श से, विश्वविद्यालयों के परामर्श से और राज्य विधिज्ञ परिषद् के परामर्श से किया जाना चाहिए। परन्तु भारतीय विधिज्ञ परिषद् ने इस परामर्श लेने से पूर्ण रूप से इन्कार किया है और विश्व-विद्यालयों को यह सलाह दी है कि तीन साल के डिग्री पाठ्यक्रम को पांच वर्ष के पाठ्यक्रम में

परिवर्तित किया जाना चाहिए और जो कालिज पहले शुरू हो चुके हैं उन्हें बन्द कर दिया जाए इससे गरीब लोगों को कानूनी शिक्षा प्राप्त करने की सुविधाएं प्राप्त नहीं होगी, अतः यह बहुत गम्भीर विषय है। एक तरफ तो आप योग्यता चाहते हैं और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि शिक्षा प्रत्येक घर-परिवार तक पहुंचनी चाहिए। दूसरी तरफ आप कम से कम शिक्षा के क्षेत्र में ऐसी स्थिति उत्पन्न करना चाहते हैं कि केवल विशिष्ट वर्ग के लोग और वे लोग जो शिक्षा प्राप्त करने में समर्थ हैं, यह शिक्षा प्राप्त करें और जो दिन में स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने में समर्थ नहीं हैं, वह अनुवर्ती शिक्षा के अवसरों से वंचित रह जाते हैं। कम से कम जिला क्षेत्रों के कालिजों को कानूनी शिक्षा प्रदान करने के लिए खोला जाना चाहिए।

यह गम्भीर विषय है जो राष्ट्रीय स्तर पर घटित हो रहे हैं और मेरा यह नम्र निवेदन है कि वर्तमान स्थितियों के अनुकूल और हमारे राष्ट्र के भूत, वर्तमान और भविष्य से सम्बन्धित नीतियों के निर्धारण पर पुनःविचार, किया जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

धन्यवाद।

शिक्षा, संस्कृति और समाज कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल): माननीय सदस्यों ने शिक्षा नीति के और उसके विभिन्न क्षेत्रों में कार्यान्वियन के बारे में अत्यन्त महत्वपूर्ण मुद्दे प्रस्तुत किए हैं। मैं विविध रचनात्मक सुझावों के लिए आभारी हूं। कुछ आलोचनाएं अपर्याप्त जानकारी से उत्पन्न होती है, तथापि कुछ अवबोधन से उत्पन्न होती है। इस बारे में संचित अनुभवों के ताजा मूल्यांकन और विचारों के आदान-प्रदान की आवश्यकता होती है।

मैं यह देखकर खुश नहीं हूं कि जिन्होंने मुझसे प्रश्न पूछने वाले और वे लोग जिन्होंने इस विषय पर बोला था, सदन में उपस्थित नहीं हैं। परन्तु फिर भी मुझे अपना कर्त्तव्य पूरा करना है।...

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : आपको प्रसन्न होना चाहिए कि जिन्होंने इस विषय पर नहीं बोला था, वह भी उपस्थित हैं।

श्रीमती शीला कौल : मैं आपकी आभारी हूं।

हमारी शिक्षा प्रणाली का सर्वप्रमुख उद्देश्य लोगों को भारत के विषय में चिन्तनशील बनाना है—उसके विकास, एकीकरण और समृद्धि के विषय में सोचना है जिससे सब लोग समान रूप से उन का लाभ उठा सकें और सामाजिक न्याय प्राप्त कर सक। हमें अपने नवयुवकों के व्यक्तित्व के सर्वांग विकास की भी आवश्यकता है ताकि उनमें उन महान् आदर्शों और मूल्यों का समावेश किया जा सके जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हमने प्राप्त किए थे। भारत को अपनी ऊँची प्रतिष्ठा और राष्ट्रों के सौहार्द के बीच खड़े होने, तकनीकी

उन्नति का विशेष योगदान और अन्तर्राष्ट्रीय मेल-मिलाप, शान्ति, मानव एकता को कायम रखने की आवश्यकता है।

शिक्षा मंत्रालय ने कुछ क्षेत्रों में जो जोरदार प्रयास किए हैं कुछ माननीय सदस्यों ने उनका उल्लेख किया है। मैं उनमें से कुछ सदस्यों का साधारण रूप से उल्लेख करूंगी जिन्होंने प्रयत्क्ष रूप से अथवा निहितार्थ रूप से माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए विशेष मुद्दों को स्पष्ट किया उनका उत्तर दिया।

भारत में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण समस्याएं हैं—यहां मैं प्रोफेसर सोज से निवेदन करूंगी। कि वह कृपया ध्यान से मुझे सुनें। मैं उन्हें बहुत ध्यान से सुन रही थी — (1) प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापक बनाना और 15 से 35 वर्ष की आयु वर्ग के प्रौढ़ों में निरक्षरता समाप्त करना (2) सभी जगह पर शिक्षा के स्तर को बनाये रखना और उन्हें ऊंचा उठाना (3) तकनीकी प्रगति की चुनौती को स्वीकार करना और (4) शिक्षा को राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय विकास के लिए साधन के रूप में प्रयोग करना।

विचाराधीन वर्ष के दौरान सरकार ने ऊपर लिखित सभी पहलुओं के बारे में अनेक कदम उठाए हैं।

विद्यालयों में दाखिले की वर्तमान स्थिति यह है कि अतिरिक्त पंजीयन लक्ष्यों सहित, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान दाखिलों के वास्तविक लक्ष्य अर्थात् 1080 लाख छात्रों के दाखिल करने का लक्ष्य न केवल प्राप्त कर लिया जाएगा अपितु उससे भी आगे बढ़ जाएंगे। मध्यावधि जानकारी के अनुसार अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के अधीन दाखिल किए गए बच्चों सहित छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 6—14 वर्ष की आयु वर्ग के 1160 लाख बच्चों का नाम दर्ज किया जाएगा। आगे यह बताया गया है कि दस राज्यों और 8 संघ शासित क्षेत्रों में प्राथमिक अवस्था (कक्षाएं 1—5; वय वर्ग 6—11) तक 95 प्रतिशत नाम दर्ज करने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। 13 राज्यों और 7 संघ शासित क्षेत्रों में माध्यमिक अवस्था (कक्षा 6—8, वय वर्ग 11—14) तक 50 प्रतिशत पंजीयन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। यद्यपि स्थिति सन्तोषजनक लगती है, लेकिन प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं में विद्यालय छोड़कर चले जाने वालों की संख्या से हमें पर्याप्त चिन्ता होती है और हमारे प्रयास यही रहेंगे कि बच्चों के विद्यालय छोड़कर चले जाने की संख्या कम हो और अधिकाधिक बच्चों को विद्यालय में रखा जाए। यह आपकी भी चिन्ता का विषय था।

माननीय सदस्य जानते हैं कि सरकार ने सर्वजनीन प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के कार्य को उच्च प्राथमिकता प्रदान की है। तथापि, इस क्षेत्र में बहुत संसाधनों को जुटाने के बाद भी, सर्वजनीन शिक्षा प्रदान करने के लक्ष्य को अभी तक प्राप्त नहीं किया गया है। सामाजिक-आर्थिक कारण और जनसंख्या में वृद्धि शिक्षा की सर्वजनीन व्यवस्था करना निरन्तर कठिन होता जा रहा है। अतः, सरकार ने अनौपचारिक शिक्षा को बहुत ही उच्च प्राथमिकता प्रदान करने का निर्णय लिया है। इस नीति से उन विशेष

समस्याओं वाले, जनसंख्या वर्गों के लिए जो कि उनको विद्यालयों में दाखिल होने और शिक्षा से भी वंचित रखती है, शिक्षा के रास्ते खुल जाएंगे। मेरा मन्त्रालय शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए नौ राज्यों को इस क्षेत्र में उदारता पूर्वक सहायता दे रहा है जिसके परिणाम-स्वरूप 1980-81 में 61.38 लाख रुपए की सहायता की मात्रा 1983-84 में बढ़कर 731.62 लाख हो गई है अर्थात् 12 गुना बढ़ गई है।

माननीय सदस्यों ने, प्रौढ़ निरक्षरता की बढ़ती दर को रोकने और उन्हें साक्षर बनाने के प्रयासों में स्वैच्छिक संगठनों को शामिल करने की आवश्यकता को देखते हुए व्यावहारिक साक्षरता केन्द्रों की स्थापना करने हेतु राज्य सरकारों को बढ़ी हुई केन्द्रीय सहायता की आवश्यकता के प्रति अपनी चिन्ता व्यक्त की है। सरकार ने 15-35 के वय वर्ग में साक्षरता प्रसार कार्यक्रम को उच्च प्राथमिकता प्रदान की है, और इसे शिक्षा को सर्व-व्यापक बनाने के उद्देश्य को प्राप्त करने की एक प्रमुख रणनीति के रूप में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और नए 20—सूत्री कार्यक्रम दोनों में ही सम्मिलित किया गया है। 125 करोड़ रुपए के छठी योजना परिव्यय में से 60 करोड़ रुपए केन्द्रीय क्षेत्र में और 61 करोड़ रुपए राज्य क्षेत्र में प्रदान किए गए हैं। छठी पंचवर्षीय योजना के प्रथम चार वर्षों में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग डेढ़ करोड़ प्रौढ़ निरक्षरों का पंजीयन किया गया है।

इस सम्बन्ध में, मैं एक उदाहरण भी देना चाहूंगी, क्योंकि मैं केवल प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में रुचि रखती थी और मन्त्री बनने से पहले मैं स्वय अपने कार्यक्रमों के कार्यों को देखने जाती थी। वहां पर मैं एक युवा लड़की से मिली, वह कोई 23-24 वर्ष की होगा और मैंने वहां उससे पूछा क्या वह कभी प्रौढ़ साक्षरता कक्षाओं में पढ़ने हेतु विद्यालय में गई है—तो उसने कहा 'हां।' आप ऐसा क्यों कहते हैं 'आप पढ़ना सीखना चाहते हैं।' तो वह मुस्कराई और बोली : 'बहन जी पहले हमारे पति को जो चिट्ठी आती थी, वह हमको पढ़ानी पड़ती थी, लेकिन अब हम खुद पढ़ लेते हैं। हम उनको चिट्ठी लिखते हैं वे हमको चिट्ठी लिखते हैं।' यह फायदा पढ़ने का है। आप कहते हैं कि इसको सकेंच कर दें, हम कैसे सकेंच करें। कैसे वह खुद पढ़ेंगी।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : उस पर तो अलग बहस करेंगे।

श्रीमती शीला कौल : 1983-84 के वर्ष में महिलाओं और समाज के कमजोर वर्गों को शिक्षा के और अधिक अवसर प्रदान करने के प्रयास किए गए हैं, जो कि विशेष वर्ग समूह में आते हैं और मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 1983-84 में जिन कुल सीखने/पढ़ने वालों को प्रवेश दिया गया था उनमें से 49 प्रतिशत महिलाएं थीं, जिनमें से 29 प्रतिशत अनुसूचित जातियों की थीं और 16 प्रतिशत अनुसूचित जन-जातियों की। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों की माँग मुख्यतया ग्रामीण क्षेत्रों में थी।

वर्ष 1983-84 के दौरान, साक्षरता अभियान में स्वैच्छित संगठनों की भागीदार

बनने के काम में पर्याप्त विस्तार हुआ है: 1983-84 में 6900 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों को चलाने के लिए 133 स्वैच्छिक अभिकरणों द्वारा की गई सहायता के मुकाबले, इस वर्ष 10,965 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों को चलाने हेतु 264 स्वैच्छिक अभिकरणों को 2.01 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की गई थी।

7.45 म०प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

वित्तीय सहायता की योजना किसी भी प्रकार के दुराचार एवं धन की धोखाधड़ी के विरुद्ध आवश्यक सुरक्षा प्रदान करती है और मैं सदस्यों को आश्वासन देती हूं कि यदि ऐसी कोई शिकायत मिलती है तो कार्यवाही की जाएगी। मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहूंगी कि साक्षरत मेघाओं को बनाए रखने के विचार से उन साक्षरता प्राप्ति के बाद अनुवर्ती कार्यक्रमों को प्राथमिकता प्रदान की गई है जिसके लिए भारत सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है। सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि प्रशिक्षकों का पारिश्रमिक इस वर्ष 50 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपया प्रतिमास कर दिया गया है और अध्ययन सामग्री और उपस्कर व्यवहारिक लागत को भी संशोधित करके बढ़ा दिया गया है। परिशोधित दरों को प्रथम फरवरी, 1984 से लागू किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह जान लेने पर कि लड़कियों और प्रौढ़ महिलाओं के बहुत कम पंजीयन/प्रवेश के कारण, साक्षरता और प्राथमिक शिक्षा की सर्वव्यापकता की प्रगति अवरूद्ध हो रही हैं तो, शैक्षिक रूप से पिछड़े नौ राज्यों में, केवल लड़कियों के लिए अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र खोलने के लिए भारत सरकार ने अपनी केन्द्रीय सहायता की मात्रा में 90 प्रतिशत की वृद्धि कर दी है। वर्ष 1983-84 में शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों में प्राथमिक स्तर पर 10,000 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता की अनुमति दे दी गई है।

1983-84 के दौरान चालू की गई एक अन्य योजना के अधीन भी भारत सरकार शैक्षिक रूप से पिछड़े नौ राज्यों को 80:20 की सहभागिता के आधार पर 800 अध्यापिकाओं की प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्ति हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

राज्य सरकारों द्वारा विद्यालयों में प्रवेश का बढ़ावा देने की जो कुछ प्रेरणादायक महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही हैं, वे हैं—निःशुल्क पुस्तकें और लेखन सामग्री, निःशुल्क वर्दियां विशेषता लड़कियों के लिए तथा दोपहर का भोजन कार्यक्रम। निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की सुविधा 140 लाख छात्रों तक और दोपहर के भोजन की सुविधा 180 लाख छात्रों तक बढ़ा दी गई है। मुझे पूरा विश्वास है कि इन योजनाओं को और भी अधिक बढ़ावा मिलेगा। कुछ माननीय सदस्यों ने यह देखा है कि वयस्क लोग बच्चों के भोजन पर हाथ साफ कर रहे हैं। आप कर भी क्या सकते हैं? यह उनका स्वयं का विवेक ही है जो उन्हें यह दिखाए और समझाए कि वे गलत काम कर रहे हैं।

महोदय, 1983-84 में पहली बार लड़कियों और प्रौढ़ महिलाओं के स्कूलों में नाम दर्ज करने के मामले में बढ़िया कार्य करने हेतु राज्यों को प्रोत्साहनों और पुरस्कार देने की एक केन्द्रीय योजना चलाई गई थी। विद्यालयों और अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों में 6-14 वय वर्ग की लड़कियों के पंजीयन सम्बन्धी सर्वोत्तम कार्य करने के लिए 7 करोड़ रुपए की राशि अलग रख दी गई थी। इसी प्रकार महिलाओं में प्रौढ़ साक्षरता की सर्वोत्तम निष्पादकता हेतु भी, 3 करोड़ रुपये की धनराशि अलग से रख दी गई थी। प्राथमिक शिक्षा में राज्य स्तर के पुरस्कार केरल, पंजाब और महाराष्ट्र को दिए गए हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को अनौपचारिक शिक्षा के और तमिलनाडु, बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को प्रौढ़ शिक्षा के लिए पुरस्कार दिए गए हैं। इसी प्रकार सर्वश्रेष्ठ पंचायत, विकास खण्डों, जिलों और प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों के पुरस्कार अनुपातिक रूप से सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को दिए गए हैं।

शिक्षा के स्तर में सुधार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक हैं अध्यापक। फरवरी, 1983 में सरकार ने अध्यापकों को लेकर दो राष्ट्रीय आयोगों की नियुक्ति की थी—एक विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी और दूसरा उच्च शिक्षा सम्बन्धी—जिन्हें अध्यापक समुदाय से सम्बद्ध विभिन्न संगत पहलुओं पर सरकार को सलाह देनी थी। दोनों ही आयोग वर्ष भर बहुत ही सक्रिय रहे हैं और संस्थाओं के दौरे करके, संगोष्ठियों, सम्मेलनों, नमूना सर्वेक्षणों के द्वारा अध्यापक समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले वर्ग से बात-चीत और साक्षत्कार किया है और आज कल एकत्र आंकड़ों के विश्लेषण में संलग्न हैं और अपनी सिफारिशें तैयार कर रहे हैं। ऐसी आशा की जाती है कि इन दोनों आयोगों के प्रतिवेदनों से अध्यापकों की समस्याओं को समझने, पहचानने में तथा अध्यापन व्यवसाय में सर्वाधिक मेधावी लोगों को आकृष्ट करने के रास्तों और साधनों का पता चलेगा जिससे उनकी इस क्षेत्र में रुचि रहे और निश्चित अवधि के बाद उनकी व्यावसायिक योग्यता को और बढ़ाया जा सके।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : यह आयोग अब अध्यापकों के लिए क्यों बिठाया गया है और शिक्षा सम्बन्धी क्यों नहीं गठित किया गया। अभी तक तो शिक्षा आयोग बिठाये जाते रहे हैं। इस बार आपने यह आयोग अध्यापकों के लिए क्यों बिठाया है ?

श्रीमती शीला कौल : क्योंकि अध्यपकों ने इसकी मांग की थी। उनकी यह मांग थी।

प्रो० सत्य साधन चक्रवर्ती : मैं भी अध्यापक समुदाय से हूं और मुझे उनकी मांगों का ज्ञान है। केवल चुने हुए प्रतिनिधि बुलाए गए थे। ऐसा डर है कि इसका उद्देश्य ही विफल न हो जाए।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : एक सदस्य ने त्याग पत्र दे दिया है, जिसका नाम है श्री अनिल सदगोपाल।

श्रीमती शीला कौल : हमें उससे खुशी नहीं है, लेकिन उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। यह उनकी मर्जी है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : उन्होंने आयोग के कार्यकरण और कार्यक्रम की गुणवत्ता के बारे में कुछ आरोप लगाए हैं।

श्रीमती शीला कौल : उन्होंने इस बारे में मुझे नहीं लिखा है।

महोदय, शिक्षण कार्यक्रमों को पूरक बनाने और जो लोग स्कूल जाने में समर्थ नहीं हैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रेडियो और दूरदर्शन के प्रयोग को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। शैक्षिक प्रयोजन के लिए दूरदर्शन और रेडियो द्वारा शैक्षिक कार्यों के लिए इन्सेट के व्यापक प्रयोग की विशाल परियोजना को कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अधीन, प्रथम चरण में, छह राज्यों आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा उड़ीसा, को शामिल किया गया है। इनमें से प्रत्येक राज्य में अस्थायी स्टूडियो बनाए गए हैं जिनके वर्ष 1984 के अन्त तक कार्य आरम्भ करने की सम्भावना है। किन्तु कार्यक्रमों को पूरी तरह तैयार करने और उनका कार्यान्वयन वर्ष 1986 की समाप्ति तक हो सकेगा जबकि इन राज्यों में स्थायी स्टूडियो का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। इस प्रयोजन के लिए रूप-रेखा, नियंत्रण और कार्यक्रम को समन्वित करने के लिए शिक्षा मन्त्रालय ने दिल्ली में केन्द्रीय प्रौद्योगिकी शिक्षा संस्थान का गठन किया है।

श्री बरो चले गए हैं, वे चाहते थे कि कम्प्यूटर शिक्षा के बारे मे मैं कुछ कहूं और उन्होंने कम्प्यूटर स्कूलों के बारे में कहा था।

इलैक्ट्रानिकी के क्षेत्र में तीव्र प्रगति हो रही है और माइक्रो प्रोसेसर्स से समाज को नई जानकारी मिल रही है और उसमें कम्प्यूटरों की सक्रिय भूमिका होगी।

यह निश्चित करने के लिए कि इस सूचना-क्रांति में भारत पीछे नहीं है, मन्त्रालय इलेक्ट्रोनिकी विभाग के निकट सहयोग से स्कूली बच्चों के लिए कम्प्यूटर साक्षरता कार्यक्रम तैयार कर रहा है।

अब, इस कार्यक्रम को आरम्भ करने से पहले यह प्रस्ताव है कि इन कम्प्यूटरों के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाए और हम आवश्यक 'साफ्टवेयर' भी उत्पन्न करें। उन्होंने उल्लेख किया है कि शायद माध्यम केवल अंग्रेजी ही हो। मैं कहती हूं कि लघु कम्प्यूटरों के द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में भी शिक्षा दी जाएगी। मैं उल्लेख करना चाहूंगी कि शुरू में हो सकता है कि अंग्रेजी ही इसका माध्यम रहे, किन्तु बाद में यह अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी शुरु हो जायेंगे।

कम्प्यूटर शिक्षा के लिए अनेक संस्थाओं में स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा तथा मास्टर स्तर पर नवीन कार्यक्रमों को आरम्भ किया गया है। तकनीकी शिक्षा की नवीन

योजना के अधीन, इलेक्ट्रानिकी के पाठ्यक्रमों में सुधार के लिए 23 संस्थाओं तथा कम्प्यूटर विज्ञान और इंजीनियरी के पाठ्यक्रमों में सुधार के लिए 26 संस्थाओं को सहायता दी गई है। सूक्ष्म संसाधनों, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान, सूक्ष्म इलेक्ट्रोनिकी, जीव-परिवर्तन, लेसर प्रौद्योगिकी, पर्यावरणीय विज्ञान, जल संसाधन इंजीनियरी इत्यादि जैसे प्रगतिशील प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनेक संस्थाओं को प्रोत्साहन दिया गया है।

अब हमारा बहुत कुछ मतलब पाठ्य पुस्तकों के पुनरीक्षण से भी है। राष्ट्रीय अखण्डता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा देने हेतु मन्त्रालय निरन्तर प्रयास कर रहा है। हमने सम्पूर्ण देश के स्कूलों में प्रयोग की जाने वाली पाठ्य-पुस्तकों के पुनरीक्षण का कार्य शुरू किया है। प्रथम चरण में भाषा तथा इतिहास की पुस्तकों को लिया है ताकि यह पता चल सके कि पाठ्य-पुस्तकों में ऐसा कोई विषय तो नहीं है जो राष्ट्रीय अखण्डता की भावना के प्रतिकूल सिद्ध होता हो। पुस्तकों का पुनरीक्षण प्रत्येक राज्य में विशेषज्ञों के दल कर रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा के लिए इसी प्रकार के विशेषज्ञों के दलों का गठन किया गया है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एन०सी०ई०आर०टी०) तथा अनेक राज्यों ने यह कार्य पहले ही पूरा कर लिया है। मन्त्रालय प्रयास कर रहा है कि यह कार्य समय पर पूरा हो सके ताकि छात्रों को 1984-85 के सत्र के लिए अपनी पुस्तकों में इस प्रकार का संवीक्षा की हुई सामग्री प्राप्त हो सके। इस सन्दर्भ में मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य-गण यह जानकर प्रसन्न होंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने पाठ्य-पुस्तकों को समय पर प्रकाशित करने और उन्हें उपलब्ध कराने का कार्य सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : क्या आप यह बताने की कृपा करेंगी कि वे कौन-कौन से राज्य हैं जिन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की पुस्तकें नहीं अपनाई हैं ? पिछली बार आपने महाराष्ट्र में एक पुस्तक आरम्भ की थी और इतिहास की पुस्तक में कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां थीं।

श्रीमती शीला कौल : गोआ में भी कुछ इसी तरह का मामला था। वहां उन्होंने हजरत मोहम्मद का उल्लेख किया था। बताया गया था कि वे मक्का से भाग गए थे। "भाग गए" शब्दों का प्रयोग करना उचित नहीं था। वह उग्रवादिता थी।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की पाठ्य-पुस्तकें जहां प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों पर अपनाई गई है, वहां यह उच्चतर माध्यमिक स्तर पर भी अपनानी होगी। क्या आप हमें बता सकती हैं कि वे कौन से राज्य हैं जिन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की पाठ्य-पुस्तकों को अपनाने से मना किया है।

श्रीमती शीला कौल : कुछ ऐसे राज्य हैं, जो अपनी निजी पाठ्य-पुस्तकें रखना चाहते हैं। उनसे इस बारे में कहने से कोई लाभ नहीं है।

प्रो० सत्य साधन चक्रवर्ती : आपकी जानकारी के लिए, जब हमने आपके राज्य में एन०सी०ई०आर०टी० की पाठ्य-पुस्तके आरम्भ की तो आपके दल के सदस्यों ने राज्य में इसका विरोध किया था। कृपया अपने दल के सदस्यों से कहे कि वे इसका विरोध न करें। हम अखिल भारतीय प्रणाली का अनुसरण करने का प्रयास कर रहे हैं। कृपया इस मामले की जाँच करें।

श्रीमती शीला कौल : हम इसकी जाँच करेंगे। इसी प्रकार, अब मन्त्रालय ने देश के समस्त स्कूलों में प्रचलित इतिहास की पुस्तकों का पुनरीक्षण करने का निर्णय किया है ताकि यह पता लग सके कि उसमे स्वतन्त्रता सग्राम का समुचित विस्तृत विवरण है। समझा जाता है कि इससे हमारे राष्ट्रीय नेताओं और स्वतन्त्रता सेनानियों द्वारा दिए गए विस्मय-कारी बलिदान को महसूस करने में छात्रों को सहायता मिलेगी। मन्त्रालय इसे समय-बद्ध कार्यक्रम के रूप में चला रहा है।

अब, पिछले वर्ष हमारे पास एक विशेष कार्यक्रम था तथा वर्ष के दौरान राष्ट्रीय अखण्डता को बढ़ावा देने के लिए समूह-गान की एक नई योजना भी शुरु की गई है।

शिक्षा राष्ट्रीय विकास का एक महत्वपूर्ण साधन है। स्कूल-पाठ्यपुस्तकों में समाज के लिए लाभदायक रचनात्मक कार्य की अवधारणा एक अनिवार्य भाग के रूप में बनाई गई है। शिक्षा और विकास के बीच सम्बन्धों को सुधारने के लिए सरकार ने अनेकों उपाय किये हैं। उनमें पहले उपाय में माध्यमिक शिक्षा की रफ्तार को व्यावसायिक-दिशा की ओर ले जाया जाता है। भारत सरकार +2 के स्तर पर अधिसंख्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को आरम्भ करने के समर्थन की नीति का पूरी तरह विस्तार कर रही है। इस नीति का कारगर ढंग से कार्यान्वयन करना राज्यों पर निर्भर हैं। मैं आशा करता हूं कि सातवीं योजना में व्यावसायिक शिक्षा के प्रसार में मंत्रालय के लिए और अधिक प्रत्यक्ष भूमिका निभाना सम्भव हो सकेगा। वर्ष के दौरान, शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में एक अन्तर मन्त्रालय परिचालन समिति का गठन किया गया है और सभी राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में योजना के कार्यान्यिवन का निरीक्षण करना है। वर्ष के दौरान, शिक्षु अधिनियम, 1961 में संशोधन के लिए कदम उठाए गए हैं ताकि +2 की में व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त छात्र-छात्राओं को अधीन प्रशिक्षण दिया जा सके। वर्ष 1984-85 में लगभग 6,000 छात्रों को यह प्रशिक्षण दिया जा सकेगा। इसी बीच, वर्ष के दौरान् 6 महीने की अवधि का इसी प्रकार का प्रशिक्षण देने के लिए प्रायोगिक योजना शुरू की गई है। योजना के अधीन छात्रों को सम्बन्धित व्यावसायिक क्षेत्र में कार्य का अनुभव प्राप्त करते हुए 200/ रुपये प्रति माह के हिसाब से वृत्तिका दी जाती है। यह भी एक नया कार्य है जिसे हम करने का प्रयास कर रहे हैं।

यह भी उल्लेख किया गया था कि हिन्दी तथा भारतीय भाषाओं की प्रगति के लिए हम क्या कर रहे हैं। मन्त्रालय ने हाल ही में डिप्लोमा तथा इन्जीनियरी की डिग्री के स्तर

पर तकनीकी जनशक्ति की माँग का अग्रिम पता लगाने हेतु राष्ट्रीय जनशक्ति सूचना प्रणाली का गठन किया है ताकि तकनीकी जनशक्ति की पूर्ति और माँग के बीच विशेष अन्तर न रहे। इसका सम्बन्ध जनशक्ति से है और हम इसके बारे में जानकारी रखना चाहते हैं।

कुछ माननीय सदस्यों ने सभी राज्यों में त्रिभाषा सूत्र के कार्यान्वयन की आवश्कता पर बल दिया है और अहिन्दी-भाषी राज्यों में हिन्दी सीखने के महत्व का प्रभावकारी प्रचार आवश्यक बताया है। 1968 में संसद द्वारा स्वीकार की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति त्रिभाषा सूत्र के सम्बन्ध में हमारी पहुंच को स्पष्ट रूप से निर्धारित करती है। और मैंने श्री डागा को सूचित करना चाहा कि शिक्षा के बारे में हमारी जो राष्ट्रीय नीति है उसे वे हमेशा भूल जाते हैं और कहते रहते है कि शिक्षा के बारे में हमें राष्ट्रीय नीति अपनानी होगी। इस सूत्र के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से मन्त्रालय इस प्रकार की कई योजनाएं चला रहा है। सदस्यगणों की जानकारी के लिए मैं कह सकती हू कि हिन्दी-शिक्षकों की नियुक्ति योजना के अधीन अहिन्दी-भाषी राज्यों में अब तक एक लाख से अधिक शिक्षक नियुक्त किए जा चुके हैं। समस्त देश में अहिन्दी-भाषी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में उन्नीस प्रशिक्षण कालेजों की स्थापना की गई है जो 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्राप्त करते हैं। केन्द्रीय भारतीय भाषा सस्थान, जो भारतीय भाषाओं के विकास का समन्वय करता है और जिसने भाषा विकास से सम्बन्धित विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सुविज्ञता का निर्माण किया है, ने भाषा-विषयक वर्णन तथा भौतिक रचना के लिए 52 जनजातीय भाषाओं का कार्य लिया है।

जब त्रिभाषा सूत्र को राष्ट्रीय नीति के ढाँचे के रूप में स्वीकार किया गया है, तो मूल रूप से इसके कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। कुछ राज्य सरकारें इस सूत्र को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार संशोधित रूप में कार्यान्वित कर रही हैं। जैसा कि राष्ट्रीय नीति में रखा गया सभी राज्यों में त्रिभाषा सूत्र के कार्यान्वयन के महत्व को समझते हुए शिक्षा के केन्द्रीय सलाहाकार बोर्ड ने 6-7 जून 1983 को हुई अपनी बैठक में राज्य सरकारों से अनुरोध किया कि वे त्रिभाषा सूत्र के कार्यान्वयन के लिए प्रभावी पग उठाएं।

एक माननीय सदस्य : वे इसे कार्यान्वित नहीं कर रहे हैं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : हिन्दी क्षेत्रों में कितने अहिन्दी अध्यापकों की नियुक्ति की गई है ?

श्रीमती शीला कौल : उनकी नियुक्ति की जा रही है, हमने कुछ उर्दू तथा अन्य भाषाओं के अध्यापकों की नियुक्ति की है, किन्तु नियुक्तियां उतनी संख्या में नहीं की गई हैं, जितनी हम चाहते हैं।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : उनकी क्या संख्या है ? हमें आप आँकड़े दीजिए, यदि

इस समय आपके पास उपलब्ध नहीं हैं तो बाद में दे दीजिएगा।

श्रीमती शीला कौल : जैसाकि माननीय सदस्य जानते हैं, स्कूलों में भाषाओं के शिक्षण की हमारी नीति पूर्णतया त्रिभाषा सूत्र से निदेशित है। हमारा अब भी स्पष्ट रूप से यही विचार बना हुआ है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा के माध्यम से ही शिक्षा दी जानी चाहिए।

मंत्रालय की समुचित वित्तीय सहायता से वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग ने विज्ञान और मानविकी के लगभग 3,87,500 शब्दों की शब्दावली तैयार की है। इस योजना के अन्तर्गत क्षेत्रीय भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए सहायता दी गई और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के विभिन्न विषयों पर हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं में पहले ही 7739 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं।

माननीय सदस्यों ने महत्वपूर्ण ग्रन्थों का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद किया जाने तथा सुविख्यात लेखकों के ग्रन्थों को कम मूल्य पर उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। इस प्रसंग में यह कहा जा सकता है कि गत वर्ष प्रकाशित की गई लगभग 7,500 पुस्तकों में से 1,600 पुस्तकें क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित की गई थीं। इसके अलावा 'आदान-प्रदान' नामक विशेष परियोजना के अन्तर्गत प्रमुख भारतीय भाषाओं की महत्वपूर्ण पुस्तकों को देश की अन्य भाषाओं में प्रकाशित किया जाता है। इस शृंखला में 1982 के अन्त तक 579 पुस्तकों का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद प्रकाशित किया गया है।

मैं माननीय सदस्यों को यह जानकारी भी दूंगी कि नेशनल बुक ट्रस्ट, साहित्य अकादमी और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद सुविख्यात लेखकों की महत्वपूर्ण कृतियों के प्रकाशन तथा सामयिक सृजनात्मक कृतियों को कम मूल्य पर प्रकाशित करने के कार्य में संलग्न हैं।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : नेशनल बुक ट्रस्ट ने अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में पुस्तकें प्रकाशित नहीं की हैं। अन्य भारतीय भाषाओं की बात तो अलग रही, यहां तक कि हिन्दी की भी उपेक्षा की जा रही है।

श्रीमती शीला कौल : यह सही नहीं है। मैं आपको कुछ पुस्तकें भेजूंगी। आप उनको पढ़ सकते हैं।

नेशनल बुक ट्रस्ट ने "ए हिस्ट्री आफ फ्रीडम मूवमेंट फार चिल्ड्रन", "हाउ इंडिया वान हर फ्रीडम", "फ्रीडम स्ट्रगल", "द लाइफ आफ महात्मा गांधी" तथा इसी विषय पर कुछ अन्य पुस्तकें प्रकाशित की हैं।

संस्कृत जो कि संस्कृत की अखिल भारतीय भाषा है उसकी उन्नति करना सरकार का विशेष उत्तरदायित्व है और यह राष्ट्रीय एकता के लिए भी लाभदायक है। माननीय

सदस्यों को यह सूचना देते हुए मुझे प्रसन्नता होती है कि सातवां केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ 1983-84 में जयपुर राजस्थान में स्थापित किया गया अन्य छह संस्थाएं जम्मू, दिल्ली, इलाहाबाद, पुरी, तिरुपति और गुरुवयूर में पहले ही स्थापित की जा चुकी है। इन संस्थाओं में स्नातकोत्तर अध्ययन और अनुसन्धान तथा अध्यापकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था है।

अल्पसंख्यक जातियों तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को संस्कृत सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। स्वयंसेवी संस्कृत संगठनों को वित्तीय सहायता देने की योजना के अन्तर्गत बहुत से संस्कृत विद्यालयों को सहायता दी गई है।

1983-84 में ऐसे मदरसों और मकतबों का जहां अरबी-फारसी पढ़ाई जाती है। राष्ट्रीय सर्वेक्षण आरम्भ किया गया और 1984-85 के मध्य तक इसका पूरे हो जाने की आशा है। अरबी-फारसी पढ़ाने वाले 140 स्वयंसेवी संगठनों को भी सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है। मदरसों और मकतबों से पढ़ कर निकले छात्रों को आगे शिक्षा और अनुसन्धान के लिए 200 रु० प्रति मास की दर से दो वर्ष के लिए अनुसन्धान छात्रवृत्ति दी जाती है।

संस्कृत, अरबी, फारसी, पाली, प्राकृत और प्राचीन तमिल की पांडुलिपियों को एकत्रित करने के लिए 1983-84 में एक व्यापक कार्यक्रम आरम्भ किया गया। सरकार की आर्थिक सहायता से 63 अप्राप्य संस्कृत पुस्तकों को फोटो-आफसेट प्रक्रिया के द्वारा कम मूल्य पर प्रकाशित किया गया है। इसमें चारों वेद, वेदों की दुर्लभ शाखाएं, पुराण और संस्कृत साहित्य की विभिन्न शाखाओं के प्राचीन ग्रन्थ शामिल हैं।

माननीय सदस्यों ने विश्वविद्यालय की शिक्षा के बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं।

एक सामान्य मुद्दा यह उठाया गया है कि उच्चतर शिक्षा में छात्रों के प्रवेश में वृद्धि करने में विफलता क्यों रही। वास्तव में स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से भारत में उच्चतर शिक्षा का बहुत तेजी से विस्तार हुआ है। 1962 में प्रवेश लगभग 8 लाख था, जो 1982 में बढ़कर 32 लाख हो गया। गत दशक में 3.8 प्रतिशत औसत वृद्धि दर रही किन्तु हाल के वर्षों में इसमें काफी अधिक वृद्धि हुई अर्थात 1981-82 में 7 प्रतिशत। पूर्ण कालिक शिक्षा के संस्थापन को विनियमित करने तथा पत्राचार पाठ्यक्रमों जैसी शिक्षा की अनौपचारिक प्रणालियों में छात्रों के प्रवेश को प्रोत्साहन देने हेतु सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रयास किए गए हैं। नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना जो इस दिशा में एक पग है के प्रस्ताव के बारे में, मैं सभा को पहले ही बता चुकी हूं। यही सब कुछ हम करना चाहते हैं।

कुछ सदस्यों में व्यक्तिगत विश्वविद्यालयों/कालेजों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि करने के बारे में प्रश्न उठाया है । जैसा कि सदस्य जानते हैं, शिक्षा स्तरों को निश्चित करने और उनमें ताल-मेल बिठाने तथा व्यक्तिगत विश्वविद्यालयों को अपने कार्य पूर्ण करने के लिए अनुदान देने के लिए ही संसद ने एक अधिनियम के द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की है । छठी योजना में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों को उनके कार्यक्रमों के प्रकार उनके आकार, विकास की अवस्था और अन्य कारकों की दृष्टि से तीन समूहों में वर्गीकृत किया है और इनको क्रमश: । करोड़, 75 लाख और 50 लाख रुपए आवंटित किए जाएगे । उदाहरण के लिए कलकत्ता विश्वविद्यालय 1 करोड़ रुपए वाले वर्ग में आता है, मिथिला विश्वविद्यालय 75 लाख रु० वाले समूह में और के०एस० संस्कृत विश्वविद्यालय 50 लाख रु० वाले समूह में आता है । सहायता केवल उन्हीं विश्वविद्यालयों को दी जाती है, जो उसके उपयुक्त घोषित किए जाते हैं तथा उन्हीं कालेजों को, जो मान्यता प्राप्त होते हैं । शिक्षा स्तर के सुधार कार्यक्रमों के लिए अतिरिक्त सहायता भी दी जाती है ।

कुछ अन्य सदस्यों ने विश्वविद्यालय की पाठ्यचर्या में नए विषयों के समावेश, परीक्षा प्रणाली में सुधार, विश्वविद्यालयों के विभिन्न वर्गों यथा छात्र अध्यापक और कर्मचारी की मांगों और समस्याओं के बारे में प्रश्न उठाए हैं । यह स्वीकार करना होगा कि इनमें से बहुत से विषय ऐसे हैं जिनसे शिक्षा से सम्बन्धित समुदाय को ही निपटना होगा । विश्वविद्यालयों की पाठचर्या, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों यदि कोई दिए गए हों—के अनुसार विद्या परिषद (अकादमिक काऊंसिल) द्वारा तैयार की जाती है । इतिहास की पाठ्य-पुस्तकों आदि की पुनरीक्षा के सम्बन्ध में पूर्व स्नातक कार्यक्रमों के पुनर्गठन के बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं । परीक्षा प्रणाली में सुधार भी एक शिक्षा सम्बन्धी विषय है और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष ने हाल ही में कुलपतियों को परीक्षा-सुधार का निम्नतम कार्यक्रम—जिसका एक पहलू परीक्षाओं का उचित संचालन भी है--अपनाने के लिए लिखा है । केन्द्रीय सरकार ने परीक्षाओं के संचालन के बारे में हाल ही में दिशा-निर्देश परिचालित किए हैं जो स्कूल, कालेज और विश्वविद्यालय सभी की परीक्षाओं पर लागू होते हैं । जहां तक छात्र-अनुशासन हीनता का सम्बन्ध है, यह एक व्यापक समस्या है किन्तु बहुत से मामलों में यह पाया गया है कि इनका कारण कोई स्थानीय समस्या होती है और यदि उपयुक्त दृढ़ता और सहानुभूति के साथ उससे निपटा जाए तो यह बढ़ेगी नहीं । संयोगवश, जहां तक छात्रों के आचरण का सम्बन्ध है, केन्द्रीय सरकार ने 1982-83 और 1983-84 में शैक्षणिक संस्थाओं में 'रैगिंग' को रोकने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए जिनके अनुसार इस प्रकार की बुरी गतिविधियों में भाग लेने वाले छात्रों को उस शैक्षणिक संस्था में निकाले जाने की भी व्यवस्था है । ये दिशा-निर्देश का अनुच्छेद है और इसका स्पष्ट प्रभाव पड़ा है । जहां तक अध्यापकों की मांगों का सम्बन्ध है, मैंने पहले भी सभा को बताया था कि कालेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के वेतन-मान के प्रश्न

पर विचार करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने प्रो० मल्होत्रा की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : यह बहुत अच्छा है। प्रतिवेदन आने की आपको कब तक आशा है ?

श्रीमती शीला कौल : जब वे अपना कार्य समाप्त कर लेंगे।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : आप इसे शीघ्र दिलाने का प्रयास कीजिए।

श्रीमती शीला कौल : मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान तथा अन्य प्रौद्योगिक संस्थानों के शिक्षकों के वेतनमान पर विचार करने के लिए भी एक समिति स्थापित की जा रही है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान सहित तकनीकी संस्थाओं के शिक्षकों के वेतनमानों की जाँच करने और उनके बारे में सिफारिशें करने के लिए अल्प समिति बनाई जा रही है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शिक्षकों के लिए व्यक्तिगत पदोन्नति योजना को कार्यान्वित करने के लिए भी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान से पहले कहा जा चुका है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशकों द्वारा कार्यान्वियन के विभिन्न पहलुओं के बारे में कुछ स्पष्टीकरण मांगे गए हैं और उनका समाधान किया जा रहा है। उच्चतर शिक्षा सस्थाओं द्वारा लिया जाने वाला शिक्षा शुल्क और अन्य प्रकार के शुल्कों के विनिमयन का प्रावधान करने के लिए सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम में संशोधन करने का निर्णय किया है। श्री यादव आप इस बारे में जानना चाहते हैं। इस प्रावधान का उद्देश्य कुछ संस्थाओं, विशेषकर इन्जीनियरी महाविद्यालयों द्वारा लिये जाने वाले प्रति छात्र प्रवेशार्थ शुल्क को रोकना है क्योंकि हम चिकित्सा-महाविद्यालयों के लिए कुछ नही कर सकते। वे स्वास्थ्य मन्त्रालयों के अधीन आते हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम को इस उद्देश्य के लिए संशोधित करने वाला विधेयक राज्य सभा में पहले ही 22 मार्च, 1984 को प्रस्तुत किया जा चुका है। संशोधन करने वाले अधिनियम में एक एक ऐसा उपबन्ध भी शामिल किया गया है जिसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालय के समूहों के लाभ के लिए उन्हें सामान्य सुविधाएं सेवाएं और कार्यक्रम प्रदान करने के लिए संस्थान स्थापित कर सकेगा। तथा उन्हें वित्तीय सहायता दे सकेगा। इस संशोधित उपबन्ध से आयोग विश्वविद्यालय की डिग्री के स्तर को सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय परीक्षण सेवा को स्थापना कर सकेगा तथा ऐसी अनुसंधान सुविधाएं स्थापित करेगा जिनका कुछ विश्वविद्यालय सामान्य रूप से उपयोग करेंगे।

उन्नत प्रौद्योगिकी और भारतीय उद्योग में उनके प्रयोग की चुनौतियों का सामना करने में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सभी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के 'विजिटर' की हैसियत से राष्ट्रपति ने एक शिक्षा समीक्षा समिति बनाई है जो न केवल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की कार्यप्रणाली की पुनरीक्षा करेगी वरन्

ऐसे दिशा-निर्देशों की सिफारिश भी करेगी जिनके अनुसार उच्च अध्ययन और अनुसंधान के लिए इन संस्थाओं का आगे विकास किया जाना चाहिए। समिति का प्रतिवेदन हमारे औद्योगिक विकास के संगत सरकार को प्रौद्योगिकी के नए कार्यक्षेत्रों में शिक्षा प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए सुविधाएं प्रदान करने के लिए कदम उठाने में सहायता करेगा। तथा जनवरी 1983 के प्रौद्योगिकी सम्बन्धी नीति वक्तव्य के अनुरूप होगा।

मेरा मन्त्रालय इसके लिए बहुत उत्सुक है कि तकनीकी शिक्षा को केवल उद्योगों की समस्याओं का ही समाधान नहीं करना चाहिए वरन् ग्रामीण क्षेत्र तथा ग्राम समाज की समस्याओं से समाधान में भी प्रासंगिक होना चाहिए। 36 पोलीटैकनिक, ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं को सुलझाने, ग्रामीण समस्याओं के सम्बन्ध में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रयोग के लिए माडल विकसित करने, उपयुक्त नई प्रौद्योगिकी अपनाने तथा उसका अन्तरण करने, ग्रामीण लोगों को आवश्यक तकनीकी प्रशिक्षण देने तथा एकीकृत ग्रामीण विकास के लिए सरकारी/गैर-सरकारी एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करने के कार्य में निरंतर क्रियाशील हैं। श्री नगर में जून, 1983 को हुए एक राष्ट्रीय सम्मेलन ने इन पोलीटैकनिकों के काम-काज की समीक्षा की है तथा सिफारिश की है कि समुदाय पोलीटैकनिक के रूप में और अधिक पोलीटैकनिक खोलकर इस योजना का और आगे विस्तार किया जाना चाहिए।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान सरकार ने अहमदाबाद, बंगलौर तथा कलकत्ता स्थित भारतीय प्रबन्ध संस्थानों के कार्यकरण की समीक्षा के लिए नियुक्त समिति की रिपोर्ट की जांच की है तथा अधिकतर सिफारिशें स्वीकार कर ली है। उनकी एक मुख्य सिफारिश को क्रियारूप देने के लिए सरकार ने लखनऊ में चौथा भारतीय प्रबन्ध संस्थान स्थापित करने का निर्णय किया है। शिक्षा मन्त्रालय के प्रशासनिक नियंत्राधीन 'दी एजूकेशनल कन्सलटेंट्स इन्डिया लिमिटेड' नामक एक सरकारी क्षेत्र की कम्पनी को इस नए भारतीय प्रबन्ध संस्थान की परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का काम सौंपा गया है। ऐसी आशा है कि नए भारतीय प्रबन्ध संस्थान की स्थापना से उत्तरी क्षेत्र की उच्चतम स्तर पर प्रबन्ध में शिक्षा तथा शोध के लिए सुविधाओं की लम्बी समय से चली आ रही मांग पूरी हो जाएगी।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : महोदया, आप लगभग सभी महत्वपूर्ण मुद्दों का पहले ही उत्तर दे चुकी हैं, हम इसे पढ़ लिया मान सकते हैं।

श्रीमती शीला कौल : अब आप थकान महसूस कर करने लगे हैं। मैंने आपके विचार बड़े ध्यानपूर्वक सुने हैं। मैं समझती हूं कि आप भी मेरा उत्तर उसी प्रकार सुनें। अब केवल थोड़ा सा बाकी रह गया है।

कुछ माननीय सदस्यों ने पाठ्य पुस्तकों के लिए कागज की बात की थी। हमें पता है कि पाठ्य-पुस्तकों तथा कापियों में प्रयोग किए जाने वाले कागज की बढ़ती हुई कीमत

हमारे विद्यार्थियों पर बोझ बन रही है, जिनमें से अधिकतर गरीब परिवारों के होते हैं। हम प्रयत्न करते आ रहे हैं कि पाठ्य-पुस्तकों तथा कापियों के लिए जहां तक सम्भव हो सके अधिक से अधिक कागज उचित दामों पर कागज मिलों से प्राप्त किया जाए। मुझे इस बात की जानकारी है कि मिलों से कागज की सप्लाई सदैव नियमित नहीं रही है, लेकिन हम स्थिति की निरंतर समीक्षा कर रहे हैं तथा जैसे ही समस्याएं हमारे ध्यान में लाई जाती हैं, हम उनको हल करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, अनौपचारिक शिक्षा क्षेत्र में स्वीडन सहायता के अन्तर्गत 14 करोड़ रुपए मूल्य का कागज राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को अध्यापन-पाठन सामग्री में उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया है।

मैं अब समाप्त करने जा रही हूं, अब बहुत कम समय शेष है।

संस्कृति के बारे में मुझे अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपकी संस्कृति में रुचि नहीं है।

प्रो० रूप चन्द पाल (हुगली) : हमें कांग्रेस संस्कृति में कोई दिलचस्पी नहीं है।

श्री बूटा सिंह : आजकल वे सम्मेलन संस्कृति में बहुत रुचि ले रहे हैं।

श्रीमती शीला कौल : यदि सदस्यों ने इस बारे में विचार प्रकट किए होते तो मैं सदन को इस सम्बन्ध में सूचित करती।

मैं इस सदन को सूचित करना चाहूंगी कि पिछले एक वर्ष के दौरान हमने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को सुदृढ़ करने, प्रशासनिक मंडलों को 8 से बढ़ाकर 12 करने तथा कार्यक्रमों पर निगरानी के लिए पर्यवेक्षी स्तर पर पदों का सृजन करने के लिए विशेष प्रयास किए हैं। इन सभी कदमों से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारियों को सर्वेक्षण कार्यक्रमों को अधिक उत्साह से पूरा करने में सहायता मिली है। हजारीबाग के कुछ प्राचीन स्थलों के मामले में मैं आपको बता दूं कि इन स्थलों का पता एक छात्र ने अचानक लगाया था। अभी तक यह सिद्ध नहीं हुआ है कि भद्रकाली मन्दिर वास्तव में 2500 वर्ष पुराना है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिवेदन तथा अन्य बातोंके बारे में आपने कुछ भी नहीं कहा है। और आप संस्कृति पर आ गई हैं।

श्रीमती शीला कौल : धैर्य रखें, मैं उस पर आऊंगी। इस मन्त्रालय ने हस्तलिपियों को परिरक्षण और संरक्षण सम्बन्धी पुस्तकालयों के लिए विशेष कदम उठाए हैं। खुदाबाज ग्रंथालय तथा रामपुर रजा ग्रंथालय अरबी, फारसी तथा प्राच्य हस्तलिपियों को सुरक्षित रखने का कार्य कर रही हैं। इन संस्थाओं में नई जान डालने के लिए कदम उठाए गए हैं। मैं यह भी बता दूं कि हमने शिक्षा तथा संस्कृति में सामंजस्य स्थापित करने के लिए कार्यवाही आरम्भ कर दी है और उद्देश्य के लिए हमने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को

लिखा है कि वे सांस्कृतिक संस्थाओं को मान्यता प्रदान करें तथा उनकी सहायता करें।

माननीय सदस्यों ने सर विलियम जोन्स द्वारा 200 वर्ष पूर्व स्थापित की गई एशियाटिक सोसाईटी के काम-काज में गिरावट पर बहुत चिन्ता व्यक्त की थी। दोनों सदनों के समर्थन के फलस्वरूप, सोसाईटी को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने का एशियाटिक सोसाईटी विधेयक हाल ही में पारित किया गया है।

संग्रहालयों को दी जाने वाली सहायता योजना को काफी लचीला बना दिया गया है, ताकि इसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय संग्रहालय, क्षेत्रीय सग्रहालय आदि भी आ सकें। संग्रहालयों तथा सस्कृति विभाग के माध्यम से ही भारत में अद्वितीय प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया है। निर्गुट सम्मेलन के अवसर पर दक्षिण भारत की कांस्य-शिल्प प्रदर्शनी मन्दिरों में उपलब्ध सम्पत्ति के सम्बन्ध में आंख खोलने वाली थी। यह हमारे संग्रहालयों तथा लोगों का कार्य था। भारतीय सिक्कों की प्रदर्शनी भी इसी प्रकार अद्वितीय थी। इन प्रदर्शनियों तथा ब्रिटेन में 'फैस्टीवल आफ इण्डिया' के आयोजन का श्रेय संस्कृति विभाग को जाता है। अमरीका तथा फ्रांस में भी इसी तरह के उत्सव आयोजित किए जाएंगे।

मुझे यह सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि छठी योजना में सस्कृति विभाग ने तीन शिक्षावृतियां देने की योजना पहले ही आरम्भ कर दी है जिसका उद्देश्य रचनात्मक प्रतिभा को पुरष्कृत करना है। वर्ष 1983-84 के दौरान अवकाश-प्राप्त शिक्षावृति के रूप में 2000 रुपए के दस पुरस्कार दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, दरिद्रता की परिस्थितियों में कलाकारों को तथा संस्कृति के अनुरक्षण में कार्यरत स्वेच्छी संगठनों को सहायता प्रदान करने की अन्य योजनाएं भी हैं।

सदन को यह जानकर खुशी होगी कि 1982 तक हमने 64 करार किए। अब हमारे पास 70 सांस्कृतिक करार हैं, कुछ वर्ष पूर्व तक हम केवल 32 सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे थे। आज 39 देशों के साथ हमारे विभिन्न क्षेत्रों में नियमित कार्यक्रम हैं और इन देशों में कई समाजवादी देश शामिल है। श्री रामावतार शास्त्री तथा श्री यादव ने यह जानना चाहते थे। संस्कृति के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कार्य 1983-84 के दौरान राष्ट्रीय कला परिषद की स्थापना है। यह प्रधान मन्त्री के नेतृत्व तथा उनकी संस्कृति में दिलचस्पी तथा उसके प्रति समर्पण के कारण ही सम्भव हो पाया है। यह परिषद कला, पुरातत्व की संस्थाओं के काम-काज में समन्वय स्थापित करने तथा सांस्कृतिक धरोहर के अनुरक्षण में कार्यरत संस्थाओं तथा एजेंसियों की भावी योजनाओं तथा कार्यक्रमों के लिए दिशानिर्देश देने का कार्य करेगी।

माननीय सदस्यों ने मांग की है कि शिक्षा के लिए धन-राशि के आवंटन में वृद्धि होनी चाहिए तथा कुल बजट की तुलना में शिक्षा पर बजट खर्च की प्रतिशतता कम से कम

10 प्रतिशत बढ़ाई जानी चाहिए। उन्होंने योजना प्राथमिकताओं के ढांचे में शिक्षा को उच्च प्राथमिकता देने की भी बात कही है। शिक्षा के महत्व को उजागर करने के लिए मैं माननीय सदस्यों की आभारी हूं। प्रत्येक योजना अवधि में शिक्षा तथा संस्कृति में पूंजी निवेश वास्तव में निरन्तर बढ़ता जा रहा है। प्रथम पांच वर्षीय योजना में यह केवल 170 करोड़ रुपए था, दूसरी योजना में इसे बढ़ाकर 277 करोड़ रुपए, तीसरी योजना में 560 करोड़ रुपए, चौथी योजना में 822 करोड़ रुपए तथा पांचवीं योजना में 1285 करोड़ रुपए कर दिया गया, छठी योजना में 2524 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें से प्राथमिक शिक्षा पर होने वाला परिव्यय छठी योजना के कुल योजना परिव्यय का 36 प्रतिशत बैठता है। आवंटन निरन्तर बढ़ते जा रहे हैं। शिक्षा विकास के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आवंटित राशि काफी बढ़ा दी गई हैं। उदाहरण के लिए तकनीकी शिक्षा की सुविधाओं के प्रसार के महत्वपूर्ण क्षेत्र म वृद्धि गत वर्ष के 2.3 करोड़ रुपयों से बढ़कर 1984-85 के दौरान 5 करोड़ हो गई है। इंजीनियरिंग प्रयोगशालाओं तथा कार्यशालाओं के आधुनिकीकरण को महत्व देते हुए हमने गत वर्ष के 2.4 करोड़ रुपयों की तुलना में 4 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार, राष्ट्रीय एकता के लिए वृन्द-गान को एक आन्दोलन के रूप में महत्व को समझते हुए हमने इस वर्ष इसके लिए 40 लाख रुपए का प्रावधान किया है जबकि इसकी तुलना में गत वर्ष यह राशि इससे एक-तिहाई थी। शिक्षा के एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र, शिक्षा प्रणाली में शैक्षणिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग पर इस वर्ष अब तक का सर्वाधिक 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जबकि इसकी तुलनाएं चार वर्ष पूर्व प्रदान की गई राशि इसका एक चौथाई ही थी।

शिक्षा पर वार्षिक खर्च लगातार बढ़ रहा है, 1950-51 में 144 करोड़ रुपये से बढ़कर 1983-84 में 6,000 करोड़ रुपये हो गया है। देश के कुल बजट की तुलना में शिक्षा पर होने वाले बजट खर्च की प्रतिशतता 13.4 बैठती है। क्रमिक योजना अवधियों में योजनागत खर्च तथा गैर-योजनागत खर्च दोनों काफी बढ़ गए हैं। अनुमानत: राष्ट्रीय आय का 3.5 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च होता है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अनुपालन करते हुए जितनी जल्दी हो सके हमारा ध्येय 6 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त करना है।

प्रो० संफुद्दीन सोज : क्षमा कीजिए, प्रयुक्त 'जितनी जल्दी हो सके' शब्द ठीक नहीं है। आपको यह निश्चित तारीख बतानी चाहिए थी, जब तक आप उस लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। आपने कहा है, "जितनी जल्दी हो सके", आप यह कहें कि आमुक वर्ष तक हम इस पर 6 प्रतिशत खर्च करेंगे।

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : यह एक विकासशील देश है। आप इस प्रकार की आशा नहीं कर सकते।

प्रो० संफुद्दीन सोज : निश्चित आंकड़े होने चाहिए।

श्रीमती शीला कौल : हम नहीं जानते की आज की दुनिया में क्या हो सकता हैं, इसलिए हमें इस बारे में सतर्क रहना पड़ता है कि हमें क्या कहना है ।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : परन्तु इसमें आशा है, एक निश्चय है ।

श्रीमती शीला कौल : हम जो कुछ कह रहे हैं वह आशा ही तो है ।

सबके लिए शिक्षा, स्कूलों में सभी की पूरे वर्ष उपस्थिति, प्रौढ़ निरक्षरता को दूर करना तथा शिक्षा के स्तर में सुधार लाना, इन सभी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सातवीं योजना में उपयुक्त धन-राशि की व्यवस्था करने की आवश्यकता है । इसलिए, हम सातवीं योजना में अधिक धन-राशि का आवंटन करने के लिए अपने प्रयास जारी रखेंगे । इस कार्य के लिए शिक्षा और संस्कृति के लिए सातवीं योजना में शामिल किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों का सुझाव देने हेतु 12 कार्यकारी दल गठित किए गए हैं जिनमें शिक्षा के लिए संसाधन जुटाने वाला एक दल भी शामिल है ।

सी०ए०बी०ई० ने जून 1983 में हुए अपने 39 वें अधिवेशन में सिफारिश की कि केन्द्र और राज्य सरकारों को शिक्षा के लिए, विशेष रूप से प्राथमिक शिक्षा, लड़कियों की शिक्षा के लिए और निरक्षरता को समाप्त करने के लिए और अधिक तथा पर्याप्त धन राशि की व्यवस्था करनी चाहिए ।

एक महत्वपूर्ण क्षेत्र जिसके सम्बन्ध में धनराशि की व्यवस्था की जानी है, वह है इमारतों समेत शिक्षा के बुनियादी ढांचे में निवेश की बकाया राशि स्वीकृत करना । मैं इस सम्बन्ध में यह उल्लेख करना चाहती हूं कि मेरे मन्त्रालय ने आठवें वित्त आयोग को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है, जिसमें वित्त आयोग से सभी राज्यों को विशेष रूप से शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े राज्यों की पिछली बकाया राशियों को पूरा करने का अनुरोध किया गया है । माननीय सदस्यों को अब यह महसूस करेंगे कि हम यहां केवल बैठे नहीं हैं अपितु हम और अधिक राशि प्राप्त करने के लिए कार्यशील हैं, हम शिक्षा के स्तर को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, हम इस सम्बन्ध में जो कुछ भी कर सकते हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं ।

अन्त में मैं माननीय सदस्यों को यह आश्वासन देना चाहती हूं कि आपने हमारे लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं, हम उनकी प्राप्ति की दिशा में बहुत दृढ़ता से बढ़ रहे हैं, इन शब्दों के साथ मैं सभा से निवेदन करती हूं कि मेरे मन्त्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की माँगों को पास किया जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं सभी कटौती प्रस्तावों को सभा में मतदान के लिए रखता हूं ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : महोदय, मैंने भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के सम्बन्ध में एक प्रश्न पूछा था । "स्टेटसमैन" में इसके सम्बन्ध में बहुत सी आलोचनाएं की

गई हैं । उन्होंने कुछ लोगों, की नियुक्ति के सम्बन्ध में जो धर्म-निरपेक्षता के सिद्धांतों में विश्वास नहीं रखते हैं, नियमों के उल्लंघन के बारे में तथ्य प्रस्तुत किए हैं । आपको इन तथ्यों की जाँच करनी चाहिए । आपको यह देखना चाहिए कि क्या उन्होंने सिद्धांतों का उल्लंघन किया है···(व्यवधान)

श्रीमती शीला कौल : मैं आपको यह बताना चाहती हूं कि उन्होंने किसी भी चीज का कोई उलघन नहीं किया है । मेरे पास यहां सारी सूचना है । यदि आप चाहते हैं कि मैं इसका विवरण दूं, मैं विवरण दे सकती हूं; कोई उलंघन नहीं हुआ है । ···(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बंकुरा) : यह बताया गया है कि भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद में बड़ी संख्या में सेवा निवृत अधिकारियों को नियुक्त किया गया है और ऐसे लोगों को, जिनका अनुसंधान से कोई सम्बन्ध नहीं हैं, नियुक्त किया गया है । ··· ···(व्यवधान)

श्रीमती शीला कौल : यदि आप सब लोग बैठ जाएं तो मैं इसका उत्तर दूंगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप सब लोग बैठने को तैयार हों, तो वह इसका जवाब देने को तैयार हैं ।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : हम यहां अब इसलिए बैठे हैं क्योंकि हम वास्तव में शिक्षा में रुचि रखते हैं । हम यहां आधी रात तक बैठने को भी तैयार हैं । हमने कुछ शिकायतें उठाई हैं जो कि राजनैतिक नहीं हैं । हम न्याय चाहते हैं । साथ ही हमने जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सम्बन्धी कुछ मुद्दे उठाए हैं । अभी कुछ समय पहले श्री पराशर अध्यापकों की दुर्दशा के सम्बन्ध में बोल रहे थे···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप इस मामले पर आधे घण्टे की चर्चा के लिए सूचना क्यों नहीं देते ? आप यह दे सकते हैं । मैं केवल आपकी सहायता ही कर रहा हूं ।

श्रीमती शीला कौल : मेरे पास यहां सभी तथ्य मौजूद हैं । मैं उन्हें पूरी सूचना देने के लिए तैयार हूं··· (व्यवधान) ।

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : इस सदन की यह बहुत सुस्थापित परम्परा रही है कि माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों को माननीय मन्त्रियों द्वारा बहुत गम्भीरता से लिया जाता है और जब भी माननीय सदस्य विशिष्ट उत्तर चाहते हैं तो हम उन्हें यह भेज भी सकते हैं ।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : क्या आप आधे घण्टे की चर्चा के लिए अनुमति देंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप सूचना दे सकते हैं। अध्यक्ष महोदय इस पर निर्णय करेंगे अब मैं सभी कटौती प्रस्तावों को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

श्री ए०के० राय : मैं अपना कटौती प्रस्ताव संख्या 30 अलग प्रस्तुत करना चाहता हूं। ऐसा कहने का मुझे अधिकार है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं शिक्षा और संस्कृति मन्त्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों के सभी कटौती प्रस्तावों को सभा में मतदान के लिए रखता हूं बशर्ते कि कोई माननीय सदस्य यह चाहता है कि उनके किसी कटौती प्रस्ताव को अलग से मतदान के लिए रखा जाए।

श्री [illegible]न चौधरी : हम इस पर बाद में आधे घण्टे की चर्चा चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। आप सूचना दे सकते हैं। अध्यक्ष महोदय इस पर निर्णय करेंगे।

श्री ए०के० राय : मैं चाहता हूं कि पब्लिक स्कूलों को समाप्त करने की निष्फलता और देश में एक ही प्रकार की शिक्षा प्रणाली के अपनाने सम्बन्धी मेरे कटौती प्रस्ताव संख्या 30 को मतदान के लिए अलग से रखा जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका हर एक बात का अधिकार है। ठीक है। प्रश्न यह है :

"कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत माँग की राशि को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

(पब्लिक स्कूलों को समाप्त करने में निष्फलता और देश में एक ही प्रकार की शिक्षा होना) (30)

जो इसके पक्ष में हैं, वे 'हां' कहें।

कुछ माननीय सदस्य : 'हां'।

उपाध्यक्ष महोदय : जो इसके विरोध में हैं, वे 'ना' कहें।

कुछ माननीय सदस्य : 'नहीं'।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से निर्णय 'नहीं' वालों के पक्ष में हुआ।

कुछ माननीय सदस्य : हाँ कहने वालों के पक्ष में है।

श्री ए० के० राय : हाँ कहने वालों के पक्ष में है। मैं विभाजन चाहता हूं। विभाजन के लिए कहने का मुझे अधिकार है।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : सदन में गणपूर्ति नहीं है ।

श्री ए० के० राय : अब आप "गणपूर्ति" के लिए नहीं कह सकते हैं ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : विपक्ष के सदस्य यहां हैं । परन्तु सत्तारूढ़ दल के सदस्य नहीं हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राय क्या आप इसके लिए जोर दे रहे हैं ?

श्री ए० के० राय : जी हां, मैं जोर दे रहा हूं मैं विभाजन के लिए जोर दे रहा हूं इस स्थिति के बारे में समझौता नहीं हो सकता ।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : 'गणपूर्ति' नहीं है । मैं 'गणपूर्ति' के लिए पूछ रहा हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : एक माननीय सदस्य ने गणपूर्ति का प्रश्न पूछा है । इसलिए मैं गणपूर्ति की घण्टी बजाऊंगा यदि गणपूर्ति नहीं है, तो विभाजन नहीं हो सकता है । श्री राय विभाजन के लिए कह रहे हैं ।

श्री ए० के० राय : मैं विभाजन के लिए जोर दे रहा हूं । अब आप गणपूर्ति के प्रश्न का उल्लेख नहीं कर सकते हैं । हम विभाजन पर जोर देंगे और जब किसी विषय पर मतदान की बात है तो आप गणपूर्ति के प्रश्न का उल्लेख नहीं कर सकते ।

हममें विभाजन की मांग की है ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने विभाजन की मांग की है···(व्यवधान)

श्री ए० के० राय : संसदीय कार्य-प्रणाली को इस प्रकार विकृत नहीं किया जाना चाहिए ।

एक माननीय सदस्य : गणपूर्ति नहीं है ।

श्री ए० के० राय : पहले मैंने विभाजन के लिए जोर दिया है । मैं विभाजन के लिए जोर देता हूं ।

श्री बूटा सिंह : आज सुबह हम इस पर सहमत हो गए थे कि यह एक सुस्थापित प्रक्रिया है कि जब हम लोग देर तक बैठते हैं तो हम 'गणपूर्ति' का प्रश्न नहीं उठाते ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब चूंकि गणपूर्ति का प्रश्न उठाया गया है, मुझे गणपूर्ति की घण्टी बजवानी होगी ।

श्री ए०के० राय : आप यह कैसे कर सकते हैं ?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप सब बैठ जाएं । आप में से एक ही बोले । वरना मुझे कैसे सुनाई देगा ?

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : आप किस नियम के अधीन गणपूर्ति की मांग कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं कि सदन का कार्य संचालन कैसे किया जाए। श्री राय, क्या आप विभाजन के लिए जोर दे रहे हैं।

श्री ए० के० राय : जी, हां।

उपाध्यक्ष महोदय : जो हां। विभाजन की घण्टी बजा दी जाए।

वह विभाजन के लिए जोर दे रहे हैं, इसलिए विभाजन की घण्टी बजा दी जाए।

माननीय सदस्य, घण्टी बज चुकी है और अब घण्टी बजनी बन्द हो गई है। अब मुझे मालूम हुआ है कि सदन में कोई गणपूर्ति नहीं है।

सभा अब कल 11 बजे म०पू० पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

8.43 म०प०

(तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 12 अप्रैल, 1984/23 चैत्र 1906 (शक) के 11 बजे म०पू० तक के लिए स्थगित हुई।)

मुद्रक। चौधरी मुद्रण केन्द्र दिल्ली।